Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका 01

02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board 05/06

03. Referee Board 07

04. Spokesperson 09

(Science / विज्ञान)

05. Ethnobotany - Some Sacred Groves Of Dhar District, MP And Their Role In Conservation Of Biodiversity (Dr. Kamal Singh Alawa) 11

06. Catharanthus roseus : A Potential Therapeutic Plant (Shail Bala Sanghi) 14

07. NCC Builds Character And Help In Personality Development (Dr. Uday Dolas) 17

(Home Science / गृह विज्ञान)

08. किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि का उनके संवेगात्मक समायोजन पर पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. मंजू पाटनी, प्रो. बेला सचदेवा, प्रीतिबाला अलावे) 19

(Commerce & Management / वाणिज्य एवं प्रबंध)

09. Packaged Drinking Water Become Fastest Growing Industry In India (With Special Reference To Indore M.P.) (Dr. Prabhat Chopra) 22

10. M-Commerce - The Next Generation Commerce (Dr. Praveen Ojha) 26

11. Impact Of Demonetization In India (Renu Bhadoria) 30

12. Study The Growth Of Online Business In India (Dr. Pradeep Chaurasia) 33

13. Seasonal Variations In Firewood Consumption Pattern In Village Chackbhagwana Of District Jammu (J&K) (Sapna Sharma) 35

14. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक छिन्दवाड़ा द्वारा ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदत्त वित्तीय सहायता/साख का विश्लेषण (डॉ. लक्ष्मण परवाल, श्याम कुमार मिनोटे) 38

15. उद्यम कुटीर उद्योग में महिलाएँ (ज्योति बौरासी, डॉ. संग्राम भुषण) 44

16. महिला उद्यमिता एवं सशक्तिकरण (छ.ग. राज्य के संदर्भ में)(डॉ. एस. के. शर्मा, नीति देवांगन) 47

17. व्यवसाय में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका (डॉ. भावना निगम) 49

(Economics / अर्थशास्त्र)

18. ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एवं रोजगार के अवसर (ज्योति बौरासी) 51

19. साहित्य और निर्माणपरक दायित्व (डॉ. अमोल मांजरेकर) 54

(History / इतिहास)

20. Dandanacha - The Dance Form Of Belief Of Ganjam (Odisha) (Mr. Kartikeswar Patro) 55

21. Colonialism And Deforestation In 19th Century India (Anshu Sharma) 58

22. British Economic Policies And Their Impact On Indian Revenue System And Agriculture 61
[1765-1857](Sunil Sharma)

23. Social And Political Condition Of India On The Eve Of Babur's Invasion (Sunil Sharma)............. 63

24. पं0 मदन मोहन मालवीय और भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन (डॉ. दीप्ति जायसवाल) 65

25. बघेलखण्ड में 1857 के विद्रोह की प्रकृति (डॉ. अनुभव पाण्डेय) 70

26. वैदिक युग में कृषि एवं पशुपालन (डॉ. शुक्ला ओझा) 74

27. व्यक्तिगत सत्याग्रह में सतपुड़ांचल का अवदान (डॉ. संकेत कुमार चौकसे) 77

28. 11वीं-12वीं शताब्दी में उत्तर भारत की शैक्षिक व्यवस्था (डॉ. देशराज वर्मा) 80

(Political Seience / राजनीति विज्ञान)

29. राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में शिक्षा के आयामों का अध्ययन (डॉ. अभिमन्यु वशिष्ठ).......... 83

30. गाँधी दर्शन एवं प्रासंगिकता - एक विवेचन (डॉ. वसुधा आवले) 86

31. महात्मा गांधी का आर्थिक चिंतन (डॉ. वीणा बरडे) 89

(Sociology / समाजशास्त्र)

32. महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका का अध्ययन (मोहित पांचाल) 91

33. जनजातीय समाज में प्राचीन शिक्षा का केन्द्र 'घोटूल' (डॉ.बसंत नाग, डॉ.के.आर. ध्रुव) 94

34. मानवाधिकार एवं महिलाएं (संध्या देव) 97

35. समसामयिक परिप्रेक्ष्य में नि:शक्तजन - शैक्षिक अधिकार व अवसर (कमलेश पँवार) 100

36. महिलाओं के विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका (हेमा परमार) 103

37. सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यक्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका (दीपिका तोमर, डॉ. जगदीश चन्द्र सिन्हा) 106

38. आदिवासियों की प्राचीन परम्परा 'बिदरी' (शैलकुमारी धुर्वे) 108

39. आधुनिक युग में योग का महत्व (डॉ. अनामिका प्रजापति) 110

40. गांधी जी के अहिंसावादी विचार आज भी प्रांसगिक हैं 'अहिंसा' (डॉ. रमेश कुमार रावत, डॉ. रंजीता वास्केल)......... 112

(Geography / भूगोल)

41. मनोरोगों के अनुसंधान में उपयोगी प्रविधियाँ (डॉ. एस. एस. धुर्वे) 114

42. शिवानी की कहानियों में पारिवारिक नारी के विविध रूप (किरण बाला, डॉ. पीयूष कुमार शर्मा) 117

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

43. माहिष्मती की विभूतियां (डॉ. गुलाब सोलंकी) 120
44. समसामयिक जीवनबोध और केदारनाथ अग्रवाल की कविता (सविता, डॉ. सोनाली निनामा) 123
45. सुशीला टाकभौरे के नाट्य साहित्य में सामाजिक सरोकार (पाटील नवनाथ सदाशिव) 126
46. कथाकार अमृतराय का जीवन दर्शन (डॉ. विनय कुमार सोनवानी) 129
47. प्रेमचन्द के कथा साहित्य में दलित जीवन (सुमन सिसोदिया, डॉ. गुलाब सिंह डावर) 132
48. हिन्दी फिल्मों में बापू (डॉ. अनुसुइया अग्रवाल) 135
49. कबीर के काव्य में दर्शन (डॉ. आशा शरण) 137
50. अज्ञेय के सृजनात्मक साहित्य में स्वाधीनता के मूल्यों (कहानी-प्रेम) के विविध आयाम' (डॉ. अनुकूल सोलंकी) 139
51. नारी के विविध रूप - वाल्मीकि रामायण के संदर्भ में (डॉ. विनय कुमार सोनवानी) 141
52. भारतीय भाषाओं में रचित रामकाव्य में सामाजिक जीवन मूल्य (प्रफुल्ल कुमार टेम्भरेकर) 143
53. कबीर और तुलसी के राम में अन्तर (डॉ. रंजना मिश्रा) 145
54. मिथिलेश्वर की कहानियों में ग्रामीण परिवेश (दीपक सिंह) 147
55. वेदों में विश्व बंधुत्व तथा मानव मूल्य (प्रेमलता छापोला) 149
56. मधुकर सिंह के उपन्यासों की कथा - भूमि (डॉ. हरेराम सिंह) 151

(Sanskrit / संस्कृत)

57. नाट्यानुशीलनम् - नाटकस्योत्पत्तिविकासयोश्च पौरस्त्यपाश्चत्यमतविमर्श: (डॉ. बालकृष्ण प्रजापति) 153
58. वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का परिचय (संध्या दावरे) 155

(Education / शिक्षा)

59. Emotional Intelligence - As A Way To Control Emotion For Improvement (Dr. Kavita Verma) 157
60. A Study Of Academic Achievement Of First Year I.I.T. Students In Relation To Affective Domain Related Characteritics (Rajeev Kumar) 160
61. A Correlational Study of Emotional Intelligence And Anxiety Among Adolescents (Dr. Munmun Sharma) 163
62. शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों में लक्ष्य अभिप्रेरणा का अध्ययन (साधना ओसवाल, डॉ. मंजू वर्मा) 165
63. समावेशी शिक्षा में बी.एड इन्टर्नशिप की उपयोगिता का अध्ययन (भावना शेखावत, डॉ. अशोक सेवानी) 168
64. किशोरावस्था के विद्यार्थियों में तनाव का तुलनात्मक अध्ययन (प्रतिभा द्विवेदी, डॉ. विनोद सिंह भदौरिया) 170

(Law/ विधि)

65. The Political Impact After Removal Of Jammu And Kashmir's Special Status Under The Indian Constitution (Jai Prakash Vyas, Prof. (Dr.) Yogendra Shirivastav) 173

66. मादा भ्रूण हत्या - एक विधिक अध्ययन (मध्यप्रदेश के संदर्भ में) (अमृता सोनी, डॉ. संजूश सिंह भदौरिया) 175

67. किशोर अपराध का विभिन्न आय वर्गों पर प्रभाव - भय के संदर्भ में एक अध्ययन (किरण कुमारी जैन, डॉ. मनीष श्रीमाली) 180

68. भारतीय नागरिकों के कर्तव्य (डॉ. उर्मिला संतोगिया) 182

(Others / अन्य)

69. Influence Of Types Of Hospital, Length Of Service And Their Interaction On Personality Factor Q1 (Conservative Vs Experimenting) Of Nurses (Dr. Anjali Pandey) 184

70. Search For A Transforming Vision In The Circle Of Reason (Dr. Ritu Mittal) 187

71. Back to Village, the Move Towards Equitable Rural Development - A Participatory Descriptive Study(Altaf Hussain) 190

72. राजस्थानी टेराकोटा-मृणकला (मीनाक्षी कस्तूरी, डॉ. कंचन राठौड़) 193

73. बाल अधिकार एक ज्वलंत समस्या (कृष्णा शर्मा) 196

74. आधुनिक चिन्तन में त्रैतवाद एवं अद्वैतवाद (महिमा शास्त्री)... 198

75. रामचरित मानस और गीता में सन्तों के लक्षण (डॉ. मधुसूदन चौबे) 200

76. शासक पुलिस को जनता पुलिस बनाने की आवश्यकता हैं! (डॉ. भंवरलाल चौधरी) 202

77. हिन्दी कथा साहित्य में ग्रामीण आर्थिक जीवन (डॉ. आर. एस.वाटे) 204

78. दलित साहित्य में आत्मकथा लेखन (हेमलता)... 206

79. नागरी लिपि में प्रकाशित पुस्तकों में वर्तनी की एकरूपता (डॉ. विनय शर्मा) 210

80. Hemingway's Writing Technique (Dr. Anand Kumar Jain) 212

81. विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता का अध्ययन (डॉ. सतीशपाल सिंह) 214

82. हिन्दी उपन्यास और साम्प्रदायिकता (डॉ. जयराम त्रिपाठी) 217

83. Live in Harmony with Nature (Dr. Jolly Garg).. 220

84. माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. सतीश पाल सिंह) 224

85. राजस्थान की विस्थापित आदिवासी जनजाति और पर्यावरणीय चेतना (डॉ. रणजीत कुमार मीणा) 229

86. जयपुर रियासत में रामानन्द सम्प्रदाय की प्रमुख गद्दियाँ - गलता जी एवं रेवासा : एक ऐतिहासिक अध्ययन (डॉ. बबिता सिंघल) 232

87. उच्च माध्यमिक स्तर के कला एवं वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिकरूचि का तुलनात्मक अध्ययन (डॉ.रितु बाला, सुमित्रा सिंह) 237

88. A Proposed Algebra Problem-Analysis Model (Roshni Kumari) 239

89. Study of The High Z^+ Diet and Its Effect on Human Traumatology (V.P.Singh) 243

90. The Study of Golden Hyper Group Order-2 of Bis –Processes (V.P. Singh).................................. 246

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employbility Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhayay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharastra) India
18. Prof. Dr.Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof.,Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anooppur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India

****

Referee Board

Maths	-	(1)	Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics	-	(1)	Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science	-	(1)	Prof. Dr. Umesh Kumar Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry	-	(1)	Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College,Ujjain (M.P.)
Botany	-	(1)	Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
		(2)	Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
Life Science	-	(1)	Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
	-	(2)	Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statitics	-	(1)	Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science	-	(1)	Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology	-	(1)	Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology	-	(1)	Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science	-	(1)	Dr.H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci.	-	(1)	Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)

***** Commerce *****

Commerece	-	(1)	Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
		(4)	Naresh Kumar, Assistant Professor,Sidharth Govt. College, Nadaun (H.P.)

***** Management *****

Management	-	(1)	Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources	-	(1)	Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Administration	-	(1)	Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)

***** Law *****

Law	-	(1)	Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)

***** Arts *****

Economics	-	(1)	Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
		(4)	Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
Political Science	-	(1)	Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy	-	(1)	Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology	-	(1)	Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

Hindi -	(1)	Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
	(3)	Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
	(4)	Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
	(5)	Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
English -	(1)	Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
Sanskrit -	(1)	Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
History -	(1)	Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
Geography -	(1)	Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
	(2)	Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
Psychology -	(1)	Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
Drawing -	(1)	Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
	(3)	Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
Music/Dance -	(1)	Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak),Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
	(2)	Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
		***** Home Science *****
Diet/Nutrition Science -	(1)	Prof.Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
	(2)	Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
	(3)	Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
Human Development -	(1)	Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
	(2)	Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
Family Resource Management -	(1)	Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
	(2)	Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
		***** Education *****
Education -	(1)	Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
	(2)	Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific EducationCollege, Udaipur (Raj.)
	(3)	Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
	(4)	Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education,Tigaon, Faridabad (Haryana)
	(5)	Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)
		***** Architecture *****
Architecture -	(1)	Prof. Kiran P. Shindey, Principal,School of Architecture,IPS Academy, Indore (M.P.)
		***** Physical Education *****
Physical Education -	(1)	Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
	(2)	Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)
	(3)	Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)
		***** Library Science *****
Library Science -	(1)	Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Spokesperson's

1. Prof. Dr. Davendra Rathore - Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2. Prof. Smt. Vijaya Wadhwa - Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3. Dr. Surendra Shaktawat - Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4. Prof. Dr. Devilal Ahir - Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5. Shri Ashish Dwivedi - Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6. Prof. Manoj Mahajan - Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7. Shri Umesh Sharma - Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8. Prof. Dr. S.P. Panwar - Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9. Prof. Dr. Puralal Patidar - Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10. Prof. Dr. Kshitij Purohit - Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11. Prof. Dr. N.K. Patidar - Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12. Prof. Dr. Y.K. Mishra - Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13. Prof. Dr. Suresh Kataria - Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14. Prof. Dr. Abhay Pathak - Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15. Prof. Dr. Malsingh Chouhan - Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16. Prof. Dr. Gendalal Chouhan - Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17. Prof. Dr. Prabhakar Mishra - Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18. Prof. Dr. Prakash Kumar Jain - Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19. Prof. Dr. Kamla Chauhan - Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20. Prof. Abha Dixit - Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21. Prof. Dr. Pankaj Maheshwari - Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22. Prof. Dr. D.C. Rathi - Swami Vivekanand Career Gudiance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23. Prof. Dr. Anita Gagrade - Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24. Prof. Dr. Sanjay Pandit - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25. Prof.Dr. Rambabu Gupta - Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26. Prof. Dr. Anjana Saxena - Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27. Prof. Dr. Sonali Nargunde - Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28. Prof. Dr. Bharti Joshi - Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29. Prof. Dr. M.D. Somani - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30. Prof. Dr. Priti Bhatt - Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31. Prof. Dr. Sanjay Prasad - Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32. Prof. Dr. Meena Matkar - Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33. Prof. Dr. Mohan Waskel - Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34. Prof. Dr. Nitin Sahariya - Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35. Prof. Dr. Manju Rajoriya - Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36. Prof. Dr. Shahjad Qureshi - Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37. Prof. Dr. Shail Bala Sanghi - Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38. Prof. Dr. Praveen Ojha - Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39. Prof. Dr. Omprakash Sharma - Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40. Prof. Dr. S.K. Shrivastava - Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41. Prof. Dr. Anoop Moghe - Govt. Kamlaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42. Prof. Dr. Hemlata Chouhan - Govt. College, Badnagar (M.P.)
43. Prof. Dr. Maheshchandra Gupta - Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44. Prof. Dr. Mangla Thakur - Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45. Prof. Dr. K.R. Kumhekar - Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)

46. Prof. Dr. R.K. Yadav - Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta - Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi - Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey - Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar - Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel - Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta - Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash - Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava - Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai - Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya - Govt. P.G. College, Dhar (M.P
58. Prof. Dr. A. K. Pandey - Govt. Girls College, Satna (M.P.)
58. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain - Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
59. Prof. Dr. Niyaz Ansari - Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)
60. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel - Govt. College, Harda (M.P.)
61. Dr. Suresh Kumar Vimal - Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
62. Prof. Dr. Amar Chand Jain - Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. Rashmi Dubey - Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. A.K. Jain - Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Sandhya Tikekar - Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
66. Prof. Dr. Rajiv Sharma - Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Rashmi Srivastava - Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
68. Prof. Dr. Laxmikant Chandela - Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Balram Singotiya - Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
70. Prof. Dr. Vimmi Bahel - Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
71. Prof. Aprajita Bhargava - R.D.Public School, Betul (M.P)
72. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan - Govt. College, Maksi, Distt. Shajapaur (M.P.)
73. Prof. Dr. Pallavi Mishra - Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
74. Prof. Dr. N.P. Sharma - Govt. College, Datia (M.P.)
75. Prof. Dr. Jaya Sharma - Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
76. Prof. Dr. Sunil Somwanshi - Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
77. Prof. Dr. Ishrat Khan - Govt. College, Raisen (M.P.)
78. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi - Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Bhawana Thakur - Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
80. Prof. Dr. Keshavmani Sharma - Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
81. Prof. Dr. Renu Rajesh - Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
82. Prof. Dr. Avinash Dubey - Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
83. Prof. Dr. V.K. Dixit - Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
84. Prof. Dr. Ram Awdesh Sharma - M.J.S. Govt. P.G. College, Bhind (M.P.)
85. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri - Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
86. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla - Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
87. Prof. Dr. Anoop Parsai - Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh)
88. Prof. Dr. Anil Kumar Jain - Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
89. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya - Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
90. Prof. Dr. Archana Vishith - Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Kalpana Parikh - S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Gajendra Siroha - Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Krishna Pensia - Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
94. Prof. Dr. Pradeep Singh - Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
95. Prof. Dr. Smriti Agarwal - Research Consultant, New Delhi

Ethnobotany - Some Sacred Groves Of Dhar District, MP And Their Role In Conservation Of Biodiversity

Dr. Kamal Singh Alawa*

Abstract - The present paper investigation was carried out during the period of 2017-2019. Sacred grove the tracts of virgin forest with rich diversity, which have been protected by the local people for centuries for their cultural and religious beliefs and taboos that the deities reside in them and protect the villagers from different calamities. These groves are covered with herbs, shrubs and trees etc. It exhibits diversity of herbal plants. Many of these herbal plants are used to cure human ailments by local people, tribal communities, Vaidyas and Badwa. Some threatened plants are reported from these sacred groves are in the study area which are naturally protected by local tribal people due to their cultural, religious beliefs and taboos that the deities reside in them. Religious beliefs and taboos have significant role in conservation of flora and fauna. Tribal people do not cut the plant found in the sacred groves and surrounding area. It also gives shelter and home of many birds and animals. Some threatened plants are abundantly found in the sacred groves of the study area. Literature survey of ethnobotanical work was study area done (Srivastava 1984, Alawa *et al*. Alawa 2018). The present paper first time documented of the study area.

Key Words - Biodiversity, conservation, Dhar district, sacred groves, Tribes.

Introduction - Sacred groves are one of the ways to the conservation of biodiversity. The various religious philosophies have contributed significantly in the conservation of forest. Sacred groves play an important role in recharge of aquifers and soil conservation of biodiversity (Maru*et al.* 2013). The study of interrelationship between the human beings and plants and animals in their surrounding environments (i.e. ethno biology) is very revealing. Some interesting ethnobotanical studies were conducted to the importance of sacred groves in the conservation of biological diversity has been well recognized (Gadgil and Vartak 1976). According to several reports there is a concentration of rare, endemic and endangered species in sacred groves (Chandra shekara *et al.* 1998). Several trees having non-timber uses and macro fungi useful to the local people, as well as those with medicinal properties were abundant in sacred groves of Western Ghats (Bhagwat *et al*. 2005). Scared groves are tracts of virgin forest with rich diversity, which have been protected by the local people for centuries for their cultural and religious beliefs and taboos that the deities reside in them and protect the villages from different calamities (Khan *et al.* 2008). Indian society comprises several cultures, each with its own set of traditional methods of conserving nature and its creatures. The biodiversity found on earth today consists of many millions of distinct biological species, which is the product of nearly 3.5 billion years of evolution during this past 3.5 billion years. A wide variety of pants came into existence, flourished and then perished due to various reasons (Verma and Sharma 2012). In India, Sacred groves are found mainly in tribal dominated areas and are known by different names in ethnic terms (Bhakat 1990) such as saran or Dev or devkhera in Madhya Pradesh. Villagers protect on the religious ground. The sacred groves found in India can basically be classified under three categories based on analysis of studies on sacred groves, Traditional sacred groves, Temple groves and groves around the burial or cremation ground. About 4215 sacred groves covering an area of 39,063 hectares are estimated to be distributed in India (Malhotra 1998). 275 sacred groves have been reported in Madhya Pradesh (Srivastava 1994). Various ethnic groups of Madhya Pradesh have preserved and protected several forest patches and even individual trees or animals due to their traditional belief and respect for nature. Many sacred groves were reported from the state. Literature survey of ethnobotanical work was done (Srivastava 1984, Jain 2004, Alawa *et al*. 2018). The present paper first time documented of the study area.

Study area - Dhar district is situated in the south-western part of Madhya Pradesh. The district lies between the latitude of 22º 00 to23º 10North and longitude of 74º 28 to 75º 42 East. Dhar is known as tribal district due to dense population of tribal. About 83.93 percent of total population of the district belongs to tribal respectively. The main communities are Bhil, Bhilala, Barela and Pateliya are the dominant tribal inhabitating in the area. The present investigation was carried out during the year 2017-2019. Present study observed and documented some sacred

*(Botany) Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA

groves in Amjhera Amka-Jhamka Mata, Balwari hanuman, Jamanghati Devkheda, Khedali hanuman devkheda, Dhar kalka Mata, Tirla Aamkeda hanuman, Nalcha Rampalki Dham, Tirla Ganga Mahadev, Keshvi Bheru Baba, Sardarpur Sankatmochan hanuman in the study areas.

Materials and Methods - Field study was carried out during 2017-2019. These are different season the frequency was more than more available plants collection and plant specimens were identified with the help of flora of Madhya Pradesh (Verma *et al*. 1994 & Mudgal, 1997). and available literature. Field observation and Field data were noted down in field diary. Some plant specimens have been identified from BSI, Central Circle Allahabad. Religious value of the plants of sacred groves was also gathered from informants. In each village we made a preliminary survey to locate people who are regarded as well immersed in local traditional and or in religious customs. Information about its importance, utility and purpose were collected.

Amjhera Amka-Jhamka Mata - Amka-Jhamka sacred grove is situated on the Sardarpur tahsil in the Amjhera town. According to the local tribal people and villagers coming daily to the prayer. This grove is surrounded by *Aegle marmelos*, *Azadirachta indica*, *Balanites aeguptiaca*, *Butea monosperma, Mangifera indica, Ficus religiosa, , Bombax ceiba ,Holoptelea integrifolia, Ficus benghalensis, Holarrhena pubescens , Helicteres isora etc.*

Balwari Hanuman - Balwari hanuman sacred grove is situated near the Gandhwanitahsil in the Balwari villages. The tribal of the villages coming daily and every Saturday for worship. Fair is held on Hanuman jayanti and Ram navami. This grove is surrounded by *Aegle marmelos, Azadirachta indica, Pterocarpus marsupium, Holopteliya integrifolia, Bombax ceiba, Dendrocalamus strictus, Ficus benghalensis, Butea monosperma ,Madhuca longifolia, Syzygium cumini, Pithecello biumdulce, Phoenix sylvestris* etc.

Jamanghati Devkheda - Jamanghati sacred grove is situated near the Nalcha block in Dhartahsil. According to the local tribal people and villagers coming every festival in devkheda. They believe that the Deity fulfillments of the wish. This grove is surrounded by *Azadirachta indica, Bombax ceiba ,Boswellia serrata, Butea monosperma , Casia fistula, Holoptelea integrifolia ,Dendrocalamus strictus , Phyllanthus emblica, Balanites aeguptiaca, Holarrhena pubescens, Ficus benghalensis, Pterocarpu smarsupium, Syzygiumc umini* etc.

Khedali hanuman Devkheda - Khedali Hanuman sacred grove is situated near the Tanda town in Gandhwanitahsil. The local tribal of the villages coming daily for good worship. This grove is surrounded by *Anogeissus latifolia, Azadirachta indica, Bombax ceiba, Butea monosperma, Dendrocalamus strictus, Holarrhena pubescens, Moringa oleifera, Tectona grandis* etc.

Kalika Mata Dhar - Kalika sacred grove is situated on head quarters of Dhar district. According to the local people and villagers coming daily to the prayer. This grove is surrounded by *Adansonia digitata, Aegle marmelos, Azadirachta indica, Barleria prionitis, Bombax ceiba , Bauhinia variegate, Boswellia serrata, Butea monosperma, Ficus benghalensis*etc.

Aamkeda Hanuman - Aamkheda hanuman sacred grove is situated on Tirla block and near the Dhartahsil. The tribal of the villages coming daily and every Saturday for worship. Fair is held on Hanumanjayanti and Ramnavami. This grove is surrounded by *Mangiferaindica, Balanitesaeguptiaca ,Azadirachtaindica , Acacia leucophloea, Bombaxceiba , Buteamonosperma ,Bauhinia variegata , Dendrocalamusstrictus , Ficusbenghalensis, Lawsoniainermis* etc.

Rampalki Dham - Rampalki Dham sacred grove is situated near the Nalcha block. The local tribal people of the villages coming daily for good worship. This grove is surrounded by *Azadirachta indica, Nyctanthes arbortristis, Barleria prionitis ,Annona reticulate, Annona squamosa, Adansonia digitata, Bombax ceiba, Boswellia serrata, Butea monosperma, Dendrocalamus strictus, Diospyros melanoxylon, Ficus benghalensis, Holoptelea integrifolia, Holarrhena pubescens*etc.

Ganga Mahadev - Ganga mahadev sacred grove is situated near on Tirla block. The local tribal people of the villages coming daily for good worship. A naturalwater fall is present near the grove. This grove is surrounded by *Azadirachta indica, Bombax ceiba, Butea monosperma, Tectona grandis* etc.

Bheru Baba - Bheru baba sacred grove is situated is the Amjhera town in the Gandgwani tahsil. The local tribal people of the villages coming daily for good worship. This grove is surrounded by *Anogeissus latifolia, Azadirachta indica, Balanites aeguptiaca, Bombax ceiba, Butea monosperma, Bauhinia variegate, Boswellia serrata, Dendrocalamus strictus, Holarrhena pubescens* etc.

Sardarpur Sankatmochan Hanuman - Sardarpur Sankatmochan hanuman sacred grove is situated on head quarter of Sardarpur tahsil. This grove is surrounded by *Azadirachta indica, Bauhinia variegata, Butea monosperma, Dendrocalamus strictus, Ficus benghalensis, Holoptelea integrifolia*etc.

Results and Discussion - During their field survey from 2017-2019 of sacred groves in ethnobotanical work. These sacred groves are observed in the district. Total some sacred groves found in this area. These species are ecologically important keystone species which by their key role in ecosystem functioning contribute to support much biodiversity associated with it. Sometime whole forests are worshipped rather than individual plant. These sacred groves are locally called Khedadev or Devkheda and Temple residing etc. Sacred groves are religious refuge of endangered species and the site of in situ conservation. Sacred groves are believed to be abode of certain deities or spirit. Usually there are no temples for these deities. Rather a few vermillion smeared stones at the base of tree demarcate the spot as sacred and worshipped. Religious

beliefs, sacred value, totem and taboos are contributing important role in conservation of plants and animal since ancient time. Some sacred groves have been observed in the district where people restrict the cutting, touching, collection of religious plants and sacred groves Photo graphs (Figure A-F).

Acknowledgement - The author is grateful to the research guide Dr. Sudip Ray, PMB Gujarati Science College, Indore and Principal Dr. H.L.Fulware & Dr. Subhash Soni, HOD, Govt. P.G. College, Dhar for providing research facilities. We are also thankful to Divisional forest Officer, Dhar for help during the tribal village's and forest areas. She is also thankful to all tribal people for their important information valuable information.

References :-

1. **Alawa, K.S. and Ray S. (2018)**. Some plants associated of tribal Clans of Dhar district, Madhya Pradesh, India and their Role in Conservation. *Bioscience Discovery*, 9(2): 260-263.
2. **Bakat RK (1990)**.Tribal ethics of forest conservation yojana (March 16-31):23-27.
3. **Bhagwat, SA; Kushalappa, CG; Williams, PH and Brown, ND (2005).** The role of informal protected areas in maintaining biodiversity in the Western Ghats of India. Ecology and Society 10 (1): 8.
4. **Chandrashekara UM and Sankar S (1998).** Structure and functions of sacred groves: Case studies in Kerala. Pages 323-335, In :Ramkrishnan PS ,Saxena KG and Chadrashekara UM (Editors) Conserving the Sacred for Biodiversity Management, UNESCO and oxford.IBH Publishing ,New Delhi.
5. **Gadgil M and Vartac VD (1976).** Sacred groves of Western Ghats of India. Ecological,30:152-160
6. **SK and Rao RR(1977).** A handbook of field and herbarium method, today and tomorrows.Printers and publisher New Delhi, India.
7. **Jain, S.P.(2004).** Ethno-Medico-Botanical Survey of Dhar district Madhya Pradesh. *Journal of Non- Timber Forest products*, 11 (2): 152-157.
8. **Khan ML, Khumbongmayum AD and Tripathi RS (2008)**. The sacred groves and their significance in conserving Biodiversity: An overview. International Jour. Eco.& Environ.Sci.34 **(3)**:277-291.
9. **Malhotra KC(1998)**. Anthropological dimensions of sacred groves in India: An overview page 423-438,In :Ramkrishnan PS ,Saxena KG and Chadrashekara UM (Editors) Conserving the Sacred for Biodiversity Management, UNESCO and oxford.IBH Publishing ,New Delhi.
10. **Maru RN and Patel RS(2013)**. Ethnobotanical survey of sacred groves and sacred plants of Jhalod and surrounding areas in Dahod District, Gujarat, India. Res. Jour. of Resent Sci.**2:**130-135.
11. **Mudgal V,Khanna KK and Hajara PK(1997)**. Flora of Madhaya Pradesh.BSI Publication,Calcutta,India **2.**
12. **Singh NP;Khanna KK; Mudgal V and Dixit RD(2001)**. Flora of Madhaya Pradesh.BSI Publica.,Calcutta,India **3.**
13. **Srivastava, R.K.(1984).**Tribals of Madhya Pradesh and Forest Bill of 1980.*Man in India,*64 (3):320-321.
14. **Srivastava MK(1994)**.Hill Korwa: Past, present and potential Shri Mudran and publication, Raipur.

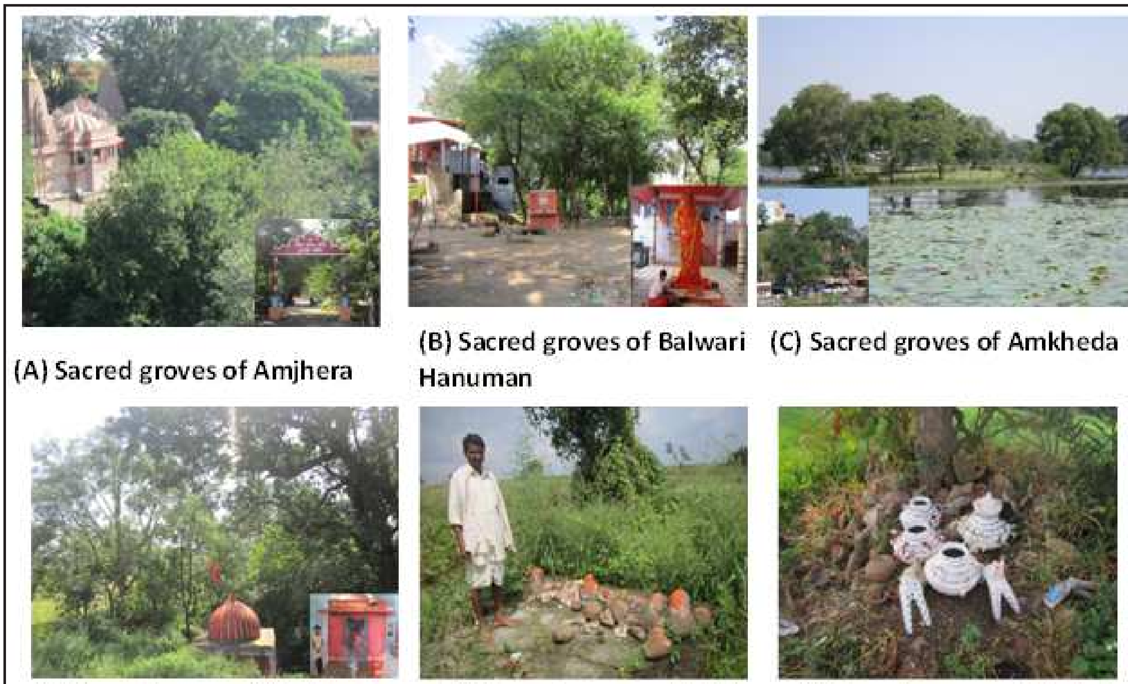

(A) Sacred groves of Amjhera
(B) Sacred groves of Balwari Hanuman
(C) Sacred groves of Amkheda
(D) Sacred groves of Sardarpur
(E) Sacred groves of Nalcha
(F) Sacred groves of Keshvi

Some sacred groves of Dhar District (M.P.)

****

Catharanthus roseus : A Potential Therapeutic Plant

Shail Bala Sanghi*

Abstract - *Catharanthus roseus* a widespread plant found in greenery and homes over the world. The plant of *Catharanthus roseus* has an extremely extraordinary restorative property. The plant has appeared intense antidiabetic action, anticancer action, antioxidant action and cytotoxic action. The present review is an effort to give a detailed account on classification, description, phytochemical study and pharmacological properties of the plant. Ayurveda is the Indian conventional system of prescription which centers around the therapeutic capability of plants. *Catharanthus roseus* is a well-recognized plant in Ayurveda. It is known for its antimicrobial, antitumour, antidiabetic, antimutagenic and antioxidant impacts. It is an evergreen plant previously originated from islands of Madagascar. The blossoms may vary in shading from pink to purple and leaves are arranged in inverse sets. It delivers about 130 alkaloids for the most part ajmalcine, vinceine, resperine, vincristine, vinblastine and raubasin. Vincristine and vinblastine are utilized for the treatment of different sorts of malignant growth, for example, Hodgkin's disease, breast malignant growth, skin cancer and lymphoblastic leukemia. It is an imperiled species and should be conserved utilizing strategies like micropropagation. It has high therapeutic qualities which should be investigated broadly.
Keywords - catharanthus roseus, alkaloids,vinblastine, vincristine, anti-cancer.

Introduction - Periwinkle" or *Catharanthus roseus* normally known as "Nayantara" or "Sadabahar", the word Catharanthus got from the Greek dialect meaning "pure flower." While, roseus implies red, rose or ruddy [1] Therapeutic plants have a long history of use in conventional prescription. Ethno-botanical data on restorative plants,furthermore, their use by indigenous societies is helpful in the protection of conventional cultures, biodiversity, medicinal services and medication improvement. *Catharanthus roseus* (L.) which is an essential therapeutic plant of the family,Apocynaceae. C. roseus which is commonly known as the Madagascar periwinkle is observed to be a types of *Catharanthus* local and furthermore endemic to Madagascar. It is a well known plant found in greenery enclosures and homes over the world. The equivalent names of the plant are Vinca rosea, Ammocallis rosea and Lochnera rosea, other English names once utilized for the plant are Cape Periwinkle, Rose Periwinkle, Rosy Periwinkle and "Old Maid". [2] It is developed basically for its alkaloids, which are having anticancer actions. The *Catharanthus roseus* have appeared progressively powerful antidiabetic agent, anticancer action, Antidiabetic action and cytotoxic action. It is utilized to treat a large number of the deadly ailments contains a virtual cornucopia of helpful alkaloids, utilized in diabetes, blood pressure, asthma, constipation, and menetrual issue. Peckolt, in 1910, portrayed the utilization in Brazil of a mixture of the leaves to control scurvy, as a mouthwash for toothache, and for the mending and cleaning of incessant wounds. In Europe related species have been utilized for the restrictive concealment of the stream of drain. In the British West Indies it has been utilized to treat diabetic ulcer and in the Philippines has been accounted for an impotant oral hypoglycemic specialist. Chopra et al. have detailed that the all out alkaloids have a restricted antibacterial actions and significant hypotensive activity. The hypoglycemic and antibacterial exercises have not been affirmed, though one of the alkaloids segregated from this plant, ajmalicine, has been accounted for to have transient depressor activity on blood vessels

Scientific classification [3]:
Family Name : Apocynaceae
Kingdom : Plantae
Division : Magnoliophyta (Flowering plants)
Class : Magnoliopsida (Dicotyledons)
Order : Gentianales
Family : Apocynaceae
Genus : Catharanthus
Species : *C. roseus*

Morphology - *Catharanthus roseus* is an evergreen subherb or herbaceous plant growing to 1 m. tall. The leaves are oval to oblong, 2.5- 9.0 cm. long and 1- 3.5 cm. broad glossy green hairless with a pale midrib and a short petiole about 1- 1.8 cm. long and they are arranged in the opposite pairs. The flowers are white to dark pink with a dark red center, with a basal tube about 2.5- 3 cm. long and a corolla

* Department of Botany, Govt. MLB Girls P.G. Autonomous College, Bhopal (M.P.) INDIA

about 2-5 cm. diameter with five petal like lobes. The fruit is a pair of follicles about 2-4 cm. long and 3 mm broad.

Chemical composition - Analysts examining its restorative properties found that it contained a gathering of alkaloids that, however incredibly lethal, had potential uses in malignant growth treatment. Plants have the capacity to integrate a wide assortment of synthetic mixes that are utilized to perform vital natural capacities, and to guard against assault from predators, for example, insects, fungi and herbivorous creatures. *C. roseus* possess starch, flavinoid, saponin and alkaloids. Alkaloids are the most possibly dynamic compound constituents of Catharanthus roseus. In excess of 400 alkaloids are available in the plant, which are utilized as pharmaceuticals, agrochemicals, season and aroma, fixings, nourishment added substances and pesticides. The alkaloids like actineo plastidemeric, Vinblastine, Vincristine, Vindesine, Vindeline Tabersonine and so forth are chiefly present in aerial parts while ajmalicine, vinceine, vineamine, raubasin, reserpine, catharanthine and so forth are available in roots and basal stem. Rosindin is an anthocyanin shade found in the flower of C. roseus. [4]

Anticancer actions - The anticancer alkaloids Vinblastine and Vincristine are derived from stem and leaf of *Catharanthus roseus*. These alkaloids have growth restraint impact to some human tumors. Vinblastine is utilized tentatively for treatment of neoplasmas and is prescribed for Hodgkins disease, chorio carcinoma. Vincristine another alkaloids is utilized for leukemia in youngsters. Diverse level of the methanolic rough concentrates of *Catharanthus* was found to demonstrate the critical anticancer action against various cell types in the in vitro condition and particularly most noteworthy action was found against the multidrug safe tumor types. Vinblastine is sold as Velban or Vincristine as oncovin. [5,6]

Anti-diabetic action - The ethanolic concentrates of the leaves and of *C. roseus* demonstrated a dose dependent lowering of blood glucose in comparable to the standard drug. Bringing down of glucose in comparable to the standard drug glibenclamide. The *Catharanthus roseus* poglycemic impact has showed up because of the aftereffect of the incresed glucose usage in the liver. The watery concentrate was found to bring down the blood glucose of about 20% in diabetic rodents when contrasted with that of the dichloromethane and methanol extricates which brought down the blood glucose level to 49-58%. The hypoglycemic impact has showed up due to the aftereffect of the increased glucose usage in the liver hypoglycemic action of alkaloids disengaged from C. roseus have been considered pharmacologically and a cure inferred from the plant has been showcased under the propritery name Vinculin as a treatment for diabetes. [7-9]

Anti-microbial action - Rough concentrates from various parts of the plant was tried for against bacterial action. Concentrate from leaves appeared essentially higher adequacy. The anti-bacterial action of the leaf concentrate of the plant was checked against microorganism like Pseudomonas aeruginosa NCIM2036, Salmonella typhimuruim NCIM2501, Staphylococcus aureus NCIM5021 what's more, was discovered that the concentrates could be utilized as the prophylactic specialist in the treatment of a large number of the illness. [10]

Anti-oxidant property - The anti-oxidant capability of the ethanolic concentrate of the roots of the two assortments of *C. roseus* to be specific rosea (pink bloom) what's more, alba (white bloom) was obtained by utilizing different arrangement of assay, for example, Hydroxyl radical-scavenging action, superoxide radical-rummaging action, DPPH radical-rummaging action and nitric oxide radical restraint strategy. The outcome got demonstrated that the ethanolic remove of the roots of Periwinkle varieties has shown the acceptable scavenging impact in the whole assay in a concentration dependent way however *C. roseus* was found to have more cancer prevention action than that of *C. alba.* [11]

Anti-helminthic actions - Helminthes diseases are the incessant sickness, influencing individuals and steers. *Catharanthus roseus* was found to be utilized from the traditional period as an antihelminthic specialist. The anti-helminthic property of *C. roseus* has been assessed by utilizing Pheretima posthuma as an exploratory demonstrate and with Piperazine citrate as the standard reference. The ethanolic extract of concentration of 250 mg/ml was found to demonstrate the huge anti-helminthic action. [12]

Anti-ulcer property - Vincamine and Vindoline alkaloids of the plant indicated antiulcer property. The alkaloid vincamine, present in the plant leaves indicates cerebrovasodilatory and neuroprotective action. The plant leaves demonstrated for anti-ulcer action against tentatively incited gastric demage in rodents. [13]

Hypotensive property - Concentrate of leaves of the plant made critical improvement in Hypotensive property. The leaves have been known to contain 150 valuable alkaloids among other pharmacologically dynamic mixes. Critical antihyperglycemic and hypotensive movement of the leaf separates (hydroalcoholic or dichloromethane-methanol) have been accounted for in lab creatures. [14]

Anti-diarrheal property - The anti-diarrheal activity of the plant ethanolic leaf separates as tried in the wistar rodents with castor oil as an experimental loose bowels prompting agent in addition to the pretreatment of the extricate. The anti-diarrheal impact of ethanolic separates *C. roseus* demonstrated the dose dependant hindrance of the castor oil instigated diarrhea. [15]

Wound recuperating property - Rodents treated with 100 mg/kg/day of the *Catharanthus roseus* ethanol separate had high rate of wound compression altogether diminished epithelization period, huge increment in dry weight and hydroxyproline substance of the granulation tissue when contrasted and the controls. Wound compression together with expanded rigidity and hydroxyproline content help the utilization of *C. roseus* in the the wound healing process.[16]

Hypolipidimic impact - In study, noteworthy enemy of atherosclerotic action as proposed by decrease in the serum levels of total cholesterol, triglycerides, LDL-c, VLDLc and histology of aorta, liver and kidney with the leaf juice of *Catharanthus roseus* (Linn.) G. Donn. Could have resulted from the antioxidant impact of flavonoid, and presumably, vinpocetine like compound present in leaf juice of *Catharanthus roseus* (Linn.) G. Donn. [17]

Memory enhancement action - Vinpocetine has been accounted for to have an assortment of activities that would hypothetically be advantageous in Alzheimer's disease (AD). Metaanalysis of previous investigations of vinpocetine in inadequately characterized dementia populaces reasoned that there is deficient proof to help its clinical use right now. Vinpocetine has been well tolerated at doses up to 60 mg/d in clinical preliminaries of dementia and stroke, and no noteworthy antagonistic events. [18]

Conclusion - Restorative plant is the most selective source of life saving medications for lion's share of the world s populace. They keep on being a vital restorative guide for easing the afflictions of humans. Huge numbers of the conventional medications were utilized without understanding the essential mechanism, their impact could be demonstrated further with the assistance of the present innovation and apparatuses. The dynamic compound that is in charge of the pharmacological impact could be found easily and furthermore marketed as a medication item itself with appropriate endorsement from the respective organizations. *Catharanthus roseus* was examined from the ancient times for their phytochemical and their restorative actions. *Catharanthus roseus* is one of the 21000 essential restorative plants found. It is utilized to treat various diseases for example, diabetes, sore mouth, mouth ulcers, and leukemia. It creates around 130 alkaloids, for example, reserpine, vinceine, raubasin and ajmalcine. Anticancer activity is shown by vinblastine and vincristine. Distinctive parts of this plant deliver diverse amounts of alkaloids, out of which root bark delivers the most extreme for example almost 1.79%. There are a number of reports supporting its anti-microbial activity against Staphylococcus albusi, Bacillus megatarium, Shigella, Pseudomonas, and so forth. Its antioxidant and antimutagenic impacts have additionally been reported. Further examinations should be done to investigate its antitumor impacts.

References :-

1. Dr. Hemamalini Balaji, Versatile. Therapeutic effects of Vinca rosea Linn. *International Journal of Pharmaceutical Science and Health Care* . 2014 ; 1(4) :59 - 76.
2. Sain, M., Sharma, V. Catharanthus roseus (An anticancerous drug yielding plant).A Review of Potential Therapeutic Properties. *Int. J. Pure App. Biosci*. 2013; 1(6): 139- 142.
3. Erdogrul. Antibacterial activities of some plant extract used in folk medicine*. Pharm. Biol* . 2002 ; 40:269 -273.
4. Bennouna J, Delord JP, Campone M, Nguyen L. Vinflunine. A new microtubule inhibitor agent. *Clin Cancer Res* . 2008 ; 14:1625 -32.
5. Banskota AH. Antiproliferative activity of Vietnamese medicinal plants. *Biological Pharmaceutical Bulletin*. 2002 ; 25(6):753 -60.
6. Wang S, Zheng Z, Weng Y. Angiogenesis and anti -angiogenesis activity of Chinese medicinal herbal extracts. *Life Science*. 2004 ; 74(20):2467 -78
7. Chattopadhyay RR, Sarkar SK, Ganguli S. Hypoglycemic and antihyperglycemic effect of leaves of Vinca rosea Linn. Indian Journal of Physiology and Pharmacology . 1991 ; 35:145 -51.
8. Singh SN, Vats P, Suri S. Effect of an antidiabetic extract of Catharanthus roseus on enzymic activities in streptozotocin induced diabetic rats. *Journal of Ethnopharmacology* . 2001; 76:269 -77.
9. Chattopadhyay RR. A comparative evaluation of some blood sugar lowering agents of plant origin. *Journal of Ethnopharmacology*. 1994 ; 67:367 -72.
10. Prajakta Patil J, Jai S. Ghosh. Antimicrobial Activity of Catharanthus roseus – A Detailed Study. *British Journal of Pharmacology and Toxicology* . 2010 ; 1(1):40 -44.
11. Alba Bhutkar MA, Bhise SB. Comparative Studies on Antioxidant Properties of Catharanthus Rosea and Catharanthus. *International Journal of Pharmaceutical Techniques* . 2011 ; 3(3):1551 -1556.
12. Swati Agarwal, Simi Jacob, Nikkita Chettri, Saloni Bisoyi, Ayesha Tazeen, Vedamurthy AB et al. Evaluation of In -vitro Anthelminthic Activity of Catharanthus roseus Extract. International *Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Research* . 2011 ; 3(3):211 -213.
13. Babulova A, Machova J, Nosalova V. Protective action of vinpocetine against experimentally induced gastric damage in rats. *Arzneimittel forschung* . 2003 ; 43:981 - 985.
14. Pillay PP, Nair CPM, Santi Kumari TN. Lochnera rosea as a potential source of hypotensive and other remedies. Bulletin of Research Institute of the University of Kerala . 1959 ; 1:51 -54.
15. Mithun Singh Rajput, Veena Nair, Akansha Chauhan. Evaluation of Antidiarrheal Activity of Aerial Parts of Vinca major in Experimental Animals. Middle -*East Journal of Scientific Research*. 2011 ; 7(5):784 -788.
16. Nayak BS, Anderson M , Pereira LMP. Evaluation of wound -healing potential of Catharanthus roseus leaf extract in rats. *Fitoterapia* . 2007 ; 78:540 -544.
17. Yogesh Patel et al. Evaluation of hypolipidemic activity of leaf juice of Catharanthus roseus (Linn.). *Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research* . 2011 ; 68(6) :927 -935. 18. Sekar P. Vedic clues to memory enhancer. The Hindu. 1996
18. Sekar P. Vedic clues to memory enhancer. The Hindu.1996.

NCC Builds Character And Help In Personality Development

Dr. Uday Dolas*

Abstract - Higher Academic Studies in India is more focused on subject-related area. But with this we are actually ignoring student's basic skills. Soft skills are the skills which are essential to build student as a good and responsible human being of society. We as a parent, teacher and guide are more concern towards "Three R's" (reading, writing and arithmetic).We always want our child or student to be good in specialized studies which is so called "Knowledge" of respective subjects. Hence channelize our entire energy towards recuperating the same. Developing of appropriate soft -skills among graduates is a challenge for the society. Our research actually reveals the significance of inculcating soft skills among graduates and suggesting the introduction of the NCC studies as a compulsory component for all the streams in higher education Activities of the National Cadet Corps (NCC) do not only provide motivation for positive attitude but are also very important for character building and personality development.

Introduction - It's is well recognized fact that the future of any nation is largely related to the quality of it's human beings. In this context, development of the youth into confident leaders with requisite character qualities and personal attributes, so that they can take their place as responsible citizens of the country, assumes great importance. In order to achieve the objective the youth need to exposed to such activities which can help them in developing their personality and character.

Personality - Total personality factors are extremely important in day-to-day life. Often the wrong kind of personality proves disastrous and causes undesirable situations or in the least tensions and worries in organisations. Some people arouse hostility and aggerssion in their associates which others invoke sympathy and supportive responses because of their personality features. Some people tolerate severely stressful situations, while tensions and similar circumstances swamp others.

Everyday in conversation we hear such statements as he has on personality at all If we analyze such utherances we discover that the phrase, at number of the times, not only refers to the physical appearance of the individual, especially on initial contact but also refers to the other personality factors, at other times.

Determinants of Personality and character Development - The major determinants of personality of an individual are -

Biological - Biological factors may be studied under the following heads.

Heredity - Certain characteristices, primarily physical in nature, are inherited from one's parents, transmitted by genes in the chromosomes contribute each parent.

Brain - Another biological factor that influences personality is the role of the brain of an individual.

Physical features - Perhaps the most outstanding contribution to personality is the physical stature of an individual. An individual's external appearance makes tremendous effect in his personality.

Cultural - Cultural largely determines what a person is and what a person will learn. The culture within which a person is brought up is a very important determinant.

Family And Social Factors - The contribution of the family and social group in combination with the culture is known as socialisation. Socialisation initially starts with the contact with mother and later on with other members of the family. The social group plays an influential role in shaping an individual's personality.

Situation - The home environment influences the personality of an individual .There is substantial evidence to indicate that the overall environment at home created by parents in critical to personality development.

Role of NCC in Personality Development - The National Cadet Corps is the Indian military cadet corps. It is open to school and college students on voluntary basis. National Cadet Corps is a Tri-Services Organization, comprising the Army, Navy and Air Force, engaged in grooming the youth of the country into disciplined and patriotic citizens. The National Cadet Corps in India is a voluntary organization which recruits cadets from high schools, colleges and Universities all over India. The Cadets are given basic military training in small arms and parades. The officers and cadets have no liability for active military service once they complete their course but are given preference over normal candidates during selections based on the achievements in the corps. NCC was created under the Indian Defense Act 1917, with the objective to make up the

*Professor (Mathematics) Associate NCC Officer, C.S.A Govt P.G. College, Sehore (M.P.) INDIA

shortage of the Army. The aim was to raise the status of the University Training Corps and make it more attractive to the youth. The University Training Corps Officers and cadets dressed like the army. It was a significant step towards the Indianisation of armed forces. The motto of NCC is 'Unity & Discipline'. In living up to its motto, the NCC strives to be and is one of the greatest cohesive forces of the nation, bringing together the youth hailing from different parts of the country and molding them into united, secular and disciplined citizens of the nation.

NCC plays a major role in personality development of the cadets. NCC helps in developing the overall personaltiy of cadets through various activities as listed below.

Drill - Personality refers to the physical appearance of a person especially on initial contact. Active participation in drill of the important qualities which help an individual the posture the posture of cadets in a keeps correct position. They will walk more confidently than others. A good physique is an integral part of personality development.

Interaction of Cadets in Camps - Being an NCC cadet one can get many good opportuntites to interact with cadets from different parts of the country. These camps groom their personality. Here cadets from different parts of the exchange information of each other's culture and tradition. Thus they learn about the diverse culture of the nation. They become friends resulting in the development of comradeship and personality.

Competitions - The various competitions held in camps, like preparation of flag area, drill and performing cultural programmes, develop sportsmanship and team spirit among the cadets.

Sports Adventure Activities - Sports and are important for youth as they teach them a number of useful lessons on comradeship, healthy competition, courage to face challenges art of leadership, team work, grit and determination, all of which will stand them in good stead in them in good stead in their later life.

Conclusion - The institutional training of national cadet corps helped today's youth to become confident, committed and competent leaders in all walks of life. The training enhances the awareness level of cadets for being responsible human beings. The training provides opportunities and motivates cadets to enhance their knowledge, awareness levels on life and soft communication skills, character building & personality development. The adventure activities develop leadership qualities and risk taking abilities. Over the years, the NCC has emerged as one of India's premier institutions for imparting systematic training to youth. The training covers a wide spectrum ranging from soft skills to military activities. It also necessitates an innovative and dynamic approach to training.

Reference :-

1. Personal research.

****

किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि का उनके संवेगात्मक समायोजन पर पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. मंजू पाटनी * प्रो. बेला सचदेवा ** प्रीतिबाला अलावे ***

प्रस्तावना – किशोर एवं किशोरियों के जीवन में संवेग महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किशोरावस्था में किशोर – किशोरियों का जीवन विस्तृत हो जाता है किशोर किशोरियों के सांवेगिक उतार–चढ़ाव को ध्यान में रखकर उनके साथ सहयोग एवं धैर्य का आभास व्यक्त कर उन्हें समायोजन में मदद करना चाहिए।

संवेग से तात्पर्य उत्तेजना से है अर्थात संवेग शब्द अंग्रेजी शब्द Emotion का पर्यायवाची है। इसके लैटिन भाषा में Emovere कहते है। जिसका अर्थ 'हिला देना, उत्तेजित होना है।' जब भी संवेग की स्थिति आती है, व्यक्ति में बेचैनी आ जाती है, वह कुछ भी असामान्य व्यवहार प्रकट कर सकता है। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, चेहरे पर मलिनता छा जाती है, अचेतन में व्याप्त अनेक सुप्त प्रक्रिया है, जिसमें मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार की प्रक्रियाएँ सम्मिलित है। बुद्धि के क्षेत्र में यह नया है। इस प्रकार की बुद्धि से हमारा तात्पर्य उस दक्षता से है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने तथा दूसरे के संवेगों को समझता है, उन्हें प्रेरित करता है और अपने तथा दूसरे के संवेगों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करता है।

किशोरियों में संवेगो को उत्पन्न करने की परिस्थितियां है। रुचि और भय साथ ही कुछ संवेग ऐसे होते हैं, जो किशोर किशोरियों के विकास की प्रत्येक दशा में किशोर किशोरियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं जैसे – डर, गुस्सा, प्रेम आदि।कुछ ऐसे भी संवेग होते हैं, जो किसी क्षेत्र तक सीमित रहते हैं व परिपक्वता प्राप्त करने के बाद उनकी अनुभूति किशोर किशोरियों द्वारा प्राप्त की जाती है। किशोर के सांवेगिक उतार–चढ़ाव को ध्यान में रखकर उनके साथ सहयोग, धैर्य व निकटता का आभास व्यक्त कर उन्हें समायोजन में मदद करना चाहिए। उपरोक्त परिस्थितियों में किशोर बालक बालिकाये सांवेगिक समायोजन अपने अपने तरीके से करते हैं।

शोध साहित्य की समीक्षा – शर्मा, जी. आर. (2018)ने किशोर छात्र छात्राओं के संवेगात्मक एवं सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य व्यवसायिक एवं अव्यवसायिक छात्रों के समायोजन समस्या का अध्ययन करना था।

सम्पूर्ण अध्ययन में निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए–

- व्यवसायिक कालेज के छात्रों की अपेक्षा अव्यवसायिक कालेज के छात्रों में घरेलू समायोजन के क्षेत्र में अधिक समस्या पायी गयी।
- इंजीनियरिंग छात्रों की अपेक्षा आर्ट्स के छात्रों में घरेलू तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या अधिक पायी गयी।
- मेडिकल छात्रों की अपेक्षा विज्ञान के छात्रों में पारिवारिक समायोजन कम पाया गया।
- मेडिकल छात्रों में सामाजिक, संवेगात्मक एवं शिक्षण के क्षेत्र में अधिक समस्या पाई गई।

आर्य. ए. (2014) ने परिवार में सर्वोत्तम बालकों की सांवेगिक परिपक्वता एवं मूल्य पर अध्ययन किया। शोध निष्कर्ष में पाया कि सांवेगिक परिपक्वता सभी वर्गो में समान है। छात्राओं की सर्वाधिक रूचि बाह्य क्षेत्र, कलात्मकता व साहित्यिक क्षेत्र में समान व संगीतात्मकता क्षेत्र में सबसे कम है। उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक उच्च बुद्धि लब्धि वाली लड़कियों की तुलना में अधिक सांवेगिक परिपक्वता रखते है तथा लिंग, आयु वा आवास मूल्य सांवेगिक परिपक्वता को प्रभावित करते हैं।

फखरुद्दीन(2010)के अनुसार – प्रस्तुत शोध अध्ययन में यह पाया गया है कि समायोजन के विभिन्न स्तरों पर संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन कर आंकड़ों को एकत्रित करने हेतु प्रतिदर्श के रूप में मेरठ के महाविद्यालयों में अध्ययनरत 600 किशोर किशोरियों को लिया गया। तथा इन किशोर किशोरियों में 27% उच्च संवेगात्मक बुद्धि परीक्षण के माध्यम से यह पाया कि किशोर किशोरियों में समायोजन तथा संवेगात्मक बुद्धि में सार्थक अंतर होता है।

शोध की आवश्यकता एवं महत्व – किशोरावस्था में समायोजन एक महत्वपूर्ण पहलू है। किशोर बालक–बालिकाएँ अपनी बुद्धि अनुसार पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं सांवेगिक समायोजन करने का प्रयास करते हैं। किसी भी परिस्थिति में संवेगात्मक समायोजन करने का ज्ञान किशोर बालक बालिकाओं को होना अत्यंत आवश्यक है। किशोर किशोरियों में संवेगात्मक समायोजन की समस्या हर क्षेत्र में होती है। इन क्षेत्रों में उसका संवेगात्मक समायोजन कैसा होगा यह उसकी समझ पर निर्भर करता है तथा इन जानकारियों को एकत्र करने के लिए शोध कार्य की आवश्यकता है।.

शोध अध्ययन के उद्देश्य –

1. किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि को ज्ञात करना।
2. किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि और संवेगात्मक समायोजन के संबंध का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की उपकल्पना –

1. किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि में सार्थक अंतर नहीं पाया

* प्राध्यापक (गृह विज्ञान) माताजीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोतीतबेला, इंदौर (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान) माताजीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोतीतबेला, इंदौर (म.प्र.) भारत
*** शोधार्थी (गृह विज्ञान) माताजीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोतीतबेला, इंदौर (म.प्र.) भारत

जाता है।

2. किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि और संवेगात्मक समायोजन के संबंध में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

शोध प्रविधि –

शोध अध्ययन का क्षेत्र – प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोध क्षेत्र के रूप में बड़वानी जिले का चयन किया गया है।

शोध अध्ययन का समग्र – बड़वानी जिले के महाविद्यालय में अध्ययनरत 17वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक किशोर किशोरियों को लिया गया।

निदर्श का आकार – प्रस्तुत शोध अध्ययन में निदर्श इकाई के रूप में 160 किशोर तथा 160 किशोरियों का प्रतिदर्श के रूप में चयन किया गया। इस प्रकार कुल 320 किशोर एवं किशोरियों को लिया गया।

शोध यंत्र (उपकरण) – शोध अध्ययन हेतु डॉ. एस. के. पॉल एवं डॉ. के. एस. मिश्रा (इलाहाबाद) द्वारा निर्मित Test of general intelligence for college student तथा प्रोफेसर डी. एन. श्रीवास्तव, डॉक्टर गोविंद तिवारी (आगरा) द्वारा निर्मित Adjustment Inventory (for Graduate and Postgraduate Students) परीक्षण का प्रयोग किया गया।

शोध विश्लेषण – किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि

तालिका क्रमांक 1 (देख आगे के पृष्ठ पर)

तालिका से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत शोध अध्ययन में चयनित किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि कोपांच वर्गों में विभाजित है जो इस प्रकार है –140 से अधिकप्रतिभाशाली, 120 से 139 तक बुद्धि लब्धि प्रखर बुद्धि मानी जाती है, 110 से 119 तक बुद्धि लब्धि तीव्र बुद्धि के अंतर्गत आती है 90 से 109 तक बुद्धि लब्धि सामान्य बुद्धि व 80 से 89 मंद बुद्धि कहलाती है। उपरोक्त तालिका में किशोरों की बुद्धि लब्धि के संबंध में कहा जा सकता है कि 23 (14%) किशोर 110से 119 तक तीव्र बुद्धि में आते हैं। 137 (86%) किशोर 90 से 109 तक सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आते हैं व प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि तथा मंद बुद्धिमें कोई भी किशोर नहीं है। इसी तरह से 03(2%) किशोरी 120 से 139 तक प्रखर बुद्धि के अंतर्गत, 36 (22.5%) किशोरी 110 से 119 तक तीव्र बुद्धि के अंतर्गत, 121 (75.5%) किशोरी 90 से 109 तक सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आती हैं व प्रतिभाशाली तथा मंद बुद्धि में कोई भी किशोरी नहीं है। तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि किशोरियों की बुद्धि लब्धि किशोरों की अपेक्षा अधिक पाई गई है।

H_{01} किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि और संवेगात्मक समायोजन के संबंध में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

तालिका क्रमांक 2 **(देख आगे के पृष्ठ पर)**

तालिका में संवेगात्मक समायोजन के संबंध में किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि के माध्य को दर्शाया गया है।तालिका से स्पष्ट होता है कि किशोर समूह का माध्य 4.14 व किशोरियों के समूह का माध्य 4.28 पाया गया है तथा किशोरों के समूह का मानक विचलन 0.3519 व किशोरियों के समूह का मानक विचलन 0.4676पाया गया है।टी–टेस्ट का मान 3.107 जो कि सारणीकृत मान 1.96 से अधिक है व 0.002<0.05 पर सार्थकहै। अत: इस संदर्भ में उपरोक्त परिकल्पना 'किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि और संवेगात्मक समायोजन के संबंध में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है' को अस्वीकृत किया गया है। अत:यह विश्लेषण दिया जाता है कि, किशोरों एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि और संवेगात्मक समायोजन के संबंध में सार्थक अंतर है।

शोध निष्कर्ष – बुद्धि लब्धि का किशोर तथा किशोरियाँ के संवेगात्मक स्थिरता पर विशेष प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक को अपने संवेग जैसे क्रोध, भय, आक्रामकता, ईर्ष्या इत्यादि पर नियंत्रण रखना चाहिए एवं सभी के साथ सहानुभूतिपूर्ण तथा प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए ताकि सही मार्गदर्शन के माध्यम से सामाजिक व्यवहार को उत्तम बना सके। घर, परिवार, पाठशाला यहीं से किशोर तथा किशोरियाँ व्यवहार का प्रदर्शन करना सीखते हैं इसलिए सभी जगह नैतिकतापूर्ण वातावरण का निर्माण करे एवं किशोर तथा किशोरियाँ के साथ मित्रवत व्यवहार करे ताकि वे प्रत्येक परिस्थिति से समायोजित हो सके एवं ऐसे संस्कारों का विकास हो जो जीवन भर उनके साथ चलता है। इसकी गहरी छाप मानव में दृष्टिगोचर होती है। इससे निश्चित रूप से सामाजिक व्यवहार का स्तर अच्छा होगा।किशोर तथा किशोरियाँकी संवेगात्मक अधिव्यक्ति उसकी शारीरिक अभिवृद्धि, ज्ञान, अनुभव एवं रूचियों पर आधारित होती है। इस प्रकार संवेगात्क बुद्धि व्यक्ति/किशोरों की सामाजिक दृष्टि से वांछनीय क्रियाओं तथा अवांछनीय प्रक्रियाओं की ओर अग्रसित करता है और जब व्यक्ति संवेगों का प्रबंधन या नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है, तो उसकी संवेगात्मक बुद्धि संतुलित मानी जाती है।

शोध सुझाव –

- किशोरों के लिए पारिवारिक वातावरण स्वस्थ होना चाहिए ताकि वे संवेगात्मक समायोजन कर सके।
- किशोरों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिससे संवेगात्मक परिपक्वता का विकास हो सके।
- किशोरों को हर गतिविधि हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. मिश्रा, वीणा (2012)– 'किशोर छात्र–छात्राओं के संवेगात्मक एवं सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन', लघुशोध प्रबन्ध, अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, पृ. 6।
2. कुक्कड़, ए. (2014)– 'एडजस्टमेन्ट प्राब्लम आफ एडोलसेंट्स', पी–एच.डी. एजूकेशन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, फोर्थ सर्वे इन एजूकेशन।
3. आर्य.ए. (2014) शहरी किशोर एवं किशोरियों के बुद्धि स्तर तथा संवेगात्मक स्तर के सम्बन्ध में समायोजन के अन्तर का अध्ययन, पी–एच.डी. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, सेकेण्ड सर्वे इन एजूकेशन।
4. शर्मा, के. जी. (2012)– 'द कम्परेटिव स्टडी आफ एडजस्टमेन्ट ओवर एण्ड अण्डर एचीवर', पी–एच.डी. (एजूकेशन) फोर्थ सर्वे इन एजूकेशन।
5. मनीष कुमार त्रिपाठी जय सिंह रीवा संभाग में हाई स्कूल स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के संवेगात्मक बुद्धि का उनकी शैक्षणिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन,Internationla Journal of Multidisciplinary Education and Research, Volume 1; Issue 9; November (2016); Page No. 05-07.
6. शर्मा, जी.आर. (2018)– 'स्टडी आफ अन्डरलिविंग एडजेस्टमेन्ट प्राब्लम ऑफ प्रोफेशनल एण्ड नॉन–प्रोफेशनल कालेज स्टूडेण्ट, लघु शोध प्रबन्ध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पृ. 7।

तालिका क्रमांक 1

किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि

बुद्धि लब्धि वर्ग	किशोर		किशोरी	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
140 से अधिक प्रतिभाशाली	0	0	0	0
120 से 139 तक प्रखर बुद्धि	0	0	03	2
110 से 119तक तीव्र बुद्धि	23	14.0	36	22.5
90 से 109 तक सामान्य बुद्धि	137	86.0	121	75.5
80 से89मंद बुद्धि	0	0	0	0
योग	160	100.00	160	100.00

तालिका क्रमांक 2

Group Statistics

किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि लब्धि और संवेगात्मक समायोजनका माध्यव टी–परीक्षण

बुद्धि लब्धि और संवेगात्मक समायोजन	समूह	संख्या	माध्य	मानक विचलन	मानक त्रुटि माध्य	टी–परीक्षण	सार्थकता मान
	किशोर	160	4.1438	.35194	.02782	3.107	.002
	किशोरियाँ	160	4.2875	.46767	.03697		

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) October to December 2019, Vol. I

Packaged Drinking Water Become Fastest Growing Industry In India (With Special Reference To Indore M.P.)

Dr. Prabhat Chopra*

Abstract - One cannot think about life without water. we are blessed with adequate natural resources of water but increasing population, alarming rate of global warming and rapid industrialization and lack of adequate and improved management of the water supply systems resulted in the increased rate of water consumption, wastage of water and deteriorating condition of the water supply networks and the result is, scarcity of water. The water shortage around the world and particularly in the developing countries has opened new doors for bottled water industry. By the increasing population and the demand for pure and safe water for good health has created a excellent market for packaged drinking water industries which is recently a boom market as compare to other products in the market.

Introduction - In a country where sufficient and safe potable water is not available everywhere, either because harmful chemical substances are found in the layers of earth which enter into water or because the water may be contaminated due to pathogenic microorganisms, packaged drinking water is serious business. However, what if the packaged drinking water – the one that you and I buy at a price in the belief that it is the safest – is not drinkable enough? What if it has harmful organisms? In such a case, there cannot be two opinions that the seller is not only breaching the consumer's trust but is also putting their health at risk. Considering that packaged drinking water is consumed by an ever-increasing population, the rules governing its sourcing and treatment processes have to be strictly conformed to. In order to find out if unhealthy packaged drinking water brands are being sold in the Indian market, Consumer Voice tested a dozen top brands – on the basis of their market share – in an NABL-accredited laboratory. While most brands passed all tests and fulfilled the parameters set by the national standards, the samples of a few failed in crucial microbiological tests. Is your bottled water brand one of them? Here's a complete report for you to find that out.

Water is VITAL in all forms of life. The drinking-water needs for individuals vary depending on the climate, physical activity and the body culture. But for average consumers it is estimated to be about two to four litres per day. The growing number of cases of water borne diseases, increasing water pollution, increasing urbanization, increasing scarcity of pure and safe water etc. has made the bottled water business just like other consumer items. Scarcity of potable and wholesome water at railway stations, tourist's spots, and role of tourism corp. etc. has also added to the growth.

Almost all the major international and national brands water bottles are available in Indian market right from the malls to railway stations, bus stations, grocery stores and even at panwala's shop. Before few years bottle water was considered as the rich people's choice, but now it is penetrated even in rural areas. The growth and status of Indian Bottled Industry in comparison with Western or Asian market, India is far behind in terms of quantum, infrastructure, professionalism and standards implementation.

Variety of Packages - Bottled water is sold in a variety of packages: 330 ml bottles, 500 ml bottles, 1- litre bottles and even 20- to 50-litre bulk water packs. The formal bottled water business in India can be divided broadly into three segments in terms of cost: premium natural mineral water, natural mineral water and packaged drinking water.

Natural mineral water, with brands such as Himalayan and Catch, is priced around Rs.20 a litre. Packaged drinking water, which is nothing but treated water, is the biggest segment and includes brands such as Parle Bisleri, Coca-Cola's Kinley.Rail Neer, Bisleri and PepsiCo's Aquafina. They are priced in the range of Rs.20 a litre. In the case of small Market Players which are running without registration are selling the water canes namely chilled water are selling at the price range of Rs 30 – 45 of 20 litre cane.

Packaged Drinking Water Industries in Indore (MP) - The State of Madhya Pradesh is centrally located and is often called as the "Heart of India". The State is home to a rich cultural heritage and has practically everything; innumerable monuments, large plateau, spectacular mountain ranges, meandering rivers and miles and miles of dense forests offering a unique and exciting panorama of wildlife in sylvan surroundings.

Indore is the most populated city in the centrally located

*PMB Gujrati Commerce College, Indore (M.P.) INDIA

state of Madhya Pradesh, and the population is expected to grow to approximately 3.3 million by 2030. Indore is a trading center, and on account of its strategic location serves as a hub of trade and commerce for the whole of western India. The city also sees significant business from various industries, including the textile industry, but these businesses are increasingly concerned about water and power resources in the area.

Boom Time Ahead For Packaged Drinking Water - With a rise in health awareness, increase in tourism and the easy availability of bottled water, the per capita consumption of bottled water in India is on the increase. The total market was valued at Rs.60 billion in 2013, of which the top five players accounted for 67 per cent of the market share. This market is expected to grow at a CAGR of 22 percent, to reach Rs.160 billion in 2018. The bottled water industry in India witnessed a boom in the late 1990s soon after Bisleri launched its packaged drinking water in the country. This significant growth was fuelled by a surge in advertising by the industry players that "bottled water was pure and healthy". Today, with a rise in health awareness, poor quality of tap water, and the ease of availability of bottled water, the per capita consumption of bottled water in India is on the increase. However though having the large number of small and local producers, this industry is dominated by the big players like - Parle Bisleri, Coca-Cola, PepsiCo, Parle Agro, Nestle, Mount Everest, Kingfisher and Manikchand and so on.

Maximum sale of bottled water comes from the retail sector; but this is changing with demand coming from social functions and corporate events, especially for bulk water or bottled water cups. With the aim to capture all the segments of society, players have started foraying into packaged water pouches at low price points, but this is still in the experimental stage. The packaged water industry is growing at nearly 15 per cent every year. As the government has failed to provide clean drinking water at all places, private players have not just filled the gap but also created a robust business. In fact, it is worth considering whether the availability of packaged drinking water has contributed to a public apathy towards keeping water bodies and aquifers in good shape.

While there is no standard market size for packaged drinking water, industry players peg it at ₹ 8,000 crore. "There are conflicting views on the industry size because the quantum of unlicensed brands is huge. There are over 3,000 unbranded players in NCR itself," says Tushar Trivedi, founder of www.bottledwaterindia.org, a web portal that provides information about the industry. Bisleri, the largest selling packaged water brand in India, has 120 bottling plants. The other major players are Pepsi's Aquafina, Coca-Cola's Kinley, Himalayan and Kingfisher. The 5,735 licensed brands are registered with the Bureau of Indian Standards.

The industry is growing rapidly as people spend a large part of their time outside homes and prefer to purchase 20-litre bulk packages of water for home use rather than installing water purifiers. They also travel a lot more than before. "People don't want to carry water as it is available everywhere, even in the smallest of shops, including in rural India," says Bisleri International chairman Ramesh Chauhan. The rise and growth of the packaged water industry is also partly attributable to the government's inability to provide safe drinking water at public places like railway stations. "The government is now putting up small purification plants at stations itself where one can get a bottle filled for ₹ 5. It is a huge market," says Trivedi. These water ATMs can be seen at Delhi Metro stations and railway stations in Delhi, Chennai and some other places.

In Indore there are 80(on an Approx) companies available for Packaged Drinking Water and are playing excellent role in market and creating good market share day by day. There is average consumption of Packaged drinking in Indore is shown in table as follows -

Table No.1

No. of Stores	**Average Consumption**	**Price**
Small Shops	**Per Day**	
Varieties		
Pet Bottles	5500 - 7500 Bottles	Rs.5
Bottles	2500 – 3000 Bottles	Rs.15 -20
Bottles 2 Ltr	1000 -1500 Bottles	Rs.20 -30
Jars 20 ltr	8000 – 10000 jars	Rs.30 - 50

As per the analysis of the table the business and consumption of Packaged Drinking Water is growing day by day and is expected to grow at an growth rate of 216%.

This table contains the maximum consumption of Packaged Drinking Water Through various channels such as Kirana stores, Retail outlets, Restrauents, Pan shops, Sanchi Points, Parties, Malls, Wineshop Ahatas etc.

Table No. 2 - Production Cost

	Raw Matiearl	**Printing**	**Water**
Pet Bottle 330ml	1.25 Paise	0.75 Paise	0.65 Paise
Bottle	Cap, Seal, Bottle	Label	
	Rs.4	Rs. 2	Rs.3
Jar	Cap, Seal, Jar	Label	
	Rs.20	Rs.5	Rs.10
Cane	Rs 500 - 700		
	One Time Investment	Rs.5	Rs. 10

This table shows about the production cost operated in processing of water. By manipulating these figures we had classified the product according to their variants i.e. Pouch, Bottles, Jars and Canes. The approximate production cost is as follows:

Pet Bottle 2.65 paise
Bottle Rs. 9/-
Jar Rs.35/-
Cane Rs.15/-

By having production cost of Packaged Drinking water there is high profit margin in this industry as well as it is the

market which is not being stopped at any stage or level because the need of pure and healthy water is always in the demand by consumers. In the present situation the IMC Certified Industries are playing good role in the market and having bulk supply in all the sectors of market as well as in parties in the selling price of Rs.35 – 45 by the name of chilled water and meeting demand of the consumers as well but in production cost wise they are earning 300% margin on Raw Water. On the other hand major players and BIS certified industries are earning 200% profit margin and there is recession or inflation on this industries and is growing day by day.

Table No.3 (See in the next page)

(See in the next page)

As we Know the Packaged Drinking Water market is the growing market but on the other hand there is tough competition among the industries manufacturing various bottled in various sizes.

This Table Shows the market price of the products available in the market i.e. Pouches are available in the price range of Rs.1 – 2, Bottle 300Ml are available in the price range of Rs.5 – 6,500Ml are available in the price range of Rs.10 – 12, 1ltr are available in the price range of Rs. 15 -20, 2ltr are available in the price range of Rs. 25 – 30, Jars 5ltr are available in the price range of Rs.30 – 40, 10ltr are available in the price range of Rs.45 -50, 20ltr are available in the price range of Rs. 60 – 65and Canes are available in the price range of Rs. 35 – 50 in the market.

Conclusion - Water quality and quantity are interdependent, interacting elements of water system. The term water quality refers to the level of suitability of water for specified purposes. Use of mineral water gradually increased in India due to shortage of pure hygienic water and which also increases the knowledge of water because of pathogenic micro organisms, which are the main, aspect of stomach problem. Due to this reason a part of the society stored safe drinking water i.e. mineral water. There is increase life, major of the working group has to in business in travel from one place to another place, by this time they are now habitual to use mineral water of the tourists are only habitual to take safe most drinking water.

The main aim or objective of the study is to analyze the Growth impacts and evaluation of the Packaged Drinking water Industry in Madhya Pradesh with reference to Indore city.

The research work is based on market potential of Packaged Drinking Water Industries doing the business in Indore City. In the present scenario the market of the Packaged Drinking water is on the growth and in future it will become the next oil industry by the year of 2025. This is the industry which is earning higher and maximum profits in comparison with other industries doing business in Indore.

On the other hand Government and Indore Municipal Corporation have also opened the way to this industry. As per the result of the research, it is analyzed that by providing all the facilities related to supply of water by Municipal Corporation the shortage of water is there in the whole year as well as the water supplied through the tape is not safe at most of the times whether it is used for drinking or for other use in which the IMC is taking the monthly charge of Rs. 250 – 500/- per month and by paying this charge the peoples are facing the problem of water shortage and impure water for drinking. By having these two main causes of Government and Municipal Corporation the Packaged Drinking Water industries are creating the opportunities for growth as well as the industries have grabbed the opportunities and are satisfying the demand of the people by the supply of drinking water and earning high profits.

References :-

A. Journals & Research Papers :

1. Black, Maggie and Rupert Talbot (2005), Water: A Matter of Life and Health, Oxford University Press, New Delhi.
2. Das, Keshab (2001), Rural Drinking Water Supply in India: Issues and Strategies.
3. Morris (ed.), India Infrastructure Report 2001: Issues in Regulation and Market Structure, Network and Oxford University Press, New Delhi.
4. Iyer, Ramaswamy R. (2003), Water: Perspectives, Issues and Concerns, Sage Publications, New Delhi.
5. James A. J. (2004), India's Sector Reform Projects and Swajaldhara Programme: A Case of Scaling up Community Managed Water Supply, Submitted to the IRC International Water and Sanitation Centre.
6. Joshi, Deepa (2004), Secure Water – Whither Poverty? Livelihoods in the DRA: a Case Study of the Water Supply Programme in India, Overseas Development Institute.
7. Khanna, Amod and Chitra Khanna (2005), Water and Sanitation in Madhya Pradesh: A Profile of the State, Institutions and Policy Environment, Water Aid India, New Delhi.

B. Web References :-

1. http://mponline.in/Profile/History/
2. http://www.theindorecity.com
3. http://ecopackindia.wordpress.com
4. http://www.indiawaterportal.org
5. http://www.wateraid.org
6. http://www.slideshare.net/chauhanankit089/
7. http://www.niir.org
8. http://www.slideshare.net/saiwasan/project-report-on-manikchand-oxyrich

Table No.3 Pricing decision for Product Selling Price in the Market

Ranges	Quantity	Price	Price	Price
Pet Bottle	330Ml	Rs. 1.5 - 3		
Bottle	500Ml , lltr, 2ltr	Rs 2 – 5 Rs. 7 - 10	Rs. 15 - 20	Rs. 25 -30
Jar	5ltr, 10ltr, 20ltr	Rs. 40	Rs. 50 - 60	Rs. 60 - 65
Cane	20ltr	Rs. 35 - 50		

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) October to December 2019, Vol. I

M-Commerce - The Next Generation Commerce

Dr. Praveen Ojha*

Abstract - Use of mobile phone has increased so much that it is not just a device to make calls, but an important medium to fulfill all the financial needs for friends and family. Now, mobile phone technology has made another leapfrog to pave its way for a new trend called mobile commerce where the financial transactions are made using mobile devices. This paper gives the overview of future of m-commerce services in India and discusses the future growth segment in India's m-commerce. Also find various factors that would essential growth of Indian m-commerce services. In this paper we will find m-commerce exponential growth of m-commerce services in coming years in emerging market of India.

Introduction - What Is Mobile Commerce? - Mobile commerce refers to a wide range of online business transactions for applications, goods and services. "The use of mobile devices to communicate, interact via an always-on high-speed connection to the Internet." "M-Commerce is the use of information and communication technologies for the use of mobile integration of different value chains in business processes and business relationships." "Mobile Commerce is the use of mobile handheld devices to communicate, inform transact and entertain using text and data via a connection to public and private networks."

The shortest definition of mobile commerce can fit into six words only: online transactions via wireless handheld devices. In layman's terms, the main idea behind m commerce is to enable buying or selling products and services online through mobile phones and tablets. This type of commerce is a subset of ecommerce, and it is often referred to as the next generation of ecommerce.

India reported world's second largest countries for mobile shopping, grown by 18% - With minor difference with China's mobile eCommerce penetration India standing at second position across the world in mobile shopping market. According to research team head Mr. Mercure Lee, mobile eCommerce penetration is growing by 22% in China whereas, India's mobile eCommerce penetration is increasing by 18%, the statistics are provided with average compression of data, the report consist analysis of 50 eCommerce store, mobile app store from china and about 23 mobile eCommerce project are analysis from India.

(Graph see in the last page)

M-Commerce Market India - The exploded adoption of smartphones, mobile internet and apps have given wings to mCommerce Industry in India. As a result, mCommerce industry in India is expected to capture 80% of the Indian eCommerce market by 2020, reaching a sales figure of $37.96 billion. mCommerce growth in India is the outcome of an increased adoption of smartphones and the internet. In a country with a population of 1.3 billion, there are 331 million smartphone users as of now. The number of mobile internet users in India stood at 371 million as of June 2016 and is expected to reach 500 million by 2017. These figures indicate that the riding on the back of mobile eCommerce industry in India has only scratched the surface and still has a huge growth potential.

From E-Commerce to M-Commerce, in One Year - So, how has this mobile revolution affected e-commerce? The aforementioned Times Of India article stated that "Most leading Indian e-commerce players have seen mobile contribute to greater than 50-60% of transactions today from under 5% a year ago as smartphone penetration has risen exponentially." An article on Medianama described how Snapdeal, the second largest homegrown e-tailer in India behind Flipkart, had seen its mobile sales increase 25 times in one year.

Let's think about that for a moment: an increase of 25 times in one year. I'm not using the word "revolution" lightly.This is why all of the multi-billion-dollar e-commerce companies in India are betting on an app-only strategy. As the other 900 million people in India who are still not internet users come online for the first time, most of them will be doing so on a mobile device. In the cutthroat world of e-tailing where price is king and switching costs are non-existent, the players know that a mobile app can create a more personalized, higher-touch shopping experience than the mobile web. And they are hoping that by shifting to an app-only strategy now, they will capture a greater share of the massive market opportunity to come.

Role of M-Commerce in E-commerce - M-commerce has

***Professor and H.O.D. (Commerce) B.L.P. Govt. P.G. College, Mhow, Indore (M.P.) INDIA**

been gaining popularity with time but still a vast majority of e-commerce owners and retailers are unaware of its tremendous influence. They are still juggling with marketing strategies to create awareness and popularity of their online stores. India's retail e-commerce sector is small but still growing.

- By 2020, e-commerce sales are expected to total $79.41 billion.
- Mobile's share of e-commerce continues to grow. In 2016, m-commerce sales will total $15.27 billion, making up 65.3% of all e-commerce sales. Those figures will rise to $63.53 billion and 80.0% by the end of the forecast period. Smartphone with the wider adoption of 4G-capable devices and service plans are booming and quite responsible for this growth.
- Complicated regulations have resulted in the dominance of marketplaces over inventory-model e-commerce sites in India - with Flipkart, Amazon India, Snapdeal and Paytm among the platform leaders. However, the sector is likely on the verge of a wave of consolidation, and Alibaba's expected entry to the market will have a significant impact.
- E-commerce in India stands out in terms of how common cash on delivery (COD) is as a payment method. However, mobile wallets and other payment systems have the power to displace COD and have been winning hearts as well with so many cashback offer and feasibility.

How toIncrease mCommerceProfits - The average cart abandonment rate is just over 68%. That means that over 2/3 of online customers select items to purchase, but never actually make a final transaction.That's bad enough, but mCommerce merchants have it much worse: 90% or more (some reports go as high as 99.5%) of mobile users abandon their cart before completing a purchase. This can often be traced back to friction in the checkout process.But even if the abandonment rate for mobile was the same as that of eCommerce in general, mobile commerce merchants still have plenty of room for improvement. Fortunately, there are actions merchants can take to improve overall conversion:

- Keep the payment form short and simple.
- Reduce visual clutter whenever possible.
- Make it clear to consumers how they should format form entries.
- Auto-populate fields whenever possible.
- Don't require shoppers to create an account, but always offer the option.
- If customers *do* want to log in, make sure all personal information is saved and secure.
- Prominently display security badges, preferably near payment information fields.
- Create a payment page design consistent with the rest of the site.
- Make it clear any time customers are sent to a third-party site like Paypal.
- Make sure buttons and data entry fields are accessible.

Case study - Paytm - Today Paytm is a market leader in both recharge and mobile wallets. It also provided various other facilities like online booking of movies, bus tickets, online ordering payments, wallet money and many more. In case of recharges, they had several Incumbents Like Overcharge in the market.They concentrated in providing as many recharge options on the site and focused what a user really wants.When a customer lands on website or app, he looks for easiest ways to recharge with offers with proper detail or cash back. Most people follow same recharge amounts over and over again as per their usage, for example, these days youngsters are more into Rs 499 prepaid recharge where they get 1GB of data each day with unlimited outgoing for 3 months. These types of recharges last and beneficial for a long time period. Therefore, the app also gives the remainder of the same whenever the recharges are about to expire- just for better user experience. These quick bites only come handy with mobile devices. They have realized a lot of users requested how to keep the money so that they can do repeated recharges without entering bank account details over and over again.

(Graph See in the last page)

Paytm do 400,000 orders per day, which is the second highest number of Internet transactions. Their core strength is only – the mobile. More than 50% of the orders are through their mobile app and mobile site, making them the largest mobile commerce platform.

How to Reduce mCommerce Fraud - To keep a revenue stream sustainable, mCommerce merchants need to focus on two key areas: increasing sales and preventing fraud. Most merchants understand how to drive sales; they're often at a loss, however, when it comes to preventing fraud.Calling in outside help is always an option; professionals can always bring knowledge and experience to the situation and relieve stress. At the same time, some effective mobile commerce criminal and friendly fraud prevention strategies can be easily understood and implemented by any merchant:

1. **Authenticate Identification -** There is no single, sure-fire way to guarantee a shopper's identity, but using more than one method at a time offers fairly reliable identification. Merchants can request any combination of something the consumer:

- HAS, like personal data or credit card information.
- KNOWS, like a password, PIN, or a security question.
- CREATES, including tokens, or even biometric scans.

2. **Authenticate the Device -** It's always a good idea to check and see if the device attached to a transaction has ever been used to successfully complete a previous purchase. Conversely, this can also reveal if that device has ever been associated with fraud attempts.

3. **Authenticate the Telephone Number -** Some devices are more inclined to fraud. Now more than ever, it is important to attempt to identify the device (mobile, landline, VoIP, etc.) associated with the telephone number listed for a trans

action.

4. Consult Mobile Geolocation - Current customer data can be cross-referenced against the caller's location. Merchants can verify whether the device in a location that matches the AVS data for the transaction.

Topmost Important Applications of Mobile Commerce

- Mobile Marketing.
- Mobile Ticketing.
- Mobile Entertainment.
- M-Commerce for Hotel Reservations.
- M-Commerce in Healthcare and Medicine.
- M-commerce for Intra-Office Communication.
- M-Commerce for Information services.
- M-Commerce for Gaming.
- Mobile vouchers, coupons and loyalty cards
- Content purchase and delivery
- Location-based services
- Mobile banking
- Mobile brokerage
- Auctions
- Mobile browsing
- Mobile purchase
- In-application mobile phone payments
- Mobile marketing and advertising

(Graph see in the next page)

Suggestions - There should be taken necessary steps to include these growth factor such as wireless network technology, building of infrastructure to internet connectivity, gives proper awareness of internet, aware more and more peoples about the uses and security of Ì-commerce applications by the Government of India. The following area's where government should take necessary action for improvement.

1. Affordability of mobile devices
2. Mobile internet connectivity
3. Mobile payments
4. Security
5. Low tariffs-high revenue
6. Proper Government policies

Conclusions - M-Commerce is buying and selling the products using mobile device, mobile applications and internet. MCommerce includes the activities of E-Commerce conducted on mobile device. Mobility, flexibility, reachability, ubiquity are the features of M-Commerce whereas tiny screen, low processing power of mobile device, security of mobile transactions are the limitations of M-Commerce. By considering the features of M-Commerce people are using mobile applications for utility bill payment, fund transfer, railway ticket reservations, movie ticket booking and so on. Advancement and low cost of smartphones reduced mobile internet tariff, busy life of people have attracted the people to do transactions on mobile device. Smartphones are developed to overcome the limitations of M-Commerce. Mobile applications are also developed to give more security to the transactions. Increasingly people are using mobile applications instead of web applications. M -Commerce is progressing and within some years huge number of people will be using mobile applications.

References :-

1. e-commerce and mobile commerce technologies- USPandey, Saurabh Shukla
2. e-commerce and m-commerce technologies- P. Candace Deans
3. encyclopedia of e-commerce, e-government and mobile commerce- Mehdi khosrow-pour
4. mobile commerce- KarabiB
5. m-commerce: experiencing the physicalretail- PunitaDuhan, Anurag Singh
6. The mobile commerce revolution: business success in a wireless world- Tim Hayden
7. The times of india - july 17, 2019
8. The times of india- january 28, 2019
9. https://www.researchgate.net › 228851169_m-commerce_services
10. https://searchmobilecomputing.techtarget.com › definition › m-commerce
11. https://pdfs.semanticscholar.org
12. https://360.shiprocket.in › blog › ecommerce lessons
13. https://www.ijarcce.com/upload/2016/april-16/ijarcce%20224.pdf

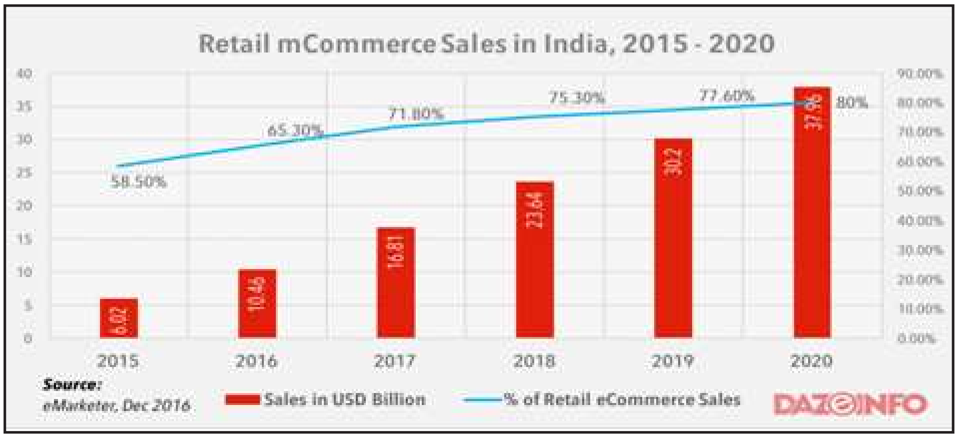
Retail mCommerce Sales in India, 2015 - 2020
40
35
30
25
20
15
10
5
0
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
58.50%
65.30%
71.80%
75.30%
77.60%
80%
6.02
10.46
16.81
23.64
30.2
37.96
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Source:
eMarketer, Dec 2016
Sales in USD Billion
% of Retail eCommerce Sales
DAZEINFO

Paytm
Sponsor of
Mobile Payments in India!
Paytm
Accepted Here

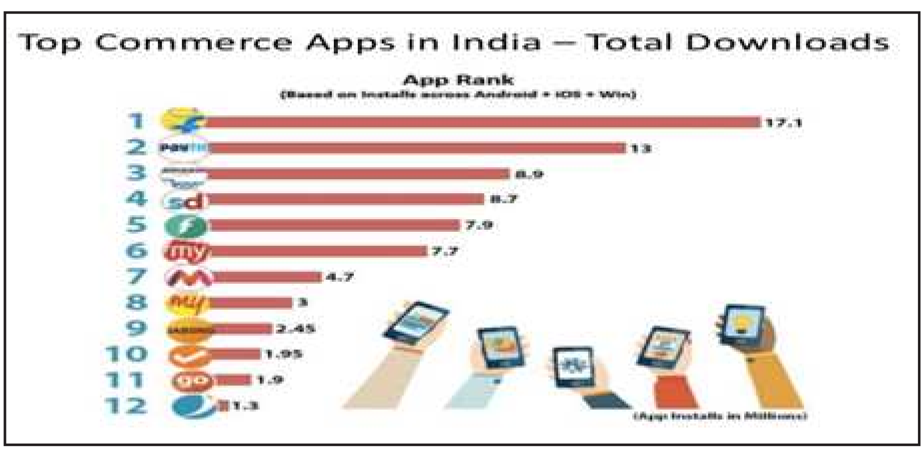
Top Commerce Apps in India – Total Downloads
App Rank
(Based on Installs across Android + iOS + Win)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
17.1
13
8.9
8.7
7.9
7.7
4.7
3
2.45
1.95
1.9
1.3
(App Installs in Millions)

****

Impact Of Demonetization In India

Renu Bhadoria*

Abstract - Demonetization refers to the discontinuing of current currency units and replacing it with new currency units.In India, demonetization had been implementedon November 8, 2016 by declaring 500 and 1000 rupee notes invalid as a step to combat black money and to check the fake currencies in the country. The NarendraModi government's demonetization crusade is getting extensively covered in the domestic and foreign press and has evoked mixed responses from leading media houses across the world.Many welcomed the government's decision to demonetize the currency notes in circulation in the economy as bold and revolutionary as in a single master stroke, the government has attempted to tackle all three malaises currently plaguing the economy-a parallel economy, counterfeit currency in circulation and terror financing. On the other hand critics argue that it has struck a body blow on economic activity in India. The decision met with mixed initial reactions while some welcomed the move, hailed demonetization as a 'revolutionary step', 'fierce fight against black money and corruption', supported the demonetization move stressing that the bold decision will bringing transparency and strengthen Indian economy. Some even say it is a "Surgical Attack" on black money.This paper aims in understanding the issues and challenges faced by the demonetization and analyze their impact on economy.

Key Words - Black money, currency, demonetization, gross domestic product.

Introduction - Demonetization is the act of stripping a currency unit of its status as legal tender and it is necessary whenever there is a change of national currency. The process of demonetization involves either introducing new notes or coins of the same currency or completely replacing the old currency with new currency.

On November 8, Indian Prime Minister NarendraModi took a historic decision by announcing that the high-denomination notes (Rs 500 and Rs 1,000) then in circulation would cease to be legal tender .With demonetization effort 86% of India's currency was nullified that aimed to wash the stock of 'black market's cash supply' and counterfeit notes out of the economy and convert it into the licit, banked and taxable, part of the economy. To reduce the impact of sudden commercial collapse, a 50 day period ensued where the population could (ideally) exchange their canceled cash for newly designed 500 and 2,000 rupee notes or deposit them into bank accounts.

Cash is the preferred mode of transaction in India and only less than half the population uses banking system for monetary transactions. An immediate public anger appeared against the mismanaged and unprepared banking system. The banks didn't have enough of the newly designed banknotes (Rs 500 and Rs 2000) to distribute in exchange for the canceled notes. The move has also led to a shortage of lower denomination notes such as Rs 100 and Rs 50 that are still legal tender, as people have taken to conserving whatever cash they have in hand. The demonization initiative has caused a sudden breakdown in India's commerce and the unbanked and informal economy is hard hit. Trade across all aspects of the economy has interrupted, and sectors like agriculture, fishing, and the huge informal market were almost shut down during the initial days of announcement. The informal sector in India employs more than a majority of the workers and most transactions are in cash.

Nevertheless, although India's demonetization move was apparently mismanaged in the beginning, the effects at micro level look advantageous. Growth in cash-intensive sectors such as real estate, construction and FMCG is likely to take a hit in the short term as consumers are deferring purchases. The real-estate market is likely to come to a standstill with property prices likely to fall and the possible tax inquiries following demonetization will affect both consumption and investment in the formal and informal sectors.

With exchange of the old currency notes coming to an end, many people are forced to open accounts to save their money. It is estimated that banks have opened about 30 lakh (and still counting) new accounts since the demonetization drive began on November 8. India's largest bank, State Bank of India (SBI), with its 17,097 branches, half of which are in the rural and semi-urban areas is opening 50,000 accounts a day [4]. The leading consumer

*Asst. Professor, B.S.S.S. College, Bhopal (M.P.) INDIA

internet companies in India (Flipkart, Snapdeal, Shopclues, CCAvenues, Ola and Oyo Rooms) have applauded the move, saying it will pave the way for digital payments, aid the process of financial inclusion and the overall transformation in the economy will translate into long-term benefits for the industry. Payments companies Paytm and Freecharge saw a surge in adoption of their digital wallets. According to market experts, the growth of digital payments and wallets is the first phase of the impact and will give big boost to lending and credit as the digital records of merchants will expand and create more demand in the second phase.

Demonetization in the World - Many countries have tried demonetization to restructure their economies. In Singapore,"Banana" notes by Japanese had been in circulation during their occupation and those notes weredemonetized after their surrender in 1945, according to 'Singapore Mint'. In Fiji, the central Bank announced that, "demonetization of the pounds and shillings was necessary as Fiji has transitioned to the new decimal currency structure from January 13, 1969 and due to limited quantities remaining in circulation, these notes and coins now have collectors" thus creating importance for the smaller value currency. Ghana carried out their demonetization decision with 50 cedi currency notes for monitoring money laundering and to curb corruption. This change was not supported overwhelmingly, but has created chaos which ended in a move back to physical assets and foreign currency.

In the same way Nigeria's economy also collapsed after the demonetization move in 1984 as it doesn't have the way it was actually planned. The military President MuhammaduBuhari launched various colored notes to invalidate their old currency notes to fight black money. But the debt-ridden economy and high inflation hit Nigerian economy collapsed. Nigerian Government gave just few days for exchanging the old notes; this move didn't solve the purpose to fix the country's debts and containing the rising inflation. In Myanmar, demonetization was carried out with larger denomination bank notes for many times in 1964, 1985, 1987, and 2015. In 2015, the argument for introducing a new 10,000 KYAT bill is fighting against Counterfeiting. In 1987, to curb the black market it has got around 80 percent of the currency in circulation invalid which resulted in students protest and a tough handed government crackdown which killed hundreds of the protestors. In 90s, in Zaire, currency note reforms resulted in inflation surges and exchange rate against the dollar had collapsed. President Mikhail Gorbachev the then Soviet Union president in 1991 demonetized the higher denomination ruble bills, of 50s and 100s. This move didn't pay off much but has ended in the loss of Mikhail's leadership within a year's time.

Australia being the first country in 1996 had a full series of polymer currency notes to replace paper-based notes to stop counterfeiting. This currency made out of a more durable material changed all the currency in the country to a new type of currency note. Plastic currency was also released in 1992 and by 1996; all the currency notes produced were polymer in nature. Australia decided to replace its paper-based currency notes with polymer-based currency notes in 1996. Reserve Bank of Australia released the world's first long-lasting currency notes with the additional benefit of the polymer base as it is counterfeit-resistant.

Demonetization in India - On the 8th of November, 2016 when the sun had descended below the horizon and the light of day had completely faded, when people were returning back home from a long day at work, a misty light of a new economy was brewing over the country. All ¹ 500 and ¹ 1000 banknotes of the Mahatma Gandhi Series ceased to be legal tender in India from 9 November 2016. The government claimed that the demonetization was an effort to stop counterfeiting of the current banknotes allegedly used for funding terrorism, as well as a crackdown on black money in the country [5]. The move was described as an effort to reduce corruption, the use of drugs, and smuggling. However, in the days following the demonetization, banks and ATMs across the country faced severe cash shortages. Also, following Modi's announcement, the BSE SENSEX and NIFTY 50 stock indices crashed for the next two days.

The Indian government claims that the demonetization effort is to stop the counterfeiting of the current currency notes allegedly used for funding terrorism across the border by the neighboring countries, and as an attack on the black money in the country. The move was claimed as an initiative to curb corruption, trafficking of drugs, and smuggling across borders.

Impact on the Economy - There is short-term and long-term impact of Demonetization on different sectors of economy.

A. Agriculture - The sector typically sees high cash transactions and therefore near-term impact could be seen till liquidity is infused in the rural areas. As farmers face a temporary shortage of cash in hand, it could lead to a delay in payment which in turn would hurt the related companies in the short term. As liquidity eases and cashless transactions gain acceptance, the fundamentals would be driven by the longer term drivers of normal monsoons and positive traction in acreage.

B. Manufacture - Clampdown on cash transactions and temporary cash crunch could hurt purchases particularly in the economy segment of the two wheeler & four wheeler space where the percentage of cash transactions have been high. Slackness in the economy on account of demonetization could have a negative impact on the commercial vehicle volumes which have been under pressure in recent times.

C. Impact on counterfeit currency - The real impact will be on counterfeit/fake currency as its circulation will be checked after this exercise. Demonetization as a cleaning exercise may produce several good things in the economy.

D. Terror funding - Fake Indian Currency Notes (FICN) network will be dismantled by the demonetization measures. Taking out 500 and 1000 rupee notes out of circulation will have a lasting impact on the syndicates producing FICN's, thus affecting the funding of terror networks in Jammu and Kashmir, North-eastern states and Naxalite hit states.

E. Real estate may see significant course correction - The demonetization decision is expected to have far reaching effects on real estate. Resale transactions in the real estate sector often have a significant cash component as it reduces incidence of capital gains tax. Black money was responsible for sharp appreciation of properties in metros; real estate prices may now see a sharp drop.

F. Political parties in crisis ahead of polls - With nearly five state elections in 2017, demonetization has stunned political parties. Especially, in large states like Punjab and Uttar Pradesh, cash donations are a huge part of "election management". In one stroke, big parties will find themselves hamstrung as cash hoards are often undeclared money. Parties will have to completely rejig campaign strategies in light of expected cash crunch.

G. Moving towards digital payments - Demonetization will likely result in people adopting virtual wallets such as Paytm, Ola Money etc. This behavioral change could be a game changer for India.

H. Temporary chaos and confusion - Public will face minor problem for a few days owing to the scarcity of lower denomination notes in the system.

I. Social Impact - There would be a big social inclusion in banking system, enabling them to avail banking services. The technology will simplify the banking transactions and bring banks to homes. Minimum wages would be paid. Currently unorganized sector including labors and house maid are not paid minimum wages. The compulsory payment through banks would ensure that they are paid minimum wages.

6. Conclusion - Though demonetization came into effect for the goodness of India, it failed to find its purpose rightly.This may be due to the sudden, unplanned strategies undertaken for demonetization. The lower and middle income societies which depend on their daily livelihood through small ventures staged like anything due to the deficit in cash and unavailability of the swipe machines. This enhances the big business ventures with facilities of swiping machines which pushed the people to buy their things there with or without their likelinessas a strategy to manage money deficit or to get change for the new 2000 currency notes.

After this exhaustive and logical analysis demonetization seems to be a different ball game while it is compared to the other economic reforms initiatives by the governments to restore or to replenish the economy from being ruined by the black money and tax evasion. Demonetization seems to be a bitter pill and through the various historical evidences it is clear that the management of the crisis after the demonetization plays a vital role in ensuring the success of it. Better preparedness in terms of a clear game plan and in terms of the policies and strategies of government machinery itself and half of the success is seemed to be achieved just through the right way of communicating the government's intensions and the foreseen outcomes with its benefits to the country as a whole.

References :-

1. A. Roy, "Facts and Figures of Demonetization in India - Views, Reactions and Impact: Impact of Demonetization in India", Book: Kindle Edition.
2. "An Empirical Study Of The Effects Of Demonetization In India In The Year 2016 and Analyzing Shifting Trends in Marketing / Purchasing to The Alternative Options"
3. P. Syamsundar and E. Sabariga, "Demonetization - A Comparative Study, with special reference to India", The Southern Regional Conference on Management Education – A Global Perspective, Organized by PSG Institute of Management, Coimbatore (Jan. 2017)
4. W.M.Alahdal,"Impact of Demonetization on Economy: an Overview", Financial Disruption:Charting the Road Ahead, At Odisha, Volume: 18 (Feb. 2017)
5. K. Sathyamurthi, R. S. Nandhiniand R. S.Kumar, "Demonetization in India: Issues and Challenges", Nehru School of Management Journal, ISSN: 2349-4883 Vol.2, No.2.(Mar. 2017), pp. 10-14.
6. S.K. Govil,"Demonetization anditsImpactonIndian Economy", Journal of Management Value and Ethics,Vol 7, No 1 (Jan. 2017)
7. J. Bansal,"Impactof Demonetization onIndianEconomy", International Journal of Science, Technology and Management, Vol 6, No 10 (Jan 2017) pp. 598-605.
8 . G. Manju and C. Kalamani, "The Impacts of Demonetization on Indian Economy", Journal Of Humanities And Social Science, pp. 43-46.
9. Tax Research Team, "Demonetization: Impact on the Economy", National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi, No. 182 (Nov. 2016)

****

Study The Growth Of Online Business In India

Dr. Pradeep Chaurasia*

Abstract - Online business in India plays very important role in the growth of country. This business was firstly promoted by Indian railway for selling their ticket in the year 2002 but now a day's most of the companies started their business online and becoming successful. The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) announced the data that the digital commerce market in India has grown steadily from $4.4 billion in 2010 to $17 billion in 2014 and to $ 23 billion in 2015 and $ 38.5 billion as of 2017 is showing that the Indian e-commerce market is expected to grow to US$ 200 billion by 2026. The data collected are secondary and most of the data collected through the information available on internet.

Key Word - Online business in India.

Introduction - Online Businesses In India - E-Commerce is firstly introduced in 1991 and become a hot choice amongst the commercial use of the internet. At that time nobody can think about that how e-commerce will change the future lifestyle, buying and selling pattern and off course consumer behavior. Nobody believes that the e-commerce will change the entire equation in business industry working in all over the world.

In India the e-commerce is firstly introduced by Indian railway with using online ticket booking system through IRCTC in the year 2002. With the help of this system people are able to do reservation at any time, from anywhere. This system is adopted by airline in the year 2003 for booking tickets of airlines. Day by day this system is adopted by all type of government and non government organization for doing transactions.

In the year 2007 the deep discount model of Flipkart is introduced by Flipkart in India with launching online shopping in India. This model is accepted by Indian and it become the big successful for the Flipkart and attract the other companies to start their business online in India.

Objectives Of The Study -

- To know about the position of online business in India
- To know that how the business of India is affected by online business
- To know that how the government scheme helpful for the growth of online business in India
- To get aware the people about the growth of online business in India

Research Methodology -

Research method - The whole work of research is completed with using convenient type of research.

Method of Data Collection - Data is collected on the basis of secondary data.

Data collection Tools – News paper, internet and reports

Conclusions -

Growth of e-commerce in Indian market - The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) announced the data that the digital commerce market in India has grown steadily from $4.4 billion in 2010 to $17 billion in 2014 and to $ 23 billion in 2015 and $ 38.5 billion as of 2017 is showing that the Indian e-commerce market is expected to grow to US$ 200 billion by 2026. The India's total internet user will expected to increase by 829 million by 2021 from 560.01 million as of September 2018. India's internet economy is expected to double from US$125 billion as of April 2017 to US$ 250 billion by 2020, majorly backed by ecommerce. India's E-commerce revenue is expected to improve from US$ 39 billion in 2017 to US$ 120 billion in 2020, growing at an annual rate of 51 per cent, the highest in the world.

a) Market Size - The launch of 4G networks and increasing consumer wealth, the retail sales in India are expected to grow by 31 per cent to touch US$ 32.70 billion in 2018, led by Flipkart, Amazon India and Paytm Mall.

Electronics in 2018 is become the biggest contributor to online retail sales in India with a share of 48 per cent, followed closely by clothing at 29 per cent.

b) Investments/ Growth - The major developments are happening in Indian e-commerce sector are as follows -

- Flipkart is expected to launch more offline retail stores in India to promote private labels in segments such as fashion and electronics, after getting acquired by Walmart for US$ 16 billion,.
- Bank launched by Paytm - Paytm Payment Bank. Paytm bank is India's first bank that work with zero

*Asst. Professor (Management) AKS University, Satna (M.P.) INDIA

charges on online transactions, no minimum balance requirement and also work like free virtual debit card

- Google is also planning to enter into the E-commerce market and India is expected to be its first market.
- Google and Tata Trust have worked together for the project 'Internet Saathi' to improve internet penetration among rural women in India

c) Government schemes - The government of India took so many initiatives for the development of country and these all are related to e-commerce like Digital India, Make in India, Start-up India, Skill India and Innovation Fund. some of them are as follows -

- Foreign direct investment (FDI) in the E-commerce marketplace model for up to 100 per cent (in B2B models).
- The Indian Government hiked the limit of In the Union Budget of 2018-19, government has allocated Rs 8,000 crore (US$ 1.24 billion) to Bharat Net Project, to provide broadband services to 150,000 gram panchayats, In order to increase the participation of foreign players in the e-commerce field
- The government is working on the second draft of e-commerce policy As of August 2018, incorporating inputs from various industry stakeholders.
- The heavy investment of Government of India in rolling out the fiber network for 5G will help boost ecommerce in India.
- The Government of India released the Draft National e-Commerce Policy which encourages FDI in the marketplace model of e-commerce in February 2019.

d) Achievements - Following are the achievements of the government in the past four years -

- Government launched various initiatives like Udaan, Umang, Start-up India Portal etc, Under the Digital India movement.
- The government has influenced over 16 million women in India and reached 166,000 villages, Under the project 'Internet Saathi'
- Udaan, a B2B online trade platform that connect small and medium size manufacturers and wholesalers with online retailers and also provide them logistics, payments and technology support, has sellers in over 80 cities of India and delivers to over 500 cities.
- The government introduced Bharat Interface for Money (BHIM), a simple mobile based platform for digital payments in India.

References:-

1. "Indian e-commerce at inflection point?". Vccircle.com. 19 August 2010. Retrieved 4 July 2013.
2. "Indian e-commerce market sees M&A deals worth $2.1 billion in 2017". The Financial Express. 6 May 2018. Retrieved 19 May 2018.
3. "India's internet user base 354 million, registers 17% growth in first 6 months of 2015: IAMAI report". timesofindia-economictimes. Retrieved 4 May 2016.
4. "Internet users in India to cross 500 mn in 2016: Prasad". Business Standard. 5 May 2016. Retrieved 23 May 2016.
5. "New e-commerce rules in India may hit Amazon and Flipkart". The Straits Times. 28 December 2018. Retrieved 31 January 2019.
6. "New India E-Commerce Rule Undermines Expansion of Foreign Companies Like Amazon and Walmart". Fortune. Retrieved 31 January 2019.
7. "Online shoppers in India to cross 100 million by 2016: Study". The Times of India. Retrieved 4 May 2016.
8. "Online shoppers in India". timesofindia.indiatimes/tech. 20 November 2014. Retrieved 25 March 2015.
9. http://foundora.com/post/phanindra-sama-co-founder-of-redbus-tells-his-startup-story/
10. http://www.scmconcept.com.br/site/en/gerenciamento-de-armazens/
11. https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/healthcare/pharmeasy-and-brand-capital-create-indias-no-1-health-tech-platform/articleshow/65994581.cms?from=mdr
12. https://en.wikipedia.org/wiki/Zomato
13. https://m.dailyhunt.in/news/india/english/news+patrolling-epaper-newspatr/bigbasket+ company+profile-newsid-73815503
14. https://nextwhatbusiness.com/online-marketplaces-india/
15. https://www.ibef.org/industry/ecommerce.aspx
16. https://www.softwaresuggest.com/blog/ecommerce-in-india/
17. https://www.startupstories.in/stories/inspirational-stories/swiggy-story-company-changed-way-country-eats

****

Seasonal Variations In Firewood Consumption Pattern In Village Chackbhagwana Of District Jammu (J&K)

Sapna Sharma*

Abstract - The rural population of our country is still dependent on firewood as the major source of energy. Increasing population along with decreasing forest cover has led to various environmental hazards. Keeping this in view the present study was carried out to study the firewood consumption pattern in different seasons in the village Chack Bhagwana of Tehsil Jourian, Jammu. The firewood consumption rate was 1.07, 1.42, 2.80 kg/capita/day in summer, rainy, winter season respectively. Firewood is the most widely used form of fuel contributing about 88.95% energy requirements in all seasons. Major tree species which are used by the people of the village for fuel were also studied.
Key Words - Fuelwood, energy, consumption pattern.

Introduction - Energy is one of the fundamental factors in the functioning of any civilized society needed to improve better life style and socio-economic development of the country. More than half of the world's population live in rural areas, who depend mostly on biomass for their energy supply, and have no access to modern form of energy (Demirbas & Demirbas, 2007). In many developing countries in Asia like India, Pakistan, Myanmar, Nepal and Bangladesh, the rural household energy consumption constitutes over 70% to the national energy use (ADB, 1998; Koopmans, 2005). Biomass acts as a chief source of energy in the developing countries of the world. Throughout the developing world, biomass energy is the primary source of energy for domestic use (Bhatt and Sachan, 2004). Fuel wood is the most widely used form of biomass. Crop residues and dung cakes are also used in place of fuel wood where there is scarcity of wood (Madubansi and Shackeleton, 2006).

Energy resources in India comprise commercial and biomass resources. Commercial energy resources include diesel, kerosene and others. Biomass resources includes wood, bamboo, twigs, agricultural residues such as paddy husk and bran, straw, charcoal and cow dung. Of these biomass delivers most energy for the domestic use (rural-90% and urban-40%) in India (NCAER, 1992). The large scale extraction of the forest resources from the natural habitats as fuelwood (220 m tonnes), fodder (250 m tonnes), timber (12million m3) and other forest products (approximately 1,700 m tonnes) annually has resulted in depletion of natural resources (Mukherjee 1994; Tewari and Campbell 1995). Approximately 275 million people in rural India are dependent on forests for at least a portion of their income (World Bank 2006).

Due to rapidly increasing population and their increasing demands the pressure on forests and the fuel resources is also rapidly increasing resulting in deforestation, erratic rainfall, loss of wildlife habitat and ultimately biodiversity loss. Keeping in view the above mentioned facts, a study was conducted to study the firewood consumption patterns of rural community of the village Chack Bhagwana with a view to identify: (a) major tree species which are being used and preferred by the rural population for fuel. (b) quantify the fuelwoods consumed by households in different seasons.

Study area - The study area lies in village 'Chack Bhagwana' of Tehsil 'Jourian' and District 'Jammu'. This village is situated on 32.83°N latitude and 74.58°E longitude. Climate of the area is subtropical, the study area is very hot and the temperature can reach upto 40°C (104°F). Different types of the crops are grown, Kharif (March to August) and Rabi (October to March) are the major cropping seasons of the study area. Major Kharif crops include Maize (Zea mays), Bajra (Pennisetum glaucum) and Rice (Oryza sativa) and Rabi crops include Wheat (Triticum aestivum). Some cash crops like potatoes and onion were also grown along with several vegetables but only for domestic use and not for commercial purposes.

The total population of the study area comprises seven hundred and twenty individuals. The number of females is three hundred and forty and male is three hundred and eighty. The total numbers of houses in study area are one hundred and sixty and out of which fifty households were studied.

The area is rain fed and depends primarily on rain and canal water for irrigation. The main source of irrigation in the study area is through canal. The population in the area meets its firewood requirements mainly by lopping and cutting trees from the agricultural fields and homestead areas. Besides firewood other fuels used for cooking include LPG and cowdung cakes.

*Chack Bhagwana, Teh. Jourian, Distt. Jammu (J&K) INDIA

Collection of data - The study began with a preliminary survey conducted in the villages to count the number of families and members in each household, a detailed questionnaire was prepared which involved various aspects such as demographic status of the area, fuel collection method and utilisation, quantity and types of fuel consumed and development works and other miscellaneous information. The survey was conducted on door to door basis to obtain the real pattern of information. The quantity of fuelwood consumed was measured over a period of 24 h using a weight survey method.

The wood was weighed using 50 kg spring balance and then left in the kitchen of each household with instructions to burn wood only from the bundle. On the next day the authors returned to each household and the remaining wood was weighed to calculate the actual consumption per day. This was done in different seasons viz. summer, rainy and winter.

The major firewood species was assessed on the basis of fuelwood production, firewood properties like calorific value, wood density, moisture percentage, biomass to ash ratio, ash percentage and availability.

Results and Discussion - The major tree species used by the people of the study area are given in the Table 1. The most favoured tree species was Albizia lebbeck, Butea monosperma, Morus alba, Melia azadirachta, Acacia nilotica, Dalbergia sisso, Eucalyptus sps., Leucaena leucocephala, Acacia modesta, Mangifera indica, Ziziphus jujuba.

Firewood consumption was 1.07kg/capita/day in summers, 1.42kg/capita/day in rainy season and 2.80kg/ capita/day in winters as shown in table 2. People used more firewood in winters followed by rainy and summer season. People used firewood for space heating, boiling water as well as for cooking in winters. Monthly consumption of firewood during different seasons was 32.1kg/capita/month in summers, 42.6kg/capita/month in rainy and 85.8kg/ capita/month in winters. Liquid petroleum gas (LPG) and cow dung are also used to meet energy requirements. Kerosene oil was not found in practice due to non availability. On average, LPG contributes 10.76% of the energy and cow dung contributes 0.28% of the energy requirement, whereas firewood contributes about 88.95%. Thus, firewood is the major source of energy in all seasons.

As firewood was easily available in the study area from the nearby fields this also accounts for its common use. One of the reasons for increased use of firewood for cooking is due to the high cost of L.P.G. The utilisation of each fuel is given in Table 3. During summer the consumption of firewood decreased due to non utilisation of firewood for heating spaces and boiling water and also use of other fuels like L.P.G. for cooking. Most of the firewood is collected in the month of April and May and then stored for use in the rainy season in the month of June – September. Firewood is mainly collected by the female members of the households.

Table 1. Major firewood species found in the study area.

S.No.	Scientific name	Vernacular name
1.	Albizia lebeck	Siris
2.	Butea monospermea	Palash
3.	Morus alba	Toot
4.	Melia azadirachta	Darank
5.	Acacia nilotica	Kikar
6.	Dilbergia sisoo	Sheesham
7.	Eucalyptus sps.	Safeda
8.	Leucaena leucocephala	Sirini
9.	Acacia modesta	Phalai
10.	Mangifera indica	Mango
11.	Ziziphus jujuba	Ber

Table 2. Firewood consumption pattern in different seasons

Seasons	Firewood Consumption (Kg/capita/day)	Firewood Consumption (Kg/capita/month)
Summer	1.07	32.1
Rainy	1.42	42.6
Winter	2.80	85.8

Table 3. Percentage consumption of different fuel types

Type of fuel	Percentage Consumption
Firewood	88.95%
L.P.G.	10.76%
Cowdung cakes	0.28%

Conclusion - The main conclusion from the study is that firewood constitutes the major energy source in the study area and its consumption rate is highest in the winter season followed by rainy and summer season. On the basis of the firewood consumption pattern, it is important to seriously consider the problem of deforestation. Now, if the current trends of firewood consumption continue in the region, there will be a scarcity of firewood supply in the near future. Most of the poor families use firewood also for lighting because of the paucity of kerosene and electricity. The indiscriminate use of various tree species has resulted in the loss of the tree cover in the area. The introduction of alternative resources of energy like biogas, proper education and awareness may lead to a more efficient and sustainable utilisation of natural resources.

References :-

1. Alam, S. M. and Hussain, M. (1985). Fuelwood consumption patterns and environmental degradation. A Case Study of Narang Catchment Seminar. In Energy Problems and Prospects in Jammu and Kashmir. June
2. Awasthi, A., Uniyal, S.K., Rawat, G.S. and Rajvanshi, A. (2003). Forest resource availability and its use by its migratory village of Uttarkashi, Garhwal Himalaya (India). Forest Ecology and Management, 174, 13-24.
3. Bhatt, B.P., Negi, A.K., Todaria, N.P. Fuelwood consumption pattern at di9erent altitudes in Garhwal Himalaya. Energy 1994;19(4):465–8.
4. Bhatt, B.P. and Sachan, M.S. 2004. Firewood consumption pattern of different tribal communities in North India. Energy Policy, 32, 1-6.

5. Census of India. (2011). http://censusindia.gov.in/2011-common/census_2011.html
6. Demirbas, A.H. and Demirbas, I. (2007). Importance of rural bioenergy for developing countries. Energy Conservation and Man-agement 48, 2386-2398.
7. Forest Survey of India. (2011). India State of Forest Report. New Delhi: Ministry of Environment and Forests, Government of India, 286.
8. Indian State of Forest Report, (ISFR), Forest Survey of India, (2015). New Delhi: Ministry of Environment and Forests, Government of India, 234.
9. Koopmans, A. (2005). Biomass energy demand and supply for South and South-East Asia - assessing the resource base. Biomass and Bioenergy, 28, 133-150.
10. Madubansi, M. and Shackleton, C. M. 2006. Changing energy profile and consumption pattern following electrification in five rural villages South Africa. Energy Policy, 34(18), 4081-4092.
11. Mitchell, R. An analysis of Indian agroecosystem. India: Interprint New Delhi; 1979. p. 180.
12. Ministry of Environment and Forestry (2006). http//envtor.nic.in/publicinformation/report.
13. Muller, A. (2009). Sustainable agriculture and the production of biomass for energy use. Climate Change, 94(4), 319-331.
14. NCAER (1992). Evaluation survey of household biogas plants set up during seventh five year plan, National Council for Applied Economic Research, New Delhi.
15. Rao, M.N. and Reddy, B.S. (2007). Variations in energy use by Indian households: An analysis of micro data. Energy, 143-153.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) October to December 2019, Vol. I

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक छिन्दवाड़ा द्वारा ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदत्त वित्तीय सहायता/साख का विश्लेषण

डॉ. लक्ष्मण परवाल * श्याम कुमार मिनोटे **

प्रस्तावना – सहकारी बैंकों की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाओं के लिए साख उपलब्ध कराना है। भारत में इन बैंकों की स्थापना अलग-अलग राज्यों द्वारा बनाए गए सहकारी समितियों के अधिनियमों के माध्यम से हुई है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा की स्थापना मुख्य रूप से सहकारिता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सुदुर ग्रामीण अंचलों में बसे ग्रामीणों/कृषकों को लगने वाली आवश्यकता खाद, बीज, नगद एवं अन्य बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दृष्टि से की गयी है। यह सर्वविदित है कि व्यवसायिक बैंकों की सेवाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने से यह बैंक अपनी सेवाएँ अच्छी तरह से उपलब्ध करा रही है।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की स्थापना दिनाँक 31.12.1913 को हुई थी। वर्तमान में बैंक के प्रधान कार्यालय एवं कुल 26 शाखाओं से सम्बद्ध 145 प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाएँ कार्यरत हैं, जिसमें 27 आदिम जाति सेवा सहकारी समितियाँ है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा बैंकिंग रेग्युलेशन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियाँ पर लागू) के अन्तर्गत समस्त बैंकिंग व्यवहार करने हेतु अधिकृत है।

ग्रामीण हितग्राहियों से तात्पर्य उन ग्रामीण व्यक्तियों से है, जिन्होंने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, छिन्दवाड़ा की विभिन्न शाखाओं तथा साख समितियों से ऋण, अग्रिम तथा वित्तीय सहायता प्राप्त की हो। इसके अन्तर्गत सीमांत कृषक, लघु कृषक, वृहद् कृषक, कृषि श्रमिक व अन्य व्यक्ति आते है। इन सभी ग्रामीण हितग्राहियों की विस्तृत जानकारी इस प्रकार है:

1. **सीमांत कृषक –** ये वे कृषक होते है जिनके पास एक हेक्टेयर (2.5 एकड़) तक या उससे कम भूमि है, उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है।
2. **लघु कृषक –** ये वे कृषक होते है जिनके पास दो हेक्टेयर (05 एकड़) तक या उससे कम भूमि है, उन्हें लघु कृषक कहा जाता है।
3. **वृहद् कृषक –** ये वे कृषक होते है जिनके पास दो हेक्टेयर (05 एकड़) से अधिक भूमि होती है, उन्हें वृहद् कृषक कहा जाता है।
4. **कृषि श्रमिक –** कृषि श्रमिक से तात्पर्य ऐसे श्रमिक है जो खेतों में मजदूरी करके अपना जीवन-यापन करते है। इन कृषि श्रमिकों को शासन की कई जनकल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत साख समितियों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। जिसमें मुख्य रूप से ब्याज मुक्त उपभोग ऋण दिया जाता है। यह ऋण मुख्य रूप से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वाले कृषि श्रमिकों को दिया जाता है। जिसकी ऋण सीमा अधिकतम 1,000 रूपये तक रहती है, जो इन्हें चार सामान्य किश्तों में बिना ब्याज के अदा करनी होती है। ऋण लेने के प्रमुख उद्देश्य शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक व धार्मिक आदि कार्य होते है।
5. **अन्य व्यक्ति –** इसके अन्तर्गत ऐसे ग्रामीण आते है जो शिल्पकार, साहसी व्यापारी तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति होते है। जिन्हें साख समिति व बैंक अनेक योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्रदान करती है।

अध्ययन का उद्देश्य – प्रस्तुत अध्ययन निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया गया है-

- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, छिन्दवाड़ा द्वारा गत 05 वर्षो में कितने ग्रामीण हितग्राहियों को वित्तीय सहायता/साख प्रदान करके लाभान्वित किया गया है।
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, छिन्दवाड़ा द्वारा गत 05 वर्षो में ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदत्त वित्तीय सहायता/साख राशि का विश्लेषण करना।
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, छिन्दवाड़ा द्वारा ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदत्त वित्तीय सहायता/साख राशि का प्रतिशत एवं औसत के आधार पर विश्लेषण करना।

अध्ययन प्रणाली – यह अध्ययन मध्यप्रदेश के छिन्दवाड़ा जिले में स्थित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदान की गई साख/वित्तीय सहायता राशि व लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या के आधार पर किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक संमकों पर आधारित है, जिन्हें जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक छिन्दवाड़ा से संग्रहित किया गया है। अध्ययन में ग्रामीण हितग्राहियों से आशय सीमांत कृषक, लघु कृषक, वृहद् कृषक, कृषि श्रमिक एवं अन्य व्यक्तियों से है। अध्ययन अवधि में (वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 तक) गत 05 वर्षो की ली गई है। इन पाँच वर्षों में बैंक से लाभान्वित होने वाले ग्रामीण हितग्राहियों की संख्या एवं उन्हें प्रदान की गई साख/वित्तीय सहायता राशि का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन अवधि में प्रयुक्त 05 वर्षो के समंको के आधार पर औसत, प्रतिशत एवं रेखाचित्र जैसी गणितीय एवं सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग कर अपेक्षित परिणाम ज्ञात किए गए है।

विश्लेषण एवं परिणाम – शोधार्थी द्वारा गत 05 वर्षो में (वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 तक) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, छिन्दवाड़ा से जुड़कर वित्तीय सहायता/साख प्राप्त करने वाले लाभान्वित ग्रामीण हितग्राहियों का विश्लेषण तालिका क्रं. 01 के माध्यम से किया गया है। साथ ही तालिका क्रं. 02 में लाभान्वित ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता/

* प्राध्यापक (वाणिज्य) स्वामी विवेकानन्द शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (वाणिज्य) स्वामी विवेकानन्द शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

साख राशि का विश्लेषण किया गया है। दोनों तालिकाएँ इस प्रकार है-

तालिका क्रं. 01**(देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिका से स्पष्ट है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, छिन्दवाड़ा द्वारा गत 05 वर्षो में (वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक) कुल 2,09,494 ग्रामीण हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इसमें सर्वाधिक संख्या 1,23,786 सीमांत कृषकों की है जो कुल लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या का लगभग 59 प्रतिशत के बराबर है। इसके पश्चात् क्रमशः वृहद् कृषकों एवं लघु कृषकों का क्रम आता है। बैंक द्वारा गत 05 वर्षो में 43,747 वृहद् कृषकों एवं 41,379 लघु कृषकों को ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके लाभान्वित किया गया है। यह कुल लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या का लगभग 21 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत के बराबर है। सबसे कम लाभान्वित होने वाले ग्रामीण हितग्राहियों में कृषि श्रमिकों व अन्य व्यक्तियों की संख्या आती है जो क्रमशः 380 व 202 है, यह कुल लाभान्वित ग्रामीण हितग्राहियों के मात्र 0.18 व0.10 प्रतिशत के बराबर है।

वर्ष 2009-10 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, छिन्दवाड़ा द्वारा कुल 34,487 ग्रामीण हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इसमें सर्वाधिक संख्या 21,915 सीमांत कृषकों की है जो कुल लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या का लगभग 64 प्रतिशत के बराबर है। इसके पश्चात् क्रमशः वृहद् कृषकों एवं लघु कृषकों का क्रम आता है। बैंक द्वारा वर्ष 2009-10 में 6,518 वृहद् कृषकों एवं 5,941 लघु कृषकों को ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके लाभान्वित किया गया है। यह कुल लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या का लगभग 19 प्रतिशत एवं 17 प्रतिशत के बराबर है। सबसे कम लाभान्वित होने वाले ग्रामीण हितग्राहियों में कृषि श्रमिकों व अन्य व्यक्तियों की संख्या आती है जो क्रमशः 78 व 35 है, यह कुल लाभान्वित ग्रामीण हितग्राहियों के मात्र 0.23 प्रतिशत व 0.10 प्रतिशत के बराबर है।

वर्ष 2010-11 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, छिन्दवाड़ा द्वारा कुल 38,863 ग्रामीण हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इसमें सर्वाधिक संख्या 23,314 सीमांत कृषकों की है जो कुल लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या का लगभग 60 प्रतिशत के बराबर है। इसके पश्चात् क्रमशः वृहद् कृषकों एवं लघु कृषकों का क्रम आता है। बैंक द्वारा वर्ष 2010-11 में 8,102 वृहद् कृषकों एवं 7,323 लघु कृषकों को ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके लाभान्वित किया गया है। यह कुल लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या का लगभग 21 प्रतिशत एवं 19 प्रतिशत के बराबर है। सबसे कम लाभान्वित होने वाले ग्रामीण हितग्राहियों में कृषि श्रमिकों व अन्य व्यक्तियों की संख्या आती है जो क्रमशः 81 व 43 है, यह कुल लाभान्वित ग्रामीण हितग्राहियों के मात्र 0.20 प्रतिशत व 0.11 प्रतिशत के बराबर है।

वर्ष 2011-12 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, छिन्दवाड़ा द्वारा कुल 42,314 ग्रामीण हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इसमें सर्वाधिक संख्या 25,122 सीमांत कृषकों की है जो कुल लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या का लगभग 59 प्रतिशत के बराबर है। इसके पश्चात् क्रमशः वृहद् कृषकों एवं लघु कृषकों का क्रम आता है। बैंक द्वारा वर्ष 2011-12 में 8,673 वृहद् कृषकों एवं 8,415 लघु कृषकों को ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके लाभान्वित किया गया है। यह कुल लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या का लगभग 21 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत के बराबर है। सबसे कम लाभान्वित होने वाले ग्रामीण हितग्राहियों में कृषि श्रमिकों व अन्य व्यक्तियों की संख्या आती है जो क्रमशः 66 व 38 है, यह कुल लाभान्वित ग्रामीण हितग्राहियों के मात्र 0.16 प्रतिशत व 0.09 प्रतिशत के बराबर है।

वर्ष 2012-13 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, छिन्दवाड़ा द्वारा कुल 45,491 ग्रामीण हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इसमें सर्वाधिक संख्या 26,323 सीमांत कृषकों की है जो कुल लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या का लगभग 58 प्रतिशत के बराबर है। इसके पश्चात् क्रमशः लघु कृषकों एवं वृहद् कृषकों का क्रम आता है। बैंक द्वारा वर्ष 2012-13 में 9,558 लघु कृषकों एवं 9,496 वृहद् कृषकों को ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके लाभान्वित किया गया है। यह कुल लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या का लगभग 21 प्रतिशत एवं 21 प्रतिशत के बराबर है। सबसे कम लाभान्वित होने वाले ग्रामीण हितग्राहियों में कृषि श्रमिकों व अन्य व्यक्तियों की संख्या आती है जो क्रमशः 72 व 42 है, यह कुल लाभान्वित ग्रामीण हितग्राहियों के मात्र 0.16 प्रतिशत व 0.09 प्रतिशत के बराबर है।

वर्ष 2013-14 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, छिन्दवाड़ा द्वारा कुल 48,339 ग्रामीण हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इसमें सर्वाधिक संख्या 27,112 सीमांत कृषकों की है जो कुल लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या का लगभग 56 प्रतिशत के बराबर है। इसके पश्चात् क्रमशः वृहद् कृषकों एवं लघु कृषकों का क्रम आता है। बैंक द्वारा वर्ष 2013-14 में 10,958 वृहद् कृषकों एवं 10,142 लघु कृषकों को ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके लाभान्वित किया गया है। यह कुल लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या का लगभग 23 प्रतिशत एवं 21 प्रतिशत के बराबर है। सबसे कम लाभान्वित होने वाले ग्रामीण हितग्राहियों में कृषि श्रमिकों व अन्य व्यक्तियों की संख्या आती है जो क्रमशः 83 व 44 है, यह कुल लाभान्वित ग्रामीण हितग्राहियों के मात्र 0.17 प्रतिशत व 0.09 प्रतिशत के बराबर है।

औसत के आधार पर बैंक द्वारा प्रतिवर्ष 41,898 ग्रामीण हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इसमें सबसे अधिक सीमांत कृषकों का क्रम आता है, जो लगभग 24,757 के बराबर है। इसके पश्चात् क्रमशः वृहद् कृषकों एवं लघु कृषकों की क्रम आता है जिनकी संख्या क्रमशः 8,749 एवं 8,276 के बराबर है। सबसे कम लाभान्वित होने वाले ग्रामीण हितग्राहियों में कृषि श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों का क्रम आता है। यह मात्र 76 एवं 40 की संख्या के हिसाब से ही प्रतिवर्ष लाभान्वित हुये है।

तालिका क्रं. 02**(देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिका से स्पष्ट है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, छिन्दवाड़ा द्वारा गत 05 वर्षो (वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक) में ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदाय की गई कुल वित्तीय सहायता/साख राशि 08 अरब, 99 करोड़, 43 लाख, 92 हजार रूपये है। इसमें से सबसे अधिक राशि 03 अरब, 81 करोड़, 40 लाख, 18 हजार रूपये सीमांत कृषकों को उपलब्ध कराई गई है, जो कुल वितरित ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदाय की गई वित्तीय सहायता राशि का 42.40 प्रतिशत के बराबर है। इसके पश्चात् वृहद् कृषकों एवं लघु कृषकों का क्रम आता है, जिन्हें क्रमशः 02 अरब, 71 करोड़, 53 लाख, 27 हजार रूपये एवं 02 अरब, 45 करोड़, 16 लाख, 79 हजार रूपये की वित्तीय सहायता/साख राशि उपलब्ध कराई गई है। यह कुल वितरित ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदाय की गई सहायता राशि के 30.19 प्रतिशत एवं 27.26 प्रतिशत के बराबर है। सबसे कम वित्तीय सहायता/साख राशि कृषि श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों का है, जिन्हें क्रमशः 72 लाख, 02 हजार रूपये एवं 61 लाख, 66 हजार रूपये की वित्तीय सहायता/साख राशि उपलब्ध कराई गई है। यह कुल वितरित ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदाय की गई सहायता राशि के 0.08 प्रतिशत एवं 0.07 प्रतिशत के बराबर है।

वर्ष 2009-10 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, छिन्दवाड़ा द्वारा कुल ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदाय की गई कुल वित्तीय सहायता/साख राशि 01 अरब, 45 करोड़, 55 लाख, 38 हजार रूपये है। इसमें से सबसे अधिक राशि 54 करोड़, 58 लाख, 15 हजार रूपये सीमांत कृषकों को उपलब्ध कराई गई है, जो कुल वितरित ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदाय की गई वित्तीय सहायता राशि का 37.50 प्रतिशत के बराबर है। इसके पश्चात् वृहद् कृषकों एवं लघु कृषकों का क्रम आता है, जिन्हें क्रमश: 48 करोड़, 19 लाख, 40 हजार रूपये एवं 42 करोड़, 54 लाख, 48 हजार रूपये की वित्तीय सहायता/साख राशि उपलब्ध कराई गई है। यह कुल वितरित ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदाय की गई सहायता राशि के 33.11 प्रतिशत एवं 29.23 प्रतिशत के बराबर है। सबसे कम वित्तीय सहायता/साख राशि अन्य व्यक्तियों एवं कृषि श्रमिकों का है, जिन्हें क्रमश: 12 लाख, 23 हजार रूपये एवं 11 लाख, 12 हजार रूपये की वित्तीय सहायता/साख राशि उपलब्ध कराई गई है। यह कुल वितरित ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदाय की गई सहायता राशि के 0.08 प्रतिशत के बराबर है।

वर्ष 2010-11 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, छिन्दवाड़ा द्वारा कुल ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदाय की गई कुल वित्तीय सहायता/साख राशि 01 अरब, 66 करोड़, 81 लाख, 52 हजार रूपये है। इसमें से सबसे अधिक राशि 69 करोड़, 41 लाख, 43 हजार रूपये सीमांत कृषकों को उपलब्ध कराई गई है, जो कुल वितरित ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदाय की गई वित्तीय सहायता राशि का 41.61 प्रतिशत के बराबर है। इसके पश्चात् वृहद् कृषकों एवं लघु कृषकों का क्रम आता है, जिन्हें क्रमश: 51 करोड़, 96 लाख, 15 हजार रूपये एवं 45 करोड़, 09 लाख, 35 हजार रूपये की वित्तीय सहायता/साख राशि उपलब्ध कराई गई है। यह कुल वितरित ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदाय की गई सहायता राशि के 31.15 प्रतिशत एवं 27.03 प्रतिशत के बराबर है। सबसे कम वित्तीय सहायता/साख राशि अन्य व्यक्तियों एवं कृषि श्रमिकों का है, जिन्हें क्रमश: 18 लाख, 19 हजार रूपये एवं 16 लाख, 40 हजार रूपये की वित्तीय सहायता/साख राशि उपलब्ध कराई गई है। यह कुल वितरित ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदाय की गई सहायता राशि के 0.11 प्रतिशत एवं 0.10 प्रतिशत के बराबर है।

वर्ष 2011-12 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, छिन्दवाड़ा द्वारा कुल ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदाय की गई कुल वित्तीय सहायता/साख राशि 01 अरब, 76 करोड़, 45 लाख, 96 हजार रूपये है। इसमें से सबसे अधिक राशि 74 करोड़, 03 लाख, 28 हजार रूपये सीमांत कृषकों को उपलब्ध कराई गई है, जो कुल वितरित ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदाय की गई वित्तीय सहायता राशि का 41.95 प्रतिशत के बराबर है। इसके पश्चात् वृहद् कृषकों एवं लघु कृषकों का क्रम आता है, जिन्हें क्रमश: 53 करोड़, 34 लाख, 08 हजार रूपये एवं 48 करोड़, 89 लाख, 43 हजार रूपये की वित्तीय सहायता/साख राशि उपलब्ध कराई गई है। यह कुल वितरित ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदाय की गई सहायता राशि के 30.23 प्रतिशत एवं 27.71 प्रतिशत के बराबर है। सबसे कम वित्तीय सहायता/साख राशि कृषि श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों का है, जिन्हें क्रमश: 11 लाख, 03 हजार रूपये एवं 08 लाख, 14 हजार रूपये की वित्तीय सहायता/साख राशि उपलब्ध कराई गई है। यह कुल वितरित ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदाय की गई सहायता राशि के 0.06 प्रतिशत एवं 0.05 प्रतिशत के बराबर है।

वर्ष 2012-13 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, छिन्दवाड़ा द्वारा कुल ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदाय की गई कुल वित्तीय सहायता/साख राशि 01 अरब, 98 करोड़, 72 लाख, 73 हजार रूपये है। इसमें से सबसे अधिक राशि 89 करोड़, 15 लाख, 08 हजार रूपये सीमांत कृषकों को उपलब्ध कराई गई है, जो कुल वितरित ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदाय की गई वित्तीय सहायता राशि का 44.86 प्रतिशत के बराबर है। इसके पश्चात् वृहद् कृषकों एवं लघु कृषकों का क्रम आता है, जिन्हें क्रमश: 58 करोड़, 11 लाख, 16 हजार रूपये एवं 51 करोड़, 20 लाख, 19 हजार रूपये की वित्तीय सहायता/साख राशि उपलब्ध कराई गई है। यह कुल वितरित ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदाय की गई सहायता राशि के 29.24 प्रतिशत एवं 25.76 प्रतिशत के बराबर है। सबसे कम वित्तीय सहायता/साख राशि कृषि श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों का है, जिन्हें क्रमश: 15 लाख, 23 हजार रूपये एवं 11 लाख, 07 हजार रूपये की वित्तीय सहायता/साख राशि उपलब्ध कराई गई है। यह कुल वितरित ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदाय की गई सहायता राशि के 0.08 प्रतिशत एवं 0.06 प्रतिशत के बराबर है।

वर्ष 2013-14 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, छिन्दवाड़ा द्वारा कुल ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदाय की गई कुल वित्तीय सहायता/साख राशि 02 अरब, 11 करोड़, 88 लाख, 33 हजार रूपये है। इसमें से सबसे अधिक राशि 94 करोड़, 22 लाख, 24 हजार रूपये सीमांत कृषकों को उपलब्ध कराई गई है, जो कुल वितरित ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदाय की गई वित्तीय सहायता राशि का 44.47 प्रतिशत के बराबर है। इसके पश्चात् वृहद् कृषकों एवं लघु कृषकों का क्रम आता है, जिन्हें क्रमश: 59 करोड़, 92 लाख, 48 हजार रूपये एवं 57 करोड़, 43 लाख, 34 हजार रूपये की वित्तीय सहायता/साख राशि उपलब्ध कराई गई है। यह कुल वितरित ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदाय की गई सहायता राशि के 28.28 प्रतिशत एवं 27.10 प्रतिशत के बराबर है। सबसे कम वित्तीय सहायता/साख राशि कृषि श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों का है, जिन्हें क्रमश: 18 लाख, 24 हजार रूपये एवं 12 लाख, 03 हजार रूपये की वित्तीय सहायता/साख राशि उपलब्ध कराई गई है। यह कुल वितरित ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदाय की गई सहायता राशि के 0.09 प्रतिशत एवं 0.06 प्रतिशत के बराबर है।

औसत के आधार पर बैंक द्वारा 01 अरब, 79 करोड़, 88 लाख, 78 हजार रूपये राशि प्रतिवर्ष ग्रामीण हितग्राहियों को वित्तीय सहायता/साख के रूप में प्रदान की गई है। इसमें सबसे अधिक राशि सीमांत कृषकों को उपलब्ध कराई गई है जो 76 करोड़, 28 लाख, 04 हजार रूपये के बराबर है। इसके पश्चात् क्रमश: वृहद् कृषकों एवं लघु कृषकों का क्रम आता है जिन्हें क्रमश: 54 करोड़, 30 लाख, 65 हजार रूपये एवं 49 करोड़, 03 लाख, 36 हजार रूपये की वित्तीय सहायता/साख के रूप में प्रदान किये गये है। सबसे कम वित्तीय सहायता/साख कृषि श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों को प्रदाय किया गया है।

निष्कर्ष - अध्ययन के अन्त में यह कहा जा सकता है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, छिन्दवाड़ा द्वारा ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदत्त वित्तीय सहायता/साख का विश्लेषण करने के उपरान्त निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये है-

1. गत 05 वर्षो में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से वित्तीय सहायता/साख के रूप में राशि प्राप्त करने में लाभान्वित होने वाले प्रत्येक 100 ग्रामीण हितग्राहियों की संख्या में से लगभग आधे से ज्यादा अर्थात् 59 व्यक्ति तो सीमांत कृषक होते है। इसके पश्चात् क्रमश: 21 वृहद् कृषक एवं 20 लघु कृषक रहते है। लाभान्वित ग्रामीण हितग्राहियों में सबसे कम कृषि श्रमिक एवं अन्य व्यक्तियों की संख्या आती है। जो

नहीं के बराबर है।

2. गत 05 वर्षो में जिला सहकारी केन्द्रीय बैक, छिन्दवाड़ा से वित्तीय सहायता/साख की राशि प्रदाय करने में प्रत्येक 100 लाख रूपये में लगभग 42.40 लाख रूपये सीमांत कृषकों को, 27.26 लाख रूपये लघु कृषकों को बैंक द्धारा उपलब्ध कराये गये है। कृषि श्रमिक एवं अन्य व्यक्तियों को मात्र 0.15 लाख रूपये ही बैंक द्धारा उपलब्ध कराए गए है।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, छिन्दवाड़ा से वित्तीय सहायता/साख प्राप्त करने में (संख्या एवं राशि दोनों में ही) सीमांत कृषक अग्रणी रहे है। इसके पश्चात् लघु कृषक एवं वृहद् कृषक का क्रम आता है। कृषि श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों की संख्या बहुत कम अर्थात् नगण्य है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शोध पत्र की सम्पूर्ण सामग्री शोधार्थी श्याम कुमार मिनोटे, वाणिज्य संकाय, स्वामी विवेकानन्द शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) के शोध प्रबंध 'जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक छिन्दवाड़ा द्धारा प्रदत्त ग्रामीण साख का हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव' (वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक) से लिया गया है जो विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से पंजीकृत होकर शोध कार्य कर रहे है।

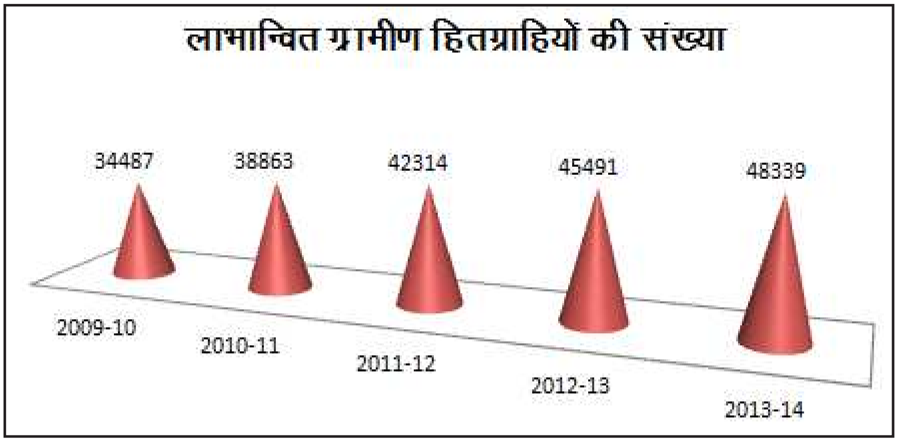

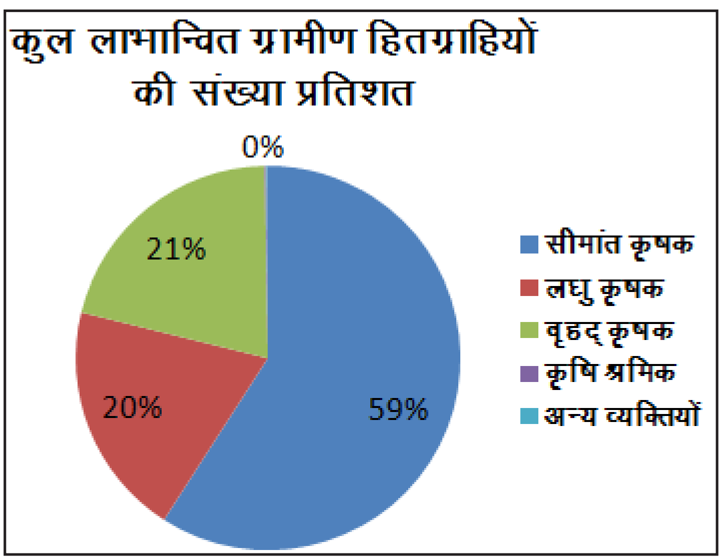

तालिका क्रं. 01

लाभान्वित ग्रामीण हितग्राहियों की संख्या की विश्लेषण

क्र.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		योग		औसत
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
01	सीमांत कृषक	21,915	63.55	23,314	60.00	25,122	59.37	26,323	57.86	27,112	56.09	1,23,786	59.09	24,757
02	लघु कृषक	5,941	17.22	7,323	18.84	8,415	19.88	9,558	21.01	10,142	20.98	41,379	19.75	8,276
03	वृहद् कृषक	6,518	18.90	8,102	20.85	8,673	20.50	9,496	20.88	10,958	22.67	43,747	20.88	8,749
04	कृषि श्रमिक	78	0.23	81	0.20	66	0.16	72	0.16	83	0.17	380	0.18	76
05	अन्य व्यक्तियों	35	0.10	43	0.11	38	0.09	42	0.09	44	0.09	202	0.10	40
	योग	34,487	100.00	38,863	100.00	42,314	100.00	45,491	100.00	48,339	100.00	2,09,494	100.00	41,898

स्त्रोत : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, छिन्दवाड़ा

तालिका क्रं. 02

बैंक द्वारा ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदत्त वित्तीय सहायता / साख का विश्लेषण (राशि लाख रू.में)

क्र.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		योग		औसत
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	
01	सीमांत कृषक	5,458.15	37.50	6,941.43	41.61	7,403.28	41.95	8,915.08	44.86	9,422.24	44.47	38,140.18	42.40	7,628.04
02	लघु कृषक	4,254.48	29.23	4,509.35	27.03	4,889.43	27.71	5,120.19	25.76	5,743.34	27.10	24,516.79	27.26	4,903.36
03	वृहद् कृषक	4,819.40	33.11	5,196.15	31.15	5,334.08	30.23	5,811.16	29.24	5,992.48	28.28	27,153.27	30.19	5,430.65
04	कृषि श्रमिक	11.12	0.08	16.40	0.10	11.03	0.06	15.23	0.08	18.24	0.09	72.02	0.08	14.40
05	अन्य व्यक्तियों	12.23	0.08	18.19	0.11	08.14	0.05	11.07	0.06	12.03	0.06	61.66	0.07	12.33
	योग	14,555.38	100.00	16,681.52	100.00	17,645.96	100.00	19,872.73	100.00	21,188.33	100.00	89,943.92	100.00	17,988.78

स्त्रोत : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, छिन्दवाड़ा

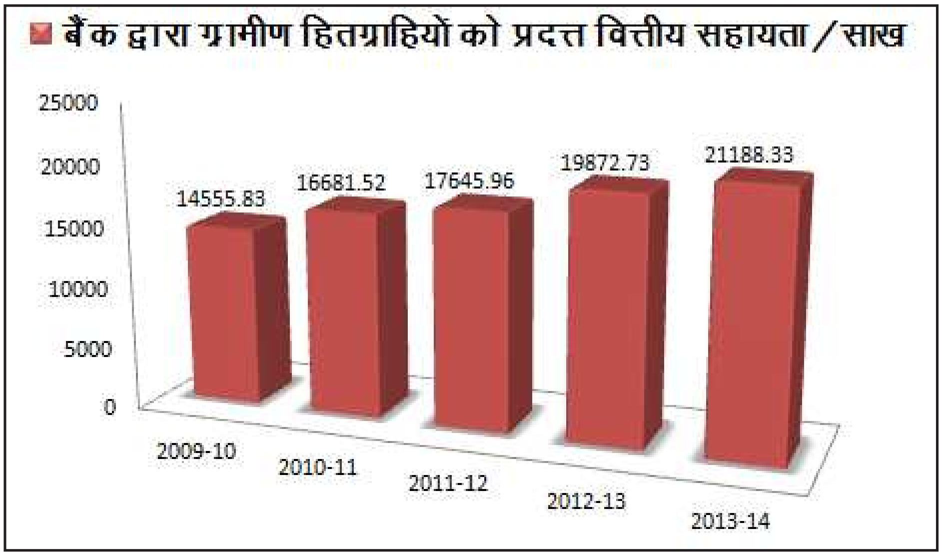
बैंक द्वारा ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदत्त वित्तीय सहायता/साख
25000
20000
15000
10000
5000
0
14555.83
16681.52
17645.96
19872.73
21188.33
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14

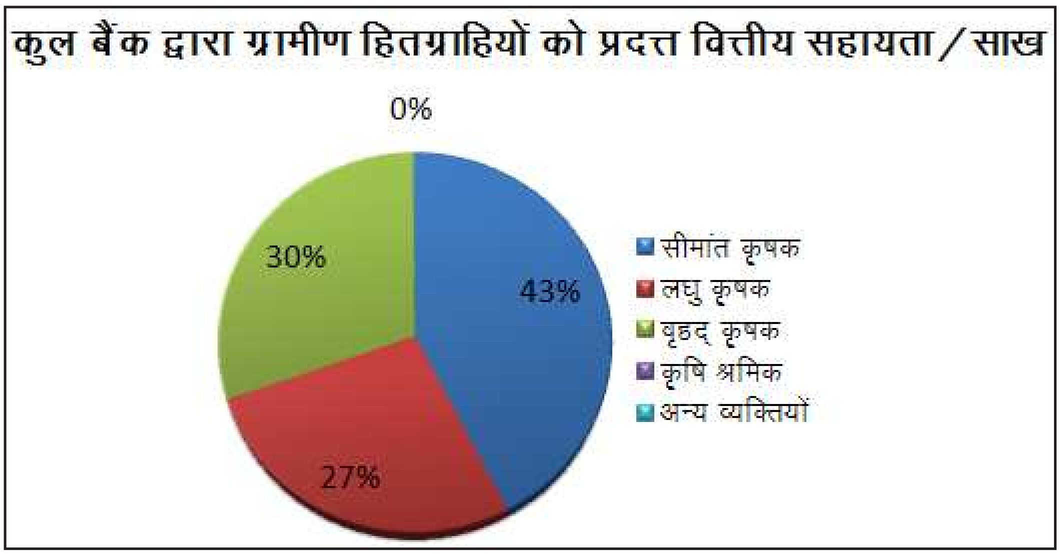
कुल बैंक द्वारा ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदत्त वित्तीय सहायता/साख
0%
30%
43%
27%
सीमांत कृषक
लघु कृषक
वृहद् कृषक
कृषि श्रमिक
अन्य व्यक्तियों

****

उद्यम कुटीर उद्योग में महिलाएँ

ज्योति बौरासी * डॉ. संग्राम भुषण **

प्रस्तावना – सिर्फ शहरी इलाकों में ही, ग्रामीण इलाकों में भी महिलाओं के करने लायक बहुत सारे कुटीर उद्योग हैं। गाँवों में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने के मकसद से सरकारे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे रही है।

महिलाएँ अब केवल रसोई घर तक सीमित नहीं है। वे घर में खाली नहीं बैठना चाहती है। उन्होंने अपने समय की कद्र करनी शुरू कर दी है। शायद यही वजह है कि घरों में रहने वाली महिलाओं को भी बहुत से कुटीर उद्योगों से खुद को जोड़ लिया है आज औरते घर बैठे ही मोमबत्ती, अगरबत्ती, फुल माला, बेट्री, बिंदी आदि बनाने का काम कर रही है। ऐसे उद्योगों में लगातार महिलाओ की रूची बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी महिलाओं का आँकड़ा कुटीर उद्योगों में अधिक बढ़ा है एक अंतरराष्ट्रीय संस्था, वीगों की रिपोर्ट बताती है कि भारत में तीन करोड़ अस्सी लाख घरेलु उद्योग श्रमीक है। इनमें से चालीस फीसदी महिलाए है। वीगों वहा संस्था है जो कुटीर उद्योगो से संबंधित खोज करती और नीतियाँ बनाती है।

यह सच है कि महिलाओं के हाथ में जब रोजगार आता है तब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति तो सुधरती ही है। मेहनत अधिक लगती है और मुनाफा कम होता है फिर भी महिलाये इस श्रम के लिए तैयार है। जिस छत पर रिया फुलों की माला बना रही है उसी छत पर मानसी बेट्री बनाने का काम करती है वे कहती है कि मुझे एक बेट्री बनाने को 50 रू मिलते है अगर एक दिन में 500 बेट्री बनाती हूँ तो 250 रू की आमदनी हो जाती है। यह पैसा बडी कंपनी से काम करने वाले साहब लोगों से बहुत कम लेकिन मुझे इतने से ही संतुष्टि है। काजल सुबह 10 बजे तक अपने घर का काम खत्म कर बेट्री बनाने में जुट जाती है यह सिलसिला शाम 07 बजे तक चलता हैं। इसके बाद रात का खाना बनाना और पूरे परिवार को खिलाना उन्ही की जिम्मेदारी है। मानसी का सपना है कि वे अपना घर खरीदे। वे कहती है कि बुंद बुंद से सागर भरता है। इसलिए उन्हें उम्मीद है कि एक दिन उनकी मेहनत रंग लायेगी। ऐसे उद्योग जिनमें सेवाओं और उत्पाद का निर्माण सामूहिक रूप से घर में ही होता है। कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते है। इसके लिए किसी कारखाने की जरूरत नहीं होती है। ये उद्योग स्वतंत्र होते है, ऐसे काम कई बार किसी कंपनी के साथ मिल कर भी किए जाते है। गाँधीजी ने महिलाओं के उत्थान के लिये उन्हें अपने अपने संचालक कार्यक्रमों में शामिल होने, सूत काटना, चरखा चलाना जैसे रचनात्मक कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही थी। ताकि महिलाए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो और देश के विकास और प्रगति में भागीरथ हो और देश के विकास और प्रगति से भागीदार बन सके। एक गैर सरकारी संस्था चलाने वाली नीलम बताती है कि अकसर जो महिलाए घरों में काम करती है। अव्वल तो उसके काम को परिजन टाईम पास समझ लेते है। जबकि यह सच नहीं है कि क्योंकि एक औरत जो भी कमा रही है वह घर की आय में जुडता है। नीलम बताती है कि हमारी संस्था पुराने कपड़े को दोबारा इस्तेमाल करके नया उत्पाद तैयार करती है। हम बैग, पाउच, थैले, मोबाईल कवर, पर्स जैसे सामान महिलाओं से तैयार करवाते है। हम यह काम बिना पैसे लिए करवाते है, जो भी उत्पाद महिलाए तैयार करती है वे उन्हें एक पीस के हिसाब से कीमत देती है।

इसी संस्था के साथ जुड़कर काम कर रही महिलाए बताती है कि उन्होंने यहाँ आकर सिलाई करना सीखा और अब वे आत्मनिर्भर है। महिलाए कहती है कि पति अगर रहता है और तीन बच्चियों की जिम्मेदरी मेरे ऊपर ही है वे बताती है कि शुरूआती में हाथ साफ करने के लिये मुझे मैडम ने छोटे छोटे कपडे सिलने के लिए दिए और आज मैं एकदम अच्छे से कपड़े सिल लेती हूँ। एक सुट को सिलने के मैं 250 रू लेती हूँ। और अगर दिन में 5 पीस भी बना देती हूँ तो मेरे घर का खर्चा आराम से चल जाता है। कुटीर उद्योगों मे अर्थ व्यवस्था को मुनाफा होता है यही वजह है कि सरकार ने भी इसे बढ़ावा देने के प्रयास किए है। राष्ट्रीय विकास की योजना बनाने और कार्यान्वित करने के लिये 1950 में योजना आयाोग गठन किया गया था। जिसने स्पष्ट किया कि लघु एवं कुटीर उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है। जिनकी कभी भी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। आजादी के बाद कुटीर उद्योगों के विकास के लिए अत्यधिक प्रयास किए गए। सन् 1948 मे देश में कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई। फिर कई औद्योगिक नितियाँ बनाई गई। जिनमें कुटीर उद्योगों को प्रमुख स्थान दिया गया। आज सकल घरेलु उत्पाद को बढ़ाने में कुटीर उद्योगों में महिलाओं की बडी भूमिका है।

सिर्फ शहरी इलाकों में न ही ग्रामीण इलाकों में भी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने मकसद से सरकारे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। बस जरूरत है, तो महिलाओं को उनके बारे में जानकारी हासिल करने उनमे अपने हनर का इस्तेमाल करने की। आप भी शुरू कर सकती है ऐसी महिलाए जो कम पढ़ी लिखी है या जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं है वे भी घर बैठे कई काम शुरू कर सकती है और खुद को स्वावलंबी बना सकती है। ऐसी महिलाये जिन्हें घर से बाहर काम के लिए जाने पर पाबंदी होती है उन्हे अकसर अपने पतियो के ताने सुनने पडते है। छोटी मोटी जरूरतों के लिये भी पति पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय सी बन जाती है।

बहुत सारी महिलाए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, जैसे काम में माहिर होती है। कुछ महिलाए खाना हुत अच्छा बनाती है, ऐसी महिलाए अपने हुनर के

* शोधार्थी (अर्थशास्त्र) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** निर्देशक (अर्थशास्त्र) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

बल पर खुद का कुटीर उद्योग शुरू कर अपनी आर्थिक स्थिति को आसानी से मजबूत कर खुद को स्वावलंबी बनाना चाहती है। तो अपनी रूचि को पहचानकर कुछ महिलाओं का समृद्ध बना कर यह काम बखुबी कर सकती है और तैयार माल को आस पास के बाजारों में या अपनी जान पहचान लोगों को बेच सकती है।

कुटीर उद्योगों का वर्गीकरण –

1. ग्रामीण कुटीर उद्योग
2. शहरी कुटीर उद्योग

ग्रामीण कुटीर उद्योग – वे है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाते है इन ग्रामीण कुटीर उद्योगों को पुन: दो भागो में बांट सकते है एक तो वे जो कृषि से संबंधित है तथा जिन्हें कृषकों द्धाा अपने सहायकत धंधे के रूप में चलाया जाना है। इसमे मुर्गी पालन, डेरी, चटाई बनाई, टोकरिया बनाना, रेषन के कीड़े पालना, रस्सी बनाना, आदि शामिल किए जाते है। दूसरे वे जो ग्रामीण कौशल के धंधे के रूप में अपनाये जाते है। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, चमड़े के जुते बनाना, धानी से तेल निकालना।

शहरी कुटीर उद्योग – वे है जो शहरी क्षेत्रों में मिट्टी या कागज के खिलौनें बनाना, कपड़ों पर कढ़ाई बनाना आदि शामिल किया जाता है।

ग्रामीण विकास बैंक लघु, कुटीर, ग्रामोद्योगों की सूची –

हस्तशिल्प –

1. **कलात्मक –** (कढ़ाई/जरी के कार्य सहित) ब्राकेडस, हिमसस और सॉलज कार्य गोटा पट्टा कार्य कढाई (सुती, रेशमी और ऊनी) किचन कार्य, नक्की गोटा, जरी और जर्दोजी सहित वेस कार्य, पिट्स हार फुल।
2. **चुड़ी और मनका –** ऑक्सीकृत, चुड़ी कंगन कृत्रिम मोती।
3. **बेत, बांय और फूस इत्यादि –** लकड़ी की कंघी, टोकरी बनाना ऑर्ट प्लेट का निर्माण।
4. **गलीचा –** नामघास, गुब्बारा, और परी मंखद रेशा (सिसल) कंबल आदि उन का कॉर्पेट कंबल और दरिया।
5. **मृतिका शिल्प –** मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन।
6. **शंख के कार्य –** शंख से बनी वस्तुए।
7. **फ्लेंक्स और रेशा –** फ्लेक्स और रेशा से बना बैग, चटाई, ट्रे जैसी वस्तुए।
8. **हाथ से छपाई –** फैलिको छपाई, कमलकारी, वाटिका रोगन सहित कपड़ों की परम्परागत रंगाई।
9. **आभूषण बहुमूल्य –** मध्यम मूल्य के और कृत्रिम पत्थर बहुमूल्य धातुओं के आभूषण नकली आभूषण लाल और कृत्रिम पत्थरों को काटना और पॉलिश करना।
10. **धातु के बर्तन –** चाँदी के बर्तन, कांस के बर्तन, जर्दोजी का कार्य, पीतल के बर्तन, हाथी दात पर नक्काशी, आसरन शैल और सींग का काम
11. **पत्थर कार्य –** पत्थर पर नक्काशी संगमरमर के कार्य सिलखडी।
12. **लकडी के कार्य –** लकडी पर नक्काशी, और जडाऊ का कार्य, निर्मल उभारदार कार्य, सजावटी फर्नीचर, स्लेट, फर्म खिलौना बनाना आदि सहित लकडी को मोडने का कार्य।

ग्रामोद्योग – बढ़ई का कार्य आरा मशीन व्हाईट वुड बनाना, लक्ड़ी के कार्य, फर्नीचर लकडी के जुडनार चिपेड़नल लुहार का कार्य, मधुमक्खी पालन, मधु और मधु उत्पाद, कुटीर माचिस, कुटीर निओ साबुन कुटीर ग्रामोद्योग हडडी खाद बीड़ी बनाना, झाडू बनाना, गोबर इत्यादि के खाद और मिथेन गैस का उत्पादन।

चमड़ा उद्योग – खाल उतारना, चर्म शोधन, जुता चप्पल बनाना, चर्मकार, चमडे की पौषाक, चपडे का कलात्मक/अंनुठी वस्तुए, बैंक रकम के थैला बटुए,घड़ी के किले, बेतर, साइकिल की सीट, केनवास थैले, बिस्तर बंद जैसे चमड़े के सामान उत्पाद।

बर्तन उद्योग – मिट्टी के बर्तन, सजावटी बर्तन, पोर्सलेन, चीनी मिट्टी के बर्तन, क्ले को स्पॉर्चे में ढालना, पत्थर के बर्तन, रानीगंज/मंगलूर टाईले कलात्मक अनूठे, ईंधन क्षम चुल्हे।

कागज के उत्पाद – टिश कागज, मोम के कागज, कागज के थैले, लिफाफे, कागज की प्लेटे, कागज के नेपकिन, टेलीप्रिंटर के रोल , टॉयलेट पेपर रोल, फाईल कवर, फाईल बोर्ड, लिखने का बार्ड, सजावटी कागज।

काँच – काँच के बर्तन बनाना, काँच के दर्पण, काँच की चुडिया, काँच का मनका, काँच की स्लाईडि।

रबर के सामान और संबंध उत्पाद – जुता चप्पल/स्पोटर्स, जुते, साइकल के टायर, ट्युब सर्जिकल दस्तान/लेटेक्स, रबड़ की नली, बिजली के तार, पेंट ब्रश कंघी टुथ ब्रश आदि।

कुटीर उद्योगों का उद्देश्य–

1. ग्रामीण महिलाओं को कुटीर उद्योगों से कितना लाभ प्राप्त हुआ महिलाओं की आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हुआ।
2. हाथकरघा क्षेत्र में कार्यरत बुनकर, सहकारी समितियों, स्व सहायता समृद्धों, उद्यमियों व्यक्तिगत बुनकरों एवं अशासकीय संस्थाओं से बुनकरों, शिल्पियों को आत्मनिर्भर बनानें के लिये प्रशिक्षण तकनीकि विपणन एवं कार्यशील पूंजी हेतु सहायता प्रदान करना।
3. **वित्तिय सहायता की मदे –**

3.1. प्रशिक्षण एवं करघो के लिये सहायता **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

कुटीर उद्योगों की आवश्यकता –

1. प्रशिक्षण।
2. बिक्री सुविधाएँ।
3. विशेष अविनियम बनाया जाए।
4. प्रर्दशनियों का विस्तार।
5. उत्पादन तकनीक में सुधार।
6. सहकारी समितियों का विकास।
7. वित्तिय सुविधाओं का विस्तार।
8. किस्म नियंत्रण।
9. अनुसंधान कार्यक्रम में समन्वयक।
10. सलाहकारी संस्थाओं का विस्तार होना चाहिए।

कुटीर उद्योगों की समस्याएँ –

1. कच्चे माल की समस्या।
2. वित की समस्या।
3. तकनीकि समस्या।
4. विक्रय समस्या।
5. कारीगरों का अशिक्षित होना।
6. प्रशिक्षण की व्यवस्था का अभाव।
7. संगठन का अभाव।

कुटीर उद्योगों की समस्याएँ –

1. विभिन्न निगमों, मण्डलों एवं बोर्ड की स्थापना।
2. वित्तिय सहायता।

3. तकनीकी सहायता।
4. ग्रामीण तकनीकी केन्द्रो की स्थापना।
5. करो में छूट।
6. विपणन सुविधाएँ।
7. ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाए।
8. लायसेसिंग में छूट।
9. सरकारी खरीद में प्राथमिकता।
10. प्रदर्शिनियों का आयोजन।
11. अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना।

निष्कर्ष – कुटीर उद्योग हमारे देश की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है कुटीर उद्योगों के जरिए महिलाओं को आत्म निर्भर होने का मौका मिला। कुटीर उद्योग से कम से कम पुंजी में हम अपना कार्य शुरू कर सकते है। कुटीर उद्योगों से हमारे आस पास का वातावरण काफी तक सुधर चुका है। महिलाओं ने कुटीर उद्योगो द्धारा अपना आर्थिक विकास किया। जिससे महिलाए पुरूषो के उपर निर्भर रहने की वजह खुद आत्म निर्भर बन सकी है। लघु एवं कुटीर उद्योगों से देश का आर्थिक विकास हो रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय ममता (मार्च 2008) कृषि कार्यो में महिलाओं की भूमिका कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका (पेज 21)
2. आर्थिक समीक्षा 2008-2009 भारत सरकार नई दिल्ली।
3. अर्थशास्त्र लघु एवं कुटीर उद्योग भारतीय योजना आयोग वर्मा.पी.एल।
4. जनसत्ता पब्लिकेशन 20018 पेज 42 फरवरी ।
5. कपूर प्रमीला - मेरीज एण्ड द वार्मिंग वुमन इन इंडिया विकास पब्लिकेशन दिल्ली 1970
6. आहुजा राम - भारतीय सामाजिक व्यवस्था रावत पब्लिकेशन जयपुर नई दिल्ली 1995
7. मगृबाल डॉ जी के - भारत में समाज 2003
8. कपूर प्रमीला - कामकाजी भारतीय नारी, राजपाल एण्ड संस नई दिल्ली 1976
9. व्होरा आशारानी -भारतीय नारी दशा दिशा ।

वित्तिय सहायता की मदे

3.1. प्रशिक्षण एवं करघो के लिए सहायता

क्र.	मदें	अवधि	सहायता राशि	विवरण
1	बुनियादी प्रशिक्षण	6 माह	78,000	10 हितग्राहियों के समृद्ध को
2	कौशल उन्नयन प्रशिक्षण	2 माह	2,27,850	10 हितग्राही के समृद्ध को
3	रंगाई प्रशिक्षण	15 दिवस	76,650	प्रति प्रशिक्षण सत्र 10 हितग्राही
4	डिजाईन डेव्हलपमेंट	1 माह	92,400	प्रति प्रशिक्षण सत्र 10 हितग्राही
5	उन्नत करघा (36 से 120)	-	1,200प्रतिकरघा	अधिकतम राशि का 50 प्रतिकर्घा
6	पैनकार्ड (120 से 600 तक) डाबी सहायक उपकरण	-	8,000प्रतिकरघा	आवेदक संस्था हितग्राही स्व. सहायक समृद्ध द्धारा जमा करने पर सहायक देय होगी।
7	रंगाई एवं प्रोसेसिंग उपकरण	-	5,000	

****

महिला उद्यमिता एवं सशक्तिकरण (छ.ग. राज्य के संदर्भ में)

डॉ. एस. के. शर्मा * नीति देवांगन **

प्रस्तावना – महिला उद्यमिता आज के युग की सबसे महत्वपूर्ण व क्रांतिकारी घटना है। 21वीं शताब्दी में महिलाएॅं एक शिक्षित, उद्यमशील, आत्मनिर्भर एवं अधिकार संपन्न महिला के रूप में बड़ी संख्या में परिलक्षित हो रही है तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समस्त क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता प्रदान कर रही है। अमेरिका, ईटली, कनाड़ा, ब्रिटेन, जर्मनी, आस्ट्रेलिया में महिला उद्यमियों ने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

भारत में महिला उद्यमिता एक नवीन घटना है। सृष्टि के प्रारंभ से ही महिलाएॅं मानवीय पूंजी निर्माण में प्रमुख योगदान करती रही है। अधिकांश विकासशील देशों में आज महिला उद्यमिता विकास के माध्यम से महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने पर बल दिया जा रहा है तथा लिंग समानता विकासशील देशों की रणनीति का प्रमुख उद्देश्य स्वीकार किया गया है। भूत पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शब्दों में – एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना एक पूर्व शर्त है। जब महिलाएॅं सशक्त होंगी तो समाज में स्थिरता निश्चित है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा द्वारा वर्ष 2000 में वैश्विक मानव विकास हेतु सहस्त्राब्दी के आठ लक्ष्य घोषित किए गए है जिनमें महिला सामानता व सशक्तिकरण को प्रोत्साहन एवं मातृत्व स्वास्थ्य सुधार, महिलाओं के विकास से संबंधित है। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि मानव विकास के लक्ष्य महिलाओं के विकास तथा सशक्तिकरण के साथ गहराई से गुंथे हुए है, जो एक स्वतंत्र समूह के रूप में भारत की कुल आबादी का लगभग 48.2 प्रतिशत हिस्सा बनाती है। महिलाएॅं एक मूल्यवान मानव संसाधन है और उनका सामाजिक व आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था की स्थायी वृद्धि के लिए अनिवार्य है।

गरीबी उन्मूलन के लिए सतत् एवं तीव्र विकास दर एक अत्यन्त प्रभावी मार्ग है। महिला उद्यमिता के माध्यम से लैंगिक समानता,ग्रामीण विकास एवं गरीबी का निराकरण संभव है। महिलाएँ उद्यमशीलता के माध्यम से ने केवल अपने पारिवारिक व सामाजिक स्तर में सुधार कर सकती है वरन् गरीबी निवारण एवं महिला सशक्तिकरण में सहभागिता प्रदान कर सहस्त्राब्दी के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। अत: उद्यमशीलता के माध्यम से गरीबी उन्मूलन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण विकल्प है।

सूक्ष्म , लघु उद्यम एवं महिला उद्यमिता – किसी भी देश की औद्योगिक संरचना में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विशेष महत्व होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था मे भी इस क्षेत्र ने अपनी विशिष्ट व निर्णायक भूमिका से देश के सर्वांगीण विकास में विविध आयाम प्रस्तुत किए है। लघु एवं कुटीर उद्योगों को देश के औद्योगिक उत्पादन में प्रतिवर्ष औसतन 38 प्रतिशत तथा घरेलु उत्पादन में 7.6 प्रतिशत की भागीदारी है।

भारत में कुल श्रमिक संख्या 397 मिलियन है, जिनमें 123.9 मिलियन महिलाएँ है। 106 मिलियन महिलाएॅं ग्रामीण श्रमिक एवं मात्र 19 मिलियन महिलाएॅं शहरी श्रमिक है। भारत की कुल श्रम शक्ति का 93 प्रतिशत असंगठित क्षेत्रों में संलग्न है। महिलाओं के संदर्भ में 96 प्रतिशत महिलाएॅं असंगठित क्षेत्रों में व केवल 04 प्रतिशत महिलाएॅं संगठित क्षेत्रों में कार्यरत है।

पुरूषों की तुलना में महिलाएॅं उद्यमिता के प्रति बहुत कम उन्मुख होती है। वैश्वित उद्यमिता मानीटर 2010 महिला रिपोर्ट के अनुसार 59 देशों की 104 मिलियन महिलाएॅं व्यवसाय एवं प्रबंध कार्यो में संलग्न है। जो कुल जनसंख्या का 52 प्रतिशत है तथा कुल वैश्विक उत्पादन के 64 प्रतिशत का योगदान करती है।

भारत में तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की उन्नति में महिला उद्यमिता के विकास में प्रेरक घटक का कार्य किया है। वैश्विक उद्यमिता मानीटर रिपोर्ट के अनुसार 12.63 प्रतिशत भारतीय महिलाएॅं उद्यमिता से जुड़ी हुई है।

लघु उद्योगों के सर्वेक्षण 1987-88 के अनुसार कुल लघु इकाईयों मे से 5.15 प्रतिशत इकाईयॉं महिला उद्यमियों द्वारा प्रबंधित तथा वे ही उसकी स्वामी थी। दूसरे न्यादर्शो सर्वेक्षण के अनुसार 7.69 लघु इकाईयॉं महिला उद्यमियों द्वारा प्रबंधित थी।

भारत एवं छत्तीसगढ़ में लघु उद्यम क्षेत्र में महिला उद्यमियों के विवरण को निम्न तालिका से समझ सकते है।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में महिला उद्यमियों का विवरण –

क्र	उद्यम	भारत	छत्तीसगढ़
1.	कुल लघु उद्यमों की संख्या	1563.97	22.77
2.	कुल महिला उद्यमियों की संख्या	514.65	2.09
3.	महिला प्रबंध वाले उद्यमों की संख्या	995.141	11.766
4.	महिला कर्मचारियों की संख्या	3317686	69783

अध्ययन का उददेश्य – छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उनके सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनेक गतिविधियॉं संचालित की जा रही है। राज्य में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक विकास संबंधी कार्यो को बढ़ावा देने तथा महिला स्वस्हायता समूहों के गठन सुदृढीकरण एवं उन्हें आर्थिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सुविधाएॅं उपलब्ध कराने के उददेश्य से छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन सन 2002 मे किया है। प्रस्तुत अध्ययन

* प्राचार्य पी.एन.एस. महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के.एम.टी. शासकीय कन्या महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) भारत

का उद्देश्य निम्न है –

1. राज्य में महिला उद्यमियों को शिक्षा एवं नवाचार के लिए प्रेरित करना।
2. महिला उद्यमियों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
3. महिला उद्यमियों की समस्याओं एवं बाधाओं का अध्ययन करना।
4. महिला उद्यगिता को प्रेरित करने वाले कारकों का अध्ययन।
5. राज्य में महिला उद्यमिता के विकास में सरकारी प्रयास एवं संस्थागत सहायता का अध्ययन करना।
6. महिला उद्यमिता के विकास हेतु उपयुक्त व संगत सुझावों को प्रस्तुत करना।

शोध परिकल्पना – परिकल्पना किसी कार्य को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न किए जाने हेतु किया जाने वाला पूर्व चिन्तन है। इसके आधार पर शोध कार्य को एक निश्चित दिशा दिया जाता है एवं संबंधित कार्य के परिणाम का भी पूर्वानुमान लगाया जाता है।

इस प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्न परिकल्पनाऍं निर्मित की गई है –

1. महिलाऍं आर्थिक कारणों से उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश करती है।
2. महिलाओं को शिक्षित किए जाने से धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है।
3. महिलाऍं आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने हेतु अग्रसन हो रही है।
4. कामकाजी महिलाऍं तुलनात्मक रूप से कम रूढ़ीवादी होती है।
5. महिला उद्यमिता के विकास हेतु किये जा रहे सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है।
6. महिला उद्यमियों को उद्यम संचालन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का चयन महिला उद्यमिता के विश्लेषणात्मक अध्ययन हेतु किया गया है ताकि राज्य में महिला उद्यमिता को प्रभावित करने वाले समस्त घटकों का विस्तार से अध्ययन किया जा सके।

प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक समकों पर आधारित है। गुणात्मक तथ्यों को भी परिणात्मक रूप से संचालित किया गया है।

शोध अध्ययन की उपयोगिता एवं उपादेयता – उद्यमिता किसी भी राष्ट्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया का एक आधारभूत तत्व है। आज पूरे विश्व में महिला उद्यमिता को सामाजिक व संधारणीय विकास के लिये आवश्यक घटक के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। महिला उद्यमिता के माध्यम से जहॉं एक ओर महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण होगा वहीं दूसरी ओर परिवार, सामाज व अंतत: राष्ट्र के निर्माण में भी सहयोग प्राप्त होगा।

लघु उद्योग क्षेत्र में महिला उद्यमिता के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर की अध्ययन किये जा चुके है, किन्तु छ.ग. राज्य में इसके संबंध में पर्याप्त अध्ययन नहीं हो पाया है। राज्य में विगत कुछ वर्षो से संसाधनों की प्रचुरता, बाजार मांग में वृद्धि तेजी से बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश एवं अनुकुल औद्योगिक परिदृश्य के कारण महिलाऍं तेजी से उद्यमिता की ओर उन्मुख हुई है। अत: इस शोध अध्ययन में राज्य के उद्यम क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता विकसित करने के लिए संसाधनों एवं संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है। जो राज्य की महिलाओं में उद्यागिता विकास के माध्यम से आर्थिक विकास एवं अन्तत: सहस्त्राब्दी के विकास लक्ष्य को प्राप्त करने मे उपयोगी सिद्ध होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. महिला विकास – रमा शर्मा – एम.के. मिश्रा अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
2. उद्यमिता– आर.सी. अग्रवाल एवं बी.पी.डी. पब्लिकेशन आगरा।
3. उद्यमिता विकास – डॉ.यू.सी. गुप्ता कैलाश पुस्तक सदन भोपाल।
4. ग्रामीण महिलाए योजनाऍं एवं विकास – संदीप सिंह – शशिका पब्लिशिंग हाऊस , जयपुर।
5. उद्यमिता एवं रोजगार कौशल – प्रभात राजतिवारी भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान गुजरात।
6. छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन।

****

व्यवसाय में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका

डॉ. भावना निगम *

प्रस्तावना – प्रस्तुत शोधपत्र में उज्जैन जिले की व्यवसाय में कार्यरत ग्रामीण महिलाओं की भूमिका पर विशेष रूप से अध्ययन किया गया है। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का समस्त भाग कार्यशील होता हैं एवं उसका एक निश्चित प्रतिशत वास्तविक रूप से काम में लगा होता हैं। इसे कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, कुछ जनसंख्या में कर्मशील जनसंख्या का अनुपात एक ही जिले में अलग-अलग समय पर अलग-अलग पाया जाता हैं क्योंकि यह अनुपात कई तथ्यों पर निर्भर करता है। जैसे जनसंख्या की वयमूलक रचना प्रत्याशित आयु कार्य के प्रति लोगों का दृष्टिकोण, रोजगार के अवसरों की उपलब्धि आदि-आदि।

जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना उसकी आर्थिक विशेषताओं को स्पष्ट करती हैं, इससे जिले की अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास के स्तर का ज्ञान होता हैं। प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक यही देखने में आता है कि पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं का व्यवसायिक प्रतिशत कम ही रहा है ग्रामीण महिलाओं में कई तरह के अंधविश्वास, रीति-रिवाज, सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश आदि के द्वारा पूरी तरह से प्रभावित होने के कारण वे व्यवसायिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाई हैं, पर वर्तमान समय में महिलाओं का प्रतिशत पहले से ज्यादा हो गया हैं गाँव से महिलाऐं शहरों की ओर तथा गाँव में ही कई तरह के व्यवसायों को करते हुए अन्य महिलाओं को भी जागरूक करती हैं।

व्यावसायिक संरचना अनेकों अंतर्सम्बन्धित कारकों का परिणाम होती है। यह संरचना भौतिक संसाधनों की भिन्नता तथा प्रकृति मानव के विभिन्न व्यवसायों को जन्म देती हैं। जब किसी जिले में उपलब्ध संसाधनों का व्यवसायिक स्तर पर उपभोग होने लगता है, तो उस जिले में व्यवसायों की विविधता होने लगती हैं।

व्यवसायों की विविधता को औद्योगिकरण प्रक्रिया से और अधिक बल मिलता हैं। विज्ञान एवं तकनीक में विकास होने से व्यवसायों में विशिष्टीकरण का तत्व आने लगता है। जिससे अतिविशिष्ट प्रकार के नवीन व्यवसाय विकसित होने लगते है। व्यवसायिक स्तर औद्योगिकरण एवं विशिष्टीकरण जैसे सभी विकास मिलकर एक नवीन नगरीय संस्कृत को जन्म देते है।

वर्तमान में उज्जैन जिले में व्यापार, उद्योग एवं पेशेवर सेवाओं में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। दुकानों, कारखानों, पेशेवर संस्थाओं एवं व्यवसायिक संगठनों में महिलाओं का योगदान तथा सक्रियता बढ़ी हैं व्यवसायिक क्षेत्रों में सभाओं, निर्णयों तथा व्यापारिक क्रियान्वयन में महिलाएँ सफलता के साथ शीर्ष पर हैं। परिणाम स्वरूप महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनेतिक क्षेत्रों में वर्चस्व बढ़ता जा रहा हैं।

व्यावसायिक क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी अहम् हैं, परंतु महिलाओं में शिक्षा का स्तर निम्न हैं साथ ही यहाँ औद्योगिक कार्यो हेतु आवश्यक प्रौद्योगिक प्रशिक्षण और पूँजी का अभाव हैं। यहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था भी कृषि और औद्योगिक कार्यो में महिलाओं की भागीदारी को हतोत्साहित करती हैं। ग्रामीण महिलाओं की सृजनात्मक शक्ति, घुटन, अकेलापन व निराशा होने के बावजुद भी महिलाओं में अपना कार्य करने की इच्छा प्रबल है। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही महिलाएँ अपने व्यवसाय को चुनती हैं। उज्जैन जिले की व्यवसायिक संरचना का तुलनात्मक अध्ययन हम निम्नलिखित तालिका से समझते है।

'उज्जैन जिले की व्यवसायिक संरचना का तुलनात्मक अध्ययन' **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

प्राप्त तालिका के आंकड़ों के अनुसार हम यह कह सकते है, कि वर्ष दर वर्ष स्थिति में सुधार हुआ है, जहॉ घट्टिया तहसील में वर्ष 2001 से 2011 के मध्य खेतिहर मजदूर और पारिवारिक उद्योग की स्थिति में विशेष सुधार हुआ वहीं कृषि के क्षेत्र में इन दस वर्षो में खाचरौद तहसील ने अच्छी उन्नति कर ली है। बड़नगर तहसील अवश्य पारिवारिक उद्योगों में अपेक्षित उन्नति नहीं कर सका और तराना तहसील भी कृषि के क्षेत्र में कुछ अधिक स्थिति में नहीं आ पाई क्योंकि गाँवो में कमी आई 2'गांवों में, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार की कमी के कारण भारत में ग्रामीण महिला श्रमिक सहभागिता दर में कमी आयी है, इस प्रकार कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में कमी आयी है।'2 खेतिहर मजदूर अवश्य बडे ़हर तहसील में आकड़ा बहुत अधिक अच्छे था अधिक पिछड़े हुए नहीं रहे। 2001 से 2011 की तुलना के परिणामस्वरूप हम यह कह सकते की ग्रामीण महिलाओं के में कोई बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ या बहुत सालों से सामान्य स्थिति बनी हुई है

सरकार ने ग्रामीण रोजगार के लिए कई योजनाएँ बनाई हैं परंतु फिर भी कई समस्याएँ उनके सामने आती हैं। इन समस्याओं का कारण एक तो महिला और दूसरा गरीबी। और साथ ही साथ अशिक्षा और तकनीक व संसाधन की कमी के साथ और समस्याएँ भी है

वे समस्याएँ निम्न है-

1. अशिक्षा
2. कच्चे माल की समस्या।
3. पूँजी का अभाव।
4. तकनीकी का अभाव।
5. प्रशिक्षण का अभाव।
6. कुशलता व प्रबन्धन की समस्या।
7. प्रतिस्पर्धा की समस्या।

*अतिथि विद्वान, 33, मिग पटेल नगर, उज्जैन (म.प्र.) भारत

8. मूलभूत सुविधाओं का अभाव।
9. पारिवारिक समस्या।
10. निर्णय लेने की क्षमता की समस्या।
11. पुरूषों की दोहरी मानसिकता।

इस प्रकार की कई समस्याएँ हैं, जो ग्रामीण महिलाओं को आगे बढ़ने से निरंतर रोकती ही रहती हैं।

सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने के लिए योजनाएँ बनाई गई है।

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।
2. ग्रामीण उद्योग समूहों के प्रचार कार्यक्रम।
3. कृषि क्लीनिक और कृषि व्यापार केंद्र योजना।
4. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
5. न्यूनतम मजदूरी दर, जिलाधीश द्वारा स्वीकृता।'

इस प्रकार कई योजना चलाकर सरकार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण महिलाओं को व्यवसायिक क्षेत्र में सहायता करती हैं।

हम कह सकते हैं की जो ग्रामीण युवा महिलाएँ साक्षर हैं, वे अब जागरूक हो रही हैं। रोजगार मिलने पर किसी भी क्षेत्र चाहे वह सरकारी, निजी, या स्वरोजगार के क्षेत्र में कार्य करने की इच्छुक हैं। महिलाओं के सामने आनेवाली समस्याओं को दूर करते हुए यदि उन्हें रोजगार परक शिक्षा दी जाए, इनमें चेतना व विश्वास पैदा किया जाए, पुरूष प्रधान की सोच में परिवर्तन लाया जाए तथा महिला सहभागिता के विचार को व्यवहार में लाया जाए तो अपने जिले में आने वाली बेरोजगारी को कम करने में सार्थक सिद्ध होगी लेकिन आज भी महिलाओं की स्थिति सन्तोषजनक नहीं हैं।

अन्त में हम कह सकते हैं की महिलाओं के विकास के बिना किसी समाज का पूर्ण विकास संभव नहीं हैं। नारी सहभागिता के बिना ग्रामीण व्यावसायिक विकास का स्वप्न अधूरा है। आज नारी की स्थिति बहुत अच्छी भी नहीं तो बहुत खराब भी नहीं है। परिवर्तन सत्त क्रियाशील है जिससे अवष्य सुधार होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जयश्री सेन गुप्ता - लेखिका - क्यों है महिलाओं का सशक्तिकरण आलेख से साभार।
2. जनगणना पुस्तिका वर्ष 2001,2011 - जिला साक्षरता कार्यालय उज्जैन प्रकाशन।
3. मध्यप्रेदश रोजगार योजना वेवपोर्टल - से साभार।

'उज्जैन जिले की व्यवसायिक संरचना का तुलनात्मक अध्ययन'

तहसील कृषक खेतिहर मजदूर पारिवारिक उद्योग

क्र.	वर्ष	2001	2011	2001	2011	2001	2011
1.	खाचरौद	35.34	47.21	46.66	47.87	36.03	3.93
2.	महिदपूर	20.19	41.21	48.20	55.23	30.01	2.78
3.	घटिया	25.57	34.01	49.09	57.46	26.86	6.63
4.	तराना	20.63	28.72	48.23	64.89	22.81	4.73
5.	उज्जैन	21.38	28.75	44.42	56.95	30.31	12.61
6.	बड़नगर	29.36	47.02	47.83	48.90	26.73	3.33
7.	नागदा	34.58		47.45		18.09	

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) October to December 2019, Vol. I

ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एवं रोजगार के अवसर

ज्योति बौरासी *

प्रस्तावना – महिला सशक्तिकरण के संबंध में आफिस ऑफ द युनाइटेड महिला सशक्तिकरण के संबधं में ऑफिस ऑफ द युनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइटस का कहना है कि 'यह औरतों को शक्ति, क्षमता तथा काबिलियत देता है ताकि वे अपने जीवन स्तर को सुधार कर अपने जीवन की दिशा को स्वयं निर्धारित कर सके। अर्थात् यह वह प्रक्रिया है जो महिलाओं को सत्ता की कार्यशैली समझने की न केवल समझ दें अपितु साथ ही साथ सत्ता के स्त्रोतों पर नियंत्रण कर सकने की क्षमता प्रदान करें। गांधी ने कहा है : 'स्त्रियों के साथ अपने व्यवहार और बर्ताव में पुरूषों ने इस सत्य को पुरी तरह से पहचाना नहीं है। स्त्री को अपना मित्र या साथी मानने के बदले पुरूषों ने अपने को क्यों उसका स्वामी माना है। महिलाओं की स्थिति की विवेचना करने के लिए तत्कालीन सरकार ने 22 सितम्बर 1971 को एक समिति का गठन किया। 'टुवाड्र्स इक्वालिटि' शीर्षक से 1974 में प्रकाशित इस समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि 'संस्थागत तौर पर सबसे बड़ी अल्पसंख्यक होने के बावजुद राजनीति पर महिलाओं का असर नाममात्र है। महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए संविधान में संशोधन के माध्यम से ऐसा किया भी।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान महिला सशक्तिकरण तथा निर्णय प्रक्रिया में उनकी सहभागिता में वृद्धि की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। महिलाओं के सरपंच बनने में यह समझा गया है कि महिलाएं सशक्त हुई है लेकिन तस्वीर कुछ अलग ही है अनेक स्थानों पर महिला सरपंच के स्थान पर उसके पति का आदेश चलता है, महिला तो सिर्फ नाम की सरपंच होती है। इस अध्ययन में महिला सशक्तिकरण के 32 चुनिंदा प्रतिमानों और भारतीय राज्यों के सामाजिक, आर्थिक विकास के प्रतिमानों का उपयोग किया गया है। परंतु इस की जटिलता और बहुआयामी चरित्र को देखते हुए ऐसे अन्य कारक भी हो सकते है जो महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव डालते ही इस अध्ययन के कुछ निष्कर्ष अन्य सर्वेक्षणों तथा भारतीय राज्यों में महिला सशक्तिकरण की प्रचलित धारणाओं से भिन्न भी हो सकते है।

महिला नेतृत्व को तभी बल मिलता है जब उन्हें आरक्षण प्राप्त हो। महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक के विरोध में आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि महिलाओं के लिए राजनीति के दांव पेजों को समझना मुश्किल है क्योंकि महिला का जीवन घर-परिवार में ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए राजनीति जैसे गूढ़ विषय को समझना एवं नेतृत्व की क्षमता को विकसित करना महिलाओं के वश की बात नहीं है। राजनीति में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख बाधाओ में एक है। राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों को राजनीतिकरण भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन संगठन की संस्थापक नाईस हुस्न का मानना है कि महिलाओं के मुद्दें सभी वर्ग में एक से है चाहें वह मुस्लिम हो, हिन्दु हो या किसी और वर्ग की हो।

महिला की स्वास्थ्य की स्थिति उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक, शारीरिक दशाओं पर निर्भर करती है। भारतीय समाज में महिला स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले नकारात्मक सामाजिक मापदण्ड विद्यमान है। विशेषकर महिला द्वारा सब को भोजन कराने के बाद भोजन करना, लड़के और लड़की के खान-पान में अंतर रखना, परिवार में महिला के द्वारा अपेक्षित भूमिका प्रतिमान, विवाह की आयु, जनन क्षमता की दर इत्यादि।

भारत में ग्रामीण महिलाओं की हालत और भी ज्यादा खराब है। भारत में हर साल पैदा होने वाली एक करोड़ 40 लाख लड़कियों में 25 प्रतिशत उम्र के 15 वर्ष भी पूरे नहीं करती हैं। हर चार में से एक लड़की की शादी 15 वर्ष की उम्र से पहले हो जाती है। 50 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ छोटी उम्र (20 वर्ष से पूर्व) में ही मां बन जाती हैं। 85 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में खून की कमी होती है। गांवों में पैदा होने वाले 70 प्रतिशत बच्चों का जन्म बिना किसी चिकित्सा सुविधा के होता है। खून की कमी या रक्त बहाव से 40 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की जान चली जाती है।

केन्द्रीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा समय के उपयोग पर की गई गणना के मुताबिक सप्ताह में औसत भारतीय पुरूष घर के कामों व देख रेख में 3.6 घण्टे देते हैं जबकि महिलाएँ 34.6 घण्टे काम (घरेलू काम) करती है।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का महिला शिक्षा की दृष्टि से 116 वां स्थान है। सन् 2001 की जनगणना के मुताबिक 65.38 प्रतिशत कुल साक्षरता में 75.85 प्रतिशत पुरूष व 54.16 प्रतिशत स्त्रियाँ शिक्षित हैं। 2001-02 में छात्राओं का कक्षा एक से दस के मध्य पढ़ाई छोड़ने का प्रतिशत 68 पाया गया। जबकि पुरूषों का पढ़ाई छोड़ने का प्रतिशत 64 प्रतिशत था।

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण – असमानता पर आधारित लैंगिक संबंधों में परिवर्तन के लिए वर्तमान वैश्विक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था में संज्ञा व शक्ति के मुख्य केन्द्र बिन्दुओं यथा राज्य, बाजार व नागरिक समाज का नेतृत्व महिलाएँ संभाले। राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से नीति निर्माण व क्रियान्वयन की प्रक्रिया में यदि स्वयं महिला सम्मिलित होगी तो महिला समानता की दिशा में कारगर पहल होगी। इस दिशा में 1993 का 73वां संविधान संशोधन क्रांतिकारी कदम है जिसमें ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की नीति को स्वीकार किया गया। पांरपरिक श्रम विभाजन, अशिक्षा, निश्चित लैंगिक भूमिकाओं का निर्वाह आदि अनेक ऐसी बाध्यताएँ हैं जिनकी वजह से महिला की राजनीतिक सक्रियता मे अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाती।

* शोधार्थी (अर्थशास्त्र) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

महिलाएँ व आर्थिक सशक्तिकरण - समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया बहुकारकों का परिणाम होती हैं। आर्थिक क्रियाऐं सामाजिक क्रियाओं का एक अंग होती हैं। अत: महिला सशक्तिकरण को बगैर महिला की आर्थिक सहभागिता के नहीं समझा जा सकता। अमर्त्यसेन ने विकास और स्वतंत्रता को सशक्तिकरण का आधार माना है वहीं कबीर ने अयोग्यता से रूचि पर आधारित कार्य की योग्यता की पहुँच को सशक्तिकरण का आधार माना है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाऐं बहुत पीछे हैं। अत: स्त्री पुरूष भेद की विभाजित मानसिकता घर से बाहर समाज में भी है। असंगठित क्षेत्र में स्त्री और पुरूष के वेतन में अंतर पाया जाता है। संगठित क्षेत्र में रोजगार में संलग्न स्त्री पुरूष की तुलना में बहुत कम पदों पर आसीन हैं। 2002 के आंकड़ों के मुताबिक केन्द्र सरकार के पदों पर कुल 8.15 प्रतिशत महिलाएँ कार्यरत् हैं जबकि राज्य सरकार की निर्धारित सेवाओं में कुल 19.80 प्रतिशत महिलाऐं कार्यरत् हैं। स्थानीय निकायों में कुल 26.15 प्रतिशत महिलाऐं कार्यरत् हैं। कुल श्रम शक्ति का मात्र 18 प्रतिशत ही महिलाकर्मियों का है। ज्यादातर महिलाऐं कृषि क्षेत्र में कार्यरत् हैं। नियोजन काल में महिला रोजगार के क्षेत्र में अभिवृद्धि हेतु नवाचारी प्रयोग 9वीं योजना (1997-2002) स्वयं सहायता समूह गठन के माध्यम से प्रारंभ किया गया।

महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने कुछ उचित सुझाव इस प्रकार है -

1. सर्वप्रथम, शिक्षा व्यक्ति की सर्वांगीण उन्नति में सहायक होती है। अत: महिला में शिक्षा को ग्रहण करने की अनिवार्यता को तय करना आवश्यक है। शिक्षा का रास्ता महज साक्षर होने तक न होकर आवश्यक ज्ञात प्राप्ति तक हो, इस हेतु सरकारी, गैर सरकारी स्तर पर व परिवार में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
2. शिक्षा का उच्च स्तर रोजगारपरक शिक्षा, तकनीकी ज्ञान के साथ ही फैशन डिजाइनिंग डेकोरेशन, क्राफ्ट, कम्प्यूटर से संबंधित ज्ञान पर आधारित हो, ताकि आवश्यकता पड़ने पर महिलाऐं छोटे स्तर पर, घर पर भी कार्य करके आत्मनिर्भर हो सके।
3. उद्यमिता का प्रशिक्षण शिक्षा के समानांतर होना भी आवश्यक है।
4. पारिवारिक कार्यो में श्रम विभाजन के परम्परागत रवैये में वैचारिक परिवर्तन लाना आवश्यक होगा। मीडिया व पाठ्यक्रमों में जेण्डर के सामाजिक कारकों से संबंधित जानकारी का प्रचार-प्रसार होना चाहिए ताकि महिला अपनी स्थिति के बारे में जागरूक हो सके।
5. महिला से संबंधित स्वयं सेवी संस्थाओं को अपने क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर महिला मंच का कार्यक्रम रखना चाहिए जिससे महिलाएँ घर से निकलकर सामूहिक शक्ति में अपनी पहचान बना सके।
6. महिला नीति व महिला सुरक्षा से संबंधित सरकारी निर्देश सभी विभागों में अनिवार्य रूप से भेजे जाना चाहिये।
7. महिला और पुरूष को मिलने वाले पारिश्रमिक का आकस्मिक निरीक्षण कर प्रशासन को उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना सुनिश्चित करना चाहिए।
8. स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्यो को और प्रभावी बनाकर स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और महिला स्वास्थ्य पर रणनीतिक प्रयासों की आवश्यकता है। क्योंकि सर्वेक्षण के मुताबिक जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, नसे विदित होता है कि भारत में महिला स्वास्थ्य की स्थिति में स्वच्छता, पोषण, टीकाकरण आदि की सुविधा प्राथमिक स्तर पर उपलब्ध होने के बाद भी उसकी जानकारी के अभाव में सुधार की अपेक्षा है।
9. महिलाओं द्वारा उत्पादित माल को उचित मार्गदर्शन में बाजार से जोड़कर उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।
10. लघु बचतों को प्रोत्साहन देकर उन्हें स्वयं सहायता समूह की अवधारणा से व्यापक आधार पर परिचित कराना चाहिए।

निष्कर्ष - स्त्रियों का सामाजिक, राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधित्व, दक्षता में अभिवृद्धि, सामाजिक सुरक्षा को प्राप्ति को हासिल करके उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। स्त्रियों का सशक्तिकरण उन्हें क्षितिज दिखाने का प्रयास है जिसमें वे नई क्षमताओं को प्राप्त कर स्वयं को नये तरीके से देखेंगी, घरेलू शक्ति संबंधो का बेहतर समायोजन करेंगी और घर एवं पर्यावरण में स्वायत्ता की अनुभूति करेंगी। लैंगिक असमानता करेंगी और घर एवं पर्यावरण में स्वायत्तता की अनुभूति करेगी। लौगिक असमानता, दहेज, सामाजिक मान्यता एवं समुचित शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कुछ पहलुओं की दिशा में प्रयास करके ही महिला सशक्तिकरण किया जा सकता है। सशक्तिकरण की गतिविधियों के द्धारा नारी समाज के नव जागरण और कल्याण की ठोस शुरूआत की जानी है। महिला सबलीकरण आधुनिक जीवन में सामाजिक न्याय की जड़ों को मजबूत करता है। समाज के रवैये में बुनियादी परिवर्तन लाकर महिलाओं के विवेक, सामर्थ्य एवं योग्यताओं को मिलने वाली चुनौतियों के बीच उन्हें प्रोत्साहित करना है। अपनी क्षमताओं को पहचान कर और उन्हें काम में लाकर व्यवहार में परिणित करना जिससे वे समाज के उत्थान में योगदान कर सकती है। महिलाओं का सशक्तिकरण एक लगातार चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है, इसका मूल उद्देश्य यह हे कि हाशिये के लोगों को मुख्यधारा में लाया जा सकें और सत्ता-संरचना में भागीदार बनाया जा सकें। आज भारतीय महिलाओं ने देश दुनिया के विभिन्न क्षेत्र में अपना सम्मानित स्थान बनाया है। आज महिलाऐं बेहतर रोजगार के लिये दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिऐ तैयार हैं आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो। राष्ट्र के विकास की अग्रदूत बनी महिलाओं द्धारा देश ही नहीं वरन् विदेशों में भी अपने राष्ट्र का परचम लहराया।

महिला सशक्तिकरण में महिलाओं को एक सर्व उच्च स्तर प्राप्त हुआ है जिसके कारण महिलाए घर के निर्णय लेने के साथ साथ बाहर के निर्णय लेने में सभी सक्षम हो सकी है। इसके साथ महिलाओं में अपनी समस्याओं को खुलकर सामने रखा। महिलाओं में उच्च शिक्षा के साथ साथ राजनीति रोजगार में अपना एक अलग ही स्थान स्थापित किया है। बस जरूरत है तों उचित मार्ग दर्शन की। जो महिलाओं को समय समय पर सरकार द्धारा दिया जाना चाहिए। जिससे महिलाओं का एक नया रूप सामने आया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गुप्ता, अंजली, (मार्च 2008), 'महिलाओं की स्थिति पर वैश्वीकरण का प्रभाव', कुरूक्षेत्र, मासिक पत्रिका, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, पेज 07।
2. वैरवा एस.एल., (मार्च 2008), 'आर्थिक विकास में महिलाओं का योगदान', कुरूक्षेत्र, मासिक पत्रिका, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, पेज 16।
3. भारती ममता, (मार्च 2008), 'कृषि कार्यो में महिलाओं की भूमिका', कुरुक्षेत्र, मासिक पत्रिका, पेज -11।
4. पाठक इन्दु, (मार्च 2007), 'राजनीतिक सहभागिता एवं महिला सशक्तिकरण', कुरूक्षेत्र, मासिक पत्रिका, पेज 26।
5. पारसन्स, टॉलकाट एण्ड बेल्स, राबर्ट, फेमिली, सोशलाइजेशन एण्ड

द इण्टरेक्शन प्रोसेस, रूटलेज, लंदन, 1956,पृ.45।

6. खेतान, प्रभा, नारी विमश की वास्तविक जमीन, वसुधा प्रगतिशील प्रकाशन, भोपाल, 2005, पृ. 88
7. एंजेल्स, एफ, द ओरिजीन ऑफ द फेमिली, प्रायवेट प्रापर्टी एण्ड दी स्टेट, प्रोग्रेस, मास्को, 1948
8. ऑकले, एन. द सोशियोलॉजी ऑफ हाउस वर्क, मार्टिन राबर्टसन्, लंदन, 1974 पृ.85
9. मीड, मारग्रेट, सेक्स एण्ड टेम्परामेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसायटी, विलियम मोरो कं, न्यूयार्क, 1935 पृ. 27
10. फोग्सी, मातृ सुरक्षा एवं बेटी बचाओं बेटी पढ़ाया : फोग्सी भारत जागृति अभियान यात्रा के अंश, मुम्बई 2008।
11. कुमार प्रमीला 2006 म.प्र. एक भौगोलिक अध्ययन म.प्र. हिन्दी ग्रंथ एकादमी भोपाल पृ. 48
12. दुबे माधवी 2008 भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली पृ. 49-59
13. रस्तोगी अल्फा (2004) महिलाए जीवन अधिकार एवं सामाजिक दशाऐं कुरूक्षेत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली पृ. 27-29
14. आर्थिक समिक्षा 2008 - 2009 भारत सरकार नई दिल्ली।

****

साहित्य और निर्माणपरक दायित्व

डॉ. अमोल मांजरेकर *

प्रस्तावना – साहित्य कोई भी हो उसमें राष्ट्र निर्माण और क्षतिग्रस्त होते मानवीय मूल्यों को जीवित रखने का महती दायित्व होता है। समय चाहे कोई भी हो वैचारिक और बौद्धिक जागरूकता बनाए रखना साहित्य का ही दायित्व है। साहित्य चाहें कोई भी हो हिन्दी, मराठी,संस्कृत राष्ट्र निर्माण को मानवीय नियति की पृष्ठभूमि में समझना श्रेयस्कर होता है। तभी संभव हो पाता है कि हम उस उच्चकोटि के राष्ट्रीय साहित्य का निर्माण कर सके, जो मानव मात्र की संवेदनाओं को स्पर्श कर सके।

जब हम मानव मूल्य और संवेदनाओं की बात करते है तो हमारा तात्पर्य क्या है, यह समझ लेना आवश्यक है। अपनी परिस्थितियां इतिहास – क्रम और काल प्रभाव के संदर्भ में मनुष्य की स्थिति क्या है और महत्व क्या है– वास्तविक समस्या इस बिंदु से उठती है। इस निखिल सृष्टि और इतिहास क्रम का नियंता किसी मानवापरि अलौकिक सत्ता को माना जाता था। समस्त मूल्यों का स्तोत्र वही था और मनुष्य कि एकमात्र सार्थकता यही थी कि वह अधिक से अधिक उस सत्ता से तादात्म्य स्थापित करने की चेष्टा करे।

ज्यों – ज्यों हम आधुनिक युग में प्रवेश करते गये त्यों– त्यों इस मानवोपरि सत्ता का अवमूल्यन होता गया। मनुष्य की गरिमा का नये स्तर पर उदय हुआ और माने जाने लगा कि मनुष्य अपने में स्वत: सार्थक और मूल्यवान है।वह आंतरिक शक्त्यिों से संपन्न चेतन स्तर पर अपनी नियति के निर्माण के लिए निर्णय लेना वाला प्राणी है।

साहित्य मनुष्य का ही कृतित्व है और मानवीय चेतना के बहुविध प्रत्यंतरो में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रत्युत्तर है। साहित्य के बहुत से पक्षो को या आयामों को केवल तभी बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है जब हम उन्हे मानव मूल्यों के संदर्भ मे समझने की व देखने की चेष्टा करें।

साहित्य की चिंतन धारा हमेशा एक सी नहीं रहती। साहित्यकार अपने युगीन परिवेश और संवेदना से प्रभावित होकर जीवन और जगत के विविध रूपों और प्रवृतियों को रूपायित करता है।मानव मात्र की संवेदनाओं को भुलाकर केवल अपना राष्ट्र, अपनी जाति, अपनी परंपरा की बात साहित्य मे नही होना चाहिए। राष्ट्र निर्माण एवं समाज निर्माण के मौलिक प्रतिमान को नही भुलाया जाना चाहिए। जैनेन्द्र से किसी ने पूछा था– 'आज भारत में साहित्कार का क्या दायित्व होना चाहिए ?' जैनेन्द्र से अपनी विलक्षण शैली में उत्तर दिया– 'भारत में इसके क्या मानी ? साहित्कार का दायित्व भारत में कुछ और होना चाहिए, भारत के बाहर कुछ और, यह बात तो समझ मे नही आती।'

साहित्य में मानव कल्याण की भावना निहित होना उसके उच्चकोटि के होने का प्रतीक है, यही से उसका निर्माण परक दायित्व आरंभ होता है। साहित्य में वैश्विक विचार कल्पना का आधारभूत एवं अप्रतिम सत्य यह है कि वह भूमण्डल पर उपस्थित सभी की मंगलकामना करता है। इस प्रार्थना का सादृश क्या विश्व भर में कोई भी दे सकता है, जिसमें वह कहता है–

सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कषिचद् दु:खं आप्नुवेत्।।

अर्थात सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सभी आनंदपूर्वक अच्छा देखें, किसी को लेशमात्र भी कष्ट न हो। महर्षि दयानंद का मानना है कि 'सर्वे भवन्तु सुखिन:' कोई कामना नही वरन् ईश्वरीय निर्देश है कि सबसे सुखी वही व्यक्ति होगा जो अपना सम्पूर्ण जीवन दूसरों को सुखी देखने में लगा देता है।

साहित्कार चाहे कोई हो कवि हो, संत हो, विचारक हो प्राचीन या अर्वाचीन, साहित्य में सर्व हिताय की मूलभूत भावना होना चाहिए। समय–समय पर श्रेष्ठ चिन्तनकारों, कवियों, संतो ने इन संवेदनाओं को जागृत रखते हुए अपने दायित्वों का निर्वाह कर साहित्य का निर्माण किया है।

मानवीय चिंतन में अनेक विविधताएं तथा विपरीत जैसी दिखने वाली दर्शनधाराएं होती हैं, जिससे मानवीय सहिष्णुता कुंठित होती है। साहित्य का सहज दायित्व है कि वह कठोरता व असहिष्णुता को दूर कर उसे सुद्रढ़ सहज सरलता में बदलकर सभी का एक दूसरे के प्रति सम्मान निर्मित करने का कार्य करे। सहिष्णुता विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म है जो प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है। यही संदेश साहित्य को अपने में समाहित किए हुए होना चाहिए। साहित्य में विश्वव्यापी मानवीय चेतना को जागृत रखने का निर्माण परक दायित्व होना चाहिए। साहित्कार को अपने इस दायित्व का निर्वाह करने के लिए व्यापक धरातल को आत्मसात करना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. मानव मूल्य और साहित्य– डॉ धर्मवीर भारती, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन नई दिल्ली।
2. साहित्य और संस्कृति कुछ चिंतन– डॉ उपेन्द्र ठाकुर , वाई. के . पब्लिशर्स शाहगंज आगरा।
3. भारत की संत परम्परा और सामाजिक समरसता– कृष्णगोपाल, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल।
4. शोधदर्शन मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च जनरल, चंद्रशेखर आजाद शास. स्नात. अग्रणी महाविद्यालय सीहोर म.प्र.।

* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

Dandanacha - The Dance Form Of Belief Of Ganjam (Odisha)

Mr. Kartikeswar Patro*

Abstract - This article describes the religious folk dance of Ganjam district of Odisha. Danda Nacha is a unity among the people. It expresses its own importance in society, it does not discriminate any one on the basis of caste, religion, language, it allows everyone be part of it. The people who have participated in this dance form takes vows to get full fill their wish by praying to Goddess Kalika. Everyone knows that Mata Kalika has special power to eradicate all types of problem from the society for bhaktas. People eagerly participate in this festival to get rid from all types of problem with the blessing of Mata Kalika. No doubt this process is very difficult,but people participate with great enthusiasm. Among all folk dances of Odisha, Dandanacha is one of the most important folk dances because this dance form continues with the blessings of Mata Kalika. This dance forms runs without any fund, it runs with the contribution of people. All the village of Ganjam district of Odisha is awaiting with great enthusiasm to the arrival of Chaitra month for participating directly or indirectly in DandaNacha. In this month all the devotees eat Satwik Bhojan and pray with whole heartedly Mata Kalika. Everyone knows that Mata Kalika has supreme power which can eradicate all the sorrow and desire from the bhaktas. After visiting the kalika temple PattaDandua of Rumagad temple of Ganjam district express the Mahima of mata Kalika that after fried of pulses can be regerminated.

The view of another Danduas that on meru day Danduas roll on nails of a tree but it does not affect the body of any danduas due to blessings of Maa kalika. **KalikaPujanKalikaPujan (See in the last page)**

Introduction - Ganjam district is one of the most important districts of present Odisha.It is situated in the southern part of Odisha. This district has a rich culture of traditional dance such as Ghatakalasi, Das kathia, Prahalad Natak, Subhadra parinaya etc. Among all Danda Nacha is one of the most important traditional dance festivals of Ganjam district. Danda Nachais an ancient festival of Ganjam district, held in the month of chaitra every year. The people those are participating in this Danda Nacha are called as Dandua or Bhakate in local language. During this time people pray goddesses Kali. Participating in this nacha is very difficult because of its basic and difficult rule. In generally male members are allowed to participate. All bhakates have to leave their house up to the Meru Parba. They are not allowed to eat non-vegetarian food during this time. Earlier this festival was concentrated at TaraTariniPitha and nearby this, but at present it was more popular in most of the village of Ganjam district. TaraTariniPitha of PurusottamPur is Famous for Chaitra navaratra during this time DandaNacha is being celebrated. Dandanacha includes music, dance, and drama.

DandaNacha Ceremony - The origin place of Danda Nacha is Ganjam district of Odisha. No doubt this is a form of dance but it is a religious festival.This dance form is performed to worship Goddesses Kali, Durga, Lord Shiva, Krishna, and Ganesh. All the people of this district may be high caste Brahmin or low caste Hindu together takes part as a Danduas or Bhakates, there is no difference between them. This religious festival is performed during the month of Vaishakha in every year. Danduas observe self-control over their all the senses such asbody, mind and speech. These peoples are ready to accept all types of hardness and punishment, as they are ready to accept punishment so they are called Danduas and their dance form is called Danda Nacha. This religious festival celebrated for 13 days while as some other villages it is for 21 days but after all this festival comes to end by 14th april every year which is known as **MahaBisuva Sankranti (See in the last page)**

Danduas perform Danda Nacha in day time and they follow very painful life style, they worship Goddesses kali and Lord shiva to get their blessing. They stay far away from their family and home and takes food only once in a day most probably at night during the time of festival. PattaDandua is a most important leading person among each group of Danduas. This dance form is performed in three steps such as Dhuli Danda, PaniDanda, and Agni Danda.

Danduas visits from village to village (See in the last page)

Dhuli Danda is performed in day times during this time the temperature is more than40-degree celcius. Danduas sleep or perform Dhuli Danda on sand more then 2 to 3

*Research Scholar (History) Berhampur University, (Bhanja Bihar) INDIA

hours, it is very difficult due to such a high temperature. They perform various dance form on the day time such as comedy, tragedy and entertainment dance form. All the members belongs to male member but few of them dressed themselves as a female and act or perform in the role of female. They perform this act up to sunset.

DhuliDanda Performance (See in the last page)

After that there will be a PaniDanda, danduas remains in side of water of a pond or a river more than one hour is called as a Pani Danda. After that all Danduas will take bath then they will play agnidanda while taking visit the whole village.

Agni danda is one of the most important of danda nacha festival. It begins after PaniDanda while taking visit of whole village. Most probably it performed during evening. During this time PataDandua holds Jhuna with the fire lamps and performs it by wishing the goodness of village and every people to get the blessing of Goddesses Kali and Lord Shiva.

Every year some people have Mannat or vow that Danda Nacha will perform in front of their house, while as some village people or village committee unites together and collect some amount of money from the people and invites Danda Nacha to perform the dance. Danduas wear orange and yellow coloured Dhoti. They walk bare foot from village to village and holding red coloured triangular Maa Kali imaged flag and Champabar. Whenever Danduas moves one village to another village by beating Drums and veris (musical instrument) during morning time, people stands on the both side of roadsby folding their hands to pray and to get their blessings.

This Danda Nacha festival is very difficult process, every danduas has to follow all types of difficulty than also Danduas number is increasing every year. Danduas takes the help of their own village people to perform various dramas may be based on epics like Ramayan and Mahabharat, Historical story, Social based story and present day's story related to society. No doubt this Danda Nacha perform starts in the morning to next day morning ina village after that Danduas moves another village to perform same Danda nacha as per their invitation. All types of restriction only for Danduas the mid night artists are excluded from this type of restrictions.

Pattadanduas is the head of the each group. He performs last day rituals in the respective village Kali temple with all Danuas on sankrati day, While as some other groups perform last ritual day on Masanta one day before Sanskranti. This day is called Meru Sankranti day. Near the kali temple there was a grand Mela selling various items for people. That day was the last day for Danduas to offer prayer to Maa Kali and next day with grand party they return back to their home and lives a normal family life. As per the view of some of Danduas, they never fill such type of difficulties and pain after wearing the sacred thread of Maa Kali temple. Which they believe such type of surprised blessings of Maa Kali to her Bhakates(Devotees).

This Danda Nacha festival organised with complete donations from the people, which does not have any fixed sources of fund. Historians believed that this religious dance form practised from ancient days in Ganjam district. Now it was spread to other neighbouring district also such as Nayagarh district. Some historians opine that the origin of Danda Nacha based on few points such as; earlier some of the kings were exploitative nature, so the innocent exploitative people pray to Maa Kali to protect or save them from the king.

Conclusion - Danda Nacha is one of the most important ancient religious folk dances of Ganjam district of odisha. This religious folk dance brings unity and cooperation among the people as well as society. People worship to Maa Kali whole heartedly with devotion. Odisha is the one of the richest state in religious folk dance compare to other state of India. Among all the 30 district of Odisha, Ganjam is one of the known districts for Danda Nacha. Ganjam district is the birth place of many more poets among them some notable poets are such as- KabiSamrat UpendraBhanja, Kavisurya BaladevaRatha etc.Dholo, Jhanja, Mahuri or Kahali, Mukhavina, Gini and Kartali etc. are the instruments used to play various dance and song during Danda Nacha. Most of the farmers participated in this dance after their harvesting festival.During the day time Danda Nacha people performs such type of activities based on farming such as ploughing, sowing, reaping andharvesting of paddy. As per the view of some of the village people this dance form taught us unity, cooperation and free from caste system in village area during ancient times. Danduas are far distance from all types worldly pleasure. They participate with full commitment to fulfil their desire with the blessing of Maa kali and Lord shiva. A person becomes Danduas or bhakatas if his or his family problem is solved with the blessing of Maa kali. People are following very hard punishment to get the blessings of Maa Kali such as rolling on sharp nails, walking on fire pits and many more. Its aim is to control on all sense organs. When a person becomes a Dandua, the family member may be mother or wife also follow same process at their own home like as danduas do with the group. While eating at evening by beating Dhola or any sound, they should not be hear any talking or sound of other people.

So, after collecting various opinion from people I came to conclusion that Mata Kalika will pray forever in the bottom of the heart of the Ganjam people of odisha forever.

References :-

1. Visited various kalika temple (View of PattaDandua)
2. Real life story of a Danduas (Kishore Chandra from Village MahulaPalliBhakatas of Rumagaddanda Kali temple)
3. Mata ki Mahima from the village head.
4. Image collection from internet Wikipedia.
5. Visited temple on the closing days (Merudanda day)

KalikaPujanKalikaPujan

MahaBisuva Sankranti
Dandanacha performance

Danduas visits from village to village

DhuliDanda Performance

****

Colonialism And Deforestation In 19th Century India

Anshu Sharma *

Abstract - A good deal of deforestation and interrelated problems of landslide, soil erosion, etc which the Himalayas in India have witnessed in the past few decades can be traced back to the 19th century when colonial rule took certain actions which admittedly stimulated deforestation. It is discussed in this paper that the colonial development wiped out a large quota of Indian forest resources.

Key Words - Colonial state, deforestation, railway construction, land expansion for cultivation.

Introduction - The ecological equilibrium of India was disturbed by the colonial state which was completely unprecedented and irreversible. The Himalayas had become ecologically unstable because of the replacement of mixed forests by monoculture also mentioned as 'scientific forestry' brought up by colonial state. Introduction and development of railways and expansion of cultivated land had negative ecological consequences, especially in the arena of forests.

In context of the impact of colonialism at the global level, McNeil(2000) argues that global economic integration through the market leads to drastic ecological changes in the zone of resource supply (usually in the periphery) as the consumer demand increases (largely in the metropole). Colonial period is viewed as forest destructive period by some Indian forest historians, prominent among them being Ramachandra Guha who views the colonial period as a watershed in the ecological history of India as unprecedented and large scale deforestation took place in India. The ecological problems worsened and became devastating especially during this period due to the introduction of certain technologies (e.g. dams and railways).Among the studies dealing with the causes of deforestation and its impact in colonial India, there have been a few studies that touch on the adverse impact of railways on forests (Gadgil and Guha, 1993; Guha, 1983; Tucker, 1993).This paper examines the major factors - Land expansion for cultivation and Railway construction and expansion, that were responsible for deforestation and other related problems during 19th century India.

Forest land under Cultivation - One sixth of India's landmass was under cultivation in 1600. As the population increased over the centuries and the demand for food went up, peasants extended the boundaries of cultivation, clearing forests and breaking new land. In the colonial period cultivation expanded rapidly for variety of reasons. First, the British directly encouraged the production of commercial crops like jute, sugar, wheat and cotton. The demand for these crops increased in 19th century Europe. Second, in the early 19th century, the colonial state thought the forests were unproductive and were to be brought under cultivation. So between 1880 and 1920, cultivated area rose by 6.7 million hectares.

Most of the revenue was derived from agriculture by colonial state, so it expanded the land under cultivation, which promoted the clearing of forest lands. The colonial government took over the forests, and gave vast areas to European planters at cheap rates. An 1894 document of British India clearly stated that there should be no hesitation in sacrificing forests where the demand for arable land could only be fulfilled this way.

GANGA YAMUNA DOAB - Significant blows were inflicted on the ecological system of Ganga Yamuna Doab after East India Company acquired its control over this region in 1801. At the commencement of 19th century there was deep forest belt in this region with predominant tree species of dhak-Butea monosperma. But by 1880s the entire dhak jungle had disappeared. The new conqueror had decided to bring the area under cash crop cultivation. All this resulted in severe drought, moreover due to intensive cultivation the fertility of soil greatly decreased. Doab narrative depicted how ecological damage was done to accomplish the needs of development.

Railways in India - The Indian people feel that this construction is undertaken principally in the interests of English commercial and moneyed classes, and that it assists in the further exploitation of our resources ___G.K. GOKHALE

[1]The earliest proposal to build a railway in India seems to have been made in Madras in 1831-1832. Steam railways for India were for the first time projected in 1843, this time in England. The Court of Directors of East India Company

* Chack Bhagwana, Teh. Jourian, Dist. Jammu (J & K) INDIA

was, however, lukewarm in its response to this proposal, as they anticipated the failure of railway projects in India. But they found it difficult to resist for long the strong political and economic pressure at home exerted by the railway promoters, financers, mercantile houses trading with India, and the textile manufacturers of Lancashire. After the proposal for the construction of railways in India had been accepted, its promotion and expansion started. Among the colonial railway networks by the end of the 19th century, India had the largest and most advanced railway network with the total number of railway lines growing from 20 in 1853 to 23,627 in 1900 (Morris and Dudley, 1975: 194-195). As noticed by the nationalist, instead of uplifting the economy, the railways had given it a downward push. India had been increasingly ruralised and gradually transformed into an agricultural colony of Britain. G.S.Iyer put the point the very pithily: 'Every additional mile of railway constructed in this country drove a fresh nail into the coffin of industry to another'.[2]

Expanding railways and Deforestation - A new demand emerged during the 1850s, railways became all-important for colonial trade and for the movement of imperial troops. To run locomotives wood was needed as fuel and to lay railway lines sleepers were essential to hold the tracks together. Each mile of railway track required between 1760 to 2000 sleepers. As railway tracks spread through India an increasing number of trees were felled. As early as the 1850s, in the Madras presidency alone, 35,000 trees were being cut annually for sleepers. The government gave out contracts to individuals to supply the required quantities. These contractors began cutting trees indiscriminately. Forests around the railway tracks fast started disappearing. The new line to be constructed was the Indus Valley Railway between Multan and Sukkur, a distance of nearly 300 miles. At the rate of 2000 sleepers per mile this would require 600,000 sleepers. The locomotives would use wood fuel. In addition a large supply of fuel for brick burning would be required. The fuel from the tamarisk and Jhand forest of Sind and the Punjab. The other new line was the Northern State railway line from Lahore to Multan. It was estimated that 2,200,000 sleepers would be required for its construction. {E.P.Stebbing, The Forests of India, Vol. II (1923)}.

The above paragraph gives a clear idea about the exploitation of forests for the construction and expansion of railways. The construction and operation of railways which was primarily designed to enable efficient resource extraction from India, itself depleted the natural resources of India. Thus the metropole's economic exploitation of the colony had ecological costs in the form of deforestation which cannot be ignored. Indeed, as Ramachandra Guha says, the building of the railways was a crucial watershed in the history of Indian forests. (Guha, 1983).

Colonial efforts to conserve forests - Indiscriminate ransacking of forests made colonial state realise that such methods would be disastrous in the long run. So it decided to invite a German expert, Dietrich Brandis, for advice, and he was made the first Inspector General of Forest in India. Indian Forest Service was set up in 1865 by him and he helped formulate the Indian Forest Act of 1865, which enabled colonial state to manage forests in such a way that they were assured of long term supplies of wood. Colonial state put restriction on timber extraction by the private capitalist and made sure that sufficient timber supply to the railways and other public works would be provided for. Scientific forestry was brought in, where in place of mixed forests, one type of tree (such as Pine) was planted in straight rows, which were more suitable for construction and industrial need. Not only the requirements of local inhabitants overlooked but the very health of the forest was compromised in the process. Thus the exploitation of forests rather than their conservation was the dominant ethic of the forest department right from its inception in 1864 in colonial India.

Conclusion - The problem of deforestation under colonial rule became more organised and extensive. To fulfil the needs of industrialization, especially growing demand of raw material, the ecosystems of Indian forests were destroyed by the colonial state. Forests had to compensate for the introduction and development of technology such as railways by the colonial state. Enormous amount of revenue was generated from agriculture, hence it became necessary to expand cultivation which is generally seen as a sign of progress but for the land to be brought under plough, forests have to be cleared!

Though railways came to be associated with the might of empire and technological progress, it inflicted arduous injury on the forests. Its demand for wooden sleepers desolated the woods of India. In order to put a check on this, colonial state brought up forest conservation. Though the value of the forest was realised it was still reckoned as an exploitable resource, to be modified and distorted to serve to colonial interests.

Notes -

1. This section is primarily based on Daniel Thorner, Investment in Empire (1950);Horace Bell,Railway Policy in India (London, 1894);and R. D. Tiwari, Railways in Modern India (Bombay,1941).
2. Address to the Madras Provincial conference at Madura on 22 May 1901, quoted in the Statesman, 31 May 1901.

References :-

1. Gadgil M and Guha R (1993) The Fissured Land: An Ecological History of India: Berkeley: University of California Press.
2. Guha R (1983) Forestry in British and post British India: An historical Analysis. Economic and Political Weekly XVII: 1882-1896.
3. Indian Forest Records, Vol.XV (VI:9)
4. Indian Forester (IV: 10,11)
5. McNeil J (2000) Something New Under the Sun: An Environmental History of Twentieth Century World.

New York : W.W. Norton.
6. Morris DM and Dudley CB (1975) Selected Railways statistics for Indian subcontinent (Indian, Pakistan and Bangladesh), 1853-1946/7.Artha Vijnana XVIII(3): 187-298.
7. Stebbing, E P, The Forests of India, John Lane, London (IV: 3, 4, 5, 13, 14, 21).
8. Tucker RP (1993) Forests of the western Himalayas and the British colonial system (1815-1914).In: Rawat AS (ed) Indian Forestry: A Perspective. New Delhi: Indus Publishing Company, 162-192.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) October to December 2019, Vol. I

British Economic Policies And Their Impact On Indian Revenue System And Agriculture [1765-1857]

Sunil Sharma*

Abstract - The economic policies of the British government brought many changes in the fields of Land revenue system and agriculture. The fundamental changes in the life of the Indian people and British economic interests have been discussed in the research paper.
Key Words - Policies, Revenue, Agriculture, Ryotwari, Mahalwari, Settlement, Cultivators.

Introduction - The policies of the British were designed to promote their economic interests in India. They brought about many fundamental changes in the life of the Indian people. The villages in India were more or less self sufficient. The village Panchayats settled disputes that arose among the people in the village. There were very few necessities like salt, fine cloth, metal implements and, for the rich, gold and silver for which the village depended on the outside world. The peasant families cultivated the land and paid a part of produce to the rulers as revenue. They enjoyed certain rights over the land and could not be evicted. The revenue was collected by the State, usually through the Village Headman. After the establishment of British rule, the same system continued but with a different manner. They appointed their own officials for revenue collection and also agents for supervision of the whole process. The peasants and the landholders were harassed and oppressed by the officials. In order to further strengthen its position, another change in the policy was made. Now intervention in the affairs of the village community was enhanced by the outsider------------s e.g. the revenue collectors, Police and judicial officers who were directly employed by the company. The village Panchayats lost their authority. Revenue was fixed in terms of a fixed amount of money whatever be the amount of produce . As the revenue had to be paid in cash, the peasants were forced to raise those crops which could be sold in the market. The profession of the local artisans was also disrupted as cloth and other manufactured goods began to be brought to the villages. Because of these reasons the villages lost their self –sufficiency.

New System of land - holding and land revenue - With the expansion of the British territories, the revenue collection increased and land revenue became the country's biggest source of income. A large share of this income was paid to the government of Britain as tribute. From 1767 the company was required to pay the British treasury £ 400000 every year. A part of the revenue was invested in buying commercial goods in India which the company exported to Britain and other countries. Naturally the new rulers adopted such policies as guaranteed collection of the maximum of revenue amount on a regular basis.

In Warren Hastings' time, the Company introduced the system of auctioning the right of collecting revenue in Bengal and Bihar .The person giving the highest bid was given the right to collect revenue from an area. The new system proved helpful neither to the Company as the actual collection never came up to the expectation nor to the peasants who were fleeced by the new Zamindars. Now the Company decided to fix the revenue of Bengal and Bihar on a permanent basis as the existing system was not sufficient and stable. The new system known as Permanent Settlement was introduced in 1793 by Lord Cornwallis. According to this new settlement, the Zamindar of an estate became its owner as well. He was required to pay a fixed amount of revenue to the government every year within a specified time. The Zamindars under this system had a much better position than the jagirdars of the Mughal period. The jagirdars did not own the Jagir and could not sell it. They could not evict the cultivators from the land. They could even be deprived by the government of their jagirs.The Permanent Settlement ensured to the company regular income. It also created a new class of Landlords which was loyal to the British. Assured of their ownership, many of these landlords stayed most of the time in towns away from their estates and squeezed their tenants to the limit of the latter's capacities. In 1799, they were empowered to evict the tenants and also to confiscate their property for nonpayment of their dues to the landlord. This resulted in making a large section of tenants dispossessed of their land, particularly when crops failed. The number of landless labourers who now form a large section of the village population increased in this way. In the long run, the permanent Settlement benefitted the landlords more than the government. By increasing the area under cultivation, the landlords collection of rent went up, but the amount

* P/o Pallanwala, Tehsil - Khour, District - Jammu (J&K) INDIA

that they had to pay to the government remained the same. The permanent Settlement was extended to Orissa, the coastal districts of Andhra and to Banaras.

In Madras presidency, however, a different kind of settlement was introduced .This is known as the Ryotwari system. In this, direct settlement was made between the government and the ryot, that is, the cultivator. The revenue was fixed for a period not exceeding 30 years on the basis of the quality of the soil and the nature of the crop. The government's share was about half of the net value of the crop. Under this system, the position of the cultivator became more secure but the rigid system of revenue collection often forced him into the clutches of the money lender.Besides,the government itself became a big Zamindar and the cultivator was left at the mercy of its officers. In Northern India, the system of land settlement was made with the village communities which maintained a form of common ownership known as Bhaichara, or with Mahals which were group of villages. Hence it came to be known as the Mahalwari system. The lands of Delhi and Punjab were also settled on this line.

In western India the British maintained the land system left by the Marathas for some time but gradually modified it mainly on the Ryotwari principles. The village headmen came under the supervision of British district officials who finally swallowed up their functions. The land laws introduced by the British brought many new factors in Indian society. Land became a saleable property .The system of paying off revenue within the specified time compelled many small landholders to mortgage or to dispose of their property. The new systems have been mainly responsible for the inequitable ownership of land and growth of poverty in the countryside. But they also helped in an indirect way the Indian agricultural production by relating it to the market.Foodgrains as well as various kinds of cash crops and plantation products became important merchandise both for internal and external markets. For example, the cultivation of poppy was encouraged by the British in India because the British merchants found in China a rich field for smuggling opium. Cotton cultivation in the black soil of the Deccan received a great boost because of its demand outside. Indian jute, tea and coffee slowly built up a profitable export trade. But it was the British commercial houses and their Indian agents who gained most of the trade. The benefits did not reach the Indian cultivators.

References:-

1. Indian history by Krishna Reddy
2. NCERT Textbook of Modern India
3. Magazine - Pratiyogita darpan Indian History by Agnihotri.

****

Social And Political Condition Of India On The Eve Of Babur's Invasion

Sunil Sharma*

Abstract - At the time of Invasion of Babur on India, the country was divided into many small states and there was lack of strong central authority .This affected the social and political condition of India which has been discussed in the Research Paper.

Key words - Invasion,Observation,Turks ,deplorable, aggressor.

Introduction - Social Condition -When Babur Invaded India, The Indian Society at that time was divided into two parts –Hindus and Muslims. The Hindus had lost their authority and they suffered from caste distinctions, system of sati, child marriage, Purda system and some other social evils. The Muslims also had social evils like gamblings, use of liquor and womenisation etc.The two communities used to quarrel among themselves. This quarrel was somehow checked by the Sufi movement and Bhakti movement .These movements sprung in up in India at that time and attempted to create friendly environment among Hindus and Muslims. Babur writes about the social, economic and cultural condition of India, "There is no special attraction in India. The Indian people are not beautiful and they don't keep relation with any other people. They lack in merit and intelligence. The handicrafts are not of high order. They don't have similarities. The horses are not of good quality.The fruits are not of first category. In the markets the cooked food and chapattis are not available. There are no candles. In place of candles, they use earthen pots for light which is not an easy work. Besides the rivers and its small tributaries, there is no running water. The houses are not airy and they no uniformity. The peasants and the lower class people lived naked. The men used loin cloth and kept a small cloth on their shoulders. The women wore Dhotis and covered their heads."Babur describes it in his book "Tuzuk-i-Babri".

Babur further writes that India is a big country and there is abundance of Gold and silver. The weather of this country is very pleasant. The rivers become full and the dry places also become full of water.He complain of the heat and dust of India. Babur mentions "all kinds of labor are available here in large numbers. For every work there are different castes to work."

The above description of Babur is partially true. On some points, he is totally wrong. He hurriedly wrote his conclusions. His statement about Indians is wrong that Indians were unsocial and they did not know the behavioural tacts.His other statement that Indians were ugly is also wrong. It might be that in comparison to the Turki people, they had lesser appeal. His observation about Indians to be lacking in Merit and Intelligence is also incorrect. Indians were infact known to the world for their capabilities. He describes only as a conqueror and not as an independent writer.

Political Condition - When Babur Invaded upon India, Its political condition was very deplorable. India was divided into small states who often quarreled among themselves. They were digging their own graves. There was no strong empire in the country at that time that could resist a foreign invader with courage and bravery. The prominent among the small states in North India were –Delhi, Punjab, Bengal, Jaunpur, Mewar, Malwa, Gujarat, Kashmir, Orissa etc.

Delhi - Delhi occupied a high position during the Sultanate period. But its high position was lost with the disintegration of Sultanate. During the reign of Lodhi Sultans, Its area remained limited to Delhi and adjacent places. Babur defeated the last of the Lodhi Rulers Ibrahim Lodhi in 1526. He did not have good relation with Alam Khan and Daulat Khan Lodhi.He also did not have control over his governors and jagirdars.

Mewar - Rana Sanga of Mewar was a bitter enemy of Ibrahim Lodhi.Lodhi,Lohani ,Farmooli and Naizi nobles determined to raise the banner of revolt against Ibrahim Lodhi.They all united and invited Babur to invade India. This invasion led to uproot the foundation of Delhi Sultanate in India and gave rise to new kingdom.

Punjab - It was a part of Delhi Sultanate. But due to obstinate temperament of Ibrahim Lodhi, the incharge of Punjab, Daulat Khan Lodhi declared his Independence.He was not on good terms with the Sultan. His son Dilawar Khan was extremely humiliated by the Lodhi Rulers.Because of this he invited Babur to invade upon India.

***P/o. Pallanwala , The. - Khour, Distt.-Jammu (Jammu and kashmir) INDIA**

Bengal - Bengal had been a continued source of headache to the Sultans of Delhi. Alauddin Husain was an ambitious and brave king who extended the boundary of his empire by annexing a part of Orissa .He was succeeded by his Son Nusrat Shah who was an able ruler and a good administrator. When Babur invaded, the ruler of Bengal was Nusrat Shah.

Jaunpur - It was ruled by the brother of Ibrahim Lodhi named Jalal Khan.Ibrahim Lodhi doubted his sincerity,invaded upon him and killed him.The Afgan chiefs were angry over this event .They accepted Naseer Khan Lohani as their ruler and severed their relations with Delhi.

Gujarat:-In 1401 Zafar Khan declared the independence of Gujarat and founded a new empire. During Babur's invasion,Mujjaffar Shah was its ruler. He died in 1526 and his son Bahadur Shah succeeded him as the king who later annexed Malwa.

Mewar - It was one of the prominent states of Rajputna. Its capital was Chittor and it was ruled by Sangram Singh.It is Said that he too sent an invitation to Babur to invade India. He was defeated by Babur in the battle of Khanua.

Malwa - Malwa declared its independence during the reign of Feroz Tuglaq.During Babur's invasion ,its ruler was Mahmud II.He had conflict with his minister,Medini Rai.Mahmud secured the help of the ruler of Gujarat,Muzzaffar Shah and Medini Rai sought the help of Rana Sanga.In 1525 Medini defeated the ruler Mahmud and he himself became the ruler of Malwa.

Sindh - This province became independent during the reign of Mohammad Tuglaq.For 15 years since then ,it was ruled by Sumar dynasty.In 1520 the ruler of Qandhar Shah Beg invaded Sindh and conquered it .During Babur's time the son of Shah Beg named Shah Hussain ruled over Sindh.

Kashmir - Shah Mirza Declared the independence of Kashmir during Mohammad tuglaq's reign .At the time of Babur's invasion, Kashmir's political condition was not good.

Conclusion - All this testifies to bad social and political condition of India and it was clear that any aggressor would certainly conquer it. As a result of this a new regime started in India.

References :-

1. NCERT books.
2. History by Aghnihotri.
3. History by K.R. Reddy.

****

पं0 मदन मोहन मालवीय और भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन

डॉ. दीप्ति जायसवाल *

प्रस्तावना – ब्रिटिश शासन में आजादी पाने के तिहत्तर साल बाद, स्वतंत्रता आन्दोलन की यादें और अपने जीवन को समर्पित करने वाले महान व्यक्तित्व दुनिया के किसी भी कोने में हर भारतीय के लिए हित के बिन्दु के रूप में बने रहें, जबकि कई स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन ओर योगदानों की खोज एवं चर्चा विभिन्न विद्वानों द्वारा सूचीबद्ध की गयी है। यद्यपि कई प्रमुख नेताओं को इतिहासकारों द्वारा उपेक्षित किया गया है, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद् मदनमोहन मालवीय भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के सबसे कम ज्ञात व्यक्तियों मे से एक हैं।

राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन और इतिहास लेखन के बारे में इतिहास सृजन अत्यंत आवश्यक है क्योंकि भारत जैसे देश में हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से इतिहास को देखने, समझने व व्याख्या करने की कोशिश करता है। ऐसे में हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास लेखन के बारे में और भी ज्यादा सजग और सचेष्ट रहने की जरूरत है। यद्यपि राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन का अपना एक वृहद् इतिहास है और हम इसे काल में विभाजित करके देखते हैं और सभी काल आन्दोलन के दौरान अपनी एक महती भूमिका का निर्वाह करते हैं एवं उन कालखण्डों में कुछ प्रमुख व्यक्तित्व उभर कर सामने आते हैं लेकिन महामना मदन मोहन मालवीय, ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आते हैं जब वे कांग्रेस के साथ उसकी स्थापना के प्रारंभिक वर्षो से जुड़े व स्वतंत्रता आन्दोलन के महत्वपूर्ण कालखण्डों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन द्वारा आन्दोलन को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं व अपने विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक विचारों के द्वारा भारतीय जनमानस में परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं।

कांग्रेस पार्टी के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवादी राजनीति में मालवीय की भागीदारी एक ऐसे समय हुई जब पश्चिमी–शिक्षित और पेशेवर अभिजात वर्ग के इस अखिल भारतीय संघ के नेताओं ने भारतीय राष्ट्रवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया। राजनीति में मालवीय का शुरूआती कैरियर 'समाज की सेवा' के तत्कालीन प्रचलित विचार से प्रभावित था जिसका अर्थ था 'देश सेवा' इलाहाबाद के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे एक पारम्परिक वातावरण में उनके पूरे जीवन को प्रभावित किया। मालवीय जी का पारिवारिक वातावरण पूर्णतया धार्मिक था जिसका प्रभाव उन पर पूर्णतया परिलक्षित होता है। पंद्रह वर्ष की आयु में इन्होंने इतिहास समुच्चय 'नाम की पुस्तक में जिसमें महाभारत के चुने हुए 32 श्लोक थे, मालवीय जी के 'धर्म संबंधी विचारों' और ज्ञान को बढ़ाने में यह पुस्तक बड़ी सहायक सिद्ध हुई।[1] सन् 1886 ई0 में कांग्रेस के साथ मालवीय का सम्बन्ध आई0 एन0 सी0 के दूसरे सत्र से शुरू हुआ मालवीय जी के राजनीतिक जीवन को हम राष्ट्रीय आन्दोलन के कालक्रम विभाजन के अनुसार तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं जिसमें उन्होंने भी अपना अतुलनीय एवं अविस्मरणीय योगदान दिया। पहला 1886–1919 कांग्रेस में 'माडरेट युग' जिसमें चरमपंथी नेताओं का आगमन और पार्टी में परिणामी विभाजन देखा गया। मालवीय इस समय कांग्रेस में अपने प्रभाव के चरम पर थे। दो प्रतिद्वन्दी वर्गो के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना। दूसरा 1919 से 1928 है, जिसे गांधीवादी राजनीति के शुरूआत के रूप में जाना जाता है। जिसने मालवीय के प्रभाव से अहिंसक, असहयोग आन्दोलन की नींव रखी और तीसरा 1929 से 1937 इस चरण में मालवीय जी के नेतृत्व को भटकते देखा गया। जहां उन्होने आई0एन0सी0 में अपना प्रभाव खो दिया।

1880 ई0 में आपने सार्वजनिक जीवन का प्रांरभ करते हुए कई संस्थाओं व पत्र पत्रिकाओं से जुड़े। सन् 1886 ई0 में वे कांग्रेस से जुड़े व कलकत्ता अधिवेशन में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना पर बहुत उत्तम भाषण दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व हमारी क्षमता का प्रमाण है। अच्छे अंग्रेज को यह जानकर दुख होगा कि भारत सरकार निंरकुश हैं वह हमारे साथ गुलामों जैसा व्यवहार करती है। देश के शासन में भाग लेने से हमें वंचित करना अनुचित है। प्रतिनिधित्व का अधिकार ब्रिटिश प्रजा का मौलिक अधिकार है। वह हमें मिलना चाहिए।[2] इस भाषण में उन्हें भविष्य के कांग्रेस के भावी नेता के रूप में निर्दिष्ट कर दिया। 1891 ई0 में उन्होने वकालत की परीक्षा पास कर वकालत करनी शुरू कर दी। वह 1913 ई0 तक वे उससे जुड़े रहे। इसके साथ ही हिन्दुस्तान, अभ्युदय और लीडर जैसे पत्रों के सम्पादक व सह सम्पादक के रूप में पुरूषोत्तम दास टण्डन व मोतीलाल नेहरू के सम्पर्क में आये।

मालवीय जी ने संयुक्त प्रान्त में कांग्रेस के वर्चस्व व परचम को बनाए रखा।[3] कांग्रेस के इन प्रारंभिक वर्षो में मालवीय जी ने सरकार की आर्थिक व वैधानिक नीतियों की आलोचना की। उन्होंने देश की बढ़ती हुई गरीबी तथा उसके कारणों की समीक्षा करते हुये कहा कि लगभग 10 करोड़ भारतीयों की कमाई प्रतिवर्ष अंग्रेजी अफसरों के वेतन और उनकी पेन्शन के रूप में इंग्लैण्ड चली जाती है और इसलिए ऊँचे पदों पर भारतीयों को भर्ती न करने की सरकार की नीति केवल अन्यायपूर्ण ही नहीं बल्कि आत्मघाती है।[4] कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किए जाने पर मालवीय जी ने अंग्रेजों की आलोचना की। 1907 ई0 में सूरत कांग्रेस में नरम–गरम दल का जब झगड़ा हुआ तो यह समझा जाता था कि आप गरम दल का साथ देगें लेकिन मालवीय जी नरम दल की ओर रहें, सूरत के बाद मद्रास में कन्वेन्शन होने के बाद 1909 ई0 में आप सभापति चुने गए। उस समय मालवीय जी ने अध्यक्ष पद से बड़ा ही प्रभावशाली भाषण दिया था। मालवीय जी कई घंटों तक व्याख्यान देते रहे जिसमें मार्ले मिण्टो सुधारों की आलोचना भी की गयी थी। उन्होंने

* अतिथि प्रवक्ता (इतिहास विभाग) ख्वाजा मोइनुददीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.) भारत

कहा था कि 'कांग्रेस इसका विरोध इसलिये नहीं करती कि वह चाहती है कि मुसलमान और भूमिपति प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर सके बल्कि उसका विचार है कि चूँकि विधान कौंसिलों को ऐसे प्रश्न पर विचार करना होगा जो सभी वर्गों और मतों के लिए समान हित के हैं, इसलिए उनके प्रतिनिधियों को सभी वर्गों, जातियों की सम्मिलित राय से निर्वाचित होना चाहिए।[5] इसके साथ ही उन्होंने देशभक्ति, राज भक्ति, राष्ट्रीयता, स्वदेशी, स्वराज पर भी अपने विचार व्यक्त किए।

इस प्रकार मालवीय जी कांग्रेस में रहते हुए, तत्कालीन उदारवादी नेताओं की भावनाओं और धारणा को साझा किया कि शासक भारत की आवश्यकता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देगें। फिर भी ब्रिटिश राज के कट्टर समर्थक मालवीय ने कुछ विशेष सरकारी कार्यो, जैसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधानों के बारे में अपनी उदासीनता और संदेह व्यक्त करने का अवसर नहीं छोड़ा, जिसके माध्यम से सरकार ने जाति, धर्म, और वर्ग के प्रतिनिधित्व को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मालवीय जी जीवन भर धार्मिक एकता और सभी धर्मों में समानता के प्रबल समर्थक थे।

1903–1912 ई0 तक मदन मोहन मालवीय ने संयुक्त प्रान्त के कौंसिल के सदस्य के रूप में काम किया और उन्होंने वित्त, लगान, कृषि, शिक्षा, औद्यौगिक शिक्षा, औद्योगिक विकास, जन कल्याण संबंधी कार्यो, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा तय की गयी नीतियों की आलोचना की व इनमें विकास के लिए लगातार प्रयास किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य प्रान्तीय सरकारों की तुलना में संयुक्त प्रान्त के प्रति अपनाई गयी भेदभाव पूर्ण नीति का विरोध किया। सी0वाई0 चिन्तामणि का विश्वास था कि केन्द्रीय पिधान सभा में सर फिरोजशाह मेंहता और गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल कौंसिल में सुरेन्द्र नाथ बनर्जी और श्री आनन्द मोहन बोस ने, मद्रास में सर्व श्री विजय राधवाचार्य और सुब्बाराव पन्तलू ने,बम्बई में सर चमनलाल सीतलवाड और सर गोकुलदास पारख ने और संयुक्त प्रान्त में पं0 मदन मोहन मालवीय ने अपनी संसदीय क्षमता का तथा उत्तरदात्वि भावना का जो परिचय दिया उसने माले–मिन्टो सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया।[6]

1908 ई0 में मालवीय जी ने विधान सभा कौन्सिल के सदस्य की हैसियत से विकेन्द्रीकरण कमीशन के सामने गवाही देते हुए कहा 'प्रान्तीय सरकारें भारत सरकार की केवल प्रतिनिधि मात्र हैं। उन्हें अपने आर्थिक तथा अन्य सभी प्रश्नों की स्वीकृति भारत सरकार से लेनी पड़ती है। प्रान्तों की सारी व्यवस्था भारत सरकार के कठोर नियंत्रण में है। बिना उसकी स्वीकृति के प्रान्तीय सरकारें 'कोई भी परिवर्तन नही' कर सकती।[7]

31 मार्च 1913 में मालवीय जी ने लार्ड इसलिंगटन की अध्यक्षता में गठित पब्लिक सर्विस कमीशन को संयुक्त प्रान्त कांग्रेस कमेटी की ओर से एक स्मरण पत्र पेश किया तथा लिखित और मौखिक गवाही देते हुए विभिन्न सुधारों की मांग की। इसके अतिरिक्त 19 मई 1916 ई को भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा सर टी0एच0 हालैण्ड की अध्यक्षता में किया गया जिसमें मालवीय जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। मालवीय जी ने कमीशन द्वारा की गयी संस्तुतियों की पुष्टि करते हुए विभिन्न औद्योगिक और वित्त नीति की विस्तार से समीक्षा करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिये। नि: संदेह ये सुझाव भारत के व्यवसायिक और आर्थिक इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत लाभदायक है।[8]

1909 के कांग्रेस लाहौर अधिवेशन से ही स्वशासन की मांग लगातार की जा रही थी। 1916 ई0 में मालवीय जी ने इम्पीरियल कौन्सिल के गैर सरकारी सदस्यों के हस्ताक्षर से युक्त उन्नीस सूत्री मांगें प्रस्तुत की जिसमें ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ मुक्त शर्तो पर स्वतंत्रता की मांग की गयी थी जो स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

जब गवर्नर जनरल लार्ड हार्डिज पर दिल्ली की सड़कों पर किसी अनजान व्यक्ति ने हैंड ग्रेनेड फेंका जिसमें वे बाल–बाल बच गए तब ब्रिटिश सरकार ने विरोधियों के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुए जनविरोधी 'प्रेस एक्ट लागू कर दिया जिसकी आलोचना करते हुये मालवीय जी ने कहा कि 'यह प्रेस एक्ट तो लार्ड लिटन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से भी कठोर और अलोकतांत्रिक हैं।' उन्होंने कहा कि न्यायालय के अधिकारों को प्रशासनिक अधिकारियों को हस्तान्तरित करना सर्वथा अनुचित है।

धीरे–धीरे मालवीय जी को यह समझ में आने लगा कि उनका जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए आवश्यक है अत: 1913 ई0 में अपनी वकालत पूरी तरह से छोड़ दी और सम्पूर्ण जीवन राष्ट्रीय सेवा में समर्पित कर दिया। 1915 ई0 सरकार द्वारा कौंसिल में प्रस्तुत भारत रक्षा बिल का इस आधार पर विरोध किया कि यह व्यक्तिगत स्वत्रंता के विरूद्ध है। उनका कहना था कि यद्यपि युद्ध की विषम परिस्थितियों में देश की रक्षा हेतु कतिपय विशेषाधिकारों का प्रावधान आवश्यक है किन्तु इस आधार पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करने वाले कानून को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जब एनी बेसेंट ने होमरूल आन्दोलन प्रारम्भ किया और जिसके फलस्वरूप प्रमुख होमरूल नेता गिरफ्तार कर लिए गए तो ऐसे कठिन समय में पं0 मालवीय ने निर्भीक होकर होमरुल आंदोलन का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। यद्यपि एनी बेसेण्ट से वैचारिक सहमति न होते हुए भी उन्होंने उनके द्वारा शुरू किए गये इस आन्दोलन में उनका पूरी तरह साथ दिया।

शिक्षा के क्षेत्र में महामना का सबसे बडा योगदान काशी हिन्दू विश्वविधालय के रूप में दुनिया के सामने आया था। उन्होंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने का प्रण लिया था, जिससे प्राचीन भारतीय परम्पराओं को कायम रखते हुये देश–दुनिया में हो रही तकनीकी प्रगति की भी शिक्षा दी जाय। अंतत: उन्होंने अपना यह प्रण भी पूरा भी किया। यूनिवर्सिटी बनवाने के लिये उन्हौंने दिन–रात मेहनत की और 1916 ई0 में बी0 एच0यू0 के रूप में देश को शिक्षा के क्षेत्र में एक अनमोल तोहफा दे दिया। विश्वविद्यालय की स्थापना 1905 से ही मालवीय जी के निरन्तर अथक प्रयासों का प्रतिफल था। इस विश्वविद्यालय के निर्माण में मालवीय जी ने विभिन्न देशी राजाओं का सहयोग प्राप्त किया एवं ये राजा ही विश्वविद्यालय के सर्वोच्च अधिकारी चांसलर के रूप में नियुक्त होते रहे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना करते हुये मालवीय जी ने कहा कि यद्यपि यह संस्था साम्प्रदायिक होगी पर मतान्ध नहीं होगी। इस विश्वविद्यालय में संकुचित साम्प्रदायिकता को आश्रय नहीं दिया जाएगा, वरन् व्यापक और उदार धार्मिक भावनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा जो मनुष्य और मनुष्य के बीच भातृत्व की भावना को विकसित करे।[9] इससे समस्त देशवासियों के सामने यह सिद्ध हो गया है कि मालवीय जी केवल राजनीतिक आजादी के लिए ही नहीं वरन् पूरी भारतीय अस्मिता की रक्षा एवं पहचान के लिए संघर्षरत थे। उन्होंने प्राच्य और आधुनिकता का अद्भुत समन्वय इस शिक्षा मंदिर के द्वारा किया। शिलान्यास के मौके पर मालवीय जी ने इस कार्य हेतु महात्मा गांधी को बुलाया। गाँधी जी ने उस अवसर पर मालवीय जी के सम्मान में जो कहा, वह आज भी पठनीय है और मालवीय जी के महान व्यक्तित्व को रेखांकित करता है। गाँधी ने छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा 'मालवीय महाराज के इतने निकट रहकर भी अगर

आप उनके जीवन से सादगी, त्याग, देशभक्ति उदारता और विश्वव्यापी प्रेम आदि सद्गुणों का अपने जीवन में अनुकरण न कर सके तो कहिए आपसे बढ़कर अभागा और कौन होगा। गाँधी ने मालवीय जी के उदात्त विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मालवीय जी के लिये 'घर में ब्राहम्ण धर्म है, परिवार में सनातन धर्म है, समाज में हिन्दू धर्म है, देश में स्वराज्य धर्म है और विश्व में मानव धर्म हैं।'

मालवीय जी के उदार धार्मिक विचारों के साथ उनके भाषा एवं साहित्य के प्रति भी विशेष अनुराग परिलक्षित होता है। 10 अक्टूबर 1910 को काशी में आयोजित हिन्दी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुये कहा कि 'मातृभाषा को सीखने में कौन लज्जा' की बात है? 10 19 अप्रैल 1919 को बम्बई में आयोजित हिन्दी सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मालवीय जी ने 'देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी भाषा को राष्ट्रीय भाषा की मान्यता प्रदान करने पर जोर दिया।[11]

इसके अतिरिक्त उन्होंने सेवा, परोपकार, निष्काम, कर्म, स्वार्थ, त्याग, तप, देशसेवा गौ–सेवा आदि पर अपने विचार रखे। सन् 1924 में सनातन धर्म की व्याख्या करते हुए हिन्दुओं को अस्पृश्यों के साथ बराबरी का व्यवहार करने का उपदेश दिया। मुस्लिम लीग की स्थापना, गतिविधियों एवं दावों व माँगो से पंजाब के हिन्दू नेता कांग्रेस के समानान्तर एक हिन्दू संगठन की स्थापना करना चाहते थे लेकिन मालवीय जी ऐसा करना सारे देश के लिए, हिन्दू जाति के लिए भी हानिकर समझते थे। वे तो कांग्रेस को देशव्यापी राष्ट्रीय भावना के आधार पर देश का ऐसा सक्रिय राजनीतिक संगठन बनाना चाहते थे, जिसकी बात स्वीकार करना सरकार के लिये आवश्यक हो जाया।[12]

प्रान्तीय कौसिलो में मालवीय जी का जीवन और कार्य कांग्रेस सेवा की भाँति महत्वपूर्ण और गौरवशाली रहा है। रौलेट एक्ट के विरोध में उन्होंने अन्य सदस्यों के साथ कौसिल से इस्तीफा दे दिया। इसके अतिरिक्त पंजाब में सैनिक शासन पर अपना विरोध दर्ज करते हुए जलियाँवाला बाग हत्या काण्ड की निन्दा भी की थी। वायसराय ने इस हत्या काण्ड की न्यायिक जाँच के लिए सितम्बर 1919 में हण्टर कमेटी गठित की। इसके ठीक बाद विधायिका सभा में अपने अधिकारियों के बचाव के लिए एक 'इण्डेमनिटी बिल' का का प्रस्ताव रखा। मालवीय जी ने इस विधेयक का तीव्र विरोध किया और पांच घंटो तक लगातार इस बिल के विरूद्ध बोलते रहे। मालवीय जी का यह भाषण भारतीय व्यवस्थापिका के इतिहास में सबसे अच्छा और शक्तिशाली भाषण माना जाता है। मालवीय जी के लगाए गए आरोपों का ब्रिटिश सरकार के पास कोई जवाब नहीं था परन्तु इन सबके बावजूद यह विधेयक पारित हो गया। ट्रेजरी बेंच के एक सदस्य ने मालवीय जी के भाषण पर टिप्पणी करते हुए लिखा –

"Hon'ble Pandit Malaviya has chartised the British Government so severly but in such a placid manner as even Edumunbd Burke had not done while impeaching Warren Hastings"

1920 ई0 में मालवीय जी का कांग्रेस के साथ घोर मतभेद हो गया। 1919 में अमृतसर में कांग्रेस के अधिवेशन में आप माण्टफोर्ड सुधारों को स्वीकार करके सरकार को सहयोग देने के पक्ष मे ंथे, जबकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। मालवीय जी ने असहयोग की नीति को सिद्धान्त: स्वीकार करते हुए भी उस कार्यक्रम के कतिपय अंशों को अव्यावहारिक एवं हानिकर बताकर उसका विरोध किया। कांग्रेस के अनेक नेता गांधी जी के साथ थे, किन्तु उस समय भी आपका सरकार पर पूरा भरोसा और विश्वास बना रहा था। अंतत: जब चौरी चौरा की घटना के कारण बहुत से निर्दोशों पर अत्याचार किया जाने लगा हो तो उनकी रक्षार्थ मालवीय जी ने स्वयं वकील की हैसियत से हाईकोर्ट में पैरवी की और उनके प्रयास से कई लोगों को सत्ता में राहत प्राप्त हुई।

1909 से 1928 तक विभिन्न हिन्दू संगठनों का गठन हुआ पर मालवीय जी का 1920 ई0 तक इस प्रकार के संगठन एवं आन्दोलन से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने सन् 1931 में गोलमेज कान्फ्रेन्स की अल्पसंख्यक कमेटी में स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह हिन्दू महासभा के संस्थापक और प्रर्वतक (फाउण्डर) नहीं है। अस्पृश्यता की समस्या, शुद्धि की समस्या तथा स्त्रियों के उत्थान के लिए भी इन्होंने अपने विचार व्यक्त किये।

1921 से 1930 तक मालवीय जी अपने ढंग से असेम्बली में बने रहे। उन्होंने वहां सदैव निर्भीक, साहसी, और राष्ट्रीय वृत्ति का परिचय दिया। 1926 के चुनाव के समय लाला लाजपत राय और 1934 ई0 में श्री अणे के साथ मिलकर आपने नेशनलिस्ट पार्टी बनाई ओर कांग्रेस के विरूद्ध चुनाव लड़ा। 1936 ई0 में हुये चुनाव में भी आप नेशनलिस्ट पार्टी के साथ रहे।

लेजिस्लेटिव असेम्बली में (1927–30) आपने समाज सुधार, मुद्रा विधेयक, फौलाद संरक्षण विधेयक, बजट पर बहस, सेना नीति, स्कीन कमेटी की रिपोर्ट पर बहस, पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूटस बिल, सूती कपड़ा उद्योग विधेयक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, आदि विषयों पर अपने विचारों द्वारा अंग्रेजी सरकार को नीतियों में परिवर्तन लाने पर विवश किया।

मालवीय जी ने साइमन कमीशन की नियुक्ति से पहले ब्रिटिश सरकार से मांग की थी कि कमीशन में हिन्दुस्तानी सदस्यों की संख्या यूरोपियनों के ही बराबर हो और चेतावनी दी कि यदि कमीशन में हिन्दुस्तानी नहीं रखे गये तो हिन्दुस्तान उसका बायकाट करेगा। उन्होंने जनता से अपील की कि 'वह दृढ प्रतिज्ञ होकर जितनी शीघ्र हो इस शासन प्रणाली का अंत करने के लिये प्राणपण से तैयार हो जाए।[14] मालवीय जी 1928 ई0 में साइमन कमीशन के बहिस्कार में सबसे आगे रहे और फिर वही मालवीय जी कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने के पश्चात् देश में सत्याग्रह आन्दोलन की जबरदस्त लहर पैदा होने पर भी उससे अलग रहे और कुछ समय तक केन्द्रीय असेम्बली में ही डटे रहे। मालवीय जी को जो उचित जान पड़ता था उसे करने में हिचकिचाते नही थे, चाहे सारा देश ही विरोधी क्यों न हो, किन्तु आप अपने निश्चय पर अकेले ही दृढ़ता के साथ अड़े रहते थे।

29 अगस्त 1931 ई0 को 'राजपूताना' जहाज से गाँधी जी और बहुत से अन्य नेताओं के साथ मालवीय जी लन्दन में गोलमेज कान्फ्रेन्स में भाग लेने के लिए पहुँचें। मालवीय जी ने कांग्रेस को राष्ट्र की प्रमुख संस्था बताते हुये उसकी ओर से प्रस्तुत गाँधी जी के अधिकांश विचारों तथा राष्ट्रीय मांग का समर्थन किया तथा महत्वपूर्ण भाषण दिए मालवीय जी ने गाँधी जी के इस विचार का समर्थन किया कि 'बाह्य शक्ति द्वारा प्रशासित और संचालित सुदृढ़ केन्द्र और सुदृढ प्रान्तीय स्वशासन दो विरोधी विचार हैं, प्रान्तीय स्वशासन और केन्द्रीय उत्तरदायित्व का साथ साथ कार्यान्वयन नितांत आवश्यक है।[15]

जब 14 जनवरी 1932 ई0 को मालवीय जी स्वदेश लौटे तो यहां सत्याग्रह आन्दोलन जोरों पर था और सभी नेता और कार्यकर्ता जेलों में बन्द किए जा चुके थे। 1932 मे दिल्ली में और 1933 ई0 में कलकत्ता में

कांग्रेस के जो निषिद्ध अधिवेशन हुए उसका सभापत्तिव करने के लिए जाते हुए पहली बार दिल्ली मे और दूसरी बार आसनसोल में आप गिरफ्तार किए गये थे। पांच-सात दिन जेल में रहकर आपको छोड़ दिया गया 3 मई, 1932 को मालवीय जी ने प्रयाग से एक लम्बा वक्तब्य प्रसारित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली का अधिवेशन साबित करता है कि कांग्रेस ने लोगों के दिलों में कितनी गहरी जड़ जमा ली है और इस बड़ी संस्था की ओर से जो आन्दोलन हो रहा है, उसे दबाने का प्रयत्न करना ब्रिटिश सरकार जैसी शक्तिशाली सरकार के लिए भी कितना व्यर्थ है।[16]

अछूतों के लिए भी मालवीय जी ने बहुत कार्य किया। उनको मंत्र दीक्षा देने, मन्दिरों में देवदर्शन का अवसर देने और स्कूलों, कुओं, तालाबों, उत्सवों, सभाओं, आदि में स्पर्शा - स्पर्श न मानने का आपने घोर आन्दोलन किया था। इस संबंध में 1929 ई0 में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसके आप सभापति थे। हरिजनों को हिन्दू समाज से पृथक करने की नीति के विरोध में सितम्बर 1932 ई0 में गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारम्भ किया तो आपने उस संबंध में हुए पूना पैक्ट में महत्वपूर्ण भमिका का निर्वहन किया था। उनका कहना था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णो से संबंधित व्यक्तियों का कर्तव्य है कि शास्त्र विहित शील, सदाचार और भगवद्भक्ति द्वारा वे स्वयं द्विजत्व के वास्तविक अधिकारी बनने का प्रयत्न करें और अन्त्यज परयन्त सब शूद्रों को उसका उपदेश दें, उनके साथ आत्मौपम्य व्यवहार करें तथा उनके उत्कर्ष में उनकी यथोचित सहायता करें। यही सनातन धर्म का आदेश है, इसी में सनातन धर्म का गौरव है।

साम्प्रदायिक निर्णय के प्रश्न पर मालवीय जी का कांग्रेस से मतभेद बना रहा और 1935 ई0 के अधिनियम के अनुसार जब चुनाव हुए तो मालवीय जी की नेशनलिस्ट पार्टी और कांग्रेस ने संयुक्त प्रान्त में यह समझौता किया कि चूँकि दोनों दलों के राजनीतिक लक्ष्य एक ही हैं इसलिये राजनीतिक मामलों में ये दोनों पार्टियाँ एक ही नेता को अपना नेता मानकर काम करेंगी, परन्तु साम्प्रदायिक निर्णय (कम्युनल अवार्ड) या उसके प्रासंगिक विषयों पर नेशनलिस्ट पार्टी अपना नेता चुनकर उसी नेता के आदेशानुसार काम करेगी।[17]

29 दिसम्बर, 1935 ई0 को पूना में हिन्दू महासभा के सत्रहवें अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मालवीय जी ने कहा कि 'प्रत्येक भारतीय को संकल्प कर लेना चाहिए कि प्राणों की बाजी लगाकर हम स्वराज्य लेगें और तब तक प्राणपण से इसके लिए प्रयत्नशील रहेगें जब तक हमारे दम में दम है।' मालवीय जी ने हिन्दू महासभा को जब हरिजनोद्धार पर अपनी शक्ति लगाने के लिए कहा तो अन्य नेता उस पर राजी नहीं हुए फलत: वे हिन्दू महासभा से अलग हो गए, यद्यपि उन्होने स्वयं कभी इसकी घोषणा नहीं की। उन्हें वीर सावरकर, डा0 मुंजे और भाई परमानन्द की रीति-नीति पसंद नहीं थी।

अपने जीवन के अंतिम दस वर्षो में अर्थात् (1937-1946 ई0) तक उन्होंने सक्रिय राजनीति से सन्यास ले लिया। मालवीय जी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरने लगा लेकिन रूग्णावस्था में भी आप देश सेवा एवं समाज सुधार के कार्यो में बराबर भाग लेते रहे और उनकी सहानुभूति हमेशा राष्ट्र-नायकों के साथ रही। गाँधी और नेहरू के साथ मतभेद होते हुए भी उन्होंने 1942 के प्रस्ताव का समर्थन करके उन्हें आर्शीवाद दियां। इसके अतिरिक्त जब बंगाल में भयानक दुर्भिक्ष एवं अकाल पड़ा तो मालवीय जी ने उनकी सहायता के लिए भरसक प्रयत्न किया और मार्मिक अपीलें निकाली।

जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो उन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रबन्ध का भार 1939 ई0 में डा0 राधाकृष्णन को सौंप दिया। अस्वस्थ्य रहते हुये भी मालवीय जी बीच बीच में विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में सलाह -मशविरा देते रहते थे और विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सम्पूर्ण देश का दौरा कर चन्दा जमा करने के लिय प्रयत्नशील थे।

1946 ई0 में बंगाल में जो हत्याकाण्ड हुआ, नोआखली में जो लोमहर्षक हृदय-विदारक घटनाएँ घटीं, हजारों निरीह एवं निर्दोष हिन्दुओं को देखते ही देखते मौत के घाट उतार दिया गया। उस समय रोग शैय्या पर पडे हुए आपने हिन्दूओं को जो अंतिम संदेश दिया, वह याद रखने योग्य हैं। आपने कहा था 'कई वर्ष से हिन्दू मुस्लिम संगठन के लिए हिन्दुओं ने काफी सहिष्णुता का परिचय दिया है, किन्तु इस सहनशीलता को कमजोरी समझा जा रहा है। अधिकांश मुसलमानों में सहयोग की भावना का अभाव है। हिन्दू नेताओं का मातृभूमि के अतिरिक्त अपने धर्म, संस्कृति और अपने हिन्दू भाइयों के प्रति भी कर्तव्य हैं। यह अत्यन्त आवश्यक है कि हिन्दू संगठित हों, एक साथ काम करें, नि:स्वार्थी देशभक्त कार्यकर्ता उत्पन्न करें, विभिन्न जातियों व वर्णो के तमाम भेदभाव भुला दें तथा हिन्दू आदर्शो और संस्कृति और हिन्दुओं की रक्षा के लिए अधितकम कोशिश करें।' कितनी हृयग्राही और आत्मा को ऊपर उठाने वाली अपील है। इस प्रकार अपना अंतिम संदेश देकर 12 नवम्बर 1946 को दिन के 4 बजे यह महान आत्मा स्वर्ग को प्रयाण कर गई।

उनका व्यक्तित्व निश्चय ही अद्भुत था। वे नि:संदेह उच्चकोटि के जननायक तथा राष्ट्र निर्माता थे। गाँधी जी का कहना था कि मालवीय जी के साथ देशभक्ति में कौन मुकाबला कर सकता है? बंगाल के सुप्रसिद्ध देशभक्त वैज्ञानिक सर प्रफुल्लचन्द्र राय का विचार था कि 'गाँधी जी के बाद कोई दूसरा ऐसा मनुष्य मिलना कठिन हैं, जिसने इतना अधिक त्याग किया हो, और बहुमुखी कार्यो का ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किया हो जैसा मालवीय जी नें।'[18]

राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन और पूरे जीवन में धार्मिक एकता के कट्टर प्रस्तावक के रूप में सकारात्मक भूमिका के बावजूद, मालवीय जी को धार्मिक कट्टरता और साम्प्रदायिकता के साथ जोड़ा गया था। गाँधी और नेहरू जैसे कई नेताओं के इस तरह की एकता के खिलाफ होने के बावजूद हिन्दुओं के बीच साम्प्रदायिक भावना के लिए उनके समकालीनों द्वारा अक्सर उनकी आलोचना की गयी थी। इसके बावजूद धार्मिक सिद्धान्तों की उनकी समझ एकता एवं भाईचारे को बढ़ावा देती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम मे उनकी भूमिका के लिए, मालवीय को 2014 में भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रामनरेश त्रिपाठी, मालवीय जी के साथ तीस दिन, पृष्ठ 33
2. आनरेबल पं0 मदन मोहन मालवीय लाइफ एण्ड स्पीचेज, सेकैण्ड एडीशन, 1918, गणेशन मद्रास,पृ0.67
3. सी0वाई0 चिन्तामणि : इण्डियन पलिटिक्स सिन्स म्यूटिनी पृ0.74
4. दी आनरेबुल पं0 मदनमोहन मालवीय, लाइफ एण्ड स्पीचेज, सेकैण्ड एडीशन, 1918, गणेशन मद्रास,पृ0.218
5. रिपोर्ट ट्वेंटीफोर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस,1959, पृ0.29.30
6. सी0वाई0 चिन्तामणि : इण्डियन पलिटिक्स सिन्स म्यूटिनी, पृ0 45-46

7. सीताराम चतुर्वेदी-महामना पं0 मदन मोहन मालवीय, खण्ड-3, पृ0 142-143
8. इण्डियन इंडस्ट्रियल कमीशन रिपोर्ट-नोट, पृ0 292-355
9. प्रोसीडिंग्स गवर्नर जनरल की कौंसिल लेजिस्लेटिव जिल्द 53, सन् 1905, पृ0-537-539
10. सीताराम चतुर्वेदी, महामना पं0 मदनमोहन मालवीय, खण्ड-2, पृष्ठ-24
11. वही,पृ0-30
12. दिसम्बर 1909 में कांग्रेस में दिया गया मालवीय जी का अध्यक्षीय भाषण।
13. राउण्ड टेबल कांफ्रेस, सेकेंड सेशन, माइनारिटी कमेटी रिपोर्ट पृ0 1350
14. हिन्दुस्तान टाइम्स, 24 नवम्बर, 1927
15. राउण्ड टेबल कांफ्रेस, सेकेंड सेशन, जिल्द 722
16. 'आज, 4 मई 1932
17. मालवीय जी- जीवन झलकियां: पृष्ठ 168,
18. मालवीय कमोमोरेशन वाल्यूम, पृ0 1005

****

बघेलखण्ड में 1857 के विद्रोह की प्रकृति

डॉ. अनुभव पाण्डेय*

प्रस्तावना – बघेलखण्ड में विद्रोह के प्रमुख केन्द्र नागौद, रीवा नगर, मैहर, विजयराघवगढ़ और सोहागपुर थे। इसके अलावा अन्य स्थानों जैसे – कोठी (जिला सतना), चामों, चकौरी, गढ़ामऊ, गढ़ी, इत्यादि में भी विद्रोही गतिविधियों के प्रमाण मिलते हैं। बघेलखण्ड में विद्रोह की प्रकृति को समझने के लिए विद्रोह के प्रमुख केन्द्रों में उत्पन्न हुई परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक है।

नागौद – नागौद रियासत का भू–बन्दोबस्त 23 नवम्बर 1843 को ब्रिटिश सरकार ने कराया था। राजा को डेढ़ हजार रूपये मासिक पेंशन मिलने लगी। कर्जा चुकता होने पर 1850 ई. से राजा की पेंशन को 1300 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया जो 1857 के विद्रोह के समय भी राजा को मिल रही थी।[7] इस पेंशन को भुगतान नागौद राज्य की आय से किया जााता था। नागौद राज्य का शासन प्रबन्ध ब्रिटिश सरकार के हाथ में था जब 1857 के विद्रोह का वातावरण बुंदेलखण्ड में पनप रहा था तब ब्रिटिश सरकार ने राजा से अनुरोध किया कि वह अपने प्रभाव का उपयोग करके ब्रिटिश फोर्स के लिये आदमियों की भर्ती करे। राजा ने अनुरोध स्वीकार किया और उसने 15000 सिपाहियों की भर्ती की तथा उन्हें पॉलिटिकल एजेन्ट रीवा के सुपुर्द कर दिया। राजा ने इस भर्ती में अपने रिश्तेदार तथा पुराने वफादार सिपाही भी भर्ती किये।[8] इस पर भी अंग्रेज सरकार ने राजा को राज्य का शासन प्रबन्ध नहीं सौंपा। यह बात राज्य की जनता को अखर रही थी और राज्य के कुछ सरदार भी गुप्त रूप से अंग्रेजी सरकार के खिलाफ साजिश में लिप्त थे।

नागौद में मुख्य रूप से सैनिकों ने ही विद्रोही गतिविधियों में भाग लिया था। सैनिकों द्धारा मचाए गए उत्पात का वर्णन पूर्व में 'बघेलखण्ड में विद्रोह का श्री गणेश' शीर्षक के अन्तगर्त किया जा चुका है। किन्तु इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि इन देशी सिपाहियों पर नागौद के राजा, सरदारों एवं जनता के मनोभावों पर भी प्रभाव रहा है। विद्रोह के प्रारंभ होने में इस अफवाह का भी योगदान रहा कि 'एक यूरोपियन सेना नागौद आ रही है जो नागौद छावनी के देशी सिपाहियों को नि:शस्त्र कर देगी।' इस तरह स्पष्ट है कि नागौद में विद्रोह मूलत: 'सैनिक विद्रोह' था और जिसके उत्पन्न होने में अफवाहों एवं नागौद के राजा तथा उसके कुछ सरदारों की गुप्त कार्यनीतियों का योगदान भी था।

रीवा नगर – विद्रोह काल में रीवा रियासत के शासक महाराजा रघुराज सिंह थे। महाराजा रघुराज सिंह के पिता महाराजा विश्वनाथ सिंह धार्मिक प्रवृति के व्यक्ति थे। वे राज्य प्रशासन का काम युवराज रघुराज सिंह को 1842 ई. से ही सौंपे हुए थे। महाराजा रघुराज सिंह 1854 ई. में सिंहासनारूढ़ हुये। जिस समय से लेफ्टीनेंट आसवर्न रीवा आया वह महाराजा रघुराज सिंह के निकट रहने लगा। यहा तक कि वह महाराजा के साथ जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा पर भी गया था। 17 जुलाई 1857 को विलोबी आसवर्न को गवर्नर जनरल ने रीवा का पॉलिटिकल एजेन्ट बना दिया। इसके बाद से महाराजा पर पॉलिटिकल एजेन्ट का प्रभाव बढ़ गया और शासन कार्य पॉलिटिकल एजेन्ट के मतानुसार चलने लगा। उपरोक्त कारणों से रीवा राज्य के अनेक सरदार महाराजा से अप्रसन्न रहने लगे। इसके अलावा अधिकारी वर्ग भी महाराजा के कार्यो का विरोध करने लगे। राज्य के कुछ मुसलमान सलाहकार भी अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के कारण पॉलिटिकल एजेन्ट के खिलाफ महाराजा के कान भरने लगे।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि रीवा राज्य के प्रमुख व्यक्ति एवं सरदार महाराजा रघुराज सिंह पर एजेन्ट के बढ़ते प्रभाव से अप्रसन्न थे। इसका कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेन्ट को दरबार में उपस्थिति से इन सरदारों एवं प्रमुख व्यक्तियों की अहमियत कम हो गयी थी। यहाँ तक कि महाराजा रीवा द्धारा 'रीवा फोर्स के आठ सौ पैदल सैनिक, तीन सौ सैनिक एवं चार तोपें पॉलिटिकल एजेन्ट के सुपुर्द कर देने से, राज्य के प्रमुख व्यक्ति एवं सरदारों ने महाराजा तक को 'जनता का शत्रु' करार दिया।

यद्यपि महाराजा रघुराज सिंह प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के साथ थे किन्तु नगर में हो रही विद्रोही गतिविधियों को उनका भी समर्थन प्राप्त था। विद्रोही गतिविधियों को शह देने में महाराजा रघुराज सिंह के अपने स्वार्थ थे। रीवा का पॉलिटिकल एजेन्ट अपने 30 अक्टूबर 1857 के पत्र में लिखा, 'विद्रोह के बावत् जो कुछ भी हुआ है उस पर राजा की सहमति अवश्य थी। वह तो कोसन्ता, कोटा, सोहावल आदि को हड़पने के प्रयास में था।' इससे स्पष्ट है कि महाराजा स्वयं भी ब्रिटिशों के बढ़ते प्रभाव से नाराज थे और विद्रोह के अवसर पर वे अपने राज्य का विस्तार भी करना चाहते थे।

एक अन्य घटना ने विद्रोह की अग्नि को भड़काने का काम किया। दक्षिण में तैलंगाना के एक ब्राहम्ण को पॉलिटिकल एजेन्ट आसवर्न ने विद्रोही होने की शंका पर गिरफ्तार कर लिया। रीवा नगर में ऐसी चर्चा थी कि उसे फॉसी दे दी जावेगी। हिन्दू धर्म संहिताओं में ब्राहम्ण के लिए मृत्युदंड का विधान नहीं है। अतएव रीवा राज्य के कई सरदारों– जिनमें से चार बाघेला सरदार रणमत सिंह, धीर सिंह, पंजाब सिंह, एवं श्याम शाह प्रमुख थे – ने इस ब्राह्मण को छुड़ाने का प्रयास किया। किन्तु आसवर्न ने किसी की बात नहीं सुनी और उपर्युक्त चारों बाघेला सरदारों को कार्य मुक्त कर दिया। इसके बाद ही रणमत सिंह एवं अन्य बघेल सरदारों ने धर्म की रक्षा के लिये अंग्रेजों के विरूद्ध युद्ध छेड़ दिया।

इस प्रकार रीवा राज्य के सरदारों की आसवर्न के कारण रीवा दरबार में घटती महत्त, महाराजा रघुराज सिंह की राज्य की महत्वकांक्षा एवं आसवर्न द्धारा ब्राह्मण को फॉसी दिए जाने का हिन्दू धर्म विरोधी निर्णय ने रीवा में

* (इतिहास) पं. शम्भूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत

विद्रोह को जन्म दिया। किन्तु ऐसा नहीं है कि उपर्युक्त कारण मात्र ही विद्रोह के लिए उत्तरदायी थे। रीवा की जनता भी राज्य शासन में ब्रिटिश प्रभाव की विरोधी थी। इसका प्रमाण भीड़ द्वारा रीवा में आसवर्न के टेन्ट का जलाया जाना था। इस घटना की रिर्पोट आसवर्न ने अपने 16 जुलाई 1857 के पत्र में बतायी । ऐसा ही एक घटना 8 अक्टूबर 1857 को भी हुई जब धीर सिंह एवं भगवन्त सिंह के नेतृत्व में एक हजार आदमियों ने एजेन्ट के बंगले पर धावा बोलने का प्रयास किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एजेन्ट उनका सामना करने के लिए तैयार है तो वे कुछ समय के लिए थमे रहे। कुछ समय पश्चात वे बगले पर झपटे और वहा से पचासवीं पलटन के एक सिपाही को अपने साथ ले आए। कुछ समय तक ये लोग बंगले के आस-पास घूमते रहे और फिर चले गए। बाद में इन्होने पचासवीं पळटन के उस सिपाही को मुक्त कर दिया। वे आदमी जिन्होने आसवर्न का बंगला घेर लिए थे, वे रीवा के नागरिक ही थे। क्योंकि यदि ये कोई विद्रोही सैनिक होते तो आसवर्न की सेना एवं उनके मध्य संघर्ष अवश्य होता । मूलरूप में ये एक हजार आदमी रीवा की जनता ही थी जो आसवर्न द्वारा सामना करने का निश्चय कर लेने के बाद भाग खड़ी हुई। रीवा की जनता का दबाव एवं भय इतना था कि ब्रिटिश सरकार विद्रोही सरदारों को पकड़ने का साहस नहीं कर पा रही थी। रीवा का पॉलिटिकल एजेन्ट अपने 21 सितम्बर 1858 के पत्र में बताता है कि 'रीवा के सरदार इस समय विद्रोहियों के समूह हैं; उनका साहस एवं जोश इस समय बहुत बढा-चढ़ा है। यदि उनको पकड़ने का प्रयास भी किया गया, तो बड़ा बबेला मच जाएगा, उनके पकड़े जाने पर आम विद्रोह की आशंका है। ऐसी परिस्थिति में महाराजा को भी शासन से च्युत हो जाना पड़ेगा । ऐसे विद्रोह को रोकने तथा महाराजा को सिहासनारूढ़ कराने के लिये ब्रिटिश फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। अत: मैंने (एजेण्ट ने) अभी महाराजा को रोक दिया है कि विद्रोही सरदारों को अभी गिरफ्तार न करें।'

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि रीवा नगर में विद्रोही गतिविधियों को जनता का मात्र समर्थन ही प्राप्त नहीं था, बल्कि जनता प्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग ले रही थी। जनता के मन में अंग्रेजों के प्रति इतनी अधिक नफरत थी कि इसके लिए वह (जनता) अपने महाराजा को भी सिंहासन से च्युत करने को तैयार थी। 1857 के विद्रोह काल में सम्पूर्ण भारत में कुछ ही स्थान ऐसे थे, जहा विद्रोह में प्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी रही हो, रीवा नगर ऐसे ही स्थलों में से एक था। इस प्रकार रीवा में हुए ब्रिटिश प्रतिरोध को हम जनता द्वारा चलाया गया आंदोलन कह सकते हैं, हालाकि इसमें प्रमुख भूमिका भले ही रीवा राज्य के सरदारों की ही क्यों न रही हो।

मैहर-विजयराघवगढ़ – मैहर राज्य की सनद ब्रिटिश सरकार ने 1806 में ठाकुर दुर्जन सिंह को दी थी। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके दोनो पुत्रों, बिसन सिंह तथा प्राणदास में झगड़ा हुआ। इसके परिणमस्वरूप मैहर राज्य को दो भागों में बॉट दिया गया। ठाकुर दुर्जन सिंह की मृत्यु के बाद बिसन सिंह को मैहर का राज्य तथा प्राणदास को विजयराघवगढ़ का राज्य मिला।

बिसन सिंह की मृत्यु के बाद, मैहर राज्य के उत्तराधिकार के लिए उसके पुत्रों में झगड़ा होने लगा। बिसन सिंह अपनी मृत्यु के पूर्व अपने ज्येष्ठ पुत्र मोहन प्रसाद को 'राज्य के उत्तराधिकारी' के रूप में मान्यता दिला गया था। लेकिन मोहन प्रसाद की मृत्यु के पश्चात, उसके (बिसन सिंह के) द्वितीय पुत्र नेपाल सिंह ने बखेड़ा खड़ा किया। यह मामला गवर्नर जनरल के एजेण्ट के पास पहुँचा। गवर्नर जनरल के पास तथ्य प्रस्तुत किये गये , उसने जॉच पड़ताल के बाद मोहन प्रसाद के पुत्र के पक्ष में अपना निर्णय दिया। इस निर्णय से नेपाल सिंह क्रोधित हो उठा तथा वह अंग्रेज सरकार के विरोध में जनमत जागृत करने में जुट गया। ब्रिटिश सरकार भी उसकी गतिविधियों पर निगाह रखने लगी।

विद्रोह काल में मैहर का अवयस्क राजा रघुबीर सिंह आगरा के स्कूल में पढ़ रहा था। इस समय मैहर राज्य का शासन प्रबंध ब्रिटिश सरकार के हाथ में था। ब्रिटिश सरकार ने कैप्टन गार्डन को मैहर राज्य का प्रबंधक नियुक्त किया। नागौद में तो अशांति थी ही। उसकी हवा पड़ोसी राज्य मैहर को लगना स्वाभाविक थी। मैहर का शासन प्रबंध यदि सीधे वहॉ के राजा के हाथ होता तो गनीमत होती। दूसरी ओर नेपाल सिंह मैहर के वातावरण को अशांत कर रहा था। उसे मैहर राज्य के अन्य ठाकुर भी सहयोग देने लगे।

जुलाई 1857 में जैतपुर की रानी फत्तमवीर देव ने दो सौ बंदूकचियों की फौज भेजकर मैहर पर अधिकार कर लिया। यद्यपि कुछ समय पश्चात ही मैहर में अंग्रेजों का पुन: नियंत्रण स्थापित हो गया। किन्तु मैहर की स्थिति नाजुक बनी हुई थी और वहॉ अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था की गई। इसके अलावा नागौद के पॉलिटिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट की प्रार्थना पर अजयगढ़ की रीजेण्ट रानी ने अजयगढ़ की सेना मैहर, अंग्रेजों की सहायता के लिए भेजी थी।

नेपाल सिंह ने मैहर के तहसीलदार तथा पंडित को मैहर से 19 सितम्बर 1857 को निकाल दिया। तत्पश्चात नेपाल सिंह ने मैहर तहसील कोष से राजस्व वसूली के 1020 रूपये छीन लिए। किन्तु इतना होने के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने नेपाल सिंह को विद्रोही घोषित नहीं किया तो इसकी वजह थी। चूँकि ब्रिटिश सरकार यह जानती थी कि नेपाल सिंह मैहर राज्य पर अपना दावा अस्वीकार (ब्रिटिश सरकार द्वारा) किये जाने से नाराज है। अतएव ब्रिटिश सरकार नेपाल सिंह की छोटी-मोटी गळतियों को नजरअंदाज कर रही थी। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार को यह भय भी था कि विद्रोही घोषित किए जाने पर नेपाल सिंह विन्ध्य क्षेत्र के अन्य विद्रोहियों से जा मिलेगा, जिससे स्थिति भयावह हो सकती थी।

विजयराघवगढ़ का अवयस्क राजा सरजूप्रसाद जिसकी आयु लगभग सत्रह वर्ष की थी, वह भी अपने चाचा के बहकावे में आ गया। समकालीन लेखक मुंशी मुन्नालाल27 अपनी पुस्तक 'तवारीख-ए-मैहर 'में य हाल ए बलवा 1857 ई.' इस प्रकार दिया है – 'माह अक्टूबर 1857 में ठाकुर नेपाल सिंह किसी आवश्यक कार्य से विजयराघवगढ़ गए। उसी रात को ठाकुर सरजू प्रसाद के आदेश से तहसीलदार सैयद साबित अली मार डाले गए। ठाकुर नेपाल सिंह अपनी बदनामी के ख्याल से फौरन मैहर रवाना हो गए। उस समय किसी ने मैहर के तहसीलदार कालिका प्रसाद को यह खबर दी, कि ठाकुर साहब विजयराघवगढ़ से सलाह करके आये हैं और तुमको भी कत्ल करेंगे। तहसीलदार ने इसकी खबर मुकाम नागौद को की। उस समय मिस्टर कोल्स साहब बहादुर छुट्टी लेकर विळायत तसरीफ ले गये थे। इसलिये असिस्टेंट सुपरिन्टेडेंट साहब माधवगढ़ रवाना हुये। परन्तु किसी बड़जात ने मौजा पिपरा के पास बंदूक मार दी। इससे एक खिदमदगार घायल हुआ और एक दाना छर्रा किसी सुवारन औरत को लगा। इस पर तहसीलदार व असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब बहुत ही नाराज हुये। ठाकुर नेपाल सिंह ने हर तरफ से खातिरदारी की मगर कुछ भी ख्याल नहीं किया गया। पोळिटिकल एजेन्ट साहब बहादुर रीवा की हुजूर में रिपोर्ट कर दी गई ठाकुर साहब ने एजेन्टी से पत्र व्यवहार किया परन्तु कुछ भी ळिहाज नहीं हुआ। अंत में महाराजा साहब रीवा (रघुराज सिंह) एवं उनकी फौज के साथ खुद पॉलिटिकल एजेन्ट साहब बहादुर (आसवर्न) मुकाम मैहर तशरीफ लाये। पचीस दिन तक युद्ध चलता रहा।

आखिर पूस सुदी 3,संवत 1914 (29 दिसंबर 1857 ई.) के दिन साहब बहादुर की विजय हुई। ठाकुर नेपाल सिंह विजयराघवगढ़ के लिये रवाना हो गये ठकुराईन साहिबा राजमाता व सभी राजकुमार किला से निकलकर अखाड़ा रामसखी जी में रहे।'

उपर्युक्त घटना की पुष्टि मौलवी रहमान अली द्धारा भी होती है जो कि मैहर पर आक्रमण करने वाली रीवा फार्स के साथ ही में थे। रहमान अली लिखते हैं कि आसवर्न ने मैहर के विद्रोहियों का दमन करने के लिए 12 नवम्बर 1857 ई. को दीनबन्धु पाण्डे के अधीन एक फौज रीवा से रवाना की। इस फौज में 4000 पैदल, 120 गोलन्दाज और 10 तोपें थी। इसके अलावा नई गढ़ी के इलाकेदार छत्रधारी सिंह सेंगर को 200 बंदूकचियों और दो जरब तोप सहित दीनबन्धु के साथ भेजा गया। राज्य के अन्य इलाकेदारों और तालुकेदारों को भी सेवा में उपस्थित होने के लिए दरबार से आदेश हुआ। सिंगरौली का राजा इसी आदेश के तहत रीवा दरबार में उपस्थित हुआ था। उसे राजा रघुराज सिंह ने आदेश दिया कि वह अपने इलाके में वापस जाकर विद्रोहियों पर कड़ी नजर रखे।

1707 ई. में हिरदेशाह बुंदेला द्धारा विजित किए जाने के पश्चात मैहर, रीवा दरबार के हाथ से हमेशा-हमेशा के लिए निकल गया था। रीवा राजा इसे पाने के लिये सतत प्रयासरत रहे, लेकिन कामयाब न हो सके। 1857 के विद्रोह के समय मैहर पर आक्रमण कर उसे विजित करने का एक अच्छा अवसर रीवा दरबार को प्राप्त हुआ। अर्थात दिखावे के तौर पर रीवा फौज अंग्रेजों के पक्ष से मैहर में विद्रोह का दमन करने के लिये भेजी गयी , लेकिन उस समय उसका वास्तविक उद्देश्य मैहर को विजित कर रीवा राज्य मे पुन: सम्मलित करना था।

सर्वप्रथम दीनबन्धु पाण्डे ने नेपाल सिंह के इलाके कंचनपुर पर आक्रमण किया। नेपाल सिंह ने रीवा फौज का डटकर मुकाबला किया। परन्तु अधिक समय तक वह उसके सामने नहीं टिक सका और 23 नवम्बर 1857 ई. (22 अगहन संवत्) 1914 को वह गढ़ी छोड़कर पळायन कर गया। तत्पश्चात दीन बन्धुपाण्डे ने कंचनपुर की गढ़ी पर अधिकार कर लिया। इन आक्रमणों के समय दीनबन्धु की सेना व्यवस्था का उत्तरदायित्व य तवारीख-ए-बघेलखण्ड' के लेखक मौलवी रहमान अली पर था।

कंचनपुर गढ़ी को अधिकृत करने पर रीवा फौज का उत्साह और मनोबल अत्याधिक बढ़ गया था। यह उत्साहित सेना जब मैहर की तरफ बढ़ रही थी, तो रास्ते में उस पर चौरा (कंचनपुर से कुछ मील के फासले पर स्थित गॉव) की गढ़ी से वहॉ के तालुकेदार गोपालदास ने बंदूक द्धारा गोलाबारी शुरू कर दी। जिसका जवाब रीवा फौज ने तोपों से दिया। फलत: गोपालदास अपने साथियों सहित चौरा की गढ़ी छोड़कर मैहर में शरण लेने को विवश हुआ। इस प्रकार 4 दिसंबर 1857 को चौरा की गढ़ी पर भी रीवा का अधिकार स्थापित हुआ।

रीवा फौज चौरा से रवाना होकर शीघ्र ही मैहर पहॅुच गई। उस समय मैहर के 'शहर पनाह' में विद्रोहियों की संख्या काफी बढ़ गयी थी। अधिकांश व्रिदोहियों ने मैहर में ही शरण प्राप्त की थी। इसलिए दीनबंधु पाण्डे ने रीवा फौज के द्धारा मैहर के शहरपनाह पर घेरा डाल दिया। दोनों तरफ से बन्दूकें और तोपें चलने लगी। 29दिसम्बर 1857 के दिन जब थोड़ी रात शेष रह गयी थी, तो रीवा फौज के कुछ सैनिक , जिनमें प्रमुख बघेल और कलचुरि थे, सीढ़ी के द्धारा शहरपनाह की दीवार में चढ़कर शहर के अन्दर प्रवेश कर गए। इससे घबराकर विद्रोही गढ़ी में जा छिपे। अन्तत: 4 जनवरी 1858 को रीवा फौज ने मैहर की गढ़ी पर विजय प्राप्त कर ली।

इसी प्रकार मैहर इलाके के अन्तर्गत आने वाली अन्य गढ़ियों को भी रीवा फौज ने एक-एक करके अपने कब्जे में ले लिया। 19 जनवरी 1858 को झुकेही की गढ़ी को विजित किया। दो दिन बाद 21 जनवरी को रीवा फौज ने कन्हवारा पहुँचकर वहाँ की गढ़ी पर अधिकार कर लिया और 1 फरवरी 1858 को उसने विजय-राघवगढ़ की गढ़ी पर अपना अधिपत्य जमाया। वहा का इलाकेदार सरजूप्रसाद फकीर के भेष में बच निकला, जिसने 1865 ई. में आत्महत्या कर ली। इन लड़ाईयों में लूट का माल जो जिसके हाथ आया, उसी का हुआ । दीन बन्धु पाण्डे ने जहॉ तक हो सका, जनता की लूटी गयी समग्री वापस दिला दी। फिर भी देउरा (देवराजनगर) का ठाकुर जो उस सेना में एक सरदार था , ने मैहर के किसी मंदिर के सोने का कलश निकालकर देउरा (तहसील-अमरपाटन, जिला-सतना) के मंदिर में लगवा लिया था। मैहर, विजयराघवगढ़ अभियान में जितनी तोपें (लगभग 42) रीवा फौज को प्राप्त हुईं, उनमें से दो जरब तोप, आसवर्न ने दीनबन्धु से प्रसन्न हो कर , उसे प्रदान कर दिया। कड़क बिजली और बांडा-कसाव नामक दो तोपें, जो बघेलों के समय से मैहर में थी, रीवा राजा रघुराज सिंह ने ले ली। ये दोनो तोपें अभी भी रीवा किले में रखी हुई हैं। शेष तोपों को आसवर्न ने इलाहाबाद भिजवा दिया।

इस प्रकार मैहर-विजयराघवगढ़ के विद्रोह का दमन करने के पश्चात, 11 मार्च 1858 से बिछिया मोहल्ला (रीवा) के राम दयाल पाठक के अधीन एक फौज ग्रेट डेकन रोड की सुरक्षार्थ मैहर विजयराघवगढ़ में रखी गयी। इस फौज में 2582 पैदल, 317 सवार,16 गोलन्दाज और 2 जरब तोपें थी। रहमान अली लिखता है कि 'वास्ते हिफ़ाजत सड़क दक्षिण के चौकियात इलाका मैहर व विजयराघवगढ़ में 11 मार्च सन् 1858 ईस्वी लगायत आखीर मार्च सन् 1858 ई. तैनात रही। आखिरकार अंग्रेजों के दबाव से रीवा फौज को मैहर से हटना पड़ा और मैहर पर अधिपत्य स्थापित करने का रीवा दरबार का यह अंतिम प्रयास भी निरर्थक रहा।

इसके अलावा इस सम्पूर्ण विवरण से रीवा के महाराजा रधुराज सिंह की भी स्वार्थ लिप्सा का पता चलता है। अन्य क्षेत्रों में वे विद्रोहियों- रणमत सिंह, धीर सिंह, पंजाब सिंह इत्यादि की सहायता करते नजर आते हैं। किन्तु मैहर में वे अंग्रेजों के साथ मिलकर नेपाल सिंह का दमन करने में लगे थे। क्योंकि उनका मूल उद्देश्य विद्रोह के अवसर का लाभ उठाकर मैहर राज्य को हस्तगत करना था। इस प्रकार एक ओर अपने राज्य (रीवा) का विस्तार करने के लिए रघुराज सिंह अंग्रेजों के साथ थे वहीं दूसरी ओर नेपाल सिंह मैहर राज्य पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के विरूद्ध हो गया था। यदि अंग्रेज नेपाल सिंह को मैहर राज्य का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लेते तो नेपाल सिंह अंग्रेजों के साथ अन्य विद्रोहियों का दमन करते दिखाई देता। नेपाल सिंह की रूचि मैहर राज्य प्राप्त में थी न कि अंग्रेजों का विरोध करने में या उन्हें हटाने में।

सोहागपुर - सोहागपुर इलाके का क्षेत्रफल 2896 वर्ग मील वर्ग मील था। यह इलाका रीवा राज्य का ही अंग था जो रीवा राजा के ज्येष्ठ पुत्र की खासगी में रहता था। युवराज के सिंहासनारूढ़ होने पर नये युवराज को फिर से यह क्षेत्र मिल जाता था। 1807 ई. में सोहागपुर को नागपुर के भोंसलों ने रीवा राज्य से छीन लिया था। बाद में 1818 में मराठों के पतन के पश्चात यह कम्पनी सरकार के प्रत्यक्ष शासन के अन्तर्गत आ गया। लेकिन सोहागपुर के राजस्व की मात्रा अत्यधिक कम होने के कारण यह इलाका 1826 ई. में पुन: नागपुर के भोंसलें राजा रघुजी द्धितीय के अधीन कर दिया गया। 11 दिंसबर 1853 ई. में रघुजी द्धितीय की मृत्यु के पश्चात

सोहागपुर अंग्रेजी राज्य में पुन: मिला लिया गया। रीवा दरबार कई वर्षों से सोहागपुर अंग्रेजों से वापस मॉग रहा था , लेकिन अंग्रेज अधिकारी इसकी मॉग को अनसुनी करते रहे। दूसरी तरफ सोहागपुर के इलाकेदार भी रीवा राज्य के अधीन होने के इच्छुक थे। 1857 के विद्रोह के समय सोहागपुर इलाका मण्डला जिले की जागीर के रूप में एजेण्ट ऑफ द गवर्नर जनरल- 'सागर-नर्मदा क्षेत्र' के अधिकार में था।

सोहागपुर का प्रमुख विद्रोही नेता सोहागपुर के जागीरदार का अनुज गरूड़ सिंह था। सोहागपुर के जागीरदार की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी विधवा रानी सुलोचना कुॅअरि के कोई पुत्र भी न था। अतएव गरूड़ सिंह सोहागपुर इलाके का अधिपति बनना चाहता था किन्तु उसकी भाभी सुलोचना कुॅअरि सोहागपुर इलाके की आधी जागीर पर अपना अधिकार चाहती थीं। इन्हीं कारणों से गरूड़ सिंह ओर सुलाचना कुॅअरि के बीच अनबन रहने लगी। सुलोचना कुॅअरि ने अंग्रेजों का पल्ला पकड़ा और अंग्रेज भी सुलोचना कुॅअरि के पक्ष में थे। इसी समय सम्पूर्ण राष्ट्र में 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो गया और सुलोचना कुॅअरि ने अंग्रेजों को अपने पक्ष में रखने के लिए उनकी सहायता करना प्रारंभ कर दिया। विद्रोह काल में वह (सुलोचना कुॅअरि) अंग्रेजों की फौज को रसद आपूर्ति करती थी। गरूड़ सिंह ने अपनी भाभी का कड़ा विरोध किया कि वह ब्रिटिश फोर्स की मदद न करे। किन्तु रानी ने अपने देवर गरूड़ सिंह की बात नहीं मानी। जब वह (रानी) एक शाम ब्रिटिश कैम्प पर जा रही थी, तब गरूड़ सिंह तथा जुझार सिंह रानी को पकड़कर पहाड़ी पर ले गये तथा वहॉ उसे मार डाला। रानी सुलोचना कुॅअरि की पुत्री सुल्तान कुॅअरि किसी प्रकार सोहागपुर से पलायन करके अपने मामा के पास ग्राम बुरोथर (परगना बैरागढ़) जिला इलाहाबाद पहॅुची और गरूड़ सिंह भी इस घटना के बाद फरार हो गया।

विद्रोह में गरूड़ सिंह का भाई भरत सिंह बघेल और बलवंत सिंह बघेल51 भी साथ दे रहे थे। खैरार (सोहागपुर) निवासी दुर्गा दिमान, निगमानी का लक्ष्मण सिंह लोधी एवं उसका भाई बळभद्र सिंह एवं शहपुरा के विजय सिंह लोधी और उनके वफादार अपने-अपने दलों के सहित गरूड़ सिंह का साथ दे रहे थे। गरूड़ सिंह को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पॉच सौ रूपये ईनाम की घोषणा की थी। वह पकड़ में नहीं आ सका और वह भागकर रीवा राज्य में पहॅुचा । गरूड़ सिंह ने ब्रिटिश सरकार (मेजर इळियस) को आवेदन किया कि उसे माफ किया जाए तथा उसकी जागीर बहाल की जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. विक्रम सिंह बघेल -रीवा के बघेल राज्य का पर राष्ट्र संम्बन्ध (1360-1859), शोधप्रबन्ध, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा , 1992.
2. शहडोल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर।
3. रीवा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर।

****

वैदिक युग में कृषि एवं पशुपालन

डॉ. शुक्ला ओझा *

प्रस्तावना – सदैव से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। यहां की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का उत्कृष्ट स्थान हमेशा रहा है। भारत में खाद्य उत्पादन का सबसे पहला साक्ष्य ईसा पूर्व 5000 के आसपास उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बलूचिस्तान में मिलता है। सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर बेलन नदी के किनारे मेहरगढ़ नामक स्थान से पहला स्पष्ट खेती का साक्ष्य मिला है। यहां कृषिजन्य गेहूं और जौ की विभिन्न किस्में मिली हैं। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में काल दिहवा नामक स्थान पर ईसा पूर्व छठी तथा पांचवी शताब्दी का वन्य एवं कृषिजन्य चावल मिलने तथा दक्षिण भारत में ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी की कृषिजन्य बाजरे की किस्म मिलने के साक्ष्य उपलब्ध है। इस प्रकार नव पाषाण काल को भारत में कृषि के प्रारंभिक विकास के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस काल में मनुष्य शिकारी के स्थान पर कृषक एवं पशुपालक बनकर निश्चित स्थान पर रहने लगा जिससे भारत में मानव सभ्यता का तीव्र गति से विकास हुआ। नव पाषाण काल में मानव खेती के लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। उसके हल, दरांती , कुल्हाड़ी, हथौड़े इत्यादि समस्त उपकरण पत्थर के बने होते थे। प्रारंभ में वह स्वयं अपने हाथों से खेती करता था बाद में उसने हल चलाने के लिए बैलों का प्रयोग करना भी प्रारंभ कर दिया था।

हड़प्पा युगीन कृषि – हड़प्पा संस्कृति में गेहूं, जौ का उत्पादन बहुतायत में होता था।[1] यहां के निवासी अन्य विविध प्रकार के अन्न की कृषि से परिचित थे।[2] हड़प्पा संस्कृति में अनाज के जो बड़े भंडार मिले हैं वे इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि गांव वाले अपनी आवश्यकता से अधिक अन्न का उत्पादन करते थे जिसका प्रयोग नगरों के निवासी करते थे। इस संस्कृति को नगरीय संस्कृति बनाने में एक प्रमुख तत्व यह अतिरिक्त अन्न प्राप्त होना भी था। दक्षिण भारत में तेकल कोटा, पेयम पल्ली एवं हल्लूर में कुलथी, उड़द और रागी की खेती होती थी। लोथल, रंगपुर के निवासी चावल के खेती हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण में करने लगे थे। रंगपुर में बाजरे के अवशेष भी मिले हैं। नवधा टोली और सोनेगांव में गेहूं, चावल, मसूर, उड़द के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नावशेषों में खजूर की गुठलियों का मिलना इस बात की ओर संकेत करता है कि यहां के निवासी फलों का भी उपयोग करते थे। मोहनजोदड़ो के अवशेषों से प्राप्त चांदी के कलश के साथ मिला हुआ खादी जैसा कपड़ा तथा सूत लपेटने वाली अनेक नरियां प्राप्त होना यह स्पष्ट करता है कि यहां इस काल में कपास की खेती बहुतायत से की जाती थी। पश्चिम की सभ्यताओं में कपड़े के लिए सिंधु एवं ग्रीक भाषा में सिंदन शब्द का प्रयोग यहां से वस्त्र के आयात पर भी प्रकाश डालता है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार चाइल्ड ने कृषि उपज के आधार पर भी सिंधु सभ्यता की तुलना सुमेर एवं मिस्त्र की सभ्यताओं से की है।[3]

वैदिक काल में कृषि क्रियाएं – ऋग्वैदिक काल में आर्य अधिकतर खेती करते थे इसलिए कृषि या खेती को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था।[4] इस काल में आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन ही थे। ऋग्वैदिक काल में कृषि का पूर्ण विकास हो चुका था।[5] ऋग्वेद के प्रथम मंडल के अनुसार अश्विन देवताओं ने मनुष्य को हल चलाना और जौ की खेत करनी सिखाई।[6] कालांतर में कृषि संबंधी अनेक क्रियाएं विकसित होती चली गई। ऋग्वेद के दसवें मंडल में जंगल काटने, भूमि जोत कर बीज बोने, हंसिये से फसल काटने, खलिहान पर फसल में से अनाज अलग करने के उल्लेख मिलते हैं।[7] ऋग्वेद में खेतों से चिड़िया उड़ाने, बेल जुते हल से जुताई करने, इंद्र देवता से जोतने में सहायता देने हेतु प्रार्थना करने आदि कृषि विषयक क्रियाएं वर्णित हैं।

वैदिक काल में प्रमुख फसलें – ऋग्वेद में मात्र दो अनाजों का उल्लेख किया गया है और वह हैं जौ और धान्य। धान्य का अर्थ अनाज से भी लगाया गया है किंतु वर्तमान तक बिना भूसी अलग किए चावल को धान कहने की परम्परा है। अतः यह धान्य शब्द चावल के संदर्भ में ही प्रयुक्त किया गया होगा। गेहूं का उल्लेख ऋग्वेद को छोड़कर समस्त संहिताओ में है।[8] शतपथ ब्राह्मण में भी कृषि संबंधी विभिन्न क्रियाएं वर्णित हैं यथा खेत जोतने, बीज बोने, फसल काटने, और पीटकर अनाज गाहने इत्यादि।[9] अथर्ववेद में जौ, चावल, तिल, उड़द, ईख, श्यामक आदि फसलें वर्णित हैं। यजुर्वेद में कुछ तृण धान्य यथा प्रियंगु,अणु, श्यामक, निवार के साथ उड़द, मूंग, मसूर जैसी दालों की उपस्थिति दर्ज है। यजुर्वेद में चावल की पांच किस्में वर्णित हैं– महाब्रीही, कृष्णाब्रीहि, शुक्लब्रीही, आशुधान्य एवं हायन। इसमें महाब्रीही सर्वोत्तम किस्म का चावल माना जाता था। आशुधान्य की विशेषता यह थी कि यह जल्दी पकता था तथा हायन नामक चावल, जो लाल रंग का होता था, उसकी फसल पकने में एक वर्ष का समय लगता था।[10] वैदिक काल में आर्य अन्न के अतिरिक्त फल, शाक, तिलहन ,मसालों, औषधियों इत्यादि का भी उत्पादन करते थे। तिलहन में तिल और सरसों का उत्पादन होता था। वैदिक साहित्य में जिन फलों की खेती का विवरण प्राप्त होता है वह हैं तीन किस्म के बेर–वदर, कुवल, कर्कन्धु। खजूर, आम, आंवला, बेल भी इस काल में उत्पादित होने वाले प्रमुख फल थे। शाक अथवा सब्जियों में ककड़ी, नींबू, कमल ककड़ी, लौकी, सिंघाड़े की खेती के स्पष्ट प्रमाण है। मसालों की खेती भी इस युग की विशेषता है, जिनमें से प्रमुख मसाला किस्में थी– राई, हल्दी मिर्च इत्यादि। इसी प्रकार सोम के अतिरिक्त अपामार्ग, कुष्ठ, नलद इत्यादि औषधियों एवं भांग की खेती करना भी आर्य जानते थे।[11]

वैदिक युगीन कृषि उपकरण – आर्यों ने ऋग्वैदिक काल में कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले विविध उपकरणों का लिखित विवरण वैदिक साहित्य में

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (इतिहास) डॉ. भगवत सहाय शासकीय महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

प्रस्तुत किया है। ऋग्वैदिक काल में हल का प्रयोग होता था। अथर्ववेद में तो हलो का आकार बहुत बड़ा हो गया था। अथर्ववेद में छ: से बारह बैल जोतकर बड़े हलों से खेतों की गहरी जुताई करने का उल्लेख किया गया है।[12] यह तथ्य खेतों के बड़े आकार की और भी संकेत करता है। कुदाल का प्रयोग भी खेत को कृषि हेतु तैयार करने के लिए किया जाता था। हंसिया, छलनी, फसल की कटाई करने से संबंधित उपकरण थे। अनाज को मापने के लिए उर्दर नामक बर्तन का प्रयोग किया जाता था। वैदिक काल में कृषि श्रमिकों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अथर्ववेद में अवश्य है वर्णित है कि कुछ नारियां अनाज गाहने का कार्य करती थी। सामान्यत: परिवार के लोग ही खेती का कार्य करते थे, यही परंपरा भारत में कालांतर में भी बनी रही। इस काल में कृषि उत्पादन में सुधार एवं कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु खाद का भी प्रयोग किया जाता था।

वैदिक युग में सिंचाई व्यवस्था – भारतीय कृषि मानसून का जुआ होती थी। अच्छी फसल अच्छी वर्षा पर निर्भर करती थी। इसीलिए वैदिक काल में अच्छी वर्षा हेतु ईश्वर से अनेक प्रकार से प्रार्थना की जाती थी। इस प्रकार की प्रार्थना भी आर्य करते थे जिनके प्रभाव से नदियों द्वारा भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने की अपेक्षा की जाती है। ऋग्वैदिक काल से ही सिंचाई के लिए कृत्रिम साधनों का भी प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में कुओं से सिंचाई के उल्लेख मिलते हैं। उसी में नालियों के माध्यम से खेतों में पानी पहुंचाने की तकनीक का भी वर्णन मिलता है। कुओं के साथ नहर खोदने तथा उनके जल से खेतों में सिंचाई करने की तकनीक का ज्ञान भी आर्यों को था, जिसकी पुष्टि अथर्ववेद में सिंचाई हेतु नहर खोदने के उल्लेख से हो जाती है।[13] वैदिक साहित्य में सूत्र ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कौशिक सूत्र में उस धार्मिक क्रिया का विवरण दिया गया है जिसके बाद नहर से पानी खेतों में छोड़ा जाता था।[14] इसी प्रकार विष्णु सूत्र एवं वशिष्ठ सूत्र में कहा गया है कि राजा और प्रजा को तालाब व कुएं बनवाने चाहिए ।गाथा सप्तशती के अनुसार सिंचाई के लिए सर्वप्रथम रहट का प्रयोग किया गया था, तत्पश्चात कुएं तालाब, नदियां, नहरें सिंचाई के पर्याय बन गए। वैदिक युग के कुछ काल पश्चात् ही मौर्य युग में कौटिल्य द्वारा सिंचाई के आधार पर कृषक पर कर लगाने की अनुशंसा की गयी है। उनके मतानुसार कुएं से सिंचाई करने वाले कृषक को उपज का पांचवा भाग कर के रूप में देना चाहिए। सिंचाई के साधनों की यह उन्नति वैदिक युग में भी दिखाई देती है।

प्राकृतिक प्रकोप एवं कृषि – अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, टिड्डी दल का प्रकोप इत्यादि प्राकृतिक आपदाएं कृषि के लिए हानिकारक होती थीं, इनसे कृषक शंकित एवं चिंतित रहते थे। अथर्ववेद में मौसम की भविष्यवाणी करने वाले का वर्णन किया गया है[15] जो इन विपदाओं की पूर्व सूचना देकर कृषकों को सतर्क कर देता था। अथर्ववेद में ऐसे मंत्र सम्मिलित हैं जिनसे अनावृष्टि, अतिवृष्टि, दुर्भिक्ष के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। कुछ मंत्रों के उच्चारण से कीड़ों टिड्डियों को नष्ट करने में सहायता मिलती थी। छांदोग्य उपनिषद में ऋषि चक्रायण की कथा दी गई है जिसमें बताया गया है कि कुरू देश में टिड्डियों के प्रकोप से फसल नष्ट हो जाने के कारण अकाल पड़ गया था जिससे पीड़ित होकर ऋषि चक्रायण को अपनी भार्या के संग कुरु देश को छोड़कर दूसरे प्रदेश जाना पड़ा था तथा कुल्मांश खाने पर विवश भी होना पड़ा था। इसप्रकार प्राकृतिक आपदाएं कृषि एवं कृषकों के लिए गंभीर समस्या थी।

कृषि एवं राजस्व – प्राचीन युग में राजस्व व्यवस्था का प्रारंभ राजा के चयन से हुआ। राजा ने प्रजा को रक्षा करने का वचन दिया तथा प्रजा ने राजा के प्रति निष्ठा रखते हुए कर देने का वचन दिया। वैदिक युग में आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार कृषि होने के कारण राजस्व में भू राजस्व का महत्वपूर्ण स्थान बना रहा। कृषकों से राजा भूमि कर लेता था जिसके लिए ग्राम भोजक नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। कर की दर समयानुसार परिवर्तित होती रहती थी। यह भूमि फसल एवं परिस्थिति के अनुसार लिया जाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा को जो उपहार दिए जाते थे, वह बलि नामक कर के अंतर्गत आते थे। राजा को कृषकों से निश्चित भूमि कर के अतिरिक्त कभी– कभी जो अधिक आय प्राप्त होती थी वह कर कहलाती थी। कुछ विशेष अन्न पर अलग से कर भी लिया जाता था उसे धान्य कहते थे।[16] शाक, भाजी, सिंचाई इत्यादि पर भी कर लगते थे।

वैदिक युग में पशुपालन – कृषि का समानान्तर व्यवसाय पशुपाल होता है जिसके संकेत भारत में पाषाण युग से ही मिलने प्रारंभ हो जाते है। हड़प्पा युगीन अर्थव्यवस्था में भी पशुओं का महत्व खुदाई में प्राप्त मुहरों पर अंकित पशु आकृतियों तथा पशु मूर्तियों से स्पष्ट हो जाता है इतिहास लेखक वी. डी. महाजन के अनुसार इस युग में लोग गाय, भैंस, हाथी, भेड़, कुत्ता, सुअर आदि को पालते थे।[17] वैदिक अर्थव्यवस्था का व्यापक विवरण वैदिक साहित्य में उपलब्ध है जिसके आधार पर यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि आर्यों की यह सभ्यता ग्रामीण एवं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाली थी तथा इसमें सहायक व्यवसाय के रूप में पशुपालन भी प्रमुखत: स्थापित था। आर्यों की जीवन शैली में गाय एवं बैल का अत्यधिक महत्व था। गाय को मारना बुरा माना जाता था तथा उसे अधन्या कहा जाता था। दान देने में भी गाय महत्वपूर्ण होती थी। वैदिक साहित्य में ऐसे प्रसंग उपलब्ध है जिनमें कहा गया है कि राजा द्वारा कृषि को ऐसी गाये दान में दी गयी जिनके सींगों पर स्वर्णापद बधे हुए थे। उनके खोने, पैर टूटने, चारी होने के भय के भी उल्लेख मिलते है।[18] गाय को दुहने का कार्य लड़कियां करती थी इसी कारण उन्हें दुहिता या दुहितृ कहा जाता था। पशुओं की वृद्धि के लिए प्रार्थनाएं भी की जाती थीं। गाय से दुध व बैल प्राप्त होने के कारण उनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक था। खेत में हल जोतने तथा बोझा ढ़ोने के लिये बैल एवं साड़ों का प्रयोग किया जाता था। बकरे का मांस भोजन में प्रयुक्त होने के कारण बकरी पालन भी पशुपालन का अहत हिस्सा थी भेडों की ऊन से कपड़े बनाए जाते थे। गधे, कुत्तों एवं खच्चर भी रथो की गाड़ियों में जोते जाते थे तथा माल डोने का यही उपयोग ऊंटों का भी था। वैदिक युग में पशुपालन के अन्तर्गत धोड़ा पालन भी महत्वपूर्ण था से युद्ध, दान, सवारी हेतु तथा रथों को खींचने में महत्वपूर्ण से प्रयोग में लाए जाते थे। घोड़ों का भी मांस खाया जाता था।[19] राजाओं के रथों के लिए तथा युद्ध के लिये हाथी पाले जाते थे।

इस प्रकार वैदिक कालीन आर्थिक जीवन में कृषि एवं पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान था। वैदिक काल में कृषि व्यवस्था पुरजोर उन्नति कर रही थी। पाषाण काल में प्रारंभ होने वाली यह व्यवस्था हड़प्पा संस्कृति में उन्नति करती है तथा वैदिक काल में तो यह अर्थव्यवस्था का आधार एवं अभिन्न अंग बन जाती है। पर्याप्त कृषि उत्पादन ने ही वैदिक युग में व्यापार ,उद्योगों के विकसित करने में मदद दी तथा उन्नत कृषि एवं उन्नत कृषि उपज ही उन्नत व्यापार का भी आधार बनी तथां राज्य की आय में महती योगदान देने में समर्थ हो सकी। कृषि का विकास जितना वैदिक युग में दृष्टिगोचर होता है, वह अतुलनीय है। इससे भी बढ़कर तथ्य यह है कि इस युग में कृषि एवं पशुपालन का जो स्वरूप स्थापित किया गया, वह आज भी भारत में दिखाई देता है। सिंचाई के साधनों के प्रति जागरूकता भी इस युग के महत्व को

और अधिक बढ़ा देती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विद्यालंकार सत्यकेतु – भारतीय संस्कृति का विकास– पृष्ठ– 50
2. भारद्धाज दिनेश – भारतीय संस्कृति की रूपरेखा– पृष्ठ –28
3. चाइल्ड , वी. जी. – न्यू लाइट ऑन मोस्ट एशियंट ईस्ट– पृष्ठ – 185
4. महाजन, वी. डी. – प्राचीन भारत का इतिहास – पृष्ठ –6505.
5. बंदोपाध्याय – इकोनामिक लाइफ एंड प्रोग्रेस इन एशियंट इंडिया– पृष्ठ 126
6. ऋग्वेद – 1, 117 ,21
7. ऋग्वेद – 10, 94,13
8. ओम प्रकाश – फूड एंड ड्रिंक्स इन एशियंट इंडिया– पृष्ठ –09
9. शतपथ ब्राह्मण – 1, 6,1, 3
10. ओम प्रकाश – फूड एंड ड्रिंक्स इन एशियंट इंडिया– पृष्ठ –10
11. बंदोपाध्याय – इकोनामिक लाइफ एंड प्रोग्रेस इन एशियंट इंडिया– पृष्ठ– 132
12. अथर्ववेद – 6, 91, 1
13. अथर्ववेद – 6, 3, 13
14. कौशिक सूत्र – 40, 3–6
15. छांदोग्य उपनिषद – 1,10,1,13
16. घोषाल – हिंदू रिवेन्यू सिस्टम – पृष्ठ –210
17. महाजन, वी. डी. – प्राचीन भारत का इतिहास – पृष्ठ –35
18. वैदिक एज – पृष्ठ क्रमांक 399
19. ऋग्वेद – 1, 16,3

****

व्यक्तिगत सत्याग्रह में सतपुड़ांचल का अवदान

डॉ. संकेत कुमार चौकसे *

शोध सारांश – 1940 के अगस्त प्रस्ताव के प्रावधानों से स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश सरकार भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है, इसलिए महात्मा गांधी ने अक्टूबर 1940 के वर्धा प्रस्ताव में व्यक्तिगत सत्याग्रह की योजना प्रस्तुत की। वे इस आंदोलन के माध्यम से भारतीय भावनाओं को व्यक्त करना चाहते थे। साथ ही वह ब्रिटिश सरकार की गंभीर स्थिति का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहते थे इसलिए उन्होंने सीमित स्तर पर व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया यह आंदोलन अन्य आंदोलनों से भिन्न प्रकृति था। यह किसी प्रकार का जन आंदोलन नहीं था जिसमें व्यक्ति सामूहिक रूप से ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करे अपितु यह एक व्यक्तिगत प्रयास था जिसके अंतर्गत गांधीजी द्वारा चयनित सत्याग्रही जनसमूह के समक्ष युद्ध विरोधी नारे अथवा भाषण प्रस्तुत कर गिरफ्तार होने तक सत्याग्रह करता रहता था। एक प्रकार से यह आंदोलन नैतिक विरोध की अभिव्यक्ति मात्र था। प्रस्तुत शोधपत्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह में सतपुड़ांचल के अवदान को बतलाने का प्रयास किया गया है।

शब्द कुंजी – व्यक्तिगत सत्याग्रह।

प्रस्तावना – 1 सितम्बर 1939 को जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया, इसके पूर्व वह मार्च 1938 में आस्ट्रिया और मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर चुका था। अतएव फ्रांस और ब्रिटेन ने हिटलर के प्रति तुष्टीकरण की नीति का परित्याग कर जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। इसी के साथ द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ हो गया।[1] युद्ध प्रारंभ होते ही भारतीय वायसराय लिनलिथगो ने एक घोषणा कर भारत को युद्ध में ब्रिटेन के साथ जोड़ दिया। इस संबंध में न तो भारतीय नेताओं से परामर्श करना उचित समझा गया और न ही प्रांतीय सरकारों से इस बारे में कोई विचार-विमर्श किया गया। जून 1940 तक युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण हो गई। अतएव भारतीय कांग्रेस ने 7 जुलाई 1940 को 'पूना प्रस्ताव' के अनुसार शासन को सशर्त सहयोग का प्रस्ताव रखा। प्रथम शर्तानुसार ब्रिटिश सरकार युद्ध समाप्ति के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने का आश्वासन दे तथा द्वितीय शर्तानुसार सरकार तत्काल कदम के रूप में भारतीय प्रशासन में सभी संवैधानिक दलों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर ऐसी अंतरिम सरकार का गठन करे जो केन्द्रीय मंत्रीमण्डलों में निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी हो। तात्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया।[2]

वैधानिक गतिरोध दूर करने तथा भारतीयों का सहयोग लेने की मंशा से 8 अगस्त 1940 को शासन की ओर से तात्कालीन वायसराय लार्ड लिनलिथगो ने एक वक्तव्य जारी किया जो 'अगस्त प्रस्ताव' के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव में वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार और उसमें भारतीयों की संख्या में वृद्धि, युद्ध परामर्श समिति की स्थापना, युद्ध समाप्ति के बाद भारतीय प्रतिनिधित्व द्वारा संविधान निर्माण प्रस्ताव तथा अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना कोई संवैधानिक परिवर्तन लागू न करना इत्यादि प्रावधान रखे गए थे। साथ ही इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि –'एटलांटिक चार्टर भारत पर लागू नहीं होगा' अर्थात भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य ही दिया जाएगा।[3] 'अगस्त प्रस्ताव' के प्रावधानों से असंतुष्ट होकर अक्टूबर 1940 के वर्धा प्रस्ताव में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की योजना प्रस्तुत की जिसे स्वीकृत कर लिया गया।

गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का क्रियान्वयन दो चरणों में किया। प्रथम चरण में 17 अक्टूबर से 24 दिसम्बर 1940 तक की अवधि में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, केन्द्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधान परिषदों के कांग्रेसी सदस्य तथा गांधीजी द्वारा चुने गये कुछ अन्य लोगों द्वारा सत्याग्रह किया गया। गांधीजी ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोवा भावे का चयन किया था। विनोवा भावे ने 17 अक्टूबर 1940 को वर्धा से 6 मील दूर पावनेर नामक स्थान पर 575 व्यक्तियों की सभा में युद्ध विरोधी भाषण देकर व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ किया।[4] इसके पश्चात् अनेक व्यक्तियों द्वारा सत्याग्रह किया गया। गांधीजी ने 24 दिसम्बर 1940 से 4 जनवरी 1941 तक क्रिसमस के अवसर पर आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की। परंतु शासन ने 31 दिसम्बर की रात को कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आजाद को गिरफ्तार कर लिया। इससे गांधीजी ने आंदोलन का द्वितीय चरण आरंभ कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह का द्वितीय चरण प्रथम की अपेक्षा अधिक व्यापक और प्रभावशाली रहा।

मध्यप्रांत के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात थी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का केन्द्र वर्धा के निकट स्थित गांधीजी का सेवाग्राम आश्रम था। यही पर प्रत्येक प्रांतीय कांग्रेस समिति सत्याग्रहियों की सूची गांधीजी के अनुमोदनार्थ भेजती थी तथा उनके द्वारा अनुमोदित व्यक्ति ही सत्याग्रह कर सकते थे। गांधीजी चाहते थे कि केवल ऐसे व्यक्ति ही सत्याग्रही बने जिनका अहिंसा के सिद्धांत में पूर्ण विश्वास हो तथा वे इसे मन, विचार, हृदय तथा कर्म से स्वीकार करते हो। सत्याग्रही के लिए आवश्यक होता था कि वह अपने सत्याग्रह की सूचना एक दिन पूर्व जिले के अधिकारियों को दे। इसे सत्याग्रह का दिन समय तथा स्थान की सूचना भी देनी पड़ती थी।

* अतिथि विद्वान (इतिहास) राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

तथा नियत समय व स्थान पर सत्याग्रह करना होता था।[5] इस सत्याग्रह में मध्यप्रांत की ओर से पहले सत्याग्रही गोविंददास हुए जो उन दिनों व्यक्तिगत कारणों से कलकत्ता में निवास कर रहे थे। सत्याग्रह प्रारंभ होते ही वह अपने गृहनगर आ गये तथा सत्याग्रह हेतु एक विशाल जुलूस सहित सत्याग्रह स्थल 'मंगेला ग्राम' पहुँचे। जहाँ पर उन्होंने जनता से सरकार को किसी प्रकार की सहायता न करने का अनुरोध किया।[6] इसके पश्चात् मध्यप्रांत में व्यक्तिगत सत्याग्रह ने व्यापक रूप धारण कर लिया।

व्यक्तिगत सत्याग्रह का सतपुड़ांचल की राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ा। यहाँ स्थित सभी जिलों में सत्याग्रहियों का नामांकन किया गया तथा उनके प्रशिक्षण हेतु सत्याग्रह शिविर लगाए गए। सतपुड़ांचल स्थित बालाघाट जिले के सैंकड़ों स्वयंसेवकों ने गांधीजी से व्यक्तिगत सत्याग्रह करने हेतु अनुमति मांगी। इस सत्यागह के संघर्ष के लिए जिला कांग्रेस बालाघाट के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी व अनुपस्थिति से सत्याग्रह प्रभावित न हो, इसलिए पन्नालाल दुबे जिला कांग्रेस व्यवस्थापक मनोनित हुए। आंदोलन के दौरान अनेक सत्याग्रही बालाघाट से पैदल रवाना हुए तथा नरसिंहपुर, बाह्मणघाट, चांवरपाठा तक गए। वहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा एक सप्ताह बाद छोड़ दिया गया।[7] जिले में 31 अक्टूबर 1940 तक सत्याग्रहियों की संख्या 36 थी जो फरवरी 1941 तक बढ़कर 261 हो गई। जिले के सत्याग्रही में करामात हुसैन, कन्हैयालाल मुंशी, शंकरलाल तिवारी, धरमचंद सोलंकी, कंसलाल गढ़ेवाल, प्रेमलाल गढ़ेवाल, रामदयाल गढ़ेवाल, वंशीलाल, बालकृष्ण रामटेक्कर, विक्टर, हरिशंकर अग्रवाल, सुखराम कतिया, टेकचंद जैन, दद्दूलाल बोरकर, बद्रीनारायण अग्रवाल, श्यामलाल, शांतिलाल जैन इत्यादि उल्लेखनीय है।[8]

सन 1939 में जबलपुर के निकट त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। सिवनी के लिए यह सौभाग्य की बात थी कि कांग्रेस का अधिवेशन इतने निकट हो रहा था। निस्संदेह त्रिपुरी का कांग्रेस अधिवेशन सिवनी जिले के लिए प्रेरणास्पद और मार्ग निर्धारक सिद्ध हुआ जिसका प्रभाव व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में दृष्टिगत हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभिक दौर में ही यहाँ के अनेक स्वतंत्रता प्रेमियों ने इसमें भाग लेने के लिए शपथ पत्र भरे जिससे स्पष्ट होता है कि इस जिले में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रति अपूर्व उत्साह एवं जोश विद्यमान था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने से पूर्व सत्याग्रही को गांधीजी को अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। सिवनी में यह अनुमति सर्वप्रथम पं. दुर्गाशंकर मेहता को मिली। उन्होंने छपारा में सत्याग्रह किया जिससे उन्हें गिरफ्तार कर एक वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। तत्पश्चात् पी.डी. जठार को भी सत्याग्रह की अनुमति प्राप्त हो गयी। उन्होंने कान्हीवाड़ा में सत्याग्रह कर 6 माह की सजा पाई।[9] सत्याग्रह में भाग लेने वाले व्यक्तियों में अम्बिकाप्रसाद वैद्य का नाम भी उल्लेखनीय है। इन्होंने लखनवाड़ा से व्यक्तिगत सत्याग्रह कर कारावास का दण्ड पाया।[10] इसके पश्चात् जिले के अन्य व्यक्तियों को भी सत्याग्रह की अनुमति दी गई तथा उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया।

आंदोलन के प्रारंभिक दौर में ही छिंदवाड़ा जिले के लगभग 100 स्वयं सेवकों ने सत्याग्रह हेतु आवेदन किए। सत्याग्रह आरंभ होते ही शासन ने जिले में सत्याग्रहियों के विरूद्ध कठोर कदम उठाए। 1941 के प्रथम तीन माह में ही सभी प्रमुख सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया गया परंतु इससे अन्य सत्याग्रही हतोत्साहित नहीं हुए ओर वे अपने गन्तव्य की ओर बढ़ते गए। व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले जिले के प्रथम स्वयंसेवक अर्जुनसिंह सिसोदिया थे, जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा इन्हें सत्याग्रह का प्रमुख संयोजक बनाया गया था। जिले में सत्याग्रह का नेतृत्व गुलाबचंद चौधरी ने किया, उन्होंने छिंदवाड़ा से 2 मील दूर नागपुर सड़क मार्ग पर स्थित चंदनगाँव में सत्याग्रह किया। इनके साथ ही जिले के सत्याग्रहियों में रमाकांत हल्दुलकर, रविशंकर गुप्ता, हरवंशसिंह चौहान, गोविंदराम त्रिवेदी, कृष्णा स्वामी नायडू, राजाराम तिवारी, नंदलाल सोनी, मनमोध सिंह इत्यादि का नाम भी उल्लेखनीय है।[11] आंदोलन के दौरान जिले में नागपुर के मिल वर्कर्स एसोशिएसन के अध्यक्ष आर.एस.रूईकर के नेतृत्व में एक युवा सम्मेलन आयोजित कर नवयुवकों से अपील की गई कि जब तक स्वराज्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक सरकार को किसी भी प्रकार की सहायता न दी जाए। इस सम्मेलन का भी जिले के नवयुवकों पर गंभीर प्रभाव पड़ा।[12]

इंग्लैण्ड द्वारा भारतीयों से परामर्श के बिना भारत को द्वितीय विश्वयुद्ध में शामिल किए जाने की पूरे देश में प्रतिक्रिया हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिक्रिया बड़ी संतुलित और शालीन थी, परंतु वामपंथी दलों की प्रतिक्रिया थोड़ी उग्र रही। इन दलों द्वारा जनसभाओं तथा जुलूसों के माध्यम से जनअसंतोष को उभारने का कार्य किया जा रहा था। इस समय बैतूल जिले में वामपंथी दलों मुख्यतया फारवर्ड ब्लाक का अधिक प्रभाव था। जिले में फारवर्ड ब्लॉक के नेता आनंदराव लोखण्डे द्वारा कांग्रेस की शालीनता की नीति की आलोचना करते हुए लोगों को युद्ध विरोधी आंदोलन में भाग लेने हेतु तैयार रहने का आव्हान किया गया। उन्होंने स्थानीय विधायक बिहारीलाल के साथ आदिवासी क्षेत्रों में भ्रमण कर ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया। इस आंदोलन के दौरान मई 1941 तक जिले के सत्याग्रहियों की संख्या 229 तक पहुँच गयी थी। इन सत्याग्रहियों में बड़ी संख्या में आदिवासी शामिल थे और इससे भी उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इन आदिवासियों में महिलाएँ भी शामिल थी।[13]

शासन की युद्ध नीति के विरोध स्वरूप अक्टूबर 1940 में आरंभ किया गया व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन निमाड़ जिले के नागरिकों के हृदयों में भी प्रतिध्वनित हुआ। गांधीजी ने जिले में सत्याग्रह करने के लिए प्रांरभ में 25 व्यक्तियों के नाम अनुमोदित किए जिनकी संख्या बाद में बढ़कर फरवरी 1941 तक 69 हो गयी थी। स्वयं को गिरफ्तार करवाने वाले जिले प्रथम अनुमोदित सत्याग्रही भगवंतराव अन्नाभाऊ मण्डलोई थे।[14] इनके पश्चात् खण्डवा, बुरहानपुर, हरसूद और जसवाड़ी इत्यादि क्षेत्रों में एक के बाद एक अनेक व्यक्तियों ने स्वयं को आंदोलन में शामिल कर सक्रिय योगदान दिया। इन सत्याग्रहियों में वीरेन्द्रकुमार उपाध्याय, गंगाचरण दीक्षित, जगन्नाथ मिश्र, नरेन्द्रकुमार उर्फ बाबूलाल, फकीरचंद्र जैन, मार्तण्डराव मजूमदार, रमाशंकर जोशी, रायचंद नागड़ा, नत्थूप्रसाद तिवारी, षिवषंकर पाण्डेय, सिद्धनाथ गन्नूलाल गंगराड़े, घीसाली चौहान, दौलतचंद सोलंकी इत्यादि के नाम उल्लेखनीय है।[15]

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि लगभग 14 माह की दीर्घ अवधि तक चलने वाला व्यक्तिगत सत्याग्रह इसके पूर्व संचालित अन्य आंदोलनों की अपेक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संचालित किया गया। इस आंदोलन के प्रति संपूर्ण देश में उत्साह था तथा इसमें शीर्षस्थ नेता से लेकर साधारण नागरिकों तक ने जेल यात्रायें की। साम्प्रदायिक तनाव के बावजूद आंदोलन का इतने दिनों तक संचालित किया जाना वास्तव में सराहनीय है। सतपुड़ांचल के बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल और निमाड़ जिलों में यह आंदोलन अपूर्व उत्साह एवं साहस के साथ संचालित किया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जैन,डॉ. हुकम सिंह एवं डॉ. कृष्ण चन्द माथुर; आधुनिक विश्व इतिहास,

पृ. 591-592
2. ठाकुर, डॉ. (श्रीमती) एग्नेश ; मध्यप्रांत एवं बरार में दलीय राजनीति तथा स्वाधीनता आंदोलन, पृ. 228
3. खुराना, के.एल. एवं शर्मा, आर.सी.; बीसवीं शताब्दी का विश्व, पृ. 298-299
4. ठाकुर, डॉ. (श्रीमती) एग्नेश) वही, पृ. 232
5. शर्मा, देवेश ; मध्यप्रांत में व्यक्तिगत सत्याग्रह 2006, पृ. 96-97
6. शुक्ल, रामेश्वर प्रसाद एवं शंकरलाल शुक्ल; स्वतंत्रता संग्राम और जबलपुर नगर(1857 से 15अगस्त1947 तक)पृ. 64
7. मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भाग- एक, पृ. 166
8. वही, पृ. 169-196
9. वही, पृ. 224
10. मध्यप्रदेश संदेश 15 अगस्त 1987, पृ. 109-114
11. चवरे माणिकराव ; स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मेलन, जिला छिंदवाड़ा, 1989, पृ. 73-74
12. ठाकुर, डॉ. (श्रीमती) एग्नेश ; वही, पृ. 233
13. श्रीवास्तव, पी.एन.; बैतूल जिला गजेटियर, पृ. 62-63
14. श्रीवास्तव, पी.एन.; पूर्वी निमाड़ जिला गजेटियर, पृ. 66
15. मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भाग - चार, पृ. 99-113

****

11वीं-12वीं शताब्दी में उत्तर भारत की शैक्षिक व्यवस्था

डॉ. देशराज वर्मा *

शोध सारांश – 11वीं-12वीं शताब्दी का उत्तर भारत दो विदेशी तुर्क आक्रान्ताओं- महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण का काल था। इस काल में दो विदेशी तुर्क आक्रांताओं के कारण उत्तर भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्थिति प्रभावित हुई। विवेच्यकाल में उत्तर भारत छोटे-छोटे क्षेत्रीय राज्यों में विभाजित था, जिनके शासक आपस में झगड़ते रहते थे। ऐसी स्थिति में भी उत्तर भारत की शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चल रही थी। इस काल में तुर्कों का स्थायी साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाया था इसलिए यहाँ मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सामान्यत: विवेच्यकाल में ब्राह्मण शिक्षा व्यवस्था और बौद्ध शिक्षा व्यवस्था का प्रचलन था। ब्राह्मण शिक्षा व्यवस्था प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में विभाजित थी। प्राथमिक शिक्षा 5 वर्ष की आयु में विद्यारम्भ संस्कार से प्रारम्भ होती थी। सामान्यत: यह घर पर दी जाती थी। उच्च शिक्षा का प्रारम्भ 'उपनयन संस्कार' से होता था। यह गुरुकुल या आश्रमों में प्रदान की जाती थी। विद्यार्थी जीवन 12 वर्ष का होता था। यदि कोई आचार्य बनना चाहता तो उसे इसके बाद भी पढ़ना होता था। उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह का था। गुरु शिष्य सम्बंध मधुर होते थे। विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था। इस समय काशी, उज्जैयिनी, धारा, ब्राह्मण शिक्षा के प्रमुख केन्द्र थे। बौद्ध शिक्षा व्यवस्था भी दो भागों में विभाजित थी-प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा का आरम्भ 8 वर्ष की आयु में 'प्रवज्या संस्कार' से होता था। प्रवज्या संस्कार के बाद विद्यार्थी को 'सामनेर' कहा जाता था। सामनेर 12 वर्ष तक संघ/मठ में शिक्षा ग्रहण करता था। 12 वर्ष के बाद सामान्य विद्यार्थी की शिक्षा पूर्ण मानी जाती थी। यदि कोई भिक्षु बनना चाहता तो उसका 'उपसम्पदा संस्कार' होता था और वह 10 वर्ष तक अतिरिक्त अध्ययन करता था। विवेच्यकाल में नालन्दा, विक्रमशिला, फुलहारी में उच्च शिक्षा अध्ययन केन्द्र थे। उत्तर प्रदेश में सारनाथ, जेतवन, कश्मीर में इन्द्रवेदी भवन, रत्नादेवी आदि बिहार बौद्ध अध्ययन के केन्द्र थे। इस प्रकार 11-12 शताब्दी तुर्क आक्रमणकारियों के बार-बार आक्रमणों के बावजूद ब्राह्मण और बौद्ध शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चल रही थी।

शब्द कुंजी – ब्राह्मण शिक्षा व्यवस्था, बौद्ध शिक्षा व्यवस्था, विद्यारम्भ संस्कार, उपनयन संस्कार, प्रवज्या संस्कार, उपसम्पदा संस्कार।

प्रस्तावना – वर्तमान काल में अन्य विषयों के साथ-साथ इतिहास का क्षेत्र काफी विस्तृत हुआ है और इससे सम्बन्धित प्रत्येक पक्ष के महत्वपूर्ण व प्रमाणिक तथ्यों को सबके सामने लाने के निरन्तर प्रयास जारी है, ताकि हम किसी भी काल की सही प्रमाणिक और तथ्य परक जानकारी हासिल कर सकें। प्रस्तुत शोध पत्र में 11वीं-12वीं शताब्दी में उत्तर भारत की शैक्षिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। 11वीं-12वीं शताब्दी का उत्तर भारत राजनैतिक रूप से छोटे-छोटे क्षेत्रीय राज्यों में विभाजित था, जो आपस में छोटी-छोटी बातों पर लड़ते-झगड़ते रहते थे। सन् 1030 ई0 में महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद मुहम्मद गौरी के आक्रमण 1175 ई0 तक भारतियों को 145 वर्षों तक विदेशी आक्रमणों से राहत मिली, लेकिन भारतीयों ने इस अवसर का कोई लाभ नहीं उठाया 11वीं-12वीं शताब्दियों में बाहय विदेशी आक्रमणों एवं भारतीय राजाओं के आपसी लड़ाई झगड़ों के बावजूद भी उत्तर भारत में शिक्षा व्यवस्थित रूप से चल रही थी। साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार 11वीं-12वीं शताब्दी के उत्तर भारत में ब्राह्मण शिक्षा व्यवस्था तथा बौद्ध शिक्षा प्रचलित थी।

ब्राह्मण शिक्षा व्यवस्था – ब्राह्मण शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य उस ज्ञान की प्राप्ति करना था, जिससे कि व्यक्ति अपने स्वरूप एवं परमसत्ता के स्वरूप को समझ सके। विवेच्यकालीन शिक्षा के दो स्तर-थे प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा।

प्राथमिक शिक्षा सामान्यत घरों पर ही दी जाती थी। शिक्षा का प्रारम्भ 5 वर्ष की आयु में 'विद्यारम्भ संस्कार' से होता था। शिक्षा का प्रारम्भ किसी 'शुभ दिन' से होता था। इस दिन बालक हरि, लक्ष्मी, सरस्वती अपने कुल की विद्या देवी तथा विद्या विशेष के सूत्रकारों को तथा अपनी चयनित विद्या की देवी को सर्वप्रथम प्रमाण करता था। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक प्राइमरी (मात्रिक न्यास) तथा अंकगणित विषय सम्मिलित होते थे।

प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा का प्रारम्भ 'उपनयन' संस्कार से होता था। उपनयन का अर्थ होता है शिक्षा के प्रारम्भ हेतु बालकों को गुरु के पास ले जाना। उपनयन संस्कार के बाद बालक (शिष्य) को ब्रह्मचारी कहा जाता था। स्मृतिकारों ने पृथक-पृथक जातियों (वर्गो) के लिए उपनयन संस्कार की पृथक-पृथक अवस्थाऐं निर्दिष्ट की थीं। ब्राह्मणों के लिए आठ वर्ष, क्षत्रियों के लिए ग्यारह वर्ष, वैश्यों के लिए बारह वर्ष का समय उपनयन संस्कार के लिए निर्धारित था।

उच्च शिक्षा गुरुकुल या आश्रमों में प्रदान की जाती थी लेकिन मनोनीत काल में वैदिक आश्रम समाप्त प्राय हो गए थे तथा उनके स्थान पर मन्दिर, अग्रसर गाँव एवं विश्वविद्यालय शिक्षा के केन्द्र थे। इनमें काशी, उज्जैयिनी तथा धारा ब्राह्मण शिक्षा प्रमुख केन्द्र थे।

शिक्षण कार्य आचार्य की देखरेख में होता था। विद्यार्थी जीवन 12 वर्ष का होता था। स्मृति चन्द्रिका एवं लक्ष्मीघर के अनुसार, केवल एक वेद का

* सहायक प्रोफेसर (इतिहास) डॉ0 वी0पी0एस0 कॉलेज, फिरोजाबाद (उ.प्र.) भारत

अध्ययन करना ही पर्याप्त है, क्योंकि एक वेद के अध्ययन में ही 12 वर्ष की समयावधि[4] लग जाती थी। इस प्रकार चारो वेदों के अध्ययन में 48 वर्ष लगते थे। ब्रह्मचारी की शिक्षा एक वेद के अध्ययन के बाद (12 वर्ष बाद) पूर्ण मानी जाती थी। यदि कोई आचार्य बनना चाहता था तो उसे अन्य वेदों का भी अध्ययन कराया जाता था। सामान्यत: एक वेद के अध्ययन के बाद (12 वर्ष बाद) ब्रह्मचारियों का समावर्तन संस्कार होता था, इसके बाद ब्रह्मचारी घर आता था तथा उसका ग्रहस्थ जीवन में प्रवेश होता था।

ब्राह्मण शिक्षा प्राप्त करने वाले ब्रह्मचारियों को कठोर अनुशासित नियमों का पालन करना पड़ता था। लक्ष्मीधर[5] ने ब्रह्मचारियों के लिए निम्नलिखित नियमों का उल्लेख किया था, जैसे-दैनिक भोजन के लिए भिक्षावृत्ति, शुचिता के नियमों का पालन करना, संध्योपासना करना, अग्निहोत्र करना, इन्द्रिय निग्रह करना तथा अन्य नियम जो ब्रह्मचारियों के लिये निर्धारित किए गए हों।

11वीं-12वीं शताब्दी में ब्राह्मण पुरोहित एवं पुजारी का कार्य करते थे, अत: वे अपना ध्यान मुख्य रूप से धार्मिक ग्रन्थों के पठन-पाठन पर केन्द्रित रखते थे। क्षेत्रिय लोग वेदाध्ययन की अपेक्षा अपना ध्यान मुख्यतया युद्ध कला एवं प्रशासन पर तथा वैश्य व्यापार वाणिज्य पर देते थे। विवेच्यकाल में राजकुमारों को इस प्रकार शिक्षित किया जाता था कि वे एक विद्वान के साथ-साथ अच्छे प्रशासक भी बने। राज्यधर्मकाण्ड में 'राजकुमार की सुरक्षा' नामक अध्याय से पता चलता है कि मनोनीत काल के राजकुमारों की शिक्षा प्राचीन भारत में दी जाने वाली शिक्षा से अत्यधिक भिन्न नहीं थी। उसे धर्म, अर्थ, काम, शिल्प से सम्बन्धित सूत्रों का अध्ययन कराया जाता था, तथा इसके साथ ही उसे धनुर्विद्या एवं मल्लविद्या[6] की शिक्षा दी जाती थी। मामनसोल्लास[7] में भी इसी प्रकार की शिक्षा की संस्तुति की गयी है। अग्निपुराण तथा वाहस्पत्य अर्थशास्त्र[8] के अनुसार राजकुमारों को कामशास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी।

ब्राह्मण शिक्षा व्यवस्था के पाठ्यक्रम में परा (आध्यात्मिक) विद्या तथा अपरा (भौतिक) विद्या दोनों शामिल थी। परा विद्या के अन्तर्गत उत्तर भारत में वेदों का गहन अध्ययन होता था। लक्ष्मीघर तथा अलबरूनी के अनुसार वेदों का पठन-पाठन एकान्त स्थानों व खुले स्थानों[9] में होता था। लक्ष्मीधर ने यह भी स्पष्ट किया है कि वेदों में दिए गए दिशा निर्देशों को न तो नगरों या सड़को मे या न ही शूद्रों तथा नाईयो[10] के समक्ष प्रकट करना चाहिए, परन्तु समसामयिक अभिलेखीय एवं साहित्यिक वृत्तियों के आलेख से स्पष्ट होता है कि वेदों का पठन महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों जैसे बनारस[11] गया[12] तथा नागर[13] तीर्थ में होता था। अपरा विद्या में कृषि, पशुपालन, कला, कौशल, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, नक्षत्र विज्ञान, आयुर्विज्ञान आदि का अध्ययन सम्मिलित था। ज्योतिष विषय पर अनेक ग्रन्थों का संकलन हुआ जैसे-राजमार्तण्ड, भीमपराक्रम तथा भुजवल निबन्ध[14] भोज द्वारा, सामेश्वर द्वारा मानसोल्लास तथा भवदेव द्वारा अनेक ग्रन्थ लिखे गये। 11वीं शताब्दी में नक्षत्र विज्ञान पर भोज द्वारा राजमृगांक तथा शतानन्द द्वारा भास्वती का लेखन किया गया।

11वीं-12वीं शताब्दी में गुरु-शिष्य सम्बंध में विषय[15] में लक्ष्मीधर के ब्रह्मचारी काण्ड में विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। आपस्तम्भ के एक पद्यांश का उल्लेख करते हुए लक्ष्मीधर का कथन है कि गुरु को अपने शिष्य से अपने पुत्र के समान प्रेम करना चाहिए तथा उसकी प्रत्येक आवश्यकता का उसे ध्यान[16] रखना चाहिए। किसी भी गुरु को यह अधिकार नहीं था कि वह अपने सम्पूर्ण ज्ञान को शिष्य को न प्रदान करें। विद्या गुरु की सम्पत्ति नहीं होती थी, अपितु यह माना जाता था कि वह गुरु में संग्रहीत थी। लक्ष्मीधर ने अपने ग्रन्थ ब्रह्मचारी काण्ड में शिष्य तथा गुरु के परिवार के मध्य सम्बन्धों का उल्लेख किया है। गुरु का पुत्र गुरु के समान परम आदर का अधिकारी था, परन्तु शिष्य उसके अवशिष्ट भोजन को ग्रहण नहीं करता था, न ही उसके शरीर की मालिश करता था और न ही उसके चरण प्रक्षालित करता था। मनु का उल्लेख करते हुए उसका आगे कथन है कि गुरु की पत्नी भी गुरु के समान समादृत समझी जाए तथा गुरु के समान उसका सम्मान प्रदर्शित किया जाए। गुरु की निम्न जातीय पत्नियों के चरणों का स्पर्श[18] करना निषेध था।

बौद्ध शिक्षा व्यवस्था - 11वीं-12वीं में बौद्ध शिक्षा मठों या बिहारों के अलावा कुछ विश्वविद्यालयों में भी दी जाती थीं। बौद्ध शिक्षा के दो स्तर थे-प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा का आरम्भ बालकों की 8 वर्ष की आयु में 'प्रवज्या संस्कार' से होता था। प्रवज्या संस्कार में 8 वर्ष के बालक को केश मुण्डन, पीत वस्त्र धारण करने के साथ-साथ भिक्षु के चरणों में माथा टेकना पड़ता था और उसे बुद्ध शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघ शरण गच्छामि मन्त्रोचारण' करना पड़ता था। प्रवज्या संस्कार के बाद बालक को 'नव शिष्य', 'श्रमण या सामनेर' कहा जाता था। प्रवज्या संस्कार के बाद सामनेर संघ में अपने चुने हुये भिक्षु से 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता था। 12 वर्ष के अध्ययन के बाद सामान्य लोगों की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी और वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। 12 वर्ष के अध्ययन के बाद यदि कोई भिक्षु बनना चाहता था तो उसका 'उपसम्पदा संस्कार' होता था। उपसम्पदा संस्कार के बाद सामनेर को 'भिक्षु' कहा जाता था। उसे 10 वर्ष और शिक्षित किया जाता था। इस प्रकार 30 वर्ष की आयु तक सम्पूर्ण शिक्षा समाप्त हो जाती थी।

11वीं-12वीं शताब्दी में बौद्ध शिक्षा प्रदान करने में मठों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिहार में नालन्दा, विक्रमशिला, ओदतंपुरी तथा मुंगरे के निकट फुलहारी नामक मठ विकसित थे। अभिलेखों एवं साहित्य से ज्ञात होता है कि उत्तरी तथा पूर्वी में बंगाल में कुछ प्रसिद्ध बिहार या मठ भी थे, जैसे जगदल, सोमपुरा, देवीकोट आदि। उत्तर प्रदेश में सारनाथ[19] तथा जेतवन[20] शिक्षा के केन्द्र थे। कश्मीर में विद्या इन्द्रवेदी भवन, चणक्रण, रत्ना देवी आदि बिहार थे।

11वीं-12वीं शताब्दी में अधिकांश बौद्ध शिक्षण संस्थाओं को राजकीय संरक्षण तथा आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी। पाल राजाओं ने अनेको बिहारो की स्थापना की तथा उन्हें बड़े-बड़े अनुदान दिये। धर्मपाल ने नालन्दा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 11 गांव दान में दिए। इसके अतिरिक्त पाल शासकों ने विक्रमशिला, ओदंतपुरी तथा वरेन्द्री में जगदल बिहार की स्थापना की तथा उन्हें बड़े-बड़े अनुदान दिये। सारनाथ तथा जेतवन के मठों को गोविन्द चन्द्र गहणवाल तथा उसकी राजमहिषी कुमादेवी ने न केवल पुनर्जीवन प्रदान किया अपितु प्रचुर अनुदान भी उपलब्ध कराए थे। गहडवालों के एक सामन्त विद्याधर ने जावृष[21] में एक मठ की स्थापना की थी। दामोदर नामक एक ब्राह्मण ने लक्ष्मण सेन[22] के शासनकाल में एक बिहार की स्थापना की।

विवेच्यकाल में सभी प्रसिद्ध मठों ने भारत के विभिन्न भागों से आए विद्वान शिक्षक अध्यापन करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय[23] के अनेक प्रसिद्ध शिक्षकों में कश्मीर के शाक्यश्री, नेपाल के रत्नाकीर्ति, वैरोचन, कनकश्री तथा बुद्धश्री प्रमुख थे।

11वीं-12वीं शताब्दी शताब्दियों मे प्रसिद्ध विद्वानों जैसे-आतिश,

दीपंकर, अभयाकर, गुप्त, वनरत्न, विभूति चन्द्र, दानशील, मोक्षाकार गुप्त तथा शुभाकर गुप्त द्वारा बिहार में नालन्दा, विक्रमशिला, फुलहारी में अनेक मौलिक ग्रन्थों तथा टीकाओं का लेखन किया गया। कुमारचन्द तथा धर्माकर ने तन्त्र तथा संवर व्याख्या का संकलन क्रमश:[24] विक्रमपुरी (ढाका) तथा जगद्दल (राजशाही) नामक विश्वविद्यालयों में किया। मामका नामक बौद्ध भिक्षुणी ने सारनाथ में स्थित सद्धर्म चक्रम प्रवर्तन[25] बिहार में 'अष्टसहस्त्रिका' नामक ग्रन्थ का पुनर्लेखन किया। कश्मीर के रत्नगुप्त तथा रत्नरश्मि बिहारों में 11वीं-12वीं शताब्दियों[26] में अनेक महायान बौद्ध ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया।

निष्कर्ष – 11वीं –12वीं शताब्दियों की शैक्षिक व्यवस्था के गहन अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस काल में विदेशी तुर्क आक्रमणकारियों के बार-बार आक्रमण के बावजूद भी ब्राह्मण तथा बौद्ध शिक्षा व्यवस्था चलती रही। इस काल के शासकों ने शिक्षा को राज्य की जिम्मेदारी मानते हुये शिक्षा से सम्बन्धित मंदिरों, मठों, बिहारों तथा विश्वविद्यालयों को बड़े-बड़े अनुदान दिए। कुलीन वर्ग के लोग सामाजिक एवं अन्य उत्सवो के अवसर पर गुरुओं एवं उनके शिष्यों को निमंत्रित करते थे तथा सुन्दर उपहार आदि प्रदान करते थे। मठों तथा गुरुकुलों (ब्राह्मण शिक्षा संस्थानों) में विद्यार्थियों को भोजन तथा आवास दोनों ही प्रदान किए जाते थे। इस काल में ब्राह्मण शिष्यो से गुरुओं को यह अपेक्षा रहती थी कि वे अपना भोजन भिक्षावृत्ति द्वारा प्राप्त करें। गुरु तथा शिष्यों के सम्बंध मथुर होते थे। विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था। वास्तव में विद्यार्थी जीवन अत्यंत कठिनाईयों से परिपूर्ण था। जिन पुस्तकों का उसने अध्ययन कर लिया हो वे उसे कंठस्थ करनी होती थी। उसे पुस्तकों तथा टीकाओं की हस्तलिपि तैयार करनी पड़ती थी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भोज का राज मार्तण्ड तथा वीर मित्रोदेय में भीम पराक्रम संस्कार प्रकाश, पृ0 322-325।
2. देवण्ण भट्ट, स्मृति चन्द्रिका, प्रकाशक-गर्वमेन्ट ऑफ मैसूर, पृ0 66-67।
3. वही, I 26 तथा अपरार्क (याज्ञवलक्य) I 131
4. देवण्ण भट्ट, स्मृति चन्द्रिका, प्रकाशक गर्वमेन्ट ऑफ मैसूर, I -29, ब्रह्मचारी, पृ0 263
5. लक्ष्मीधर, ब्रह्मचारीकाण्ड खण्ड- I पृ0 271-74
6. लक्ष्मीधर, राजधर्मकाण्ड, अध्ययन XI. पृ0 99
7. सामेश्वर, मानसोल्लास, अध्याय III 1283-1303
8. अग्निपुराण, पंचानन तर्क रत्न द्वारा सम्पादित (सं. कलकत्ता) अध्याय 225-1, वाहस्पत्य अर्थशास्त्र II 5-6
9. साचू I-27
10. लक्ष्मीधर, ब्रह्मचारी काण्ड, पृ0 257-259
11. इपिग्राफिका, इण्डिका (इं. आई.) 299 (रेवा अभिलेख)
12. गौडलेख माला, पृ0 112, कृष्ण द्वारिका मन्दिर अभिलेख का श्लोक 3
13. इण्डियन एन्टीक्वेरी (आई.ए.) I 1, 102
14. काने, जे.ओ.आर.ई. खण्ड XXIII पृ0 94-127
15. लक्ष्मीधर, ब्रह्मचारीकाण्ड पृ0 199-201, 221-227, 240-243 आदि।
16. वही, पृ0 240
17. वही, पृ0 242, मनु II114 से उद्धरित
18. वही, पृ0 227-248
19. इ. आई IX 328
20. वही, XI 24 तथा आई.ए. XVII 62
21. आई.ए. XVII (1888) पृ0 62
22. हिस्ट्री ऑफ बंगाल (एच0बी0) खण्ड-प्रथम डॉ0 आर0सी0 मजूमदार द्वारा सम्पादित मई 1943, पृ0 232
23. वी.पी. मजूमदार जे0बी0आर0एस0 1956 के विशेष अंक में, पृ0 182
24. इण्डियन हिस्ट्रोरिकल क्वार्टरली, कलकत्ता, पृ0 230-232
25. एच0सी0रे0 डायानेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नार्दन इण्डिया, खण्ड II पृ0 785
26. आर0सी0 मजूमदार एवं पुसालकर, दी स्ट्रगिल फार एम्पायर, भारतीय विद्या भवन सीरीज, बम्बई, 1957, पृ0 420

****

राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में शिक्षा के आयामों का अध्ययन

डॉ. अभिमन्यु वशिष्ठ *

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र प्रमुख राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में शिक्षा के आयामों के अध्ययन पर आधारित है। इस अध्ययन का उद्देश्य राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में शिक्षा के विभिन्न आयामों सम्बन्धी घोषणाओं का अध्ययन एवं तुलना करना है। इस हेतु शोधार्थी ने चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों द्वारा जारी उनके चुनावी घोषणा पत्रों में शिक्षा के सम्बन्ध में को गई घोषणाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया। निष्कर्ष रूप में पाया गया कि घोषणा पत्रों में शिक्षा सम्बन्धी आयाम सामान्य रूप से दिए गए है।

प्रस्तावना – वर्तमान भारत कई राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक उतार चढ़ावों से गुज़र कर एक लोकतांत्रिक, सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, स्वतन्त्रता, समानता और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित राष्ट्र के रुप में विश्व पटल पर अपनी छवि बनाए हुए है। वर्तमान में राजनीतिक दलों का जनता से अपनी नीतियों के सन्दर्भ में सम्पर्क बनाये रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है घोषणा पत्र। इन्हीं घोषणा पत्रों के द्धारा राजनीतिक दल अपने विचार शिक्षा सहित प्रत्येक पक्ष पर रखने का प्रयास करते हैं। ये घोषणाऐं शासन सत्ता प्राप्त करने का मुख्य साधन है।शोधार्थी द्धारा घोषणा पत्रों से सम्बन्धित विभिन्न शोध साहित्य यथा –श्रीनिवास धनन्जय (20110), सूरी अभय (2018), सबाह फारुख (2018), बोगन स्प्राइड (2016) का अध्ययन किया । जिससे विभिन्न विचारधाराएँ सामने आई जिनको ध्यान में रखकर शोधार्थी द्धारा इस विषयवस्तु को चुना गया।अन्तत: शोधार्थी के अन्तर्मन में ये प्रश्न आया कि घोषणा पत्रो में शिक्षा पर क्या उल्लेख किए गए हैं ? से सम्बन्धित अध्ययन किया जाये।

शोध प्रश्न – प्रस्तुत शोध अध्ययन में जो शोध प्रश्न उत्पन्न हुए वे निम्नानुसार है –

(i) प्रमुख राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में शिक्षा से सम्बन्धित कौन से आयाम दिए गए हैं?

(ii) प्रमुख राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में शिक्षा से सम्बन्धित आयामों में शिक्षा सम्बन्धी घोषणाओं में क्या समानताएं एवं असमानताएं हैं?

शोध उद्देश्य –

(i) राजस्थान में शिक्षा के सन्दर्भ में प्रमुख राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में शिक्षा के निम्नांकित आयामों का अध्ययन करना –

(1) शिक्षा का सम्प्रत्यय
(2) शिक्षा का उद्देश्य
(3) शिक्षा का पाठ्यक्रम
(4) शिक्षण विधियाँ
(5) शिक्षा के संसाधन
(6) शिक्षा का माध्यम
(7) शिक्षा में मूल्यांकन
(8) विद्यालयी, महाविद्यालयी एवं विश्वविद्यालयी शिक्षा
(9) शिक्षा में शोध
(10) शिक्षक शिक्षा
(11) शिक्षा का बजट
(12) शिक्षा की गुणवत्ता
(13) शिक्षा और राष्ट्रीय विकास
(14) शिक्षा का प्रबन्धन

(ii) उपरोक्त सन्दर्भ में प्रमुख राजनैतिक दलों के घोषणा पत्रों में शिक्षा सम्बन्धी घोषणाओं की तुलना करना।

सकारात्मक परिकल्पना –

1. प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में शिक्षा के उद्देश्यों में वर्णित उपरोक्त आयामों/पक्षों सम्बन्धी उल्लेख/कथन दिए है।
2. प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में शिक्षा के उद्देश्यों में वर्णित उपरोक्त आयामों/पक्षों सम्बन्धी घोषणाएं की है।

शोध विधि – शोधकार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध अध्ययन के अन्तर्गत आदर्शमूलक सर्वेक्षण विधि एवं घटनोतर विधि (Ex Post Facto Method) का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श – शोधकार्य में राजस्थान के निम्नांकित प्रमुख राजनीतिक दलों के 1998, 2003, 2008, 2013 व 2018 के विधानसभा चुनाव घोषणा पत्रों तथा 1999, 2004, 2009, 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्रों को न्यादर्श में सम्मिलित किया गया है:–

(1) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian Natinoal Congress/INC)
(2) भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party/BJP)
(3) भारतीय साम्यवादी दल (Communist Party of India/CPI)
(4) भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सिस्ट (Communist Party of India Marxist/CPIM)
(5) समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party/SP)
(6) बहुजन समाजवादी पार्टी (Bahujan Samaj Party/BSP)
(7) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (Nationalist Congress Party/NCP)
(8) आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party/AAAP)
(9) राष्ट्रीय जनता पार्टी (National People's Party/NPEP)
(10) जमींदारा पार्टी (National Unionist Zamindara Party/NUZP)

शोध में प्रयुक्त उपकरण –

(i) वर्ष 1998 से 2019 तक के घोषणा पत्र (विभिन्न राजनीतिक दलों द्धारा निर्मित)।

(ii) घोषणा पत्र के अध्ययन हेतु स्वनिर्मित जाँच प्रपत्र परिणाम एवं विवेचना प्रदत्तों के विश्लेषण के पश्चात प्राप्त परिणामों को निम्नांकित रुप में दर्शाया

* प्राचार्य सिद्धश्वर विनायक शि. प्रशि. महाविद्यालय, धरियावद, जिला-प्रतापगढ़, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (राज.) भारत

गया है –

सकारात्मक परिकल्पना – प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में शिक्षा के विभिन्न आयामों /पक्षों सम्बन्धी उल्लेख/कथन दिए हैं तथा घोषणाए की हैं।

(i) INC ने शिक्षा के सम्प्रत्ययों तथा शिक्षा के उद्देश्यों को छोड़कर अन्य सभी शिक्षा के आयामों यथा – पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, शिक्षा के संसाधन, शिक्षा का माध्यम, शिक्षा में मूल्यांकन, शिक्षा में शोध, शिक्षक शिक्षा, शिक्षा का बजट, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास एवं शिक्षा के प्रबन्धन के सम्बन्ध में घोषणा पत्रों में उल्लेख किया है।

(ii) BJP ने शिक्षा की विधियों को छोड़कर अन्य सभी शिक्षा के आयामों यथा – शिक्षा के सम्प्रत्यय, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षा के संसाधन, शिक्षा का माध्यम, शिक्षा में मूल्यांकन, शिक्षा में शोध, शिक्षक शिक्षा, शिक्षा का बजट, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास एवं शिक्षा के प्रबन्धन के सम्बन्ध में घोषणा पत्रों में उल्लेख किया है।

(iii) CPI ने शिक्षा की विधियों, शिक्षा में मूल्यांकन, शिक्षा में शोध, शिक्षक शिक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता तथा शिक्षा और राष्ट्रीय विकास के सन्दर्भ में अपने घोषणा पत्रों में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया है। शेष रहे शिक्षा के आयामों यथा – शिक्षा के सम्प्रत्यय, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षा के संसाधन, शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का बजट एवं शिक्षा के प्रबन्धन के सम्बन्ध में घोषणा पत्रों में उल्लेख किया है।

(iv) CPI (M) ने शिक्षा के सम्प्रत्यय, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की विधियों, शिक्षा का माध्यम, शिक्षा में मूल्यांकन तथा शिक्षक शिक्षा के सन्दर्भ में अपने घोषणा पत्रों में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया है। शेष रहे शिक्षा के आयामों यथा – पाठ्यक्रम, शिक्षा के संसाधन, शिक्षा में शोध, शिक्षा का बजट, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास एवं शिक्षा के प्रबन्धन के सम्बन्ध में घोषणा पत्रों में उल्लेख किया है।

(v) SP ने शिक्षा के सम्प्रत्यय, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का माध्यम, शिक्षा में मूल्यांकन तथा शिक्षा में शोध के सन्दर्भ में अपने घोषणा पत्रों में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया है। शेष रहे शिक्षा के आयामों यथा – पाठ्यक्रम, शिक्षा के संसाधन, शिक्षक शिक्षा, शिक्षा का बजट, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास एवं शिक्षा के प्रबन्धन के सम्बन्ध में घोषणा पत्रों में उल्लेख किया है।

(vi) BSPने अपने वादों में शिक्षा के संसाधन और शिक्षा के प्रबन्धन के अलावा किसी भी शिक्षा के आयामों के सन्दर्भ में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया है।

(vii) NCP ने अपने घोषणा पत्रों में शिक्षा के सम्प्रत्यय, शिक्षा में मूल्यांकन तथा शिक्षक शिक्षा के सन्दर्भ में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया है। शेष रहे शिक्षा के आयामों यथा – शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षा के संसाधन, शिक्षा का माध्यम, शिक्षा में शोध, शिक्षा का बजट, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास एवं शिक्षा के प्रबन्धन के सम्बन्ध में घोषणा पत्रों में उल्लेख किया है।

(viii) AAAP ने अपने घोषणा पत्रों में शिक्षा के सम्प्रत्यय, शिक्षा की विधियों, शिक्षा का माध्यम, शिक्षा में शोध तथा शिक्षा और राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया है। शेष रहे शिक्षा के आयामों यथा – शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षा के संसाधन, शिक्षा में मूल्यांकन, शिक्षक शिक्षा, शिक्षा का बजट, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं शिक्षा के प्रबन्धन के सम्बन्ध में घोषणा पत्रों में उल्लेख किया है।

(ix) NPEP ने अपने घोषणा पत्रों में शिक्षा में संसाधन, शिक्षा का बजट, शिक्षा गुणवत्ता तथा शिक्षा के प्रबन्धन के अलावा किसी भी शिक्षा के आयामों के सन्दर्भ में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया है।

(x) NUZPने अपने घोषणा पत्रों में शिक्षा में संसाधन तथा शिक्षा के प्रबन्धन के अलावा किसी भी शिक्षा के आयामों के सन्दर्भ में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया है।

शोध प्रश्न एवं परिणाम – (देखे आगे पृष्ठ पर)

शोध के प्रमुख परिणाम के आधार पर शैक्षिक निहितार्थ – देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में शिक्षा के पाठ्यक्रम, संसाधन, बजट एवं शैक्षिक प्रबन्ध सम्बन्धी घोषणाएँ पर्याप्त मात्रा में हुई है लेकिन शिक्षा के माध्यम, विधियाँ, मूल्यांकन, शिक्षक शिक्षा संबंधी घोषणाएँ किए जाने की आवश्यकता है।

- **राजनीतिक दलों के लिए सुझाव–** राजनीतिक दलों को शिक्षा संबंधी घोषणाओं को पूरी करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए।
- **निर्वाचन आयोग के लिए सुझाव –** निर्वाचन आयोग को शिक्षा संबंधी घोषणाओं की पूर्ति करने हेतु राजनीतिक दलों को नियमानुसार बाध्य करना चाहिये।
- **अभिभावकों के लिए सुझाव –**प्रमुख राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में शिक्षा संबंधी घोषणाओं के प्रति जागरूकता बढ़ावें तथा प्रजातान्त्रिक तरीके से वाज़िब मांगों को पूर्ण कराने का प्रयास करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. कोठारी, आर. (2007) भारत में राजनीति कल और आज : नयी दिल्ली. वाणी प्रकाशन,पृ.19
2. सूद, जे.पी. (2006) पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास : मेरठ. के. नाथ एण्ड कम्पनी,पृ. 38
3. चड्ढा, पी. के. (1988) पाश्चात्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, जयपुरः आदर्श प्रकाशन,पृ. 53
4. शेखर, एस. (2017) लोकतंत्र नीति और नियति. सागर : विश्वविद्यालय प्रकाशन,पृ. 185–190
5. काश्यप, एस. (2007) हमारा संविधान . नयी दिल्लीः नेशनल बुक ट्रस्ट,पृ. 253–257
6. वशिष्ठ, ए. (2016) शासन प्रणाली के सन्दर्भ में लोकतंत्र और अधिनायकवाद. प्रतापगढ़ : पुनीत प्रकाशन, पृ. 37
7. प्रियंवद . (2019) भारतीय राजनीति के दो आख्यान नई दिल्ली : हिन्द पॉकेट बुक्स, पृ. 179.

शोध प्रश्न एवं परिणाम

क्र.स.	शोध प्रश्न	शोध परिणाम
1.	प्रमुख राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में शिक्षा से सम्बन्धित कौनसे आयाम दिये गये हैं?	प्रमुख राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में शिक्षा के सम्प्रत्यय, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधि संसाधन, माध्यम, शोध मूल्यांकन, बजट, शिक्षक शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा शिक्षा से राष्ट्रीय विकास एवं शैक्षिक प्रबंधन सम्बन्धित आयाम सामान्य रूप से दिए गए हैं।
2.	प्रमुख राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में शिक्षा से सम्बन्धित आयामों में शिक्षा सम्बन्धी घोषणाओं में क्या समानताएं एवं असमानताएं हैं?	1. शिक्षा से सम्बन्धित आयामों में शिक्षा सम्बन्धी निम्न घोषणाओं में समानताएँ है- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संसाधन, बजट एवं शैक्षिक प्रबंधन सम्बन्धी। 2.शिक्षा से सम्बन्धित आयामों में शिक्षा सम्बन्धी निम्न घोषणाओं में असमानताएँ है- विधि, माध्यम, मूल्यांकन एवं शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी।

****

गाँधी दर्शन एवं प्रासंगिकता - एक विवेचन

डॉ. वसुधा आवले *

प्रस्तावना - मनुष्य ने जबसे इस पृथ्वी पर निवास करना और सोचना प्रारंभ किया तभी से दर्शन की कहानी प्रारंभ हो गयी महात्मा गाँधी आधुनिक युग के ही नहीं समूचे मानव इतिहास के असाधारण पुरूष थे। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था गाँधी जी का दर्शन समग्र जीवन का दर्शन है, जिसमें व्यक्ति व समाज दोनों का उत्थान निहित है यहां दर्शन, सिध्दांत और व्यवहार का अनुठा समन्वय है। उनके प्रयोगों में आध्यात्मिकता का अर्थ था नैतिक धर्म सम्मत और नीतिसम्मत। उन्होंने आत्मनिरीक्षण और स्वावलम्बन पर जोर दिया। महात्मा गाँधी इतिहास में पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने नैतिक सिध्दान्तों का सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक जीवन में सफलता पूर्वक प्रयोग किया व अपने इन प्रयोग द्वारा मानव समुदाय के पुनर्गठन की नयी रूपरेखा प्रस्तुत की।

महात्मा गाँधी का जीवन ही उनके विचारों और आदर्शो की अभिव्यक्ति हैं। उनके विचारों और उनके द्वारा दिये गये संदेशो को उनके जीवन से पृथक नहीं किया जा सकता। गाँधीजी जो भी बने और जो कुछ वे कर सके, उसमें उनकी परिवारिक पृष्ठभूमि व्यक्ति गत अनुभवों और दक्षिण अफ्रीका की राजनीति की महत्वपूर्ण भूमिका है। गाँधी जी के विचारों पर माता जी के विचारों से प्राप्त वैष्णव हिन्दू धर्म का जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उपनिषद का प्रभाव पड़ा तथा वे टॉलस्टाय, रस्किन तथा थौरो की रचनाओं से प्रभावित हुए। वे एक महान कर्म योगी, राजनीतिज्ञ, व्यवहारवादी व समाज सुधारक थे। उनका सारा जीवन त्याग व तपस्या की कहानी हैं। गाँधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में अहिंसा और शांतिपूर्ण उपायों से गोरी सरकार के काले कानूनों का विरोध किया, जिससे सम्पूर्ण विश्व का ध्यान उनकी और आकृष्ट हुआ। वहां सफलता प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया गाँधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों को भारत में भी दोहराया। गाँधी के सभी जन आन्दोलन एक विशेष पद्धति और विशेष दृष्टिकोण से संचालित हुए थे। वे जीवन पर्यन्त ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों पर प्रहार करते रहे और शताब्दियों तक पराधीनता के पाश में जकड़े हुए भारत को स्वाधीनता का उज्ज्वल प्रकाश प्रदान किया। स्वाधीनता के प्रयास के साथ ही उन्होंने रचनात्मक कार्यो पर भी जोर दिया। जिसमें हरिजन उद्धार, स्त्री शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, मधपान निषेध, खादी एव स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा कुटीर उद्योगों का विकास प्रमुख थे। गाँधी जी ने हिन्दस्वराज, आत्मकथा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि में अपने अनुभवों कों व्यक्त किया तथा हरिजन व यंग इंडिया समाचार पत्रों कें माध्यम से जन समुदाय को जाग्रत करने का प्रयास किया।

गॉधीजी धर्म-सत्य अंहिसा सत्याग्रह के पूजारी के रूप में - गाँधीजी दर्शन के प्रमुख तात्विक आधार धर्म सत्य अंहिसा आदि थे उनका धर्म से आशय उस समय समाज में प्रचलित आदिगत धर्म व पाखंण्ड से न होकर मानवतावादी धर्म के पोषण से था। जिसका मुख्य लक्ष्य मानव सेवा था जिसमें ऊंच-नीच, जाति-भेद, रंग-भेद के लिए कोई स्थान नहीं था। उनका धर्म सर्वोदय था दरिद्रनारायण की सेवा का धर्म था। इसके माध्यम से उन्होंने मनुष्य को निष्काम कर्म का उपदेश दिया। गॉधी जी के तीन अमोघ अस्त्र थे सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह गाँधीजी ईश्वर भक्त थे, उसे संसार का संचालन करने वाली अदृश्य शक्ति के रूप में स्वीकार करते थे। उनका कहना था कि सत्य के सामने किसी बात से समझौता नहीं करना चाहिए, सत्य का रास्ता कांटो भरा हो सकता हैं परन्तु अंत में विजय सत्य की ही होती हैं। सत्य का पालन धर्म, राजनीति, अर्थनीति परिवारनीति सब में होना चाहिए।

गाँधीजी के अनुसार मानवीय सम्बन्धों की सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान अहिंसा ही हैं जो हिंसा से अधिक शक्तिशाली हैं। वे अहिंसा को वीरों का अस्त्र मानते थे, कायरों का नही। अहिंसा में सेवा व त्याग की भावना हैं उनका कहना था कि शत्रु की बुराई से घृणा करो शत्रु से नहीं क्योंकि जिस तरह कठोर धातु भी ताप से पिघल जाती हैं तो अहिंसा से मनुष्य झुक सकता हैं। उन्होंने अपने अहिंसक आंदोलनों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को झुका दिया तथा विश्व के सामने इसका व्यावहारिक स्वरूप प्रस्तुत किया।

गाँधीजी का सत्याग्रह एक आदर्श हैं। यह कर्म योग का एक व्यावहारिक दर्शन हैं। गाँधीजी के अनुसार आत्मबल द्वारा दृढ़निश्चय से सामना करके अत्याचारी के हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया सत्याग्रह है। उनके अनुसार यह एकमात्र अस्त्र हैं, जिसमें अन्याय और बुराई का प्रतिरोध संभव हैं। महात्मा गाँधी द्वारा संचालित असहयोग आन्दोलन मील का पत्थर हैं यह असहयोग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, बहिष्कार, नागरिक अवज्ञा, उपवास, हड़ताल, अहिंसा आदि साधनों से किया जाता हैं। इसके बाद सविनय अवज्ञा आन्दोलन, भारत छोड़ो आन्दोलन संचालित कर जन आन्दोलनों के माध्यम से स्वंतत्रता प्राप्ति का प्रयास किया व सफलता प्राप्त की।

गाँधीजी राजनीतिक व आर्थिक चितंक के रूप में - गाँधीजी अपने गुरू के समान राजनीति का आध्यात्मीकरण करना चाहते थे वे राजनीति में नैतिक मूल्यों को समाविष्ट करना चाहते थे। उनके अनुसार धर्म से शून्य राजनीति नहीं हो सकती। राजनीति धर्म के आधीन हैं, धर्म से शून्य राजनीति एक मृत्युजाल हैं क्योंकि उसमें आत्मा हनन होता हैं। गाँधीजी के सत्य, अंहिसा, धर्म व नैतिकता पर आधारित राजनैतिक व आर्थिक दर्शन को अभिव्यक्त किया।

गाँधीजी एक राज्यविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। वे एक दार्शनिक अराजकतावादी थे, उन्होंने नैतिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक तीनों दृष्टिकोणों के आधार पर राज्य का विरोध किया था।वे राज्य को एक

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

हिंसक संस्था मानते थे, जिसका कार्य मनुष्य का शोषण करना व नैतिकता का हनन करना हैं। उन्होंने एक ऐसे राज्य विहीन समाज की कल्पना की जिसमें सभी व्यक्ति पूर्णतया अहिंसक होंगे, उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी होगी, जीवन स्वच्छ निर्मल तथा सादा होगा, न आधुनिक सभ्यता की तड़क-भड़क होगी न बड़ी-बड़ी मशीनें होगी, न मनुष्य का शोषण होगा न ही पुलिस प्रशासन की आवश्यकता होगी, यदि कहीं अपराध होंगे तो उसका निर्णय ग्राम पंचायतें करेगी, ऐसे समाज में सभी अपने शासक होंगे ये अपने ऊपर इस प्रकार शासन करेंगे कि दूसरों के मार्ग में बाधक न बनें।

गाँधीजी सैद्धान्तिक रूप से राज्य के अस्तित्व के विरोधी होने के बावजूद वर्तमान परिस्थितियों में राज्य को पूर्णतया समाप्त न करके वे राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम करना चाहते थे जिससे वास्तविक रूप में स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। गाँधीजी ने दो आदर्श राज्यों प्रथमपूर्ण आदर्श राज्य जिसे वे रामराज्य कहते थे व द्वितीय उप आदर्श राज्य जिसे उन्होंने अंहिसात्मक समाज कहां था दूसरी व्यवस्था में व्यावहारिक दृष्टिकोण से उन्होंने कुछ व्यवस्थाओं की कल्पना की थी उनके इस समाज में राज्य का अस्तित्व रहेगा पुलिस सेवा जेल न्यायालय जनता की सेवा के लिए रहेंगे न कि आंतकित व उत्पीड़न करने का कार्य करेगें। शासन का स्वरूप पूर्णतया लोकतांत्रिक होगा शासन सत्ता सीमित होगी व जनता के प्रति उत्तादायी होगी। जनता को मत देने चुनाव लड़ने व सरकार चलाने का अधिकार होगा। गाँधीजी ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण का समर्थन किया था इसलिए वे स्वतंत्रता व स्वावलम्बी ग्राम स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे। जिसका आधार ग्राम पंचायते होगी। जिसका चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होगा तथा उनके ऊपर की प्रशासानिक व अन्य संस्थाएँ जैसे प्रादेशिक सरकार केन्द्र सरकार अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनी जाएगी, परन्तु सत्ता का समस्त केन्द्र पंचायतें ही रहेगी। इस व्यवस्था में जाति, धर्म, भाषा व वर्ण के भेदभाव के बिना सबको सामाजिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगें।गाँधी जी अहिंसक समाज में, आर्थिक क्षेत्र में भी सत्ता का विकेन्द्रीकरण चाहते थे। अत: उन्होंने बड़े उद्योगों की स्थापना के स्थान पर लघु, कुटीर उद्योगों का समर्थन किया था तथा मशीनों का प्रयोग मानव शोषण के लिए नहीं वरन आवश्यकतानुसार उत्पादन के लिए किया जाए, जिससे वह उत्पादन के साधनों का वह स्वयंस्वामी होगा। उन्होंने निजी सम्पति के अधिकार का समर्थन किया परन्तु साथ ही वे अपनी सम्पति का प्रयोग निजी स्वार्थ के लिए न करके अधिक से अधिक समाज कल्याण के लिए करेंगे इसके लिए गॉधीजी ने संरक्षता का सिद्धान्त बताया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीविकोपार्जन करने हेतु श्रम करने को अनिवार्य कहा जिसके अन्तर्गत उन्होंने शारीरिक श्रम व मानसिक श्रम दोनों को शमिल किया था।गाँधीजी के अहिंसक समाज में नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था होगी। मद्यनिषेध अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं होगा। सभी धर्म समान होंगे तथा सभी धर्म के अनुयायियों को समान सुविधा प्राप्त होगी।गाँधीजी के अनुसार भारत गाँवों में बसता है, गाँधीजी का विश्वास था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ और समृद्ध होने से लोकतंत्र को नयी शक्ति और स्फूर्ति मिलेगी। गाँधीजी की आर्थिक विचारधारा के केन्द्र किसान और खेतिहर मजदूर थे। गाँधीजी कृषि प्रधान सभ्यता के पोषक थे और वे खादी, चरखा तथा ग्रामोद्योग को महत्व देते थे। गाँधीजी के अनुसार उत्पादन के साधनों और जीवन की प्रारंभिक आवश्यकताओं पर किसी देश जाति या जनसमूह का एकाधिकारण सर्वथा अन्याय युक्त हैं।

गाँधीजी एक सामाजिक चितंक के रूप में - गॉधीजी द्वारा सामाजिक व्यवस्था के तहत वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन किया गया उनके अनुसार मनुष्य इस जगत में कुछ स्वाभाविक योग्यताएँ लेकर पैदा होता हैं इन्हीं के आधार पर यह सिद्धान्त बनाया गया हैं। इसके अनुसार सबको काम करना चाहिए इससे अनावश्यक प्रतियोगिता की भावना समाप्त हो जाती हैं क्योंकि समाज को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से वे सब पेशे बराबर मानते थे।

महात्मा गॉधी ने भारतीय समाज में व्याप्त बुराईयों पर कठोर प्रहार करते हुऐ समाज का नवनिर्माण करने का प्रयत्न किया। उन्होंने अस्पृश्यता को हिन्दू समाज का घोर अभिशाप माना और अपने प्रयास में उन्हें महान सफलता मिली और स्वतंत्र भारत के सविंधान में किसी भी रूप में अस्पृश्यता को एक अपराध घोषित कर दिया गया।

गाँधी जी ने स्त्रियों को पुरूषों के समान ही अधिकार और आजादी देने का पक्ष लिया। उन्होंने नारी को चारित्रिक दृष्टि से उच्च प्रेम, मुक तपस्या, श्रद्धा और ज्ञान की मूर्ति बतायाँ गाँधी जी ने पर्दा प्रथा का विरोध किया। उनका कहना था कि पर्दे से चरित्र की पवित्रता नहीं आती चरित्र का विकास तो भीतर से होता है।गाँधी जी ने स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता का ही पोषण नहीं किया बल्कि उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता की भी वकालत की। उन्होंने स्त्रियों के मताधिकार का पक्ष लिया। वैश्यावृत्ति को उन्होंने घोर अभिशाप माना। महात्मा गाँधी ने समाज की सभी बुराईयों पर प्रहार किया और उन्हें उच्चतर धरातल पर ला खड़ा करने का प्रयत्न किया। वे बाल - विवाह के घोर विरोधी थे, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक प्रयास किये। समाज में मद्यपान, नशीली वस्तुओं तथा नशीले द्रव्यों का विरोध किया।

गाँधी जी द्वारा देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नवीन शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया जो बुनियादी शिक्षा के नाम से जानी जाती है । उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को दस्तकारी की शिक्षा दी जानी चाहिए तथा शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। शिक्षा स्वावलम्बी हो जिससे वह विद्यार्थी जीवन के पश्चात अपना भरण पोषण कर सकें।

गाँधी जी द्वारा समाज सेवा हेतु रचनात्मक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे। जिसमें साम्प्रदायिकता, अस्पृश्यता निवारण, शराबन्दी खादी को प्रोत्साहन, ग्रामोद्योग, गांवो की सफाई, बुनियादी शिक्षा, स्त्रियों की उन्नति, राष्ट्रभाषा का प्रचार, आर्थिक समानता के लिए प्रयत्न आदि शामिल थे।

गाँधी दर्शन की प्रासंगिता - भारत एक कृषि प्रधान देश है व उसकी अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है महात्मा गाँधी ग्राम सुधार व गरीबी को दूर करने के लिए गाँवो में कृषि और गृह व कुटीर उद्योगों पर बल देते रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज लगातार कृषि को उन्नत बनाने, किसानों का जीवनस्तर ऊंचा उठाने, गोवों को विकसित करने, लघु व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने इस तरह से गांवों के बुनियादी विकास पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज की ग्रामीण विकास का एक मात्र रास्ता ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना है।

भारत जैसे विशाल देश में राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहन देकर आर्थिक विषमताओं को दूर करने का प्रयत्न व पंचायती राज्य के माध्यम से राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण व शासन में जनभागीदारी को बढ़ावा देना यहां गाँधी जी के विचार प्रासंगिक हैं आज जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयतावाद को दूर करने व राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में गाँधीवादी दर्शन आज भी प्रासंगिक है।

आज सारे संसार में तबाही मची हुई है। आज मनुष्य न केवल धरती

वरन–समुद्र और आकाश में भी विचरण कर सकता है बल्कि उसने अंतरिक्ष को भी अपनी सीमाओं में बांध लिया है। मनुष्य की यह वैज्ञानिक और प्रोद्येगिक उन्नति ही उसके लिए सबसे बड़ी समस्या बन गयी है। गाँधी द्धारा अपनी पुस्तक 'हिन्दी स्वराज' में आधुनिक सभ्यता को एक रोग और तीन दिन का तमाशा बताया था। यदि मनुष्य अपनी वर्तमान जीवन पद्धति, प्रतिस्पर्धा की भावना, सामाजिक संगठन, आर्थिक रूपों, शासन संस्थाओं और नैतिक मूल्यों में आमूलचुल परिवर्तन नहीं करते तो भूतकाल की अनेक सभ्यताओं की भांति कहीं वर्तमान सभ्यता भी युगों की धूल के नीचे दबकर रह जायेगी। आधुनिक परमाणुयुग में विश्व समस्याओं के समाधान का सबसे अचूक उपाय है जीवन के प्रत्येक भाग में अहिंसा का विकास। वर्तमान में जनसंख्या वद्धि, पर्यावरण विनाश, बढ़ता प्रदुषण, सामाजिक और मानसिक तनावों में वृद्धि गाँधी जी के विचारों को और भी प्रासंगिक बना देते हैं। गाँधी जी के सम्पूर्ण दर्शन और चिंतन की प्रासंगिता का मुख्य कारण उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा है गाँधी की शिक्षा को गाँधीवाद के नाम से सम्बोधित किया जाता है।गाँधी ने स्वयं कहा था गाँधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है और मैं अपने पीछे कोई सम्प्रदाय नहीं छोडना चाहता न ही मैंने किसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है परंतु गाँधी जी की विचारधारा सिद्धांतों और मतों, नियमों और विनियमों शिक्षाओं और आदेशों का योग मात्र नहीं है वह एक जीवन शैली है, जो सदैव वर्तमान भौतिक सभ्यता को नकारती है और सदा सरल जीवन का संदेश देती है यह प्रतिस्पर्धा से दूर है इसमें दूसरे के लिए अपने आपको बलिदान करने का भाव है।

अन्त में मानव जीवन में शक्ति ही मूल्यांकन की प्रधान कसौटी रही है गाँधी जी ने सत्य, अहिंसा ब्रम्हचर्य, सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ाया यदि वर्तमान में सभ्यता के सर्वनाश को रोकना है तो हमें उनकी शिक्षाओं व विचारों को आत्मसात करना होगा। गाँधी के त्याग और वैराग्य का अर्थ संसार से पलायन नहीं था वे सच्चे कर्मयोगी थे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. विश्व प्रकाश गुप्त, मोहिनी गुप्त, महात्मा गाँधी व्यक्ति और विचार, राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली–2
2. जी.पी. नेमा, प्रतापसिंह, गाँधी जी का दर्शन, रिसर्च पब्लिकेशन जयपूर–2
3. महात्मागाँधी, हिन्द स्वराज, देसाई नवजीवन पब्लिशिंग हाउस अहमदाबाद।
4. रामचन्द्र गुहा, इण्डिया ऑफ्टर गाँधी, पान मेकमिलन इण्डिया।
5. दैनिक भास्कर, पत्रिका, अन्तिमजन पत्रिका समाचारपत्र।

****

महात्मा गांधी का आर्थिक चिंतन

डॉ. वीणा बरडे *

प्रस्तावना – बीसवी शताब्दी के युग पुरूष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत ही नही वरन संपूर्ण विश्व में एक महान विभूति के रूप में गौरवशाली पद प्रतिष्ठित हैं। गांधी जी के बारे में विश्व के महान वैज्ञानिक आईस्टीन ने लिखा था कि–'आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर यकीन कर पाऐं कि हाड़–मास का ऐसा इंसान भी कभी धरती पर चला था।'

गांधी के विचारो को शब्दों में बांधना अपने आप में एक चुनौतिपूर्ण कार्य है। महात्मा गांधी के विचारो की सरलता औंर गहराईयों को समझने के लिए शब्दों का अभाव हो सकता हैं। भू–मण्डलीकरण के इस दौर में शहरो की चकाचौंध बढ़ती जा रही हैं। वही गांवों की सादगी धूमिल होती प्रतीत हो रही हैं गांधी जी के विचार हमें वही गांव की गलियों की सादगी और स्वच्छता में ले जाते हैं। जहां गोधूलि बेला का आनंद मिलता हैं, जिसका अभाव आज भी भागदौड़ वाली दुनिया में खलता हैं।

महात्मा गांधी को एक राष्ट्र में उत्पादन की सबसे छोटी इकाई के रूप में देखते थे। चूंकि महात्मा गांधी एक अध्यात्मिक पुरूष थे। उन्होंने अध्यात्म में जिस गांव की संरचना देखी थी वह राज राज्य से प्रेरित थी। इसमें गांवों को लोकतांत्रिक रूप से चलाया जाता था। जहां शासक के लोगों के लिए काम करता था। सभी को समान अवसर प्रदान किए जाते थे। हिंसा को कोई जगह नहीं थी औंर जहां सभी धर्म और मान्यताओं का आदर किया जाता था। परन्तु गांधी जी के इस विचारधारा को एक राष्ट्रवादी हिन्दू मानसिकता से जोड़ना ठीक नहीं होगा क्योंकि गांधीजी साथ ही साथ यह भी कहते थे कि 'मैं उस राम में आस्था नहीं रखता हूँ जो रामायण में हैं, मैं उस राम में आस्था रखता हूँ जो मेरे मन में हैं।'

महात्मा गांधी जिस भारत की कल्पना करते थे, उस भारत में पंचायतों को स्वालम्बी बनाने पर जोर दिया गया था। गांधीजी का मानना था कि भारत कुछ चंद शहरो में नही बल्कि अपने 7 लाख गांवों में बसता हैं। उनका मानना था कि स्वतंत्रता निचले स्तर से आरंभ होनी चाहिए। 19वीं शताब्दी के ढेरो विद्धानों के लेखों में गांवों को सुचारू रूप से चलाने की बात कही गयी हैं। गांधीजी उन्ही विचारो को पुनर्जीवित कर भारत के लोगों के समक्ष रखा था। बापू ने नए सिद्धांतों का आविष्कार नहीं किया था। उन्होंने भारत की महान सभ्यता से बस पुन: अवगत कराया था।

गांधीजी का मानना था कि भारत की सभी समस्याओं का समाधन 'अहिंसा में छिपा हैं।' गांधीजी पूंजीवाद के विरोधी थे। उनका कहना था कि 'इस पृथ्वी पर मानव की आवश्यकता अनुसार प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं परन्तु मानव की लालसा के अनुरूप संसाधन नहीं हैं।' अगर मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का उपयोग करें तो कोई भी इस दुनिया में भुखा नहीं मरेगा। गांधीजी उन सभी अहिंसक आजीविकाओं के समर्थन में थे, जो घृणा औंर शोषण के विरूद्ध थे।

गांधीजी विकेन्द्रीकृत उद्योगों के पक्षधर थे। उनका मानना था कि औद्योगिकरण समस्त सामाजिक राक्षसों की जननी हैं। गांधीजी ने विकेन्द्रीकृत उद्योगों का समर्थन किया क्योंकि उनका मानना था कि विकेन्द्रीकृत उद्योगों में शोषण न के बराबर होगा। चूंकी भारत एक श्रमिक प्रधान देश हैं औंर उस वक्त पूंजी का अभाव था। ये सिद्धांत आज के समय में प्रांसगिक नहीं लगने परन्तु यह उस समय की बात हैं। जब भारत में बेरोजगारी तथा भुखमरी बहुत बड़े स्तर पर थी, उस वक्त की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता हैं कि भारत के प्रधानमंत्री द्धारा नागरिको को सप्ताह में एक बार उपवास करने की सलाह दी जाती थी ताकि सभी लोगो को भोजन उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही भारत में बेरोजगारी को देखते हुए उन्होने खादी ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही। गांधीजी का कहना था कि 'खादी एक वस्त्र नहीं, खादी एक विचार हैं' गांधीजी खादी को भारत की आर्थिक स्वतंत्रता तथा एकता का प्रतीक मानते थे।

गांधीजी ने खादी उद्योग को बढ़ावा देने की पीछे तर्क था कि खादी उद्योग भारत के सभी लोगों को रोजगार दिला सकता हैं तथा भारत में आर्थिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र बना सकता हैं। इसलिए गांधीजी ने चरखा को एक उपकरण के रूप में चुना जो सस्ता कम पूंजी पर चलने वाला तथा सभी के घरो में आसानी से इस्तेमाल हो सकता था। उत्पादन के किसी औजार को ऐसा समाजवादी किसी नेता ने नहीं किया जैसा गांधीजी ने चरखा का किया हैं। गांधीजी चरखे के जरिए हर तरह के विभेद को खत्म करने की बात करते हैं। वे एक जगह लिखते हैं 'काम ऐसा होना चाहिए जिसे अनपढ़ औंर पढ़े–लिखे भले और बुरे बालक और बुढ़े स्त्री और पुरूष, लड़के और लड़कियाँ कमजोर औंर ताकतवर फिर ने जाति औंर धर्म के हो कर सके। चरखा ही एक ऐसी वस्तु हैं। जिसमें ये सब गुण हैं इसलिए कोई स्त्री–पुरूष रोज आधा घण्टा चरखा कातता हैं यह जन समाज की भरसक अच्छी से अच्छी सेवा करता हैं। साथ ही साथ उन्होने 'कताई से स्वराज' का नारा भी दिया। गांधीजी का मकसद इसमें भारत के हर घर को उत्पादन की एक इकाई में वदवन्त था। एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के साथ–साथ पूरी दुनिया का एक विनिर्माण केन्द्र बन सकता था। गांधीजी का मानना था कि बड़े स्तर पर मशीनों का उपयोग भारत में बेरोजगारी का कुख्य कारण होगा और साथ ही साथ इससे समाज में अस्थिरता पैदा होगी जो हम आज के वातावरण में देख भी सकते हैं। महत्वपूर्ण यह हैं कि इन सभी विचारों को इस समय की परिस्थितियों के मदद्दे नजर रखते हुए समाधान की कोशिश की जाए।

गांधीजी भारत की आर्थिक स्वतंत्रता को निचले स्तर से शुरू करना चाहते थे। इसके लिए गांधीजी ने ग्राम सर्वोदय का नारा भी दिया ताकि गांव

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, धामनोद (म.प्र.) भारत

अपना उद्धार खुद कर सके तथा सर्वोदय सभी उदय की अवधारणा प्रस्तुत हो। भारत के संविधान में ग्राम पंचायतों का गठन इसी अवधारणा से प्रेरित हैं।

गांधीजी के आर्थिक विचार में मानवता सर्वोपरि स्थान ग्रहण करती है। सकल घरलू उत्पाद तथा विकास संबंधी अन्य सूचकांक तभी तक मायने रखते हैं। जब तक उनसे जन कल्याण का लक्ष्य पूरा हो सके। गांधीजी एक राष्ट्र, एक युवा, एक नागरिक, एक किसान, एक छात्र को शून्यता की वरियता से अवगत कराते हैं। जिसका एक मात्र उद्देश्य मानवता की सभी परम सीमाओं को लांघकर आदर्श राष्ट्र का निर्माण करना हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महात्मा गांधी एक जीवन दर्शन वर्तमान समस्या एवं उनका समाधान– डॉ.शोभा रवि मिश्रा।
2. महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य–हरिप्रसाद व्यास।

****

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका का अध्ययन

मोहित पांचाल *

प्रस्तावना – जीवन एक पाठशाला हैं, जिसमें अनुभवों के आधार पर हम शिक्षा पाते हैं। शिक्षा का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान हैं। शिक्षा हमारी समृद्धि में आभूषण,विपत्ति में शरण स्थान और समस्त कालों में आनन्द स्थान होती हैं। जीवन लक्ष्य की पूर्ति के लिये शिक्षा आवश्यक हैं। महान् दार्शनिक एवं शिक्षाविद् डॉ. राधाकृष्णन भी मनुष्य को सही अर्थों में मनुष्य बनाने के लिए शिक्षा को सर्वाधिक आवश्यक मानते थे। उनके अनुसार शिक्षा वह हैं, जो मनुष्य को ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ उसके ह्रदय एवं आत्मा का विकास करती हैं। शिक्षा व्यक्ति को स्वयं के विकास के साथ-साथ उसके ह्रदय एवं आत्मा का विकास करती हैं। शिक्षा व्यक्ति को स्वयं के विकास के साथ-साथ समाज और राष्ट्र के विकास के लिए भी प्रेरित करती हैं।

ये कहना अतिश्योक्ति न होगी कि आज जिस तरह का वातावरण चारों तरफ व्याप्त हैं, ऐसे में ऐसी शिक्षा आवश्यक हैं, जिससे बच्चों का चरित्र-निर्माण हो सके, उनकी मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और देश के युवक अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें।

आज समूचा विश्व प्रगति के नए आयामों की तरफ अग्रसर हो रहा हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश महिलाएँ या लड़कियाँ आज भी उपेक्षामय वातावरण में जी रही हैं। आजादी के बाद यद्यपि गाँवों में ज्ञान का प्रकाश फैला हैं, लेकिन उसका लाभ पुरूषों को ही अधिक मिला हैं, ग्रामीण बालिकाएँ और महिलाएँ तो आज भी इससे वंचित हैं। आवश्यकता हैं हमारे दृष्टिकोण में बदलाव की, जिससे ग्रामीण बालिकाएँ भी शहरी लड़कियों की भाँति पढ़-लिखकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। अत: ग्रामीण बालाओं को दुनियादारी से परिचित कराना ही होगा, तभी उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ा जा सकेगा और तभी हमारे भारत देश का विकास संभव हैं।

शिक्षा से आशय – शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और प्राप्ति आदि समाविष्ट हैं। अत: शिक्षा कौशल, व्यापार और व्यवसाय एवं मानसिक, नैतिक और सौंदर्य विषयक के उत्कर्ष पर कैन्द्रित हैं।

महिला शिक्षा – महिला शिक्षा स्त्री और शिक्षा को अनिवार्य रूप से जोड़ने वाली अवधारणा हैं। इसका एक रूप शिक्षा में स्त्री को पुरूषों की ही तरह शामिल करने से संबधित हैं। दूसरे रूप में यह स्त्री के लिए बनाई गई विशेष शिक्षा पद्धति को सन्दर्भित करता हैं भारत में मध्य और पुनर्जागरण काल के दौरान स्त्री को पुरूषों से अलग तरह की शिक्षा देने की धारणा विकसित हुई थी। वर्तमान दौर में यह बात सर्वमान्य हैं कि स्त्री को भी उतना शिक्षित होना चाहिए जितना पुरूष हों। यह सिद्ध सत्य हैं कि यदि माता शिक्षित न होगी तो देश की संतानो का कदापि कल्याण नहीं हो सकता।

'एक आदमी को पढ़ाओंगे तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा, एक महिला को पढ़ाओंगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा।'

– गांधीजी

भारतीय इतिहास के विभिन्न युगों में साक्षरता – **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

भारत में साक्षरता की वर्तमान स्थिति – **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

मध्यप्रदेश में साक्षरता की वर्तमान स्थिति – **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

महिला सशक्तिकरण के लिये महिला शिक्षा की आवश्यकता – समाज में महिलाओं की दशा में सुधार लाने के लिये महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा हैं। महिला की परिवार और समाज में सुरक्षा के लिये घरेलू हिंसा जैसे कई तरह के कानून बनाए जा रहे हैं लेकिन उनका फायदा हर एक महिला को नहीं मिल पा रहा है। इसका सबसे बडा कारण हैं- अशिक्षा। आज भी बहुत सी महिलाएं समुचित शिक्षा की कमी के कारण अपने अधिकारों को पहचानने में असमर्थ है। इसलिए इतने कानून बनने के बाद भी महिलाओं का शोषण समाज में हो रहा हैं। इलाज की कमी की वजह से माँ नहीं बन पा रही महिलाओं की स्थिति तो मन को झकझोंर कर देने वाली हैं। आज भी बेटी पैदा होती हैं तो उसके लिए महिला को ही जिम्मेदार माना जाता हैं। कन्या-भ्रूण हत्या, जो हर एक दिन बढ़ती जा रही हैं और घटता लिंग अनुपात भविष्य में महिलाओं की असुरक्षा को दर्शाता हैं।

महिला शिक्षा की समस्या के कारण – समाज में महिला के अशिक्षित होने के कई कारण हैं –

- **भारतीय जनमानस और उसका नजरीया –** भारतीय समाज में महिलाओं को पुरूषों के अधिन समझा जाता हैं। महिलाओं को सिर्फ घर के कामकाज तक ही सीमित रखा जाता हैं। भारतीय समाज में विशेष कर ग्रामीण समाज में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं हैं।
- **धर्म और धर्म शास्त्र –** स्त्री के साथ बरती जाने वाली हर भेदभाव भरी सामाजिक धारणा कहीं ना कहीं धर्मो, वेदों और पुरानों से ही मिलती हैं। फिर भी स्त्री इस धारणा को अपने मन में इस तरह स्वीकार कर लेती है कि इसके विपरित काम करना उसे खुद ही अपराध बोध दिलाते रहता हैं।
- **गावों में स्कूलों की कमी –** महिला अशिक्षा का सबसे बडा कारण गांवों में विद्यालय की कमी है। स्कूल के अभाव में ग्रामीण लडकियां शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं। गांवों में विद्यालय के अभाव के कारण अभिभावक घर से दूर लड़कियों को भेजना उचित नहीं समझते। लडकियों को लेकर माता-पिता सदैव भयभीत रहते हैं। इसी कारण गांवों में महिला साक्षरता का स्तर निम्न पाया जाता हैं।
- **आबादी में वृद्धि –** भारत की जनगणना से अनुमान लगाया जा

* शोधार्थी (समाजकार्य) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

सकता हैं कि देश की आबादी में प्रत्येक दशक बढ़ोतरी होती जा रही हैं। अभिभावक अधिक बच्चें होने के कारण उनका पालन–पोषण ठीक से नहीं कर पाते हैं।

- **सामाजिक और पारिवारिक उपेक्षा –** लड़कियों को पढ़ने का समय भी नहीं मिल पाता हैं क्योंकि अपनी माताओं के घर से बाहर जाने पर उन्हें घर सम्भालना पड़ता हैं। अत: परिवार में लड़कियों की सामाजिक रूप से उपेक्षा की जाती हैं जिससे वे शिक्षा से वंचित रहती हैं।
- **पुरूष प्रधानता**

महिला शिक्षा का महत्व – संस्कृत में यह युक्ति प्रसिद्ध है – 'नास्ति विद्यासमम् चक्षुरनास्ति मातृ समोगुरू।' इसका मतलब यह हैं कि इस दुनिया में विद्या के समान नेत्र नहीं हैं और माता के समान गुरू नहीं हैं।

महिला शिक्षा के निम्न लाभ हैं –

- सामाजिक जागरूकता में वृद्धि
- आत्मविश्वास और व्यक्तिगत विकास में वृद्धि
- लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण
- पारिवारिक स्थिति में सुधार
- घरेलू बचत और ऋण के लिए उपयोग
- स्वास्थ्य और स्वच्छता
- महिला शिक्षा के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी –
- **सर्व शिक्षा अभियान –** भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम हैं जिसकी शुरूआत अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए किया गया। जैसा कि भारतीय संविधान कि 86 वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया हैं जिसके तहत 6–14 साल के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया हैं। सर्व शिक्षा अभियान में 8 मुख्य कार्यक्रम हैं इसमें आई.सी.डी.एस. और आंगनवाड़ी आदि शामिल हैं। इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरूआत 2004 में हुई जिसमें सभी लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने का सपना देखा गया, बाद में यह योजना सर्वशिक्षा अभियान के साथ विलय हो गई।
- **साक्षर भारत मिशन –** अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2009 के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से साक्षर भारत मिशन का आगाज किया गया। जो पूर्णतया केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम हैं। इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रौढ़ शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देकर मजबूत बनाना हैं।
- **निष्कर्ष एवं सुझाव –** हमारे भारत देश में अशिक्षा एक बहुत बड़ी परेशानी बन गई हैं, जो हमारी कामयाबी में सबसे बड़ी अड़चन बन गई हैं। यह परेशानी शहरों की अपेक्षा गाँवों में ज्यादा है। अशिक्षा की खास वजह देश की गरीबी हैं, लोगों में शिक्षा की तरफ जागरूकता की कमी भी इसकी एक वजह हैं। गाँवों में स्कूलों की कमी और आबादी में वृद्धि और सरकार के जरिये शिक्षा की जरूरतों को सही ढंग से लागू न करना ये सभी शिक्षा की खास वजह हैं।

अशिक्षा को दूर करना बहुत जरूरी हैं क्योंकि शिक्षा की कमी की वजह से हमारा विकास धीमी गति से हो रहा हैं। इस समस्या का समाधान देश की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी हैं इसके लिए हमें लोगों को शिक्षा का महत्व बताना होगा, ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलने होंगे, खास तौर पर गाँवों में क्योंकि गाँवों में महिलाओं को पढ़ने के लिये दूर नहीं भेजा जाता हैं।

महिला शिक्षा के लिए सुझाव–

1. गाँव में महिला साक्षरता स्तर पुरूषों की अपेक्षा बहुत कम हैं अत: गाँव में महिला शिक्षा से संबंधित जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को महिला शिक्षा के लिए जागरूक करना चाहिए।
2. अधिकांश परिवारों की लड़कियाँ पारिवारिक कारणों से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती। अत: परिवार के सदस्यों को लड़का व लड़की में भेदभाव की भावना को खत्म कर महिला शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा सकता हैं।
3. गाँव में महिला साक्षरता के निम्न स्तर का सबसे बड़ा कारण गाँव में विद्यालय की कमी हैं, क्योंकि अधिकांश माता–पिता अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजना पसंद नहीं करते इसलिये लड़कियाँ पढ़ नहीं पाती हैं। अत: गाँव में विद्यालयों की संख्या में वृद्धि करना अनिवार्य हैं।
4. गाँव में महिला साक्षरता स्तर में वृद्धि करने के लिए बाल विवाह की समस्या को खत्म करना अनिवार्य हैं।
5. महिलाओं को स्वयं अपनी शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करना होगा, तभी गाँव में महिला साक्षरता स्तर में वृद्धि हो सकती हैं।
6. गाँव में बहुत कम लोगों को सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा जागरूक किया जाता हैं। अत: किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा व गैर सरकारी संगठन के सदस्यों द्वारा समय–समय पर विभिन्न योजनाओं के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया जाना चाहिए।
7. गाँव में महिलाओं की अपेक्षा पुरूष अधिक संख्या में अपनी लड़कियों को बड़े पद पर देखना चाहते हैं स्पष्ट हैं महिलाएं स्वयं लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हैं। अत: महिलाओं को स्वयं अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता हैं।
8. गाँव में अधिकांश व्यक्ति यह सोचते हैं कि पढ़ी–लिखी लड़की परिवार के काम ठीक से नहीं कर पाती अत: ग्रामीणों की इस सोच को बदलने की आवश्यकता हैं।
9. गाँव में अधिकांश परिवारों में शिक्षित स्त्रियों की संख्या कम हैं जिसके कारण ही गाँवों में लड़की शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। अत: लड़की की शिक्षा के लिये सर्वप्रथम महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना अनिवार्य हैं।
10. अधिकांश परिवार के व्यक्तियों द्वारा लड़कियों को पढ़ाया तो जाता हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार से आत्मनिर्भर बनने नहीं दिया जाता जिस कारण लड़कियाँ अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती। अत: ग्रामीणों में यह भावना उत्पन्न करनी होगी कि पढ़ी–लिखी लड़कियाँ परिवार के कामों के साथ बाहर के काम भी ठीक से कर सकती हैं।
11. महिला साक्षरता स्तर में वृद्धि के लिए गाँव में विद्यमान पुरानी प्रथाओं व रूढ़ियों को खत्म करने की आवश्यकता हैं क्योंकि अधिकांश परिवारों द्वारा यह माना जाता हैं कि लड़कियों को पढ़ाकर क्या करना है इन्हें तो ससुराल जाना हैं। अत: महिला शिक्षा के प्रति ग्रामीणों की इस सोच को बदलना आवश्यक हैं।
12. गाँव में अधिकांश परिवारों द्वारा महिला शिक्षा को आवश्यक नहीं समझा जाता उनके अनुसार शिक्षित महिलाएँ परिवार के काम ठीक से नहीं कर पाती हैं अत: ग्रामीणों की इस सोच को बदलना अति आवश्यक हैं।

13. गाँव में अधिकांश महिलाएँ सरकारी योजनाओं के बारे में नहीं जानती जिसके कारण महिलाएँ शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हैं अत: गाँव में समय-समय पर विभिन्न योजनाओं के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने की आवश्यकता हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आहूजा, राम , 2000 , महिला शिक्षा के लिये स्वयंसेवी संगठनों द्वारा प्रयास, सामाजिक समस्याएँ, पृ.सं. 274-275, जयपुर, रावत पब्लिकेशन।
2. आहूजा, राम , 2012 , महिलाओं की शिक्षा, भारतीय समाज, पृ. सं. 225-226 , जयपुर, रावत पब्लिकेशन।
3. बुड़ावनवाला, सुभाष , 2013 , ग्रामीण शिक्षा में सुधार , पत्रिका पेपर , संपादकीय पृ. सं. 10 , दिनांक 21.12.2013 ।
4. पाण्डेय , तेजसकर , पाण्डेय , ओजसकर , 2012 , महिलाओं का स्तर , समाज कार्य , पृ. सं. 305 , लखनऊ, भारत बुक सेंटर ।
5. पाण्डेय , तेजसकर , पाण्डेय , ओजसकर , 2012 , शिक्षा से ही संभव हैं ग्रामीण महिलाओं का विकास , समाज कार्य , पृ. सं. 821 , लखनऊ, भारत बुक सेंटर
6. सेतिय, सुभाष , 2012, गाँवों में ज्ञान में दीप स्तंभ, स्कूल ऑफ एडवांस लिबरल स्टडीज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर।
7. सिंह, कटार , 2011, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएँ, ग्रामीण विकास, पृ. सं. 29-36 , जवाहर नगर जयपुर, रावत पब्लिकेशन।
8. सर्व शिक्षा अभियान ए 2014, hi.wikipedia.org/wiki/
9. साक्षर भारत मिशन , 2014, igprgvs.rajsthan.gov.in
10. मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, www.sameera.co.in
11. महिला साक्षरता के प्रभाव www.nlm.nic.in/women.htm
12. hi.bharatdicovery.org/india/Hkkjr esa f'k{kk
13. en.wikipedia.org/wiki/1991.census_of_india
14. en.wikipedia.org/wiki/2001.census_of_india
15. en.wikipedia.org/wiki/2011.census_of_india
16. www.teindia.nic.in.censusindia.1991
17. cyberjournalist.org.in/census/cenindia.html
18. en.wikipedia.org/wiki/2011.census_of_india

भारतीय इतिहास के विभिन्न युगों में साक्षरता

काल	कुल जनसंख्या (10लाखमें)	शिक्षित 10लाखमें	कुल प्रतिशत	शिक्षित पुरूष	शिक्षित महिला
प्राचीन काल 300 ई पू से 300 ईसवी	120	20	17	27	07
मध्यकालीन भारत	100	09	09	15	03
उपनिवेशक काल भारत	300	18	06	11	06
आधुनिक भारत 1961	439	105	24	34	13
आधुनिक भारत 1971	548	161	29	40	18
आधुनिक भारत 1981	634	238	36	47	25

भारत में साक्षरता की वर्तमान स्थिति

काल	कुल जनसंख्या	कुल शिक्षित (प्रतिशत)	शिक्षित पुरूष (प्रतिशत)	शिक्षित महिला (प्रतिशत)
1991	8,46,30,2688	52.21	64.13	39.23
2001	1,027,015,247	65.38	75.85	54.16
2011	1,210,193,422	74.04	82.14	65.46

मध्यप्रदेश में साक्षरता की वर्तमान स्थिति

काल	कुल जनसंख्या	कुल शिक्षित (प्रतिशत)	शिक्षित पुरूष (प्रतिशत)	शिक्षित महिला (प्रतिशत)
2001	60,385,118	64.11	76.80	50.29
2011	72,626,809	69.32	78.73	59.24

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) October to December 2019, Vol. I

जनजातीय समाज में प्राचीन शिक्षा का केन्द्र 'घोटूल'

डॉ.बरसंत नाग* डॉ.के.आर. ध्रुव **

प्रस्तावना – किसी देश की शिक्षा समाज व देश की बौद्धिक विकास और कार्यकुशलता को दर्शाती है। हमें समाज की सम्पूर्ण विकास को प्राप्त करना हो तो शिक्षा के योगदान के दरकिनार नहीं किया जा सकता । कई जनजातियों में शिक्षा का स्वरूप सामान्य क्षेत्र से बहुत पिछड़ा हुआ है। भारत के कुल जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत जनसंख्या जनजातियों का है। जन जातीय समुदाय प्रारम्भ से ही शहरों से दूर व सुविधा हीन क्षेत्रों जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करता रहा है जिसके फलस्वरूप जनजातीय समाज आज भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अन्य से पीछे है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए परन्तु जनजाति शिक्षा में जोपाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, वह वहाँ की संस्कृति के विपरित है। यदि जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा का सुव्यवस्थित विकास के लिए जनजाति संस्कृति एवं मान्यताऐं प्राचीन काल से चली आ रही है। उसे अपनाना होगा क्योंकि परम्परागत सामाजिक सांस्कृतिक, धार्मिक मान्यताओं में आध्यात्मवाद से त्याग प्रेम सहयोग व संगठन का समन्वय ही समाज को संगठित रखने का आधार स्तम्भ रहा है। वह उनकी युवा गृह व घोटूल संस्थायें थी। घोटूल के माध्यम से पारम्परिक शिक्षा के द्वारा युवक युवतियों को संस्कारित कर भावी समाज के नींव रखा जाता था। इन युवा गृह में जनजाति बालक-बालिकाओं को समाज की सामाजिक-सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक शिक्षा देने की परम्परा रही है।

प्राचीन काल से ही घोटूल संस्था की मान्यता रही है, जनजाति समाज शिक्षा के लिए बालक-बालिका का सहशिक्षा अपने समूह के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा अपने छोटों सदस्यों की परम्परागत शिक्षा देने की परम्परा रही तथा इनमें यह भी मान्यता रही कि बच्चे सबसे पहले समाज व बडे वर्ग परिवार (बिरादरी या खानदान) का सदस्य होता है। इसी में इनके भाई-बहन, माता-पिता तथा दूसरे रिश्तेदार भी सम्मिलित होते है तथा यह प्राचीन काल से इनकी शिक्षा विशिष्ट अर्थो, सकेतों की व्यवस्थित स्वरूप रही इन्ही से समुदाय के सदस्यों के व्यवहार सम्बन्धी मूल्यों नृत्य संगीत एवं वाद्यों का ज्ञान घोटूल संस्थाओं से प्राप्त होता था। जनजातियों का युवागृह व घोटूल एवं विशिष्ट संस्था है। बस्तर की आदिवासियों के आराध्य देव 'लिंगों मुदिया' के आदर्शो में स्थापित किया जाता है। इनकी मान्यतानुसार घोटूल की स्थापना 'लिंगो भुदिया' द्वारा स्थापित किया हुआ माना जाता है तथा उनको आदर्शो के अनुसार युवक युवतियों के सामाजिक-सांस्कृतिक व आर्थिक एवं धार्मिक शिक्षा के लिए घोटूल का स्थापना किया गया था। जिसे जनजाति सांस्कृतिक दृष्टि से अग्रगामी मानी जाती है, जिसकी तुलना आज भी उच्च कोटी का संस्कारितशिक्षा केन्द्र से किया जा सकता है। घोटूल ऐसा संगठन है जो बस्तर की नारायणपुर, कोण्डागांव अन्तागढ़ के आदिवासियों में विशेष रूप से प्रचलित है, यह संस्था सामाजिक शिक्षा व श्रब्य तथा स्पर्श का माध्यम है। जिससे आदिवासी प्रतिभा को प्रभावित करता है तथा आदिवासियों की आदिकालीन प्रवृत्ति को परिचय कराती है एवं वह एक क्लब नहीं अपितु यह एक आत्मानुशासित कानून भी है, जहां दोनों ही लिंगों (स्त्री-पुरूष) के युवा आदिवासी सामाजिकता को विकसित करते है। प्रौढ़ के नियंत्रण से मुक्त होकर सामाजिक और आर्थिक जीवन के कर्तव्यों में प्रशिक्षित होते है और शुल्क के बदले आदिवासी समाज के संरक्षण में सहायता करते है।

घोटूल घर परिवार से अलग पृथक अविवाहित युवक युवतियों के एक संगठन है, जिससे शक्तिशाली जादुई शक्तियों से सम्बद्ध कर्म काण्ड का केन्द्र व स्वाशासित एक संस्था है, जो समुदायिक एकता का केन्द्र भी कह सकते है तथा यह विभिन्न अवसरों पर अतिथि शाला भी होती है। प्राचीन काल में बौद्ध जैन तथा चार्वाक सम्प्रदाय के अविवाहितों के आश्रम के लिए किसी एकांत संस्था की तलाश में थे उस समय घोटूल पहले से ही सुव्यवस्थित परम्परा के रूप में विद्यमान थे। वेरियर एलविन मानते है कि घोटूल की शिक्षा स्वधारिता निषेध करती है, व्यक्तिगत सम्पति का विरोध करती है, व्यक्तिगत धन संचय को हतोत्साहित करती है, यह प्राचीन काल से भारतीय मठ-सम्प्रदायों में लागू होती है। दोनों में ही त्याग की वृत्ति देखने को मिलती है यह भारतीय आश्रय संधाराम विहार या मठ की विचार धारा का विकास घोटूल के आदर्श पर ही किया गया लगता है।

सौन्दर्य शास्त्र की दृष्टि यह स्वीकार करना होगा कि जिस प्रकार संस्कृत नाटक तथा गृहों में भारत की खिदमत की थी। उसी प्रकार इन घोटूलो में आदिवासी भारत की सेवा की थी। सामाजिक तौर पर इन घोटूलों का महत्व रहा कि जाति मूलक समाज के पास इनके समतुल्य अन्य कोई संस्था नहीं थी। ये घोटूल ही थे, जहां आदिवासी भारत की सूक्ष्म सौन्दर्य मूलक संस्कृति का विकास हुआ था। यहां इनके माध्यम से आदिवासियों के शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के एक मौलिक साधन था। इनके द्वारा अपने रीति-रिवाजों को अभ्यास करते थे अपने परिपाटी का स्मरण करते थे, अपने आप को पहचाने का प्रयास करते थे। इनसे ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास की संकट की घड़ी में इन घोटूलों ने भारत को प्राण सांस्कृतिक प्राणी, शक्ति को एक नयी इन्द्रिक ओजस्विता से अनुप्रमाणित किया था। जब भारत की शास्त्र परम्परा बांझ होने की स्थिति में थी, तब

*सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर (छ.ग.) भारत
**सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर (छ.ग.) भारत

भारत की तपश्चर्या और निरस ज्ञान ने हिन्दू समाज के स्वास्थ्य को अनिष्ट की शंका से भर दिया था। उस समय हिन्दू समाज को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बस्तर के आदिवासियों की ओर से ताजी हवा का झोंका आया था हवा के उक्त झोके को सांस्कृतिक नायकों ने आच्छादित किया था। ये सांस्कृतिक नायक आदिम अभ्यता से ही जन्मे थे। इनमें यहां की जनजाति के अराध्य देव लिंगों की भूमिका सर्वोपरि है। इन्होंने निराशा प्राय: युवा वर्गो को शिक्षित करने के लिए के लिए विविध विचारों केा जन्म दिया। जनजाति संस्कृति को ऐतिहासिक दृष्टि से भी ध्यान रखना होगा कि कृष्ण संस्कृति और यही अजंजा के भित्त चित्र की कल्पानाऐं की उस युग में उद्‌भव हुई जब अरण्य संस्कृति (जनजातिवाद) एक प्रमुख सांस्कृतिक शक्ति थी उक्त आदिवासी संस्कृति इन्द्रियों के बीच संतुलित अन्योन्य प्रति क्रिया की अभिव्यंजना कर रही थी यह सब कुछ घोटूल की पूर्ण निरंतरता से ही सम्भव था।

जनजातियों कला का प्रदर्शन – जनजातियों के सौन्दर्य के क्षेत्र में भी देखने मिलता है। घोटूल का अलंकरण विविध प्रकार के नक्काशियों तथा भिति चित्रों से होता है जो कलात्मक रचना के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक है, जिसके माध्यम से घोटूल उत्सव, संगीत गायन, नृत्य तथा विविध प्रकार के कीड़ाओं का मनोरम दृश्य रहना है। इन सबमें जनजातियों की सामूहिक अभिव्यक्ति है तथा इनका खेल–जड़ खेल और धरती खेल कृषि के साथ जुडी हुई है साथ ही शिकार, शहद इक्टठा करने, मछली पकड़ने कायह सभी गहरे रूप से जनजाति जीवन से जुड़े है। जनजाति क्षेत्रों में जैसे पाठ्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को कृषि कार्य सिखाई जाए जिससे वे अपने आप आत्मनिर्भर हो कि अपनी जरूरतों के हिसाब से अन्य लोगों को सिखा सकते है साथ ही विद्यालयों के माध्यम से पशुपालन मुर्गीपालन एवं पालतु जानवर रखने के लिए महत्व पर जोर देना चाहिए, जिससे लोगों को आत्म निर्भर बनाया जा सकें।

1940 में डब्ल्यू. वी. ग्रिग्सन ने 'मध्यप्रांत और बरार में आदिवासी समस्या' में उल्लेख किया है कि आदिवासियों की वर्तमान स्थिति जिसमें मुख्यत: आर्थिक शैक्षणिक भौतिक राजनैतिक तथा आदिवासी भाषा और संस्कृति के अध्ययन को प्रोत्साहन करने और उनकी संस्कृति के विशिष्ट तत्वों को संरक्षित करने के लिए आदिवासियों के बीच शिक्षा नीति को क्या दिशा दी जानी चाहिए के सम्बन्ध में जो सुझाव दिया गया था उन्हें क्रियान्वयन करते तो आज जनजाति क्षेत्रों में यह स्थिति शायद नहीं होता।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार–प्रसार हुआ लेकिन मूल रूप से जनजाति समाज में जो शिक्षा दी जाती थी। वह उन्हें अरूचि कर महसूस होते थे जिनके कारण उसकी शिक्षा के प्रति लोगों तक रूझान नहीं हो सका क्योंकि प्राय: जनजाति अपनी भाषा बोली के अतिरिक्त अन्य सम्पर्क भाषाओं से परिचित होते है। जिससे इनमें अपनी संस्कृति भाषा एवं पढ़ाने वाले इनमें से बिल्कुल अनभिज्ञ हो जाते है। ग्रिग्सन का इस सम्बन्ध में विचार है कि आदिम जीवन और संस्कृति के लिए यह विनाशकारी है, इनकी मान्यता है कि 'आदिवासी लोगों को और उनकी संस्थाओं में बेहद नफरत करने वालो के बीच आदिवासी बच्चे बड़े होते है और जहाँ कही ऐसा न भी हो तो वहां भी अध्यापक जो सामान्यत: शहरी होते है। उन सभ्य लोगों से अपने आपको तथा अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानते है जिनके बीच उन्हें रहना है और उनकी संस्थाओं की उपेक्षा या आलोचना सहनी पड़ती है। बच्चों को अनजाने में ईश्वर की प्रार्थना करना और गीत गाना तो सिखाया जाता है लेकिन अपनी सदियों पुरानी देवी–देवताओं की आस्था में वे गहरे रूप से बंधे हुए होते भी पूजा नही करायी जाती है। इन्हें वे भारतीय उदार पंथीयों व अंग्रेज वायसरायों के जीवन के बारे में तो पढ़ते है लेकिन अपने नायकों और नेताओं के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। जनजाति क्षेत्रों के विद्यालयों में कितने लड़के–लड़कियॉ अपनी देवी–देवता वंश देवी देवताओं या रायलिंगा की पारम्परिक कथाओं को खूबसूरती से जान सकते है। भारत में कितने गढ़ हुए व कितने गोंड़ राजा हुए या अन्य जनजातियों के रियासत रहें परंतु बच्चों को विदेशी भाषा में पढ़ाई जाती है, जिससे इनकी अपनी भाषा के नष्ट होने के साथ–साथ काव्य के संसार और पारस्परिक कथाओं का सौन्दर्यात्मक प्रभाव भी पूरे तौर पर नष्ट होता है।

मुरिया नौवजवान घोटूल व्यवस्था के अंतर्गत बड़ी संख्या में संगठित होते है और सामाजिक दायित्वों के द्वारा सहशिक्षा तथा प्रशिक्षण को एक विस्तारित योजना है। यह घोटूल,जनजाति धर्म और परम्पराओं की सिखाने वाला केन्द्र है, जनजाति लड़के अपने बहुसंख्यक मानकों, कानों की बालियों और सिर की पटटीयों फूलों और पंखों नक्कांशी की गई कंघियों और उनके बालों में सजावटी पंखों के साथ दिखने में बेहद खुशी महसूस करते है। लेकिन विद्यालयों में उनका सारा आकर्षण और स्नेह खत्म हो जाता है। उन्होंने अपने घोटूल की सदस्यता बनाये रखी थी लेकिन नृत्य या शानदार खेलों में भाग लेते समय उनकी वेशभूषा और मानसिकता ने आदिवासी बच्चों को अपने घर में ही अजनबी बना देती है।

आदिम काल से युवा गृहों में जनजातीय अनुशासन सामाजिक एवं धार्मिक कार्य और कर्तव्य तथा पारस्परिक उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में समाज के बालक और बालिकाओं को शिक्षा देने के उद्देश्य से ही युवागृहों की स्थापना हुई थी। आधुनिक समाजों की भांति आदिम समाजों में बच्चों को शिक्षित करने की अन्य संगठित संस्था का नितान्त अभाव रहा था। ऐसी स्थिति में युवागृह की माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इनकी स्थापना की गइ्र थी। यह सामाजिक जीवन का प्रमुख संस्था है। जिसमें जनजाति बच्चों को उनकी प्रथा परम्परा आदि के सम्बन्धों में आयेजित ज्ञान उपलब्ध कराना तथा बच्चों को खेलकूद एवं अमोद–प्रमोद के बीच व्यक्तिगत पारिवारिक तथा सामूहिक कहानियों एवं उत्तरदायित्वों की शिक्षा देना और सामूहिक कार्य में सम्मिलित होकर सामूहिक दायित्व निभाने की व्यवहारिक शिक्षा जैसे शादी–विवाह के समय व भवन निर्माण तथा फसल काटते समय सहयोग करना इत्यादि सम्मिलित है।

ग्रिग्सन ने आदिवासी शिक्षा के तीन उद्देश्य का शामिल किया था अगर उन्हें लागू किया जाता तो जनजाति शिक्षा के क्षेत्र आज जो स्थिति है वह नही होती उन्होनें तीन उद्देश्य निर्धारित किये थे जो इस प्रकार है–

1. आदिवासी सभ्यता धर्म और जनजाति संस्थाओं की संरक्षित और विकास करना।
2. आदिवासियों को ऐसे तैयार करना कि जो भ्रमित ना करके उनकी सभ्यताएं व संस्कृति की रक्षा कर सकें बल्कि साथ ही इस तेजी से बदलते विश्व में अपना स्थान बना सकें।
3. घोटूल के द्वारा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।

ग्रिग्सन का विचार है कि, बस्तर के घोटूल में की युवा शाक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है घोटूल संस्था लिंगों ने भी आश्रित तथा विराम के दोनों ही कार्य विद्यमान थे तथा घोटूल में आदिवासी जीवन को गणतंत्रात्मक सिखाई जाती थी और यही के ग्राम पंचायतों तथा परंगना पंचायतों में ही संगठन क्षमता विग्रान भी गांवों के मांझीयों के अधीन वर्ग बद्ध किया गया था जो स्थानीय प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होते थे ग्राम प्रमुख आदिवासियों तथा प्रशासन के बीच की एक कड़ी था किन्तु माझीयों के पारम्परिक अधिकार को चुनौती

नहीं दे सकता था। यह व्यवस्था भी घोटूल संस्था से ही सम्भव हुआ था। घोटूल अत्याधिक विकसित संस्था है। विश्वास के साथ इसकी तुलना कम्यून से की जा सकती है। जैसे कि इजाराइल के किब्बूट्डन की संस्था देख सकते है जिसमें बच्चों को उनके माता-पिता से अलग कर समुदायिक ढंग से उनके पालन-पोषण करने का प्रयत्न किया जाता है। बस्तर के जनजातियों के घोटूल सामाजिक व धार्मिक जीवन का केन्द्र है, जहां बच्चों को शैक्षणिक कार्य भी सौंपा जाता है। यहां पर पांच छः साल के उम्र के बाद अविवाहित लड़के-लडकियों घोटूल की देखभाल सफाई रख-रखाव की जिम्मेदारी भी उनकी होती है दिन में माता-पिता के घर चले जाते है और विभिन्न कार्यो में उनकी सहायता करते है और विवाह के बाद वे घोटूल छोड़ते है।

ब्रिटिश न्यू गिनिया का युवा गृह 'इटावों' के सम्बन्ध में कहा जाता है एक सम्पूर्ण दीक्षित आदिवासी 'इटावों' को अपना विद्यालय मानता है। कबीलों व समुदाय के प्रति अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का उसका ज्ञान कबीलों व समुदाय के हितों के विपरीत जानने वाले हर चरित्र के प्रति उसको घृणा व ना पसंदों संक्षेप में यह जो कुछ भी है। वह उनके इटायों की देन है अपनी दीक्षा के दौरान इटावों में अर्जित ज्ञान जीवन में इनकी गतिविधियों पर प्रभावी होती है।

घोटूल सांस्कृतिक विकास के एक सरल स्तर का चिन्ह है। घोटूल के जीवन और वहां की शिक्षा में ऐसे तत्व है, जिन्हें अनुशरण करने से समाज अनुशासित एवं समुदायिक भावना के साथ जनजाति लोगों की मनोवृत्ति का अपने जीवन में समावेश करने में कोई नुकसान नहीं होगा। अतः इन्हें संरक्षित की जानी चाहिए कि स्वतंत्रता और खुली किसी भी भौतिक लाभ से बढ़कर है कि मित्रता और हमदर्दी अतिथि-सरकार और एकता का स्थान सबसे ऊपर और सबसे बढ़कर कि मानवीय प्रेम और उसकी शारीरिक अभिव्यक्ति सुन्दर-स्वच्छ और अमुल्य है। एक विशिष्ट भारतीय भाव, पुराने उत्कृष्ट भारत का परिवेश यह है कि यहां अंजता में प्रदर्शित जैसा सौंदर्य तथा ज्ञान कृष्ण लीला और उसके प्रणय लीला का कुछ अंश है। यहां जीवन की परम्परा जिसे चित्र कला की प्रेरणा दी थी इन चित्रों के बारे में एक पुरानी घोटूल पर बिल्कुल सटीक बैठते है यह आदिकाल से जनजाति समाजों में अपने बच्चों की शिक्षा के लिए विशिष्ट माध्यम रहा है।

घोटूल प्रायः ग्राम को बाहरी ओर होता है यह विशेष रूप से निर्मित भवन जो सफेद तथा बिना रंग का होता है जैसा कि उरॉव लोगों का धुमकुडिया तथा नागा लोगों का 'भीरांग' श्यामगृह जैसा नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजों वाला होता है। मजुमदार ने इन आवासों के संदर्भ में कहा है कि निश्चित गहन सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षणिक प्रायोजन है। यहाँ बालक तथा बालिकाओं को उसका सदस्य बनना आवश्यक होता है तथापि यह प्रवेश के समय सदस्यों की आयु दस वर्ष होती है तथा इनकी सदस्यता विवाहित होने तक चलती है। घोटूल मनोरंजनात्मक क्रियाओं के अतिरिक्त इसके सदस्य अधिकारी के नेतृत्व में उनके सामूहिक कार्यक्रमों में सहायता करते है जैसे विवाह कार्य, गृह निर्माण अथवा फसल तैयार करना।

एस.सी.राय छोटा नागपुर के ओरॉव जनजाति के युवा गृह के लिए त्रि-भुजीय उद्देश्य माना वे भोजन की खोज के प्रयोजन हेतु एक प्रभावी आर्थिक संगठन के रूप में अपने सामाजिक तथा अन्य कर्तव्यों के प्रशिक्षण तथा उपयोगी धर्म गोष्ठी तथा आखेट में सफलता के लिए सम्पति जनन, शक्ति के संवर्धन हेतु जादू धार्मिक समारोह सम्पन्न करने के रूप में कार्य करता है।

घोटूल के माध्यम से लड़के-लड़कियों मिलकर अपने छोटे बडे के बीच हम उम्र की भावना उत्पन्न करता है जिससे एक दूसरे को समझने में सहयोग प्रदान करता है तथा इसके बीच किस्से कहानियों के माध्यम से एक दूसरे के प्रषिक्षण देने के कार्य भी करते है।

अतः कहा जा सकता है कि घोटूल प्राचीन शिक्षा का केन्द्र है जहां रहकर जनजाति युवावर्ग समाज की संस्कृति, गांव की सुरक्षा, प्रकृति का संरक्षण और अर्थोपार्जन जैसे कार्यों मे अपनी सहभागिता निभाते हुए नृत्य, गीत, संगीत द्वारा मनोरंजन भी करते है। आधुनिक ना होते हुए भी उनकी संस्कृति सुसभ्य, त्याग, सहयोग, सौंदर्यबोध से परिपूर्ण आदर्श संस्था है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Grissan, W.V., - ***The Maria Gonds of Bastar*** Oxford University Press New Delhi, 1991
2. Srinivas, M.N., - ***Religon and Society Among*** the Coorgs of South Indian Ox ford clarendon Press 1952
3. Sharma, S.P. and Sharma, J.B., - Culture of Indian Tribes 1998
4. एल्विन, वेरियर, - मुरिया और उनका घोटूल, राजकमल प्रकाशन प्रा.लि., नई दिल्ली, 2008 अनुवादक प्रकाश परिहार, कविता वशिष्ठ
5. एल्विन, वेरियर, - जनजातीय मिथक, उड़िया आदिवासियों की कहानियां, राजकमल प्रकाशन अनुवादक-निरंजन महावर 2008
6. एल्विन, वेरियर, - महाकौशल अंचल की लोककथाएं, अनुवादक दिनेश मिश्रा, राजकमल प्रकाशन, 2008
7. शुक्ल, हीरालाल, - छत्तीसगढ़ का जनजाति इतिहास मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमिक, भोपाल 2003
8. शुक्ल, हीरालाल, - बस्तर का मुक्ति संग्राम, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी 2003
9. शर्मा, विजय प्रकाश, उपाध्याय, विजय शंकर, - भारत की जनजाति संस्कृति, म.प्र.हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 2007
10. मुण्डा रामदयाल एवं मानकी रतन सिंह, - आदि धरम भारतीय आदिवासियों की धार्मिक आस्थाएं, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 2009

****

मानवाधिकार एवं महिलाएं

संध्या देव *

प्रस्तावना – मानवाधिकार शब्द से आशय मानव के अधिकारों से है। हेराल्ड लास्की के अनुसार अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियां है, जिनके बिना सामान्यतया कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। मानवाधिकार शब्द मानव चेतना अपना विकास चाहती है, चेतना के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है और स्वतंत्रता के लिए अधिकार सुप्रसिद्ध चिन्तक ग्रीन को स्पष्ट करता है। दरअसल समाज में रहकर प्रत्येक व्यक्तित्व को जीने का अधिकार मिले स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करके वह अपने व्यक्ति का विकास कर सके यह व्यक्ति की नैसर्गिक मॉग है और इस मॉग की पूर्ति का नाम ही अधिकार है।

आदिम समाज में शक्ति ही सत्य थी जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसे नियम प्रचलित थे। अत: अधिकारों की प्राप्ति सम्भव नहीं थी। किन्तु संस्कृति और सभ्यता के विकास के साथ ही यह आवधारणा बलवती हो गई कि मनुष्य को होने के नाते कुछ अधिकार मिलने चाहिए जिसमें वह अपने व्यक्ति का विकास मिलने चाहिए जिसमें वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। समाज में मानवीय गरिमा का सम्मान हो सके सबके लिए समान समाज और न्यायपूर्ण वातावरण निर्मित हो सके ऐसा तब सम्भव है जब समतावादी समाज की रचना हो एक सभ्य समाज में अपेक्षाकृत अधिक आक्रामक व्यक्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है ताकि वे अपनी महत्वाकांक्षा पर रोक लगा सकें और कमजोर वर्गो को संरक्षण दिया जाता है ताकि वे अपने जीवन जी सकें इस आशय की पुष्टि हम धार्मिक ग्रंथों में वर्णित नैतिक मूल्यों से हो जाती है भारतीय संस्कृति तथा व्यक्तिगत आचरण का एक अहम हिस्सा रहा है।

मानव अधिकारों की वैष्विक अभिव्यक्ति 1948 में संयुक्त राष्ट्र में अंगीकृत सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा पत्र में हुई, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि कुछ अधिकार मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होना चाहिए सभी लोगों काके न्याय और शान्ति का वातावरण मिलना चाहिए ताकि व्यक्ति गरिमामय वातावरण में अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। घोषणा पत्र में भाषण व विश्वास की स्वतंत्रता तथा दु:ख और अभाव से मुक्ति को लोगों की सर्वोच्य अभिलाषा के रूप में मान्यता दी गई। उल्लेखनीय है कि मानव अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय झलक सर्वप्रथम मैग्नाकार्ट (सन् 1215 का इग्लैंड का प्रसिद्ध आज्ञापत्र) अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध (1776) व फ्रांस की क्रांति (1789) में दिखाई देती है। लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शान्ति और सद्भाव पैदा करने मानव की हिफाजत करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र (1948) में यह अपेक्षा की गई कि राष्ट्र अपने नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों के साथ सभी समान है और बिना किसी भेदभाव के कानूनी संरक्षण प्राप्त करने के अधिकारी थी। 10 दिसम्बर 1948 को जारी इस सार्वभौमिक घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद है और इन अनुच्छेदों को मानवता का मैग्नाकार्ट कहा जाता है ये अनुच्छेद इस प्रकार है–

सभी मनुष्य जन्म से स्वंतत्र है और समान है।

प्रत्येक व्यक्ति को इस घोषणा में उपवर्णित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने कार हक हैं । किसी भी आधार पर (भाषा,लिंग,वर्ण,धर्म आदि) भेदभाव नहीं किया जाएगा।

प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवन स्वंतत्रता और अपने शरीर की सुरक्षा का अधिकार है।

किसी भी व्यक्ति को दास या गुलाम नहीं रखा जाएगा सभी प्रकार की दासता और दास व्यापार निषिद्ध होगा ।

किसी भी व्यक्ति के साथ अमानुषिक एवं अपमान जनक व्यवहार नहीं किया जाएगा।

प्रत्येक व्यक्ति को सर्वत्र विधि के समक्ष व्यक्ति के रूप में स्वीकार किए जाने का अधिकार है।

कानून की दृष्टि से सभी समान है और सभी को बिना भेदभाव के समान कानूनी संरक्षण का अधिकार है।

प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या विधि द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के अतिक्रमण करने वाले कार्यो के विरूद्ध राष्ट्रीय अधिकारों द्वारा प्रभावी उपचार का अधिकार है।

किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार ,नजरबंद या देश से निष्काषित नहीं किया जा सकता।

प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों और बाहतओं के और उसके विरूद्ध आपराधिक मामलों में पूर्णतया स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकार द्वारा सार्वजनिक सुनवाई का हकदार है।

किसी भी व्यक्ति की अंतरंगता उसके परिवार के साथ स्वेच्छाचारी ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के हस्तक्षेप के विरूद्ध कानून के संरक्षण का अधिकार होगा।

अ. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश को छोड़ने या किसी भी देश को छोड़ने और देश वापस आने का अधिकार है

ब. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सीमाओं में आवागमन और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार है।

प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक कारणों से उत्पीडन से बचने के लिए अन्य देश में शरण लेने का अधिकार है।

प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक राष्ट्रीयता का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से न तो उसकी राष्ट्रीयता से और न राष्ट्रीयता

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय श्या. सुं. ना. मु. महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

परिवर्तन करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा।

प्रत्येक व्यक्ति को सम्पत्ति का अधिकार है और उसे मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जाएगा।

प्रत्येक व्यक्ति को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है

प्रत्येक व्यक्ति को शान्तिपूर्वक ढंग से एकत्र होने संघ बनाने की स्वतंत्रता है।

प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का हकदार है जिसमें इस घोषणा पत्र में वर्णित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्णरूप से प्राप्त किया जा सकता है।

मानव अधिकार संगठन –दो विश्वयुद्धों की विभिषिका के बाद पूरे विश्व में शान्ति भाईचारा और न्याय एवं समतापूर्वक समाज की कल्पना की गई। अनेक संगठित प्रयास इस दिशा में हुए मानव अधिकार की सुरक्षा में निम्न लिखित संस्थाऐं स्थापित हुई।

एमनेस्टी इंटरनेशनल– मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कृत संकल्पित यह एक विश्वव्यापी संगठन है। इसका मुख्यालय लन्दन में है। इसकी शुरूआत एक ब्रिटिश वकील पीटर बेनसन ने 28 मई 1961 को अखबारों में एक अपील देकर की थी। आज लगभग 150 देशों में 5 लाख से ज्यादा सदस्य इस संगठन से जुडकर अपनी सेवाए दे रहे है विश्व में होने वाले मानव अधिकार हनन की यह संगठन वार्षिक रिर्पोट देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में यह सलाहकार की भूमिका निभाता है 1977 में इस संगठन की इसके कार्यो के कारण नोबोल पुरूस्कार प्राप्त हो चुका है इस संगठन के 6 मुख्य कार्यक्षेत्र है।

1. महिलाओं ,बच्चों,अल्पसंख्यकों और देशज अधिकारों के संरक्षण में भूमिका।
2. अत्याचार समाप्त करने के प्रयास।
3. मृत्युदंड को समाप्त करना।
4. शरणार्थियों के अधिकारों हेतु कार्य करना।
5. जेल में कैदियों के मानव अधिकार के संबंध में कार्य
6. मानवीय गरिमा को संरक्षित करने संबंधी कार्य।

हुमन राइट वाच – 1978 में न्यूयार्क में स्थापित यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है जो महिलाओं,बच्चों, तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के अधिकारों के लिए सहायता प्रदान करता है।

रेडक्रास – युद्ध तथा प्राकृतिक आपदाओं के दिलाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया संगठन रेडक्रास है। अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति 1863 में जे.एच.हुनात की मदद से स्थापित की गई थी। सन् 1864 में चौदह राष्ट्रों से आए प्रतिनिधियों ने जिनेवा समझौते को स्वीकृति दी इस समझौते के मुताविक घायलों का उपचार ,पीडितों को मदद पहुचाना तटस्थ रूप से कार्य कर रहे इस संगठन केा मानव की सुरक्षा में उठाऐं कदम की सराहना को तीन बार 1917,1944 और 1963 में नोबेल पुरूस्कार से नबाजा गया।

यूनेस्को – सयुंक्त राष्ट्रसंघ की शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संस्था 1946 को अस्तित्व में आई। इसकी प्रस्तावना में उल्लिखित है कि युद्ध मनुष्य के दिमाग में पैदा होते है इसलिये शान्ति को सुरक्षित रखने की सोच भी भावना मस्तिक में बनाई जानी चाहिए।

यह संस्था शिक्षा,विज्ञान,संस्कृति के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है।

मानव अधिकार और भारत – भारतीय संस्कृति में मानवता की अनुगूंज का स्वर सदियों से प्रवाहित होता है। मानव मूल्यों की पोषण संस्कृति में लोक कल्याण,मनुष्य की अस्मिता केन्द्रीय तत्व रहे है एंव मानव धर्म को सबसे श्रेष्ठ धर्म माना गया है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार न मानुशात परतंर गांधी किंचिदस्ति। अर्थात् मनुष्य से परे या ऊँचा कोई धर्म नहीं है महात्मा गांधी का दर्शन सत्य, अहिंसा सत्याग्रह, साध्य तथा साधन की पवित्रता आदि मानव अधिकारों और मानव मूल्यों का पोषक रहा है। राष्ट्रकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य में मानुशेर,धर्म की चर्चा भी इसी संदर्भ में की गई है। धर्म, दर्शन और चिन्तन की स्वीकारोक्ति संस्थागत प्रयासों में देखी जा सकती है।

यथा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से इस बात के स्पष्ट संकेत प्राप्त होते है। भारत का संविधान समता ,धर्म निपेक्षता संसदीय लोकतंत्र, बन्धुता और राष्ट्रीय एकता, आर्थिक न्याय लोक कल्याणकारी राज्य के बुनियादी सिद्धातों पर आधारित है। भारतीय संविधान समता ,धर्म निपेक्षता,संसदीय लोकतंत्र बन्धुता और राष्ट्रीय एकता आर्थिक न्याय,लोक कल्याणकारी राज्य के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है भारतीय संविधान और मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा पत्र मं समानता निम्नानुसार स्वत: स्पष्ट हो जाती है।

मानव अधिकार एवं महिलाएं– महिलाएं देश की आबादी का आधा भाग संवैधानिक स्वतंत्रता समानता समानता को प्राप्त करने के बावजूद समाज में उपेक्षा का जीवन जीने हेतु विवश है दरअसल आजादी एक स्थिति है और अधिकार एक सुविधा। अत:महिलाओं को अपने जीवन को खुशहाल एक सुविधा एंव उन्नत बनाने का अधिकार रूपी सुविधा प्राप्त होना अपरिहार्य है। मानव अधिकारों को वैष्विक घोषणा में लिंग भेद के बिना सबको समान रूप से अधिकारों की घोषणा की गई है। 18 दिसम्बर 1976 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्त्रियों के विरूद्ध सभी रूपों में विभेद के विलोपन अधिसमय को पारित किया। मोटे तौर पर देखा जाए तो महिलाओं के मुख्य मानवाधिकार निम्नलिखित हो सकते है।

- जीवन जीने का अधिकार,पूर्ण पोषण पाने का अधिकार।
- पूर्ण स्वास्थ्य का अधिकार।
- पूर्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार ।
- आर्थिक स्वावलंबन का अधिकार।
- विवाह के संबंध में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार।
- मातृत्व की अवस्था में समुचित देखभाल एवं पोषण का अधिकार।
- परिवार के निर्माण में अपनी सहभागिता रखने का अधिकार।
- प्रतिदिन विश्राम का अवसर प्राप्त करने का अधिकार।
- स्वत: अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार।
- सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने व मनोरंजन का अधिकार।
- वृद्धावस्थता में संतान से भरण पोषण का अधिकार।

एक्त अधिकार प्राप्त होने पर महिलाए अपना जीवन स्वतंत्रतापूर्वक एवं गरिमामयी तरीके से जी सकती है महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त हो सकें इसलिए प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाकर इस बात की प्रतिबद्धता जाहिर की जाती है। महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार है–

- मातृत्व लाभ अधिनियम 1961संशोधित 2008
- समान वेतन अधिनियम 1976
- बालविवाह निषेध अधिनियम 1929 संशोधित 1987
- दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961संशोधित 1986
- स्त्री का अशिष्टरूपेण चित्रण प्रतिबंध अधिनियम 1986
- प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक 1994, संशोधित 2002

मानवाधिकार का बदलता परिदृश्य दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में श्री शिवराज पाटिल ने कहा था कि धार्मिक कट्टरपन के कारण मानवाधिकारों के हनन का खतरा बढ़ गया है। इससे निपटने के लिए समाज में जागरूकता का होना जरूरी है। क्योंकि केवल कानून बनाने से समस्या हल नहीं होती। जनता को मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। इसी में मानव मात्र का कल्याण निहित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अरूण राय: मानव अधिकार आयोग।
2. जय जय राम उपाध्याय – मानव अधिकार।
3. नेमा जी.पी एवं शर्मा के – मानव अधिकार सिद्धांत एवं व्यवहार।
4. सक्सेना के.पी.मानव अधिकार।
5. सेन शंकर मानव अधिकार एवं सामाजिक विकास।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) October to December 2019, Vol. I

समसामयिक परिप्रेक्ष्य में नि:शक्तजन - शैक्षिक अधिकार व अवसर

कमलेश पँवार *

प्रस्तावना - शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है और इसी के बूते वह जीवन की चुनौतियों से जूझने में समर्थ होता है। नि:शक्तजनों को इसकी जरूरत और भी ज्यादा है, ताकि वे अपनी प्रतिभाओं को शिक्षा के बल पर प्राप्त करते हुए अपना जीवन खुशनुमा, उत्पादक और उपयोगी बना सके। औपचारिक शिक्षा के अलावा नि:शक्तजनों को दूसरे कई मुद्दों जैसे-समाज का नजरिया, रोजगार के अवसरो की अनुपलब्धता और स्वास्थ्य जैसी समस्याओ से जूझना पड़ता है। ये मुद्दे देश-विदेश सहित संयुक्त राष्ट्र के मंचो पर भी समय-समय पर उठाए जाते रहे है। इसे व्यापक तौर पर महसूस किया गया है कि नि:शक्त बच्चों और व्यस्कों को मुख्यधारा में लाने के लिए अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है।

भारत में नि:शक्तता की व्यापकता - 2001 की जनगणना के अनुसार नि:शक्त व्यक्तियों में लगभग 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से थे और केवल 25 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों से थे। पूरे देश की जनसंख्या मे 2.13 प्रतिशत किसी न किसी प्रकार की नि:शक्तता से ग्रस्त थे। ग्रामीण भारत में नि:शक्तता शहरी क्षैत्रों (1.93 प्रतिशत) की अपेक्षा अधिक (2.21 प्रतिशत) थी। पुरूषो में नि:शक्तता (2.37 प्रतिशत) महिलाओं (1.87 प्रतिशत) की अपेक्षा बहुत अधिक थी। अनुसूचित जातियों में नि:शक्तता की दर (2.23 प्रतिशत) सामान्य जनसंख्या की अपेक्षा अधिक थी और अनुसूचित जनजातियों में यह कम (1.92 प्रतिशत) थी। 2001 मे 2.19 करोड़ से बढ़कर यह संख्या 10 वर्ष में 2.68 करोड़ हो गई अर्थात 2.13 प्रतिशत से बढ़कर 2.21 प्रतिशत।

जनगणना 2011 के अनुसार:-भारत में 121 करोड़ की जनसंख्या मे से 2.68 करोड़ लोग नि:शक्त है, जो कि कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है।

(देखे आगे पृष्ठ पर)

नि:शक्त लोगों में 56 प्रतिशत (1.50 करोड़) पुरूष और 44 प्रतिशत (1.18 करोड़) महिलाए है। कुल आबादी में पुरूष और महिला आबादी क्रमश: 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत है।

ग्रामीण क्षेत्रों में नि:शक्तजनो की कुल संख्या 1.8 करोड़ से अधिक है और शहरो मे केवल 81 लाख है। कुल आबादी के मामले मे भी 69 प्रतिशत ग्रामीण इलाको में है जबकि शेष 31 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहते है।

वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट में नि:शक्त बच्चों का प्रतिशत

आयु वर्ग (वर्ष)	नि:शक्त बच्चों का (प्रतिशत)
0-4	1.14
5-9	1.54
10-19	1.82

(स्त्रोत - CSO जनगणना 2011)

वर्तमान समय में विश्व में 500 मिलियन नि:शक्त लोग है। अमर्त्य सेन कहते है कि नि:शक्त लोग विकासशील देशों में न केवल सर्वाधिक वंचित है, बल्कि वे सर्वाधिक उपेक्षित भी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा जाता है। लगभग 70 फीसदी नि:शक्त लोग बेरोजगार है। शारीरिक समस्याओं के साथ-साथ उन्हें सामाजिक कलंक एवं बहिष्कार भी झेलना पड़ता है।

नि:शक्त व्यक्तियों के समक्ष आने वाली कुछ प्रमुख समस्याएँ - सार्वजनिक परिवहन के वाहनों तक पहुँच का अभाव, नि:शक्त लोगों के साथ कार्यस्थल पर भेदभाव, लैंगिक दुर्व्यवहार आदि। इसके अतिरिक्त भारत में कुल दिव्यांग बच्चों (1.2 करोड़) का केवल 1 प्रतिशत ही विद्यालय तक पहुंच रखता है। भारत में नि:शक्त बच्चे, नि:शक्त महिलाएँ, मानसिक स्वास्थ्य नि:शक्त रोगी और एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित व्यक्ति सबसे अधिक नि:शक्तों की श्रेणी में आते है।

नि:शक्त लोगों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रावधान -

संवैधानिक प्रावधान - भारतीय संविधान का अनुच्छेद-14 (समानता का अधिकार) - यह नि:शक्त लोगों के अधिकारो के संरक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है। इसमें उल्लेख है कि जिन लोगों को विशेष व्यवहार की आवश्यकता है, उनके लिये विशेष कानून नीतियों और कार्यक्रम होने चाहिए।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद-21 (जीवन का अधिकार) - अनुच्छेद 21 एवं राज्य के नीति निदेशक तत्व भी विशेष रूप से नि:शक्त लोगों के अधिकारो का उल्लेख करते है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद-29 (2) - सरकार द्वारा स्थापित या प्रतिबंधित या सरकारी सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण-संस्थान में जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय आदि के आधार पर प्रदेश मे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार किसी भी नि:शक्त को नि:शक्ता के कारण प्रवेश से वंचित नही किया जाएगा।

संविधान अनुच्छेद-45 - इसके अनुसार सरकार का दायित्व है कि वह 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए।

प्रमुख नीतियॉ, कानून व कार्यक्रम-

- प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968
- द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986

नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 - इसके अनुसार नि:शक्त लोगों को सभी निर्धनता

* मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

उन्मूलन कार्यक्रमों, सरकारी पदों, राज्य शैक्षणिक संस्थाओं और अन्य अधिकारों मे 3 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है।

नि:शक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006- इसके अनुसार नि:शक्तजनों का भौतिक पुनर्वास, शैक्षिक पुनर्वास (जिसके अंतर्गत व्यवसायिक प्रशिक्षण शामिल है), आर्थिक पुनर्वास आदि शामिल है।

सर्वशिक्षा अभियान (2007) - इसमें नि:शक्तता के प्रकार श्रेणी और अंश में किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए, सभी नि:शक्त बच्चों को शालाओं में पढ़ाई का अवसर देने पर जोर दिया गया।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 - 6-14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2015 - इस नीति ने शिक्षा व्यवस्था के सभी अंगो में नि:शक्ता को शामिल किया है चाहे शिक्षा मे प्रवेश हो, प्रवेश नीतियां हो, शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, पाठ्यक्रम का विकास हो, शिक्षण की रणनीतिया हो, पठ्न सामग्री हो, मूल्यांकन व्यवस्था हो, आभासी शिक्षा माध्यम हो।

वर्तमान स्थिति - इस समय नि:शक्त व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम और शिक्षा का अधिकार जैसे कानूनों में जिस प्रकार के प्रावधान किए गए है, उनसे स्पष्ट है कि नि:शक्तजनों की शिक्षा पर अब काफी ध्यान दिया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए) समावेशी शिक्षा योजना में 10.71 लाख नि:शक्त बच्चों को जोड़ा गया है। (शिक्षा हेतु एकीकृत जिला सूचना प्रणाली 2013-14)

माध्यमिक विद्यालयों में नि:शक्त बच्चो की समावेशी शिक्षा (आई.ई.डी.एस.एस) में लगभग 2 लाख नि:शक्त बच्चे शामिल किए गए है। लगभग 1 लाख विकलांग बच्चे 977 विशेष विद्यालयों में पढ़ रहे है। (एक गैर सरकारी संगठन का अध्ययन)

जनगणना 2011 के अनुसार - निशक्तों की शैक्षणिक स्थिति- निशक्तता, औपचारिक शिक्षा में एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य कर सकती है। लेकिन शिक्षा, नि:शक्त व्यक्तियों के विकास में महत्वपूर्ण है।

कुल नि:शक्त लोगों में से लगभग 55 प्रतिशत (1.46 करोड़) साक्षर है। पुरूष नि:शक्त 62 प्रतिशत साक्षर है जबकि स्त्री नि:शक्त 45 प्रतिशत साक्षर है। ग्रामीण क्षेत्रों में 49 प्रतिशत नि:शक्त साक्षर है, जबकि शहरी क्षेत्रों में नि:शक्त व्यक्तियों का प्रतिशत 67 प्रतिशत है।

कुल नि:शक्त व्यक्तियों में 45 प्रतिशत निरक्षर है। 13 प्रतिशत नि:शक्त लोगों को मैट्रिक/माध्यमिक शिक्षा प्राप्त है पर वे स्नातक नहीं है और 5 प्रतिशत और उससे ऊपर हैं। नि:शक्तता साक्षरता में लगभग 8.5 प्रतिशत स्नातक है। पुरुष निशक्त व्यक्तियों में 38 प्रतिशत निरक्षर हैं, नि:शक्तों में 16 प्रतिशत लोगों में मैट्रिक/माध्यमिक शिक्षा प्राप्त है। पुरुष नि:शक्तता साक्षरता में लगभग 9 प्रतिशत स्नातक है।

महिला नि:शक्त व्यक्तियों में 55 प्रतिशत निरक्षर है। 9 प्रतिशत नि:शक्त महिलाओं की आबादी को मैट्रिक/माध्यमिक शिक्षा तो मिली है किन्तु वे 3 प्रतिशत स्नातक या उससे अधिक नहीं है। महिला नि:शक्तता में लगभग 7.7 प्रतिशत स्नातक है।

(देखे आगे पृष्ठ पर)

पुरुष एवं महिला दोनों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में नि:शक्तता का शैक्षिक स्तर बेहतर है। शहरी क्षेत्रों में कुल नि:शक्तता के 67 प्रतिशत लोगों में से 49 प्रतिशत ही साक्षर है। शहरी क्षेत्रों में 20 प्रतिशत मैट्रिक/माध्यमिक स्तर की शिक्षा है, लेकिन स्नातक से नीचे और 10 प्रतिशत से अधिक स्नातक उससे ऊपर है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित आंकड़ें क्रमश: 10 प्रतिशत और 2 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्रों के निरक्षरों में से 15 प्रतिशत स्नातक है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 5 प्रतिशत स्नातक है।

निष्कर्ष:- शिक्षा व्यवस्था के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। यहॉ 35 मिलियन से भी अधिक विद्यार्थी है तथा 50,000 से अधिक शिक्षण संस्थान है। विश्व विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत को अपनी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी अपने नागरिकों की शिक्षा गुणवत्ता पर गंभीर रूप से ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा क्षेत्र का दायरा लगताार बढ़ाने के लिए भिन्न प्रयास हो रहे है लेकिन जब बात नि:शक्तजनों एवं नि:शक्त बच्चों को शिक्षा देने की आती है तब सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। सरकार को और बेहतर तरीके से अपनी योजनाएं लागू करने की आवश्यकता है, जिससे नि:शक्तजनों का कल का सूरज ज्यादा चमकदार हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ग्लेरिया बरेट, मीता नंदी (1994) : कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्द, द डिसेबल्स चाइल्ड।
2. इंदुमती राव (2001) : अंडरस्टैडिंग़ इन क्लूसिव एजुकेशन फ्राम हार्ट, ईईनेट न्यूजलेटर एवं वेब प्रकाशन।
3. टी. जॉनसन (1995) : इनक्लूसिव एजुकेशन, यूएनडीपी जिनेवा
4. चन्द्रशेखर महोपात्रा (2012) : डिसाबिल्टि एण्ड इट्स इंटर लिकेज विथ एजुकेशन, एम्पलयोयमेंट एण्ड पावर्टी इन इंडिया।
5. महनाज उल्फथ (1996): डिसाबिल्टी इन इंडिया : एन एप्रेसियल ऑफ प्रस्पेक्टिव एण्ड पॉलिसिस।
6. जी. गायत्री (2001): एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसाबिल्टी : अ सोसियोलॉजिकल प्रस्पेक्टिव।
7. नीरज कुमार सिंग (2006): डिसाबिल्टी इन इंडिया : अ सपेशियो-टेम्पोरल एक्सपोलेरेशन।
8. पूजा सींग: (2013): डिसाबिल्टी इन डेव्लपमेंट पॉलिसी एण्ड प्रेक्टिस इन इण्डिया।
9. विनोद कुमार मित्र: (2011): विकलांगो के अधिकार।
10. जी.एन. करना (2001): डिसाबिल्टी स्टटी इन इंडिया रिट्रोस्पेक्टस एण्ड प्रोस्पेक्ट।
11. रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया (2011), सेन्सेक्स ऑफ इंडिया।
12. सोशल स्टेटिक डिविजन (2011): मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक एण्ड प्रोग्राम इंम्पलिमेन्टेशन, गर्वनमेंट ऑफ इण्डिया।

जनसंख्या भारत-2011नि:शक्तजन जनसंख्या भारत-2011

व्यक्ति	पुरूष	महिलाएं	व्यक्ति	पुरूष	महिलाएं
121.8 करोड़	62.32 करोड़	58.76 करोड़	2.68 करोड़	1.50 करोड़	1.18 करोड़

(स्त्रोत - CSO जनगणना 2011)

निशक्तजनों की साक्षरता की तुलना लिंग और निवास स्थान के आधार पर

	साक्षर		निरक्षर	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
व्यक्ति	49	67	51	33
पुरुष	58	72	42	28
महिला	37	61	63	39

स्त्रोत - CSO जनगणना, 2011

****

महिलाओं के विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

हेमा परमार *

प्रस्तावना – नारी विधाता की अद्‌भुत, अनुपम शक्ति है। उसमें सर्जन की, संरक्षण की क्षमता है जो नीतियों रीतियों, मूल्यों और पम्पराओं की पोषक है, साथ ही संवाहक भी है। हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब-जब महिला को आगे बढ़ने के अवसर मिले तब-तब उसने अपनी उपरिथति का मजबूती से परिचय देते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। महिलाएं किसी भी देश की आबादी का आधा हिस्सा होती है, इसलिए कोई समाज तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक कि देश की महिलाएं अपना पूर्ण सहयोग ना प्रदान करे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 'शिक्षित और सुसंस्कृत स्त्री शक्ति से देश का भाग्य बदला जा सकता है।' महिला विमर्श के जरिए साहित्य द्वारा महिलाओं के हक में सकारात्मक माहौल उत्पन्न किया गया ताकि महिलाओं को एक नई पहचान मिले और आगे आने वाली पीढ़ियों में भी चेतना और आत्मनिर्भरता का संचार हो। महिलाओं में शिक्षा का प्रसार होने तथा ओद्योगिकीकरण के फलस्वरूप उन्हें आर्थिक क्षेत्र में अवसर प्राप्त हुए। इससे उनकी पुरूषों पर आर्थिक निर्भरता कम हुई। संचार के विभिन्न साधनों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए है। जिसके फलस्वरूप जागरूकता आई और वे अपने अधिकारों के लिए सचेत हुई। इससे अनेक कुप्रथाओं में कमी आई। प्रशासनिक, राजनैतिक, व्यवसायिक क्षेत्रों के साथ ही थल सेना, वायु सेना, नौसेना में भी इनकी मौजूदगी का प्रतिशत बढ़ रहा है। नई सदी में नारी की एक नई छवि उभर रही है। पिछली अनेक सदियों से वह जिन बेड़ियो में बंधी थी अब उन बेड़ियों को तोड़कर नई पहचान बनाने में जुटी है। आज वह अबला नहीं रही बल्कि सबला और समर्थ बन चुकी है। वर्तमान युग चेतना से उसने अपने संघर्ष को धार दी, पीड़ा सहकर अपने मौन को मुखर किया और अपने अस्तित्व का मजबूती से एहसास कराया।

नारी प्रेम, त्याग, बलिदान का पर्याय है, फिर भी वह समाज में अपमानित होती रही है। उसे आज भी समाज में वह दर्जा नहीं दिया जा रहा है जिसकी वह हकदार है। यदि हम उसे आज भी समानता देना चाहते हैं, तो हमें एक ऐसे समाज की जरूरत है जो उसे एक मनुष्य के रूप में स्वीकार करे न कि लिंग के रूप में। हमें एक ऐसा समाज विकसित करना होगा जिसके पास अपने उच्च मूल्य हो और एक खुला हुआ विकसित दिमाग हो। इस हेतु हमारे सभ्य समाज को महिला मुद्दों पर चर्चा, जकड़ी हुई नकारात्मक परम्पराओं का विरोध प्रदर्शन करना होगा और महिलाओं को खुलकर समाज के सामने आकर अपनी बात रखनी होगी जिससे कि समाज में महिलाओं का सकारात्मकता की और बदलाव आयेगा, और उसका सकारात्मक असर हमें समाज सोच पर भी दिखाई देगा। महिलाओं की स्थिति में आए सकारात्मक बदलाव परिवर्तन में साहित्य जगत का भी महत्वपुर्ण योगदान है। विभिन्न लेखिकाओं ने अपनी कलम के बल पर महिलाओं की समस्याओं को उठाया और उनके लिए एक ऐसा मंच तैयार किया जहां वह बेखौफ होकर अपनी संवेदना और अपने दर्द को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सके। आज तक का सफर चुनौतीभरा जरूर है, लेकिन उसमें हर चुनौती से लड़ने का साहस आ गया है। उसमें आत्मविश्वास आ गया है, जिसके बल पर वह दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रही है। हर मोड़ पर, हर क्षेत्र में अपनी परिपक्वता का परिचय दे रही है। आज उन रूढ़ियों और प्रथाओं की पकड़ ढीली पड़ी है जो उसे बाहर आने से रोकती थी। वह नई चेतना से अभिभूत हुई है। बदलाव की सुखद बयार चल रही है। मानो वह कहना चाहती हो-

मै अंनत में निर्बाध बाहें फैलाडंगी/
धरती और आकाश हौसले के बल पर नाप आडेगी/
मै नई सदी की नारी अपने संकल्प बल पर/अपनी नई पहचान
बनाउंगी...

गैर सरकारी संगठन – गैर सरकारी संगठनों से तात्पर्य उन संगठनों से है जो मानव सेवा/समाज सेवा से अभिप्रेरित होकर समाज सेवियों द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य समाज के पिछड़े, अविकसित वर्गो के कल्याण तथा विकास के लिए कार्यक्रमों का निर्माण करके स्थानीय जनता की पूर्ण सहभागिता प्राप्त कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना है। गैर-सरकारी संगठन के अंतर्गत ऐसे ग्रुप एवं संस्थान आते हैं, जो पूर्ण रूप से या अधिकांश रूप से गैर-सरकारी होते हैं। इनका उद्देश्य व्यावसायिक न होकर मुख्यत: मानवमात्र के कल्याण और सहकारी तौर पर काम करना होता है। औद्योगिक देशों में ये प्राइवेट एजेंसियां होती हैं। ये एजेंसियों अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए सहायता प्रदान करती हैं। यह सहायता प्रादेशिक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर गठित देशीय ग्रुपों और गांवों के सदस्य-ग्रुपों को भी प्रदान की जाती हैं। एन.जी.ओ. के अन्तर्गत ऐसी परोपकारी और धार्मिक संस्थाएं समाविष्ट होती हैं, जो विकास कार्यो, खाद्य सामग्री के वितरण और परिवार नियोजन सेवाओं के निमित्त और सामुदायिक संगठनों को प्रोत्साहन देने के लिए प्राइवेट तौर पर फंड एकत्रित करती हैं इनके अंतर्गत महिला ग्रुप, स्वतंत्र समितियां, सामुदायिक संस्थाएं, पानी का प्रयोग करने वाली सोसाइटियां और एसोसिएशन भी आते हैं। नागरिकों के जो ग्रुप नागरिकों में जागरूकता पैदा करते हैं और प्रभावकारी नीतियां अपनाते हैं, वे गैर सरकारी संगठन कहलाते है।

महिला विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका – महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में गैर सरकारी संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। इसके साथ ही महिलाओं के मुद्दों और उनके मानवाधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता लाना, महिलाओं की समानता और शक्ति, सम्पन्नता से संबंधित सामाजिक संदेशों के सम्प्रेक्षण विभिन्न माध्यमों से

* शोधार्थी (समाज विज्ञान) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रचार-प्रसार करना, रोजगार देना नुक्कड़ नाटक कर जागरूकता लाना, महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य मुहैया कराना आदि कार्य किए जा रहे है। महिलाओं के लिए गैर सरकारी संगठनों द्वारा विकास सम्बंधित योजनाओं का आयोजन किया जा रहा है। जिससे कि महिलाओं का विकास हुआ है। महिलाओं के विकास हेतु कई गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहे है। जैसे जन शिक्षण संस्थान, संजीवनी, सेवा संगम, अहिल्या आश्रम, एम्पलाइड विमेंस एसोसिएशन, सेवा, दिशा, आशा केन्द्र, नेशनल मुस्लिम वूमेन वेलफेयर सोसायटी, महिला संघर्ष समिति, नारी समता मंच, वनिता समाज आदि गैर सरकारी संगठनों की महिला विकास के लिये चलाए जा रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में भारत की जनसंख्या में तीन गुना वृद्धि हुई हैं और उसकी तुलना में अवसरों में भी बढ़ोत्तरी हुई है, विशेष रूप से शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी जनसंख्या में लगभग 50 प्रतिशत है, और वे परिवार का आधार होती हैं और समाज के समग्र विकास में उनकी भूमिकाओं को सामने लाने और उन्हे मुख्यधारा में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गैर सरकारी संगठन के जरिए भारत सहित सभी विकाशील देशों में महिलाओं के सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण साधन बने हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) महिलाओं के लिए दो विशेष योजनाएं चला रहा है। इनमें से एक योजना महिला उघम निधि है जो महिला उद्यमियों को इक्विटी प्रदान करती है। दूसरी योजना महिला विकास निधि है जो आय अर्जक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करती है। सिडबी आसान शर्तो पर महिलाओं को ऋण प्रदान करता है।

महिलाओं का विकास - महिला अपने आप में संपूर्ण है। महिला के अंदर सृजन, पोषण और परिवर्तन की ताकत है। भारतीय संस्कृति में महिला शक्ति की अवधारणा अनंत काल से मौजूद रही है। प्राचीन काल से देवी मां की विभिन्न स्वरूपों में पूजा होती आई है- पूर्वी भारत में दुर्गा और काली, केरल में महिषासुर, मर्दिनी और भगवती आदि। महिला को हमेशा शक्ति का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि महिलाएं उन कार्यो को पूरा करने में सक्षम है, जो पुरूष नहीं कर सकते। हालांकि, यह तस्वीर का एक पहलू है। दूसरी तरफ, महिलाओं की स्थिति चुनौतिपूर्ण है। परिवार के फैसले में भूमिका की बात तो दूर, वे अपनी जिंदगी जीने के लिए भी आवाज नहीं उठा पाती हैं। महिलाएं अपनी जिंदगी में पुरूषों के अधीन रही हैं। उनकी आकांक्षाओं को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है कि उसे प्रोत्साहित किया जाए। मां, पत्नी और बेटी के रूप में अपनी जिम्मेंदारियों के पालन में उन्हें कठिनाइयों से दो-चार होना पड़ता है। सरकार ने महिला विकास के लिए कई कदम उठाए है मातृत्व के सफर के जरिए महिलाओं का सशक्तीकरण सरकार का अहम एजेंडा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी स्कीम गर्भास्था और स्तनपान के दौरान महिलाओं को स्वास्थ्य एवं वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। एक और अहम कदम के तहत मातृत्व लाभ कानून में बदलाव कर कामकाजी महिलाओं के लिए 26 हफ्ते के वैतनिक मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है। बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे कार्यक्रम लड़कियों को भ्रुण हत्या का शिकार बनने से बचाने से लेकर लड़कियों की शिक्षा और वित्तीय सुरक्षा तक सूनिश्चित करते हैं। एक स्वस्थ्य महिला ही समाज का सामाजिक एवं आर्थिक विकास कर सकती है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण मिशन, उज्जवला योजना आदि भारतीय महिलाओं का स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों का ख्याल रखती है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों से महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने मे मदद मिली है। प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, स्टैड-अप इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया और राष्ट्रिय ग्रामीण आजीविका के तहत स्वयंसहायता समूह योजना जैसी योजनाओं ने महिलाओं को वित्तीय रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र बनाने में सहायता की है। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने भी महिलाओं के वित्तीय समावेशन में अहम भूमिका निभाई है। महिलाओं की सामाजिक दशा सुधारने के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा रही है। कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली, 181 महिला हेल्पलाइन, पैनिक बटन आदि चीजे सामाजिक विकास यात्रा में महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं। देश की कुल आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी 50 फीसदी है। ऐसे में महिलाओं के सामाजिक विकास एवं आर्थिक विकास की यात्रा में महिलाओं को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक विकास में गैर सरकारी संगठन भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है। लेकिन जब तक स्वयं महिलाओं में जागरूकता नहीं आएगी, तब तक समाज में उनका स्थान गौण ही रहेगा।

सुझाव -

1. व्यापक अर्थ में महिलाओं की पंरम्परात्मक निर्योग्यताओं को दूर कर उन्हें कम से कम इतना सशक्त करना है, कि वे अपने हितों एवं अधिकारों की रक्षा तथा अपना विकास स्वयं करने में सर्मथ व सक्षम हों सके।
2. महिलाओं को जीवन के बुनियादी अधिकारों (विधिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सास्कृतिक आदि) से सम्पन्न करना।
3. शैक्षणिक विकास के माध्यम से महिलाओं को अज्ञानता से दूर कर शिक्षित बनाना।
4. रोजगार एवं स्वरोजगार की उपलब्धता के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।
5. समाज में महिला के घर, परिवार व समाज को बनाए रखने में जो अदृश्य भूमिका रही है, उसे सामने लाना ताकि उसे समुचित महत्व व प्रतिष्ठिा प्राप्त हो सके।
6. सामाजिक जीवन के विविध क्षेत्रों में व्याप्त लैंगिक असमानता एवं भेदभाव को दूर करना।
7. लैंगिक आधार पर समाज में शक्ति वितरण में विसंगति एवं असन्तुलन को दुर कर सामाजिक संगठन एवं व्यवस्था को मजबूत करना और महिलाओं की सामाजिक प्रगति को तीव्र करना।
8. महिलाओं के साथ होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों को कानुन द्वारा समाप्त किया जाए। और समाज में महिला-पुरूष समानता हो।

निष्कर्ष - 21 वीं सदी महिलाओं को समर्पित है। 21 वीं सदी का प्रथम वर्ष महिला सशक्तिकरण को समर्पित किया गया। इस आशा से कि भविष्य में महिला की स्थिति में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। महिलाओं के विकास के बगैर लोकतांत्रिक और प्रगतिशील देश आज यह सोचने लगे हैं कि देश का संतुलित विकास और प्रगति महिला के सहयोग के अभाव में अधूरा है। और इस अधूरे कार्य को पुरा करने के लिए गैर सरकारी संगठन का महत्वपूर्ण योगदान है। आज वर्तमान परिपेक्ष्य में गैर सरकारी संगठन महिला सशक्तिकरण और महिला विकास के लिए अपने-अपने स्तर पर महिलाओं के लिए समाज में सकारात्मक परिवर्तन कर रहा है। किसी भी समाज अथवा राष्ट्र के सर्वोमुखी अभ्द्रुयक में स्त्री और पुरूष का समान महत्व होता है। इस समानता में भी युगान्तर के उत्थान पतन की तरंगों में झुलती हुई, भारतीय नारी को कभी तो सम्मान का स्वर्णिम कगार मिला, तो कभी पतन की मझधार। भारतीय संस्कृति में उसे सम्मान के सर्वोच्च शिखर पर इतना ऊँचा बढ़ाया गया कि अर्द्धनारीश्वर ने पार्वती को अपने मस्तक पर धारण कर

लिया। भारतीय संस्कृति में उसे लक्ष्मी, अन्नपूर्ण आदि विभूषणों से विभूषित किया गया। वह पुज्या और आराध्या मानी गयी। कदाचित इन्ही कारणों से उसे श्री शक्ति एवं चिति भी कहा गया है। अतः आज आवश्यकता है, और भी नए संदर्भो में नारीत्व को नए सिरे से परिभाषित करने की बशर्ते कि प्रयास वास्तव में ही किए जाएँ और वे सुनियोजित हो तथा स्त्री-पुरूष विद्धानों के सम्मिलित चिंतन का परिणाम सकारात्मक हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह, सुरेन्द्र एवं वर्मा, आर. वी एस, (2001) 'भारत में समाज कार्य के क्षेत्र' न्यु रायल बुक कम्पनी लखनऊ
2. सिंह, के. समाज-कार्य सिद्धान्त और व्यवहार प्रकाशन केन्द्र, लखनऊ
3. अक्टुबर (2009), कुरूक्षेत्र, ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के विकास में महिलाओं का योगदान, संपादक नीता प्रसार
4. सिंह रागोपाल भारतीय समाज म. प्र. हिन्दी अकादमी पेज न. 180
5. 8 मार्च 2019 दबगं दुनिया पेज न. 8
6. 8 मार्च 2019 नईदुनिया पेज न. 1

****

सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यक्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका

दीपिका तोमर * डॉ. जगदीश चन्द्र सिन्हा **

प्रस्तावना – महानगरों के कार्यालयों, उद्योगों में इठलाती महिलाओं को देख कर महिलावादी खुश होते हैं कि महिला सशक्तिकरण सफल हुआ। जीविकोपार्जन में लगी महिलाओं को कामकाजी कहा जाता है। तो इसका अर्थ है कि घर में रहकर परिवार की जिम्मेदारी सम्भालने वाली महिलाएँ काम नहीं करती है। दरअसल यह विडम्बना है कि घर-परिवार के काम को कभी अहमियत ही नहीं दी गई है, उसे तो उसका कर्तव्य मानकर भुला दिया जाता है। घर के काम की कितनी अहमियत होती है। यह महानगरों में 'काम वाली' के अभाव और नखरों से ही पता चल जाता है, जो महिलाएं घर-परिवार के साथ-साथ बाहर की जिम्मेदारी भी सम्भालती है।

भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकतम जनसंख्या गांवों में रहती है और कृषि में लगी हुई है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा आज भी लगभग एक-चौथाई है। गांवों में अधिकांश काम ग्रामीण महिलाएँ दिन-रात काम में लगी रहती है। घर-परिवार के अलावा खेतों और पशुओं का काम भी उन्हें ही करना पड़ता है। इसके बावजूद ग्रामीण महिलाओं को कामकाजी माना ही नहीं जाता है। आज भारत दूध का दुनियाभर में सबसे बड़ा उत्पादक है। यह दूध पैदा उत्पादन में ग्रामीण महिलाएँ ही पशुओं को पालने, उनकी देखभाल करने और दूध दुहने का काम करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को कोई नहीं मानता है। महिलाओं का अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान होता है। चूंकि कामकाजी महिलाओं को घर और बाहर दोनों जगहों की जिम्मेदारियाँ सम्भालनी पड़ती है, इसलिए उनकी दिक्कतें दो गुनी होती है।

भारत में इन सामाजिक परिवर्तनों का असर शहरी शिक्षित महिलाओं में और उसमें भी विशेष रूप से मध्यमवर्गीय महिलाओं पर अधिक पड़ा है। शहरीकरण, शिक्षा और रोजगार, जो कि वस्तुत: इस सामाजिक बदलाव की देन है, ने उन्हें अपने व्यक्तित्व को निखारने तथा अधिकार जताने की बाबत नए आयाम दिखाएं हैं। भारतीय शहरी महिलाएँ सिर्फ घरेलू कामकाज की जिम्मेदारी का निर्वाह करती हैं तथा ग्रामीण महिलाएं पुरूषों के साथ खेतों में हाथ बंटाती हैं, इसकी भांति घर की चारदीवारी से बाहर निकल कर आय सृजित करने लगी हैं। इससे उनकी व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति होती है।

भारत में सबसे अधिक महिलाएँ कृषि और खनन जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में काम करती है। ईट के भट्टों जैसे असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं का अनुपात भी कुछ कम नहीं है। महिलाओं की हैसियत में असमानता का आलम यह है कि एक तरफ तो महानगरों की कुछ प्रतिशत (लगभग नगण्य) गर्भवती महिलाओं को पंचसितारा स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। प्रत्येक हफ्ते उनकी और गर्भस्थ शिशु की बारीकी से स्वास्थ्य जाँच होती है। उनकी प्रसव पीड़ा को न्यूनतम करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी ओर ईट-भट्टों और खेती में काम करने वाली ऐसी गर्भवती महिलाएँ भी हैं जो प्रसव के दिन तक आधे-अधूरे भरे पेट से ईंट थापती रहती हैं। जब प्रसव पीड़ा होती है तो साथ की श्रमिक महिलाएँ ही धोती की छांव में प्रसव क्रिया सम्पन्न करा देती हैं। एक शिशु को जन्म देने के एक-दो घण्टों बाद ये महिलाएँ फिर से काम पर जुट जाती हैं क्योंकि रात की रोटी का इंतजाम करना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। ये श्रमिक महिलाओं की वास्तविकता है।

भारतीय संविधान में जिस कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। उसे प्राप्त करने का सर्वोच्च साधन कानूनी सहायता है। अज्ञानता एवं दरिद्रता के कारण भारत के अधिकांश लोग उन मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने में असमर्थ रहे हैं, जो उन्हें संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। गरीबी के कारण अवसरों की असमानता उत्पन्न होती है तथा मानव के गौरव एवं गरिमा का हास होता हैं। गरीब, असहाय एवं समाज के कमजोर वर्ग को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का वैधानिक, कानूनी तथा नैतिक दायित्व है ताकि प्रत्येक व्यक्ति न्याय तथा समानता प्राप्त कर सके तथा अन्याय का प्रतिकार कर सके।

1. महिलाओं के मानव अधिकार – विश्व भर के संविधानों ने नारी को समानता के अधिकार दिए हैं, ये अधिकार लिखित हैं। अलिखित कानून सम्पूर्ण विश्व में नारी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पुरूष के जुल्मों का शिकार होती है, खासकर भारत में भ्रुण हत्या, बाल-विवाह, दहेज, सती, देवदासी और विधवाओं के प्रति हेय-दृष्टि जैसी पुरातन परम्पराओं के नाम पर नारी दासता के पन्नों पर हर रोज प्रताड़ना की नई कहानी लिखी जाती है। सिर्फ कानून बनाने से नहीं बल्कि, सम्पूर्ण समाज को जागृत करने से नारी के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा होती है। इसके लिए चेतना, जागरूकता तथा आत्म-विश्वास की आवश्यकता है। इस सब का निदान शिक्षा है। महिला जब तक शिक्षित नहीं होगी तब तक उसकी अधीनता खत्म नहीं होगी। महिला कोमल जरूर है, लेकिन वह कमजोर नहीं है। उसमें पन्नाधाय का त्याग है, रानी लक्ष्मीबाई का पौरूष है, इंदिरा गांधी जैसी नेतृत्व क्षमता है, मदर टेरेसा की ममता है और कल्पना चावला एवं सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष विजय का सपना है। इन उदाहरणों से और विचारों को गली-मुहल्लों और गाँवों की चौपालों तक पहुँचाने की आवश्यकता है।

महिलाओं के समग्र एवं सार्थक विकास के सम्बंध में बहुआयामी महिला नीति बनाकर लागू किया है। संस्थागत प्रजातांत्रिक ढाँचे में नारी को नारायणी

*शोधार्थी, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत

बनाने के प्रयासों के फलस्वरूप एक तिहाई सरपंच, जिला पंचायत अध्यक्ष, पार्षद, नगरपालिका अध्यक्ष एवं महापौर महिलाएँ हैं। महिला नीति में शिक्षा, सहकारिता, नौकरियों आदि में महिलाओं के आरक्षण के साथ-साथ भूमि स्वामित्व में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने से नारी उत्थान के आर्थिक स्वावलंबन पक्ष को मजूबती मिली है।

स्वतंत्र एजेंसी के सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि घरेलू हिंसा और यौन शोषण के 50 प्रकरणों में से एक प्रकरण पुलिस में दर्ज होता है। अत: महिलाओं पर घटित अपराधों का स्वरूप बहुत व्यापक है। कानून बनाने से ये समस्याएँ हल नहीं होती है। बल्कि समाज की सोच बदलनी होती है। दहेज प्रतिरोध अधिनियम और दहेज हत्या के प्रावधानों के बावजूद न तो दहेज लोलुपों की संख्या में कमी हुई है और न नवयौवनाओं के अग्निदाह में कमी आई है। ये चूल्हे, स्टोव, गैस, बर्नर और केरोसिन भी अजीब है, नई बहुओं को पहचानते हैं। सास और ननद को जानते तक नहीं। कोई विधवा शादी कर भी ले तब भी चारों तरफ तानों में कोई कमी नहीं आती। चार शादियाँ करने के बाद भी पुरूष का कुछ नहीं बिगड़ता। यह स्वस्थ समाज की नहीं, बीमार और विकारग्रस्त समाज की तस्वीर है। यदि आधी आबादी उपेक्षा और अवहेलना के साये में जी रही है। रथ के दों पहियों में यदि एक भी कमजोर रहा तो रथ कभी रफ्तार नहीं पकड़ पाता है। इतिहास साक्षी है कि जब महिलाओं को अवसर मिला है, उन्होंने अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित की है। इक्कीसवीं सदी की नारी पुरूषों से किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। पढ़ाई का क्षेत्र हो या प्रशासन का, बात चिकित्सा की हो या वकालत की, एवरेस्ट पर पहुँचने की ललक हो या अंतरिक्ष में उड़ने की, साहित्य का क्षेत्र हो या कला का आकाश, नारी पुरूषों के समान है।

स्थानीय संस्थाओं को उच्चतर समावेश का इस प्रकार कुछ सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विचार किया गया है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व बाल विकास कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम इत्यादि। इन योजनाओं में समावेश के अतिरिक्त स्वैच्छिक संस्थाएँ न्यूनतम मजदूरी के प्रवर्तन को प्रभावित करने, वनों की सुरक्षा, सामाजिक वानिकी उपभोक्ता संरक्षण विज्ञान व तकनीकी का विकास, ग्रामीण आवास, वैधानिक शिक्षा इत्यादि में सहायता करती है।

महिलाओं पर नवीन केन्द्रण के साथ कुछ कोष स्वैच्छिक संस्थाओं हेतु सम्बंधित मंत्रालयों विभागों के इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, जनकार्य व ग्रामीण तकनीकी की प्रगति हेतु समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष आदि में स्थानीय संस्थाओं के साथ सहयोग तथा गतिविधियों को विस्तृत व दृढ़ होता है। चूंकि स्वैच्छिक संस्थाएँ जनकोषों पर निर्भर है, जिससे उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। महिला संगठनों में कार्य महिलाओं के अधिकारों को तब तक सुनिश्चित नहीं किया जा सकता जब तक वे स्वयं को संगठित करने योग्य न हो जाएँ। सामूहिक संगठनों से शक्ति आकर्षित होती हैं। यह कार्य प्रारम्भ करने, सभा करने, मण्डप आदि तैयार करने, दबाव डालने तथा सौदेबाजी हेतु पूर्व शर्त है। आधारभूत संगठन कार्य करने के एक संगठनात्मक आधार प्रदान कर विकास कार्यक्रमों में भागीदारी हेतु निर्धन महिलाओं को अधिक विशाल स्तर पर अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। संगठित होकर, साथ-साथ काम करके अनुभवों व स्त्रोतों को आपस में बांटकर, दबाव समूहों के निर्माण द्वारा तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य करके महिलाएँ अपनी स्थिति में सुधारों के अवसरों हेतु स्वतंत्र अधिगम खोजती है।

महिलाओं के विकास के उद्देश्यों को पुन: परिभाषित किया गया। स्वैच्छिक तथा सरकारी प्रयत्नों के फोकस को न केवल विकास प्रक्रिया में उन्हें एकीकृत करने वरन् सहभागिता के यथार्थ चित्रण में उनकी आवश्यकताओं को पुन: परिभाषित करने हेतु महिलाओं की समस्याओं के विशुद्ध कल्याणकारी उपागम द्वारा विस्तृत किया गया। अतएव सरकारी संस्थाओं की वृद्धि के योगदान को परम्परागत रूप से जानी जाने वाली सामाजिक कल्याणकारी गतिविधियों की अपेक्षा नई दिशा मिली है। गैर सरकारी संगठनों, निर्धन महिलाओं के स्पष्टीकरण तथा व्यक्ति व समष्टि स्तरं पर योजनाओं में इनके एकीकृत करने व इन्हें मान्यता प्रदान करने हेतु मंचों के माध्यम से महिलाओं के विकास को समर्थन प्रदान किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आशुरानी- महिला विकास कार्यक्रम, ईनाश्री पब्लि. जयपुर 2013
2. राधेश्याम गुप्ता- महिला और कानून इशिका पब्लि. हाउस जयपुर 2010
3. मन्जू जैन- कार्यशील महिला एवं सामाजिक परिवर्तन, प्रिन्टवेल, जयपुर 1994
4. प्रज्ञा शर्मा- भारतीय समाज में नारी, पॉइन्टर पब्लि. जयपुर 2001
5. ज्ञानेन्द्र रावत- औरत एक समाज शास्त्रीय अध्ययन, नई दिल्ली 2013

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) October to December 2019, Vol. I

आदिवासियों की प्राचीन परम्परा 'बिदरी'

शैलकुमारी धुर्वे *

प्रस्तावना - आदिवासी परम्पराएँ अद्‌भूत और अद्धितीय है। भारतीय परम्पराओं में आदिवासी परम्परा का महत्वपूर्ण स्थान है। आदिवासियों के जीवन में उनकी परम्पराएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे अपनी परम्पराओं को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के भाव सें मानते है।

आइए मैं आपको आदिवासी परम्परा की ओर लेकर चलती हूँ लेकिन मैं यहाँ पर छिन्दवाड़ा जिले के आदिवासियों की परम्परा विधि को केंद्र में रखकर आदिवासियों की परम्परा से आपको परिचित करा रही हूँ। आदिवासियों में गोंड,परधान, बैगा, भारिया, भील, परम्पराएँ श्रेष्ठ और विशिष्ट होती है। आदिवासी समाज अपने रीति-रिवाज, संस्कृति, धर्म, मान्यताएं, उत्सव, नृत्य, वाद्य जैसी प्राच्य प्रथाओं से ओतप्रोत है। चाहे व्यक्ति का नाम , गोत्रसमूह, कुल समूह या गोदना की परम्परा हो इन सबके केंद्र में किसी वृक्ष, पहाड़, वन, पशु-पक्षी अवश्य पाएंगे।

प्रकृति के सबसे बड़े पुजारी आदिवासी ही होते हैं ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनके देवी-देवता तीज-त्यौहार, रीति-रिवाज, मान-मनुव्वल आदि समस्त प्रकृति से जुडे हैं।

आदिवासी मानते हैं कि प्रकृति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है इसलिए वे प्रकृति को ही देवी-देवताओं के रूप में उपासना करते हैं। इतना ही नहीं ये प्रकृति को अपना रक्षक मानते हैं। इससे स्पष्ट है कि आदिवासियों के लिए प्रकृति अपरिहार्य है इसलिए ये प्रकृति से अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।

अब मैं आदिवासियों की श्रेष्ठ परम्परा 'बिदरी' की व्याख्या को बताना चाहूँगी। बिदरी आदिवासियों की सबसे अनूठी परम्परा होती है, जिसमें प्रकृति के देवी-देवताओं की पूजा की जाती है । आदिवासी प्रकृति को अलग-अलग प्रकार से पूजते हैं, और बिदरी इनमें से एक है। समूचा लोक 'बिदरी' को त्यौहार के रूप में मनाता है।

'बिदरी' - इस परम्परा के सम्बंध में एक दृष्टांत प्रस्तुत करती हूँ जो इस प्रकार है - छिन्दवाड़ा शहर से लगभग 65 किलोमीटर दूर ग्राम तालाबढ़ाना (अमरवाड़ा) के आदिवासी श्री अनूरलाल उइके जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है, उन्होंने बताया कि - 'बिदरी' वैशाख मास के अंत में और अषाढ़ मास के प्रारम्भ में होती है।

आप सभी जानते हैं कि आषाढ़ मास के प्रारंभ का समय वर्षा काल की बुआई के लिए उपयुक्त होता है। आदिवासियों की प्राच्य और मान्य परम्परा है कि 'बिदरी' परम्परा के पूर्ण होने के बाद ही वर्षा काल की फसल बोई जाती है, इसलिए यह समय बिदरी करने के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। 'बिदरी' करने के पीछे आदिवासियों की यह मान्यता होती है कि अगर 'बिदरी' नहीं करेंगे तो प्रकृति उनसे रूठ जाएगी और गाँव में विभिन्न प्रकार के रोग,प्राकृति आपदाएँ व कई प्रकार की विपत्तियाँ आ जाती हैं।

जैसे हमारी भारतीय परम्पराओं में जिस प्रकार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले श्री गणेश की पूजा करना शुभ होता है, ठीक उसी प्रकार आदिवासियों की यह परम्परा बिदरी भी फसल की बुआई से पहले करना लाभकारी माना जाता है।

यह परम्परा आदिवासियों में बहु प्रचलित है और प्राचीन काल से मनायी जाती है। बिदरी की तरह आदिवासियों की और भी परम्पराएँ हैं, जो उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। आदिवासी अपनी इन्हीं परम्पराओं के कारण ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनकी परम्पराएँ ही है जो उनको आपस में भाई -चारे की भावना से बांधकर रखती हैं।

'बिदरी' की विधि - यह विधि बहुत ही रोचक है। 'बिदरी' करने के लिए गाँव के सभी लोग किसी एक जगह एकत्रित होते हैं और सभी मिलकर बिदरी का एक दिन निश्चित कर लेते हैं। बिदरी किस दिन करना है यह बात गाँव में सभी को बताना अनिवार्य होता है, क्योंकि बिदरी के दिन कुछ नियम होते हैं जो गाँव के सभी लोगों को मानना आवश्यक होता है। गाँव में कोई भी इन नियमों को मानने से इंकार नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब कोई इन नियमों को नहीं मानता, तो 'बिदरी' पूजा लाभकारी नहीं होती और अनिष्ठ होने की सम्भावना भी रहती हैं।

बिदरी कार्य सम्पन्न होने तक गाँव के सदस्यों को विभिन्न नियमों का पालन करना आवश्यक होता है -

- जिस दिन बिदरी होती है, उस दिन गाँव का कोई भी सदस्य खेत में काम करने के लिए नहीं जाता है।
- बिदरी के दिन पशुओं को उसी जगह पर बंधा रहने देते हैं, जहाँ वह पहले दिन बंधे थे।
- पूजा समाप्ति तक पशुओं के लिए खेत से चारा काटना अशुभ माना जाता है।
- जिस दिन बिदरी होती है उस दिन पूजा समाप्त होने तक गाँव के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलता, चौका नहीं लगता, झाडू भी नहीं लगाते हैं, ये सब कार्य एक दिन पहले कर लिया जाता है।
- जब तक बिदरी नहीं हो जाती तब तक गाँव का कोई भी सदस्य नदी, तालाब, कुआँ आदि किसी भी स्थान से पानी नहीं ला सकते हैं।
- पुराने समय में पत्थर की चकिया से अनाज पीसा जाता था, बिदरी के दिन चकिया घुमाना नियमों के विपरीत माना है क्योंकि उस दिन उल्टी चकिया घुमाने का रिवाज था।

जिस दिन बिदरी रहती है उस दिन रात्रि के चौथे प्रहर (सुबह 3 बजे के बाद) से ही बिदरी की विधि प्रारंभ हो जाती है। भुमका और गाँव के कुछ

* शोधार्थी, ग्राम-लाटगॉव, पोस्ट-घोघरी , तहसील- अमरवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

लोग इस समय गाँव के चारों तरफ जाकर गाँव के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और भुमका अपने मंत्रो से पूरे गाँव को बांध देता है, चौथे प्रहर का समय गाँव को मंत्रो से बाँधने के लिए अच्छा माना जाता है। आदिवासियों का यह मानना है कि जब गाँव के चारों ओर बैठे देवी – देवताओं की पूजा कर ली जाती है, अब उन्हें किसी प्रकार के अनिष्ठ होने की सम्भावना नहीं रहती,।

'बिदरी' के समय पूजे जाने वाले देवी–देवता – मेड़ो, पनघट, मुठुआ, माई, हरदौल, बाबा, बजरंग बाबा, ग्वालनमाता।

- गाँव को बांधने के लिए भुमका सबसे पहले मेड़ो की पूजा करता है क्योंकि गाँव की मेड़ों से ही हर किसी का निकास और प्रवेश होता है। मेड़ो वह स्थान होता है जहाँ से किसी भी गाँव की सीमा शुरू होती है । गाँव की सीमा पर किसी एक स्थान पर मेड़ों की पूजा की जाती है। आदिवासी ऐसा मानते हैं कि मेड़ों की पूजा करने से कोई विपदा उनके गाँव में प्रवेश नहीं कर सकती है।
- मेड़ों के बाद पनघट की पूजा की जाती है। गाँव के किसी एक ओर किसी वृक्ष या पत्थर में पनघट की देवी का निवास मानकर उसकी पूजा की जाती है। आदिवासी मानते हैं कि पनघट की देवी गाँव को महामारी जैसे कई रोगों से बचाकर रखती है, जब किसी को महामारी जैसी बीमारी हो जाती है, तब वह पनघट को मानते हैं तो उनकी बीमारी ठीक हो जाती है।
- पनघट की पूजा के बाद गाँव के पटेल कहलाने वाले मुठुआ बाबा कि पूजा की जाती है। मुठुआ ज्यादातर गाँव के बीच में ही होता हैं।
- इसके बाद अन्य देवी – देवता जो गाँव के चारों ओर रहते हैं, उनकी पूजा की जाती है।

जब भुमका गाँव बांधने जाता है, उसी समय गाँव के कुछ सदस्य गाँव के हर घर से सात प्रकार के अनाज मांगकर लाते हैं और उसी चौथे प्रहर में ही उस अनाज को पीसते हैं। अनाज को पत्थर की चकिया में पीसा जाता है और उसको पीसने के लिए चकिया को उल्टा यानि विपरित दिशा में घुमाया जाता है। फिर जब भुमका गाँव को बांधकर वापस आता है, तब गाँव के सभी सदस्य माई में एकत्र होते हैं। माई वह स्थान होता है जहाँ पर गाँव की माई या देवी का निवास होता है, वहाँ पर माई की पूजा करते हैं और माई के साथ जितने भी देवी – देवता हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। बिदरी में आने वाले सभी सदस्य अपने साथ सात प्रकार के अनाज लेकर आते हैं, किसी एक स्थान पर गडडा बनाया जाता है और सभी लोग उन सात प्रकार के अनाज को उस गडडे में बोते हैं जिसे डहिया बोना कहते हैं।

बिदरी में चढावा – बिदरी में चढ़ावा देना आदिवासियों की परम्परा रहीं है। प्राचीन समय में आदिवासी जीवों की बलि चढ़ाते थे। आदिवासी मानते थे की अगर देवी–देवताओं को चढ़ावा नहीं देंगे तो वे प्रसन्न नहीं होंगे और मनोरथ पूर्ण नहीं करेंगे । वे अपने पशुओं, खेत, खलिहान, जीव – जन्तुओं को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए चढ़ावा देना जरूरी मानते हैं।

पहले आदिवासी कई जीवों की बलि चढ़ाते थे, जैसे– घेंटा – घिटिया, बोदा, मुर्गा – मुर्गी बकरा – पाट आदि की बली चढ़ायी जाती थी। आज के समय में बिदरी में बलि चढ़ाने की प्रथा बंद हो रही है, धीरे–धीरे आदिवासी जागरूक हो रहे हैं और विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

निष्कर्ष – बिदरी एक प्रकार की पूजा होती है, जिसमें गाँव के सभी देवी देवताओं कि पूजा की जाती है । बिदरी की पूजा करने के लिए एक भुमका (गुनिया) पडिहार होता है, वह भुमका गाँव में होने वाली सभी पारम्परिक पूजा में शामिल रहता है, जैसे बिदरी, जतरा, खलिहानी और शादी – विवाह में भी भुमका का होना आवश्यक होता है।

संस्कृति और समाज आपस में एक दूसरे से जुड़े होते है, किसी देश की संस्कृति उस देश की सबसे बड़ी सम्पत्ति होती है। हमारे भारत देश की संस्कृति विश्व प्रसिद्ध है, और इसका श्रेय आदिवासी संस्कृति को जाता है। आदिवासी ही हैं, जिन्होंने अपनी परम्परा और रीति – रिवाजों को आज भी जीवित रखा है। इन्हीं परम्पराओं के माध्यम से आदिवासी हमेशा अपने आप को प्रकृति से जोड़े रखते हैं। आदिवासी समाज में परम्पराएँ आज भी जीवित है, परन्तु आधुनिकता के इस युग में धीरे–धीरे ये परम्पराएँ कहीं खोती नजर आ रही है। आदिवासी परम्पराएँ बहुत अनमोल हैं, इन्ही परम्पराओं के कारण भारतीय परम्पराओं को पूरे विश्व में बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर ।

****

आधुनिक युग में योग का महत्व

डॉ. अनामिका प्रजापति *

शोध सारांश – योगाात्परतंरपुण्यं यागात्परतरं शिवम्।
योगात्परपरंशक्तिं योगात्परतरं न हि।।

योग के समान कोई पुण्य नहीं, योग के समान कोई कल्याणकारी नहीं, योग के समान कोई शक्ति नहीं और योग से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वास्तव में योग ही जीवन का सबसे बड़ा आश्रय है। वर्तमान समय में प्रदूषित वातावरण, प्रदूषित पर्यावरण, फास्ट-फूड का सेवन, रसायनों से निर्मित सहेजे गए भोज्य पदार्थ, डिब्बा बन्द भोज्य पदार्थ एवं बदलते परिवेश ने मनुष्य को शारीरिक व मानसिक रूप से विकृत और अस्वस्थ्य बना दिया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भले ही नये उपचार एवं सुविधाएं खोजी है लेकिन इससे होने वाले दुष्प्रभाव से हम भली-भांति परिचित है। ऐसे में योग एक ऐसी विद्या है, जिसको अपनाकर हम अपने मानव जीवन को स्वस्थ्य एवं सार्थक बना सकते हैं।

शब्द कुंजी – योगाासन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि।

प्रस्तावना – आध्यात्मिक उन्नति, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए योग के महत्व को सभी दर्शनों और भारतीय धार्मिक सम्प्रदायों ने स्वीकार किया है। आधुनिक युग में योग का महत्व बढ़ता ही जा रहा है इसके बढ़ने का कारण व्यस्तता और मन की व्यग्रता है। आज अत्यधिक तनाव, प्रदूषण और भागमभाग के कारण मन और शरीर रोगग्रस्त होता जा रहा है। स्वस्थ्य शरीर में ही स्वस्थ्य मस्तिष्क का वास होता है और योग द्वारा मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ्य और सशक्त बनाए रखने में सफल होता है। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ जुड़ना या मिलना होता है क्योंकि इसके सभी कर्म और क्रियाएं मनुष्य को शारीरिक और आत्मिक रूप से पूर्ण योगी बनाती है।[1] योग की सिद्धि से व्यक्ति शारीरिक ही नहीं वरन् आत्मिक रूप से भी पूर्ण निरोगी होकर आत्मा से परमात्मा का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। पंतजलि के अनुसार-'योगश्चित्तवृतिनिरोध:'[2] अर्थात् चित्त की वृतियों का निरोध करना ही योग कहलाता है। योग वशिष्ट के अनुसार-'संसार सागर से पार होने के उपाय को ही योग कहा जाता है।' वेढान्त के अनुसार-'आत्मा का परमात्मा से पूर्ण मिलन होना ही योग कहलाता है।' गीता में कहा गया है-'योग: कर्मसु कौशलम्' अर्थात् अन्तर की दिव्य प्रेरणा से प्रेरित होकर कुशलतापूर्वक कर्म करना ही योग है।[3]

भगवद्गीता में तीन प्रकार के योग कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का वर्णन किया गया है। कर्मयोग में व्यक्ति अपनी स्थिति के उचित और कर्तव्यों के अनुसार कर्मों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करता है। भक्ति योग में भगवत कीर्तन और ज्ञान योग में ज्ञान का अर्जन करता है। इस प्रकार व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए योग परम आवश्यक युक्ति है।[4] वैसे तो योग हमेशा से हमारी प्राचीन धरोहर रही है। लेकिन इसके प्रचार प्रसार में विश्व प्रसिद्ध योग गुरूओं का भी योगदान रहा है। जिनमें से बी.के.एस. अयंगार और बाबा रामदेव का नाम प्रसिद्ध है। बी.के.एस. अयंगार ने योग दर्शन पर कई किताबे लिखी जिनमें लाइट ऑन योगा, लाइट ऑन प्राणायाम और लाइट ऑन द योग सूत्राज ऑफ पतंजलि शामिल है।[5] बाबा रामदेव भारतीय योग गुरू है उन्होंने योगासन व प्राणायाम के क्षेत्र में योगदान दिया। बाबा रामदेव स्वयं जगह-जगह जाकर योग शिविरों का आयोजन करते है।

योग का उद्देश्य – आज का मानव जीवन कितना जटिल है, उसमें कितनी उलझने, अशांति और तनाव है। हर कदम पर पीड़ा है। अत: आवश्यक है कि हम हर पग पर प्रसन्न रहे, चिन्ता मुक्त रहे और दिव्य शान्ति को प्राप्त करे, और यह सब कैसे प्राप्त करे ? इसी रहस्य को उजागर करना ही योग का मुख्य उद्देश्य है-

1. योग का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है, जिनका भावनात्मक स्तर दिव्य मान्यताओं और दिव्य आकांक्षाओं से जगमगाता रहे।
2. प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जैसी साधनाओं के माध्यम से चेतन मस्तिष्क को शून्य की स्थिति में जाने की सफलता प्राप्त होती है।
3. हठ योग साधना का उद्देश्य स्थूल शरीर द्वारा होने वाले विक्षेप को जो मन को क्षुब्ध करते हैं, पूर्णतया वश में करना हैं।
4. राग, द्वैष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि चिन्ताओं को दूर करना यम, नियम का मूल उद्देश्य है।

योग का महत्व – प्राचीन काल में योग विद्या सन्यासियों और साधकों के लिए ही समझी जाती थी योगाभ्यास के लिए साधकों को घर त्यागकर वन में जाकर एकान्त में वास करना होता था। इस कारण योग साधना बहुत ही दुर्लभ मानी जाती थी और यह धारणा बन गई की योग सामाजिक व्यक्तियों के लिये नहीं है और धीरे-धीरे यह योग विद्या लुप्त होती गयी, किन्तु वर्तमान समय में समाज में बढ़ते तनाव, चिन्ता, प्रतिस्पर्धा से ग्रस्त लोगों को योग से अनेकों लाभ प्राप्त हुए है और योग विद्या समाज में पुन- लोकप्रिय हो गयी। आज भारत में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण विश्व में योग विद्या पर अनेक शोधकार्य किए जा रहे है। आधुनिक समय में विकास के इस युग में योग अनेक क्षेत्रों में अपना विशेष महत्व रखता है-

स्वास्थ्य के क्षेत्र में – विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह मानना है कि योग

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) सुभद्रा शर्मा शासकीय कन्या महाविद्यालय, गंजबासौदा, जिला-विदिशा (म.प्र.) भारत

एक सुव्यवस्थित व वैज्ञानिक जीवन शैली है जिसे अपनाकर अनेक प्रकार के प्राणघातक और असाध्य रोगों से बचा जा सकता है। योग के द्धारा व्यक्ति के शरीर में संचित विषैले पदार्थों का आसानी से निष्कासन हो जाता है। शरीर में लचीलापन व नस-नाड़ियों में रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है। प्राणायाम करने से शरीर से पूर्ण रूप से कार्बनडाई आक्साइड का निष्कासन होता है। व्यक्ति के शरीर की प्राणिक शक्ति में वृद्धि होती है। मन को स्थिरता प्राप्त होती है तथा व्यक्ति स्वस्थ्य तन और मन को प्राप्त करता है।

रोगोपचार के क्षेत्र में – प्रतिस्पर्धा और विलासिता के इस युग में अनेक रोगों का जन्म हुआ है। जिन पर योगाभ्यास से विशेष लाभ देखने को मिला है। रोगों की चिकित्सा में विशेष बात यह है कि जहां ऐलौपेथी चिकित्सा से व्यक्ति के शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है, वहीं योग एक हानि रहित पद्यति है। आज स्वास्थ्य से संबंधित संस्थाएं योग चिकित्सा पर तरह-तरह के शोध कार्य कर रही है। आज योग के द्धारा दमा, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, संधिवात, मधुमेह, मोटापा, चिन्ता, अवसाद आदि रोगों का प्रभावी रूप से उपचार किया जा रहा है तथा अनेकों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं।

खेलकूद के क्षेत्र में – विभिन्न प्रकार के खेलों में व्यक्ति अपनी कुशलता, क्षमता व योग्यता को बढ़ाने के लिए योग का अभ्यास करते हैं। योगाभ्यास से जहां खिलाड़ी में तनाव स्तर में कमी आती है। वहीं उसकी एकाग्रता, बुद्धि तथा शारीरिक क्षमता व शरीर में लचीलापन बढ़ता है।

शिक्षा के क्षेत्र में – शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों पर बढ़ते तनाव को योगाभ्यास से कम किया जा रहा है। स्कूल व महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा विषय में योग को पढ़ाया जा रहा है। योग में ध्यान, अभ्यास द्धारा व्यक्ति में मानसिक तनाव को कम किया जा रहा हैं, जिससे विद्यार्थियों की एकाग्रता और स्मरण शक्ति पर सकारात्मक प्रभाव देखे जा रहे हैं। आज कम्प्यूटर, मनोविज्ञान, प्रबन्धन विज्ञान के छात्र भी योग के द्धारा तनाव पर नियन्त्रण करते हुए देखे जा सकते हैं। आज बच्चों में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने में योग का सहारा लिया जा रहा है। योग के अन्तर्गत आने वाले यम, नियम द्धारा बच्चों को स्वयं के अन्दर अनुशासन स्थापित करना व दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए एवं कर्तव्यों का निष्पादन किस प्रकार से हो सिखाया जाता है। योग के द्धारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास होता है यही कारण है कि आज सरकारी और गैर सरकारी स्तरों पर स्कूलो में योग विषय को अनिवार्य कर दिया गया है।

पारिवारिक महत्व – योगाभ्यास से व्यक्ति में प्रेम, आत्मीयता, अपनत्व एवं सदाचार जैसे गुणों का विकास होता है और जो नि:सन्देह ही एक स्वस्थ्य परिवार की आधारशिला होते हैं। वर्तमान में संयुक्त परिवार का टूटना और एकल परिवार की बढ़ती प्रथा ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। आज परिवार के सदस्य संवेदनहीन, असहनीय, क्रोधी, स्वार्थी होते जा रहे हैं। योगाभ्यास से ही इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों को समाप्त किया जा सकता है।

सामाजिक महत्व – एक स्वस्थ्य नागरिक से स्वस्थ्य परिवार और एक स्वस्थ्य परिवार से एक आदर्श समाज की स्थापना होती है। आज प्रतिस्पर्धा के इस युग में व्यक्ति धन कमाने, विलासिता के साधनों को संजोने के लिये हिंसक, आतंकी, अविश्वास व भ्रष्टाचार की प्रवृत्तियों को अपना रहा है। कर्मयोग, हठयोग, ज्ञान योग, व्यक्ति योग, अष्टांग योग आदि साधन समाज को नई रचना व शान्तिदायक दिशा प्रदान कर रहे हैं। कर्मयोग का सिद्धान्त तो सामाजिकता का प्रमुख आधार है जिसका मूल मन्त्र है-'सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो।'

आर्थिक दृष्टि से महत्व – शास्त्रों में कहा गया है कि 'पहला सुख निरोगी काया बाद में इसके धन और माया' मनुष्य का पहला धन निरोगी काया है। एक स्वस्थ्य व्यक्ति ही अपनी आय के साधनों का विकास कर सकता है और अपने परिश्रम से अपनी प्रतिव्यक्ति आय को बढ़ा सकता है। योगाभ्यास से व्यक्ति अपनी एकाग्रता में वृद्धि के साथ-साथ अपनी कार्यक्षमता का भी विकास करता है। आज देश में ही नहीं विदेशों में भी अनेक योग केन्द्र चल रहे हैं। प्रत्येक वर्ष विदेशों से सैकड़ों सैलानी भारत आकर योग का प्रषिक्षण प्राप्त करते हैं जिससे आर्थिक जगत् को विशेष लाभ पहुंच रहा है।

आध्यात्मिक क्षेत्र में महत्व – प्राचीनकाल में योग विद्या का प्रयोग आध्यात्मिक विकास के लिए किया जाता रहा है। योग का एक मात्र उद्देश्य आत्मा-परमात्मा के मिलन द्धारा मोक्ष प्राप्त करना है। योग साधना द्धारा साधक मुक्ति के द्धार को प्राप्त करता है। योग के अन्तर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि को साधक चरणबद्ध तरीके से पार करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि योग एक सुव्यवस्थित व वैज्ञानिक शैली के रूप में विकसित हो चुका है। प्रत्येक मनुष्य अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, रोगों के उपचार हेतु, अपनी कार्यक्षमता को बनाए रखने, तनाव प्रबन्धन, मनौदेहिकी रोगों के उपचार में योग पद्यति को अपना रहा है। वर्तमान में योग जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है जिसका कोई पर्याय नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. https://swadeshiupchar.in/2017/97.html
2. योग दर्शन - 1.2
3. स्वामी रामदेव, योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य, दिव्य प्रकाषन, हरिद्धार, 2002, पृ. 2
4. Geoffrey samuel, The Origins og Yoga and Tantra. Cambridge University Press. 2008. page.4
5. अलेक्जेंडर वैन, द ओरिजिन ऑफ बुद्धिस्ट मेडिटेशन रौटलेड्ज, 2007, पृ. 96-109

****

गांधी जी के अहिंसावादी विचार आज भी प्रांसगिक हैं 'अहिंसा'

डॉ. रमेश कुमार रावत * डॉ. रंजीता वास्केल**

प्रस्तावना – गांधी जी कहां करते थे–'अहिंसा मेरे धर्म का पहला सिद्धांत हैं औंर यही मेरे कर्म का सिद्धांत भी है।'

अहिंसा क्या हैं? अहिंसा को हिन्दू धर्म और बौद्ध धर्म में सभी मानवीय क्रियाओं का आधार माना गया हैं लेकिन जैन धर्मावलंबी महावीर स्वामी ने यअहिंसा परमो धर्म:' के रूप में अहिंसा को सबसे महान धर्म माना हैं ईसा मसीह ने भी हिंसा करने वालो को क्षमा किया था अर्थात विभिन्न धर्मो में हिंसा का सामान्य अर्थ रक्षा करना हैं लेकिन गांधीजी के अहिंसा संबंधी विचार विभिन्न धर्मो में बतायी गयी अहिंसा से भिन्न हो जाते हैं। बचपन में सत्यवादी राजा हरिशचंद्र की जीवन कथा से प्रभावित होकर गांधी ने सत्य को ही अपना परमेश्वर मानने का निश्चय किया औंर सारी उम्र सत्य की बुनियाद पर हर असंभव कार्य को संभव करने का साहस कर दिखाया। उनके अनुसार अहिंसा का अभिप्राय किसी को भी मन, कर्म, वचन औंर वाणी से तकलीफ नही पहुंचाना हैं। ईर्ष्या, घृणा, राग, द्वेष व परनिंदा से परहेज कर झुठ अपशब्द, निष्प्रयोजन वाद विवाद व वाचक हिंसा से तटस्थ रहना हैं उनका मानना था कि अहिंसा के बिना सत्य की खोज करना संभव नही हैं। प्रेम और सदभाव से हो किसी भी पत्थर दिल को मोम की तरह पिघलाया जा सकता हैं। सत्य साध्य हैं, तो अहिंसा साधन। विभिन्न धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय के रूप में तिल की तरह बिखरे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य प्रेम और सदभाव से ही संभव हैं। आपसी सौहार्द की भावना से ही कोई देश स्वर्ग का प्रतिरूप धारण कर विकास की बुलंदियों को स्पर्ष कर सकता हैं। स्वच्छता गांधी के जीवन का अनिवार्य अंग थी। वे किसी भी तरह की लोक लज्जा की परवाह किए बगैर अपना शौचालय स्वयं साफ करते थे। स्चच्छता को लेकर गांधीजी का मानना था कि यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नही हैं तो वह स्वस्थ नही रह सकता हैं। आजादी के इतने वर्षो के बाद नि:संदेह आज ग्रामीण विकास की छवि काफी सुधरी हैं। गांवो में स्कूलें, अस्पताल शुद्ध पेयजल का प्रबंधन, पुलिस चौकी की स्थापना आदि इसके प्रमाण हैं। महिलाओं के प्रति भेदभाव में कमी आई हैं औंर वे चार दीवारी से निकलकर देश के राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान देने लगी। लेकिन अभी गांधी के सपनों के भारत को साकार करने के लिए हमें लंबा सफर तय करना बाकी है। गांधी के देश में शराब व मादक द्रव्यों के नशे में डूबती युवा तरूणाई को इस दल–दल से सुरक्षित बाहर निकालकर दिशा देने की चुनौति हमारे समक्ष हैं। भीड़तंत्र के रूप में अराजक व देश की वर्तमान व्यवस्थाओं से आहत होते लोगो में अहिंसा औंर शांति की स्थापना करने की अविलंब दरकार हैं। एक ऐसा माहौल कायम करने की आवश्यकता हैं जहां लोगो में गांधीवाद औंर गांधी मूल्यों के प्रति आस्था व विश्वास बना रहे। बेशक गांधी का मतलब दूसरो पर अंगुली उठाने की बजाय बाकी की अंगुलियों को अपनी ओर देशकर अपने मन में झाककर अपनी गलतियों से सबक लेना हैं। गांधी का मतलब देश की विसंगतियों को कोसने की बजाय देश निर्माण में अपने योगदान को उल्लेखित करना हैं।

महात्मा गांधी कहते हैं कि एकमात्र वस्तु जो हमें पशु से भिन्न करती है वह हैं, अहिंसा। व्यक्ति हिंसक है तो फिर पर पशुवत है। मानव होने या बनने के लिए अहिंसा का भाव होना आवश्यक हैं। गांधीजी कहते हैं कि हमारा समाजवाद अहिंसा पर आधारित होना चाहिए जिसमें मालिक, मजदूर एवं जमींदार किसान के मध्य परस्पर सदभावपूर्ण सहयोग हो। सच्ची अहिंसा मृत्युषैया पर भी मुस्कुराती रहेगी। बहादुरी निर्भीकता स्पष्टता, सत्यनिष्ठा इस हद तक बढ़ा लेना कि तीर तलवार उसके आगे तुच्छ जान पड़े यही अहिंसा की साधना हैं।

अहिंसा की पहचान – भगवान महावीर, भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी की अहिंसा की धारणाएं अलग–अलग थी फिर भी वेद महावीर औंर बुद्ध की अहिंसा से महात्मा गांधी प्रेरित की हो। हम जब भी अहिंसा की बात करते हैं तो अक्सर यह ख्याल आता हैं कि किसी को शारीरिक या मानसिक दुख न पहुंचना अहिंसा हैं। मन वचन औंर कर्म से किसी की हिंसा न करना अहिंसा कहा जाता हैं। यहां तक कि वाणी भी कठोर नहीं होनी चाहिए।

शांति का आधार अहिंसा – योग और जैन दर्शन कहता हैं कि अहिंसा की साधना से काम क्रोध आदि वृत्तियों का निरोध होता हैं। वृत्तियों के निरोध से शरीर निरोगी बनता है। मन से शांति औंर आनंद का अनुभव होता हैं। सभी को मित्रवत समझने की दृष्टि बढ़ती हैं। सही और गलत में भेद करने की ताकत आती हैं। यह सब कुछ मन में शांति लाता हैं।

परपीडक औंर स्वपीडक ने बने – खुद के औंर दूसरे के बारे में हिंसा का विचार भी न लाने से चित्र में स्थिरता आती हैं। परपीडक और स्वपीडक ने बने। ऐसा सोचने औंर करने से सकारात्मक ऊर्जा का जन्म होता हैं। सकारात्मक ऊर्जा से आपके आस–पास का माहौल भी खुशनुमा होने लगता हैं। यह खुशनुमा माहौल ही जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देता। यही आपकी सफलता का आधार है। इसी से आपके रिश्ते नाते कायम रहेंगे। अहिंसा से ही सारे क्रिया कलापों से उपजे दुखों से स्वतंत्रता मिलेगी।

वास्तव में गांधी जी वैश्विक महासंघ की परिकल्पना में सभी राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तिवत्व हैं, उनके अनुसार किसी भी राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों के शोषण की आजादी नही या रहेगी और न ही कोई राष्ट्र इतना मोहताज या लाचार होगा कि अन्य राष्ट्र उसके स्वत्व का दोहन या उसकी संप्रभुता का अपहरण कर सके। दरअसल गांधी का विचार था कि हमारे दिमाग की

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, धामनोद - धार (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, धामनोद - धार (म.प्र.) भारत

खिड़कीयां इतनी जरूर खुली होनी चाहिए कि हम बाहर की चीजों को लाभ उठा सके लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए की हमारे दरवाजे इतने न खुल जाए कि बाहर की तूफान हमारे अंदर दाखिल होकर हमारे परखचे उड़ा दे। गांधीजी के अनुसार हमें बाहर की खुली ताजी हवा चाहिए बाहर की सड़ांध नही कि रोगाणु हम पर हमला कर दे।

एक ओर बात साफ कर देना बेहद जरूरी हैं कि गांधीजी बाहर की चीजों का एकदम निषेध नहीं करते बल्कि वे इसके न्यूनातिन्यून आवश्यकताओं के पक्षदार हैं, क्योंकि उनका मानना था कि बाहरी शक्तियों के सीमा से अधिक होने पर वे हम पर हावी होती जाएंगी परिणामस्वरूप हमारी स्वतंत्रता कम होती जाएगी।

दरअसल गांधी के अनुसार विकास के लिए बुनियादी शर्त थी कि हम अंदर से सबल बने आंतरिक संसाधनों पर हमारी ज्यादा निर्भरता हो निर्णय लेने का अधिकार हमारे हाथों में हो और हमारी सारी व्यवस्थाएं स्वतंत्रता हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा-गांधी जी विवके जितेन्द्र देसाई नवजीवन मद्रणालय अहमदाबाद-380014
2. गांधीजी औंर साम्प्रदायिक एकता-सुनिलकुमार अग्रवाल।
3. गांधी और स्वतंत्रता संग्राम-डॉ.एम.के मिश्रा, डॉ.कमल दाधीच।
4. गांधी जी का शिक्षा दर्शन- डॉ.कमला द्विवेदी।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) October to December 2019, Vol. I

मनोरोगों के अनुसंधान में उपयोगी प्रविधियाँ

डॉ. एस. एस. धुर्वे *

शोध सारांश – मनोरोगों से सम्बन्धित शोध कार्यों में मनोवैज्ञानिकों एवं समाज वैज्ञानिकों द्वारा विविध प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। समाज के गुणात्मक शोधों में समाज की बदलती मनोवृत्तियों, व्यवहारों और आदतों आदि से सम्बन्धित आँकड़ों के संकलन के निश्चित एवं उपयुक्त उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन उपकरणों के द्वारा व्यक्ति की मनोदशा, व्यक्तित्व, विचार, आदर्श, मूल्य, संवेग, स्थायी भाव आदि स्पष्ट हो जाते हैं। इन्हीं विलक्षणताओं के आधार पर व्यक्तियों का श्रेणी विभाजन सम्भव होता है। मानव की बुद्धिमत्ता, आत्मसम्मान, सृजनात्मकता, ईमानदारी, तार्किकता, अभिरुचि आदि का अनुमापन कर मनोरोगों के शोध हेतु सामग्री प्रदान करने का कार्य उपयुक्त प्रविधियाँ ही करती हैं। मनोरोगों से सम्बन्धित तथ्यों के संकलन में कोई एक प्रविधि प्रचलित नहीं है, कई प्रविधियाँ प्रयोग में लायी जा सकती हैं। किन प्रविधियों को प्रयोग में लाया जाय, यह इन बातों पर निर्भर करता है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्या का क्षेत्र, प्रकृति, अध्ययन इकाइयों की संख्या, शोध हेतु समय व शोध का उद्देश्य आदि क्या हैं। समग्र रूप से ऐसे गुणात्मक अनुसंधानों के लिए सर्वाधिक प्रचलित विधियों में इकाई अध्ययन, अन्तर्वस्तु विश्लेषण, प्रक्षेपी विधियाँ, परीक्षा, साक्षात्कार, अवलोकन आदि प्रमुख हैं। ये तकनीक मनोरोगों जैसे सामाजिक गुणात्मक समस्याओं के अध्ययन के लिये बहुत उपयोगी हैं।

प्रस्तावना – विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट 2001 में यह बात सामने आयी कि संसार भर में 10 में से 04 लोगों को जो रोग सबसे ज्यादा असमर्थ बनाते हैं, वे हैं मनोरोग। अवसाद सबसे ज्यादा असमर्थ बनाने वाली बीमारी पायी गयी। एनीमिया, मलेरिया व अन्य सभी स्वास्थ्य समस्याओं से भी ज्यादा, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत अपर्याप्त हैं। एक अध्ययन के अनुसार पाँच व्यक्तियों में से एक अपने जीवन में एक समय मनोरोग के अनुभव से गुजरता है। इससे यह पता लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ कितनी आम बात हैं। ये दशाएँ सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बड़ा बोझ हैं। ये व्यक्ति को गंभीर असमर्थ बना देते हैं। मानसिक रोग बहुत तरह के होते हैं। ये विकार व्यक्तित्व, मनोदशा, आदत, चिन्ता आदि से सम्बन्धित हो सकते हैं। कुछ मनोरोग जैसे अवसाद, चिन्ता, चित्ता विभ्रम, मनोविक्षिप्ति, दुर्भीति (फोबिया), मनोदशा विकार (मूड डिस्आर्डर), व्यक्तित्व विकार, खण्डित मनस्कता, नशा विकार, उत्पीड़न भ्रान्ति आदि प्रमुख हैं। ये मनोरोग आनुवांशिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, दिनचर्या, शरीरवृत्तिक, वातावरण, खान पान, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि प्रघटनाओं के कारण होते हैं। हमारे देश में ऐसी समस्याओं के क्षेत्र में बहुत कुछ अनुसंधान कार्य हुआ है, किन्तु बढ़ती जनसंख्या और मनोरोगों में व्यापक परिवर्धन के परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ और अनुसंधान की महती आवश्यकता है। मनोरोगों से सम्बन्धित शोध कार्यों में मनोवैज्ञानिकों एवं समाज वैज्ञानिकों द्वारा विविध प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। समाज के गुणात्मक शोधों में समाज की बदलती मनोवृत्तियों, व्यवहारों और आदतों आदि से सम्बन्धित आँकड़ों के संकलन के निश्चित एवं उपयुक्त उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन उपकरणों के द्वारा व्यक्ति की मनोदशा, व्यक्तित्व, विचार, आदर्श, मूल्य, संवेग, स्थायी भाव आदि स्पष्ट हो जाते हैं। इन्हीं विलक्षणताओं के आधार पर व्यक्तियों का श्रेणी विभाजन सम्भव होता है। मानव की बुद्धिमत्ता, आत्मसम्मान, सृजनात्मकता, ईमानदारी, तार्किकता, अभिरुचि आदि का अनुमापन कर मनोरोगों के शोध हेतु सामग्री प्रदान करने का कार्य उपयुक्त प्रविधियाँ ही करती हैं।

कठिन शब्द – मनोरोग, युक्तियाँ, विलक्षणता, सृजनात्मकता, पेनल, वैयक्तिक, अनुमापन, उपादेयता, प्रतिचार, भग्नाशा, प्रयोज्य, अमूर्त, समाजमिति, अधिमान्य।

शोध कार्य का उद्देश्य –

1. गुणात्मक अनुसंधानों के लिए उपयुक्त प्रविधियों का अध्ययन करना।
2. इन प्रविधियों के गुणों व सीमाओं से परिचित होना।
3. विभिन्न प्रविधियों के मध्य परिपूरकता का अध्ययन करना।
4. गुणात्मक शोधों में उन्नत प्रविधियों के प्रयोग व परिणामों से परिचित होना।

उपयोगी प्रविधियाँ –

(अ) अवलोकन (Observation) – अवलोकन का शाब्दिक अर्थ प्रेक्षण या निरीक्षण या देखना है। अवलोकन के तीन चरण होते हैं– चेतना, ध्यान और बोध। इन्द्रियों द्वारा चेतना उत्पन्न होती है, ध्यान इच्छा शक्ति को केन्द्रित करती है और बोध द्वारा तथ्यों को समझा जाता है। अवलोकन के महत्व के बारे में गुडे एवं हॉट ने लिखा है – 'विज्ञान अवलोकन से आरम्भ होता है तथा उसे अन्तिम वैधता के लिये आवश्यक रूप से अवलोकन पर ही आना पड़ता है।' अवलोकन द्वारा गुणात्मक अध्ययन में मानव के व्यवहार व व्यक्तित्व का वैज्ञानिक अध्ययन कर सत्य व प्रमाणित तथ्य अर्जित किए जा सकते हैं। सहभागी व नियंत्रित अवलोकन प्रविधि द्वारा शोधकर्त्ता मानव मनोरोगों का अध्ययन कर मनोवैज्ञानिक, संवेदनशील, संवेगात्मक, आक्रमकता, सहानुभूति, भय, क्रोध, ईर्ष्या, अवसाद, फोबिया, नशा विकार, उत्पीड़न भ्रान्ति आदि मनोदशाओं का अनुमापन कर तथ्य संकलित कर सकता है। सहभागी प्रविधि में शोधकर्त्ता को विषयी के साथ उसकी दिनचर्या में सहभागिता करते हुए परिस्थिति अनुसार उसकी मनोदशाओं का

* सहायक प्राध्यापक (भूगोल) शासकीय महाविद्यालय, बरही, जिला कटनी (म.प्र.) भारत

अवलोकन करना पड़ता है। नियंत्रित अवलोकन प्रविधि में निश्चित समय पर पूर्व निर्धारित गतिविधि कर विषयी की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन व अभिलेखन किया जाताहै। ये प्रविधियाँ गुणात्मक तथ्यों को मात्रात्मक बनाने में उपयोगी हैं।

(ब) साक्षात्कार (Interviewing) – साक्षात्कार का अंग्रेजी शब्द Interviewing - Inter (भीतर) तथा Viewing(देखना) का संयुक्त रूप है। इसका शाब्दिक अर्थ है– अन्तर दर्शन या आन्तरिक भावों को देखना। इस तरह आन्तरिक तथ्यों को जानने की प्रक्रिया साक्षात्कार कहलाता है। दूसरे शब्दों में साक्षात्कार का अर्थ नियोजित ढंग से मानसिक प्रघटनाओं की आन्तरिक विशेषताओं को ज्ञात करके उनके बीच पाए जाने वाले कार्य–कारण सम्बन्ध को ज्ञात करना होता है। यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अन्तर्गत वार्तालाप कर आन्तरिक भावों को ज्ञात करने की प्रविधि है। साक्षात्कार द्वारा मानव के मनोदशाओं जैसे– रुचि, चिन्ता, अवसाद, भय, लत, आदर्श, मनस्कता आदि का अध्ययन किया जा सकता है। नैदानिक साक्षात्कार (Clinical Interview) का प्रयोग व्यक्ति के जीवन इतिहास जानने, कैदियों के विचारों को जानने या मानसिक रोगियों से वार्तालाप करने के लिये किया जाता है। निदानात्मक साक्षात्कार (Diagnositc Interview) और उपचारात्मक साक्षात्कार (Treatment Interview) के द्वारा मनोरोगों के कारणों तथा उपचार की युक्तियों के तथ्य संकलित किए जा सकते हैं। व्यक्ति के अन्तर मन में अनेक भावनाएँ दमित व निक्षेपित रहती हैं, जिनका अध्ययन आसान नहीं होता है, किन्तु साक्षात्कार द्वारा उन्हें समझा जा सकता है। मानव मन की अमूर्त प्रक्षिप्त भावनाओं को इससे प्रक्षेपित किया जा सकता है।

(स) अन्तर्वस्तु विश्लेषण (Content Analysis) – अन्तर्वस्तु विश्लेषण सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है, जिसकी उपादेयता को संचार के साधनों के विकास के सन्दर्भ में देखा जाता है। इस प्रविधि में विभिन्न समस्याओं जैसे अपराध, राजनीतिक घटना, क्रीड़ा आदि से सम्बन्धित विषय वस्तु का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस प्रविधि के अन्तर्गत व्यक्तित्व मापन के लिए हर्मन रोर्शा के स्याही धब्बों का प्रयोग किया जाता है, तथा व्यक्ति की प्रतिक्रिया के आधार पर उसकी समस्या, द्वन्द्व आदि का अनुमान लगाया जाता है। इस पद्धति का उद्देश्य गुणात्मक तथ्यों को मात्रात्मक तथ्यों में परिवर्तित कर वैज्ञानिक विश्लेषण पश्चात सामान्यीकरण करने में मदद करना है। इस विधि से मनोरोगों के लक्षण व कारणों को प्रतिबिम्बित किया जाता है। कालिन्जर के अनुसार – 'वस्तु विश्लेषण चरों को मापने के लिए संचारों के व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ और मात्रात्मक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण की पद्धति है।'

(द) प्रक्षेपी विधियाँ (Projective Techniques) – प्रक्षेपी विधियाँ मनोभावों के प्रक्षेपण पर आधारित हैं। प्रक्षेपण शब्द का प्रथम प्रयोगकर्त्ता मनोवैज्ञानिक सिगमण्ड फ्रायड के अनुसार – 'प्रक्षेपण वह प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपने भावों, विचारों, इच्छाओं, सेवेगों, स्थायी भावों एवं आन्तरिक संघर्षों का अन्य व्यक्तिओं या बाह्य जगत के माध्यम से सुरक्षात्मक रूप प्रस्तुत करता है।' प्रक्षेपण का सामान्य अर्थ किसी वस्तु या तथ्य का प्रकट होना है। व्यक्ति की कुछ दमित व भग्न इच्छाएँ अचेतन मन में संचित होती रहती हैं, मानव व्यवहार को प्रभावित करती हैं, जो मनोरोगों का कारण बनती हैं। प्रक्षेपण द्वारा इन दमित भग्न इच्छाओं का पता लगाया जाता है।

इन प्रविधियों में शब्द साहचर्य परीक्षण, चित्र साहचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, मनोनाटकीय विधि, खेल प्रविधि, शाब्दिक प्रक्षेपण, स्याही धब्बों का परीक्षण तथा बोध परीक्षण प्रमुख हैं। यंग के शब्द साहचर्य परीक्षण में 100 उत्तेजक शब्दों की सूची में से एक शब्द विषयी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा उसे कहा जाता है कि शब्द सुनते ही उसका शीघ्रता से प्रतिचार करे। जो उसके मन में आए। अगले चरण में विषयी या प्रयोज्य द्वारा प्रतिचार में कहे शब्दों व प्रतिक्रिया काल के आधार पर साहचर्य परीक्षण किया जाता है। वहीं चित्र साहचर्य परीक्षण में रोजनवीइंग निर्मित पी.एफ.स्टडी में चित्रों के माध्यम से बालकों के अचेमन मन में दमित व प्रक्षिप्त भग्नाशाओं की जानकारी संकलित की जाती है। इसके आधार पर सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं। उपर्युक्त प्रविधियों का प्रयोग मनोविकारों के अध्ययन में सुगमता से किया जा सकता है। इन प्रविधियों की कुछ सीमाओं के उपरान्त भी निर्विवाद सत्य है कि प्रक्षेपी विधियाँ अचेतन मन के उन रहस्यों को उभारती हैं, जिन्हें अन्य किसी माध्यम से उभारना सम्भव नहीं है।

(इ) समाजमिति अनुमापन (Sociomefry Scaling) – इस अनुमाप प्रविधि के अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तियों और समुदाय के बीच सामीप्यपन अथवा दूरी की विभिन्न मात्राओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे घृणा के कारण दूरी तथा आकर्षण के कारण करीबी में होने वाली वृद्धि का अनुमापन इस प्रविधि से किया जा सकता है। इस प्रविधि का प्रयोग समुदायों, कक्षाओं, कारागारों, सुधारगृहों एवं कई संगठनों में किया जाता है। इस पद्धति द्वारा सदस्यों एवं समूह व्यवहार को मापा जाता है। जे.जी. फ्रेन्ज के अनुसार – 'एक ऐसी प्रविधि जिसका प्रयोग समुदाय में व्यक्तियों के आकर्षण और विकर्षण को मापकर सामाजिक आकृति की खोज और व्यवस्था करना है।' यह विधि पारस्परिक सम्बन्धों को प्रकट करने की विधि है। इसके द्वारा अधिमान्य का स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सकता है। इस प्रविधि से उपयोगी व विश्वश्नीय सामग्री संकलन के लिए अत्यंत सावधान रहना चाहिए अन्यथा परिणाम विपरीत हो सकते हैं।

निष्कर्ष – सामाजिक गुणात्मक अनुसंधान का आधार विश्वसनीय तथ्य हैं। वर्तमान पर्यावरणीय एवं सामाजिक दशा मानव के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य दोनों को विकृत कर रहा है। मनोरोगों में वृद्धि आज एक वृहद सामाजिक समस्या है। ऐसी गुणात्मक समस्याओं के अध्ययन के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। अनुसंधान हेतु किसी समस्या से सम्बन्धित स्रोतों के निर्धारण पश्चात तथ्यों का संकलन महत्वपूर्ण सोपान है। तथ्यों के अभाव में अनुसंधान निरर्थक है। तथ्यों के संकलन के लिए प्रविधियों का निर्धारण एवं उपयोग प्रक्रिया को सरल बना देते हैं। मनोरोगों से सम्बन्धित तथ्यों के संकलन में कोई एक प्रविधि प्रचलित नहीं है, कई प्रविधियाँ प्रयोग में लायी जा सकती हैं। किन प्रविधियों को प्रयोग में लाया जाए, यह इन बातों पर निर्भर करता है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्या का क्षेत्र, प्रकृति, अध्ययन इकाइयों की संख्या, शोध हेतु समय व शोध का उद्देश्य आदि क्या हैं। समग्र रूप से ऐसे गुणात्मक अनुसंधानों के लिये सर्वाधिक प्रचलित विधियों में इकाई अध्ययन, अन्तर्वस्तु विश्लेषण, प्रक्षेपी विधियाँ, परीक्षा, साक्षात्कार, अवलोकन आदि प्रमुख हैं। ये तकनीक मनोरोगों जैसे सामाजिक गुणात्मक समस्याओं के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. शर्मा, वेदप्रकाश, रिसर्च मेथडॉलॉजी, पंचशील प्रकाशन जयपुर, तृतीय संस्करण 2004।
2. मिश्र, विवेक, शोध प्रविधि, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल, तृतीय

संस्करण 2019।

3. कुमार, डॉ. अनिल, रिसर्च मैथ्योडालॉजी –तर्क एवं विधियाँ, आर्या पब्लिकेशन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2001।
4. जैन, डॉ.महेश कुमार, शोध विधियाँ, युनिवर्सिटी पब्लिकेशन नई दिल्ली, संस्करण 2007
5. जैन, डॉ. बी.एम., रिसर्च मैथ्योडोलॉजी, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर।
6. खत्री, हरीश कुमार, भूगोल में शोध प्रविधि, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल, संस्करण 2016।
7. त्रिवेदी, डॉ. आर. एन. एवं शुक्ला, डॉ. डी. पी., रिसर्च मैथ्योडोलॉजी, कालेज बुक डिपो, जयपुर।

****

शिवानी की कहानियों में पारिवारिक नारी के विविध रूप

किरण बाला * डॉ. पीयूष कुमार शर्मा **

शोध सारांश – शिवानी की कहानियों में पारिवारिक नारी के विविध रूपों का यथावत चित्रण किया गया है। कहानी में कहीं माँ के निस्वार्थ प्रेम की निर्झरी बहती है, तो कहीं बहन की भाई के प्रति मंगलकामना है। गृहिणी अपने दायित्वों के पालन में व्यस्त है। कहानी में यथा कदा पथ भ्रष्ट पत्नी के रूप भी देखने को मिलते हैं। आत्मजा अपने माता-पिता को दु:ख में सहयोग करती है। सास के निर्दय और सौम्य रूप भी कहानी में दिखाई देते है। साली के अमर्यादित और मर्यादित रूप की छटा भी दृष्टिगोचर होती है। पुरानी पीढ़ी की दादी-नानी को भी कहानियों में यथोचित स्थान मिला है। वे केवल नाती-पोते के स्नेह में ही सनकर संतृष्ट दिखाई देती है। शिवानी जी ने नारी के सभी रूपों का निष्पक्ष भाव से वर्णन किया है।

शब्द कुंजी – शिवानी, कहानी, नारी, रूप।

प्रस्तावना – शिवानी जी हिन्दी साहित्य की एक सशक्त और लोकप्रिय लेखिका है। उन्होंने अपनी कहानियों में नारी जीवन के विविध रूपों को सुपरिभाषित करने का यत्न किया है। वह नारी मन की चितेरी रही है। नारी मन का हर कोना देख उन्होंने अपनी संवेदनाओं से संवेदित होकर नारी जीवन के दु:ख दर्द को चित्रित किया है। उनके साहित्य में नारी की अन्तर्वेदना, भावुकता, कुंठा, प्रेम, त्याग, विद्रोह आदि भावनाओं के सूक्ष्म दर्शन होते है। शिवानी ने नारी मन की विकृतियों एवं विसंगतियों का खुलकर निष्पक्ष भाव से चित्रण किया है। शिवानी जी ने नारी के परंपरागत और आधुनिकता से प्रभावित रूप का जीवन्त चित्रण किया है। शिवानी की कहानियों में माँ, बहन, पत्नी, बेटी, बहू, सास, साली, ननद, भाभी, दादी-नानी आदि का यर्थाथ चित्रण किया है।

नारी का मातृ रूप – नारी का मातृरूप सदैव श्रदेय रहा है। वह नारी की सृजनात्मक क्षमता का प्रमाण है। अपनी सन्तान के प्रति माँ के मन - में वात्सल्य का अश्रय स्त्रोत्र है। वह स्वयं पीड़ा सहनकर भी सन्तान के सुख एवं प्रगति की कामना करती है। 'पुष्पहार' कहानी में मंत्री की प्रेमिका दुर्गो मंत्री को मरणाझ्न अवस्था एवं झुलसी हुई दादी देखकर पहचानने से इंकार कर देती है। वहीं मंत्री की उन्मादिनी माँ उसे देखकर तुंरत पहचान लेती है पागलों की भाँति चुमने लगती है। मंत्री माँ की बाहों में अपने घर में प्राण त्याग देता है। उसकी माँ छाती पीटकर वेदना व्यक्त करती है। 'जब मंत्री था तब कितनी मालाएँ लेकर भागते थे उसके पीछे, आज एक माला के लिए तरस रहा है, मेरा बेटा।'[1] यह कहानी इस सत्य को उद्घटित करती है कि सन्तान चाहे माँ को विस्मृत कर दे पर माँ का वात्सल्य संतान के लिए शाश्वत है।

'गूँगा' एक भावनात्मक कहानी है। जिसमें कृष्णा मुख्य पात्र है, कृष्णा अपने पिता तथा समाज से छिपकर प्रेम विवाह करती है पति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर अपने पुत्र को अनाथाश्रम में छोड़ पिता की आज्ञा मानकर दूसरा विवाह कर लेती है। धीरे-धीरे समय बीतता है विवाह के छ: वर्ष हो गये है कृष्णा पांच वर्षीय पुत्र की माँ हैं वह महारानी के स्वागत समारोह से जब लौटती है, तब उसकी कार अनाथाश्रम के पास से गुजरती है। घर जाकर अपने बेटे से लिपटकर लेट जाती है। एक दिन वह अपने पिता को दिए वचन को तोड़कर काशीबाई के अनाथ आश्रम जाती है, तब उसे पता चलता है कि उसका पुत्र जन्म से ही गूँगा और बहरा है। वह उसने पुत्र को चुम-चुमकर खिलौने दिये। कृष्णा के वापस लौटने पर गूँगा को भालू खेलने के लिए दे कर कमरे में बन्द कर दिया जाता है। 'सात समुद्र पार उसकी माँ भी सिसक रही है-शायद उन्हीं लाड़भीनी सिसिकियों की लोरी ने गूँगे को भी सुला दिया है।'[2] यहाँ एक विवश माँ का चित्रण है जो अपने पुत्र को अनाथाश्रम में रखने को विवश है।

बहन का रूप – भारतीय संस्कृति में नारी का बहन रूप सदैव आदरणीय रहा है। बहन सदैव अपने भाई बहनों को कल्याण की मंगल कामना करती है 'मामाजी' कहानी में रोहिणी मध्यवर्गीय परिवार की नारी है। वह अपनी माँ की मृत्यु के बाद अपने उन्मादी विक्षिप्त भाई के अपनी ससुराल में रख लेती है। उसका भाई एक दिन चोरी कर अपने जीजा की तीन सौ की घड़ी पचास रूपये में बेच आता है, तभी जीजा द्वारा पीटे जाने के कारण वह घर छोड़ कर चला जाता है। वह भाई दूज के दिन पागल भिखारी के रूप में उपस्थित होता है किन्तु रोहिणी अपने प्रतिष्ठित मेहमानों से उसका परिचय नहीं करा पाती है। ताऊ के बेटे को राखी बांधकर रस्म पूरी करती है। इस कहानी में भ्रातृ विराह और बहन की विवशता का कारूणिक चित्रण है।

'दो स्मृति चिह्न' कहानी की प्रमुख पात्र है बिन्दु। उसने अन्तर्जातीय विवाह किया है इसी वजह से उसके मायके से कोई संबंध नहीं है। कहानी में दोनों बहनों इन्दु-बिन्दु का स्नेह स्वाभाविक ढंग से गुंफित हैं। विवाह के आठ वर्षो के उपरान्त उसे सूचना मिलती है कि उसकी बहन स्टेशन पर आ रही है, तो उसकी पसंद का सारा सामान लेकर अपने पति देवेश के संग उससे मिलने चल देती है। रेलवे स्टेशन की भीड़ में भी वह अपनी बहन को खोज लेती है। अपनी बहन के बेढंगे पति को देखकर दु:खी होती है किन्तु उसके नन्हें पुत्र और सुखी वैवाहिक जीवन देख खुश होती है। बिन्दु के नन्हा पुत्र देवेश के विदेशी कोट पर अपनी चाकलेट लगे हाथों की छाप छोड़ देता

*शोधार्थी, मेवाड़ विश्वविद्यालय, चितौड़गढ़ (राज.) भारत
**शोध निर्देशक, मेवाड़ विश्वविद्यालय, चितौड़गढ़ (राज.) भारत

है। यहाँ दोनों बहनों के प्रेम के कारण गरीबी अमीरी की रेखाएँ मिटती सी जान पड़ती है। इस कहानी में इन्दु-बिन्दु का स्नेह मैत्री की भुजाओं में पालित है।

पत्नी का रूप – पत्नी को भार्या, गृहिणी, गृहलक्ष्मी, अर्धांगिनी, सहधर्मिणी, सहचरी आदि नामों से अभिहित किया गया है। आत्मा का अर्धांश पत्नी हैं पत्नी के बिना गृहस्थ जीवन संभव नहीं है। सुखी और परितृप्त गृहस्थ जीवन के समस्त सुखों का मूल पत्नी है। 'बन्द घंड़ी' की मुख्य पात्र माया में सुघड़ गृहिणी के सभी गुण है। वह अपने पति के कठोर अनुशासन से दु:खी है। अखबार में महिला के आत्महत्या की खबर पढ़ स्वयं आत्महत्या करने का निश्चय कर लेती है। तभी उसे अचानक पुत्र प्रतुल की कमीज में बटन टाँकने की याद आ जाती है और वह कमीज निकालकर बटन टाँकने बैठ जाती है। उसी समय पति और बच्चे घर लौटकर आते है। वह सोचती है कि बच्चे घर पर से समय पूर्व आ गए है। वह अपनी योजना को अंजाम नहीं दे पाती है। माया घड़ी की ओर कृतज्ञता से देखती है जिसकी वजह से आज भरा पूरा परिवार बिखरने से बच जाता है। कहानी में पत्नी का परम्परागत रूप चित्रित है। यह कहानी तनिक आवेश में आकर गलत निर्णय ना लेने का सन्देश देती है। 'कैया' का असली नाम नलिनी है ससुर की कृपा से डॉक्टरनी बनती है। समाज के उसका बड़ा रूतवा है। पति के शुष्क व्यवहार और नौकरानी से अवैध संबंधों पर भी वह पति को कुछ नहीं कहती है। अपने पूर्व प्रेमी मृगांक के पत्र मिलने पर उससे मिलने चली जाती है। प्रेमी को मृत्यु के निकट देखकर उसकी माँ से मिलाने ले जा रही थी तब प्रेमी की मृत्यु हो जाती है। अपनी गलती का आभास होते ही वह अपनी पहचान छिपाने हेतु ट्रेन से कुद जाती है। तभी उसे मिसेज कोचर के शब्द उसके कानों में गूँजने लगते है- 'हम स्त्रियों के लिए हमारा नाम ही सबकुछ है बहन, इसी से हमें फूँक -फूँककर कदम रखना पड़ता है कि किसी की अंगूँली न उठे' .... अब किसी की अंगूँली नहीं उठेगी नलिनी ....'[3] कहानी में पत्नी का आधुनिक रूप स्पष्ट मुखरित हुआ है।

बेटी का रूप – भारतीय समाज में कन्या का जन्म 'शुभ सूचक' नहीं माना जाता है। कन्या जन्म के साथ ही कन्या के माता-पिता से सहानुभूति जताई जाने लगती है। शिवानी जी की कहानियों में बेटी का आज्ञाकारी रूप ही अधिक देखने को मिलता है।

'तीन कन्या' की केंद्रिय पात्र 'मिसेज बनर्जी है। पति के मृत्यु बाद वह बंगाल छोड़ प्रयाग में आ बसती है। वह अपनी तीन कन्या में छोटी बेटी बेबी की सगाई प्रतुल नामक युवक से कर देती है। माँ के कठोर अनुशासन के कारण बेबी और प्रतुल उब चुके है। प्रतुल अपनी सास का विरोध करते हुए कहता है- 'यह आपकी सरासर ज्यादती है। बेबी मेरी वारदता पत्नी है। मैं उसे जब चाहूँ घुमाने ले जा सकता हूँ। सच पूछिए तो मैं उस लम्बी सगाई से ऊब गया हूँ पता नहीं कब आपकी गुणवन्ती कन्याओं का विवाह हो और कब मेरे इस नीरस क्यू का अन्त हो। जितनी बार भी आया हूँ आपने यहीं असहयोग आन्दोलन किया है। आज इस बात का फैसला करके रहूँगा।'[4] वह नाराज होकर चला जाता और बरूआ कन्या से विवाह कर लेता है। इस कहानी में परम्परागत विचार वाली सास तथा आधुनिक विचार वाले दामाद में टकरार का चित्रण है। सामाजिक रूढ़िवादिता के कारण ही एक आज्ञाकारी कन्या का विवाह नहीं हो पाता है। 'भूमिसुता' कहानी में अनुराधा और बिग्रेडियर की कोई सन्तान नहीं होने की वजह से कूडेदान पर पड़ी लावारिस लड़की का पालन-पोषण करते हैं। उम्र के चालिसवें वर्ष में अनुराधा को संतान रूप में पुत्र की प्राप्ति होती है। अनुराधा अपने पुत्र रजत और गोद ली हुई पुत्री दोनों को अच्छी शिक्षा देती है। सुता के भाई रजत को लगता है, उसके माता-पिता केवल सुता को ही प्यार करते हैं। वह विदेश चला जाता है। अपनी माँ की मृत्यु होने पर भी नहीं आता है। भूमिसुता अपनी माँ की अंतिम क्रिया एवंम् पिंडदान करती है। अनुराधा अपनी माँ की आज्ञाकारी व सर्मपिता पुत्री है।

बहू का रूप – पुत्र वधू को ही बहू की संज्ञा से अभिगित किया जाता है। जब ससुराल में लड़की विवाह के उपरांत जाती है, तो वह पुत्र वधू बन अपने कर्त्तव्यों का निर्वाहन करती है।

'निर्वाण' कहानी की मनोरमा चौपड़ा आदर्श पुत्र वधू की भूमिका निभाती है। आरंभ में विजातीय विवाह होने के कारण सास असंतुष्ट रहती थी। किन्तु मनोरमा के आज्ञा पालन सेवा ने उनका मन मोह लिया। वह एक आदर्श पुत्र वधू जननी तथा पत्नी है। वह एक पाखंडी गुरू के चक्कर में पड़कर घर छोड़कर भाग जाती है। वह अब अपने सुखी परिवार को अपने ही हाथों तिलांजलि दे बैठी है। जिस अखबार में गुरूदेव की प्रशंसा छपती थी। वह ही आग-आग उगल रहे हैं किन्तु उनकी शिष्या का नाम किसी भी अखबार में ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। कहानी की घटना आज भी प्रसांगिक है। आज भी स्त्रियाँ होगी गुरूओं के चक्कर में फंसकर अपना परिवार विनष्ट कर रही है।

'ज्यूडिथ से जयन्ती' कहानी का मुख्य पात्र ज्यूडिथ अमेरिकन युवती है। जो रमा दी के पुत्र से प्रेम-विवाह करने हेतु धर्म परिवर्तन कर लेती है। रमा दी ज्यूडिथ का विवाह अपने पुत्र से करा उसका नाम 'जयन्ती' रख देती है। वह भारतीय परम्पराओं को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उसे सास का वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करना बिल्कुल पसंद नहीं है। रमा दी एक दिन अपने पोते को काजल लगाने की कोशिश करती है तब बच्चा रोने लगता है। जयन्ती रोने की आवाज सुनकर दौड़कर आती है और अपनी सास पर बच्चे को मारने का झूठा आरोप लगाती है। उसी क्षण अपने पति को साथ लेकर विदेश लौट जाती है। रमा दी का पुत्र भी अपनी पत्नी का अनुगमन करता है। यह सोचे बगैर की उसकी बूढ़ी माँ जिसने उसे पालने में कितने कष्ट सहे अब किसके सहारे जीएगी।

सास का रूप – नारी के पारिवारिक संबंधों में सास-बहू का संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। सास में माँ की ममता और बुजुर्ग की कठोरता का समन्वित रूप सास है।

'नथ' कहानी में सास का निर्दय रौद्र रूप दिखाई देता है। फौजी गुमान सिंह पुट्टी नामक तिब्बती लड़की से विवाह कर लेता है। किन्तु सास ननद उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है । पति के प्रेम में वह सास-ननद की व्यवहार की कड़वाहट भूल जाती है। उसका पति बॉडर पर युद्ध में चला जाता है वहां चीनियों से लड़ते हुए शहीद हो जाता है। गुमान सिंहं की मृत्यु ने 'उसकी सास को जीती-जागती तोप बना दिया। वह दिन -रात आग उगलती, पर पुट्टी पत्थर बन गई थी।'[5] इस कहानी में सास के परम्परागत रूप का यर्थाथ चित्रण है। जो बहू को कोसने, डांटने, सताने का कोई मौका अपने हाथों से निकलने नहीं देती है।

'अभिनय' कहानी सास का सौम्य सरल रूप चित्रित है। 'शान्ता' एक सहनशील एवं विनम्र सास है। उसके बडे बेटे की मृत्यु हो गई है। बहू डॉ रजनी अपने पति के मृत्यु के बाद सास के साथ रहने का निर्णय लेती है। किन्तु वह अपने देवर के साथ क्लब, रेलवे जाती है उसने लोक-लाज का तिलांजलि दे दी है उसने देवर के साथ अवैध संबंध स्थापित कर लिया है। जिसे देखकर सास विष कंठ में घुटती रहती है। 'किन्तु चाहने पर भी वह कभी मुँह खोलकर कुछ नहीं कह पाई थी।' अनकही वेदना की घुटन उसे पागल बना गई थी।'[6] इस कहानी में एक विनम्र सुशील सौम्य स्वभाव वाली

सास का चित्रण है। जिसका फायदा उठा बहू निर्लज्जता से देवर संग अनैतिक संबंध बना लेती है।

साली का रूप – भारतीय समाज में नारी का एक रूप साली भी है। जीजा साली के हल्के-फुल्के परस्पर हंसी-मजाक को समाज मान्यता देता है किन्तु मर्यादा की सीमा में रहकर 'भीलनी' कहानी की मुख्य पात्र विलासिनी है। अपनी बहन सुहासिनी की प्रसव सेवा हेतु जीजा के घर जाती है वह जीजा को अपने सौंदर्य से आकर्षित कर यौन संबंध स्थापित कर लेती है। एक दिन सुहासिनी बहन और अपने पति को रंगे हाथों पकड़ लेती है। क्रोध में उसी रिवाल्वर से बहन की हत्या करना चाहती है किन्तु निशाना चुक जाने से उसके पति को गोली लग जाती है। दूसरी गोली से सुहासिनी स्वयं आत्महत्या कर लेती है। किन्तु मृत्यु से पूर्व अपने आखिरी बयान में अपनी बहन को बचा लेती है। इस कहानी में यह सन्देश है कि जब जीजा-साली के संबंध मर्यादा की सीमा लांध जाते है तब परिवार टूटकर बरबाद हो जाते है।

'दो स्मृति चिह्न' कहानी में बिन्दु अपने विवाह के आठ वर्ष के बाद अपनी बहन से स्टेशन पर मिलती है तब पुरानी स्मृतियाँ पुनः सजीव हो उठती है। दोनों बहनें होली पर अपने बडे ज़ीजा से किए हास -परिहास को याद करती है – 'कितने उदार थे बडे ज़ीजा! होली आती जो उनकी गत बना देती थी चुलबुली सालियाँ। वे एक गाल पर कीचड़, गोबर, कोलतार पोततीं, तो वह बडे उ़त्साह से दूसरा गाल बढ़ा देते। बड़ी दी बुरी तरह झुँझला उठती – ' रेल के इंजन का – सा चेहरा बना दिया हे। मुरियों ने और इनके लड्डू फूट रहे है। अब कैसे छुटेगा ये रंग! लाओ कहीं से पेट्रोल तब तरासूँगी यह लंगूरी चेहरा।'[7] सन्ध्या को बन सँवर कर फिर जीजा सुसराल आते ही सालियों का हास – परिहास जारी रहता है। घर में हँसी के फुटारों की गूँज सुनाई देती थी। इस कहानी में जीजा साली का संबंध सामाजिक मर्यादा की सीमा में है।

भाभी –ननद का रूप – शिवानी ने अपनी कहानियों में ननद-भाभी के मैत्री तथा वैमनस्य दोनों को चित्रित किया है। 'अपराधी कौन' कहानी की मुख्य पात्र मीना (ननद) और अमला (भाभी) है। दोनों में घनिष्ठ मित्रता होती है इसी वजह से मीना अमला को भाभी बनाकर घर ले आती हे। दोनों में एक 'करधनी' को लेकर विवाद हो जाता है। इसी बीच करधनी चोरी हो जाती है। मीना अपने विवाह के बाद विदेश चली जाती है। बीस वर्षो के बाद अपनी भतीजी के विवाह में वापस आती है। विवाह के बाद अवसर पाकर मीना करधनी बक्से से निकालकर अपने कपड़ों के नीचे रख देती है। ट्रेन में उत्सुकता वस करधनी ढूँढती है तब उसे पता चलता है कि उसकी चतुर भाभी ने करधनी के साथ उसके हीरों का हार भी गायब कर लिया है। इस कहानी में दोनों स्त्रियाँ आभूषण प्रेम के कारण चोरी जैसे निकृष्ट कोटि के कर्म करती है।

'भिक्षुणी' कहानी में किकी नामक नारी की व्यथा कथा है। किकी की चारों ननदें दूर ब्याही थी। सिर्फ एक छोटी ननद अविवाहित डॉक्टरनी को वह एक आँख न सुहाती थी। भाई के आने से पूर्व उसका घर पर वर्चत्व था 'किन्तु भाभी के आकर्षक व्यक्तित्व एकदम फीकी पड़कर रह गई थी। एक तो उस आकस्मिक पराजय आघात को वह सहन नहीं कर पा रही थी, इधर उसके दिन-प्रतिदिन विलम्बित हो रहे कौमार्य ने उसे बेहद रूखी बना दिया था।'[8] ननद भाभी में बिल्कुल नहीं पटती है एक नहला मारता तो दूसरा दहला मार देता है। ननद –भाभी में महाभारत छिड़ जाता था। ननद के अविश्वास और ईर्ष्या ने ही उसे अविवेक को इस अंधी घाटी में ढकेल दिया और एक दिन अचानक वह बच्चों और घर छोड़कर भाग जाती है अन्त में भिक्षुणी बन जाती है।

दादी-नानी का रूप – शिवानी जी ने अपनी कहानियों में दादी तथा नानी को चित्रित कर पुरानी पीढ़ी को भी यथोचित स्थान दिया है। 'दादी, कहानी में बच्चे दादी के आने से ख़ुश हो जाते है। किन्तु बहुओं को सास का आना पसंद नहीं है। पौत्री रंजन दादी से कहती है' प्रॉमिस दादी, तुम इस बार भागोगी नहीं ?'[9] दादी के रहने से चौक के धारा 144 लागू हो जाती है। वह अन्धविश्वास के पालन से विश्वास करती है। उन्हें जब ज्ञात होता है कि एक मुसलमान नौकर ने उन्हें एकादशी के दिन चाय पिलाई थी तब वह प्रायश्चित करने काशी चली जाती है।

'लाल हवेली' में रहमान अली पन्द्रह वर्ष के बाद अपने मामू के इकलौते बेटे की शादी में आता है। 'घर पहुँते है तो बूढ़ी-नानी ख़ुशी से पागल-सी हो गयी। बार-बार रहमान अली को गले लगा-लगाकर चूमती थी और सलमा को देखकर ताहिरा को देखना भी भूल गयी या अल्लाह यह क्या तेरी कुदरत ? इम्मत को ही भेज दिया। दोनों बहुएँ भी बोल उठी,' सच अम्मी जान बिल्कुल इस्मत आपा है, पर बहू का मुँह भी तो देखिए। लीजिए ये ही अशर्फी।' और झट अशर्फी थमाकर ननिया सास ने ताहिरा का बुर्का उलट दिया,' अल्लाह, चाँद का टुकड़ा है, नन्हीं नज्मा देखो, सोने का दीया जला धरा है।'[10] इस कहानी में नानी का अथाह प्रेम नाती और नातीन के प्रति है।पुत्र और बहु के प्रति प्रेम सहज ही उमड़ पड़ा है। बुजुर्ग बच्चों के घर आने पर अपनी पीड़ा भूलकर आनंद में लीन हो जाते है।

निष्कर्ष – उपर्युक्त आलोचनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नारी समाज की केन्द्रीय धूरी है। शिवानी जी कहानियों में नारी की समाज में भूमिका उसके विभिन्न रूपों से स्पष्ट हुई है। शिवानी जी नारी के पंरापरागत और आधुनिक रूप में सामंजस्य प्रस्थापित देखना चाहती है। वह भारतीय नारी को भारतीय संस्कारों का पालन कर, आत्मनिर्भर बन, अपने स्वाभिमान की रक्षा में समर्थ देखना चाहती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शिवानी, मेरी प्रिय कहानियाँ, राज पाल एण्ड सन्ज, नई दिल्ली, संस्करण 2016, पृष्ठ 55
2. शिवानी संपूर्ण कहानियाँ, 1 (सं. मृणाल पाण्डे) राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, पहला संस्करण 2014 पृष्ठ 22
3. शिवानी संपूर्ण कहानियाँ 2 (सं. मृणाल पाण्डे) राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, पहला संस्करण 2013, पृष्ठ 212
4. वही, पृष्ठ 81
5. शिवानी संपूर्ण कहानियाँ 1 (सं. मृणाल पाण्डे) राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली पहला संस्करण 2014, पृष्ठ 39
6. शिवानी, 'स्वयंसिद्धा' राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली पहला संस्करण 2017, पृष्ठ 28
7. शिवानी, विप्रलब्धा, राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली पहली आवृत्ति 2013, पृष्ठ 13
8. शिवानी, 'भिक्षुणी' राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली पाँचवां संस्करण 2016, पृष्ठ 42 – 43
9. शिवानी, संपूर्ण कहानियाँ 2 राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली पहला संस्करण 2013, पृष्ठ 404
10. छब्बीस कहानियाँ, शिवानी, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली प्रथम संस्करण 2017, पृष्ठ 12

माहिष्मती की विभूतियां

डॉ. गुलाब सोलंकी *

प्रस्तावना – माहिष्मती नगरी का वर्णन अनेकों पुराणों में मिलता है। स्कन्दपुराण, रेवाखण्ड तथा वायु पुराण के अंतर्गत नर्मदा रहस्य में 'माहिष्मती' महात्म्य में–मॉ नर्मदा प्रथम अमरकंटक में, द्वितीय –महिष्मती में, तीसरा–शूलभैंद में, चौथा–पांचवा कोलिरपुर में छत्र भृगुस्थान पर माँ रेवा पापों का नाश करती हैं।

पूज्यश्री चैतन्य ब्रहाचारीजी ने लिखा हैं माहिष्मती भी काशी के समान ही शिव की नगरी हैं। इसलिए पुराणकार वेद व्यास ने माहिष्मती को गुप्त काशी के नाम से सम्बोधित किया है।

ऐसा कहां जाता हैं कि शिव के परम भक्त त्रिपुरासुर ने अपने तपोबल से माहिष्मती के ऊपर अंतरिक में स्वर्ण, रजत औंर ताम्रमय तीन पुरियों का निर्माण किया गया था। बाद में त्रिपुरासुर भगवान शंकर में युद्ध हुआ तो भगवान शंकर ने पाशुपतास्त्र से त्रिपुरासुर की तीनों पुरियों को नष्ट करके उसका भी वध कर दिया था उस दिव्यास्त्र का कुछ भाग माहिष्मती में जहां माहेश्वरी नर्मदा संगम हैं गिरा। वहां ज्वालेश्वर लिंग की उत्पत्ति हुई।

अग्नि पुराण में कहां गया हैं माहिष्मती में हुताषन अग्नि का सिद्ध पीठ हैं यह सिद्ध पीठ महेश्वर की पूर्व दिशा में महेश्वरी नर्मदा संगम पर स्थित हैं। इसे कालाग्नि रूद्र तीर्थ भी कहते हैं। इस तीर्थ में दस लक्ष तीर्थ का समावेश हैं। तंत्रमंत्र युग में यह स्थान कापालिको गढ़ रहा हैं।

अग्निदेव की धर्मपत्नी स्वाहादेवी ने अपने पति का अनुसरण करते हुए माहिष्मती में अपना सिद्ध पीठ स्थापित किया जो 'स्वाहा पीठ' नाम से प्रख्यात हैं।

महेश्वर क्षेत्र के कुछ प्रमुख तीर्थ–

1. **कालाग्नि रूद्र तीर्थ –** नर्मदा महेश्वरी संगम स्थल पर

2. **स्वर्ण दीप तीर्थ –** वायु पुराण के अनुसार महेश्वर के सामने, नर्मदा के दक्षिण तट पर एक दुरकरी नद का संगम हैं उसे स्वर्ण दीप तीर्थ कहते हैं।

अंगिरा तीथ – महेश्वर से लगभग एक किलोमीटर पश्चिम में नर्मदा तट पर एक घाट व पास में नृसिंह भगवान का मंदिर हैं। इसी घाट के पास नर्मदाजी में एक नद का संगम हुआ उसे अंगिरा तीर्थ कहते हैं।

त्रिवेणी तीर्थ – अंगिरा तीर्थ से आगे पश्चिम में लगभग एक कि.मी की दूरी पर प्रख्यात सहत्रधारा जन प्रपात हैं। इसके संबंधमें एक पौराणिक कथा है। कि माहिष्मती नरेश सहत्त्रबाहु ने जल क्रीड़ा करते हुए अपनी शक्तिशाली भुजाओं से नर्मदा का जल प्रवाह रोका था। नर्मदा जी नही रूकी औंर उन सहस्त्र भुजाओं के बीच में मार्ग प्रशस्त कर कल–कल नाद से सहस्त्र बाहु की खिल्ली उड़ाती हुई सहस्त्रों प्रवाहित हो गयी।

महेश्वर की तीन विभूतियां –

1. **कार्तिवीर्यजुन (सहस्त्रबाहु)–** हैहय क्षेत्रीय वंशीय सम्राट कार्तिवीर्याजुन की गणना सर्वोपरि मानी जाती हैं जिनकी वीरता, धीरता पराक्रम एवं धर्मपरायणता की गाथाएं पुराणों में स्वर्णाक्षरो में वर्णित हैं। त्रेतायुग में माहिष्मती के संस्थापक सम्राट महिष्मान की चौथी पीढ़ी में कृतवीर्य हुए थे। उन्हीं के पुत्र का मूल नाम अर्जुन था। बाद में कार्तिवीर्याजुन या सहस्त्रार्जुन के नाम से भी जाने जाते हैं। कार्तिवीर्यार्जुन भगवान दत्तात्रय के परम भक्त थे। जब भगवान दत्तात्रय इन पर प्रसन्न हुए तो इन्होंने चार वरदान मांगे–

1. **प्रथम वर के रूप में–**अपने लिए एक हजार भुजाएं मांगी।
2. **द्वितीय वर –** सतपुरूषों के साथ अधर्म करने वालो के निवारण का अधिकार मांगा।
3. **तृतीय वर –** सारी पृथ्वी को जीतकर धर्मानुसार प्रजा पालन की क्षमता मांगी।
4. **चतुर्थ वर –** रणभूमि में युद्ध करते समय मुझसे अधिक बलवान के हाथों मेरा वध हो।

जन्म के समय उनके दो हाथ थे किन्तु वरदान के फलस्वरूप युद्ध स्थल में उनके एक हजार सहस्त्र हाथ प्रकट हो जाते थे। उन्होंने सातों समुद्रो से घिरे हुए पर्वतों सहित सातों द्वीपों की समग्र पृथ्वी को जीतकर चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त की थी।

इनके पराक्रम के संबंध में मत्स्य पुराण में लिखा है– कार्तवीयार्जुन समुद्र स्नान करते समय क्रीड़ा मग्न होते थे तो अकेले ही अपनी सहस्त्र भुजाओं से समुद्र को विलोपित कर देते थे। वर्षाकाल में वेग से बहती नर्मदा को ओर भी उद्धत वेग वाली बना देते थे।

ऐसा कहा जाता हैं कि एक बार लंकाधिपति रावण मदोन्मत हो विश्व विजय के सपने संजोता हुआ जब माहिष्मती के सम्राट सहस्त्रार्जुन से टकराया तो उसका स्वप्न भंग हो गया। सहस्त्रार्जुन ने उसे परास्त कर कैद कर लिया। फिर पुलत्स्य ऋषि द्वारा अनुनय विनय करने पर रावण को मुक्त किया था।

महाबली सहस्त्रार्जुन धर्म परायण भी थे। अपने बाहुबल से समस्त पृथ्वी को जीतकर सहस्त्र यज्ञो का अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न किया था। सहस्त्रार्जुन पर समस्त ऋद्धि–सिद्धियां भी प्रसन्न थी, इसलिए इच्छा करने मात्र पर धन का अभाव दूर हो जाता था।

हैहय क्षत्रीय वंश में जन्म लेकर भी वे (सहस्त्रार्जुन) दानी–मानी, धर्म परायण और प्रजा पालक थे, कि सैकड़ों, हजारो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी वे आज देवतुल्य पूजे जाते हैं।

महेश्वर में उनकी समाधि स्थल पर जो शिवालय स्थापित हैं, उसे राजराजेश्वर शिवालय कहा जाता हैं इस शिवालय में सदियों से शुद्ध घी के ग्यारह नंदा दीपक अहर्निष अखण्ड ज्योतित रहते हैं।

* प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, धामनोद (म.प्र.) भारत

मत्स्य पुराण का कथन हैं कि जो मानव प्रात: काल उठकर सहस्त्रार्जुन का नाम स्मरण करता हैं उसके धन का नाश नहीं होता और यदि नष्ट हो गया हैं, तो पुन: प्राप्त हो जाता हैं।

पंडित मंडनमिश्र एवं विदुषी भारती देवी – दर्शनशास्त्र के इतिहास में अद्धैतवादी आध जगद् गुरू शंकराचार्य का नाम ग्रीष्म की दोपहरी में तपते सूर्य की भांति चमक रहा है।। जहां कही भी जगद्गुरू शंकराचार्य का प्रसंग आता हैं वही माहिष्मती की तत्कालीन प्रकाण्ड पंडित मीमांसक मण्डन मिश्र एवं उनकी विदुषी अर्द्धागिनी भारत देवी का उल्लेख सामने आता हैं।

पंडित मंडन मिश्र इतने विद्धान थे कि उनके घर के पालतु शुक सारिकाएं संस्कृत भाषा में परस्पर वाद–विवाद करते रहते थे वेदों की वाणी नित्य हैं या अनित्य, कर्म करने से कहीं फल प्राप्त होता हैं, या नहीं, तथा यह जगत सत्य है अथवा मिथ्या। उन दिनों देश की धार्मिक स्थिति बड़ी ऊहापोहात्मक थी। डॉ.बलदेव उपाध्याय–उन दिनों देश में अनेक मतमतांतरो का बोलबाला था। भिन्न–भिन्न देवी देवताओं के उपासक अपने–अपने आराध्य एवं मत को श्रेष्ठ मानकर पारस्परिक विद्धेष में जलते हुए संघर्षरत थे। इसी कंटकाकीर्ण पथ को सुगम बनाने के लिए वैदिक मत की पुनर्स्थापना के लिए दर्षनषास्त्र की दो धाराए– 1–मीमांसा दर्शन 2–अद्धैत दर्शन, उभर कर सामने आयी। मीमांसा दर्शन – प्रमुख कुमारिल भट्टे–मण्डनमिश्र इनके शिष्य थे। मण्डन मिश्र की धर्मपत्नी विदुषी भारती देवी को भी कुमारिल भट्ट से न केवल गुरू का ज्ञान मिला, अपितु पिता समान स्नेह व प्यार भी मिला। जगद्गुरू शंकराचार्य अपनी धार्मिक यात्रा पर निकले तो वे शास्त्रार्थ हेतु कुमारिल भट्ट के पास गए, कुमारिल भट्ट एक विशेष प्रसंग के कारण अग्नि समाधि लेने को तत्पर थे। अत: उन्होने जगद्गुरू को शास्त्रतार्थ हेतु माहिष्मती पंडित मण्डन मिश्र के पास जाने का सुझाव दिया। तद्गुसार माहिष्मती में दोनों विद्धानों शास्त्रार्थ हुआ था। इस शास्त्रार्थ की निर्णायिका भारती देवी थी। शर्त यह थी कि यदि मण्डन मिश्र पराजित होंगे तो जगद्गुरू शिष्यत्व ग्रहण कर लेंगे यदि जगद्गुरू पराजित होंगे तो उन्हें सन्याश्रम त्याग कर गृहस्थाश्रम स्वीकार करना पड़ेगा। भारती देवी सूर्योपासिका थी। उन्होने दोनो शास्त्रार्थियों का सूर्य मंत्र से अभिमंत्रित पुष्पमाला पहनाकर पराजित होने वाले विद्धान की पुष्पमाला कुम्हला जाएगी। अन्तत: शास्त्रार्थ के 21 वे दिन पंडित मण्डनमिश्र की पुष्पमाला कुम्हाला गई, वे पराजित हो गये। आचार्य शंकर के शिष्यों ने जयघोष किया तो भारती देवी की पतिव्रत निष्ठा जागृत हो गयी, और उन्होंने उसी समय निर्णायिका का पद त्यागकर जगद्गुरू से कहां कि आचार्यवर अभी आपकी विजय अपूर्ण हैं। मैं मण्डनमिश्र की अर्द्धागिनी हूँ, जब तक आप मुझे भी शास्त्रार्थ में पराजित नही करेंगे, आपकी विजय पूर्ण नही होगी। कुछ लोगो ने नारी के साथ शास्त्रार्थ करने में आपत्ति उठाई। भारती देवी ने कहां यह आपत्ति निरर्थक है। इतिहास गवाह हैं कि किसी समय याज्ञवल्क ऋषि औंर गार्गी के मध्य विदहराज जनक और सुलभ नामक रात्रि कन्या के मध्यम शास्त्रार्थ हुआ था। अत: आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए जगद्गुरू को भारती देवी की चुनौती स्वीकार करना पड़ी। जगद्गुरू औंर भारती देवी के बीच 17 दिनों तक (संध्या वंदन आदि के समय को छोड़कर) रात–दिन शास्त्रार्थ होता रहा। भारती देवी के समस्त प्रश्नों के उत्तर प्रमाण सहित जगद्गुरू देते रहे। भारती देवी ने 17 दिन सोचा आचार्य ने बचपन से ही सन्यास ग्रहण किया है। सदा श्रेष्ठ नियमों का पालन करते रहे है, कामशास्त्र से अनभिज्ञ हैं। अत: इसी शास्त्र के आधार पर इन्हें जीतूगी, यह सोचकर भारती देवी ने प्रश्न किया–'काम की कलाएं कितनी हैं? इनका स्वरूप कैसा हैं, किस स्थान पर ये कलाएं निवास करती हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में उनकी स्थिति कहां–कहां रहती है। युवती में तथा पुरूष में इन कलाओं का निवास किस प्रकार होता हैं। जगद्गुरू अपने योग बल से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि में उत्तर नहीं देता हूँ तो अल्पक्ष बनता हूँ औंर उत्तर देने पर मेरा यति धर्म नष्ट होगा। यह सोचकर सन्यासियों के नियमों की रक्षा के लिए उन्होंने भारती देवी से कहा कि आप मुझे उत्तर देने के लिए एक माह का समय दीजिए। एक माह बाद कामशास्त्र में अपनी निपुणता का दंभ छोड़ देगी। भारती देवी ने उनका आग्रह स्वीकार किया। फिर अपने कुछ शिष्यों के साथ आकाश मार्ग से दूर उड़ते चले गये । एक स्थान पर उन्होंने एक मृत राजा का शव पड़ा हुआ देखा। शव के आसपास कुछ सुन्दरिया विलाप कर रही थी, और मंत्रीगण उदास बैंठे थे। यह देखकर अमरू नामक राजा अत्यधिक श्रम के कारण पृथ्वीतल पर मरा पड़ा हैं, इसके निवास में सौ से अधिक सुन्दरियां रहती हैं जो काम कला में निपुण हैं। मैं योगबल से इसी मृत राजा के शरीर में प्रवेश कर अपना ध्येय पूरा कर लौट आऊंगा तुम मेरे कथन पर शंका मत करो। जिस प्रकार गोपियों के साथ रहने पर योगराज श्रीकृष्ण में किस प्रकार की कामवासना उत्पन्न नहीं होती थी। उसी प्रकार आसक्ति रति वज्राली नामक योग से हमारे व्रत में भी किसी तरह की कोई क्षति नहीं होगी। जगद्गुरू ने आगे कहा कि यह देखों जो सुन्दर गुफा दिखाई दे रही हैं। इसके पास विशाल समतल शिला पड़ी हुई हैं स्वच्छ जल वाली फलों के भार से झुके हुए।

पेड़ो से रमणीय तटवाली नदी शोभित हो रही हैं, यही रहकर आप लोग मेरे शरीर को सावधानी से देखे तब तक मैं मृत राजा के शरीर में प्रविष्ठ हो कामवासना का अनुभव करता हूँ मैं वापस लौटू तब तक इस गुफा में मेरी शरीर की देखभाल करना। योग बल से मृत राजा के शरीर में प्रवेश किया औंर नियत समयावधि में भारती देवी के प्रश्नों का उत्तर देने का अनुभव प्राप्त कर शिष्यों सहित पुन: माहिष्मती पधारे। तब तक भारती अपने प्राण विसर्जित कर चुकी थी, क्योंकि वे अपने पति को सन्यासी वेश में नहीं देखना चाहती थी। शंकराचार्य ने अत्यंत खिन्न मन से माहिष्मती की विदुषी को अपनी श्रद्धांजलि आर्पित की और उनकी स्मृति को अमर बनाने के लिए 'द्धारकापुरी' में शारदामठ की स्थापना की। अंत में मण्डनमिश्र ने आध जगद्गुरू का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया औंर सुरेश्वराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए।

देवी अहिल्याबाई – देवी अहिल्याबाई का नाम देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरो में अंकित हैं।

1. कुशल राज्य संचालन
2. धर्म प्रियता
3. दयालुता
4. विवेकापूर्ण निर्णय
5. प्रजा प्रेम

आदि के लिए विख्यता हैं।

अहिल्याबाई जन्म अहमदनगर (महाराष्ट्र) के समीप सोना नदी के किनारे स्थित ग्राम चौडी में सन् 1725 ई.में हुआ। पिता पटेल माणको जी शिन्दे और माता सुशीला धर्मपरायण गृहस्थ थे। बालिका अहिल्या को घर पर ही पढ़ना लिखना सिखलाया गया। अहिल्या बचपन से ही प्रतिदिन मंदिर जाया करती हैं। इस प्राणीमात्र के प्राप्ति प्रेम, बड़ो के अभिरूची औंर सद्गुण उनके चरित्र के अभिनव अंग थे।

आठ वर्ष की आयु में अहिल्याबाई का विवाह पेशवा के सूबेदार मल्हारराव होल्कर (प्रथम) के पुत्र खंड़ेराव के साथ हुआ था। होल्कर राज्य के संस्थापक मल्हारराव होल्कर के इकलौते पुत्र और अहिल्याबाई के पति

खंडेरराव के स्वच्छंद प्रकृति के व्यक्ति थे। विवाह के बाद अहिल्याबाई राजकाज में रूचि लेने लगी। अहिल्याबाई ने सन् 1745 में देपालपुर में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मालेरावत था सन् 1748 में मुक्ताबाई नामक कन्या पैदा हुई। 23 अगस्त 1766 को मालेराव का राजतिलक हुआ परन्तु न तो वह योग्य शासक हुआ और न ही अधिक समय जीवित रहा। अहिल्याबाई का जीवन धार्मिक था वे चरित्र और स्वभाव से जितनी साध्वी उतनी ही वे कला तथा साहित्य की संरक्षक भी थी। माता अहिल्याबाई ने तीस वर्षो तक ऐसा अनुपम राज किया, जिससे वे अनंत काल तक पूजनीय बनी रहेगी। तत्कालीन होल्कर राज्य इन्दौर से लेकर निमाड़ के दक्षिणी छोर पर खानदेश तथा पश्चिमी छोर पर गुजरात की सीमाओं तक फैला हुआ हैं। इसके बीच में शिप्रा प्रवाहित पुण्यसलिला, गंगा सदृश पवित्र नर्मदा प्रवाहित होती हैं। यह युगो से ऋषियों और मुनियों की तपोभूमि रहा हैं। इसलिए निमाड़ को दूसरा नाम अनूपदेश कहा। अहिल्याबाई से पूर्व मल्हारराव 1745 ई में महेश्वर का विकास प्रारंभ हुआ अहिल्याबाई ने माहिष्मती क्षेत्र में मंदिर, घाट, धर्मशालाएं आदि बनवाए वही इसकी गरिमा के अनुरूप महेश्वर (माहिष्मती) को गौरव प्रदान किया था।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. इन्दौर स्टेट गझेटियर।
2. माहिष्मती स्मारिका।
3. स्मारक एवं स्मृतियां।
4. मत्स्य पुराण।
5. श्री दयाशंकर दुबे, नर्मदा रहस्य।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) October to December 2019, Vol. I

समसामयिक जीवनबोध और केदारनाथ अग्रवाल की कविता

सविता * डॉ. सोनाली निनामा **

प्रस्तावना – केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील हिन्दी कविता के स्तम्भ कवियों में से एक हैं। अग्रवाल बहुत सरल एवं सीधे शब्दों में समाज की वास्तविक स्थिति को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जहाँ एक ओर प्रगतिशील कविता का सम्बन्ध परम्परा एवं आधुनिकता के सर्जनात्मक द्वन्द्ध रहा है, वहीं दूसरी ओर अपनी कविता के माध्यम से परम्परा और नवीनता को अपनी कविता में रेखांकित किया है। केदारनाथ अग्रवाल को भारतीय परम्परा और समसामयिक जीवन की गहरी समझ रही है। अग्रवाल ने अपनी कविताओं के माध्यम से किसान, मजदूर, स्त्री तथा दलित आदि पर हो रहे शोषण, अन्याय, अत्याचार आदि का विरोध किया है।

केदार की कविताओं का एक पक्ष आनंद, उल्लास, उत्सव है तो दूसरा पक्ष वंचित एवं पीड़ित वर्ग की पीड़ा, दु:ख, अपमान, अत्याचार, अभाव और दरिद्रता आदि है। केदार की कविता अत्यन्त सहज लगने के बाद भी उनकी कविताओं में एक न मिटने वाली बेचैनी तथा एक गहरी तड़प देखने को मिलती है। केदारजी देश की वर्तमान स्थिति तथा अर्थ-व्यवस्था से दु:खी है। उन्होंने 'जिन्दगी' कविता के माध्यम से समसामयिक जीवन की विसंगतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि-

'देश की छाती दरकते देखता हूँ
थान खद्दर की लपेटे स्वार्थियों को
पेट-पूजा की कमाई में जुता मैं देखता हूँ!
डालरी साम्राज्य मौत-घर में
आँख मूँदे डाँस करते देखता हूँ!!'[1]

केदार वर्तमान देश की स्वार्थपरकता, धन-लोलुपता आदि को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भारतीय नेता खादी के कपड़े पहनने के बावजूद भी पाश्चात्य सभ्यता का मोह नहीं छोड़ पा रहा है और उसी संस्कृति के रंग में रंगता जा रहा है, उन्हें देश, समाज और उनके कल्याण की कोई चिन्ता नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है।

केदार ने जिन जन-विरोधी स्थितियों का रूप बहुत पहले हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया था, वे सारी स्थितियाँ वर्तमान समय में हमारे समक्ष भयावह रूप में उपस्थित हैं। केदार जी ने यराजनीति' कविता के माध्यम से राजनीति का जो रूप प्रस्तुत किया था, वह वर्तमान समय में प्रासंगिक होता दिखाई दे रहा है-

'राजनीति नंगी औरत है
कई साल से जो युरूप में
आलिंगन के अंधे भूखे
कई शक्तिशाली गुण्डों को
देश-देश के जो स्वामी हैं
ऐसा पागल लड़वाती है,
आबादी में बम गिरते हैं;
दल की दल निर्दोष जनता
गिनती में लाखों मरती है
नष्ट सभ्यता हो जाती है।'[2]

केदार ने देश की राजनीति में पनप रहे भ्रष्टाचार, आतंकवाद, भाई-भतीजावाद आदि का वर्णन करते हुए, इसे देश की अस्मिता एवं अखण्डता के साथ ही देश के विकास के लिए भी घातक माना है। केदारजी ने देश के बड़े-बड़े देशभक्त नेताओं को भ्रष्ट और स्वार्थी बनते देखा है। जो देश को पतन के मार्ग पर ले जा रहे हैं।

केदार ऐसी नीतियों और कानून-व्यवस्था के सख्त खिलाफ हैं, जो देश की समसामयिक स्थितियों एवं समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं है। सरकार देश की समस्याओं से निपटने तथा समसामयिक परिस्थितियों को बेहतर बनाने के नाम पर जनता पर तरह-तरह के टैक्स लगा रही है, जिससे लोगों का जीवन बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। केदार जनता की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि-

'टैक्सों की भरमार-
हमारी करती है सरकार!
जीवन का अधिकार-
हमारी हरती है सरकार!!
होती है कम आय,
हमारा घटता है, व्यवसाय,
होता है अन्याय
हमारा लुटता है समुदाय!!'[3]

केदार ने तीरथ है कलियुग में थाना, गिरगिट बैठे सिंहासन पर, सर्र से निकल गयी चोर की मोटर, सब डिप्टी हैं, अनुभवहीन आदि कविताओं के माध्यम से भ्रष्टाचारी नेताओं और उनकी नीतियों का विरोध किया है।

देश की स्वतंत्रता के उपरान्त भी देश में आर्थिक गुलामी आज भी वैसी है जैसी अंग्रेजों के समय में थी। नेताओं ने अपने शोषण तंत्र को और अधिक मजबूत तथा खूँखार बनाया। जिसके कारण किसानों की स्थिति को और दयनीय होती गयी और किसानों को गरीबी, भूख, बेरोजगारी, बदहाली, उपेक्षा, यातना और आँसू ही मिले। देश की स्वतंत्रता के बाद भी किसान, मजदूर तथा श्रमिक वर्ग के लोग स्वतंत्रता का अर्थ नहीं जान पाए। आजादी उच्च वर्ग तथा पूँजीपति वर्ग की रखैल बनकर रह गयी। किसानों, मजदूरों

* शोधार्थी (हिंदी) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (हिंदी) तुलनात्मक भाषा एवं संस्कृति अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

की स्थिति पहले की भाँति ज्यों की त्यों बनी रही। वह दिनोदिन कर्ज में डूबते चले गए तथा इसी दासता, गुलामी में उनका पूरा जीवन नष्ट हो गया। 'पैतृक सम्पत्ति' कविता के माध्यम से केदारजी ने उस सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किया है, जो एक पुत्र को पिता की मृत्यु के उपरान्त प्राप्त हुई है। वह कहते हैं-

'जब बाप मरा तो यह पाया
भूखे किसान के बेटे ने
घर का मलवा टूटी खटिया
कुछ हाथ भूमि, वह भी परती।
बनिया के रूपयों का कर्जा
जो नहीं चुकाने पर चुकता।'[4]

गाँव का महाजन, किसानों, मजदूरों को ब्याज पर पैसा कर्ज देता है जिसका ब्याज ही किसान जीवन भर चुकाता रह जाता है। कभी-कभी यह कर्ज उसकी आगे की पीढ़ियाँ चुकाती है। कर्ज के बदले में महाजन किसानों तथा मजदूरों को अनेक प्रकार से प्रताड़ित करते है। उनकी भूमि छीन कर उस पर अपना हक हासिल कर लेते हैं। बेबस किसान भूमिहीन मजदूर बनकर रह जाता है। इस पर भी जमींदार को मजदूरों पर दया नहीं आती है, वे उनसे अपने खेतों में बिना मजदूरी के काम करवाते हैं। जमींदारों के शोषण का चित्रण करते हुए केदार कहते हैं-

'वह समाज के त्रस्त क्षेत्र का मस्त महाजन
गौरव के गोबर गणेश-सा मारे आसन,
नारिकेल से सिर पर बाँधे मुरैठा
ग्राम बधूटी की गौरी-गोदी पर बैठा,
नागमुखी पैतृक सम्पत्ति की थैली खोले,
ब्याज स्तुति से बाँट रहा है रूपया-पैसा
सदियों पहले से होता आया है ऐसा।।'[5]

गाँव का महाजन, किसानों, मजदूरों की समसामयिक स्थिति का चित्रण किया है, जिसमें उनकी बेकारी, बेरोजगारी दिनोदिन बढ़ती जा रही है। किसानों, मजदूरों की जिन समस्याओं का चित्रण केदारजी अपनी कविताओं के माध्यम से कई दशक पहले किया था, उनकी स्थिति आज भी वैसी ही है। आज भी उनका शोषण विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा हो रहा है, जबकि सरकार किसानों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनकी स्थापना की जाती है। केदार ने अपनी कविता के माध्यम से भारतीय किसान का वास्तविक स्थिति का वर्णन किया है-

'बाप बेटा बेचता है
भूख से बेहाल होकर
धर्म, धीरज, प्राण खोकर
हो रही अनरीति बर्बर राष्ट्र सारा देखता है।'[6]

किसान एवं मजदूर वर्ग के लोग इतने गरीब हैं कि उन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए कभी-कभी अपने सबसे प्रिय बच्चों तक को बेचना पड़ता है। अपनी स्थिति से लाचार होकर किसान आत्महत्या तक कर लेते हैं।

किसानों के साथ ही मजदूर एवं श्रमिक वर्ग भी पीड़ित है। श्रमिक वर्ग सदियों से ही शोषण का शिकार होता आया है। केदार श्रमिक वर्ग की पीड़ा को अपनी कविता के माध्यम व्यक्त किया है-

'मिल मालिक का पेट बड़ा है
बड़े पेट में बड़ी भूख है
बड़ी भूख में बड़ा जोर है
बड़े जोर में जुलुम घोर है
मजदूरों को नहीं छोड़ता
उन्हें चूसकर तोष तोलता
एकाकी ही स्वर्ग भोगता।'[7]

केदार की कविताओं का फलक बहुत बड़ा हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से आर्थिक, साम्राज्यवाद, राजनीतिक भ्रष्टाचार का विरोध करने के साथ ही निम्नवर्ग के लोगों अर्थात् दलितों पर हो रहे शोषण का भी विरोध किया है। दलितों का शोषण उच्चवर्ग के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अकथनीय शोषण किया, जिसे दलित वर्ग के लोगों ने सहा है। छोटी-छोटी चीजें पाने के लिए संघर्ष किया है। केदारजी दलितों के शोषण का वर्णन करते हुए कहते हैं-

'हाथ तुझसे जोड़ता हूँ
भूख के मारे मरा मैं
द्वार पर तेरे खड़ा मैं
एक दाने के लिए मुहताज बस दम तोड़ता मैं।'[8]

दलित वर्ग के मनुष्य जमींदारों के लिए पशु की भाँति होते हैं, जिन्हें वह दाने-दाने को तरसाते हैं। अधेड़ उम्र में वह कुपोषित होकर दम तोड़ते हैं।

दलित वर्ग का व्यक्ति अपने परिवार के पालन-पोषण के लिए कुहरे से ढकी सर्दियों की सुबह को जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं, जिसे वह बाजार में बेंचकर अपने परिवार का गुजर-बसर करता है। केदार कहते हैं कि-

'खूब घने जंगल में
भारी सी कुल्हाड़ी लिए हाथों में
दूर तक सीमाहीन
अन्धकार दिखता है
सिर ऊपर लादे बोझ
साधे रास्ते पर पाँव
लौटता है काँटों पर चलता है
लकड़हारा थका-हारा घर में।'[9]

'देह की मुक्ति' की अवधारणा से अलग यदि स्त्री विमर्श की दूसरी अवधारणा हो सकती है तो वह केदार जी की कविताओं में देखी जा सकती है। केदार दलितों की पीड़ा, दु:ख संत्रास के साथ ही स्त्रियों के जीवन के संघर्ष को भी हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। 'गाँव की औरतें' कविता में घर में काम-काज करने वाली घरेलू औरतों का चित्रण किया है-

'गाँवों की औरतें
गन्दी कोठरियों में हाँफती
खाँसती, खसोटती रूखे बाल
सूखा पिसान फाँक-फाँककर
पीठ-पेट एक एक कर हाड़-तोड़
मरती हैं पत्थर रगड़कर।'[10]

गाँवों की स्त्रियों की स्थिति में आज भी ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है, आज भी स्त्रियों को पिता, पति, बेटा आदि के संरक्षण में ही जीवन गुजारना पड़ता है। पूरे परिवार का लालन-पालन करने के बाद भी उन्हें रूखी-सूखी रोटी खाकर गुजर-बसर करना पड़ता है।

गाँव की दलित एवं मजदूर वर्ग की स्त्रियों का शोषण पूँजीपति एवं जमींदार वर्ग के लोगों ने सदियों से किसी न किसी रूप में करते आ रहे हैं। इस शोषण की परम्परा को केदार ने अपनी कविताओं के माध्यम से बखूबी

किया है-

'सुन तो जल्दी अरी घसिटिया!
आ जा बाहर जल्दी से तो!!
बीसों बोल बुलाए मैंने
होकर खड़े दुआरे तेरे।
तू मत समझी, अभी अभी ही
गुप्त काम करने को मैं आया हूँ!!'[11]

केदार ने 'जहरी', 'सीता मैया', 'रनिया', 'ब्याही-अनब्याही' आदि कविताओं में स्त्रियों की व्यथा-कथा का वर्णन किया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि केदार दोयम दर्जे की राजनीति तथा सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं का भी विरोध किया है। इनकी कविताएँ समसामयिक जीवन-बोध से लैस हैं जिसमें किसानों, मजदूरों एवं श्रमिक वर्ग के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहारों, उनके अधिकारों का हनन तथा अवर्णनीय यातनाओं का प्रमाणित दस्तावेज है। इसके साथ ही दलितों का शोषण, उनकी भूख तथा उनके साथ हो रहे अमानीवय व्यवहार का चित्रण है। स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार, घरेलू हिंसा का जो रूप केदार की कविताओं में देखने को मिलता है, वह वर्तमान समय में भी विद्यमान है। केदार की कविताएँ समसामयिक जीवनबोध की प्रमाणिक दस्तावेज हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. केदारनाथ अग्रवाल, कहे केदार खरी-खरी, पृष्ठ संख्या 65
2. वही, पृ. सं. 17
3. वही, पृ. सं. 114
4. केदारनाथ अग्रवाल, फूल नहीं रंग बोलते है, पृ. सं. 74
5. वही, पृष्ठ संख्या 82
6. केदारनाथ अग्रवाल, जो शिलाएँ तोड़ते हैं, पृ. सं. 117
7. केदारनाथ अग्रवाल, कहे केदार खरी-खरी, पृ. सं. 45
8. केदारनाथ अग्रवाल, जो शिलाएँ तोड़ते हैं, पृ. सं. 107
9. केदारनाथ अग्रवाल, वसन्त में प्रसन्न हुई पृथ्वी, पृ. सं. 19
10. केदारनाथ अग्रवाल, जो शिलाएँ तोड़ते हैं, पृ. सं. 77
11. वही, पृ. सं. 91

****

सुशीला टाकभौरे के नाट्य साहित्य में सामाजिक सरोकार

पाटील नवनाथ सदाशिव *

प्रस्तावना – साहित्यिक विधाओं में 'नाटक' साहित्य की ऐसी विधा है जो भारतवर्ष के जनमानस को आज भी प्रभावित करती रही है। एक समय था जब नाट्य साहित्य उँचाई की बुलंदी को छू रहा था। साहित्य इतिहास में नाटक विधा का विकास भारततेन्दू युग, प्रसाद युग एवं प्रसादोत्तर युग में विकसित हुआ और हो रहा है।दृक- श्राव्य विधा के कारण बहुत अरसे से रंगभूमि पर नाटकों ने धूम मचाई है। भारतेन्दूयुग के रचनाकारों ने देशं के ऐतिहासिक गौरवशाली परंपरा को अभिव्यक्ति दी। स्वयं भारतेंदुजी ने कई ऐसे नाटक लिखे जो भारत के अतीत के गौरवशाली परंपरा के साथ-साथ अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारतीय लोगों के उकसाने का प्रयास किया। देश-प्रेम और आत्म सम्मान नाटकों में झलकने लगा। प्रसाद युगीन नाट्यसाहित्य देश के गौरवशाली अतीत को उजागर करता है। प्रसादोत्तर नाट्यसाहित्य अपने कथ्य, शिल्प एवं भाषाशैली के कारण नवीनता को प्रस्तुत करता है।

आजादी के बाद पूरे भारतवर्ष में एक नई उमंग, नई चेतना का विकास हुआ। जनमानस ने अनेक आशा – अपेक्षाएँ मन में रखी थी। स्वार्थी प्रवृत्ति, हीन राजनीति, नैतिक मूल्यहीनता, उच्चवर्गीय मानसिकता के चलते सामान्य जनता का मोहभंग हो गया। महानगरीय जीवन, बढता उपभोक्तावाद, औद्योगिककरण, बढते पूँजीवाद, बेरोजगारी, स्त्री – पुरूष भेद, गरीबी के कारण मानव जीवन यंत्रवत बन गया। जिससे जीवन और जगत में अनेकानेक समस्याओं का विकास हुआ। नए परिवेश , भावबोध एवं नवीन मान्यताओं ने नाट्यसाहित्य का विषय – वस्तु को ही बदल दिया। नाटकों की विषय – वस्तु का चयन इतिहास – पुराण से हटकर वर्तमान सामाजिक जीवन की यथार्थता से जुड गया। रंगमंचीयता एवं बदलते विषय वैविध्य के कारण आज भी नाटक विधा ने साहित्य में अपना अलग स्थान बनाया है। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध से साहित्यिक विधाओं में विभिन्न सामाजिक घटको को लेकर विचार विमर्श एवं लेखन हुआ। दलित विमर्श, नारी विमर्श जैसे विषयों को रचनाकारों ने प्रमुखता दी। सदियों से शोषित पीडित दलित पिछड़े जाति – जनजाति के लोगों की यथार्थ स्थिती को केंद्र बनाकर साहित्य में लेखन होने लगा। समाज का एक ऐसा वर्ग जो अशिक्षा अंध-विश्वास, रूढ़ि- परंपराओं में जकड़ा हुआ था। ऐसे वर्ग की यथास्थिति एवं उनमें आत्मविश्वास की लहर दौड़ाने का काम दलित एवं गैर दलित रचनाकार कर रहे हैं। विकास से कोसों दूर दलित एवं पिछडी जाति जनजातियों को विकास के प्रवाह में लाने का सफल प्रयास हो रहा है।

इक्कीसवीं सदी में भूमंडलीकरण के दौर में विभिन्न साहित्यिक विधाओं में सामाजिक, शैक्षणिक एवं अर्थिक अभाव से पीड़ित – शोषित दलित समाज शिक्षा के बल पर आगे बढ़ रहा है फिर भी उच्चवर्गीय मानसिकता फिर से कहीं न कहीं उदित होकर अन्याय – अत्याचार का रूप लेती है। हिन्दी साहित्य में दलित रचनाकारों में सुशीला टाकभौरे जी ने इसी उच्चवर्गीय मानसिकता का सत्य वह भी नंगा – सत्य अपने नाट्य साहित्य में समाज के सामने उजागर किया है।

मध्यप्रदेश, होशांगाबाद जिले के सिवनी तहसील, बानापुरा गाँव में सुशीला टाकभौरे जी का जन्म 04 मार्च 1954 ई. को हुआ। पारिवारिक अशिक्षा, आर्थिक अभावों के चलते वर्णव्यवस्था से उत्पन्न जातिवादी समाज व्यवस्था से संघर्ष करते हुए उनका व्यक्तित्व निखरा है। स्वअनुभूति को सुशीला जी ने अपने साहित्य में बिना लाग – लपेट के अभिव्यक्ति दी है। महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पेरियार रामस्वामी, शाहु महाराज के विचारों का प्रभाव उनके जीवन पर रहा है। आपके नाट्य साहित्य 'रंग और व्यंग्य' नंगा सत्य में वेदना, विद्रोह और नई परिपाठी को सामाजिक स्तर पर प्रस्तुत किया है।

सुशीला टाकभौरे जी का पहला नाटक संग्रह सन 2006 में 'रंग और व्यंग्य' नाम से प्रकाशित हुआ। जिसमें 'रंग और व्यंग्य' 'जीवन के रंग' 'चश्मा' व्हीलचेअर' 'समर्पित जीवन' आदि नाटक संग्रहित है। विभिन्न कथ्य एवं सामाजिक समस्याओं के माध्यम से नाटकों को समाज के साथ जोड़ने का सफल प्रयास सुशीला टाकभौरे जी ने किया है। प्रस्तुत सभी नाटक नाट्यविधा के विभिन्न तंत्र-मंत्र के अनुकूल, रंगमंचीयता की दृष्टि से अनुकलू रहें हैं।

'रंग और व्यंग्य' नाटक संग्रह परिवर्तनवादी है। सदियों से अज्ञान, अंधविश्वास,प्रथा,रूढ़ियों से ग्रस्त दलित समाज को दबाने का कार्य पटेल, पंडित सीताराम, रामशरण, रामस्नेही जैसे लोक करते है। छऊआ दलित स्त्री अपने जीवनकी जमा – पूँजी से श्रीकृष्ण का मंदिर बनाती है।मंदिर की पूजा – अर्चना में वह खर्चा करते -करते कंगाल हो जाती है। छऊआ की बेटी छब्बो परिवर्तनवादी है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों से प्रेरित है। वह कहती है 'मंदिर बनवाने का कोई लाभ नहीं है। इससे ज्यादा यह अच्छा होता .... इन्ही रूपयों से वह अपने जाति – समाज की भलाई करती। माँ-बाप की गरीबी के कारण, जो बच्चें नहीं पढ रहे हैं उनके पढने की व्यवस्था करती, बेरोजगारों के रोजगार के लिए कोई काम धंधा शुरू करवा देती, तो लोग उसका नाम लेते उसका एहसान मानते। 'स्पष्ट है कि धार्मिक प्रथा – परंपराओं के कारण समाज में दलितो की स्थिती दयनीय है। आज इस स्थिति में बदलाव आ रहा है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, इस विचार के अनुगामी दलित समाज मे परिवर्तन आ रहा है। नीडरता से छब्बो कहती है 'जब तक हमारे पास ताकत नहीं होगी, कोई हमें कुछ नही देगा।

* शिरगांव विद्यालय, शिरगांव तहसील - चिपळूण, जिला- रत्नागिरी (महाराष्ट्र) भारत

हमारी लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी, तभी समाज बदलेगा। 'स्पष्ट है कि जब दलित वर्ग के लोग निडर बनेंगे तभी सामाजिक विषमता नष्ट होगी।

'जीवन के रंग' नाटक जनसंख्या समस्या की भयावहता बताता है। परिवार बड़ा और पति शराबी ऐसी दुविधा में फंसी पत्नी गीता पतिपरायन स्त्री है। अर्थाभाव के कारण अपने बच्चे का लालन-पालन वह ठीक तरह से नहीं कर पाती। यहाँ तक कि परेशानी में वह अपने बच्चों को जहर देकर मारने का प्रयास करती है। सौभाग्य से बच्चे बच पाते है। शराबी पति के कारण वह तंग आ चुकी है। अपने परिवार को बचाने हेतु निडरता से गीता अपने शराबी पति को कारागृह में डलवा देती है। इसे वह गलत नहीं मानती है।

बेरोजगारी समस्या दिनों दिन बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या, रोजगार के कम अवसर, शासन की अनास्था के कारण शिक्षित युवावर्ग की दयनीय अवस्था और शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार का सफल अंकन 'समर्पित जीवन' इस नाटक में हुआ है। नौकरी की खोज में एक युवक बुजूर्ग शिक्षक के पास जाता है। बुजुर्ग शिक्षक अपने जीवन की दयनीय अवस्था से शिक्षित युवक को परिचित कराता है। शिक्षा व्यवस्था में फैली धांधली के कारण उसे बाजार का स्वरूप प्राप्त हुआ है। यहाँ गुणवत्त के स्थान पर पैसों को महत्व प्राप्त हुआ है। बुजुर्ग शिक्षक कर्मनिष्ठ आदर्शवादी प्रामाणिक है। वे प्रायवेट स्कूल की हालत बताते हुए कहते है, 'प्राइवेट स्कूल का हाल तो आप जानते ही है। जो भी होता है, सब ऊपरवालों की दया से होता है। ऊपरवाले याने ऊपरवाला भगवान नहीं। व्यवस्थापक और संचालक मंडल की स्कूल के शिक्षकों के भगवान होते है। कब तक इनकी दया रहेगी ? और कब वे शिक्षकों से नाराज हो जाएंगे इस विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता।' स्पष्ट है आज की शिक्षा-व्यवस्था धन कमाने का साधन बन गया है।

'व्हीलचेअर' नाटक में बेटा - बेटी भेद सामाजिक मानसिकता का बोध कराता है। इक्कीसवीं सदी में स्त्री - पुरूष समानता का नारा हम कितने ही जोर से लगाए परंतु सामाजिक मानसिकता नहीं बदल पाएगी। पुरूषप्रधान भारतीय संस्कृति में स्त्री को 'व्हीलचेअर' बना दिया है। 'व्हीलचेअर' नाटक की पात्र अपने पति को कहती है ' तुमने और तुम्हारी नीतियों ने मुझे पागल बना दिया था। धर्म, कर्म ओर मोक्ष की बातों ने मुझे अंधी, बहरी, गूंगी बना दिया था। लूली, लंगडी अपाहिज बना दिया था। लेकिन अब मैं जागृत हूँ। 'स्पष्ट है कि आज की नारी शिक्षा के कारण अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गई है। 'चश्मा' यह नाटक स्त्री - पुरूष समानता तथा भारतीय संस्कृति की व्यंग्यात्मकता व्यक्त करता है। सिर्फ चश्मा बदलने से नारियों की समस्या खत्म नहीं होगी बल्कि हमारा नजरीया, दृष्टि हमें बदलनी होगी। 'चश्मा' नाटक की पात्र राधा अपने पति गोपाल को कहती है य' गया वह जमाना, जब पत्नी पति के इशारों पर नाचती थी। पति की मर्जी से जीती थी और पति की मर्जी से मरती थी। आज जमाना बदल गया है। मैं आधुनिक युग की पढी-लिखी समर्थ नारी हूँ। तुम्हारे समान नौकरी करती हूँ, तुम्हारे बराबर तनखाह पाती हूँ। ' राधा स्त्री-स्वतंत्रता की पक्षधर है। जबतक हम रूढ़िवादी, परंपरावादी विषमतावादी पुराने चश्मे उतारकर नहीं फेंकते तब तक स्त्री-पुरूष समानता समाज में स्थापित नहीं होगी।

'रंग और व्यंग्य' नाटक संग्रह इक्कीसवीं सदी के सामाजिक संदर्भो को जोड़ने का प्रयास करता हैं। सुशीला टाकभौरे जी ने अपने नाटकों में सामाजिक प्रश्नों को सहजता के साथ व्यक्त करते हुए प्रसंगानुकूल पात्रों की रचना की है। संवाद अत्यंत छोटे - छोटे और स्पष्ट है। सामाजिक समस्याओं को केंद्र बनाकर लिखे जाने के कारण प्रस्तुत नाटक संग्रह आम आदमी से जुड़ गया है।

'नंगा - सत्य' यह सुशीला टाकभौरे जी का दूसरा नाटक सन 2007ई. में प्रकाशित हुआ। जो एक क्रांतिकारी एवं युग परिवर्तनवादी माना जाता है। इस नाटक का उद्देश्य समाज में समता, सन्मान और भाईचारा स्थापन करना है। शिक्षा संघर्ष एवं संगठन की मजबूत नींव इसमें सहायक होगी इसमें कोई दोराय नहीं है। प्रस्तुत नाटक में सुशीलाजी ने समाज में व्याप्त 'सत्य' हमारे सामने 'नंगा - सत्य' के रूप में खडा किया है। हम केवल ऊपरी सत्य को ही स्वीकार करते है। जो भी इसके तह तक जाने की कोशिश करता है उसके हाथ केवल ' नंगा - सत्य' ही लगता है।

प्रस्तुत नाटक में सदियों से अन्याय-अत्याचार की चक्की में पीस रहें पिछड़े वर्ग, दलित समाज तथा नारी की सामाजिक स्थिति का लेखा - जोखा सामने रखता है। नाटक के संदर्भ में सुशीला टाकभौरे जी कहती है, 'मेरा उद्देश्य नाटक लिखना नहीं था। मैं लिखना चाहती थी दलित, शोषित जीवन की व्यथा कथा। न जाने नाटक के प्रसंग चले आए। एक के बाद एक सिलसिला जुड़ता गया और आ गया आप सबके सामने 'नंगा - सत्य'।' 'नंगा - सत्य' नाटक के प्रथम अंक में कृपाशंकर और कमल यह पात्र सूत्रधार के रूप में आते है। कृपाशंकर एक सामाजिक नाटक की प्रस्तुती करना चाहते है। नाटक के पात्र बुद्धिराम, सुखराम, सुनीत जाटव, शेखर चौहान, नीलिमा मेश्राम आदि पिछड़ी-दलित जाति के पात्र तथा ठाकुर धनसिंह, सत्यजीत सिंह, भक्तिन, पंडितजी उच्चवर्ग का प्रतिनिधित्व करते है। अन्य पात्र प्रसंगानुकूल आते है। कृपाशंकर स्वयं भंगी जाति का है। कमल अपने जाति का परिचय देते हुए कहता है, 'जाति के नाम पर मोची कहलाता हूँ। सदियों से मेरे पूर्वज मरे ढोर का चमड़ा निकालते रहे, चप्पल जूते बनाते रहें और कृपाशंकर के पूर्वज, सिर पर मैला ढोते रहे जन्म से जाति, जाति से कर्म, कर्म से धर्म यही है, हमारे सामाजिक जीवन का मर्म।' स्पष्ट है आज भी भारतीय समाज में वर्ण अधारित जाति व्यवस्था का गुलाम है।

प्रस्तुत नाटक के पात्र धनसिंह जाति के ठाकुर है वे अपनी जिम्मेदारी अपने बेटे सत्यजीत पर सौंपना चाहते है। सत्यजीत उच्चवर्गीय मानसिकता के पक्षधर है। मंच पर उपस्थित बुद्धिराम, शेखर, सुनीत को देखकर सत्यजीत क्रोध से कहता है,' भंगी चमारो, तुमने मंच पर आने की हिम्मत कैसे की ? जाओ, गाँव के बाहर रहो.... हिंदू महाजनों से दूर, अपनी गंदी बस्तियों में रहो.... सवर्णो की सेवा करो ..... उनकी जूठन पर अपना निर्वाह करते रहो।' आज भी कई गाँव ऐसे हैं, जहाँ यह दलित पिछडी जाति के लोग गाँव के बाहर रहने के लिए मजबूर है।

नाटक के दुसरे अंक की शुरूआत दलित पढ़ी-लिखी युवती निलीमा के अत्याचार से होती है। ठाकुर धनसिंह का बेटा सत्यजीत उस पर बलात्कार करता है। समाज के लोग केवल कुछ समय के लिए दु:ख जताते है और उस घटना को भूल जाते है। नारियों पर हो रहे अत्याचार कम नहीं हुए है। आज भी 'निर्भया' जैसे काण्ड हर रोज हो रहे है, जिससे पुरूष प्रधान संस्कृति में नारी का स्थान समझ में आता है। सुखराम पढ़ा लिखा होने के बावजूद अंगुठा लेकर ठाकूर धनसिंह उसका घर, खेती हड़प लेता है। सुनीत पढ़ा - लिखा चार्टर्ड एकाउंटेट है पर उसकी ठाकुर के सामने डराकर बोलती बंद कर दी जाती है। शेखर जाति से भंगी है उसने बी.ए. तक पढाई की है पर वह केवल झाडू लगाने का ही काम करता है। यह देखकर ठाकुर धनसिंह कहता है, 'बड़ा बुरा समय आ गया है। क्या-क्या सुनना पडता है ?क्या-क्या देखना पडता है ? दिन पर दिन समय बदलता जा रहा है। भंगी के बच्चे बी.ए.,एम.ए. हो रहे है, जाटव चमारों के बच्चे बड़े अधिकारी बन रहे हैं।' शिक्षा

के द्धार सभी के लिए खुले होने के कारण सदियों से शिक्षा से वंचित समाज शिक्षा ग्रहण कर सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी उन्हें जाति के नाम पर हर पल अपमानित और प्रताड़ित किया जाता है।

अंधविश्वास, छुआ–छूत प्रथा से दलित समाज की दुर्गति हुई है। बीमार को अघोरी बाबा जैसे लोग ही ठीक कर सकते है यह लोगों में अंधविश्वास बन गया है। जिसके कारण मरीज डॉक्टर के पास न जाने से उसकी मृत्यु तक हो जाती है। यह सब उपर वाले का किया धरा है ऐसा सोचकर सब चुप हो जाते है। बुद्धिराम आदिवासी युवक है जो गुलामों जैसा जीवन जीने पर मजबूर है। किसानों की अवस्था तो अत्यंत दयनीय रही है। सुखराम एक किसान है। औद्योगिकीकरण, विकास के नाम पर कम दामों में जमीन लेकर किसानों को बेदखल किया जा रहा है। सुखराम कहता है, ' मैं किसान हूँ, मगर मेरे खेत गिरवी होकर हाथ से चले गए। मकान भी गिरवी होकर हाथ से चला गया, फिर भी मेरे ऊपर हजारों रूपयों का कर्ज है। मैं किसान से मजदूर बन गया हूँ।' स्पष्ट है कि आज किसानों की दुर्गति हो रही है। आए दिन निराशा से ग्रस्त किसान आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे है। विश्व का पालक आज स्वयं दीन – हीन भूखा रहा है।

निलीमा अपने ऊपर हुए अत्याचार को भूली नहीं है। अब वह स्त्री – आंदोलन से जुडी है। वह पूछती है, 'हमारे साथ यह अन्याय क्यों ? क्या इसलिए की नारी कमजोर है, अबला है ! हमें कमजोर अबला किसने बनाया है ? क्यों बनाया है ? हमारे साथ अन्याय, अत्याचार, बलात्कार कब तक होता रहेगा ?' नारी शोषण की समस्या बढ़ रहीं है। विधवा भक्तिन की असहायता का लाभ उठाकर पंडितजी ने उसके साथ अनैतिक संबंध बनाए है। भक्तिन की अवैध संतान के बारे में कृपाशंकर कहता है, 'ऐसा अवैध बच्चा कचरे में फेंक दिया जाएगा, या फिर अनाथाश्रम में चुपके से छोड़ दिया जाएगा।' स्पष्ट है कि अवैध संतान हो या फिर बेटी पैदा हुई तो भी उसे कचरे में फेंकने में लोगों को काई रंज नहीं है। यही आज का नंगा – सत्य है। ऐसे में निलीमा अविवाहित होकर भी अनाथाश्रम से एक लडकी को गोद लेकर समाज के सामने एक नई मिसाल स्थापित करती है।

सुशीला टाकभौरे जी ने अपने नाट्यसाहित्य में केवल अन्याय – अत्याचार शोषण, पीड़ा का वर्णन नहीं किया बल्कि उससे हटकर विरोध करने के लिए भी प्रेरित किया है। पढे लिखे दलित लोग अपनी लेखनी से, मीटिंग, धरना, हडताल से न्याय की माँग कर रहे हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले, पेरियार रामस्वामी, डॉ. बाबासाहब आंबेडकर के विचारों को आगे बढाने के लिए कार्यरत है। शिक्षा तथा नौकरियों में दिए गए आरक्षण सुविधा से दलित तथा पिछडी जाति– जनजाति के लोग विकास की धारा में आ रहे है। परंतु आज भी उच्चवर्गीय मानसिकता समाज में जीवित है, जो यह सह नहीं पाती है। सुनीत कहता है,' इक्कीसवीं शताब्दी आ गई है, अभी भी हमारे घर जलायें जा रहें हैं ... हमारे लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। हम पर अत्याचार .... अन्याय किए जा रहे है। हमारी बहु–बेटियों को सताया जा रहा है ... यह कैसा अन्याय है ? आज भी खैरलांजी, गोहाना जैसे काण्ड हो रहे है। दलितों की बस्तियों को आग लगाई जा रही है। ऐसी घटनाएँ पैसों एवं सत्ता के बल पर दबा दिए जाती है।

प्रस्तुत नाटक के अंत में सुशीला टाकभौरे जी शिक्षा संघर्ष और संगठन को मूर्त रूप देती है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों को आगे बढाने का संकल्प नाटक के पात्रों द्धारा किया है।ठाकुर धनसिंह दलित आंदोलन की ताकत को देखकर अपनी उच्चवर्गीय मानसिकता को भूल जाता है। पछतावा व्यक्त करते हुए दलित आंदोलन से जुड जाता है। यहीं नाटक की विषेशता रहीं हैं। केवल जाति को महत्त्व न देकर मानवता धर्म का पालन करते हुए समाज में समता, भाईचारा स्थापित करना आज की आवश्यकता है।

संक्षेप में सुशीला टाकभौरे जी ने अपने नाट्यसाहित्य में इक्कीसवीं सदी के भारतीय समाज का यथार्थ अंकन किया है। पुरानी विचारधारा को छोड़कर नई परिपाठी को अपनाकर सबका साथ सब का विकास करना ही मूल तत्व है। समाज के सभी वर्गो को अधिकार दिलाना, सामाजिक असमानता को दूर करके, समता, सम्मान एवं भाईचारा स्थापित करना ही प्रस्तुत नाटकों का मूल स्वर रहा है।इसमें सुशीला टाकभौरे जी को सफलता हासिल हुई है। उनका नाट्य साहित्य पूर्ण रूप से समाज के साथ एकरूप हो गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. 'रंग और व्यंग्य' (नाटक संग्रह)सुशीला टाकभौरे2006स्वराज प्रकाशन नई दिल्ली–1100022
2. 'नंगा – सत्य' (नाटक)सुशीला टाकभौरे 2015शिल्पायन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स नई दिल्ली–110032

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) October to December 2019, Vol. I

कथाकार अमृतराय का जीवन दर्शन

डॉ. विनय कुमार सोनवानी *

प्रस्तावना – बालक जिस परिवार में जन्म लेता है, वहीं वह शैशव और बाल्यकाल व्यतीत करता है, उसका प्रभाव उसके कोमल मन पर पड़ना अवश्यम्भावी है। बाल्यावस्था में अपने परिवार में वह जो कुछ देखता है उसकी प्रतिच्छवि अवचेतन में अंकित हो जाती है। बड़े होने पर वही उसके चरित्र निर्माण की पूँजी बनती है।

अमृतराय ने एक शिक्षित एवं साहित्यिक परिवार में जन्म लिया। साहित्यिक परिवेश में ही बचपन और किशोरावस्था के अमूल्य वर्ष बिताए। स्वभावत: इनका उनके लेखकीय स्वरूप के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वस्तुत: प्रारम्भ से घर में माता-पिता को पढ़ते-लिखते पाया, साहित्यिक गोष्ठियाँ देखी। इन सबने सम्मिलित रूप से उनमें साहित्य प्रेम जागृत किया, साहित्य के अध्ययन की रुचि उत्पन्न की और आगे चलकर लिखने की प्रेरणा दी। प्रेमचंद को सादगी अत्यधिक पसन्द थी। जहाँ तक सम्भव हो अपना कार्य स्वयं करते थे। उनके साहित्य में भी उनकी इस सादगी की स्पष्ट झलक है। साधारण जीवन और उच्च विचारों वाले पिता के सिद्धान्त को अमृतराय ने अपने जीवन में पूर्णतया अपना लिया था।

जीवन की इस गांधीवादी सरलता, सादगी एवं उदारता की छाप अमृतराय के साहित्य के मूल में सर्वत्र ही मिलती है। प्रेमचंद सदैव ही जनता का हित चाहते थे। उनका दु:ख दारिद्रय दूर हो, वे सुशिक्षित हो, खुश रहें, यही उनकी हार्दिक कामना थी। वे ये मानते थे कि साहित्य को उसका अस्त्र बनना चाहिए। दूसरे शब्दों में वे साहित्य को सोद्देश्य मानते थे। उनकी इस भावना ने अमृतराय को भी सोद्देश्य साहित्य रचना की प्रेरणा दी। इस सन्दर्भ में अमृतराय का कथन है कि, 'उनका साहित्य भी सोद्देश्य है और मैं अपने साहित्य को सोद्देश्य मानता हूँ।'

अमृतराय के सम्पूर्ण साहित्य पर दृष्टि डालें तो सोद्देश्यता की कसौटी पर वह पूर्णत: खरा उतरेगा। समाज की कुरीतियों को देखकर उनके मन में उसे दूर करने की चेतना जागृत होती है। फिर वे कहीं सीधे-सीधे जैसे 'बीज' में और कहीं व्यंग्य से जैसे 'जंगल' और 'हाथी के दाँत' में इस उद्देश्य की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। प्रेमचंद के समान अमृतराय भी कला के सिद्धान्त में विश्वास नहीं करते। जहाँ तक विचारधारा का प्रश्न है प्रेमचंद गांधीवाद के रास्ते समाजवादी चेतना तक पहुँचे थे, क्योंकि लोक-मंगल की कसौटी पर वे हर चीज को परखते थे। वे एक समाजवादी लेखक थे। उनका साहित्य मानवतावादी साहित्य है। अमृतराय के मानवतावादी साहित्य के सृजन की प्रेरणा के मूल में प्रेमचंद का यह दर्शन प्रमुख भूमिका निभाता है। यद्यपि साहित्यिक क्षेत्र में अधिक प्रभाव ले सकने की आयु के पूर्व ही उनका देहान्त हो गया था, फिर भी 15-16 वर्ष के किशोर मन पर साहित्यिक पिता की पर्याप्त छाप पड़ चुकी थी। पिता के साथ अमृतराय की माता भी साहित्य सेविका थी। वे सदैव ही कुछ पढ़ती रहती थी। उन्होंने कुछ कहानियाँ तथा प्रेमचंद के जीवन पर एक पुस्तक भी लिखी है। अमृतराय के रचनाकार मानस के निर्माण में उनकी माता का भी पर्याप्त हाथ रहा। माता शिवरानी देवी एवं पिता प्रेमचंद दोनों ही स्वाधीनता आन्दोलन के सक्रिय कार्यकर्त्ता थे। लेख, कथा, उपन्यास, नाटक आदि लिखकर हर सम्भव उपाय द्वारा प्रेमचंद ने घर-घर में स्वाधीनता की लहर फैलाई। माता शिवरानी देवी तो कपड़े की दुकान पर धरना देती हुई पकड़ी भी गई थी तथा कुछ महीने कारावास रह कर आईं थी। इस प्रकार अमृतराय को प्रारम्भ से घर में स्वाधीनता आन्दोलन का एक परिवेश मिला। पिता की मित्र मंडली में भी नित्य वही चर्चाएँ सुनने को मिलती रही। इन सबका भरपूर प्रभाव हम 'बीज' उपन्यास में देखते हैं। उनके स्वयं के अनुसार स्वाधीनता आन्दोलन के व्यापक परिवेश का उन पर भी अन्य पढ़े लिखे समझदार लोगों के समान ही प्रभाव पड़ा।

नैतिक मूल्यों की स्थापना में भी अमृतराय ने प्रेमचंद के आदर्शो से प्रभाव ग्रहण किया था। यद्यपि अमृतराय फ्रायड से भी प्रभावित थे जिसने यौन नैतिकता को अपेक्षाकृत अधिक खुला एवं स्वाभाविक रूप दिया है यद्यपि उच्छृंखलता को न प्रेमचंद उचित मानते थे न अमृतराय। इसी कारण प्रेमचंद के समान अमृतराय ने प्रेम के आत्मिक पक्ष की उसके मांसल पक्ष से अधिक चर्चा की है। उनके समग्र साहित्य का अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि अमृतराय ने न केवल प्रेमचंद के चारित्रिक गुणों एवं उच्चादर्शो से अपितु उनकी रचनाओं से भी भरपूर प्रेरणा प्राप्त की है।'

पूँजीपति तथा जमींदार अधिकाधिक सम्पन्न होते जा रहे हैं। इसके ठीक विपरीत दूसरी ओर उनके सताए गए कृषक एवं श्रमिक हैं, जिन्हें दो समय की रोटी भी कठिनाई से प्राप्त होती है। इन्हीं का रक्त चूसकर पूँजीपतियों तथा जमींदारों ने अपना काला धन एकत्र किया है। इन सब अत्याचारों से दग्ध होकर अमृतराय ने अपनी रचनाओं में उनकी दुर्दशा का वर्णन किया एवं उसे दूर करने के उपाय बताने का भी प्रयत्न किया है। वे यह चाहते हैं कि उनके साहित्य से समाज की आँखें खुल सकें, उन्हें यह विदित हो जाए कि जनता पर किस सीमा तक अत्याचार हो रहे हैं। अमृतराय के लगभग पूरे साहित्य को हम शोषण पर आधारित साहित्य कह सकते हैं।

अमृतराय की साहित्यिक प्रेरणा में नारी की दयनीय स्थिति का भी विशेष स्थान है। वे यह मानते हैं कि वर्तमान काल में नारी पूज्य कम भोग्या अधिक समझी जाती हैं। वह पुरुषों के हाथ की कठपुतली मात्र हैं। शरीर से अधिक शक्तिशाली तथा जीविका कमाने वाली होने के कारण उसने स्त्री को सदैव दासी समझा। पुरुष की शारीरिक एवं मानसिक सन्तुष्टि के लिए उसे श्रृंगार एवं सेवा से विभूषित रहना आवश्यक बताया गया। उसकी सन्तान की जन्मदात्री होकर भी वह वास्तविक अर्थों में उसकी सहधर्मिणी न बनकर

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) भारत

केवल अंकशायिनी ही बनी रही। नारी जागरण और नारी शिक्षा तथा अनेक आन्दोलनों द्वारा सुधारवादियों ने उसकी दशा सुधारने के प्रयत्न किए किन्तु अपवाद स्वरूप ही आदर्श स्थिति के दर्शन होते हैं। अन्यथा अधिकांश शिक्षित एवं व्यवसायी महिलाओं की स्थिति भी शोचनीय है। अनमेल विवाह, अशिक्षा, दहेज एवं पर्दा प्रथा, विधवाओं की उपेक्षित स्थिति, वेश्या प्रथा आदि कुरीतियों ने अमृतराय से धुआँ, बीज, हाथी के दाँत, जंगल, नागफनी का देश, एक साँवली लड़की आदि की रचना करवाई। अछूतोंद्धार, पिछड़े वर्ग के प्रति सहानुभूति, अस्पृश्यता उन्मूलन आन्दोलनों से अमृतराय के साहित्यकार को उनके हितार्थ लिखने के लिए असीम प्रेरणा मिली। 'बीज' उपन्यास में उषा हरिजनों की बस्ती में जाकर रात्रि पाठशाला चलाती है। उनकी हड़ताल में सक्रिय भाग लेकर नेता बन सबसे आगे जा घायल तक हो जाती है। 'चमार की औलाद', जाँगर चोर' आदि कहानियाँ भी इसी भावना पर आधारित हैं।'

मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद ने भी अमृतराय को अनेक कथा वस्तुएँ प्रदान की। साम्यवादी आन्दोलनों, रूस की प्रदर्शनी, फिल्में आदि से 'बीज' उपन्यास भरा हुआ है। सत्य, उषा, वीरेन्द्र, प्रफुल्ल बाबू आदि ने तत्कालीन परिस्थितियों में मार्क्सवादी चिन्तन के अनुसार सक्रिय भाग लिया। उसके लिए वे जेल गए। उन्होंने सर्वहारा के दु:खों को दूर करने के लिए भी यथाशक्ति प्रयत्न किए। उनकी अन्य रचनाओं में भी इसकी पर्याप्त छाप मिलती है। अमृतराय के रचनाकाल तक फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धान्त स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों को स्वस्थ दृष्टिकोण दे चुका था। और क्षुधा के समान ही काम को नैसर्गिक आवश्यकता मान चुका था। अमृतराय फ्रायड को एक मनीषी मानते हैं। उसने संसार के सामने पूरी एक नयी दुनिया ही खोल कर रख दी। अत: अब उन सम्बन्धों के बारे में बात करने में संकोच का अनुभव नहीं किया जाता है। अपने साहित्य में आई यौन नैतिकता के खुलेपन का श्रेय वे युग को ही देते हैं।

अमृतराय के कथा साहित्य में राजनीतिक परिवेश का भरपूर प्रभाव हमें दृष्टिगत होता है, 'बीज' उपन्यास में तत्कालीन राजनीतिक परिवेश का विस्तृत निरूपण हुआ है। इसी समय विदेशी वस्तुओं का बायकाट हुआ। दुकानों पर धरना दिया गया, जिसके कारण नित्य प्रति धर पकड़ होती थी। इसका वर्णन अमृतराय की 'तिरंगे कफन' कहानी में है। इसी प्रकार सन् 1943 के बंगाल के अकाल के भीषण परिणामों का भी इन्होंने अपने साहित्य में पर्याप्त चित्रण किया है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। देश किस प्रकार इस स्वतन्त्रता का हर्षोल्लास से स्वागत करने में मग्न था, जनता के मन में क्या-क्या आशाएँ थी इन सब का चित्रण भी हम उनके 'बीज' उपन्यास एवं कुछ कहानियों में पाते हैं। इस स्वतंत्रता के साथ ही साथ देश का विभाजन हुआ। इसने शरणार्थी समस्या को जन्म दिया, दोनों देशों की स्त्रियों पर अनेक पाशविक अत्याचार किए गए। देश साम्प्रदायिकता की ज्वाला में जल उठा। इन सब का चित्रण 'बीज', 'धुआँ', 'व्यथा का सरगम' आदि में किया गया है।

इसी प्रकार कांग्रेस शासन की-अनीति, दुर्व्यवहार, नेताओं का अनावश्यक शोषक रूप, अवसरवाद, घूसखोरी, इन सब ने मिलकर अमृतराय को भी समस्त बुद्धिजीवियों के समान यह सोचने पर विवश किया कि, 'कहीं कुछ नहीं हुआ नहीं तो आजादी की शक्ल ऐसी नहीं होती।' इन सब परिस्थितियों का अमृतराय पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। उनके मार्क्सवादी चिन्तन के अनुसार जब तक आर्थिक शोषण से मुक्ति नहीं मिलती जनता की स्थिति में सुधार सम्भव नहीं क्योंकि अर्थ ही सबके मूल में विद्यमान हैं उनके प्रथम उपन्यास 'बीज' की पृष्ठभूमि यहाँ की आर्थिक समस्या है। 'नागफनी का देश' उपन्यास में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद की खोखली आर्थिक स्थिति का मार्मिक वर्णन है। 'हाथी के दाँत' में पूँजीवादियों का चित्रण किया गया है। अमृतराय के नवीनतम उपन्यास 'धुआँ' में स्वतंत्रता के पश्चात् की गरीबी का वर्णन है। इसी प्रकार उनकी अनेक कहानियों पर भी उस समय की आर्थिक स्थिति का प्रभाव परिलक्षित होता है।

समाजवादी धारा के अनुसार, अमृतराय अपने साहित्य द्वारा प्रगतिवादी शक्तियों को प्रतिक्रियावादी शक्तियों पर विजयी दिखलाकर समाजवादी जीवन की स्थापना करते हैं। प्रगतिवादी आन्दोलन से प्रेरित होकर अमृतराय ने अपने साहित्य में शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई है। इनका साहित्य समाज एवं साहित्य को एक दूसरे का पूरक मानकर लिखा गया है। अत: कोरी कलावादिता के विरुद्ध है। मार्क्सवादी प्रभाव के कारण शोषण के हर रूप का उसमें चित्रण किया गया है। उसे दूर करने के लिए ठोस उपाय भी सुझाए गए हैं। इनके साहित्य में समष्टि हित समर्थन की भावना निहित है, साम्प्रदायिक वर्ग भेद को मिटाने के लिए वे प्रयत्नशील हैं। अपने सिद्धान्तों के समर्थन में अपने रूप बन्ध में अमृतराय ने परिवर्तन एवं प्रयोग किए हैं। इस प्रकार अमृतराय का साहित्य प्रगतिवाद की प्रेरणा से उसी की पुष्टि के निमित्त हुआ है।

अमृतराय ने साहित्यकारों के संसर्ग में अपने जीवन के प्रारम्भिक दिन व्यतीत किए हैं, उन अनुभवों की गहरी छाप उनके साहित्य में है। पिता प्रेमचंद से उन्हें मानवतावादी रचना की प्रेरणा मिली। शिक्षा समाप्त होने पर अपनी माता की इच्छा के विरुद्ध अमृतराय ने अन्तर्जातीय विवाह किया। इस विवाह ने उनकी माता को बहुत अधिक रुष्ट किया। अमृतराय माता-पिता की कनिष्ठ सन्तान होने के कारण घर में सबको विशेष प्रिय थे। किन्तु विवाहोपरान्त जब उन्हें अपने और पत्नी के प्रति माता की रोज-रोज नाराजगी और क्षोभ का सामना करना पड़ा तो वे क्षुब्ध हो उठे। उनकी कहानी 'आह्वान' तथा उपन्यास 'बीज' में इसी टीस की झलक दिखायी पड़ती है। मार्क्सवाद से भी वे बहुत अधिक प्रभावित थे, उनका साहित्य इसकी प्रतिध्वनि है।

इसी प्रकार जीवन की एक दुर्घटना ने उन्हें बुरी तरह प्रभावित किया था। वह है- 18 वर्ष की अल्पायु में उनके छोटे बेटे की रक्त कैंसर से होने वाली अकाल मृत्यु। 'सुख-दुख' उपन्यास इसी दु:ख से अभिभूत होकर लिखी गई करुण गाथा है। 'चित्रा फलक' भी पुत्र वियोग की कहानी है। इन दोनों में किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन न होकर, पुत्र शोक के सद्योपरान्त लिखे होने के कारण दु:ख से तप्त हृदय की व्यक्तिगत गाथा है।

अमृतराय ने अपने कथात्मक अनुभवों के आधार पर लिखा है कि - 'उम्र पकने के साथ जीवन के अनुभवों का कोष जो समृद्धतर होता चलता है, उससे जरूर समझ में गहराई आती होगी, संवेदना भी कदाचित् कुछ अधिक परिष्कृत होती होगी, जो सब अपने रहस्यमय ढंग से कहानी के अन्दर उतर आता होगा।'

अमृतराय प्रारम्भ से ही अध्ययनशील एवं मननशील रहे थे। उनकी दिनचर्या में स्वाध्याय के लिए समय निश्चित था। उसमें न केवल वे विविध साहित्यकारों के कथा साहित्य का अपितु दर्शन साहित्य का भी गम्भीर अध्ययन करते थे। उनका अध्ययन बहुत ही विस्तृत था। किस कहानीकार का उन पर विशेष प्रभाव है, इसके विषय में वे कहते थे- 'जहाँ यह बताना बड़ा दुश्वार है कि देश या विदेश के किस कहानीकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा है, वहीं सहज ही यह कहा जा सकता है कि ऐसे कितने

ही कहानीकार, उपन्यासकार, दार्शनिक, विचारक, कवि होंगे जिनका मैंने प्रभाव ग्रहण किया है और उन्होंने मेरे रचनाकार मानस को बनाया है।'

भारतीय साहित्यकारों में रवीन्द्रनाथ, शरत और प्रेमचंद से बड़ा वे किसी को नहीं मानते। उनके अनुसार प्रेमचंद छोटी कहानी का मास्टर हैं, शरत् उपन्यास का मास्टर हैं और रवीन्द्रनाथ सम्पूर्ण सृजनात्मकता के अद्‌भुत प्रतीक हैं। शरत् और रवीन्द्र का मूल रूप से अध्ययन करने के लिए उन्होंने बंगला को अच्छी तरह पढ़ा है।

पिता के रूप से नहीं, अमृतराय ने प्रेमचंद के साहित्यिक रूप से भी अधिक प्रभाव ग्रहण किया है। प्रेमचन्द ने दर्जनों उपन्यास और सैकड़ों कहानियाँ लिखी हैं। मध्य और निम्न वर्ग का, उनकी दीन-हीन दशा तथा कुरीतियों का उन्होंने मार्मिक चित्रण किया है। उनके कथा साहित्य में कृषकों एवं श्रमिकों के परवश जीवन, उनके कष्टों एवं संघर्षों तथा जमींदार, पटवारी, पुलिस, राज-कर्मचारियों, मिल-मालिकों के क्रूर अत्याचारों का विशद रूप दर्शाया गया है। अमृतराय के कथा साहित्य में भी इन सबका वर्णन किया गया है। प्रेमचंद के अनुसार धनवान धन के बल पर सब कुछ सम्भव कर लेते हैं, उनके पाप भी इससे ढँक जाते हैं। इसी प्रकार की भावना 'हाथी के दाँत' में अमृतराय ने व्यक्त की है। वस्तुतः प्रेमचंद के सम्पूर्ण कथा साहित्य में, 'मानव की महानता में विश्वास, पतन के गर्त में पड़े हुए व्यक्तियों के कल्याण की दृढ़ भावना, गरीबों से प्यार, श्रमिकों के उद्धार की भावना आदि पूर्णतः विद्यमान थी।'

अमृतराय ने शरत् के साहित्य का विशद् अध्ययन ही नहीं किया अपितु उससे भरपूर प्रेरणा भी ली है। शरत् की तरह वे भी दीन-दुःखियों का चित्रण करते हैं, रूढ़ियों से लड़ते हैं, जैसे- 'हाथी के दाँत', 'धुआँ' एवं 'बीज' में। अमृतराय भी क्रांति से आनन्द की सृष्टि कर सौन्दर्य चेतना का प्रसारण करना चाहते थे। अमृतराय ने भी सत्य, उषा, शिशिर, डॉ. निरंजन के रूप में ऐसे ही पात्रों की सृष्टि की है। विदेशी साहित्यकारों के अपने अध्ययन एवं प्रभाव के सम्बन्ध में वे कहते हैं - 'उपन्यासकारों एवं कहानीकारों में जिनका सर्वाधिक रसास्वादन मैंने किया है वे हैं- टॉल्सटॉय, दोस्तोवेस्की, चेखव, तुर्गनेव, मोपांसा, गोर्की, रोमे रोलाँ, चार्ल्स डिकेन्स, मार्क्सवादी अध्ययन का प्रभाव।'

निम्न मध्य वर्गीय ओछेपन, कमीनेपन, फूहड़पन की कीचड़ में लिपटी हुई आदमी की जिन्दगी की उदास और शर्मनाक तस्वीर जितनी निर्मम सच्चाई के साथ 'चेखव' ने खींची है, दूसरा कोई नहीं खींच सका। अमृतराय 'चेखव' से अत्यधिक प्रभावित थे। वर्गभेद, शोषण एवं सर्वहारा के चित्रण तथा देश प्रेम एवं स्वातंत्र्य भावना, इन सभी की पृष्ठभूमि उन्होंने 'चेखव' के अध्ययन से तैयार की है। 'चेखव' की मानवतावादी भावना का पुष्टीकरण ही अमृतराय का साहित्य है। यद्यपि कृषकों के विषय में अमृतराय ने कम लिखा है तथापि सर्वहारा की दयनीय स्थिति एवं बुर्जुआ समाज के अत्याचारों के वर्णन से तो उनका साहित्य भरा हुआ है।

अमृतराय का सम्पूर्ण साहित्य मार्क्सवाद के द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन पर आधारित है। नयी समीक्षा, सहचिन्तन, आधुनिक भावबोध की संज्ञा- ये मार्क्सवादी साहित्यालोचना की ही पुस्तकें हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमृतराय की रचना-प्रेरणा के निर्धारण में उपर्युक्त सभी तत्व लगभग समान रूप से भाग लेते हैं। स्वयं उनके अनुसार - 'मैं अपनी कहानियाँ जिन्दगी से उठाता हूँ- यानी कि उनका कथा-बीज फिर लिखते-लिखते उस बीज में से कौन-सा पेड़ या पौधा निकल आएगा मैं खुद पहले से नहीं जानता-मुझे अपनी असल प्रेरणा, प्रोत्साहन शक्ति जो भी कहिए अपने इन्हीं साधारण पाठकों से मिलती है।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सरगम, पृष्ठ 158, अमृतराय।
2. अमृतराय का कथा-साहित्य, पृष्ठ 18, डॉ. कृष्णा माहेश्वरी।
3. माया-सितम्बर 1976, पृष्ठ 91
4. साहित्य दर्शन, पृष्ठ 103, शचीरानी गुर्टू।

****

प्रेमचन्द के कथा साहित्य में दलित जीवन

सुमन सिसोदिया * डॉ. गुलाब सिंह डावर **

प्रस्तावना – मुंशी प्रेमचन्द (1880-1936) हिन्दी कथा साहित्य के ऐसे प्रतिष्ठित कथाकार हैं, जिनकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, उनके कथा साहित्य का कैनवास अत्यन्त विस्तृत है, जो दलित विमर्श से भी संबंध रखता है। प्रेमचन्द की तकरीबन दर्जन भर कहानियाँ दलित जीवन से संबंधित है। ठाकुर का कुआँ, कफन, मंदिर, सद्गति, मत्र, दुध का दाम, घासवाली, विध्वंस, लांछन, शुद्रा, गुल्ली डंडा, मुक्ति मार्ग, सौभाग्य के कीड़े, इत्यादि। प्रेमचन्द की दलित जीवन से संबंधित ऐसी बेमिसाल कहानियाँ हैं। जिसमें दलित की स्थिति, दलितों के प्रति व्यवहार, दलितों का उत्पीड़न-शोषण, दलितों में निहित मनुष्यता प्रेमचन्द का दलित चिन्तन और दलितों के प्रति संदेश पूरी तरह साकार हुआ है। प्रेमचन्द ऐसे प्रथम साहित्यकार हुए हैं, जो असवर्णों और सवर्णों के बीच रोटी-बेटी का संबंध अपनी रचनाओं में स्थापित करते हैं। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, कायाकल्प आदि इनके उपन्यासों के पात्रों के माध्यम से पाठक के सामने रूबरू होते हैं तथा सच्ची प्रमाणिकता प्रस्तुत करते हैं।

प्रेमचन्द दलित जीवन के त्रासद अनुभवों और समाज में उनकी सामाजिक आर्थिक धार्मिक जीवन से भंलि भाँति परिचित थे। सामाजिक भेदभाव, छूआछूत, समाज में दलितों की हेय स्थिति को प्रेमचन्द की 'सद्गति' और 'ठाकुर का कुआँ' कहानियाँ बखूबी बया करती है। अस्पृश्यता साधारण अपमान नहीं है, जो एक बड़े समुदाय के मनुष्यों को इतने सालों से चुपचाप सहना पड़ रहा था। प्रेमचन्द ने 'सद्गति' कहानी के द्वारा बताया कि धर्म एक छद्म आशा है, जिसे उन्होंने ब्राह्मण की हृदयहीनता के साथ स्पष्ट किया है। प्रेमचन्द ने ब्राह्मणवाद पर करारी चोट करते हुए आस्था के महल को खण्डित कर दिया। 'सद्गति' कहानी का दु:खी चमार अपनी बिटिया की सगाई हेतु नजराने के साथ साइत-सगुन निकलवाने जब गाँव के पंडित के यहाँ पहुँचता है तो पंडित जी उसे लकड़ी चिरने व अन्य कामों में लगा देते हैं। भूखा प्यासा, हाडतोड़ श्रम के उपरांत 'दुखिया' जब चिलम पीने के लिए आग माँगने जाता है, तो पंडिताइन भवें चढ़ा कर लताड़ पिलाती हुई उससे जो कहती है। उससे समाज में दलित जीवन का यथार्थ चित्रण इस प्रकार प्रकट होता है। 'चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुँह उठाए घर में चले आए। हिन्दु का घर ना हुआ कोई सराय हुई। कह दो, दाढ़ीजार से चला जाए, नहीं तो इस लुआड़ी से मुँह झूलस दूंगी आग माँगने चले हैं। -पंडित जी के घर में चमार कैसे चला आए?।'[1] 'ठाकुर का कुआँ' कहानी भी छुआछूत की समस्या से संबंधित वह कहानी है जिसमें जोखु, नामक बीमार अछूत पात्र, बदबूदार पानी पीने के लिए अभिशप्त है। उसका घर गाँब से बाहर दलितों की बस्ती में था। उसकी पत्नी गंगी हजारों साल का मौन तोड़ कर सवाल उठाती है 'हम क्यों नीच हैं, और ये लोग क्यों ऊँच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं।[2]

यह विभेद और बहिष्कार के विरूद्ध आवाज थी। गंगी जब ठाकुर का कुआँ से पानी लाने की बात सोचती है, तो यह सोचकर सिहर जाती है। ठाकुर के कुएँ पर कौन चढ़ने देगा? दूरे से लोग डाँट बताएंगे साहू का कुआँ उस सिर पर है परन्तु वहाँ भी कौन पानी भरने देगा?[3] जोखू का निम्नांकित कथन में भी समाज में दलितों की बदतर, सामाजिक स्थिति का लेखा जोखा मिल जाता है। 'हाथ पाँव तुड़वा आएंगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से। ब्राह्मण-देवता आशीर्वाद देंगे ठाकुर लाठी मारेंगे साहूजी एक के पाँच लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है। हम तो मर भी जाए तो कोई द्वार पर झाँकने नहीं आता, कंधा देने तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएँ से पानी भरने देंगे?'[4] गंगी जान जोखिम में डालकर कुएँ पर पानी लेने गई गंगी झुकी की घड़े को पकड़ कर जगत पर रखे की एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुँह इससे अधिक भयानक नहीं होगा। दलितों की धार्मिक स्थिति से संबंधित प्रेमचन्द की 'मंदिर' कहानी एक अविस्मरणीय कहानी है। इस कहानी में 'सुखिया' चमारिन के माध्यम से दलितों, अछूतों के मंदिर में प्रवेश की समस्या को वाणी दी है। जो आज भी ठेट देहात में प्रासंगिक है।

प्रेमचन्द ने अपनी दलित विमर्श की अनेक कहानियों में दलितों की बदतर आर्थिक स्थिति उनकी पशुवत जिंदगी, जीवन में व्याप्त उनके बुनियादी अभावों, उनकी बदहाली और तंग स्थिति का नग्न और यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। 'दुध का दाम' कहानी के नायक मंगल की स्थिति देखें 'मकान के सामने एक नीम का पेड़ था। इसी के नीचे मंगल सोता था। एक फटा सा टाट का टूकड़ा, दो मिट्टी के सकोरे और एक धोती, जो सुरेश बाबू की उतरन थी, जाड़ा, गरमी, बरसात हरेक मौसम में वह एक-सा आराम देहा।'[5]

'मंदिर' कहानी की सुखिया अपने बीमार एकलौते पुत्र की सलामती हेतु पूजा करना चाहती है, किन्तु ठाकुरजी के भोग के लिए उसके पास एक आना तक नहीं है। ' सारा गाँव वह छान आई कहीं उसे पैसे उधार न मिले तब वह हताश हो गई हाय रे अर्दिन! कोई चार आने पैसे भी नहीं देता आखिर उसने अपने हाथों के चाँदी के कड़े उतारे और उसे गिरवी रखे।'[6] प्रेमचन्द की एक चर्चित कहानी 'मंत्र' के हरिजन भगत के घर का दृश्य देखें- 'एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में ना चारपाई थी न बिछौना था। एक किनारे थोड़ी-सी पुआल पड़ी थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और लकड़ियाँ बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी।[7]

* शोधार्थी (हिन्दी) डाबर, 06 सार्थक गैलेक्सी, सराय वार्ड पिथमपुर रोड, राऊ, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय वि. महाविद्यालय, खाचरौद जिला उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रेमचन्द की सर्वश्रेष्ठ कहानी 'कफन' में घीसू-माधव की आर्थिक स्थिति को कहानीकार प्रेमचन्द इस प्रकार कहते हैं- 'विचित्र जीवन है घर में मिट्टी के दो चार बर्तन के सिवा कोई सम्पत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढाँके हुए जिए जाते थे, कर्ज से लदे हुए, गालियाँ खाते, मार खाते।'[8]

कहानीकार प्रेमचन्द ने 'घासवाली' 'ठाकुर का कुआँ' कहानियों में दलित स्त्रियों के यौन शोषण का भी कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत किया है और सवर्णों की दोगली मानसिकता को उजागर किया है, कि ये तथाकथित उच्च सवर्ण के लोग, जहाँ दलितों को अपने कुएँ से पानी भरने नहीं देते, मंदिरों में प्रवेश की इजाजत नहीं देते। वहीं दूसरी ओर दलित स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने में तनिक भी परहेज नहीं करते। 'ठाकुर का कुआँ' कहानी की गंगी का यह कथन इस संदर्भ में दृष्टव्य है- 'कभी गाँव में आ जाती हूँ तो लोग रसभरी आँखों से देखने लगते हैं। जैसे सबकी छाती पर साँप लौटने लगता है, परन्तु घमण्ड यह है कि हम ऊँच हैं।'[9]

'घासवाली' कहानी का नायक जमींदार चैनसिंह कामासक्त होकर जब रूपवती, लावण्यमयी घास काटने वाली मुलिया से उसका हाथ पकड़कर दया बरसाने की निवेदन करता है। तो मुलिया उससे कह उठती है कि - 'मुझसे दया माँगते हो इसलिए न की मैं चमारिन हूँ, नीची जाति की हूँ, और नीच जात की औरत जरा सी घुड़की, धमकी या जरा से लालच में तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी।'[10] प्रेमचन्द की सर्वश्रेष्ठ ओपन्यासिक कृति गोदान में भी सिलिया चमारिन का पिता हरखू अपनी इज्जत की खुली छूट के लिए तैयार नहीं है। वह चाहता है कि सिलिया को ब्याहता का दर्जा मिले। वह दातादीन को चुनौती देता है 'तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते, मुदा हम तुम्हें चमार बना सकते हैं, हमें ब्राह्मण बना दो हमारी सारी जाति ब्राह्मण बनने को तैयार है। जब हम समरथ नहीं है तो फिर तुमहीं चमार बनो। हमारे साथ खाओ पीओ उठो बैठो हमारी इज्जत लेते हो तो हमारा धरम हमें दे दो।' यह हिन्दू समाज में आत्म सम्मान और मानवाधिकार की लड़ाई है। सिलिया की माँ मातादीन पर व्यंग्य करती है 'तुम बड़े नेमी धरमी हो। उसके साथ सोओगे लेकिन उसके हाथ का पानी न पिओगे।' सचमुच प्रेमचन्द की दलित जीवन से संबंधित कहानी, उपन्यासों में दलितों के शोषण, उत्पीड़न की करूण गाथा है।

'सद्‌गति' कहानी में दलित का शोषण शारीरिक रूप में इस प्रकार बाहर प्रकट होता है- 'दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाँडू, लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब तक बारह बज गए। उसे जोर की भूख लगी पर वहाँ खाने को क्या धरा था? घर यहाँ से मील भर था, खाने चले जाए तो पंडित जी बिगड़ जाये। - पसीने वह तर था हाँफता था, थककर बैठ जाता था आँखों तले अंधेरा हो रहा था सिर पर चक्कर आ रहे थे, फिर भी वह अपना काम किए जाता था।'[11] अंतत: लकड़ी का चीरा लगाते लगाते भूखे प्यासे दुखी के प्राण पखेरू उड़ जाते हैं।

मुंशी प्रेमचन्द के कहानी साहित्य में दलित शोषण के बहुविध रूप हैं। मंदिर कहानी की दलित महिला सुखिया जब बीमार इकलौती संतान की सलामती हेतु मंदिर में पूजा-अर्चना करना चाहती है तो पंडितजी उससे कहते हैं कि 'जो बात कभी नहीं हुई वह आज में कैसे कर दूँ और गाँव पर कोई आफत विपदा आ पड़े तो क्या हो? - अरी पगली, ठाकुरजी भक्तों के मन का भाव देखते हैं कि चरन पर गिरना देखते है। सुना नहीं मन चंगा तो कठौती में गंगा - मेरे पास एक जतर है दाम तो उसका बहुत है, पर तुझे एक रूपये में दूँगा, उस बच्चे के गले में बाँध देना, बस बच्चा कल खेलने लग जाएगा तेरे लिए इतनी पूजा बहुत है। सुखिया ने रूपया पूजारी को भेंट किया और जतर ले कर ले कर मन को समझाती घर लौट आई।[12]

'दूध का दाम' कहानी के जमींदार पात्र महेशनाथ के यहाँ वर्षो की इंतजारी, पूजा पाठ, तपस्या के उपरान्त एक बालक का जन्म होता है। किन्तु महेशनाथ की पत्नी को प्रसव के उपरांत दूध नहीं उतरता। जमींदारिन दाई भूंगी को अर्थ और सुन्दर भविष्य का सब्जबाग दिखाती हुई प्रार्थना करती है- 'भूंगी हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक तू जिए बैठ कर खाती रहना, 5 बीघे माफी दिलवा दूँगी, नाती पोती तक चैन करेंगे।'[13] अंतत: भूंगी दाई के साथ-साथ उसके बेटे को दूध पिलाकर महेशनाथ के कुलदीपक की रक्षा करती है और भूंगी भी मौत के बाद मंगल को इस घर की जूठन और उतरन कपड़े पहनकर जीवन निर्वाह करना पड़ता है। प्रेमचन्द की 'घासवाली' कहानी की मुलिया प्रेमचन्द के दलित स्त्री पात्रों में अद्‌भुत क्राँतिकारी चेतना की प्रतीक है। कामी जमींदार चैनसिंह रूपवती मुलिया का जब हाथ पकड़ लेता है तो अपमानित मुलिया दलित स्त्री के दलन के प्रति ज्वालामुखी की तरह इस प्रकार फटकार लगाती है- 'अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इस तरह बातें करता, तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने को तैयार हो जाते की नहीं? बोलो! क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं है, उसे लज्जा नहीं आती, अपनी मर्यादा का विचार नहीं - मुझसे दया माँगते हो इसलिये न कि मैं चमारिन हूँ।'[14] मुलिया के इस कथन में एक दलित स्त्री की अस्मिता, चेतना, आत्माभिमान, एवं प्रतिशोध का स्वर पूरी तरह साकार हुआ है और यह भाव व्यक्त हुआ है कि दलित स्त्रीयां ऊँचे वर्ग के भोग विलास अथवा बिस्तर की वस्तु नहीं।

'दूध का दाम' में दलित पात्र मंगल में अधिकार भावना एवं विद्रोहात्मक का उग्र तेवर है। वह अपने मालिक के बेटे से प्रतिरोधात्मक स्वर में कहता है कि 'मैं कब कहता हूँ कि मैं - नहीं हूँ लेकिन तुम्हें मेरी ही माँ ने अपना दूध पिलाकर पाला है, जब तक मुझे भी सवारी करने को न मिलेगी में घोड़ा न बनूँगा।'[15] प्रेमचन्द की दलित-विमर्श से संबंधित 'मंदिर' कहानी में दलित विधवा स्त्री का सामाजिक, धार्मिक, विद्रोह भाव पूरे तेवर के साथ प्रकट हुआ है। सुखिया को जब मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता और पंडित जी द्वारा जतर से भी उसके बीमार पुत्र को फायदा नहीं होती तो वह रात के अंधेरे में मंदिर का ताला तोड़ने पर आमदा हो जाती है। पकड़े जाने पर लोग इस कदर पीटते हैं कि उसके हाथ से बच्चा गिरकर मर जाता है। वह क्रोध की ज्वाला में आँखों में अंगारे बरसाती हुई समाज एवं धर्म के ठेकेदारों से कहती- 'पापियों! मेरे बच्चे के प्राण लेकर दूर क्यों खडे हो? मुझे भी उसी के साथ क्यों नहीं मार डालते? मेरे छू लेने से ठाकुर जी को छूत लग गई - मुझे बनाया तो छूत नहीं लगी - तुम सबके सब हत्यारे होय'[16] सुखिया की यह आवाज उसकी ललकार और उसका विद्रोह मात्र उसकी आवाज ललकार न होकर सम्पूर्ण दलित समाज की आवाज ललकार और विद्रोह है।

प्रेमचन्द ने दलित जीवन से संबंधित कुछ कहानियों में पुशवत जिंदगी यापन करते आर्थिक अभावों और गरीबी में जिंदगी गुजर-बसर करते कुछ पात्रों में मानवीयता इंसानियत और मनुष्यता की रक्षा कर जो संदेश दिया है, वह प्रेरणा स्त्रोत है। 'मंत्र' कहानी का भगत और 'दूध का दाम' कहानी की भूंगी को मिसाल के रूप में देखा जा सकता है। ठीक इसके विपरीत 'कफन' कहानी में घीसू माधव की अमानवीयता अमनुष्यता का चित्रण भी हुआ है। आलू के चन्द टूकड़ो के बीच बाप बेटे के पवित्र रिश्ते को यहाँ खंडित होते हुए दिखाया गया है। वहीं प्रसव वेदना से कराहती बुधिया के प्रति पीसू-माधव की संवेदनहीनता हृदयहीनता को भी उजागर किया है। 'ठाकुर का कुआँ'

कहानीकार मुंशी प्रेमचन्द की दलित विमर्श संबंधि एक मील का पत्थर कहानी है। जिसमें एक दलित स्त्री गंगी का विरोध उच्चजाति के छुआछूत की भावना के प्रति प्रकट हुआ है। गंगी का ठाकुर के कुएँ तक जाने का दृढनिश्चय, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती देती प्रतीत होती है। चाहे वह पति महोदय हेतु पानी तो न भर पाती किन्तु वह समाज के बनाये नियमों को तोड़ने को अपूर्व साहस करती है। प्रतिरोध का जो बिगुल बजाती है, वह नि:संदेह प्रशंसनीय है। गंगी उन दलित नारियों को प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें समाजिक कुव्यवस्था, छुआछूत की भावना और तथाकथित उच्च वर्ग के प्रति विरोध करने की चेतना की सुगबुहाट एवं हिम्मत जुटाने की शक्ति पैदा होने लगी है।

प्रेमचन्द की दलित जीवन की कहानियों के आत्ममंथन करने पर दलित संबंधि प्रेमचन्द का चिंतन स्पष्ट होता है। समाज में सदियों से शोषित, उत्पीड़ित, शोषण के शिकार दलितों की स्थिति प्रेमचन्द के चिंतन में निहित थे। दलितों के लिए मंदिर प्रवेश और कुओं पर पानी भरने की वर्ज्यता प्रेमचन्द देख चुके थे। साथ ही साथ दलितों की बदतर सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति भी प्रेमचन्द से छिपी नहीं थी। मानवता और समता की दृष्टि से मुक्ति, दलित जागरण को वे आवश्यक मानते थे। विध्वंश की भुंगी 'घासवाली' की मुलिया, 'ठाकुर का कुआँ' की गंगी, 'मंदिर' की सुखिया जैसे क्रांतिकारी चरित्रों को गठा और इन पात्रों के माध्यम से समाज को संदेश दिया कि दलित की चेतना जाग्रत हो चुकी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सदगति, प्रेमचन्द (मानसरोवर भाग-4) पृ. 20
2. ठाकुर का कुआँ, प्रेमचन्द (मानसरोवर भाग-1) पृ. 117
3. ठाकुर का कुआँ, प्रेमचन्द (मानसरोवर भाग-1) पृ. 117
4. ठाकुर का कुआँ, प्रेमचन्द (मानसरोवर भाग-1) पृ. 117
5. दूध का दाम, प्रेमचन्द (मानसरोवर भाग-2) पृ. 173
6. मंदिर, प्रेमचन्द (मानसरोवर भाग-7) पृ. 13
7. मंत्र, प्रेमचन्द (मानसरोवर भाग-5) पृ. 42
8. कफन, प्रेमचन्द (मानसरोवर भाग-1) पृ. 13
9. ठाकुर का कुआँ, प्रेमचन्द (मानसरोवर भाग-1) पृ. 117
10. घासवाली, प्रेमचन्द (मानसरोवर भाग-1) पृ. 261
11. सदगति, प्रेमचन्द (मानसरोवर भाग-1) पृ. 22
12. मंदिर, प्रेमचन्द (मानसरोवर भाग-5) पृ. 13
13. दूध का दाम, प्रेमचन्द (मानसरोवर भाग-2) पृ. 178
14. घासवाली, प्रेमचन्द (मानसरोवर भाग-1) पृ. 264
15. दूध का दाम, प्रेमचन्द (मानसरोवर भाग-2) पृ. 176
16. मंदिर, प्रेमचन्द (मानसरोवर भाग-2) पृ. 15

****

हिन्दी फिल्मों में बापू

डॉ. अनुसुइया अग्रवाल *

प्रस्तावना – महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व; जिसने हर किसी को किसी न किसी तरीके से जीवन के किसी न किसी मोड़ पर जरूर प्रभावित किया। सिर्फ एक- दो इंसान नहीं अपितु पूरा देश उनके साथ उठ खड़ा हुआ। हर इंसान के अंतर्मन को उन्होंने जगाया। गांधी जी से लोग क्यों जुड़ते चले गए; दरअसल वो असाधारण होते हुए भी साधारण तरीके से लोगों के बीच रहें। कभी दिखावे को तवज्जों नहीं दिया। यही वजह रही कि वे अंग्रेजी सूट-बूट के बजाय साधारण सी खादी की धोती पहनते थे। यही नहीं – चरखा चलाकर खुद खादी बनाते थे, रेल के जनरल डिब्बे में यात्रा किया करते थे। उन्होंने अपने आवरण और आचरण में कभी फर्क नहीं रखा। शायद इसलिए उन्होंने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया।

इस महामानव ने पराधीन भारत को आजादी दिलाने में ही महत्वपूर्ण भूमिका अता नहीं कि अपितु प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक आजादी और सक्षमता के लिए भी प्रयास किया। उनकी आजादी की परिभाषा में गरीब व्यक्ति की गरिमा की स्थापना और अटूट सामाजिक सहकार की स्थापना करना था। अपने इन प्रयासों की पूर्ति के लिए उन्होंने मानव श्रम को आधार बनाया। इसके लिए उन्हें जन- जन से जुड़ना पड़ा। भारत के प्रत्येक जन हृदय में अपना स्थान बनाते हुए करोड़ों भारतवासियों को उन्होंने अपने साथ लिया। उनके स्वाभिमान की रक्षा की। चरखे के जरिए हर गरीब के घर और मन में स्थान बनाने वाले बापू ने दलितों- वंचितों में अनोखा स्वाभिमान भरा।

भले ही यह घटना इतिहास बन गई पर आज भी लोगों के जेहन में इतनी जीवन्त है कि बापू के सहकार, सत्य, अहिंसा, आदि सिद्धांतों को आधार बनाकर फिल्म निर्माता आज न केवल फिल्में बना रहे हैं अपितु उसमें निहित श्रेष्ठ संदेश के कारण वे फिल्में सफल भी हो रही हैं। उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर कई गीतकारों के कलम से देशभक्ति के गीत लिखें गए। जनमानुष की मेहनत को प्रतिष्ठा देते हुए गांधी जी ने जिस चरखे और खादी से जनसमुदाय को जोड़ा था; उसका उल्लेख करते हुए 'होमी वाडिया' निर्देशित 'पंजाब मेल' नामक फिल्म आई थी जिसमें खादी को आजादी का मूलमंत्र बताते हुए उसे देश का बेड़ा पार होने का साधन भी बताया गया है। चरखे को सुदर्शन चक्र का प्रतीक मानते हुए यह संदेश दिया गया कि द्वापर युग में जिस सुदर्शन चक्र को चलाकर कृष्ण ने शत्रुओं का संहार किया था उसी सुदर्शन चक्र सदृश चरखे से स्वदेशी, स्वावलंबी, अहिंसक आंदोलन चलाकर देश का उद्धार किया जा सकता है।

'इस खादी में देश आजादी, दो कौड़ी में बेड़ा पार
देशभक्त ने तुझको पाकर, प्रेमरंग में मन को खोकर
टूटे तार में ताज पिरोकर
जड़ दिया मन का सुंदर तार
दो कौड़ी में बेड़ा पार।'

यहां पर दो कौड़ी का अर्थ खादी के सस्ते होने से है और चरखा सुदर्शन चक्र है।

महामानव महात्मा गांधी के प्रयासों से जो चरखा भारत के स्वाधीनता संग्राम में आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक बन गया था फिल्मी गीतों में वह राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है। जयंत देसाई के निर्देशन में 1940 में बनी फिल्म 'आज का हिन्दुस्तान' में चरखे से जुड़ा यह गीत देखिए-

'काते ये कच्चे धागे,
धागे ये कह रहे हैं, भारत के भाग जागे
चरखे के गीत गाओ, दुनियां को ये सुनाओ
चरखा चलाये गांधी, आगे- आगे धागे
भारत के भाग जागेय'

1942 में आई फिल्म 'भक्त कबीर' में चरखे पर केन्द्रित साधारण सा लगने वाला अधोलिखित गीत जनमानस को स्वतंत्रता आंदोलन की ओर उन्मुख करने वाला जागृति के सुंदर गीत के रूप में जन- जन का कंठहार बन गया था। इसमें खादी वस्त्र की खूबियों पर बढ़िया कशीदे किए गए-

'खद्दर ले लो खद्दर भाई
खद्दर ले लो खद्दर.......
सस्ते दामों में हाथ आये, महंगे रेशम को शरमाएं....
रेशम धोने से मिट जाए, खद्दर निखरता जाये।'

आजादी के तुरंत बाद 1948 में आई फिल्म 'खिड़की' में खादी की चुनरी का उल्लेख गीत में अनूठापन दर्शाता है-

'ए ओ सावरियां
जाओ बजरिया
लाओ चुनरिया खादी की।'

आजादी के बाद के फिल्मों में 'बापू की अमर कहानी' में रफी साहेब की आवाज में यह गीत आपने भुलाया नहीं होगा-

'सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों
बापू की ये अमर कहानी।'

बापू संभवत: ऐसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन पर सर्वाधिक फिल्में बनी और गाने लिखे गए। सन् 1954 में महात्मा पर आधारित फिल्म 'जागृति' को भला कैसे भुलाया जा सकता है, जिसमें तब आशा भोसले द्वारा गाया गीत 'साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल' आज भी लोगों की जुबांन पर है। यह सदाबहार गीत काफी मशहूर रहा।

सन् 1968 में 'परिवार' फिल्म के उस गाने को भी लोग आज भी गुनगुनाते रहते हैं- 'आज है दो अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (हिंदी) शासकीय म. व. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद (छ.ग.) भारत

महान। आज के दिन दो फूल खिले, जिनसे महका हिन्दुस्तान।'

पुराने जमाने के गांधीवाद से लेकर नए जमाने की गांधीगिरी पर बनी फिल्मों और गानों को लोगों ने खूब पसंद किया। 1982 में 'रिचर्ड एटनबरोय के द्वारा निर्देशित फिल्म 'गांधी' तो लोगों के द्वारा खूब सराहा गया। यह फिल्म गांधी की जीवन यात्रा का पहला सिनेमाई दस्तावेज है। हॉलीवुड स्टार 'बेन किंग्स्लेय के गांधी किरदार और 'रोहिणी हंटगणी' के कस्तूरबा किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया। इस फिल्म ने 8 आस्कर और 26 एवार्ड जीते थे।

फिर आई थी 1996 में 'श्याम बेनेगल' की फिल्म 'मेकिंग ऑफ महात्मा।' इस फिल्म में गांधीजी के एक आम इंसान से महात्मा बनने तक के सफर को बखूबी दर्शाया गया था। ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका के सेंट पिटमारेट्सबर्ग स्टेशन की वो ऐतिहासिक घटना; जब अश्वेत होने की वजह से रेल से धक्का देकर उन्हें उतार दिया गया था। इस घटना ने उनके आत्मसम्मान को सर्वाधिक चोट पहुंचाई और तब इस घटना ने सत्याग्रह को जन्म दिया और भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बजा दिया। फिल्म में गांधी जी का अभिनय करने वाले 'रजित कपूर' को 'बेस्ट एक्टर' का 'सिल्वर लोटस एवार्ड' प्राप्त हुआ था।

सन् 2000 में फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता 'कमल हासन' के श्रेष्ठ निर्देशन में बनी फिल्म 'हे राम' में नसीरूद्धीन शाह ने गांधीजी का किरदार निभाकर खूब प्रशंसा बटोरी थी। यह फिल्म भी ऑस्कर की दौड़ में थी पर जीत न पाई।

सन् 2005 में 'मैंने गांधी को नहीं मारा' फिल्म आई। फिल्म उर्मिला मातोंडकर यानि त्रिषा और अनुपम खेर यानि उत्तम चौधरी के किरदार पर केंद्रित है जिसमें गांधी की हत्या विषयक गुत्थी को सुलझाया गया है।

सन् 2006 में निर्माता 'विधु विनोद चोपड़ा' और निर्देशक 'राजकुमार हिरानी' की 'लगे रहो मुन्ना भाई' फिल्म आई। जिसमें 'बापू' का सबसे शानदार किरदार एक कॉमेडी के रूप में भी दिल को छू लेने वाला संदेश देने में सफल रहा। यह ईक्कीसवीं सदी के शुरूआत के भारतीयों के सोच से जुड़ी कहानी है। इसमें संजय दत्त को अक्सर बापू दिखते थे। एक गेंगस्टर की सोच और गांधी दर्शन को बड़ी खूबसूरती से पिरोए गए इस फिल्म ने भारत के साथ यू. एस. में भी कई अहिंसात्मक आंदोलनों की प्रेरणा दी। इस फिल्म के माध्यम से 'गांधीगिरी' शब्द काफी प्रसिद्ध हुआ। इस फिल्म में गांधी जी की भूमिका निभाई थी मराठी सिनेमा के मशहूर अभिनेता 'दिलीप प्रभावलकर' ने।

सन् 2007 में फिल्म अभिनेता और निर्माता अनिल कपूर की फिल्म 'गांधी: माई फॉदर' में गांधी जी का किरदार निभाया 'दर्शन जरीवाला' और उनके बेटे 'हरिलाल गांधी' का किरदार 'अक्षय खन्ना' ने निभाया। फिल्म में अक्षय खन्ना को लगता था कि 'देश के पिता' महात्मा गांधी एक 'पुत्र के पिता' के रूप में असफल है। इस फिल्म को दर्शकों की मिश्रित प्रतिक्रिया मिली; अच्छी भी और आलोचनापूर्ण भी। फिल्म 'नेशनल एवार्ड' जीतने में सफल रही।

'करीम ट्राइडिया' के निर्देशन में बनी सन् 2018 की फिल्म 'गांधी: द कॉन्सपिरेसी' में गांधीजी का किरदार निभाया था 'जेसस सेंस' ने। फिल्म भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद से महात्मा गांधी की हत्या तक के घटनाक्रम को समेटे हुए थी।

कहा जाता है कि बापू को न तो फिल्म देखने में रूचि थी न उन्होंने कभी किसी फिल्म में काम ही किया। उन्होंने अपने जीवन में वाल्मिकी रामायण पर आधारित एकमात्र फिल्म 'रामराज्य' देखी थी। जो 1943 में मराठी फिल्मकार 'विजय भट्ट' द्वारा निर्देशित फिल्म थी। इस तरह बापू का सिनेमा से यद्यपि कोई सीधा संबंध नहीं रहा तथापि उनकी विचारधारा और उनके सत्य, अहिंसा और प्रेम के आचरण पर अनेक पटकथाएं लिखी गई और उनसे मिलते- जुलते चरित्र को प्रस्तुत करने की सफल कोशिश की गई। निसंदेह आगे भी यह प्रयास जारी रहेगा।

'वो कोई और चिराग होते हैं जो हवाओं से बुझ जाते हैं,
गांधीजी ने तो जलने का हुनर भी हवाओं से सीखा है।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. स्वर सरिता- वर्ष 09, अंक 4, अक्टूबर 2016
2. राष्ट्रवीणा- वर्ष 53, अंक 6, जून 2004
3. स्वर सरिता- वर्ष 10, अंक 4, अक्टूबर 2017
4. दैनिक भास्कर- दैनिक समाचार पत्र दि. 02 अक्टूबर 2019

****

कबीर के काव्य में दर्शन

डॉ. आशा शरण *

शोध सारांश – भारतीय संत परंपरा में कबीर एक महान विचारक, सुधारक, कवि, संत के रूप प्रसिद्ध हुए। विभिन्न विरोधी गुणों को आत्मसात करते हुए समाज के पथ-प्रर्दशक के रूप में सामने आए। कबीर ने परम्परा से मिले हुए सत्य को पहचानकर अपने अनुभव के द्वारा उसे अपनी वाणी दी। उनकी वाणी में उन समस्त आडम्बरों और दिखावे के प्रति असन्तोष था जो मानव-मानव में भेद उत्पन्न कर दीवार खडी करे। कबीर ने अपने दर्शन को अनुभव के आधार पर व्यक्त किया था।

प्रस्तावना – मध्ययुगीन संतों में कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक, पथ प्रर्दशक और एक महान संत थे। उन्होंने समाज में रहकर जो अनुभव प्राप्त किए, वही समाज को बाँट दिया। कबीर ने किसी एक निश्चित संप्रदाय की स्थापना नहीं की बल्कि वे सभी दर्शनों से ऐसे तत्त्वों को ग्रहण किया जो उन्हें अपने और समाज के अनुकूल लगा। चाहे वह अद्वैतवाद हो, चाहे सूफियो का भावनात्मक रहस्य, चाहे वह सिद्धों तथा नाथ योगियों की योग साधना, हठयोग या वैष्णवों से अहिंसा तथा 'प्रपत्ति' का भाव।इस प्रकार कबीर ने सभी दर्शन के सार को ग्रहण किया। सार भी ऐसा जो उन्हें भला और समाज के अनुकूल लगा, केवल उन्हीं तत्त्वों को आत्मसात किया। इस संदर्भ में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा था,'जिन्होंने एक ओर तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किये। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिए। इसी से उनके तथा निर्गुणवाद वाले और दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, कहीं योगियों के नाडीचक्र की, कहीं सूफियों के प्रेमतत्त्व की, कहीं पैगम्बरी कट्टर खुदावाद की और कहीं अहिंसावाद की। अत: तात्त्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी।'[1] कबीर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने दर्शन को बहुत सरल ढंग और भाषा के माध्यम से समाज के मध्य प्रकट किया। इस प्रकार कबीर के दार्शनिक विचारों को निम्न बिंदुओं के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है।

माया-कबीर के माया संबंधी विचारों का सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें माया के स्वरूप का ज्ञान था। कबीर ने माया को एक ऐसी शक्ति के रूप में माना है जो नारी के रूप में प्रकट होकर मनुष्य को भ्रमित करती रहती है। रामकुमार वर्मा ने कबीर के बारे में लिखा है,'संत मत में माया अद्वैत माया की भाँति भ्रमात्मक और मिथ्या तो है ही किन्तु इसके अतिरिक्त यह सक्रिय रूप से जीव को सत्पथ से हटाने वाली भी है। इस दृष्टि में संत संप्रदाय में माया का मानवीकरण है। एक नारी के रूप में है, जो ठगिनी है, डाकिनी है, सबको खाने वाली है।'[2]

कबीर ने माया को एक ऐसी पिशाचनी और डाकिनी कहकर संबोधित किया है जो सभी को अपना ग्रास बनाने वाली है-

'कबीर माया ढाकडी, सब किसही कौ खाइ।
दाँत उपाणौं पापडी, जे संतो नेडी जाइ।।'[3]

इसलिए कबीर माया से दूर रहने के लिए सलाह देते हैं। कबीर का कहना है कि यदि माया बाँह फैलाकर भी बुलाए तो भी उसके पास नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब माया ने नारद जैसे मुनियों को भी नहीं छोड़ा तो साधारण जीव इससे कैसे बच सकता है-

'कबीर माया जिनि मिलै, सौ बरियां दे बाँहि।
नारद से मुनियर मिले, किसौ भरौसो त्यॉंह।।'[4]

कबीर कहते हैं कि माया-मोह में पड़े हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल सकती है। क्योंकि माया के कारण ही जीव की आँखों में माया और मोह का अंधकार छाया रहता है जिसके कारण उसे उचित-अनुचित का फर्क पता नहीं चलता है। ऐसे में वे माया के द्वारा ठग लिए जाते हैं और मुक्ति के लिए रोते रहते हैं-

'कबीर माया मोह की, भई अंधारी लोइ।
जे सूते ते मुसि लिये, रहे बसत कूँ रोइ।।'[5]

मोक्ष-भारतीय दर्शन में चार पुरूषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन किया गया है। जिसके अनुसार व्यक्ति हर कर्म को करते हुए मोक्ष के लिए प्रयासरत रहता है। इसके बारे में सभी संतों और विचारकों के अलग-अलग विचार हैं। लेकिन कबीर की दृष्टि में राम से एक भेंट होना ही मुक्ति है। इसके लिए ब्रह्म की सर्वव्यापकता एवं नित्यता का ज्ञान आवश्यक है। मानव यदि शरीर के रहते हुए माया के सारे बन्धनों को काट लेता है, भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, विषयों में आसक्ति से रहित होता है तो उसे जीवनमुक्त कहा जा सकता है। कबीर के अनुसार,'जगत की समस्त आशाओं को त्याग देना ही जीवनमुक्त होना है।'[6] 'कबीर ने यह माना भी है,'मेरा मन सांसारिक विषयों से विमुक्त होकर अपनी सनातन स्थिति में पहुँच गया है और अब मैं जीवनमुक्त स्थिति का अनुभव कर रहा हूँ।'[7]

'पाँणी ही ते हिम भया, हिम है्व गया बिलाइ।
जो कुछ था सोई भया, अब कछु कह्या न जाय।।'[8]

संत कबीर समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार पानी से हिम बना और अंत में पिघलकर वही फिर पानी बन जाता है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म ही जगत में एकमात्र सत्ता है। उसके अलावा बाकी सभी रूप-रंग अस्थायी और झणभंगुर है। हम जहाँ से आए हैं, वहीं हमें चले जाना है, हम जिससे बने हैं

* देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

अंतत: उसी तत्व में विलीन हो जाना ही हमारी नियति है। आत्मा का परमात्मा में विलीन ही कबीर की रहस्यवादी विचारधारा का निचोड है।

जीव–भारतीय दर्शन में जीव (आत्मा) को महत्व दिया गया है। मानव के इस बारे में अलग–अलग दृष्टिकोण है। जब तक सामने माया और मोह का पर्दा पडा रहता है, तब तक वह जीवात्मा और परमात्मा को अलग–अलग ही देखते हैं। लेकिन जब यह पर्दा हटता है तो उसे वास्तविकता का बोध होता है। कबीर का इस बारे में मत है–

'कहु कबीर इहु राम कौ अंसु।
जर–कागद पर मिटै न यंसु।।'[9]

कबीर जीवात्मा को परमात्मा का ही अंश मानते हैं। कबीर जीवात्मा और परमात्मा को एक ही सत्ता मानते हैं।

जगत–कबीर समस्त जगत को ब्रह्ममय मानते हैं। उनका मत है कि कण–कण में ईश्वर व्याप्त है। लेकिन कबीर मानते हैं कि जगत का वाह्य रूप मात्र दिखावा और आडम्बर से भरपूर है। अत: यह जगत जैसा दिखता है, वैसा है नहीं, इसकी वास्तविकता कुछ अलग ही है–

'जो तुम देखो सो यह नाहीं,
यह पद अगम अगोचर माहीं।।'[10]

कबीर ने जगत के संदर्भ में सांख्य दर्शन में वर्णित गुणों और तत्तवों का बार–बार उल्लेख किया है। कबीर इस मौलिकता को इस प्रकार व्यक्त करते हैं–

'पृथ्वी का गुण पानी सोखा, पानी तेज मिलावहिंगे।
तेज पवन मिल पवन सबद मिल, सहज समाधि लावहिंगे।'[11]

कबीर की दृष्टि में जगत नश्वर गतिशील है। वह एक ऐसे घडे के समान है जो ब्रह्म रूपी जल में रखा हुआ है और अन्दर–बाहर ब्रह्म रूपी जल से भरा हुआ है।

'लेकिन घडे के टूटते ही उसका जल बाहर के जल में मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार यह जगत भी अंत में ब्रह्म में लीन हो जाता है–

'जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है बाहर भीतरि पानि।
फूटा कुम्भ जल जलहिं समाना यह तथ कह्यों ज्ञानी।।'[12]

भक्ति–कबीर की भक्ति अनन्य भाव की है। क्योंकि उनके राम का कोई भी आकार नहीं है। इसलिए वे भक्ति के लिए अनन्य भाव और प्रेम की भावना को जरूरी मानते हैं। कबीर का मानना है कि प्रेम की भावना के बिना भक्ति सम्भव नहीं है–

'भाव बिना नहिं भक्ति जग, भक्ति बिना नहि भाव।
ये दोऊ जो परस्पर, दोय मिलि एक सुभाव।।'[13]

डॉ.हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार,'कबीरदास की भक्ति–साधना का केन्द्र बिन्दु प्रेम–लीला है। किन्तु इस लीला का जो स्वरूप कबीरदास ने उपस्थित किया है, वह बहुत व्यापक और विशाल है।'[14]

कबीर किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते थे। वे जाति–पाँति और रिश्ते–नातों को भक्ति में बाधक मानते थे। उनका मत था कि यदि भक्ति करनी है तो इन बंधनों से ऊपर उठना होगा–

'जब लग नाता जाति का, तब लगि भक्ति न होय।
नाता तोरे हरि भजै, भक्त कहावे सोय।।'[15]

कबीर के निर्गुण राम–कबीर अपने राम की किसी आकृति की भी कल्पना नहीं करते हैं। यहाँ पर कबीर राम को एक सीमा में नहीं बाँधना चाहते हैं। राम को निर्गुण विशेषण देने के बावजूद मानवीय प्रेम संबंधों की तरह संबंधों की बात करते हैं। इसी संदर्भ में कबीर राम को कभी पति या प्रेमी, कभी स्वामी, कभी वात्सल्य मूर्ति के रूप में माँ मान लेते हैं। निर्गुण राम के साथ इस तरह प्रेम कबीर की भक्ति की विलक्षणता है। कबीर ने जिस परमतत्त्व को निर्गुणराम कहा है वह अज्ञेय है। 'संत कबीर इस 'नेति–नेति' शैली को बहुत दूर तक ले गए हैं। वह बार–बार उस परमतत्तव ईश्वर को सभी प्रकार के स्थूल तत्तवों से अलग करना चाहते हैं। वे इसी भावावेश में कहते हैं कि राम–नाम की चर्चा तो बहुत हुई है पर उसका मर्म कोई नहीं जानता। वस्तुत: वह वेदों की सीमा से परे हैं। सभी प्रकार के भेदों से अलग है। वह पाप और पुण्य, ज्ञान और ध्यान, स्थूल और शून्य सभी से परे है।'[16]

संक्षेप में पारसनाथ तिवारी के शब्दों में कहे तो 'कबीर का ब्रह्म, निर्गुण, निराकार, अजन्मा, आचिंत्य, अव्यक्त और अलक्ष्य है।'[17]

निष्कर्ष – निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कबीर के विचार मात्र दार्शनिक विचार नहीं थे, बल्कि वे व्यवहार को ढालने का एक माध्यम है। क्योंकि उन्होंने सिद्धांत और व्यवहार को एक करके दिखाया है। इस प्रकार उनके दार्शनिक विचार अनुकरणीय हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. हिन्दी साहित्य की इतिहास–आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ.49
2. कबीर एक अनुशीलन–रामकुमार वर्मा, पृ.85
3. मिस्टिक सँग्ज ऑफ कबीर–जी.एन.दास, पृ.42
4. कबीर गंथावली–श्यामसुंदर दास, पृ.75
5. वही, पृ.185
6. कबीर ग्रंथावली–साखी, माताप्रसाद गुप्त–पृ.107
7. वही–पृ.153
8. कबीर–मोहनसिंह कर्की–पृ.28
9. संत कबीर–रामकुमार वर्मा–पृ.168
10. कबीर ग्रंथावली–श्यामसुंदर दास–पृ.31
11. वही–पृ.32
12. वही–पृ.75
13. सत्य कबीर की साखी–संस्करण सन् 2000, श्री वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई–पृ.43
14. कबीर–हजारीप्रसाद द्विवेदी–पृ.148
15. वही–पृ. 43
16. कबीर ग्रंथावली–श्यामसुंदर दास–पृ.279
17. कबीर एक अनुशीलन–रामकुमार वर्मा–पृ.36

****

अज्ञेय के सृजनात्मक साहित्य में स्वाधीनता के मूल्यों (कहानी-प्रेम) के विविध आयाम'

डॉ. अनुकूल सोलंकी *

प्रस्तावना - सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। अज्ञेय ने गद्य और पद्य में अनेक रचनाऐं प्रस्तुत की। कविता, कहानी, निबंध, यात्रा-वृतांत, संस्मरण, साक्षात्कार, अभिनंदन-पत्र आदि विविध योगदानों के माध्यम से साहित्य-जगत को गौरवान्वित किया। कहानी-लेखन के क्षेत्र में अज्ञेय ने अनेक अभिनव प्रयोग किए। अज्ञेय हमेशा कहानी-कला के बारे में विस्तार से चिंतन करते है, अपनी रचनाओं के बारे में, उनकी भूमिकाओं के बारे में कई दृष्टिकोण से विचार करते है। अज्ञेय अपनी रचनाओं के बारे में पुरी तरह संतुष्ट और पुष्ट होकर ही पाठक के सम्मुख लाते हैं। कहानी-प्रेम अज्ञेय को नये विषय, नये चिंतन, नये दृष्टिकोण की ओर ले आया है और कहानी-कला के बारे में वह बार-बार सोचते रहते है। इसीलिए अज्ञेय सम्पूर्ण कहानियों की भूमिका में लिखते हैं -

'कुछ लेखक ऐसे होते होंगे जो अपनी रचनाओं के बारे में सोचते नहीं। मैं उनमें से नहीं हूं। बिना किसी तात्कालिक कारण के भी, जो लिख चुका हूं, उसके बारे में जब-तब सोचता रहता हूं क्योंकि विश्वास करता हूं कि इससे आगे जो लिखूंगा उसके लिए पटियासाफ़ हो सकेगी। फिर जब किसी पुस्तक की भूमिका लिखनी पड़ती है, तब उसके बारे में सोचना पड़ता है। उसे भी हितकर ही मानता हूं क्योंकि उस चिन्तन के सहारे लेखक उस रचनासे थोड़ी और दूर हट जाता है, उसे कुछ तटस्थ होकर देख लेता है और उसे निस्संगता को थोड़ा और पुष्ट कर लेता है जो रचना पूरी हो जाने के बाद उसके प्रति हो जानी चाहिए - इदं सरस्वत्यै इदं न मम।'

अज्ञेय ने कहानी के माध्यम से बहुत कुछ संप्रेषित करना चाहा। जैसा कि अन्य रचनाओं की विधा में वह करते हैं। अज्ञेय रचना में पहला धर्म अभिव्यक्ति नहीं सम्प्रेषण को स्वीकार करते हैं। कहानी-कला भी संप्रेषण की उच्चतम स्थिति का माध्यम या साधन हैं। अज्ञेय कहानी-लेखन पूर्ण रूप से सजग होकर करते हैं। कहानी-प्रेम अज्ञेय को बार-बार कहानी को विभिन्न कसौटीयों में कसकर देखता हैं। अज्ञेय के लिए रचना-कर्म हमेशा अर्थवत्ता की खोज से जुड़ा रहा है। अज्ञेय के मतानुसार - 'मैंने हमेशा माना है कि रचना का पहला धर्म अभिव्यक्ति नहीं, संप्रेषण है। इस नाते प्रत्येक रचना स्वयं अपने लिए वह स्थिति उत्पन्न करती है जिसमें संप्रेषण हो - और अगर नहीं करती तो असफल होती है। इसलिए कहानियां या प्रत्येक कहानी तो अपना काम स्वयं करेगी ही - अथवा नहीं करेगी तो असफल होगी, लेकिन उसक प्रक्रिया के भली-भांति संपन्न होने के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण में भूमिका का योग हो सकता है। संप्रेषण की स्थिति बनाने में रचनाकर सचेत अथवा अवचेतन भाव से कुछ दूरी की स्थापना कर लेता है जिस पर से संप्रेषण की प्रक्रिया सम्पन्न होगी, बल्कि यह कह सकते है कि वे दो दूरियां निर्धारित कर लेता है जो इस प्रक्रिया के निष्पादन के लिए आवश्यक है वस्तु से दूरी और पाठक से दूरी। पहली दूरी का संबंध यथार्था के निरूपण और प्रतिष्ठापन से है; दूसरी दूरी संवाद की अवस्था और संबंध को निर्धारित करती है। पहली दूरी का निर्णय तो अन्तिम रूप से रचना में ही हो चुका होता है; दूसरी दूरी को ही भूमिका द्वारा प्राप्त या निरूपित किया जा सकता है। वैसे यह स्पष्ट होना चाहिए कि पाठक के साथ संवाद को सही स्थिति बन जाने पर पहली दूरी का रूप थोड़ा तो बदल ही जाएगा; क्योंकि लेखक स्वयं को देख चुका है उसे वह कैसे दर्शा रहा है। इसके स्पष्टीकरण में दूसरी दूरी के निरूपण का भी योग होगा।'

अज्ञेय कहानी के माध्यम से समाज को साथ ले सकने की बात करते है, जो समस्या संप्रेषण की है, यथार्थ की खोज अज्ञेय के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें समस्त पाठक वर्ग को सम्मिलित करना अज्ञेय स्वीकार करते है। इस प्रकार कहानी के माध्यम से सही परिप्रेक्ष्य के बात करते हैं जो सही भी है -

'असल बात तो समाज को ही साथ ले चलने की है, संप्रेषण की है, स्वयं कहीं पहुंच जाने-भर की नहीं; अभिव्यक्ति मात्र की नहीं।

यथार्थ की खोज-सार्थक यथार्थ की खोज - की अपनी यात्रा में अपने पाठक को साथ ले जाना चाहता हूं, इस अर्थ में नहीं कि जो पथ में पार कर चुका उसे पाठक के साथ दुबारा नापूं, इस अर्थ में कि एक मानचित्र के साथ पाठक को वह पूरा परिदृश्य दिखा दूं जिसमें से होती हुई मेरी यात्रा गुजरी। यह शायद मेरी कहानियों को ही नहीं, कहानी मात्र को आज की कहानी संबंधी चर्चा कोएक परिप्रेक्ष्य दे सकेगा, जो मेरी समझ में सही परिप्रेक्ष्य होगा और जो यथार्थ का यथार्थ अर्थ करने में भी सहायक होगा।'

कहानी के सन्दर्भ में अज्ञेय के विचार एकदम स्पष्ट एवं सुलझे हुए है जो उन्हें क्षण मात्र का चित्र प्रस्तुत करने की महारत देते है। कहानी की सम्यक् पूर्ण परिभाषा न देते हुए कहानी के संपूर्ण पक्ष को समेटेने का प्रयास करते हैं जिसमें प्रभावी डायलॉग, एकमनोदशा, एकदृष्टि, आभ्यान्तर झाँकी, आकस्मिक उन्मेष, संत्रास, तनाव, प्रतिक्रिया, प्रक्रिया के साथ-साथ 'चित' का अर्थ, वर्णन, निरूपण, रेखाकंन, सम्पूंजन सूचन, संकेतन, अभिव्यंजन, रंजन, प्रतीकन, द्योतन, आलोकन, रूपायन या इनके विभिन्न जोड़-मेल। इसीलिए अज्ञेय स्पष्ट करते हुए अभिव्यक्त करते है कि 'कहानी की सम्यक परिभाषा का प्रयत्न न करते हुए मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि कहानी एक क्षण का चित्र प्रस्तुत करती है। 'क्षण' का अर्थ हम चाहे एक छोटा काल-खंड लगा लें, चाहे एक अल्पकालिक स्थिति, एक घटना, प्रभावी डायलॉग, एक मनोदशा, एक दृष्टि, एक बाह्य या आभ्यन्तर झांकी, समझ का एक आकस्मिक उन्मेष, संत्रास, तनाव, प्रतिक्रिया, प्रक्रिया इसी प्रकार 'चित्र' का अर्थ वर्णन निरूपण, रेखांकन, सम्पुंजन, सूचन, संकेतन, अभिव्यंजन, रंजन, प्रतीकन, द्योतन, आलोकन, रूपायन, जो चाहें लगा लें - या इनके विभिन्न जोड़-मेल। बल्कि और भी 'महीन मुंशी' तबीयत के हों तो हम 'प्रस्तुत करने के अर्थ को लेकर भी काफी छान-बीन कर सकते हैं। उस सबके लिए

* अतिथि विद्वान (हिन्दी) शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

न अटक कर कहें कि कहानी क्षण का चित्र है; और क्षण क्या है इसकी हमारी पहचान निरंतर गड़बड़ रही है संदिग्ध होती जा रही है। और इससे भी विलक्षण बात यह हैं कि जब हम 'क्षण' की बात कहते हैं तो सिर्फ काल के संबंध में कुछ नहीं कह रहे हैं, बल्कि दिक् और काल की परस्पर-भेदक और परस्पर-भिन्न अवस्थिति के बारे में कुछ कह रहे हैं।'

कहानी और काव्य की तुलना करते हुए अज्ञेय अनेक बार पाठकों से आलोचकों से प्रति प्रश्न करते हैं कि कहानी लेखन वह भी अच्छा कहानी-लेखन अच्छे कवियों द्धारा किया गया है, कवि दृष्टि कहानीकार को स्पष्ट करती है उसे सुलझाती है। कहानी को संपूर्णता प्रदान करती है। इसका उदाहरण है 'रवींद्रनाथ ठाकुर' की कहानियाँ डेटेड क्यों लगती है इसका भी स्पष्ट तर्क अज्ञेय के पास है।

'लेकिन पिछली एक पीढ़ी से कहानी-संबंधी सारी चर्चाएं इसी बात के आस-पास घूमती रही है। कवि न होना, कवि-दृष्टि न रखना, कहानीकार का सबसे बड़ा गुण माना और सिद्ध किया जाता है : कहानीकार द्धारा भी और कहानी की अलग-अलग प्रवृत्तियों के पैरोकार के द्धारा भी। मुझे यह बात जरा भी बेतुकी नहीं लगती कि भारत के महान कहानीकारों की गणना में पहला नाम रवींद्रनाथ ठाकुर का हो। यह भी मुझे जरा भी अप्रत्याशित नहीं लगता कि हिन्दी में भी अपने समकालीनों में और युवतर लेखकों में भी जिनकी कहानियां हम दोबारा पढ़ते हैं और रूचि से यह पढ़ सकते हैं, वे भी कवि हैं - कवि भी है और कहानीकार से पहले कवि रूप में पहचानते जाते है। नि:संदेह कवीतर कहानी -लेखकों की कहानियां भी मुझे कई बार बड़ी मार्मिक और अधिक 'सफल' भी, जान पड़ी है। पर कई बार पढ़ चुकने पर दोबारा सहज प्रवृत्ति से उनको पढ़ते जाने की संभावना कम दिखी है। क्या पढ़ी हुई कहानी को दोबारा पढ़ने की सहज प्रवत्ति का होना इसबात का प्रमाण नहीं है कि उस कहानी की भीतरी दूनिया में टिकाऊपन के कोई तत्व है ? या कि उसने यथार्थ के एकाधिक स्तरों के संकेत दिए है, जो सब स्तर पहले ही वाचन में उद्घाटित नहीं हो गए है ? नि:संदेह ये कहानियां भी डेटेड होंगी: रवींद्रनाथ ठाकुर की कहानियों बहुत डेटेड लगती है पर जहां एक साथ ही कालग्रस्त और कालजित् का साक्षात्कार होता है वहां, क्या यह भी नहीं दिख जाता कि जो डेटेड हुआ है वह बहिरंग है, तंत्र, भाषा, शब्दावली, मुहावरे, सामाजिकता आदि का है; और अब भी मर्म को छुता है या दोबारा आमन्त्रित करता है वह अंतरंग है, मानवीय संवदेन में बद्धमुल है और उसी को उद्धेलित करता है ?'

नयी पीढ़ी में कहानी-लेखक काव्य-तत्व विरोधी रहा है। इस मत के अनेक नये आलोचक उभरकर सामने आए है परन्तु कहानी-कला में यथार्थ और यथार्थ की पकड़ के सम्बन्ध में जैसे-जैसे दावे किए गए हैं वे हास्यास्पद तक हो गए है। कहानीकार ने क्या कर दिया है, या कहानी क्या करती है, दावे इसको लेकर हैं, जबकि विचार वास्तव में दूर दृष्टि से होना चाहिए कि कहानी में क्याहो गया है और कहानीकार को क्या हो रहा है। कहानी में केवल बाहर का यथार्थ नहीं बदला है, आभ्यान्तर यथार्थ भी बदला है। कहानीकार दूसरे ढंग से देखता है और लिखता है तो इसलिए कि वह इस दूसरे ढंग से ही देख और लिख सकता है। अज्ञेय इसी मत के खोजी है अपने सटीक एवं सुस्पष्ट तर्क से इसे साबित भी करते हैं। कि कहानी-कला के बारे में उनकी क्या धारणा हैं। इसी धारणा को निम्नलिखित चिंतन से सुलझाने का प्रयास आधुनिक कहानी लेखन में करते हैं 'एक पीढ़ी से हिंदी कहानीकार-समाज का रूझान काव्य तत्व-विरोधी रहा है। उसका ऐतिहासिक कारण तो है ही - कि कहानी में संप्रेषण का आंदोलन कविता में उसके आंदोलन के बाद, समांतर, अनुक्रिया और प्रतिक्रिया के रूप में आया। पर इतना भर होता तो वह कोई चिंता की बात नहीं थी। लेकिन आंदोलन के बढ़ते हुए चरणों में धीरे-धीरे यह स्पष्ट कर दिया है कि उसके चिंतन में युक्त्याभास बढ़ता गया। तंत्र की, कसाव की दृष्टि से कहानी ने नि:संदेह प्रगति की है : आज का अच्छी कहानीकार अधिक कुशल है, अधिक सतर्क शिल्पी है : उसकी भाषा अधिक पैनी और सधी हुई है। लेकिन यथार्थ और यथार्थ की पकड़ के संबंध में जैसे-जैसे दावे किए गए है वे हास्यास्पद तक हो गए है। कहानीकार ने क्या कर दिया है, या कहानी क्या करती है, दावे इसको लेकर है; जब कि विचार वास्तव में इस दृष्टि से होना चाहिए कि कहानी में क्या हो गया है और कहानीकार को क्या हो रहा है।.... यह कोई नहीं कह सकता कि आदर्शवादी कभी होते ही नहीं थे, या कि समाज में मूल्यों की (किन्हीं भी मूल्यों की) प्रतिष्ठा ही नहीं होती थी। यह तो आज के व्यापक मोह-भंग और मूल्यहीनता के बावजूद अब भी नहीं कहा जा सकता! तब फिर वैसे समाजों में आदर्शवादी को देखना-दर्शाना, उन मूल्यों को प्रतिष्ठित या कार्य-प्रेरक स्थिति में दिखाना 'यथार्थ की पकड़' का ही रूप होगा - चाहे वे मूल्य या आदर्श कालांतर में झूठे भी सिद्ध हो गए हों, उनका स्थान दूसरी मूल्यदृष्टियों ने ले लिया हो।'

अज्ञेय के मतानुसार यथार्थ सचमुच इकहरा नहीं होता है। यथार्थ बहुस्तरीय, जटिल और गुथीला भी है। इसमें बहुविधिदर्शन, साक्षात्कार, निदर्शन और निवर्चन भी संभव है। अज्ञेय कहते है कि कवि दृष्टि से देखा गया यथार्थ अधिक गहरे अर्थ में 'प्रत्यक्ष' होता है।

'यह बात तो तब भी टिकेगी अगर यथार्थ सचमुच इकहरा ही होता हो। और यह में पहले ही कह आया हूं कि वह वैसा कभी नहीं होता और उसकी एक ही तह या सतह को देखना ही उसे अयथार्थ कर देना है। यथार्थ बहुस्तरीय, जटिल और गुथीला भी है, इसके अनुरूप उसका बहुविधि दर्शन, साक्षात्कार, निदर्शन और निर्वचन भी संभव है। हमारी धारणा है कि ठीक यही कहानी में जो कवि का योग हो सकता है। कवि-दृष्टि ही कदाचित् ऐसा साक्षात्कार कर सकती है - कवि दृष्टि देखा गया यथार्थ अधिक गहरे अर्थ में 'प्रत्यक्ष' होता है।

निष्कर्ष - मगर इस सबके बावजूद कहानी और उसकी चर्चा में आज का रूझान काव्य, तत्व विरोधी है। कहा नहीं जा सकता कि यह प्रवृत्ति बदल जाएगी - यह कि कब बदलेगी। किंतु मेरी धारणा है कि अगर इसका प्रभुत्व स्थाई बना रहा तो कहानी-साहित्य, दुर्बलतर ही होगा। सतह की चमक और बनावट को पकड़ने और प्रतिबिंबित करने की उसकी दक्षता बढ़ती जाएगी, पर आभ्यंतर वस्तु की पहचान छुटती जाएगी और उस पहचान को दूसरे तक पहुंचाने की क्षमता ही मिटती जाएगी। और मैं कह चुका हुं कि संप्रेषण का तत्व बुनियादी तत्व है।'

कहानियों के सन्दर्भ में कुल मिलाकर अज्ञेय यही कहना चाहते हैं जो सम्पूर्ण शोध-पत्र का सार है, वह सार है -

'कहानी पर प्रत्यय रखो, लेखक पर नहीं।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अज्ञेय सम्पूर्ण कहानियां-भूमिका पृ. 5
2. वहीं पृ. 6
3. वहीं पृ. 7
4. वहीं पृ. 7
5. वहीं पृ. 14
6. वहीं पृ. 14-15
7. वहीं पृ. 15
8. वहीं पृ. 17

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) October to December 2019, Vol. I

नारी के विविध रूप - वाल्मीकि रामायण के संदर्भ में

डॉ. विनय कुमार सोनवानी *

प्रस्तावना - भारतीय समाज में नारी के भिन्न-भिन्न रूप दिखाई देते हैं जैसे-माता, पत्नी, कन्या, विमाता, गणिका, विधवा, आदि। वाल्मीकीय रामायण में इनके विविध रूपों का चित्रण इस प्रकार किया गया है -

माता - पत्नी के जीवन की गौरवमय परिणति एवं उसके व्यक्तित्व का विकास मातृत्व में जाकर होता है। वंश प्रवर्तन ही उसके सौन्दर्य की सफलता का सूचक है। भारत में माता को जननी भी कहा गया है, क्योंकि वही बालक को जन्म देती है। उसे बालक का सर्वप्रथम हितैषी कहा गया है। इसलिए तैतिरीयोपनिषद् का स्नातकों के सम्बन्ध में आदेश वाक्य है - 'मातृदेवो भव।'

रामायणकालीन समाज में माता का सम्मानीय स्थान था। पुत्र को अपने सभी कार्य के लिए माता से आज्ञा लेनी पड़ती थी। इसलिए राम को जब उनके पिता ने राज्याभिषेक की आज्ञा दी , तो उन्होंने माता को भी इसकी सूचना दी -

'अम्ब पित्रा नियुक्तोस्मि प्रजापासन्कर्मणि ।
भक्तिा श्चोडभिषेको में यथा में शासनं पितृः ।।'

इसी प्रकार राम ने वनगमन के आदेश को माता के पास जाकर कहा -

'यावन्यातरमापृच्छे सीसा चानुनपाम्यहम्।
तथैव गमिष्यामि दण्डकानां महद्धनम् ।।'

तत्कालीन समाज में माता की आज्ञा सर्वोपरि मानी जाती थी। यद्यपि दशरथ ने राम को वनगमन का आदेश नहीं दिया, पर कैकेयी से ही उनकी इच्छा जानकर तथा कैकेयी का आदेश मानकर राम ने कहा कि मैं तुम्हारे कहने मात्र से भरत के लिए राज्य, सीता और प्राणों को प्रसन्नता से दे सकता हूँ -

'अहं हि सीतां राज्यं च प्राणातिष्टान् धनानि च ।
हृष्टो भ्रातत्रे स्वयं दद्यां भरताय प्रचोदितः ।।'

माता का प्रथम कर्तव्य बालक का पोषण था, परन्तु इसकी पूर्ति कर्तव्य की दृष्टि से नहीं की जाती थी, अपितु वात्सल्य प्रेम से विह्लल होकर माताएँ अनेक प्रकार की यातनाओं एवं कष्टों को सहते हुए आनन्दपूर्वक अपने पुत्रों का लालन-पालन करती थीं। माताओं का दूसरा कर्तव्य बालक को प्रारंभिक शिक्षा देना भी था।

पत्नी - भारतीय समाज में पत्नी का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वह गृहस्थी रूपी रथ के पहिए के समान है, जिसके अभाव में गृहस्थी का चलना मुमकिन ही नहीं है। रामायण में सीता की प्रतिष्ठा एक आदर्श पत्नी के रूप में है। सीता का कहना है कि पत्नी के लिए पति की सेवा के समान न कोई दूसरा तप है, न व्रत है, न देवपूजन है -

'शुश्रूषामेव कुर्वीत भर्तुः प्रियहिते रताः ।
एषा धर्मः स्त्रियों नित्यो वेद लोके श्रुतः समृतः।।'

इसका कारण सीता ने बताया है कि स्त्री की गति माता-पिता नहीं, अपितु केवल पति ही है -

'पिता नात्मजीवत्मा न माता न सखीजनः।
इह प्रेत्य च नाराणां पतिरेको गतिः सदाः।।'

पत्नी की पति की सेवावृत्ति की पराकाष्ठा तो वहाँ स्पष्ट होती है, जहाँ कभी घर से बाहर न निकली हुई सीता राम से कहती हैं कि वन में आपके आगे कुश-कण्टकों को तोड़ती हुई मैं चलूँगी-

'यदि त्वं प्रस्थितो दुर्गं वनमद्यैव राघव।
अग्रस्तुते गमिष्यामि मृद्नन्ति कुशकण्टकान्।।'

पति के प्रवास में होने पर स्त्री को विशेष नियम-व्रतों का पालन करना होता है। पति के द्वारा निर्दिष्ट आदेशों का पालन स्त्री के लिए नितान्त आवश्यक है । व्रत, सत्य का पालन, सरल एवं स्वल्प वेशभूषा, श्रृंगार, आमोद, प्रमोद, भोजन आदि से अनासक्त रहकर पति के चिन्तन मे ही रहना उसका परम कर्तव्य है-

'न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमर्हति भामिनी ।
न भोक्तुं नायलयंगर्तुं न पानसुपसेवितुम् ।।'

पत्नी को किसी पर पुरूष के सम्पर्क में चाहे वह देवराज इन्द्र ही क्यों न हों, उसे नहीं जाना चाहिए। हनुमान के द्वारा पीठ पर बैठाकर राम के पास ले जाने के प्रस्ताव को सीता ने अपने एवं राम के लिए अनुपयुक्त समझकर अस्वीकार कर दिया-

'भर्तुभक्तिं पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर।
नाहं स्प्रष्अुं स्वतो गात्रमिच्छेयं वानरोत्तम।।'

कन्या - रामायणकालीन समाज में कन्या का आगमन शुभ माना गया है। वाल्मीकि के अनुसार जब पुत्री घर में जन्म ग्रहण करती है, तभी से उसके घर में सुख एवं समृद्धि की अतिशय वृद्धि होने लगती है; सीता के आने से जनक का घर धन, धान्य एवं सुख-समृद्धि से परिपूर्ण हो गया -

'अवाप्तो विपुलामृद्धिं मामवाप्य नराधिपः।'

लेकिन विवाहयोग्य कन्याओं की बढ़ती हुई आयु को देखकर माता-पिता के मुख से चिन्ता के उद्गार भी अभिव्यक्त होते हैं-

'कन्यापितृत्वं दुःखं हि सर्वेषां मानकाड्.क्षिणाम् ।'

कुमारी कन्याओं को मांगिलक तथा उनकी उपस्थिति को शुभ शकुन माना जाता था। रामायण में धार्मिक एवं सार्वजनिक व्रत-उत्सवों में सुन्दर अलंकारो से अलंकृत अविवाहित कन्याओं की उपस्थिति से अवसर की मांगिलकता में अभिवृद्धि होना स्वाभाविक बताया गया है-

'अष्टौ च कन्या रूचिरा मत्तश्रच वरवारणाः।'

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय कोतमा जिला - अनूपपुर (म.प्र.) भारत

सपत्नी – रामायणकालीन समाज में बहुपत्नी विवाह–प्रथा प्रचलित थी, अत: उस समय राजाओं की सपत्नियाँ हुआ करती थी। वह बहुपत्नी–प्रथा समाज की एक दुर्बल अंग थी और आए दिन परिवार में कलह का कारण बनती थी। वर प्रदान करने के लिए असमंजस में पड़े राजा दशरथ पर कैकेयी ने व्यंग्य किया था कि राम को राज्य देकर तुम मेरी सपत्नी के साथ निर्द्वन्द्व होकर रमण करना चाहते हो–

'स त्वं धर्म परितयजय रामं राजयेभिषिच्य च ।
सह कौशल्'ा नितयं रन्तुमिच्छसि दुर्मते ।।'

तत्कालीन स्त्रियों मे सपत्नी सुलभ ईर्ष्या–भावना की पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती है। राम के राज्याभिषेक के अवसर पर कैकेयी के मन में द्वेष के उत्पन्न होने के मूल में यही भावना विद्यमान थी। कौशिल्या के विविध कार्यकलापों का स्मरण कराकर कैकेयी को समझाया कि किये हुए अपकार का बदला वह राजमाता बनकर तुमसे लेगी। कौशल्या को यह सोचकर कष्ट हो रहा हैं कि पट्टमहिषी होते हुए भी उसे अपने से छोटी सपत्नियों के कटुवाक्य सहने पड़ेंगें, इससे बढ़कर नारी को और क्या दु:ख हो सकता है –

'अहं श्रोष्ये सपत्नीनामवराणां परा सती।
अति दु:खतरं किन्नु प्रमदानां भविष्यति।'

इस प्रकार तत्कालीन समाज में सपत्नियों की नकारात्मक भूमिका के दर्शन होते हैं, जो परस्पर ईर्ष्या करती हुई परिवार में अशान्ति उत्पन्न करती थीं।

विमाता – सपत्नी के समान ही विमाता के चित्त में सपत्नी के पुत्र के प्रति ईर्ष्या होना नितान्त स्वाभाविक है। रामायण में सपत्नी–पुत्र की समृद्धि को मृत्यु के समान भयंकर माना गया हैं– 'यदा हि राम: पृथवीमवाप्स्ये ध्रवं प्रणष्टो भरतों भविष्यति।' माताएँ अपने पुत्रों को सौतेले भाइयों से विशिष्टता प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया करती थी। रामायण की कैकयी को अपने सौतेले पुत्र राम से इतना द्वेष है कि वह उसे विवासन किये बिना किसी प्रकार से सन्तुष्टि नहीं प्राप्त कर सकती– 'भरतेनात्मना चाहं शपे ते मनुजाधिप तथा नान्येन तुष्येयमृते राम विवासनात्। भले ही सौतेली माता कैकेयी का राम के प्रति इतना द्वेष था, फिर भी राम एक आदर्श पुत्र के रूप में सीता से वनगमन के समय सभी माताओं को समान भाव से सेवा शुश्रूषा करने का आदेश देते हैं–

वन्दितव्याच्श्र से नित्यं या: शेषा: मम मातर:।
स्नेहप्रणयसम्भोगै: समा हि मम मातर:।।

अपनी विमाताओं के प्रति भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न के समभावों को देखकर भी यही लगता है कि तत्कालीन समाज में विमाताएँ अपने सौतेले पुत्रों के प्रति भले ही समभाव रखती हों, लेकिन पुत्र उनका समान रूप से आदर करते थे।

गणिका – रामायणकालीन समाज में गणिकाओं की स्थिति अच्छी कही जा सकती है। मांगलिक उपस्थिति को शुभ माना जाता था। राम के यौवनराज्याभिषेक के अवसर पर महर्षि वशिष्ट ने अलंकृत वारांगनाओं को राजमहल में उपस्थित रहने का आदेश दिया था–

'सर्वे च तालापचरा गणिकाच्श्र स्वलड्.कृता:।
कक्ष्यां द्वितीयामासाद्य तिष्ठन्तु नृपवेश्मन:।।'

राम के वनवास से प्रतयावर्तन के समय भी भरत ने राम के स्वागत के लिए गणिकाओं के समूह को आयोजित किया था–

'सर्वे वादिन्नकुशला गणिकाच्श्रैव सर्वश:।
अभिनिर्यान्तु रामस्य द्रष्टुं शशिनिभं सुखम्।।'

इसके अतिरिक्त युद्ध की दृष्टि से भी गणिकाओं का स्थान महत्वपूर्ण माना गया है। सैनिकों को युद्ध–भूमि पर प्रोत्साहित करना तथा उन्हें देश रक्षा के लिए प्रेरित करना उनका प्रमुख कार्य था। दशरथ ने राम के साथ वनगमन के लिए चतुरंगिणी सेना के साथ साथ मधुरभाषिणी गणिकाओं को भी जाने का आदेश दिया था–

'रूपाजीवाच्श्र वादिन्यो वणिजच्श्र महावना:।
शोभयन्तु कुमारस्य वाहिनी: सुप्रसारिता:।।'

विधवा – भारतीय समाज में वैधव्य को एक महान् अभिशाप के रूप में देखा जाता रहा है। रामायण के अनुसार कुलस्त्री के लिए वैधव्य से बढ़कर और कोई विपत्ति नहीं हो सकती –

'भयानामपति सर्वेषां वैधव्यं व्यसनं महत्।'

बाली की मृत्यु पर उसकी पत्नी तारा अन्न–जल छोड़कर प्राणत्याग करने का निश्चय कर लेती है। इसी प्रकार राम की तथाकथित मृत्यु की सूचना पाकर सीता अपने पति के अनुगमन का संकल्प करती हैं –

'शिरसा में शिरच्श्रास्य कायं कायेन योजय।
रावणानुगमिष्यामि गतिं भर्तुर्महात्मन:।।'

किन्तु विधवाओं के ये उद्गार पति–शोक की प्रारंभिक तीव्रता मात्र ही परिलक्षित होता है, क्योंकि जहाँ वे पुनर्विवाह से वंचित होकर अपना समस्त जीवन वैधव्य की ज्वाला में क्षीण करती रही है, वहीं अन्य दृष्टिकोण से वे समाज एवं परिवार में स्नेह एवं सम्मान की पात्र भी बनती रही हैं। रामायणकालीन समाज में विधवाओं के प्रति सम्मान जनक दृष्टिकोण रहा है। मांगलिक अवसरों पर उनकी उपस्थिति अशुभ नहीं मानी जाती थी। राम के राज्याभिषेक के समय सीता का श्रृंगार उसकी विधवा माताओं ने ही किया था–

'प्रतिकर्मि च सीताया: सर्वा दशरथस्त्रिय:।'

राम के वनवास से प्रत्यावर्तन के अवसर पर जिन लोगों ने उनका स्वागत किया उनमें उनकी विधवा माताएँ भी थी। इसी प्रकार शत्रुघ्न जब मधुपुरी में प्रतिष्ठित हुए थे, उस समय भी राजभवन में समस्त मांगलिक एवं अरष्टिनाशक कृत्यों का सम्पादन कौशल्या, कैकेयी एवं सुमित्रा ने किया था–

'कौशिल्या च सुमित्रा च मंग्डलं कैकेयी तथा।
चक्रुस्ता राजभवने याच्श्रान्या राजयोषित:।।'

इस प्रकार यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए, तो रामायणकालीन नारी के कुछ रूप तो नि:सन्देह समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कुछ रूप उनके सर्वांगीण गुणों पर कुछ प्रश्नचिन्ह भी उठाते हैं। इसी प्रकार यदि उनकी सामाजिक स्थिति को संक्षेप में कहें, तो कुछ मामलों में निस्सन्देह उनकी स्थिति सन्तोषजनक थी; किन्तु कुछ मामलों में उनकी दयनीय स्थिति को भी नकारा नहीं जा सकता है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि अन्य कालों की अपेक्षा रामायणकालीन नारी–समाज उन्नत व्यवस्था में था।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

भारतीय भाषाओं में रचित रामकाव्य में सामाजिक जीवन मूल्य

प्रफुल्ल कुमार टेम्भरेकर *

प्रस्तावना – श्री राम भारतीय मनीषा के विराट सांस्कृतिक उत्कर्ष हैं। जीवन के उद्दात्त भावों को अपने कार्य–व्यवहारों में निरंतर रूप देने वाले राम संस्कृति मूल्य, चेतना, आस्था और विश्वास के शिखर हैं। शील, संकोच और शालीनता जैसे चारित्रिक गुण जब भी किसी में निहित होते हैं, तो उचित समय पर इसका दिव्य प्रतिफलन भी सामाजिक फलक पर अवश्य ही होता है। राष्ट्रीय एकीकरण, सामाजिकता तथा उत्तर–दक्षिण को एक सूत्र में बद्ध कर देने वाले राम विश्व–बंधुत्व के आदर्श हैं।

राम कथा की एक समृद्ध परम्परा है। आदिकवि वाल्मीकि की रामायण से शुरू हुई यह महागाथा संस्कृत के साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं में भी निरंतर विभिन्न काल–संदर्भो में प्रस्तुत होती है। समय, काल और परिवेश में अपने मूल्यबोध के कारण रामकथा कालजयी और शाश्वत है। भारत में ही नहीं सम्पूर्ण विश्व में 'रामकथा' का अपना एक विशिष्ट महत्व है। राम का चरित्र अपने आप में वैश्विक है। रामकथा काव्य की कथा वस्तु मात्र न रहकर आदर्श जीवन का वह दर्पण सिद्ध हुई जिसे भारतीय प्रतिभा शताब्दियों तक परिष्कृत करती रही है।[1] रामकथा में इसी परिष्कार की कहानी को ही राम–काव्य की परम्परा के नाम से जानते हैं।

रामकथा से संबद्ध सर्वप्रथम प्राकृत चरितकाव्य व उपचरिय हैं। संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि रामायण का है वही स्थान प्राकृत में चरितकाव्य का है। इसमें सामाजिक जीवन मूल्यों का अद्यभूत वर्णन किया गया है इसमें राजा दशरथ की तीनों रानियों अपराजिता, सुमित्रा और कैकेयी की चर्चा हुई है। चरितकाव्य में एक तरफ भरत भाई के आदर्शो का पालन करते हुए राम के अनुरोध को स्वीकार नहीं करते वहीं दूसरी तरफ राम पिता के वचन पालन हेतु चुपचाप वन की ओर चले जाते हैं। उनके वनवास गमन का अभिप्राय: यह है कि राज परिवार कलह से निवृत्त हो सके; राजा दशरथ की चिंता दूर हो और भरत कलंक से रहित निर्भीक रूप से राज कर सके। राम जो अनेक संघर्षों और व्यक्तिगत कष्टों में पड़े रहने पर भी सदैव मुस्कुराते रहे तथा लक्ष्मण की सराहना और सीता को सांत्वना देते रहे, वही राम पत्नि विरह के आघात में मूर्च्छित हो जाते हैं। इन सभी भावों को प्राकृत लोक साहित्य के भारतीय सामाजिक एवं संस्कृति में ही दृष्टिगत किया जा सकता है।

सामाजिक जीवन–मूल्यों की नींव बहुत कुछ परिवार पर टिकी रहती है। जैसा कि कहा गया है, व्यक्तियों से परिवार बनता है। पारिवारिक संबंधों में पिता–पुत्र संबंध, पति–पत्नी, भ्रातृत्व, पतिव्रत, पत्नीव्रत, वात्सल्य, नारी के प्रति सम्मान भाव आदि एक तरह से सामाजिक प्रतिबद्धता को उद्घारित करते हैं। राम आदर्श पुत्र हैं। राम को लक्ष्मण जैसा भाई मिलना और लक्ष्मण को राम जैसा भाई मिलना भी परम सोभाग्य है। राम लक्ष्मण को अपनी इन्द्रियाँ मानते हैं। लक्ष्मण भाई राम की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। संकट की हर घड़ी में भी वो राम के साथ एक पैर पर खड़े रहते हैं।

राजस्थानी भाषा में रचित 'रामरासौ' में वर्णित सामाजिक जीवन मूल्य के दर्शन होते हैं। हनुमान द्वारा बिल्ली का रूप धारण कर लंकापुरी में सीता की खोज हेतु प्रवेश करना और हनुमान द्वारा काफी देर तक सीता को न ढूंढ पाने और राम के पास बिना सीता का पता लगाए जाने की बजाय आत्महत्या का निश्चय करना एक स्वामी भक्त के रूप में हनुमान का चरित्र स्पष्ट होता है।

श्रीमंत कुमार व्यास द्वारा रचित प्रबन्ध काव्य 'कैकयी' में कैकयी के चरित्र का वर्णन करते हुए एक आदर्श माता का दायित्व निभाया है। इस रचना के माध्यम से कवि ने कैकयी पर लगे लांछन को धोने के लिए कैकयी द्वारा राम–वनवास की घटना को इस रूप में प्रस्तुत किया है कि कैकयी जानती थी कि दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की हत्या होने से उन्हें श्राप मिला हुआ था कि उनकी मृत्यु पुत्र वियोग से होगी। जब राम के राजतिलक का निर्णय हुआ तो पहले तो प्रसन्न होती हैं लेकिन श्राप की याद आते ही उनका मन अस्थिर हो जाता है और वह सोचती है कि कहीं ऐसा न हो दशरथ के जीते जी राम की मृत्यु ना हो जाए और दशरथ को राम के वियोग में तड़प–तड़प कर प्राण त्यागने पड़ें। इसलिए उसने राम के लिए चौदह वर्ष का वनवास मांगा।[2]

रामकथा मानवीय संवेदनाओं और संबंधों की ऊर्जस्वित विश्वगाथा है। गुजराती भाषा में रचित 'गिरधर रामायण' इसमें रघुवंश की कथा को पारिवारिक संदर्भों एवं संबंधों का सम्पुट देकर तथा राम–रावण युद्ध को उपलक्षण की तरह प्रस्तुत करके, रामचन्द्र के देवत्व और मनुजत्व को एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया गया है। अहल्या–प्रसंग में श्रीराम ने शिला को अपने चरणों से स्पर्श नहीं किया अपितु चरणों की धूल उड़कर मूर्तिमंत अहल्या पर गिरी, जिसके प्रभाव से वह चैतन्य हो गयी। दीपालीबाई द्वारा रचित 'रामायण' में राम का वन जाने का कारण देते हुए कहती हैं कि राम के वन जाने से नगरजनों के साथ वह दुखी होगी ऐसा कहकर चन्द्रमा को अस्त न होने की विनती करती है। सूर्य से भी उदित न होने की प्रार्थना करती है।[3] कन्नड भाषा में रचित नागचन्द्र कृत 'पम्परामायण' में रामायण की कथा में निहित महाखलनायक के व्यक्तित्व का उदात्तीकरण कर रामायण में विस्तार किया गया है।[4] राम की सहायता हेतु सुग्रीव अपने दोस्त हनुमान के माध्यम से सीता का पता लगाकर भयंकर युद्ध के बाद लक्ष्मण के द्वारा रावण की हत्या होती है। इस रामायण में भी सामाजिक मूल्य का वर्णन मिलता है दोस्त की सहायता हेतु दोस्त का आगे आना। कनकदास कृत 'रामधान्य चरित्र' रचना के माध्यम से कनकदास वैभव से वैराग्य की ओर, शूद्रत्व से ब्राह्मणत्व

* शोधार्थी (हिन्दी) अटल बिहारी वाजेपयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

की ओर, वीरता से भक्ति की ओर बढ़े थे। इन्होंने वर्ग-वैषम्य, जाति-भेद, वर्ग-संघर्ष को खुद झेला था क्योंकि जाति से वे चरवाहा थे किंतु 'रामधान्य चरित्र' रचना में रामकथा गान के साथ रागी और धान का प्रसंग उठाकर कनकदास ने वर्ग संघर्ष को प्रस्तुत करने का प्रयास किया और रामकथा को एक नया आयाम देने की अनोखी कोशिश की है। श्रीराम पितृवाक्य परिपालनार्थ सीता और लक्ष्मण समेत वन में चले जाते हैं।

बांग्ला भाषा में रचित 'कृतिवास रामायण' में संकलित उपाख्यानों में धराधाम पर अवतीर्ण देवता रामचन्द्र पारिवारिक, सामाजिक, ललित-कोमल, स्नेहप्रवण तथा भक्तिवत्सल्य, देव-प्रकृति के रूप में पाते हैं। बंगाली जीवन के निर्माण में रामायण की देन अपरिसीम है। तभी पल्लीबाला की कुमारियाँ बैशाखी पुण्यतिथि पर व्रत समापन के बाद प्रत्याषा व्यक्त करती है-

सीता की भाँति सती बनूंगी,
रामचन्द्र जैसा पति पाऊँगी,
लक्ष्मण की भाँति देवर होगा,
कौशल्या जैसी सास मिलेगी,
दशरथ जैसे ससुर होंगे,
पति की गोद में पुत्र मचलेगा,
गॅटई भर गंगा जल में,
मरण होवे हरि चरणों में।[5]

कृतिवास रामायण में राम राज्याभिषेक के समय राम-सीता की ओर से वानरों को उपहार दिया जाता है। माता सीता के हाथ से लिया गया मूल्यवान हार हनुमान चबा-चबा कर फेंकने लगते हैं, तब लक्ष्मण हनुमान से इसका कारण पूछते हैं और उनके यह कहने पर कि जिस चीज में राम नाम का दर्शन न हो वह कितनी भी मूल्यवान वस्तु क्यों न हो मेरे लिए निरर्थक है। हनुमान द्वारा राम के प्रति समर्पण के भाव प्रकट होते हैं।

तमिल भाषा में रचित 'कल्हिकै' खण्ड काव्य में कवि ने अहल्या को प्रताड़ित, अपमानित, सताई हुई नारी जाति के प्रतिनिधि के रूप में चित्रित कर उसके मानसिक घुटन का मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया है। गौतम के साथ चलाए दाम्पत्य जीवन के कटु अनुभवों का उल्लेख स्वयं अहल्या वर्णन करती है। ये कटु जीवनानुभव सभी धर्म-पत्नियों के भी अनुभव हैं। कम्ब रामायण में शूर्पणखा जैसी दुश्चरित्रा के साथ भी राम का व्यवहार उदात्त है। राम विनोद में भी किसी का अपमान नहीं करते। स्त्रीत्व के प्रति हास-परिहास में भी आदर प्रकट करते हैं। कम्ब रामायण में मानवीय दुर्बलताओं से परित्राण और मानव-मात्र के कल्याण की भावना का प्राबल्य पाया जाता है। कम्ब रामायण का 'गुह' साधारण अल्पज्ञ नाविक नहीं है। वह श्रेष्ठ नायक है, सुयोग्य वीर है, उपकारी मित्र है और परम भावुक व्यक्ति है, ग्रामीण संस्कृति का आदर्श रूप है। सिर्फ राम के मुख से नहीं बल्कि कौशल्या के मुख से भी भाई कहलाकर कम्बन ने सामाजिक आदर्श उपस्थित कर दिया। कम्ब रामायण में चित्रित सतीत्व की प्रतिमूर्ति तारा और मन्दोदरी का अद्वितीय पतिव्रता सभी के लिए अवलम्बनीय है। शबरी और त्रिजटा की राम भक्ति वरणीय है। कम्ब रामायण में चित्रित नारी-पात्र हाड़-माँस के हैं तथापि उनमें पाई जाने वाली अलौकिक शुचिता, उदात्तता, त्याग, निष्ठा आदि सभी आज भी सामाजिक जीवन में सर्वथा अनुकरणीय है।

पति-पत्नी परिवार की रीढ़ है। पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहे इसलिए दोनों का समान रूप से समर्पित रहना भी आवश्यक है। राम और सीता दोनों आदर्श पति-पत्नी हैं। साकेत में हम देखते हैं कि सीता यदि आदर्ष पतिव्रता है तो राम आदर्श पति है। सीता ने पतिव्रत हित पर्णकुटी को स्वीकार किया है। श्रम एवं जीव दया के साथ पति सेवा ही सीता के जीवन का लक्ष्य है। अनुसूइया मंगलमय आशीश देते हुए सीता को पतिव्रता के महत्व से अवगत कराती है। उनके अनुसार पतिव्रत पालन से नारी का सिर उँचा होता है। भक्ति और प्रेम का आधार मानकर रचा गया 'बेर भीलनी खण्डकाव्य' शबरी के चरित्र की समस्त विशेषताओं को उद्घाटित करता है। आधुनिक हिन्दी रामकाव्य में नारी सम्मानजनक स्थिति में चित्रित की गई है। इन काव्यों मे नारी को पुरूष के समतुल्य माने जाने पर विशेष बल दिया गया है। नारी के शोषण उसकी अवहेलना और रूढ़िवादी दृष्टिकोंण पर तीखा प्रहार करते हुए नारी को विशेष महत्व दिया गया है। आधुनिक हिन्दी रामकाव्य की प्रमुख कृतियों में भी इस वैषिष्ट्य को देखा जा सकता है। शम्बूक, आलोक यात्रा में नारी की महत्त, 'माण्डवी' में नारी की सम्मानजनक स्थिति पर बल दिया गया है। वहीं सीता निर्वासन में नारी की प्रतिष्ठा देखी जा सकती है। इस प्रकार समाज में पुरूष को नारी के साथ ही पूर्णता प्राप्त होती है। इसीलिए समाज में स्त्री और पुरूष का अपना विशेष महत्व है।

भारतीय भाषा में रचित रामकथा एवं रामकाव्यों में सामाजिक जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति व्यापक स्तर पर हुई है, जो वास्तव में अनुकरणीय भी है। राम के बिना भारतीय समाज 'मानस' की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वर्तमान समय में हमें 'रामकथा' से सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि रामकथा हमें आपस में न केवल जोड़ती है, बल्कि मानव मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा भी देती है। लोक-चेतना, लोक-जीवन और लोक-संस्कृति में बसे हुए राम आज भी अपनी अविराम यात्रा करते हुए विश्व-बंधुत्व तथा विश्व-मंगल का सुदृढ़ सेतु-निर्माण कर रहे हैं। उनके विनीत व्यवहार के समक्ष विध्वंसात्मक तथा नकारात्मक शक्तियाँ भ्रमवश अगर ऐंठ-अकड़ प्रदर्शित करती है, तो राम नाम शौर्य और पराक्रम ही उसे घुटने टेकने के लिए विवश कर देता है। राम समग्रता में जीवन को अर्थ देने वाला संतुलित आचरण का अमोघ मांत्रिक नाम है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रामकथा और तुलसी - डॉ. कामिल बुल्के, पृ.क्र. 35
2. भारतीय भाषाओं में रामकथा (राजस्थानी भाषा) - संपादक डॉ. योगेन्द्र प्रताप सिंह, पृ.क्र. 25
3. भारतीय भाषाओं मे रामकथा (गुजराती भाषा) - संपादक डॉ. योगेन्द्र प्रताप सिंह, पृ.क्र. 80
4. पम्परामायण संग्रह, भूमिका - प्रो. डी.एल.नरसिंहाचार, पृ.क्र. 5, 6
5. भारतीय भाषाओं में रामकथा (बांग्ला भाषा) - संपादक डॉ. योगेन्द्र प्रताप सिंह, पृ.क्र. 89

****

कबीर और तुलसी के राम में अन्तर

डॉ. रंजना मिश्रा *

प्रस्तावना – 'जाके प्रिय न राम वैदेही
तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जद्यपि परम सनेही
तज्यो पिता प्रहलाद विभीषन बंधु भरत महतारी
बलि गुरू तज्यो कंत ब्रज बनितन्हि भए जग मंगलकारी'
– विनय पत्रिका (तुलसीदास)

भक्तिकाल के कवियों ने ईश्वर के दो रूपों की उपासना की है। कबीर ने जहाँ निर्गुण ब्रह्म को अपना आराध्य बनाया, वहीं तुलसी ने सगुण रूप को अपनी भक्ति का आधार बनाया। राम का नाम कबीर ने भी जपा और तुलसी ने भी किन्तु कबीर के राम और तुलसी के राम में बहुत अधिक अन्तर है।

कबीर आध्यात्मिक प्रेम में डूबे ऐसे सन्त कवि हैं, जिन्होंने चेतना के उच्चतर सोपानों पर पहुँचकर परम ब्रह्म से भावात्मक संबंध जोड़ा था। कबीर का ब्रह्म घट–घट वासी, सर्वातीत, सर्वात्मा हैं। यह ब्रह्म पुष्पगंध से भी सूक्ष्म तत्व हैं –

'जाके मुख माथा नहीं, नाहीं रूप अरूप ।
पुहुप वास से पातरा, ऐसा तत्व अनूप ।।'

कबीर का कहना है कि जब यह तत्व ब्रह्म नेत्रों का विषय है ही नहीं, तो कोई कैसे कह सकता है कि वह हल्का है या भारी –

'भारी कहौं तो बहुत डरौं, हल्का कहौं तो झूठ।
मैं का जाणौं राम कूं, नैनूं कबहुँ न दीठ ।।'

उसका कोई वेश नहीं, कोई लक्षण नहीं। वह ब्रह्म राम आदि अन्त से रहित, अजन्मा, अगोचर, अकथनीय एवं विलक्षण ब्रह्म हैं। कबीर जीव और ब्रह्म की एकता के समर्थक थे। वे कहते हैं, कि आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, यद्यपि माया के कारण दो प्रतीत होते हैं –

'जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहर–भीतर पानी ।
फूटा कुम्भ जल जलहिं समाना, यह तत् कथ्यौ गियानी ।।'

कबीर ने निर्गुण, निराकार, अजन्मा, अलख ब्रह्म को ही राम के नाम से सम्बोधित किया है, जबकि तुलसी के राम विष्णु के अवतार हैं। कबीर अवतारवाद में विश्वास नहीं करते। कबीर के राम तो घट–घट वासी, सूक्ष्म तत्व हैं। वे राम नाम के जप पर विशेष बल देते हैं। कबीर के राम दशरथ पुत्र नहीं हैं। वे बार–बार कहते हैं –

'दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना ।।

कबीर के राम अनादि अनंत हैं, त्रिगुणातीत हैं, सत्य स्वरूप हैं। वे न जन्म लेते है, न मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे अविनाशी एवं पूर्ण हैं। योगी उन्हें योग से प्राप्त करते हैं, तो भक्त उन्हें प्रेममय भक्ति से ही पा लेते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि कबीर के राम एक ओर तो सगुण राम से भिन्न हैं, तो दूसरी ओर शंकराचार्य के निर्गुण ब्रह्म से भी अलग हैं क्योंकि उनके राम ज्ञान के नहीं बल्कि भक्ति के विषय हैं। कबीर की निर्गुण भक्ति में वैष्णवों का माधुर्य (प्रेम) भाव मिश्रित है, इसीलिए विरहिणी, जीवात्मा निर्गुण–निराकार परमात्मा से मिलने के लिए वैसे ही व्याकुल होती है, जैसे कोई विरहिणी स्त्री प्रियतम से मिलने के लिए तड़पती है –

'बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम।
जिव तरसें तुझ मिलन कूँ, मन नाहीं बिसराम ।।'

जीवात्मा प्रियतम राम के प्रति अनुरक्त होकर ऐसी पागल हो गई है कि उसे लोकलाज का भी भय नहीं है। अपने प्रिय से मिलने के लिए कबीर की आत्मा रूपी सुन्दरी श्रृंगार करती है। वह अपने को राम की बहुरिया मानती है–

'हरि मोरा पीव मैं राम की बहुरिया।
राम बडे मैं छुटक लहुरिया ।
किया सिंगार मिलन के ताईं।
काहे न मिलौ मेरे राम गुसाईं ।।'

प्रियतम राम के प्रति कबीर की विरहिणी आत्मा का प्रेम बड़ा आदर्श और महान् है। प्रिय की राह निहारते–निहारते आँखों में झाईं पड़ गईं और पुकारते–पुकारते जीभ में छाले पड़ गये हैं –

'अंखड़ियाँ झाईं परीं, पंथ निहारि–निहारि ।
जीभड़ियाँ छाला पड़्या, राम पुकारि–पुकारि ।।'

कबीर के राम के अनन्त नाम हैं। वे अपने आराध्य को अल्ला, करीम, खुदा, रहीम, गोविन्द, हरि, माधव, किसी भी नाम से पुकारते हैं। कबीर भले ही निर्गुणोपासक सन्त हैं लेकिन उनमें भक्ति तत्व की प्रधानता है, वह भक्ति जो सगुण साकार रूप से सम्बद्ध होती है, उसे निर्गुण, निराकार ब्रह्म के प्रति उतनी ही तीव्रता से व्यंजित कर कबीर ने निर्गुण भक्ति का एक आदर्श प्रस्तुत किया है। वे तो यह भी स्वीकार करते हैं –

'जब लगि भाव–भगति नहिं करि हौं।
तब लगि भवसागर क्यों तरिहौं ।।'

तुलसी भी तत्वद्रष्टा दार्शनिक भक्त कवि थे। उनके अनुसार जीव ईश्वर का ही अंश है लेकिन माया के वशीभूत होने के कारण कर्मबन्धन में फँसा रहता है और विभिन्न कष्ट सहता है। राम की कृपा से ही उसका उद्धार सम्भव है। जीव ब्रह्म का सखा नहीं सेवक है। तुलसी सेव्य–सेवक भाव की भक्ति में आकण्ठ डूबे हैं। भले ही संसार में व्याप्त पाखण्ड, काम–क्रोध मोह, तृष्णा, दंभ, कपट आदि दुर्गुण सदा जीव को भ्रमित करते रहते हैं लेकिन दूसरी ओर तुलसी सम्पूर्ण संसार को सियाराममय स्वीकार करते हैं –

'सियाराममय सब जग जानी, करहुँ प्रनाम जोरि जुग पानी।।'

* प्राध्यापक, शासकीय कला एवं वाणिज्य 'अग्रणी' महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

जगत् का दृश्यमान रूप मिथ्या है क्योंकि वह परिवर्तनशील है, नश्वर है। तुलसीदास सगुण भक्ति धारा के रामभक्त कवि हैं। तुलसी के राम सगुण साकार हैं। वे विष्णु के अवतार हैं तथा उन्होंने दशरथ एवं कौशल्या के पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण किया है। तुलसी के राम मूल रूप में निर्गुण ब्रह्म हैं, जो सगुण रूप में व्यक्त हुए हैं। वे अद्वैत, अव्यक्त, अनिकेत, अविरल, अनामय और अमल होते हुए भी दीनबन्धु, दयालु, भक्तवत्सल, शरणागत-वत्सल हैं। तुलसी के राम शक्ति, शील एवं सौंदर्य से युक्त हैं। तुलसी द्वारा की गई राम की स्तुतियों से स्पष्ट होता है कि वे विष्णु के अवतार हैं जो धर्म की स्थापना के लिए इस संसार में अवतार लेते हैं -

'जब-जब होइ धरम कै हानि, बाढ़हिं असुर अधम अभिमानी।
तब-तब धरि प्रभु मनुज सरीरा, हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा।।'

जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर और भेदरहित है, जिसे वेद भी नहीं जानते वह देह धारण करके मनुष्य कैसे हो सकता हैं? इस प्रकार की शंका सती के मन में उत्पन्न हुई थी। जब वनमार्ग में शंकरजी ने राम को प्रणाम किया -

'ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल, अनीह अभेद,
सो कि देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद।।'

शंकर जी ने उनके सन्देह को जान लिया और उन्हें समझाते हुए कहा-

'मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहिं।
कहि नेति निगम पुरान आगम, जासु कीरति गावहिं।।'
सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति माया घनी।
अवतरेउ अपने भगतहित, निज तन्त्र नित रघुकुलमनी।।'

अर्थात ज्ञानी मुनि, योगी, सिद्ध जिनका ध्यान निर्मल चित्त से करते हैं तथा वेद पुराण जिनकी कीर्ति गाते हैं, वही सर्वव्यापक मायापति, ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मस्वरूप राम अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल में अवतरित हुए हैं। स्पष्ट है कि तुलसी के राम परमब्रह्म है, जिन्होंने भक्तों के हित के लिए अवतार धारण किया है। तुलसी के राम शील के भण्डार हैं। विनय पत्रिका में तुलसी उनके शील की प्रशंसा इन शब्दों में करते है -

'सुनि सीतापति सील सुभाऊ।
मोद न मन तन पुलक नयनजल, सो नर खेहरि खाऊ।।'

राम परम उदार हैं, भक्त वत्सल दीनबन्धु हैं एवं करूणा के सागर है। तुलसी के उद्गार देखिये -

'ऐसो को उदार जग माहीं।
बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस कोउ नाहीं।।'

तुलसी के आराध्य राम केवल सात्विक गुणों से ही परिपूर्ण नहीं है, बल्कि अत्यंत सुन्दर भी हैं। अपनी सुन्दरता से वे करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर देते हैं। राह चलती स्त्रियाँ सीता से पूछती हैं -

'कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखि कहहु को आहिं तुम्हारे।।'

तुलसी के राम इतने भक्तवत्सल हैं कि भक्तों की पुकार सुनकर दौडे चले आते हैं। वे मर्यादा पुरूषोत्तम राम लीला-पुरूषोत्तम भी हैं, जो इस संसार में रहते हुए नाना प्रकार की मानवीय लीलाए कर रहे हैं। वे लक्ष्मण को शक्ति लग जाने पर विलाप करते है, विरही की भाँति सीता को वन में खोजते हुए आँसू बहा रहे हैं किन्तु तुलसी ऐसे अवसरों पर यह बताना नहीं भूलते कि राम लीला कर रहे हैं। उनका मानवीय आचरण भी एक प्रकार की लीला है।

तुलसी ने राम के माध्यम से एक आदर्श एवं पूर्ण महामानव की परिकल्पना की है जो अपने चरित्र एवं व्यवहार से समाज के सम्मुख अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करते हैं। वे एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श पति एवं आदर्श राजा हैं।

कबीर और तुलसी दोनों के राम भक्तों की आर्त पुकार को सुनकर भक्त का हित करने के लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। कबीर ने राम को जहाँ निर्गुण ब्रह्म माना है, वहीं तुलसी ने निर्गुण ब्रह्म को ही राम के रूप में दशरथ-कौशल्या के पुत्र के रूप में अवतार लेते हुए दिखाया है। राम नाम की महत्त का प्रतिपादन कबीर और तुलसी दोनों ने किया है। कबीर और तुलसी दोनों के राम ज्ञान के नहीं भक्ति के विषय हैं।

तुलसी ने निर्गुण और सगुण दोनों के समन्वय पर बल दिया-

'अगुनहिं सगुनहिं नहिं कछु भेदा।
उभय हरहिं भव संभव खेदा।।'

कबीर के राम कर्ता होते हुए भी कर्म के बन्धन से मुक्त हैं, किन्तु तुलसी के राम कर्म बन्धन में बँधे हैं और मानव होने के कारण जन्म-मरण के बन्धन से भी ग्रसित हैं। कबीर के राम गुणातीत हैं, जबकि तुलसी के राम में शक्ति शील एवं सौंदर्य जैसे गुणों का समन्वय है। वे शक्ति के अपार भंडार हैं और शील की अक्षय निधि हैं।

कबीर की ब्रह्मोपासना ने सत्य, प्रेम अहिंसा, सदाचार, शील, सन्तोष, सादगी एवं आडम्बरहीन जीवन पर जोर देकर समाज में प्राण फूंके और सुधार का मार्ग प्रशस्त किया।

नि:सन्देह कबीर और तुलसी दोनों के राम भक्तों के पालनहार हैं, उनके रक्षक एवं पोषक हैं और अपने भक्तों को भवसागर से मुक्ति दिलाने वाले हैं। बाह्य दृष्टि से देखने पर कबीर एवं तुलसी के आराध्य राम में वैषम्य दृष्टिगोचर होता है, किन्तु उनमें आन्तरिक साम्य हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) October to December 2019, Vol. I

मिथिलेश्वर की कहानियों में ग्रामीण परिवेश

दीपक सिंह *

प्रस्तावना - भारत गाँवों का देश है, इसकी एक तिहाई जनता गाँवों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण हिन्दी साहित्य के प्रमुख कथाकार मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियों तथा उपन्यासों में परिलक्षित होता है। स्वतंत्रता पूर्व ग्रामीण परिवेश का जो चित्रण मुंशी प्रेमचंद के कथा साहित्य में दिखाई देता हैं, वह अन्य कथाकारों में कम ही परिलक्षित होता है। मुंशी जी के उपन्यास 'गोदान' को कृषक जीवन की महागाथा कहा जाता है, परन्तु स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण परिवेश का यथार्थ चित्रण जो मिथिलेश्वर के कथा साहित्य में दिखाई पड़ता है, वह अन्य कथाकारों में कमतर ही मालूम पड़ता है। मिथिलेश्वर, प्रेमचंद्र और रेणु की परम्परा के लेखक हैं। मिथिलेश्वर की कहानियों को प्रेमचंद और रेणु की परम्परा में स्वीकार करते हुए डॉ. शिवमंगल सिंह 'सुमन' लिखते हैं 'मिथिलेश्वर की कहानियाँ प्रेमचंद्र और रेणु की परम्परा में ग्रामीण जीवन की विभीषिकाओं और उसके यथार्थ को गहराई से चित्रित करती हैं। लेखक की कहानियाँ उसकी प्रतिभा तथा समस्याओं की पकड़ के साथ परिवेश के प्रति सूक्ष्म मौलिक दृष्टि की परिचायक हैं।[1] मिथिलेश्वर ने अपनी कहानियों के माध्यम से ग्रामीण परिवेश, भारतीय कृषक, परिवार के प्रेम-घृणा, आस्था-विश्वास तथा गरीबी का दंश झेलते गरीब मजदूरों का सजीव चित्रण किया है। कहानियों को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने गरीबी को परिवेश में रहकर बहुत ही नजदीक से देखा है, समझा है और सहा है। भारतीय कृषक का सजीव चित्रण इनकी लम्बी कहानी 'जमुनी' कहानी के विषय में डॉ. राकेश गुप्त एवं डॉ. ऋषि कुमार चतुर्वेदी कहते हैं कि, 'मिथिलेश्वर ग्रामीण परिवेश के सशक्त कथाकार हैं। इनकी लम्बी कहानी 'जमुनी' को कृषक जीवन की महागाथा कहा जा सकता है, जिसमें एक सामान्य भारतीय कृषक परिवार के प्रेम-घृणा, आस्था-विश्वास, आशा-निराशा, हर्ष-विषाद, सम्पत्ति-विपत्ति और उत्थान-पतन का मार्मिक एवं सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है।[2] मिथिलेश्वर की कहानियों में बिहार के ग्रामीण परिवेश में रह रहे गरीब किसानों की दशा, युवकों की बेरोजगारी और हताशा, स्त्रियों का श्रम और यौन शोषण तथा उत्पीड़न, सरकारी संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार आदि का यथार्थ चित्रण हुआ है। इनकी कहानियाँ गाँव की समस्याओं और गाँव में बसे लोगों की तकलीफ को बहुत नजदीक से उजागर करती है। कमलेश्वर लिखते हैं, 'मिथिलेश्वर ने अपनी कहानियों के माध्यम से गाँवों की समस्याओं और वहाँ के नये वर्ग संघर्ष को अभिव्यक्ति दी है। गाँवों में बसे लोगों की तकलीफ को उन्होंने बहुत करीब से देखा और भोगा है। उनके पात्र आर्थिक एवं सांस्कृतिक विवशताओं में छटपटाते हुए लोग हैं।'[3] 'एक और हत्या' कहानी में घरेलू चरवाहे और जमींदार के शोषण और अत्याचार का चित्रण किया है। चरवाहे को पागल कुत्ता काट लेता है, पर वह जमींदार के डर से अस्पताल जाकर सुई नहीं लगवा पाता, उसकी विवश मानसिकता का बहुत सहानुभूति पूर्ण अंकन किया गया है। 'बीच रास्ते में' गाँवों में फैली बेरोजगारी, गरीबी और महँगाई का चित्रण है। कहानी के केन्द्र में दो बेरोजगार युवक हैं जिनके पास साक्षात्कार देने जाने के लिए कपड़े नहीं हैं। एक बार दोनों को एक साथ साक्षात्कार देने जाना है, लेकिन कपड़ा एक जोड़ी ही है, अपनी गरीबी को देखते हुए नरेन कहता है कि, 'भैया क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपकी लुंगी पहन कस्बे के इधर ही कहीं बैठा रहूँ और जब आप इंटरव्यू देकर आए तब मैं जाऊँ। नरेन ही यह बात सुनकर उसे काटकर रख देती है। भीतर ही भीतर उसका मन रोने को हो जाता है, फिर वह सोचता है, नरेन ठीक कह रहा है। इसके सिवाय दूसरा रास्ता ही क्या? वह नरेन से कहता है, ठीक है ऐसा ही करेंगे।'[4]

इस कहानी में कहानीकार गरीबी की दंश झेल रहे भाइयों की मन:स्थिति का सजीव चित्रण किया है। मिथिलेश्वर ने ग्रामीण परिवेश में हो रहे व्यभिचार, चोरी, डकैती को भी अपने कहानी का विषय बनाया है और यह दिखाने का सफल प्रयास किया है कि किस प्रकार से गाँवों में पुराने मूल्यों का विघटन हो रहा है। 'शेष जिंदगी' कहानी में मुख्य रूप से गाँव में फैली चोरी-डकैती और व्यभिचार को उजागर किया गया है। 'महीने में एक-दो बार खून-खराबा और जान मारी की घटनाएँ भी हो जाती हैं। लाख गला फाड़कर चिल्लाने पर भी रक्षा के लिए कोई जुटता नहीं उन्हें याद है - एक रात जगेसर महतों का पूरा परिवार छत पर चढ़कर चोर-चोर चिल्लाते रहे, लेकिन एक आदमी भी नहीं आया। वे लोग चिल्लाते रहे और चोर निश्चिन्त भाव से उनका घर लूटते रहे। इसी तरह अनेक घटनाएँ रोज होती हैं।[5]

इसी कहानी में व्यभिचार की थोड़ी झलक देखने को मिलती है। जब सरना एक रात उन्नीस-बीस साल की एक बालिका को लेकर आता है। वह बालिका उन्हें देखकर लजाने लगती है तो सरना कहता है, चल लजा क्या रही है, यह तो भौजी है। बेशर्मी की हद तो तब हो जाती है, जब सरना हँसता है और कहता है, 'अरे भौजी, यह तो मुझे छका देती है। कुछ दाँव-पेंच सिखा दीजिए ना।'[6] मिथिलेश्वर अपनी कहानियों में ग्रामीण परिवेश में घटित होने वाली घटनाओं का सजीव चित्रण करने वाले कहानीकार हैं। बिहार के गाँवों में सबसे दयनीय, सोचनीय स्थिति जमींदारों के यहाँ काम करने वाले बनिहारों की है, जो जीवन जमींदारों की गुलामी से मुक्ति की आंकाक्षा और प्रयत्न में निकाल देते हैं। ऐसे ही एक कहानी 'बन्द रास्तों के बीच' है जो जमींदार के यहाँ गुलामी कर रहे बनिहार की है। एक बनिहार जगेसर अपना दुख व्यक्त करते हुए कहता है कि, 'दिनभर मालिक का काम करो और रात में उनके खलिहान में सोओ। मर-मरकर फसल उपजाओ, रात में चोरों से उसकी रक्षा

*शोधार्थी (हिन्दी) तुलनात्मक भाषा एवं संस्कृति अध्ययनशाला, दे.अ.वि.वि, इंदौर (म.प्र.) भारत

करो। फिर सारी फसल मालिक के घर पहुँचा दो। मालिक आराम की जिन्दगी गुजारेंगे। गालियों से बात करेंगे और बदले में उस जैसे बनिहारों को सिर्फ जीने भर के लिए खाने का इंतजाम कर देंगे, ताकि अगले साल तक वह मरने न पाए।

बनिहारों की यह यातनापूर्ण जिंदगी अंत तक नहीं बदलती।[7] बनिहार किस्म के लोग चाहकर भी जमींदार की गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि व्यवस्था भी उनके साथ नहीं होती। मिथिलेश्वर ने व्यवस्था का जिक्र भी इसी कहानी में किया है। जगेसर बनिहार अपने पुश्तैनी मड़ई में दुकान खोलकर जमींदार के गुलामी से मुक्त होना चाहता है और नई सड़क के किनारे स्थित मड़ई में दुकान भी खोलता है, लेकिन व्यवस्था ने उसके आकांक्षा और प्रयत्न पर पानी फेर देती है।

एक दिन जगेसर की दुकान के पास एक जीप रूकी, उसमें से चार-पाँच व्यक्ति उतरते हैं और पूछते हैं कि यह घर किसका है? जगेसर कहता है, हुजूर मेरा है। 'यह घर तुमने यहाँ क्यों बनाया है? सरकार यह मेरा पुश्तैनी घर है। बाप-दादों के जमाने से यहाँ है, लेकिन यह सरकारी जमीन है। कान खोलकर सुनलो आज से सातवें दिन सड़क का उद्घाटन है। ऊपर से आदेश आया है कि सड़क के दोनों किनारों से दस फीट सरकारी जमींन में कोई घर नहीं रहेगा, तब क्या होगा? जगेसर काँपने लगता है। होगा क्या? जल्दी से यह घर यहाँ से हटा लो, अन्यथा इसे ढ़हा दिया जाएगा। कर्मचारियों की आवाजें कड़ी और समझौते से परी थी। नहीं! ऐसा नहीं होना चाहिए...........। और एक चीख के साथ जगेसर धड़ाम से वहीं गिर पड़ता है।'[8]

लेखक यह बताना चाहता है कि हाँसिए पर जीने वाले वर्ग का कहीं भी गुजारा नहीं हो सकता। इस प्रकार से 'रात अभी बाकी हैं', 'अपनी-अपनी जगह', विरासत मैं', 'अभी भी' कहानियों में अशिक्षा, गरीबी, अंधविश्वास, वर्ग संघर्ष, विवशता आदि का चित्रण बहुत ही सजीव व मार्मिक ढ़ंग से किया गया है। इन कहानियों में हमें ग्रामीण परिवेश की झलक तथा यथार्थ चित्रण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है।

प्रेमचंद्र और रेणु के बाद समकालीन कहानिकारों में मिथिलेश्वर ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण समाज के अग्रणी कहानिकार हैं। इनकी कहानियों में ग्रामीण परिवेश का जो यथार्थ चित्रण दिखाई पड़ता है, वह इनके समकालीन अन्य कहानिकारों में नहीं दिखाई देता। भीष्म साहनी ने कहा है कि 'मिथिलेश्वर की कहानियाँ पढ़ते हुए आज का ग्रामीण जीवन अपने पूरे यथार्थ के साथ हमारी आँखों के सामने उभरता है, अपने सभी अंतर्विरोधों और विसंगतियों के साथ कहीं कोई लाग-लपेट नहीं। किसी पहलू को ढ़कने की कोशिश नहीं न ही उसे आंचलिक बनाने की कोशिश है। एक संतुलित वस्तुनिष्ठ दृष्टि हमारे सामने आज के ग्रामीण जीवन के पट खोलती है। जाहिर है, मिथिलेश्वर की कलम में दर्द है, मानवीय सद्भावना है, जो मेरी नजर में लेखक का सबसे बड़ा गुण होता है।'[9]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मिथिलेश्वर की पुरस्कृत कहानियाँ, फ्लैप की सामग्री से।
2. मिथिलेश्वर का कहानी संग्रह 'जमुनी' फ्लैप की सामग्री से।
3. मिथिलेश्वर की पुरस्कृत कहानियाँ, फ्लैप की सामग्री से।
4. मिथिलेश्वर की पुरस्कृत कहानियाँ, 'बीच रास्ते मे इन्द्रप्रस्थ, प्रकाशन, नईदिल्ली, 2011, पृ. 225
5. मिथिलेश्वर की पुरस्कृत कहानियाँ, 'शेष जिन्दगी, इन्द्रप्रस्थ प्रकाशन, नईदिल्ली 2011, पृ. 244
6. मिथिलेश्वर की पुरस्कृत कहानियाँ, 'वही, पृ. 247
7. मिथिलेश्वर की पुरस्कृत कहानियाँ, 'बंद रास्तों के बीच, इन्द्रप्रस्थ प्रकाशन, नईदिल्ली 2011, पृ. 68
8. मिथिलेश्वर की पुरस्कृत कहानियाँ, 'वही, पृ. 73
9. मिथिलेश्वर की पुरस्कृत कहानियाँ, फ्लैप की सामग्री से।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) October to December 2019, Vol. I

वेदों में विश्व बंधुत्व तथा मानव मूल्य

प्रेमलता छापोला *

प्रस्तावना – भारतवासियों के लिए सुखद आश्चर्य है कि संसार के प्राचीनतम ज्ञान व साहित्य वेद ही है। प्रसिद्ध वेद भाष्यकार सायण ने अपने ग्रंथ तैत्रीय संहिता की भूमिका में यह कहा है कि 'इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोर लौकिक मुपायं ग्रंथो: वेदमती स: वेद:।' अर्थात् वेद इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवारण अलौकिक एवं अद्‌भुत ग्रंथ है। 'वेदोऽखिलो धर्म मूलम' अर्थात् वेद ही सभी धर्मों का मूल है। वेद जिस प्रकार से प्रसिद्ध होकर विश्व पटल पर अंकित है, उससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि वैदिक ज्ञान अपने हृदय के विस्तार से समस्त संसार का, भूतकाल भविष्य काल का, सृष्टि के समस्त प्राणियों का कल्याण वेदों में समाहित है सम्पूर्ण संसार की जिजीविषा को तृप्त करती हुई असंख्य धाराएँ वेदों से निकलकर हमें आल्हादित करती है। उन धाराओं में से एक धारा 'विश्व बंधुत्व और मानव मूल्यों' की धारा है, जिसका अंश मात्र प्रस्तुत है।

सर्वे भवन्तु सुखिना: सर्वे संतु निरामया:।
सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कष्चित् दु:ख भाग्भवेत्।।

सभी लोग सुखी रहे सभी लोग निरोगी रहें। सभी बंधु मिलकर देखें कि समाज में कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं हैं। इस प्रकार वेदों में विश्व के समस्त प्राणियों के लिए सुखी व निरोगी रहने की मंगल कामनाएँ वर्णित हैं।

वेदों में विश्व बंधुत्व – विश्व बंधुत्व की सार्थकता प्रयास को सफल बनाने हेतु अध्यात्म तथा ईश्वर को समझना होगा जब तक हमारा ज्ञान धर्म अध्यात्म और ईश्वर के मूल स्वरूप से प्रकाशित नहीं होगा। तब तक हमारा समाज ऐसे ही विघटित होता रहेगा। ईश्वर को लेकर विभिन्न मत मतान्तर और धर्मावलम्बियों के मध्य स्थित खाई को पाटने के लिए उपनिषदों में ईश्वर के स्वरूप को प्रकट करते हुए कहा है कि –

य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगाद् (ष्वेताष्वतरोपनिषद् 3/1)

ईश्वर एक है वह अपनी विविध शक्तियों से नाना रूपों का धारण करते हैं। अर्थात् इस जगत के समस्त जड़-चेतन पदार्थों में, मैं आपा ही को देखता हूँ। आप ही समस्त सृष्टि का सृजन कर्ता है ईश्वर एक ही है। अत: हम उन्हीं के उपासक बने।

संसमिधुवसे वृषनग्ने विश्वार्न्य आ।
इळस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर।। (ऋग्वेद संहिता 10/191/1)

विराट सामर्थ्य वाले हे! ईश्वर! प्रकाश के पुंज सुखों को बरसाने वाले आप समस्त पदार्थों व तत्वों को मिलाकर संसार का तथा समस्त प्राणियों का सृजन करते हो। अर्थात् सभी मनुष्यों के जन्म की प्रक्रिया एक जैसी है तथा समस्त मनुष्य समान पदार्थ व तत्वों से मिलकर बने है। फिर हमारे हृदयों में एक दूसरे के प्रति इतनी घृणा क्यों? इस प्रकार घृणा को दूर कर प्रीति बढ़ाने हेतु और विश्व बंधुत्व की भावना को सुदृढ़ करते हुए वेदों में वर्णन मिलता है कि –

सहृदयं सामनस्यमविद्वेषं कृणोमि व:।
अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाघ्या।। (अथर्ववेद संहिता 3/30)

अर्थात् सभी मनुष्य वेद विद्या ग्रहण करते हुए परिवार समाज राष्ट्र व संसार के लिए एक मन वाले होकर निर्वैरता पूर्वक व्यहार करें। परस्पर प्रीतिपूर्वक रहे, जैसे गाय अपने बछड़े को स्नेह से दुलारती है, वैसे ही हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति से स्नेह सिक्त रहे।

सङ्गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते।। 2।। (ऋग्वेद संहिता 10/191/2)

आप सब मनुष्य परस्पर मिल-जुलकर चले, परस्पर मिलकर स्नेहपूर्वक वार्तालाप करें। आपके मन समान हो व आप समान विचारधारा वाले होकर ज्ञानार्जन करें। देवों की उपासना आप सभी एकमत होकर करें। कर्तव्य परायण व आप्त पुरुषों का अनुकरण करें।

वैदिक ऋषि आरे से बंधे हुए रथ के पहिए के समान हम सभी को ईश्वर की उपासना से बंधे हुए एक होकर रहने के उपदेश करते हुए कहते हैं कि – समानी प्रपा सह वोऽन्नभाग: समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि।
सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यतारा नाभिमिवाभित:।।6।। (अथर्व संहिता 3/30/6)

समानता की कामना करने वाले हे! मनुष्यों! आप का अन्न जल ग्रहण करने का स्थान एक हो तथा अन्न का भाग साथ-साथ हो। सभी मनुष्य एक ही पात्र से अपना अन्य ग्रहण करें। हे मनुष्यों हम आपको परस्पर प्रेमपाश में वैसे ही बाँधते हैं, जैसे पहियों में आरे नाभि के आश्रित होकर रहते हैं। अत: आप एक जैस फल की कामना करते हुए ईश्वर की उपासना करें। वेदों में वर्णन मिलता है कि सभी मनुष्य अपने अंत:करण में स्थित दुर्भावना तथा द्वेष से मुक्त होकर परस्पर समानता का भाव स्थापित करें –

समानो मंत्र: समिति: समानी समानं मन: सह चित्तमेषाम्।
समानं मंत्रमभि मंत्रये व: समानेन वो हविषा जुहोमि।।3।।
(ऋग्वेद संहिता 10/191/3)

हे! मुनष्य! आप सभी परस्पर मिलनसार, भेद भावना से रहित, एक जैसे विचार तंत्र अर्थात् समान मन, बुद्धि और चित्त वाले हो, आपको इस प्रकार के मंत्रों से अभिमंत्रित करता हूँ।

समानी व आकूति: समाना हृदयानि व:।
समानमस्तु वो मनो यथा व: सुसहासति।।4।। (ऋग्वेद संहिता 10/191/4)

हे! मनुष्यों! तुम्हारे हृदय समान भावनाओं से युक्त हो, तुम्हारे विचार और तुम्हारे संकल्प एक जैसे हो, ताकि तुम संगठित रहकर अपने सभी कार्य

*शोधार्थी, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

पूर्ण कर सको। उक्त मंत्र के माध्यम से वेद ऋषि उपदेश करते हैं कि संसार में किसी भी प्रकार की असमानता विभेद वैमनस्य ईर्ष्या आधिपत्य ना रहे तभी तो तुम सब मनुष्य विश्व बंधुत्व की कामना को सिंचित करते हुए स्थायित्व प्रदान करोगे।

उपर्युक्त मंत्रों में सभी मनुष्यों को वेदवाणी आदेश करती है कि संसार में सभी मनुष्य सुखी, निरोगी तथा एक मन व प्रीति पूर्ण हृदय वाले होकर व्यवहार करें। जिस प्रकार ईश्वर अर्थात् प्रकृति पर भी समान कृपा दृष्टि बनाते हुए सभी को समान रूप से प्राणवायु, जल, अन्न, प्रकाष तथा अग्नि की व्यवस्था बिना किसी भेदभाव के करते हैं वैसे ही हम भी परस्पर बिना किसी भेदभाव के संसार में समानता तथा बंधुत्व का व्यवहार करें।

वेदों मे मानव मूल्य – विश्व में शांति ओम बंधुत्व की स्थापना हेतु मानव मूल्यों को संरक्षित करना अति आवश्यक है। परिवार में स्वर्गमयी वातावरण की परिकल्पना निश्चित ही सुख आनंद व सौहार्द बढ़ाने वाली होती है। अत: वेद हमें प्रेरणा करते हैं कि परिवार के प्रत्येक सदस्यों में आदर सम्मान व प्रीति का भाव बना रहे, हम आपके हृदय को प्रेम पूर्ण बनाते हैं –

सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि व:।
अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाघ्न्या॥1॥ (अथर्ववेद संहिता 3/30/1)

मनुष्यों हम आपके लिए आपके हृदयों को प्रेम पूर्ण बनाते हैं, जो सोमनस्य को बढ़ाने वाले कर्म करते हुए आप लोग परस्पर गो–बछड़े के समान स्नेह युक्त होकर रहें–

मा भ्रातां भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा।
सम्यञ्च: सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया॥3॥ (अथर्ववेद संहिता 3/30/3)

भाई अपने भाई से द्वेष ना करें, बहन अपनी बहन से द्वेष ना करें। वे सब आपस में एक विचार व एक कर्म वाले बनकर परस्पर कल्याणकारी वार्तालाप करें।

अनुव्रत: पितु: पुत्रो मात्रा भवतु संमना।
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्॥2॥ (अथर्ववेद संहिता 3/30/2)

पुत्र अपने पिता के अनुकूल कर्म करने वाला हो और अपनी माता के साथ समान विचार से रहने वाला हो। पत्नी अपने पति से मधुरता तथा सुख से युक्त वाणी बोले। ऐसे देश ना करें।

ज्यायस्वन्तष्चित्तिनो मा वि यौष्ट संराधयन्त: सधुराष्चरन्त:।
अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत सध्रीचीनान् व: संमनसस्कृणोमि॥5॥
(अथर्ववेद संहिता 3/30/5)

आप सभी मनुष्य छोटे–बड़ों का ध्यान रखकर करते हुए, समान विचार तथा कार्य में समान रूप से सक्रिय रहते हुए, पृथक न हों। आप एक दूसरे से प्रेमपूर्वक वार्तालाप करे। हे मनुष्यों! हम भी आपके समान कार्यों में प्रवृत होते हैं अर्थात् सभी मनुष्य समान विचारधारा, भाव व निष्पक्ष व्यवहार करने वाले एक दूसरे के प्रति विनम्र बनें तथा दुर्भावना, द्वेष, असमानता क्लेषों को दूर करें। वेदों का यथार्थ ज्ञान से हम लोगों के जीवन, घर, परिवार को प्रकाषित कर, सुदृढ़ व श्रेष्ठ के समाज निर्माण में सहयोग प्रदान करें तथापि श्रेष्ठ मनुष्य से परिवार, श्रेष्ठ परिवार से घर, श्रेष्ठ घर से समाज, श्रेष्ठ समाज से श्रेष्ठ राष्ट्र और श्रेष्ठ राष्ट्रों से ही विश्वबंधुत्व की पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष – सम्पूर्ण विश्व में 200 से अधिक देश हैं। प्रत्येक देश में भाँति–भाँति के लोग निवास करते हैं। लोगों में भाषा, धर्म और संस्कृति को लेकर विविध मत मतान्तर हैं, लोगों की शारीरिक संरचनाएँ भी भिन्न–भिन्न होने से एक दूसरे में अंतर स्थापित कर लेते हैं। राजनीति में अपनी रोटी सेकने वाले तथा मानवता के दुष्मन कुछ प्रतिशत लोग ऐसी समस्याओं को जीवंत रखकर अपने स्वार्थ के लिए समाज में विष घोल कर लोगों को तोड़ना चाहते हैं, इसीलिए विश्व बंधुत्व का वह चित्र जिसे मनीषी (विद्धजन) अनंत वर्षों से चित्रित करते आ रहे हैं, आज भी रंगहीन है। धरती माँ के हृदय को, सीमाओं के नाम पर लड़ते झगड़ते राष्ट्र एवं 'जेहाद' के नाम पर हिंसा व नफरत से बोझिल चोटिल व लहूलुहान है। अत: वेदों में वर्णित समरस, समदृष्ट नैतिक मूल्यों में वृद्धि करने वाले ज्ञान के प्रवाह से हम सभी संसार के लोग जिस दिन अपनी धरती माँ के आँचल में प्लास्टिक पनियों का पेबंद लगाना बंद कर देंगे। सम्पूर्ण विश्ववासी ऊँचा–नीचा, छोटा–बड़ा, गरीब–धनवान, गोरे–काले का भेद मिटाकर जातिगत, धर्मगत संकीर्णता को त्याग कर, हिंसा व नफरत से धरती के हृदय छलनी करना बंद कर देंगे। धरती माँ के आँचल को जीवन पर हरियाली से भर देंगे, हम उसी दिन विश्व बंधुत्व के इस बेरंग चित्र को रंगीन करे देंगे। हाँ, हम सब मिलकर संकल्प लें कि वेदों के अमूल्य ज्ञान को जन–जन तक पहुँचाए।

येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथ:।
तत् कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञान पुरुषेभ्य:॥ 4॥ (अथर्ववेद संहिता 3/30/4)

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

मधुकर सिंह के उपन्यासों की कथा - भूमि

डॉ. हरेराम सिंह *

प्रस्तावना - 'हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास' के द्वितीय खण्ड में गणपति चन्द्र गुप्त ने सामाजिक चेतना से अनुप्रमाणित उपन्यासों में सतीश जमाली, काशीनाथ सिंह, मनोहर श्याम जोशी, रवीन्द्र कालिया, गंगा प्रसाद विमल, सत्येन्द्र शरत्, पंकज विश्ट के बाद मधुकर सिंक का नाम सामाजिक उपन्यासों की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले उपन्यासकार के रूप में लिया है और इनके उपन्यास 'अर्जुन जिंदा है' को इस श्रेणी के उपन्यास के रूप में रेखांकित किया है। अर्जुन जिंदा है' का प्रकाशन काल 1984 है। यह उपन्यास प्रभात प्रकाशन, दिल्ली से प्रकाशित हुआ था और अपने प्रकाशन वर्ष में ही इतना चर्चित व समादृत हुआ कि इसके कथ्य से हिन्दी का एक बड़ा समाज प्रभावित हुआ। मधुकर सिंह दबे, कुचले एवं हाशिए पर के उन लोगों के रचनाकार हैं; जो समय के आगे झुकते नहीं; बल्कि उससे मुठभेड़ करते हैं, उसे बदलते हैं तथा विकासमान बनाते हैं। मधुकर सिंह का रचनाकाल सन् 1975 ई. से सन् 2005 तक फैला है। पर, जनपथ- अक्टूबर 2012 के अंक से मालूम होता है कि 'नक्सलाईट रामरतन मास्टर' उपन्यास की रचना 12 सितम्बर 2009 से शुरू हुई है और 12 सितम्बर 2010 को पूरा हुई है। जैसा कि जनपथ के संपादक अनंत कुमार सिंह बताते हैं। लगवाग्रस्त होने की वजह मधुकर सिंह के पोते अंशुमान अभिषेक ने उनकी आवाज को कलमबद्ध करने का काम किया। ऐसा दादा और पोते का प्यार और कहाँ!

'साहित्य में लोकतंत्र की आवाज' (2010) मधुकर सिंह पर केंद्रित एवं बहुत ही अच्छी पुस्तक है। जिसका संपादन कार्य राजेन्द्र प्रसाद सिंह और संजय नवले ने संयुक्त-रूप से किया है। यह पुस्तक मधुकर सिंह को समझने-बुझने एवं जानने के लिए बहुत ही उपयोगी एवं ऐतिहासिक है। इस पुस्तक के एक आलेख 'लोकधर्मी सरोकारों का दौर' में कमलेश्वर ने लिखा है -'हिन्दी की रचनाशीलता में सैलाब आया हुआ है। रचना के सरोकारों को लेकर बड़ी अहम और दिशाबोध बहसे सामने आ रही हैं। कोलकता में इसी वर्ष ममता कालिया और रवीन्द्र कालिया ने भारतीय भाषा परिषद् और साहित्य अकादमी के तत्वाधान में 'कथा-कुंभ' का सफल आयोजन किया और अभी इसी महीने पटना में मधुकर सिंह ने 'कथा सृजनोत्सव' करके नीवनतम् लेखकों को वह मंच प्रदान किया जो एक तरह से कथा-कुम्भ का रचनात्मक और वैचारिक पूरक सिद्ध हुआ।'[1] और ऐसे बड़े लेखक को गोपाल राय ने अपने 'हिन्दी उपन्यास का इतिहास' में जगह न देकर अपनी सवर्णवादी मानसिकता का परिचय ही नहीं; अपनी बौद्धिकता पर भी प्रश्न चिह्न खड़ा करवा लिए हैं। लेकिन, उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि अपने इतिहास में इसी मानसिकता का परिचय देते हुए राजेन्द्र यादव एवं कमलेश्वर जैसे स्वनाम धन्य उपन्यासकारों के बारे में उन्होंने लिखा है कि सारा आकाश में असफल दाम्पत्य जीवन का प्रसंग उठाया गया हैं, जिसका एकमात्र कारण यह है कि मां-बाप ने बिना पुत्र की राय लिए उसका विवाह एक मैट्रिक पास, पर पुराने संस्कारों वाली लड़की से कर दिया है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के ये रूप -'राजेन्द्र यादव के उपन्यासों में बिना किसी गहरी संवेदना और विजन के प्रस्तुत किए गए हैं, इस कारण इनका कोई गहरा प्रभाव मन पर नहीं पड़ता।'[2] वे ही कमलेश्वर के बारे में लिखते हैं कि -'यह बेहिचक कहा जा सकता है कि हिन्दी कहानी के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के बावजूद उपन्यासकार के रूप में कमलेश्वर कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली है।'[3] जबकि राजेन्द्र यादव के उपन्यास 'सारा आकाश' व कमलेश्वर के 'कितने पाकिस्तान' खूब ख्यातिलब्ध हुए। राजेन्द्र यादव व कमलेश्वर के प्रति गोपाल राय की नकार-भावना जानबूझकर है; क्योंकि इन दोनों बड़े लेखकों ने अब तक की द्विजवादी मानसिकता को साहित्य में चुनौती दे रहे थे और मधुकर सिंह अपनी रचनात्मकता से प्रेमचंद के समानान्तर एक ऐसा स्तंभ खड़ा कर दिया कि गोपाल राय जैसे भूमिहार रचनाकार को मधुकर सिंह जैसा कुशवाहा रचनाकार फूटी कौड़ी भी नहीं भा रहे थे। वरना, कोई ऐसा क्यों करता कि 'सबसे बड़ा छल' (1975), 'सीताराम नमस्कार' (1977), 'जंगली सुअर' (1978), 'मनबोध बाबू' (1978), 'उत्तरगाथा' (1979), 'बदनाम', 'बेमतलब जिंदगियाँ' (1979), 'अगिन देवी' (1982), 'धरमपुर की बहू', (1982), अर्जुन जिंदा है' (1984), 'नपुंसक' (1986), 'मेरे गांव के लोग' (1988), 'सहदेवराम का इस्तीफा' (1988), 'सोनभद्र की राधा' (1988), 'आचार्य चाणक्य' (1989), 'कथा कहो कुंती माई' (1990), 'समकाल'(2004), 'बाजतअनहद ढ़ोल' (2005) जैसे उपन्यासों के रचनाकार वह भी 'हिन्दी उपन्यास का इतिहास' से गायब कर देता! और यहीं कारण है कि हिन्दी वैश्विक-स्तर पर अपनी नई पहचान बनाने से चूक जाती है; क्योंकि हिन्दी साहित्य का पूरा इतिहास पक्षपात व भेदभाव का शिकार है। जिसका परिणाम हुआ है कि हिन्दी में अलग-अलग दलित-विमर्श, आदिवासी विमर्श, ओबीसी विमर्श, बहुजन-विमर्श चल दिए और यह बहुत हद तक जायज भी है; बशर्तें पूँजीवाद की गहरी चाल को समझा जाए। मधुकर सिंह गाँव के लेखक जरूर थे (हैं); पर वे इस चाल को भली-भाँति समझ रहे थे। इसीलिए उनके उपन्यासों में जातीय बर्बरता व पक्षपात के बाद भी 'वर्ग-संघर्ष' की अवधारणा एवं रूप बिलकुल स्पष्ट है और यह भी स्पष्ट है कि वहाँ पूँजीवाद अपना किस तरह पैर फैला रहा है। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी 'आत्म-साक्षी' व मधुकर सिंह की कहानी 'दुश्मन' भारतीय समाज के भीतर बनते-बिगड़ते वर्ग-संघर्ष के कड़वे सच से रू-ब-रू कराती हैं। जैसे फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास 'मैला आंचल' का गाँव जातीय-टोले का गवाह जरूर है; पर वर्ग का कन्सेप्ट वहाँ भी क्लीयर है। मधुकर सिंह का उपन्यास 'अगिनदेवी' (1982 ई.) की

* ग्राम पोस्ट- करूप ईंगलिश, भाया गोड़ारी, जिला- रोहतास (बिहार) भारत

ग्रामीण युवती 'अगिन', डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सिंह के शब्दों में कहूँ तो–' सोनभद्र की राधा तो सिर्फ जाति तोड़ती है, पर 'अगिनदेवी' (1982 ई.) की जुझारू ग्रामीण युवती 'अगिन' तो जाति और धर्म दोनों को तोड़ देती है।'[4] पर, वर्ग–संघर्ष का तीखा रूप मधुकर सिंह के उपन्यास 'अर्जून जिंदा है' तथा 'जंगली सुअर' में देखने को मिलता है। प्रगतिशील आलोचक ललन प्रसाद सिंह ने लिखा है कि –' मैक्सिम गोर्की की 'माँ' का नायक पावेल एक भूमिगत जन–योद्धा हैं, जो अपने साथियों के साथ जारशाही के खिलाफ अनवरत संघर्षरत है। मधुकर सिंह कृत 'अर्जुन जिंदा है' का मुख्य–पात्र अर्जून मास्टर जगदीश प्रसाद का छद्म नाम अंडर–ग्राउंड क्रांतिकारी है।'[5] और ऐसे क्रांतिकारियों से बिहार के सामंत, खासकर भूमिहार–सामंत घृणा करते थे; क्योंकि उनके अमानुशिक कार्यो का ये क्रांतिकारी जिनका अधिकतर संबंध पिछड़े व दलित समुदाय से था; प्रतिकार करते थे। फिर भला, ऐसे पात्रों के सृजनाकर्त्ता से सामंती– मानसिकता वाले 'बड़ेजन' कैसे प्रेम करते? और यहीं कारण है कि मधुकर सिंह 'उनकी' नज़रों में अछूत बने रहे। फिर भी मधुकर सिंह की रचनओं में हमेशा एक आशा की किरण बरकरार रही। उनके द्वारा रचित गीतों में भी इस आशा को कष्ट व अँधेरा में भी महसूसा जा सकता है –

'काहे के राम हमें मानुख बनवलन, ए राजा
कहिया ले जिनगी अन्हार।
हरदम जिनिगिया ना दुख के गगरिया, ए रानी,
जिनगी ह हँसुआ के धार।।'

'कामरेड सत्यनारायण सिंह' संस्मरण में सत्यानारायण सिंह के बारे में मधुकर सिंह लिखते हैं – 'सारिका' में मेरी कहानी –'लहू पुकारे आदमी' उन्होंने पढ़ी थी। गाँव के कुछ उत्साही युवकों ने प्रगतिशील मंच बनाया था, जिसका जागा पाँडे अध्यक्ष था और तेतर राम मुसहर मंत्री। यह सामंत और जातिवादी सपूतों को अच्छा नहीं लगा था। इन सपूतों ने मुसहर टोली में आग लगा दी।'[7] और इन घटनाओं का प्रभाव मधुकर सिंह की कहानियों व उपन्यासों पर गहरे में पड़ा। पर, वे आशाहीन कभी नहीं रहे। वे अपने लेखकीय दायित्व के प्रति पूरी तरह सजग थे और यही कारण है कि उन्होंने भोजपुर के किसान आंदोलन की सच्ची दास्तान लिखकर ही चैन की निंद सोए। 'भाई का जख्म' 'हरिजन सेवक', 'लहू पुकारे आदमी', सत्ताधारी' आदि कहानियों से उनके हृदय की पुकार को आसानी से समझा जा सकता है। गीता गुप्त ने 'सोनभद्र की राधा' के बारे में लिखा है कि 'उपन्यास में भू–स्वामियों के जुल्म से संत्रस्त भोली–भाली सर्वहारा जातियाँ मूक हो सब कुछ झेलने के लिए ही जैसे धरती पर पैदा हुई हो। उनकी इच्छाएँ–आकांक्षाएँ मरी नहीं मार दी गई हैं।'[8] इसलिए 'सोनभद्र की राधा' में मधुकर सिंह भूमिहीन मजदूर से कहलवा रहे हैं कि –'आप मालिक हैं। अन्नदाता हैं। कुछ भी कह लीजिए, मेरे लिए सब आर्शीवाद है।'[9] मधुरेश ने 'सोनभद्र की राधा' की कथा बताते हुए लिखते हैं–' गोबिन एक हरिजन किशोर है, जो बनगाँव के स्कूल में ही, मैट्रिक में पढ़ता है, जहां जगेसर मिसिर की लड़की अनुराधा भी उसके साथ पढ़ती हैं। गोबिन का बाप हरभजन चमार इन्हीं नगेसर मिसिर का हलवाहा है जिसके कारण गोबिन भी कभी–कभी उनके यहाँ आता–जाता है। नगेसर मिसिर के चार लड़के हैं, जिसमें से तीन ऊँचे पदों पर हैं और चौथ महेश नये विचारों का होने के कारण घर पर ही, जिसके होने मात्र से अनुराधा और गोबिन को रक्षा–कवच जैसी सुरक्षा का अहसास बना रहता है। स्कूल और गाँव–जवार में गोबिन और अनुराधा के नामों की चर्चा हेती है जिसके कारण स्कूल का मास्टर, नगेसर मिसिर के डर से, खजूर की संटी से गोबिन की पिटाई करता है और गोबिन एक क्रांतिकारी हीरो की तरह उफ किए बिना वह सब झेलता है।'[10] इसलिए राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने मधुकर सिंह के उपन्यासों के बारे में लिखा है कि –'निश्चित रूप से मधुकर सिंह के उपन्यासों एवं कहानियों में सोनभद्र, कोइलवर और टिसुना नदियों के आस–पास के बसे गाँव हैं। बावजूद इसके इन गाँवों में धान की यौवनपूर्ण गंध और आमों के बौर की सुला देने वाली महक नहीं है। उनके गाँव जगे हैं या जग रहे हैं। कारण कि इन गाँवों में जगा देने वाले जनांदोलन हैं, नक्सलवाद की झकझोर देने वाली पुरवैया हवा है जो पूरब बंगाल से आयी है। इन गाँवों के खेतों में गेहूँ की झुकी–झुकी बालियाँ भी नहीं है, बल्कि गेहूँ के पेट में सामंतो के चाकू का चीरा है।'[11] मधुकर सिंह 60 के दशक के बाद की पीढ़ी के रचनाकार हैं, तब तक लोगों के बीच आजादी से मोहभंग होना शुरू हो गया था, सामंतों का कहर जारी था और ऐसी स्थिति में जन–उपन्यासकार मधुकर सिंह 'समकाल' जैसे उपन्यास लेकर अपनी वैचारिकी स्पष्ट करते हैं। जिसके संबंध में सुधीर सुमन लिखते हैं– 'उपन्यास 'समकाल' 1942 से सत्तर के दशक की शुरूआत तक के कालखंड को कितने वस्तुपरक ढंग से सामने लाता है और उसमें विभिन्न राजनैतिक धाराओं का मूल्यांकन कितना सही, कितना गलत है– इसे लेकर बहस हो सकती है। लेकिन, यह उपन्यास मधुकर सिंह की वैचारिक समझ को समझने का सूत्र निश्चित तौर पर उपलब्ध कराता है। किसी व्यक्ति या आंदोलन के मूल्यांकन का उनका अपना खास तरीका है।'[12] और ऐसा ही तरीका बनाफर चंद्र के उपन्यास 'जमीन' में भी देखने को मिलता है। मतलब यह कि हिंदी उपन्यास के विकास में जिन क्रांतिकारी व हस्तक्षेपकारी उपन्यासों के विशिष्ट योगदान रहे हैं; उनमें मधुकर सिंह के उपन्यास खास हैं। जिनकी उपेक्षा उपन्यास की जनवादी–धारा की परंपरा को कमजोर बनाएगी जैसा कि शामलाल, कुमारेन्द्र पारसनाथ सिंह, गोपाल राय जैसे लोग(लेखक) कर रहे हैं। इन्हें उपन्यास की जनवादी परंपरा से विझोभ है। फिर भी हिन्दी उपन्यासों के प्रगतिशील परंपरा प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन, कमलेश्वर, राजेन्द्र यादव, मधुकर सिंह, बनाफर चन्द्र, प्रेमकुमार मणि व ललन प्रसाद सिंह जैसे उपन्यासकारों के सहारे बहुत आगे तक सफर तय कर चुकी है। उसमें मधुकर सिंह के 'सोनभद्र की राधा', 'अर्जून जिंदा है', 'जंगली सुअर' आदि उपन्यास अपनी तेवर व विचार–धारा से गरीबों की झोपड़ी में अँधेरे बीच जनवाद की चिराग सम्मान के साथ जला रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. साहित्य में लोकतंत्र की आवाज, सं. राजेन्द्र प्रसाद सिंह, पृ. 204
2. हिन्दी उपन्यास का इतिहास, गोपाल राय, पृ. 239–240
3. उपर्युक्त, पृ. –256
4. साहित्य में लोकतंत्र की आवाज, सं. राजेन्द्र प्रसाद सिंह, पृ. –07
5. उपर्युक्त– पृ. 140
6. जनपथ– सं. अनंत कुमार सिंह, पृ. 10
7. उपर्युक्त, पृ. 32
8. साहित्य में लोकतंत्र की आवाज, पृ. 181
9. सोनभद्र की राधा– मधुकर सिंह, पृ.– 44
10. साहित्य में लोकतंत्र की आवाज, सं. राजेन्द्र प्रसाद सिंह, पृ. 185
11. उपर्यक्त, –पृ. 07
12. उपर्युक्त, – पृ. 196

नाट्यानुशीलनम् - नाटकस्योत्पत्तिविकासयोश्च पौरस्त्यपाश्चत्यमतविमर्शः

डॉ. बालकृष्ण प्रजापति *

प्रस्तावना – देवानामिदमामनन्ति मुनयः शान्तं क्रतुं चाक्षुषम्।
रूद्रोणेदमुमाकृतव्यतिकरे स्वाड्.गे विभक्तं द्विधा।।
त्रैगुण्योद्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते–
नाट्यं भिन्नरूचेर्जनस्य बहुधाऽप्येकं समाराधनम्।।[1]

महाकविकालिदास्य उक्तिरिय नाट्यविषयकं सत्यमुघाटयति। नाट्यन्तु लोकरंजनस्यैकं कमनीयम् साधनम् अस्ति। नाट्यं संस्कृतवाड्.मयस्य महत्वपूर्ण सर्वागीणं रूचिकरञ्च समाराधनमिति संस्कृतज्ञैरनुमोदितम्। नाट्यशब्दस्य व्युत्पत्याऽपि नाट्यं न्त्यगीतावाद्यसमन्वितम् जनरञ्कम् सिद्धयति। 'नाट्स्येदं कर्म इति नाट्यम् नटस्य यत् कर्मः तन्नाट्यमिति। कोशग्रंथेषु अपिनृत्यम् अनुकरणात्मकं चित्रणं स्वांगभावप्रदर्शनम् अभिनयः, नृत्यकला, अभिनयकला, नाट्यकला, इत्याद्यर्थेषु नाट्यशब्दस्य प्रयोगः कृतो वर्तते।

नाट्यस्योत्पत्ति विषये कदा, कथं, केन, कुतः इत्यादि प्रश्नानां उत्तरंसन्दिग्धं नास्ति। विषयेऽस्मिन् पाश्वात्य–पौरस्तेः समीक्षकयोर्मैक्यं नास्ति। भारतीय परम्परा तु नाट्यस्योत्पत्तिः वेदेभ्य एव स्वीकरोति। भारतीया संस्कृतिर्वेदमूला। नाट्यशास्त्रञ्च वेदमूलम्। यद्यपि नाट्यमधिकृत्य भारतीयैः पाश्चात्यैश्चोत्पत्ति सिद्धान्ताः प्रतिपादिताः परञ्च तेऽभ्रान्ताः। पाश्चात्यैस्तु पाश्चात्य नाट्यस्योत्पत्तिविषयकैः सिद्धान्तैः भारतीयनाट्यस्योत्पत्ति विवेचनं प्रस्तुतम्। परं तन्मतं न ग्राह्यम्। तथापि नातिविस्तरेणाऽत्र तेषां **मतमुपस्थापनीयम् –** 'पाश्चात्यविद्वान् मैक्डॉनल महोदयः स्पष्टमुक्तवान्– भारते नाट्कीयसाहित्यस्य प्राचीनस्वरूपस्य प्रतिनिधित्वं ऋग्वैदिकसूक्तैर्भवति– परं अभिनयपरकस्य नाट्कस्यारम्भस्तु अन्धकारावृत्तेऽस्ति।'[2]

संस्कृत नाट्यस्योत्पत्तिविषये – पाश्चात्य सिद्धान्ताः

नृत्यात्नाट्योत्पत्ति – एतस्याः धारणायाः जनकः मैक्डॉनल महोदयः अस्ति। तन्मते नृत्धातोर्निष्पन्नः नृत्यशब्दस्यः सम्भवतः भारतीयनाट्यस्योत्पत्तेः प्रतिनिधित्वं करोति। आदौ असंस्कृतमूकाभिनय आसीत्। यस्मिन् शरीरस्य नृत्यपरकचेष्टानां संकेताः आसन्। अभिनयात्मकसंकेता अपि तत्र निहिता इति। 3 किन्तु मैक्डॉनल महोदयस्यायं नृत्यवादोऽग्राह्यः। यतोहि भावात्मकं नृत्यं रसात्मकं नाट्यं परस्परं भिन्नमिति।

वीरपूजायाः नाट्यस्योत्पत्तिसिद्धान्त – एतस्य सिद्धान्तस्य प्रतिष्ठापकोऽस्ति डॉ. रिजवे महोदयः। तेनोक्तं एद्धीरपुरूषाणां विषये जातीयादरभावनया नाट्स्यारम्भः। यथा मृतवीरपुरूषाणां प्रति सम्मानभावप्रकटीकरणात् ग्रीकदुखान्तनाटकानामुत्पत्तिस्तथैव पूजाभावनया भारतेऽपि नाट्योद्गमः। यथा रामलीला, यथा कृष्णलीला। रपंमतभिदमपि नानुमोदितम्। वस्तुतः संस्कृतनाटकस्य लक्ष्यं रसाभव्यक्तिः नतु वीरणाम् प्रति सम्मानप्रदर्शनम्।

प्राकृतिकपरिवर्तन सिद्धान्त – एतस्य नवीनमतस्य प्रवर्तकः डॉ. कीथ महोदयः प्राकृतिकपरिवर्तनंवीक्ष्य तन्मूर्ते रूपायितुमिच्छाया नाट्स्यजन्मः। अयं महाभाष्यस्य कंसवधम् नाटकस्याभिनोदाहरणं दत्तवान। डॉ. कीथ महोदयेन हेमन्त–वसन्तयोंः प्रतीकमभिलक्ष्य सिद्धान्तोऽयं प्रतिपादितः। मेपोलनृत्यान्नाट्योत्पत्तिः–प्रो. स्टोनोकानो मेपोलनृत्यात् भारतीय नाट्यस्योत्पत्ति मुरारी करोति। भारतस्येन्द्रध्वजपर्वसमये क्रियमाणं नर्तनं सः पोलनृत्यस्य प्रतिरूपमिव स्वीकारोति। शीतकालादनन्तरं बसन्तोत्सवादेव भारतीयं नाट्यमुत्पन्नमित्याशयाः तस्य। परन्तु तन्नमान्यम्। यतोहि इन्द्रध्वनोत्सवो वसन्ते नाहि भवति, वर्षाऋतोरन्ते भवति।

छायानाटकेभ्यो नाट्योत्पत्ति – डॉ. ल्यूडर्स एवं डॉ.कोनो द्वर्योमतंमस्तियन्नाकस्योत्पत्तिः विकासश्च छायानाटकेभ्यो जातः। द्वाभ्यामेव भष्येवर्णितस्य 'शौभिकं नामछाया नाटकस्योदहारणं प्रस्तुतम्। परन्तु भारते छायानाटकानां प्राचीनता न सिद्धा।

पुत्तलिकानृत्यान्नाट्योत्पत्ति – अस्यसिद्धान्तस्योद्भवकोऽस्ति डॉ. पिसेल महोदयः। सूत्राधारशब्दमधिकृत्य अनेन पुत्तलिकानृत्यान्नाट्योत्पत्तिः प्रदर्शिता। परं सूत्राधारशब्दस्य नाट्यशास्त्रे अस्ति कश्चन् विशिष्टोऽर्थः–

नाट्योपकारणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते।
सूत्रं धारयतीत्यर्थे सूत्राधारो निगद्यते।। [4]
अथवा–
सूत्रयनकाव्यनिक्षिप्त वस्तुनेतृकथारसान्।
नान्दीश्लोकेन नाद्यन्ते सूत्राधार इति स्मृतः।। [5]

संवादसूक्तेभ्यो नाट्योत्पत्ति – अनेके भारतीयाः पाश्चात्याश्च विद्वान्सः वैदिकसूक्तेभ्यः संस्कृत नाट्योत्तपत्तिं प्रमाणयन्ति। वैदिकसूक्तेषु परस्परं कथनोपकथनस्य प्रमाणात् सूक्तेभ्यः एवं नाट्योत्तपत्तिंः। यथा कालिदासस्य **विक्रमोर्वशीयम् –** एतस्याधारः पुरूरवा–उर्वर्शी सम्वादः। एतेषु संवादसूक्तेष्वेव नाट्स्य मूलमंत्रर्निहितं्। डॉ.श्रोदर महोदयस्य मतानुसारं संवादसूक्तानां स्वरूपं वस्तुतः धार्मिकं नाटकमेव। तेषु गायनं, नृत्यं, अभिनयश्चापि वर्तते। यज्ञाद्विवसरेषु यााज्ञिकैरूपकरणैः नर्तनं, गानं, चभवति स्म। डॉ. हर्वलमहोदयः अपि संवादसूक्तेषु नाटकस्यमूलम स्वीकारोति। परन्तु डॉ कीथ महोदयः मतमेनं नाड्गीकरोति। तेनोक्तं यत् संवादसूक्तानां केवलं शंसनं भवति। गानस्य प्रयोगस्तु केवलं सामवेदे एवं भवति। अतएव सामगानस्य गायकः उद्गाता भवति स्म। अन्येऽपि वैदिशिकाः संवाद सूक्तेभ्य एव नाट्कस्योत्पत्तिं स्वीकुर्वन्ति।

नाट्योत्पत्तेः भारतीयमतम्– भारते नाट्यकलायाः प्रयोगोअभिनयो वा प्राचीनकालादेव प्रवर्तते। एतस्य सूत्राणि वैदिक सूत्रेषु सुरक्षितामि। ऋग्वैदिक

* सहायक प्राध्यापक (संस्कृत) शासकीय एस.जी.एस. महाविद्यालय, गंजबासौदा विदिशा (म.प्र.) भारत

सूक्तेषु सोमविक्रयावसरे क्रियमाणस्य मनोरन्जनात्मकस्य अभिनयस्योल्लेखो वर्तते। महाव्रतस्तोत्रस्यवसरे कुमारिका: अग्ने: परिक्रमां कुर्वन्त्यो नृत्यन्ति गायन्ति स्म। ऋग्वैदिक संवादसूक्तेषु नाटकीय कथोपेथनमप्युपलभ्यते। यजुर्वेदे ' शैलेषु शब्दस्य प्रयोग: नटस्याभिनेतुर्वा समानार्थी अस्ति। रामायण महाभारतयुगेऽपि एतस्या: कमनीयकलाया: विद्यमानताया: प्रमाणं दृश्यते। रामायणे नटस्य, नर्तकस्य तथा शैलेषु शब्दस्य प्रयोगो वर्तते। महाभारतेऽपि नट–नर्तक–गायक–सुत्रधारादिशब्दानां निर्देशोनाट्य शास्त्रीय एवेतिनिश्चप्रचम्। हरिवंशपुराणे रामचरितस्य नाट्यरूप प्रदर्शनस्योल्लेखोऽस्ति। बौद्ध ग्रन्थेषु भगवत: बृछ्धस्य शिष्याणां नाटकीयाभिनयस्य वर्णनं मिलति। भगवता पाणिनिनादपि स्वीकीयेऽष्टाध्यायी ग्रन्थे 'शिलालिन: कृशाश्व द्धारा रामचरितस्य नटसूत्रजातस्य निर्देश: कृतो वर्तते। पाणिनकाले तु नाट्यशिक्षाया: स्वतन्त्रसूत्र ग्रन्थानां प्रणयनं क्रियमाणमसीत्। भगवता पञ्जलिना महाभष्ये 'कंसवधम् बलिबधम् नाट्कयोरभिनयस्य स्पष्टं वर्णनं कृतम्। 'कामसूत्रे' वात्स्यायनेन नागरस्य मनोरञ्जनं वर्णयम् नाटकानां प्रदर्शनस्योल्लेख विहित:। मध्यएशिया क्षेत्रे उत्खनने संस्कृतनाटकानामवशेषा: प्राप्ता: एतेन एतेन कुषाण युगस्यारम्भकाले नाट्याभिनस्य लेखनस्य च स्थिति: स्पष्टा भवति।।

आचार्यभरतस्य मतम् – नाट्योत्तपत्तिविषये परम्पराप्राप्तैका कथ नाट्यशास्त्रस्य प्रथमेऽध्याये नाट्योत्तपत्ति सम्बन्धे भरतेन प्रस्तुता। तया नाट्यस्यादिम् स्वरूपं महत्तवंच ध्वनितम्। सत्युगस्यान्ते त्रेतायुगस्त्रारम्भे संसारेऽस्मिन् 'सुखेदु:खम् दु:खे च सुखम् सञ्जाते आनन्दस्य चशोकामिश्रिते इन्द्रादयो देवा: मनोविनोदसाधनाय ब्राह्मणं याचितवन्त:। तत्साधनमपि श्रव्यं दृश्यञ्ख्भवेदिति प्रार्थिवन्त:–

क्रीडनीयकमिच्छामो दृश्यंश्रव्यञ्च यद्भवेत्।
न वेदव्यवहारोऽयं संश्राव्य: शूद्रजातिषु
तस्मात् सृजापरं वेद पञ्चमं सार्ववर्णिकम्।।[6]
देवानां प्रार्थिनां श्रुत्वा ब्रह्मा ऋग्वेदात्, पाठं सामवेदात् गानं,
यजुर्वेदादभिनयं, अथर्ववेदाच्च् रसं नीत्वा नाट्यवेदानाम् पंचमं वेदं संसर्ज।
जाग्राहपाठ्यमृग्वेदात् सामभ्योगीतमेव च।
यजुर्वेदादभिनयान, रसानथर्वणादपि ।।[7]

अनन्तरं ब्रह्मा भरतमुनिं नाट्यप्रचाराया दिष्टवा मिति। भरतमुनि शतपुत्रै: साकं एतस्य नाट्यस्य श्रवणं धारणं ज्ञानंचाप्तवान्। तथा ब्राह्मण: सभायां प्रथम: प्रयोगोऽपि मुनिना प्रदर्शित:। पूर्वं नाट्येऽस्मिन् भारती आरभटी एवं सात्वती वृत्रय: आसन् अनन्तरं आचार्यो वृहस्पति: नाट्ये कौशिकीं वत्तिमपि योचितवान्।

'अथाह मां सुरगुरू: कौशिकीमपि योजय:।'[8]

अत: परं ब्राह्मणादेशेन इन्द्रध्वजोत्सवे सभायां इन्द्रविजयसंबंधं नाटकमेकं प्रस्तुतं भरतमुनिना। नाटकं दृष्टवा विजयेन देवा: प्रसन्ना: परमसुरा: पराभवप्रदर्शनात् खिन्ना क्षुब्धा:। अनन्तरं पुर्नविध्नभयात् भरतस्यप्रार्थनामङ्.गीकृत्य ब्राह्मणा: प्रेक्षागृहनिर्माणाय विश्वकर्मा आदिष्ट:–

'तत: स विश्वकर्माणं ब्रह्मोवाचप्रयत्नत:।
कुरू लक्षणसम्पन्नं नाट्यवेश्म चारस:।।9

विश्वकर्मणा नाट्यगृहस्य निर्माणे सति प्रथममभिनीतनाटकं त्रिपुरदाह: तथा 'समुद्रमंथनम्'। मनोरञ्तन साधनत्वेन नाट्यस्याविकारो जात:। तदर्थमेव विभिन्नस्वरूपात्मकं नाट्यशास्त्रं व्यरचयत्। प्राचीन नाट्यानां स्वरूपं धार्मिकं आसीत्। धार्मिकेषुत्सवेषु यात्रासु तेषामभिनयोभवति स्म्। पूर्व नाटके नटपुरूषाणामभिनय एवासीत् परमचिरादेव स्त्रीपात्राणामपि सन्निवेशोऽभवत्। पूर्वं नाट्यं मूलत: लोकजीवनाश्रितमासीत।

निष्कर्षत: – नाट्यस्योत्पत्ति विषये प्रश्नानां विद्वानस: स्व स्व मतम् प्रस्तूयते। विषयेऽस्मिन् पाश्वात्य–पौरस्ते: समीक्षकयोर्मैक्यं नास्ति। भारतीय परम्परा तु नाट्यस्योत्पत्ति: वेदेभ्य एव स्वीकरोति। भारतीया संस्कृतिर्वेदमूला। सर्वाप्यपि शास्त्राणि वेदेभ्य एव निसर्गितानि इति भारतीय मान्यता। वेदानां निखिलमूल्त्वं सर्वैरपि स्वीकृतम्। नाट्यशास्त्रञ्च वेदमूलम्। यद्यपि नाट्यमधिकृत्य भारतीयै: पाश्चात्यैश्चोत्पत्ति सिद्धान्ता: प्रतिपादिता:। पाश्चात्यैस्तु पाश्चात्य नाट्यस्योत्पत्तिविषयकै: सिद्धान्तै: भारतीयनाट्यस्योत्पत्ति विषये विवेचनं प्रस्तुतम्।

संदर्भ ग्रंथ सूची : –

1. मालविकाग्निमित्रं कालिदास:।
2. मैक्डॉनल– संस्कृत साहित्य का इतिहास अनु0 डॉ. रामसागर त्रिपाठी पृ. 331
3. ....तदैव.........................
4. उत्तररामचरितम् नाटक भूमिका पृ. 03
5. दशरूपकम् भूमिका 17
6. नाट्यशासत्रम् 1– 11–12
7. ....तदैव.........................1– 17
8. ....तदैव.........................1–43
9. ....तदैव.........................1–79

****

वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का परिचय

संध्या दावरे *

प्रस्तावना – 'वेद' शब्द वैदिक युग में रचे गए सम्पूर्ण साहित्य को पर्यावाची शब्द के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। प्राचीनकाल में 'वेद' शब्द सामान्य रूप से सभी विषयों की सम्पूर्णता का द्योतक माना जाता है। वैदिक युग में वेद शब्द के अन्तर्गत ब्राह्मण ग्रन्थों तक का समावेश किया गया। 'मन्त्रब्राह्मण र्योवेदना'धेम्' अर्थात् मन्त्र और ब्राह्मण दोनों का नाम वेद है। ब्रह्मा ने स्वयं चारों वेदों के सार संकलन कर वेदों का निर्माण किया।

विष्णु पुराण में लिखा है कि 'वेद' आरम्भ से ही चतुष्पाद थे अर्थात् एक वेद की पहले से ही चार भागों में विभक्त किया गया। इस प्रकार वेद विभाजन 28 बार हो चुका है। इसी विभाजन कर्त्ता के रूप में महर्षि वेद व्यास नाम पड़ा। 'मत्स्य पुराण' में भी ही बात लिखी है।

सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से लेकर कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास तक लगभग 32 वेद व्यास हो चुके हैं। इससे प्रतीत होता है कि 'व्यास' उपाधि के रूप में प्रयुक्त थे।

अनेक विषयों ने वैदिक ज्ञान को एक बृहद् विरासत के रूप में विभिन्न ऋषि सम्प्रदायों, आश्रमों ने एक सुदीर्घ काल में निर्मित विचार धारा का ही पर्याय से नामांकन किया गया है।

'वेद' शब्द से चार मन्त्र संहिताओं का ज्ञान होता है। जिसमें वेद विषयक बहुविध सामग्री का बोध होता है। 'वेद' शब्द का अर्थ है ज्ञान। ब्राह्मण ग्रन्थों में मन्त्रों के विधि विभाग की व्याख्या हैं। आरण्यक ग्रन्थों में वानप्रस्थी जीवन बिताने वाले वीतराग मनस्विों के कर्म विधान प्रतिपादित है। उपनिषदों में मन्त्रों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रधानरूप से कर्मकाण्ड से संबधित बातों की व्याख्याताएँ हैं। आरण्यक ग्रन्थों में विषय प्रतिपादन की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रन्थों से अन्तर नहीं है। सिर्फ ही अन्तर है कि ब्राह्मण ग्रन्थों में ग्रहस्थाश्रम से संबंधित ज्ञाग आदि का विधान है तो आरण्क में वानप्रस्थ जीवन से संबंधित कर्मकाण्डों का विवेचन किया गया है। उपनिषद् वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने से वेदान्त भी कहा जाता है। भारती विषयों गहन चिन्तन-मनन के द्वारा जो आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, सृष्टि ज्ञान प्राप्त किया है उन्हीं का संकलन उपनिषदों में प्रतिपादित हैं। इसलिए उपनिषदों को ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक ग्रन्थ मानते जाते हैं।

ऋग्वेद की 27 शाखाएँ हैं। तथा 21 संहिताएँ बताई गई है। दूसरी महत्वपूर्ण वेद संहिता के रूप में यजुर्वेद संहिता है, जिसका अर्थ पूजा और यज्ञ से संबंधित है। यजुर्वेद कर्मकाण्ड प्रधान हैं। यज्ञ के अनेक प्रकार हैं। यजुर्वेद के दो प्रमुख विभागों के लगभग 100 शाखाएँ हैं किन्तु केवल 5 शाखाएँ ही उपलब्ध है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद की प्रमुख दो शाखाओं में शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाएँ है तथा कृष्ण यजुर्वेद की 86 शाखाएँ हैं।

सामवेद संहिता के कुछ मन्त्र ऐसे हैं, जिनका ऋग्वेद में उल्लेख है। इससे आलोचकों का अभिमत है कि ऋग्वेद के पूर्व सामवेद की रचना होनी चाहिए। साम का अर्थ हैं सुन्दर। इसका संबंध संगीत से अधिक जोड़ा गया है। उद्गाता सामवेद की संगीत परक वाणी द्वारा देवताओं को प्रसन्न करते हैं। वेद मन्त्रों का स्वरबद्ध शुद्ध उच्चारण करने वाले आचार्य को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद की तीन संहिताएँ ही उपलब्ध है। कुछ ऋचाएँ गेय हैं तो कुछ ऋचाएँ अगेय हैं। कहा जाता है कि महर्षि जैमिनि सामवेद के प्रथम द्दष्टा थे। बाद में पूर्व परम्परा के अनुसार उनके शिष्यों ने सामवेद पाठ के अभ्यास की वृद्धि की है। इन्हीं शिष्य परम्परा ने सामवेद की अनेक शाखाओं को आगे बढ़ाया है। महाभारत कालीन श्रीकृष्ण सामवेद के अनन्योपासक थे।

अथर्वसंहिता अथर्वा नामक ऋषि के नाम से इस संहिता का नामकरण माना जाता है। ऋग्वेद में भी अथर्ववेद का उल्लेख मिलता है। गोपथ ब्राह्मण में ब्रह्मा की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा के कठिन तपश्चर्या की जिससे उनके तेजस के रूप से दो जलधाराएँ उत्पन्न हुई। एक धारा से अथर्वन् और दूसरी से अंगिरा की उत्पत्ति हुई। अथर्वन् और अंगिरसों ने उनके वंशजों की तन्त्र द्दष्ट हुए।

अथर्ववेद में बीस काण्ड हैं तथा नौ शाखाएँ है।

वेद भारतीयों की महान् ज्ञान-सम्पत्ति हैं। हिन्दुओं के धार्मिक विश्वासों के अप्रतीम उद्धरण हैं। वेदों के द्वारा ही हिन्दू-जाति के वे सांस्कृतिक अनुभव संकलित हैं। वेदों के निर्माणकाल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। ईसा पूर्व 600 के पहले तथा बौद्धधर्म के उदय के पूर्व-वैदिक ग्रन्थों की रचना पूर्ण हो चुकी है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग मैक्समूलर के अनुसार 600-200 के पूर्व के बीच निर्धारित किया हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों की काल सीमा 800-600 ई. पूर्व हैं जिसमें कुछ मन्त्र भाग 1000-800 ई. पूर्व, तथा ऋग्वेद की प्राचीनतम ऋचाएँ 1200-1000 के पूर्व के बीच रची गई हैं।

विंटरनित्स ने वैदिक साहित्य की सीमा 2500-200 ई. पूर्व के बीच निर्धारित की है।

भारती विद्वान लोकमान्य तिलक ने नक्षत्र गति के अध्ययन के अनुसार ब्राह्मण ग्रन्थों का निर्माण लगभग 4500 ईसा पूर्व पूरा हो चुका था। इस हेतु आपने उसके कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए हैं जिसमें प्रतिपादित किया है कि कृतिका नक्षत्र तथा खगोली ज्योतिष के आधार पर उन्होंने 4500 ईसा. पूर्व तिथि तय की है। जिसमें तिलक जी ने मृगशिरा नक्षत्र को भी आधार बनाया है। क्यों यह नक्षत्र रात-दिन समान्तर रूप से स्थिर किया जाता था। तिलक जी ने वैदिक मन्त्रों का निर्माण आज से 8500 वर्ष ईसा पूर्व अवश्य होने की बात कही है।

अनेक अन्य विद्वानों ने भी वैदिक काल के तिथि निर्धारण के बारे में

*शोधार्थी, संस्कृत अध्ययन शाला, उज्जैन (म.प्र.) भारत

अपने अनुसंधान के आधार पर स्थित किया है।

ब्राह्मण ग्रन्थ – धर्म, हिन्दू जाति का प्राण है। हिन्दू-जीवन में अनेक प्राण घातक संकटों को पार करने पर भी हिन्दुओं का विश्वास धर्म के प्रति स्थिर रहा है। हिन्दू धर्म में अति उदार और व्यापक समन्ववादी भावना रही है।

हिन्दू धर्म के आदि स्रोत के रूप में अति प्राचीन हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों को वेदों का समकक्षी और समकालीन कहा गया है। वेद भाष्यकार आपस्तम्भ ऋषि का कथन है कि मन्त्र संहिता और ब्राह्मण ग्रन्थ दोनों ही वेद हैं। जिसमें दोनों में यज्ञ के विधान हैं।

ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रधान-विषय यज्ञों का प्रतिपादन और विधियों की व्याख्या करना हैं: यज्ञो वै श्रेष्ठतम' कर्म' शतपथ ब्राह्मण में यज्ञों को प्रजापति और प्रजापति को ब्रह्मा कहा गया है। 'एष वै प्रत्यक्षं यज्ञो यो प्रजापतिः।'

यज्ञागादि के विधान करने वाले एकमात्र ब्राह्मण पुरोहितों के निजी ग्रन्थ होने के कारण इनको 'ब्राह्मण' कहा गया है।

ब्राह्मण ग्रन्थों का वर्ण्य विषय – ब्राह्मण ग्रन्थ के विषानुरूप चार भाग है- 1. विधि भाग 2. अर्थवाद 3. उषनिषद् भाग और 4. आख्यान भाग। विधि भाग में कर्मकाण्ड विधान है। इसके साथ ही अर्थ मीमांसा, और वैदिक शब्दों की निष्पत्ति भी इसी भाग में हैं। अर्थ भाग में प्ररोचनात्मक विषय वर्णित है। यज्ञ-विधियों के समझाने के लिए अर्थवाद की जरूरत होती है। तीसरे भाग में प्राचीन विषवंशों, आर्चविंशों और राजवंशों की कथाएँ वर्णित है। इन ब्राह्मण ग्रन्थों को ऐतिहासिक दृष्टि से हिन्दू जाति के सामाजिक, धार्मिक और नैतिक जीवन के विकास की परम्परा का पता लगाने के लिए अनेक सामग्री संचित की जाती है। ऐतरेय ब्राह्मण और कौषीतकी ब्राह्मण उपलब्ध है। ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय है, जो इतरा नामक शूद्रादासी के पुत्र महीदास की रचना मानी जाती है। ईसा पूर्व 1000 साल वर्ष पूर्व माना जाता है। 'ऐतरेय ब्राह्मण' पर गोविन्द स्वामी साणाचार्य के प्रामाणिक भाष्य है।

ऋग्वेद संहिता का दूसरा ब्राह्मण 'कौषीतकी' या शाख्यायन है। इसमें 30 अध्याय है। संभवतः यह एक व्यक्ति की ही रचना है। यह यज्ञ की श्रेष्ठता तथा शास्त्री वर्मा का विस्तृत प्रतिपादन करना इसका प्रधान विषय है। कुषीतक ऋषि के पुत्र कौषीतकी इस प्रमुख ब्राह्मण के उपदेष्टा हैं।

यजुर्वेद-संहिता के ब्राह्मण – कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद-ऐसी दो शाखाएँ हैं। इसका प्रमुख ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण है। साणाचार्थ और भास्कराचार्य इनके प्रामाणिक भाष्य है।

शुक्ल यजुर्वेद का प्रमुख ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है। जिसमें 14 काण्ड है। हरिस्वामी, सायण और कवीन्द्र सरस्वती ऐसे तीन प्रामाणिक भाष्य है। शतपथ ब्राह्मण में बारह हजार ऋचाएँ आठ हजार यजु और चार हजार समय है।

इसका कालखण्ड 2500 ई.पू. माना जाता है।

सामवेद संहिता के ब्राह्मण – सामवेद की तीन संहिताएँ उपलब्ध है- कौथुमीय, जैमिनी और राणायणी। पंचविंश ब्राह्मण का दूसरा नाम तालाड्य ब्राह्मण बर्नेल ने 1878 में जैमिनीय-आर्षेय ब्राह्मण और 1921 में एच.एर्टल यें जैं'नी उपनिषद् बाह्मण के प्रकाशित करवाा।

अथर्ववेद- संहिता का ब्राह्मण – अथर्ववेद की 9 शाखाएँ हैं। गोपथ ब्राह्मण वेदान्त का ग्रन्थ है। इन ब्राह्मण ग्रन्थों में सांसारिक क्रिया कलापों के साथ आध्याधिक विषय का भी गंभीर चिन्तन किया गया है। सर्वोपरि कृत्य 'कर्म' को ही प्रधान विषय बनाया है।

आरण्यक ग्रन्थ – ऐतरेय ब्राह्मण की व्याख्या में 'आरण्यक नामकरण के रूप में कहा है कि वन में पढ़ाए जाने के कारण इसका नाम आरण्क पड़ा है। वनवासी वान प्रस्थियों के यज्ञ यागादि विधानों को सम्पन्न करने वाले ग्रन्थ ही आरण्क नाम से प्रसिद्ध हुए।

जन कोलाहल से दूर ज्ञान की पूर्ति हेतु आरण्क ग्रन्थों की रचनाएँ की गई है। वानप्रस्थाश्र' में किए जाने वाले अधत्यात्मपरक कर्म, उनकी विधियाँ और व्याख्याएँ सभी आरण्यक ग्रन्थों में उपलब्ध है। इसमें कर्म मार्ग एवं ज्ञान मार्ग दोनों का समन्वय हैं।

काण्व शाखा के बृहदारण्क पर रामानुज, साण और शंकर ने प्रामाणिक भाष लिखे है।

उपनिषद् साहित्य – उपनिषद् वैदिक भावना के विकास रूप है। कर्म और ज्ञान दोनों सम्मिलित उद्भावना इसमें वर्णित है। ज्ञान भावना को लेकर उपनिषद् रचे गए हैं। उपनिषद् युग भारती विचारधारा की पराकाष्ठा का युग है। जीवन, जगत् और ब्रह्मविषक गूढ ग्रन्थों का स्पष्टीकरण उपनिषदो में मिलता है। आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म फल की विचारधार उपनिषदों का प्रधान वर्ण्य विषक है। आत्मा अमर है। व्यक्ति को जन्म और मरण से रूप में जीव को संसार की अनेक पीड़ाओं में से गुजरना पड़ता है।

धर्म की जिस व्यापक भावना को लेकर वैदिक संहिताएँ निर्मित की गई। ब्राह्मण ग्रन्थों ने उसको एकांगी, संकुचित और सर्वथा व्यक्तिगत रूप दे दिया। लेकिन निर्विवाद तथ्य है कि उपनिषद् काल वैदिक धर्म की चरमोन्नति का समय रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गोपथ ब्राह्मण 1/10
2. भरतः नाट्शास्त्र 1/8-18
3. विष्णु पुराण, 3/3/19
4. मत्स्य पुराण 144/11
5. विंटरनित्स/सम प्राबलम्स ऑफ इंडियन लिटरेचर, पृ.17, (1925)
6. लोकमान्य तिलक- ओरान, आकिटिक होय इन वेदाज, पृ. 461(1903)
7. शतपथ ब्राह्मण 1/7/1/5
8. वही 4/3/4/3

****

Emotional Intelligence - As A Way To Control Emotion For Improvement

Dr. Kavita Verma*

Abstract - The present paper is an attempt to examine the role of Emotional Intelligence in students on the basis of types of school and gender. Students are the future of every society and they are the leaders of tomorrow. In future they will have many roles in the society. To play their roles with efficiently and effectively, it is important that they become strong not only physically, mentally but also emotionally as they can handle all the difficulty and complexity of their life, set their goals and take strong decisions in every step of their life. The results of data analysis are tabulated and analyzed by using appropriate statistical techniques. The findings were made as a result of careful interpretation.

Introduction - Emotional Intelligence is the ability to sense, understand, value and effectively apply the power of emotions as a source of human energy, information, trust, creativity and influence"

Daniel Goleman

Emotional Intelligence (EI) must somehow combine two of the three states of mind cognition and affect, or intelligence and emotion. Emotional intelligence refers to the ability to perceive, control, and evaluate emotions. Some researchers suggest that emotional intelligence can be learned and strengthened, while other claim it is an inborn characteristic. A number of testing instruments have been developed to measure emotional intelligence, although the content and approach of each test varies. If a worker has high emotional intelligence, he or she is more likely to be able to express his or her emotions in a healthy way, and understand the emotions of those he or she works with, thus enhancing work relationships and performance. Emotional Intelligence is a different way of being smart – having the skill to use his or her emotions to help them make choices in the moment and have more effective control over themselves and their impact on others.

Emotional Intelligence allows us to think more creatively and to use our emotions to solve problems. Emotional Intelligence probably overlaps to some extent with general intelligence. The emotionally intelligent person is skilled in four areas: identifying emotions, using emotions, understanding emotions and regulating emotions. The term Emotional Intelligence is only a few years old. It originally developed during the 1970s and 80s by the work and writings of psychologists Howard Gardner, Peter Salovey and John Mayer. EI first appeared in 1985 in a doctoral dissertation by Wayne Leon Payne, which he entitled "A Study of Emotion: Developing Emotional Intelligence." His thesis on emotional intelligence included a framework to enable people to develop emotional intelligence. Payne asserted that many of the problems in modern civilization stemmed from a suppression of emotion and that it was possible to learn to become emotionally intelligent.

Statement Of The Problem - In India students of higher secondary schools face many challenges during school life. They must learn to survive in new environments, to live on their own. They become able to work with new and unfamiliar people and able to manage various stress and challenges in life. Therefore, the present paper is an attempt to examine the role of Emotional Intelligence in students on the basis of school and gender.

Aim Of The Study - This research is designed to study the impact of gender and type of school on emotional intelligence among government and private higher secondary school students of Chhattisgarh.

Objectives - The following objectives are formulated for the present study.

1. To compare the impact of type of school on emotional intelligence, and
2. To study the impact of gender on emotional intelligence.

Delimitation Of The Study- Following are the delimitation of the study:

1. The study had delimited to 4 districts of Chhattisgarh state (Durg, Balod, Rajnandgaon and Raipur).
2. Samples are chosen from Chhattisgarh Board affiliated government and private schools.
3. Only 11th class students are selected as a sample.
4. Selected schools are localized in urban areas.

Sample - Present study conducted on a sample of 480 students of class 11th of government and private schools in Chhattisgarh. 120 students selected from each districts where 60 government and 60 private school students were selected. A disproportionate stratified random sampling technique was employed.

*Asst. Professor (Education) Kalyan P.G. College, Bhilainagar (C.G.) INDIA

Tools - Emotional Intelligence Inventory by Mangaland Mangal(2012) was used for measuring emotional intelligence. The inventory consist of 100 items related to four area, intra personal awareness (own emotions), inter personal awareness (others emotions), intra personal management (own emotions), inter personal management (others emotions). The inventory contained 25 items for each area. The reliability of the test estimated by different method was split half method, test retest method and K.R. formula . It was found 0.89, 0.90 and0.92 respectively. The higher score on the test indicated poor emotional intelligence.

Result And Analysis Of Data

Table-1 (See in the next page)

Graph 1.1 (See in the next page)

Graph 1.2 (See in the next page)

Finding - The analysis of data reveals that -

1. Analysis of data shows that students of private school having higher order emotional intelligence as compared to government schools students. It shows types of schools positively affected emotional intelligence.
2. Girl's are more emotionally intelligent as compare to boys . It shows gender positively affected emotional intelligence.

Interpretation And Discussion -

1. The effect of type of gender on emotional intelligence was examined by comparing the boys student and girls student by applying t-test as is shown in table and graph 1.1. It shows that there is a significant difference between the emotional intelligence of girls and boys. It was found that 38.03% boys are very poor, 16.25% are poor, 3.36 % are average ,41.25% are good and 83% are shows excellent emotional intelligence, whereas 3.75% girls are very poor, 13.75% are poor, 6.25% are average, 67.91% are good and 8.33% are shows excellent emotional intelligence.
2. The effect of type of school on emotional intelligence was examined by comparing the students of government and private school by applying t-test as is shown in table and graph 1.2. It shows that there is a significant difference between the emotional intelligence of government and private school students. It was found that 28.75% students of government schools are very poor, 18.33% are poor, 6.67% are average , 45.3% are good and 2.916% are shows excellent emotional intelligence where as 13.33% student of private schools are very poor, 11.66% are poor, 2.916% are average , 65.83% are good and 6.25% are shows excellent emotional intelligence.

Conclusion - Emotional intelligence plays an important role for students life. This paper has made a better understanding about the various reasons for emotion and better control over the emotion. Handling emotions is an important requirement for students. This will help to increase efficiency, retain best talent and motivate the students to give their best. This study confirms that emotional intelligence play an important role in their success. They can manage their emotion and utilize its power in positive and creative manner.

Educational Implementation - Present study suggests some way to improve emotional intelligence of a child:

- Used modern method of teaching. It makes our teaching attractive and easily adaptive. Student not take their study as a burden they enjoy it.
- Reducing the stress level of students.
- Motivate students to control their emotions and use it in creative way.
- Perform various co-curricular activities to teach them how to control their emotion.
- Start yoga section for student to remove stress and learn self control.
- Time to time P.T.M is compulsory for understanding status of students, through this teachers and parents both can timely know the mental and emotional changes of students..
- By providing social support and reducing stress.
- Encourage these students to express their feelings and exchange opinions and ideas.
- Through the counseling process, teachers should listen and talk to the students patiently.

References :-

1. Aggarwal, J.C. (1995). *Theory and Principles of Education*.Vikas Publishing House Pvt. Ltd: New Delhi.
2. Best, John W. (2007). Research in Education. Englewood Clifts, New Jersey: Prentice Hall Inc: New Jersey
3. Coon, Dennis. (2000). *Essentials of Psychology. Exploration and Application*. (8thed.). New York: Wadsworth.
4. Gehlawat, M. (2011). A Study of Adjustment among High School Students in relation to their Gender, *International Referred Research Journal*, III (33).
5. Kerlinger, F.N. (1964). *Foundations of Behavioural Research* (2nd Ed.), Surjeet Publications, New Delhi
6. Ashkanasy, N. M., &Daus, C. S. (2005). Rumors of the death of emotional intelligence in organizational behaviorare vastly exaggerated. *Journal of Organizational Beahvior*, 26, 441–452.
7. Barchard, K. A. (2003). Does emotional intelligence assist in the prediction of academic success? *Educational andPsychological Measurement*, 63, 840–858.
8. Bar-On, R. (1997). *Bar-On Emotional Quotient Inventory: Technical Manual*. Toronto, Canada: Multi-Health Systems.
9. Bower, G. H. (1981). *Mood and Memory*. American Psychologist, 36, 129–148.
10. Brackett, M. A. (2006). Emotional intelligence, relationship quality, and partner selection. Paper presented to the *Societyof Personality and Social Psychology*, Palm Springs, CA.

11. Brackett, M. A., &Geher, G. (2006). Measuring emotional intelligence: Paradigmatic shifts and common ground.In J. Ciarrochi, J. P. Forgas& J. D. Mayer (Eds.), *Emotional Intelligence and Everyday Life* (2nd ed., pp. 27–50).

Result And Analysis Of Data

Table-1

Percentage Distribution On Overall Emotional Intelligence Of Boys And Girls From Government And Private School.

		VERYPOOR	POOR	AVERAGE	GOOD	EXCE-LLENT	TOTALN==
BOYS	GOVT.	54.11	20	3.36	21.66	.83	120
	PRIVATE	22.5	12.5	3.36	60.83	.83	120
	TOTAL	38.03	16.25	3.36	41.25	0.83	240
GIRLS	GOVT.	3.36	16.66	10	65	5	120
	PRIVATE	4.16	5.42	2.5	70.8	11.67	120
	TOTAL	3.75	13.75	6.25	67.91	8.33	240
TOTAL	GOVT.	28.75	18.33	6.67	45.3	2.916	240
	PRIVATE	13.33	11.66	2.916	65.83	6.25	240
	TOTAL	21	15	5.8	54.5	4.58	480

Graph 1.1 Percentage Distribution On Overall Emotional Intelligence Of Boys And Girls From Government And Private School.

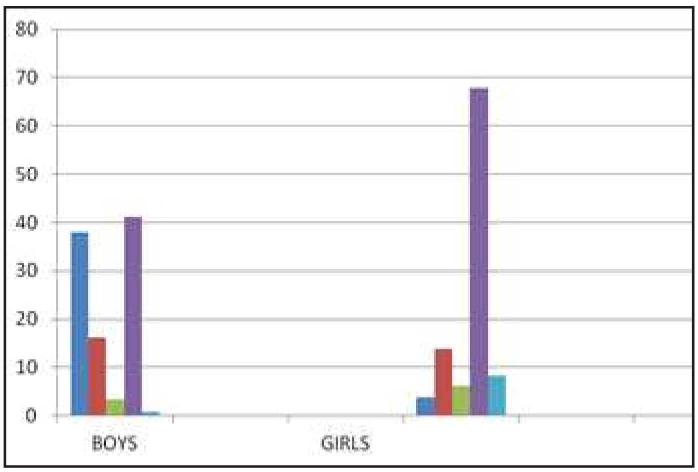

Graph 1.2 Percentage Distribution On Overall Emotional Intelligence Ofstudents From Government And Private School.

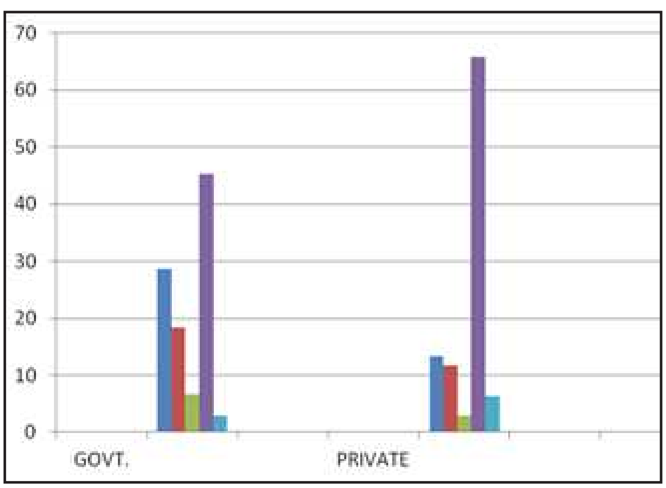

****

A Study Of Academic Achievement Of First Year I.I.T. Students In Relation To Affective Domain Related Characteritics

Rajeev Kumar *

Abstract - A study was conducted in order to investigate relationship between academic achievements in relation to affective domain related characteristics such as anxiety and self-confidence of first year students of IITs. Through many researchers carried out studies to find relationship between academic achievement and anxiety / self-confidence of various classes of students, but none of them is in the context of the students of IITs, hence it is first of its kind of studies. The population of the study was all first year students of Indian Institute of Technology in the country, whereas sample size was 200 students who participated in the data collection and submitted their responses of all the items in the tools. Null hypotheses were formulated. For academic achievement, their marks of the common examination were considered as each element of the population entered in Indian Institute of Technology by the same standardized entrance examination procedures. For measurement of anxiety, SCAT (Sinha's Comprehensive Anxiety Test) was used, for which reliability coefficient was 0.85 calculated using test-retest method. On the other hand, for getting data on self-confidence, ASCI (Agnihotri's Self-Confidence Inventory) was used, for which reliability coefficient was found 0.78 using test-retest method. One of the widely used statistical software package SPSS was used to analyze the data and for hypothesis testing. Statistical analysis was done by computing and analyzing mean, standard deviation, Pearson's co-efficient of correlation, t-test, multiple correlation and regression coefficients. The result shows that there is significant relationship between academic achievement and self-confidence of the students of IIT. It is also revealed that there is significant positive correlation between stress and academic achievement of the students. The future studies may be conducted using taking more variables and the research can be extended for other esteemed institutions such Indian Institute of Management.
Key Words - Academic Achievement, Affective Domain, Anxiety, Correlation, Self-Confidence.

Introduction - Affective domain related characteristics refer to the characteristics related with the feelings, emotions, and attitudes. Anxiety and self-confidence are two such kinds of characteristics. One of the important goals of education is academic achievement throughout the world. The benchmark of a successful education institution is increasing or maintaining high academic achievements of its pupil. Wikipedia has defined academic achievement or academic performance as the extent to which a student, teacher or institution has achieved educational goals. Generally cumulative Grade Point Average and completion of educational benchmarks such as acquiring certificates, degrees or diplomas is indicator of academic achievement. Hence academic achievement may be defined as successful completion, through effort, of the acquisition of academic content and skills. Based on the study of various research literatures, it is observed that though several researches have been conducted separately on academic achievements taking various kinds of variables exhibiting affective domain related characteristics viz. anxiety, stress, motivation, and self-confidence etc. and very few studies have been carried out taking such variables in the context of engineering students in the country. None of the studies were conducted in respect of the IIT students. The students are generally considered as extra ordinary students due the high level of credibility of the entrance test JEE for admission in IITs and teaching and research facilities of IITs. Hence the output of the study is very much important for the society in terms of revealing internet usages skill and its relationships with their academic achievement of the IIT students, so that prospective students can follow the same.

Anxiety refers to displeasing feeling and a kind of emotional reactions to continuous apprehension and fear of uncertainty about future events. It is a mental feeling of distress or uneasiness developed due to reaction against a perceived negative situation. Though a moderate level of anxiety may a motivating factor in achieving some goals and doing tasks, but high level of anxiety may cause hazard for health and life. Self-confidence may be defined as the degree to which a person feels about himself / herself to be worth, significant and capable based on overall evaluation about himself / herself. It is an individual's perceived positive but realistic views of ability about himself

*Research Scholar, School of Education, Devi Ahilya University (DAVV), Indore (M.P.) INDIA

/ herself to act effectively in a situation to get success.

The main objective of the study was to find the impact of anxiety and self-confidence of first year IIT students on their academic achievement. For the purpose, following null hypotheses were formulated: -

- H0-1: There is no significant relationship between anxiety of first year IIT Students and their Academic Achievement.
- H0-2: There is no significant relationship between self-confidence of first year IIT Students and their Academic Achievement.
- H0-3: There is no significant relationship between anxiety and self-confidence of first year IIT Students.

Methodology - Survey based research was conducted. All first year students of all IITs were the population. Convenience random sampling technique was used to select sample for the study from two IITs out of 23 IITs in the country. Total 250 students consisting both male and female students of first year were part of the sample. All these student were admitted in IITs from the same entrance mechanism that is JEE (Advanced). The SCAT (Sinha's Comprehensive Anxiety Test) was used as tool to find out anxiety scores of the students, in which there were 90 items. The reliability coefficient of this tool was 0.85 using test-retest method. On the other hand, for getting data on self-confidence, ASCI (Agnihotri's Self-Confidence Inventory) was used, for which reliability coefficient was found 0.78 using test-retest method. In addition to items in the questionnaire, data on the demographic aspects and JEE (Advanced) score was also collected in the same response sheet. JEE (Advanced) scores of individual students were considered as academic achievement of the students.

The responses of the questionnaire were arranged in MS-Excel and the excel sheet was later on converted into SPSS compatible file for data analysis purpose. Independent samples' t-test and Pearson correlation coefficient analysis was carried out to test the hypotheses formulated as H0-1 and H0-2.

Data Analysis And Results - In order to test the first null hypothesis (H0-1) that there is no significant relationship between anxiety of first year IIT Students and their Academic Achievement, pearsons' correlation coefficient was computed using SPSS. Result of this computation was as follows -

Table-1 - Pearson Correlation Coefficients between Anxiety and AA of the students

Anxiety	Academic Achievements
	r-value
	-0.168

Table-1 indicates that the r-value is of negative value. It means negative correlation between anxiety and academic achievement.

In order to test the second null hypothesis (H0-2) that there is no significant relationship between self-confidence of first year IIT Students and their Academic Achievement, pearsons' correlation coefficient was computed using SPSS. Result of this computation was as follows:

Table-2 - Pearson Correlation Coefficients between Self-confidence and AA of the students

Self-confidence	Academic Achievements
	r-value
	0.148

Table -2 indicates that the r-value is of positive value. It means positive correlation between self-confidence and academic achievement.

In order to test the third null hypothesis (H0-3) that there is no significant relationship between self-confidence of first year IIT Students and their anxiety, pearsons' correlation coefficient was computed using SPSS. Result of this computation was as follows:

Table-3 - Pearson Correlation Coefficients between Self-confidence and AA of the students

Self-confidence	Anxiety
	r-value
	0.074

Table -3 indicates that the r-value is of positive value. It means positive correlation between self-confidence and academic achievement however its value is negligible.

Conclusions - One of the topics in today's societies related to educational researches is how to improve the academic achievements of students. As our world is developing exponentially, the educational researchers are trying to know the factors for coinciding academic performance improvements. Particularly factors influencing the academic achievement of the IIT students will able to give a path to the prospective students preparing for admission in IITs, one of the prestigious public institutions in the country. Students are required to be continuously counselled for increasing their level of self-confidence and lowering their anxiety level in order to increase the academic performance of the students. The present study revealed that: -

- There is negative correlation between anxiety and academic achievement of the students.
- There is positive correlation between self-confidence and academic achievement.
- There is negligible positive correlation between self-confidence and anxiety.

  The future studies may be conducted using taking more variables and the research can be extended for other esteemed institutions such Indian Institute of Management.

References :-

1. Aggarwal and Mishra, A.K. (2005). Impact of parent child relationship on self confidence. Indian Journal Psycho-Edu, 36, 146-152.
2. Al-Hebaish, S.M. (2012). The Correlation between General Self-Confidence and Academic Achievement in the Oral Presentation Course. Theory and Practice in Language Studies, 2(1), 60-65
3. Chukwuemeka, M., et. al. (2015) Cognitive Determinants of Academic Performance in Nigerian Pharmacy Schools. American Journal of

Pharmaceutical Education, 79(7), 101.
4. David William Putwain. (2008) Test anxiety and GCSE performance: the effect of gender and socio economic background. Educational Psychology in Practice 24:4, pages 319-334.
5. Huang, Penelope M.; Brainard, Suzanne G. (2001). Identifying Determinants of Academic Self- Confidence among Science, Math, Engineering, and Technology Students. Journal of Women and Minorities in Science and Engineering, 7(4), 315-37.
6. Riya, B. (2015). Psychological factors affecting student's academic performance in higher education among students. International Journal For Research & Development In Technology, 4(1).
7. Shakir, M. (2014). Academic Anxiety as a Correlate of Academic Achievement Journal of Education and Practice, 5(10).
8. Sindhu, P. (2017). Impact of Depression, Anxiety and Stress on Academic Achievement among Engineering Students. The International Journal of Indian Psychology, 5(1).
9. Sujit, S., et. al. (2005) Test Anxiety with Respect to a Comprehensive Cumulative Assessment. Journal of Pharmacy Teaching, 12(1), 41-59.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) October to December 2019, Vol. I

A Correlational Study of Emotional Intelligence And Anxiety Among Adolescents

Dr. Munmun Sharma*

Introduction - In the zone of cyber world all societies and its members are facing tough competition. The rapidly growing population desires for higher standard of living and sudden and intense exposure to western world of glamour have greatly enhanced the pressure of competition. People of now days want too much and too quickly , striving of that pull them down to very ground level of life skills.

Unfortunately even parents not bothered about the overall development of their Child, rather they are much focused on somehow the child get position and money. The paradigm is shifted from spiritualism to materialism with the very high rate and this is the main culprit of many psycho somatic and Emotional problems. There is no balance present between the affective and cognitive domain of 21st century adolescent. This generation is very poor at life skills because neither society nor Education system is bothered to teach the fundamental principles of handling temperament in tough situation which arises tension , anxiety, anger and stress. By neglecting the important life lessons we are at the risk of preparing Emotional Instable Adolescent. Since we need emotionally balanced and intelligent generation are capable of handling life threatening situations which are the source of many psycho somatic conditions and feelings. So the question raised in investigator mind - How the Emotional Intelligence of Adolescents is related to their Anxiety?

Operational Definition of terms -

Emotional Intelligence - According to Daniel Goleman , " The capacity for recognizing our own feelings and those of others, for motivating ourselves and for managing emotions well in ourselves and in our relationships."

Anxiety - Anxiety can be describe as feeling of uneasiness whose source is uncertain or vague, but with debilitating effects as if that sources was real or specific (Robinson,et al.1992)

Hypothesis - The Null hypothesis has been designed which states that - There is no significant correlation between Emotional Intelligence and Anxiety among Adolescents.

Method of Study - As the purpose of study was to find out the statistical correlation between the two dependent variables i.e. Emotional Intelligence and Anxiety of adolescents , so the survey method has been employed.

Size of the Sample - 400 Adolescent students were taken as sample by random sampling technique to conduct the survey.

Tools - To measure the Emotional Intelligence of the Adolescents researcher has been developed the 5 point rating scale which was consisted of 48 items and to measure the anxiety of adolescents the standardized tool has been employed to students i.e. ASQ (Anxiety Scale Questionnaire) Hindi version of Cattell self analysis form.

Data analysis and Interpretation - Gathered data were tabulated and the correlation calculated between the variables by method of Pearson product moment correlation.

The table given below is just used to show the significantly correlated dimensions of Emotional Intelligence and Anxiety among Adolescent:

Areas of Anxiety / Areas of EI	Tension	Emotional Instability	Total Anxiety
Motivation	**0.125 ***		
Social Skills		**-0.110***	

*Significant at 0.05 level

The data are revealed that that in the area of Emotional Intelligence i.e. motivation has positive correlation with the tension i.e. area of Anxiety which is find significant at 0.05 level of significance. So it can be interpreted that the adolescents who have high achievement drive ,commitment and persistence in pursuing goals despite obstacles and setbacks are quite tensed and overwrought.

On the other dimension of Emotional intelligence i.e. Social Skills has negative correlation with the Emotional instability the area of Anxiety, they have significant correlation at 0.05 level. It reveals that students who are socially skillful are less emotional instable .So it can be interpreted in other words like Emotionally stable adolescents can inspire and guide group , people and resolve disagreements. They have good communication , ability to nurture instrumental relationships, ability to work with others towards shared goals and create the group synergy in pursuing collective goals.

Conclusion - The result obtained from analysis of data evident to accept the hypothesis that there is no significant correlation found between Emotional Intelligence and

* **Department of Education, MLSU , Udaipur (Raj.) INDIA**

Anxiety of adolescent students , whereas there is mild positive correlation found between the tension and motivation areas of Anxiety and Emotional Intelligence respectively and lower level of negative correlation found between social skills and Emotional instability.

References :-

1. Golmen, Daniel (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam Books.
2. Robinson ,E. H., et.al.(1992). Helping Children Cope with Fears and Stress. Ann Arbor,MI: University of Michigan.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) October to December 2019, Vol. I

शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों में लक्ष्य अभिप्रेरणा का अध्ययन

साधना ओसवाल * डॉ. मंजू वर्मा **

शोध सारांश – शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों में लक्ष्य अभिप्रेरणा का अध्ययन करने हेतु एक शोध किया गया; जिसमें राजस्थान के पांच जिलों से 15 शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों एवं 15 अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों का चयन किया। इस प्रकार 75 शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों एवं 75 अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों का चयन किया गया। उनमें लक्ष्य अभिप्रेरणा मापने हेतु एक स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण किया गया। इस अध्ययन के द्धारा यह ज्ञात किया गया कि शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों में लक्ष्य अभिप्रेरणा का स्तर सामान्य से कुछ अधिक कहा जा सकता है व अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों में लक्ष्य अभिप्रेरणा का स्तर सामान्य के निकट कहा जा सकता है।

शब्द कुंजी – शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, अकादमिक महाविद्यालय, लक्ष्य अभिप्रेरणा ।

प्रस्तावना – शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, कोई भी शैक्षिक योजना अथवा नीति शिक्षक के सक्रिय सहयोग के बिना पूर्ण नहीं की जा सकती हैं क्योंकि इनका निरूपण और क्रियान्वयन शिक्षक को करना होता हैं। किसी भी विषय के शिक्षण की सफलता अध्यापक पर ही निर्भर करती हैं। अत: यह असवश्यक है कि अध्यापक यह जाने कि विद्यार्थियों में लक्ष्य अभिप्रेरणा का स्तर कितना है और उसी के अनुरुप अध्यापन कार्य कि दिशा निर्धारित करें।

यह ज्ञात करना आवश्यक है कि विद्यार्थी खुद के लिए कितने उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है। वे कितने यथार्थवादी/चुनौतीपूर्ण है, विद्यार्थी में विजेता बनने की कितनी इच्छा है इसी से यह प्रभावित होता है कि वह कितनी बार विफलता के बावजूद प्रयास करता रहेगा।

उपलब्धि अभिप्रेरणा से संबंधित साहित्य का अध्ययन – सलीम (1998) ने जीव विज्ञान विषय की उपलब्धि प्रेरणा, लिंग व परिवेश कारकों के प्रभाव पर अध्ययन किया। स्तरीकृत न्यादर्श विधि द्धारा केरल राज्य के माध्यमिक स्कूल में अध्ययनरत् 9वीं के 700 विद्यार्थियों का चयन किया गया और निष्कर्ष में पाया कि शैक्षिक उपलब्धि पर उपलब्धि प्रेरणा, लिंग व परिवेश का सामूहिक प्रभाव पड़ता है।[1]

दर्शना (2007) ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की उपलब्धि को प्रभावित करने वाले चर एवं संवेगात्मक बुद्धि के मध्य संबंध पर अध्ययन किया तथा पाया कि संवेगात्मक बुद्धि एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा के मध्य सार्थक संबंध पाया जाता है।[2]

स्टेनमेरिक एवं स्पीनेथ (2008) ने व्यक्तित्व और उपलब्धि अभिप्रेरणा के संबंध में उपलब्धि के लक्ष्यों और बुद्धि का अध्ययन किया और निष्कर्ष में पाया कि उपलब्धि अभिप्रेरणा व्यक्तित्व के पांच शील गुणों और बुद्धि सामान्य चरों से संबंधित नहीं थी।[3]

विजया कुमारी (2010) ने माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के शैक्षिक चिन्ता, उपलब्धि अभिप्रेरणा और लिंग का शैक्षिक उपलब्धि के साथ संबंध का अध्ययन किया। न्यादर्श के लिए 9वीं के 400 विद्यार्थियों को लिया गया और यह निष्कर्ष पाया कि शैक्षिक उपलब्धि, शैक्षिक चिन्ता के साथ ऋणात्मक रूप से संबंधित थी और उपलब्धि अभिप्रेरणा से धनात्मक रूप से संबंधित थी। शैक्षिक चिन्ता, उपलब्धि अभिप्रेरणा और लिंग का सार्थक प्रभाव शैक्षिक उपलब्धि पर देखा गया। शैक्षिक चिन्ता, उपलब्धि अभिप्रेरणा और लिंग का अन्त: क्रिया प्रभाव शैक्षिक उपलब्धि पर पाया गया।[4]

शोध के उद्देश्य

1. शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों में लक्ष्य अभिप्रेरणा का स्तर ज्ञात करना।
2. अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों में लक्ष्य अभिप्रेरणा का स्तर ज्ञात करना।
3. शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों में लक्ष्य अभिप्रेरणा का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पनाएं –

1. शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों में लक्ष्य अभिप्रेरणा का स्तर निम्न है।
2. अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों में लक्ष्य अभिप्रेरणा का स्तर निम्न है।
3. शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों में लक्ष्य अभिप्रेरणा के स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध प्रक्रिया – शोध के लिए राजस्थान से 75 शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों एवं 75 अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों का यादृच्छिक रुप से चयन किया गया। उनमें लक्ष्य अभिप्रेरणा मापने हेतु एक स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण किया गया।

शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों में लक्ष्य अभिप्रेरणा – शोध कार्य से ज्ञात हुआ कि शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के 20% छात्रों में सामान्य लक्ष्य अभिप्रेरणा रहती है। वही 68% छात्रों में अधिक लक्ष्य

* शोधार्थी, पेसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च यूनिवरसिटी, उदयपुर (राज.) भारत
** सेवानिवृत्त सहायक प्राध्यापिका, जे.आर.एन.यू., डबोक, उदयपुर (राज.) भारत

अभिप्रेरणा पाई गई जबकि 12% छात्रों में लक्ष्य अभिप्रेरणा की कमी है। औसत रुप से देखे तो शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों में लक्ष्य अभिप्रेरणा का स्तर 2.54 अंक अर्थात् 63.60% है। जिसे सामान्य से कुछ अधिक कहा जा सकता है।

तालिका 1 (देखे)

चार्ट 1(देखे)

अत: प्रथम परिकल्पना (शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों में लक्ष्य अभिप्रेरणा का स्तर निम्न है) को अस्वीकार किया जाता है।

अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों में लक्ष्य अभिप्रेरणा – शोध कार्य से ज्ञात हुआ कि अकादमिक महाविद्यालय के 40: छात्रों में सामान्य लक्ष्य अभिप्रेरणा रहती है। वही मात्र 12: छात्रों में अधिक लक्ष्य अभिप्रेरणा पाई गई जबकि 48: छात्रों में लक्ष्य अभिप्रेरणा की कमी है। औसत रुप से देखे तो अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों में लक्ष्य अभिप्रेरणा का स्तर 1.62 अंक अर्थात् 40.40: है जिसे सामान्य के निकट कहा जा सकता है।

तालिका 2 (देखे)

चार्ट 2 (देखे)

अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों में लक्ष्य अभिप्रेरणा का स्तर 1.62 अंक अर्थात् 40.50: है अत: द्वितीय परिकल्पना (अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों में लक्ष्य अभिप्रेरणा का स्तर निम्न है) को स्वीकार किया जाता है। शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों में लक्ष्य अभिप्रेरणा अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों की अपेक्षा अधिक है। क्या यह अंतर सार्थक रुप से अधिक है यह जानने हेतु जेड परिक्षण किया गया। **(सारणी देखे आगे)**

z का आंकलित मान 2.65 है, जो कि तालिका मान 1.96 से अधिक है अत: शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों एवं अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों की लक्ष्य अभिप्रेरणा में सार्थक अन्तर हैं अत: तृतीय परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है।

सुझाव – अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों को उच्च लक्ष्य निर्धारित करने हेतु प्रेरित करना चाहिए।

शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों एवं अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों को चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने हेतु प्रेरित करना चाहिए।

विफलता के बावजूद प्रयास करते रहने की सीख छात्रों को देने चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Salim, C. (1998). Impact of factor namely, approaches to studying achievement- motivation, sex & locus on achievement in biology. *Sixth survey,* II, 1993-2000, 496.
2. दर्शना, एम. (2007)– उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की उपलब्धि को धनात्मक रूप से प्रभावित करने वाले चर एवं संवेगात्मक बुद्धि के मध्य संबंध पर अध्ययन.एजुकेशन ट्रेक्स, (7), 7 – 4.
3. Steinmayrc, R. & Spinathc, B. (2008). Personality and achievement motivation. Relationship among Big five domain and facet scales, achievement goals and intelligence. *Personality & individual differences,* 44, 1454-1464.
4. Kumari, V. (2010). Some correlates of Academic Achievement of Secondary School Student. *Edutracks,* 9(5), 39.

तालिका 1

शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों में लक्ष्य अभिप्रेरणा

श्रेणी	स्तर (अंकों में)	छात्रों की संख्या
बहुत कम	0–0.8	0
कम	0.9–1.6	9
सामान्य	1.7–2.4	15
अधिक	2.5–3.2	33
बहुत अधिक	3.3–4	18
योग		75

चार्ट 1

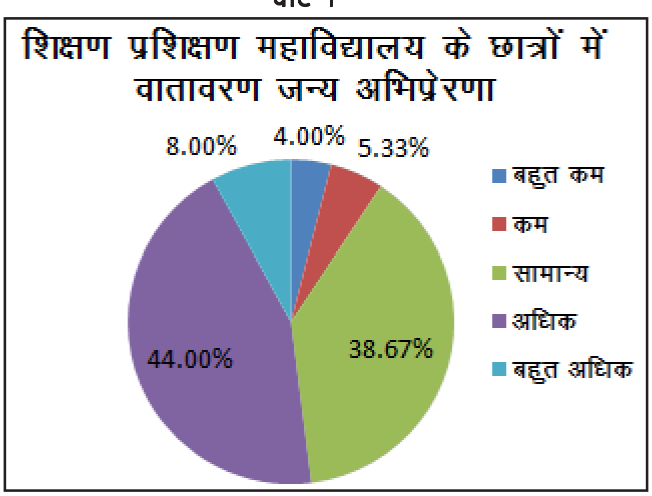

तालिका 2

अकादमिक महाविद्यालय के छात्रों में लक्ष्य अभिप्रेरणा

श्रेणी	स्तर (अंकों में)	छात्रों की संख्या
बहुत कम	0-0.8	9
कम	0.9-1.6	27
सामान्य	1.7-2.4	30
अधिक	2.5-3.2	9
बहुत अधिक	3.3-4	0
योग		75

चार्ट 2

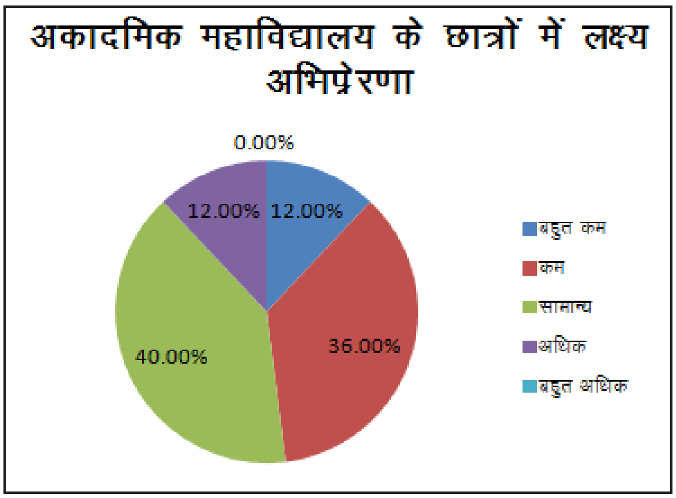

श्रेणी	लक्ष्य अभिप्रेरणा अंक	लक्ष्य अभिप्रेरणा प्रतिशत	z का आंकलित मान
शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्र	2.54	63.60%	2.65
अकादमिक महाविद्यालय के छात्र	1.62	40.40%	

****

समावेशी शिक्षा में बी.एड इन्टर्नशिप की उपयोगिता का अध्ययन

भावना शेखावत * डॉ. अशोक सेवानी **

प्रस्तावना – वर्तमान में शिक्षा का मुख्य ध्येय बालक का सम्पूर्ण विकास करना है, परंतु इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक अपनी भूमिका का निर्वाह करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) की समीक्षा करते वक्त आचार्य राममूर्ति रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट (1992) में कहा गया है कि शिक्षक शिक्षा में इन्टर्नशिप को अपनाया जाना चाहिए। क्योंकि इंटर्नशिप पूरी तरह से वास्तविक परिस्थिति में किए गए व्यवहारिक अनुभव के मूल्य पर आधारित होती है। जिसमें कुछ समय के लिए शिक्षण का अवसर देकर अध्यापन के गुणों में विकास किया जाता है। जिससे ज्ञान को केवल पुस्तकों के रूप में ही नहीं बल्कि अनुभवों के आधार पर निर्मित करना है। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के बी.एड. कार्यक्रम के भावी शिक्षकों में समावेशित शिक्षा के संप्रत्य को सम्मिलित किया जाए जिससे भावी अध्यापकों के दृष्टिकोण अभिवृत्ति, मूल्य और उनके व्यक्तित्व में समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक विचार उत्पन्न हो सके।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन –

- **अखिलेश पाठक (2018) –** 'सुगम्य भारत अभियान : निर्बाध वातावरण और सशक्तिकरण की राह' योजना मई 2016 में बताया कि सरकार एक ऐसी समावेशी समाज परिकल्पना करती है, जिसमें विकलांगों की उत्पादक, सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, उनके प्रगति और विकास हेतु समान अवसर और सुगम्यता प्रदान की जाती हो।
- **मल्होत्रा, अचल (2016) –** समावेशी विकास और दूरगामी परिणाम का वैश्विक परिदृश्य, योजना, जून 2016 में देश में समावेशी विकास हेतु कूटनीति बुनियादी ढांचा और वित्त पर चर्चा की एवं कहा कि भारत समावेशी विकास के लिए परस्पर प्रयासरत है।
- **राव इंदुमति (2015)–** विकलांगजन : शैक्षिक अधिकार व अवसरों का उन्नयन कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार मई 2015 में बताया कि शिक्षा क्षेत्र का दायरा लगातार बढ़ाने के लिए भिन्न प्रयास हो रहे हैं लेकिन जब बात विकलांगजनों एवं विकलांग बच्चों को शिक्षा देने की आती है, तब सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।
- NCERT (2008) राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 NCERT, New Delhi

समस्या कथन –समावेशी शिक्षा में बी.एड इन्टर्नशिप की उपयोगिता का अध्ययन – एक शोध पत्र

शोध के उद्देश्य – शोध एक साद्देश्य प्रक्रिया है।अध्ययन के प्रत्येक क्षेत्र में उद्देश्य का नियोजन किया जाता है। वर्तमान अध्ययन के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं –

- अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में बी. एड. कार्यक्रम के भावी शिक्षकों की समावेशित शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति और मूल्यों का अध्ययन।
- इंटर्नशिप कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए।
- समावेशी शिक्षा के प्रति इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान आने वाली समस्याएं एवं चुनौतियों को पहचानने के लिए।
- इंटर्नशिप कार्यक्रम समावेशी शिक्षा पाठ्यक्रम सुधार के लिए सम्भावना सुझावों को देना।

अध्ययन कि परिकल्पना – जो तथ्य ज्ञात है या जिनको अनुसंधानकर्ता ने निर्धारित किया है, उनका परीक्षण करने तथा तर्क संगत परिणाम प्राप्त करने हेतु परिकल्पना का निर्माण आवश्यक है। परिकल्पना, शोध प्रक्रिया, न्यादर्श आदि के चयन का आधार प्रदान करके अनुसंधान के क्षेत्र को नियंत्रित करती है –

1 अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के बी.एड. कार्यक्रम के भावी शिक्षकों की समावेशी शिक्षा के प्रति उपियोगिता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2 अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के बी.एड. कार्यक्रम के भावी शिक्षकों की समावेशित शिक्षा के प्रति मूल्यों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. भावी शिक्षकों में समावेशी शिक्षा के शिक्षण कौशल व पाठ्यक्रम को बनाने में इंटर्नशिप कार्यक्रम की उपयोगिता मे सार्थक अंतर नहीं है।

अध्ययन के न्यादर्श –

कुल न्यादर्श 80
(40 पूर्व व 40 वर्तमान छात्राध्यापक)

40 पूर्व छात्राध्यापक — 20 पुरूष, 20 महिला
40 वर्तमान छात्राध्यापक — 20 पुरूष, 20 महिला

अध्ययन में प्रयुक्त विधि एवं उपकरण एवं सांख्यिकी – प्रस्तुत अध्ययन में आदर्श मूलक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। उपकरण के रूप में स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है, जिसमें प्रश्न हाँ व नहीं के रखे गए हैं। प्राप्त आंकड़ों के संकलन के पश्चात् मध्यमान व प्रतिशत द्वारा प्रश्नों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया है एवं शोध प्रश्नों का सत्यापन किया गया।

प्रदत्त विश्लेषण एवं निष्कर्ष– समस्या के अध्ययन हेतु लिए गए न्यादर्श से प्राप्त प्रदत्तों के विश्लेषण, व्याख्या एवं प्रश्नों की सत्यापन के उपरांत

* सहायक प्रोफेसर, (अतिथि) एम.डी.एस विश्वविद्यालय, अजमेर (राज.) भारत
** सहायक प्रोफेसर (शिक्षा) जियालाल शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर (राज.) भारत

निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए–

1. **समावेशी शिक्षा में इन्टर्नशिप कार्यक्रम की प्रभावशीलता और उपयोगिता**

- शिक्षण प्रक्रिया की जटिल प्रकृति की सही समझ को विकसित करता है।
- सैद्धान्तिक और प्रार्योगिक का समावेश
- विभिन्न विषयों की पाठ योजना बनाना
- शिक्षण विधि और तकनीक को परिष्कृत और सुधारना
- शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी को समझना

2. **समावेशी शिक्षा के शिक्षण कौशल में भावी शिक्षक और पाठयक्रम की भूमिका–**

- अभ्यास की स्वतन्त्रता
- पाठ पर लिखित निर्देश
- पाठ का नियमित अवलोकन
- समयानुसार सुझावात्मक पृष्टपोषण
- सहयोगात्मक योजना के अवसर
- लोकतांत्रिक आदर्श पाठ योजना

अध्ययन के परिणाम/प्रतिफल –

- इंटर्नशिप कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों और भावी शिक्षकों की सकारात्मकता प्रदर्शित होती है। प्रतिभागियों का (87%) बहुमत इस बात से सहमत करता है कि इंटर्नशिप कार्यक्रम समावेशी शिक्षा लिए प्रभावशाली और उपयोगी है।
- अधिकांश प्रतिभागी (68%) इस बात से सहमत करते हैं कि यह कार्यक्रम समावेशी शिक्षा प्रति सकारात्मक बनाने का अवसर देते हैं।
- समावेशी शिक्षा के प्रति 52% का मानना है की इंटर्नशिप कार्यक्रम मे लागू करने की कोई एकीकृत रणनीति अनिवार्य होनी चाहिए ।
- भावी शिक्षकों में समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षण सामग्री के विकास की आवश्यकता रहती है।
- वास्तविक कक्षा कक्ष स्थिति में समावेशी शिक्षा के प्रति 60% भावी शिक्षक निर्माणात्मक पृष्ठ पोषण प्रदान करते हैं।

अध्ययन का सारांश – उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि समावेशी शिक्षा के विकास में बी.एड इंटर्नशिप की भागीदारी को ओर अधिक बढ़ाकर समावेशी शिक्षा का अधिक से अधिक विकास तथा प्रचार प्रसार करने पर समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के साथ –साथ समावेशी शिक्षा के सार्वजनीकरण, सार्वभौमिकरण को प्राप्त किया जा सकता है।

स्वनिर्मित प्रश्नावली –

नाम योग्यता लिंग

सही जवाब के लिए सही का चिन्ह और गलत जवाब के लिये गलत का चिन्ह लगाइये।

1. समावेशी शिक्षा शिक्षक का महत्वपूर्ण क्रियात्मक भाग है।
2. शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रमों की कमी के कारण समावेशी शिक्षा गुणवत्ता अंसतोषजनक रही है।
3. शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स में समावेशी शिक्षा का कार्यक्रम अनिवार्य होना चाहिए।
4. भावी शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी के सीखने की प्रक्रिया का सहयोगी बनना आवश्यक है।
5. समावेशि शिक्षा के प्रति समुदायिक सहभागिता की आवश्यकता है।
6. समावेशी शिक्षा में सहायक सामग्री और साधनों का विशेष महत्व रहता है।
7. समावेशी शिक्षा शिक्षण सहभागिता पर आधारित होता है।
8. समावेशी शिक्षा पाठयक्रम में सैद्धान्तिक व प्रायौगिक अध्ययन का समावेश है।
9. समावेशी शिक्षा भावी शिक्षकों में सकारात्मक सोच को बढ़ाता है।
10. समावेश शिक्षा पाठ्यक्रम के अलावा सह शैक्षणिक गतिविधियों से भी सम्बधित होनी चाहीए।

****

किशोरावस्था के विद्यार्थियों में तनाव का तुलनात्मक अध्ययन

प्रतिभा द्विवेदी * डॉ. विनोद सिंह भदौरिया **

प्रस्तावना – वर्तमान समय में 10 से 19 वर्ष की आयु किशोरावस्था मानी जाती है। विशिष्ट रूप में किशोरावस्था को विकास परिस्थिति में अव्यवस्था के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस अवस्था में किशोर बड़े संघर्ष, तनाव एवम् विरोध की अवस्था से गुजरता है।

तनाव व्यक्ति की शारीरिक एवम् मानसिक दशा में असन्तुलन उत्पन्न करता है। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, महत्वाकांक्षाएँ, विद्यालय का वातावरण, घरेलू परिस्थितियाँ आदि कई कारणों से किशोर जब तनाव के कारण स्वयं को उचित प्रकार से समायोजित नहीं कर पाते हैं, तब उनके व्यक्तित्व विकार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

आज के किशोर विद्यार्थी ही भविष्य के नागरिक हैं। एक सबल राष्ट्र के निर्माण के लिए उसके नागरिकों का सबल एवम् सक्षम होना अनिवार्य है। अत: किशोर विद्यार्थियों को तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करने में विद्यालय की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

उद्देश्य–

1. शासकीय एवम् अशासकीय विद्यालयों के किशोरावस्था के विद्यार्थियों के तनाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. शहरी क्षेत्र के शासकीय एवम् अशासकीय विद्यालयों के किशोरावस्था के विद्यार्थियों के तनाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय एवम् अशासकीय विद्यालयों के किशोरावस्था के विद्यार्थियों के तनाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ–

1. शासकीय एवम् अशासकीय विद्यालयों के किशोरावस्था के विद्यार्थियों के तनाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता।
2. शहरी क्षेत्र के शासकीय एवम् अशासकीय विद्यालयों के किशोरावस्था के विद्यार्थियों के तनाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता।
3. ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय एवम् अशासकीय विद्यालयों के किशोरावस्था के विद्यार्थियों के तनाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता।

विधि एवम् प्रक्रिया – अध्ययन के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है, जिसके लिए ग्वालियर जिले के 08 विद्यालय एवम् 160 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

तालिका क्रमांक 01 (देखे आगे पृष्ठ पर)

विद्यार्थियों में तनाव का स्तर ज्ञात करने के लिए डॉ. ज़ाफी अख़्तर (जमशेदपुर) द्वारा निर्मित प्रमापीकरण परीक्षण स्टूडेन्ट स्ट्रेस स्केल का उपयोग किया गया। प्राप्त प्रदत्तें के विश्लेषण हेतु सांख्यिकी विधियों (मध्यमान, प्रमाणिक त्रुटि, प्रमाणिक विचलन एवम् ज.मान) का उपयोग किया गया।

उपलब्धियाँ–

परिकल्पना क्रमांक– 1 – शासकीय एवम् अशासकीय विद्यालयों के किशोरावस्था के विद्यार्थियों के तनाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता।

तालिका क्रमांक– 2 (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका क्र. 02 से स्पष्ट है कि 158 df पर सारणी द्वारा t- मान 0.05 सार्थकता स्तर पर 1.962 है, जबकि 0.01 सार्थकता स्तर पर 2.581 है, जबकि गणना द्वारा प्राज्ञत मान –2.05 है, जो कि 0.05 सार्थकता स्तर के मान से अधिक है। अत: इस स्तर पर हमारी परिकल्पना अस्वीकृत होती है, जबकि गणना द्वारा प्राप्त t- मान 0.01 सार्थकता स्तर के मान से कम है। अत: इस स्तर पर हमारी परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है।

अत: निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत किशोर विद्यार्थियों और अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर विद्यार्थियों के तनाव के सार में कुछ अन्तर पाया जाता है। मध्यमानों के आधार पर कह सकते हैं कि शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर विद्यार्थियों में तनाव का स्तर अधिक है।

परिकल्पना क्रमांक – 2 – शहरी क्षेत्र के शासकीय एवम् अशासकीय विद्यालयों के किशोरावस्था के विद्यार्थियों के तनाव के स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता।

तालिका क्रमांक– 03 (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका क्रमांक– 03 द्वारा स्पष्ट है कि 78 df पर सारणी द्वारा प्राप्त t- मान 0.05 सार्थकता स्तर पर 1.990 तथा 0.01 सार्थकता स्तर पर 2.639 है, जबकि गणना द्वारा प्राप्त t- मान 0.968 है, जो कि दोनों विश्वास स्तरों के मान से कम है।

अत: निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि हमारी परिकल्पना दोनों विश्वास स्तरों पर सत्य सिद्ध होती है। शहरी क्षेत्र के शासकीय एवम् अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरावस्था के विद्यार्थियों में तनाव का स्तर समान पाया जाता हैं।

परिकल्पना क्रमांक– 3 – ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय एवम् अशासकीय विद्यालयों के किशोरावस्था के विद्यार्थियों के तनाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता।

तालिका क्रमांक– 4 (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका क्र. 4 द्वारा स्पष्ट है कि 78 df पर सारणी द्वारा प्राप्त t- मान 1.990 (0.05 सार्थकता स्तर पर) एवम् 0.01 सार्थकता 01 सार्थकता स्तर पर 2.639 है, जबकि गणना द्वारा प्राप्त मान 3.97 है, जो कि दोनों

* शोधार्थी (शिक्षा) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
** एसोसिएट प्रोफेसर, एम.पी.एस. शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

सार्थकता स्तरों के t- मान से अधिक है। अत: हमारी परिकल्पना दोनों विश्वास स्तरों पर असत्य सिद्ध होती है।

अत: निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय एवम् अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर विद्यार्थियों के तनाव के स्तर में सार्थक अन्तर पाया जाता है।

निष्कर्ष-

1. किशोरावस्था जीवन का वह दौर होता है, जिसमें अधिकांश विद्यार्थी तनाव से ग्रस्त हो जाते है।।
2. शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर विद्यार्थियों में तनाव का स्तर अधिक पाया गया।
3. शहरी क्षेत्र के शासकीय एवम् अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर विद्यार्थियों में तनाव का स्तर समान पाया गया।
4. ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर विद्यार्थियों में तनाव का स्तर अधिक पाया गया।

सुझाव-

1. विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अत: विद्यालय प्रबन्धन का यह दायित्व है कि विद्यालय में तनाव मुक्त वातावरण विकसित हो।
2. कई बार छात्र जो बातें अपने माता-पिता, भाई-बहनों से नहीं कह पाते, अपने शिक्षकों से साझा करते हैं, लेकिन केवल उन्हीं शिक्षकों से जिन पर उन्हें भरोसा होता है। अत: प्रत्येक शिक्षक को अपने छात्रों से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थी की क्षमता, योग्यता, रुचियों के आधार पर उसका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों के पालकों के भी सतत सम्पर्क में रहना चाहिए।
3. सभी माता-पिता अपनी क्षमता से भी बढ़कर अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। अपने बच्चों को उच्च पदों पर आसीन देखना चाहते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जब माता-पिता अपनी महत्वाकांक्षाएँ अपने बच्चों पर थोपने लगते हैं, उनकी क्षमता, योग्यता, अभिरुचि जाने बिना किस विशेष क्षेत्र में जाने का दवाब बनाने लगते हैं, तो यह स्थिति बेहद खतरनाक होती है। प्रतिवर्ष हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी बोर्ड परीक्षा परिणामों के समय किशोर छात्रों द्वारा आत्महत्या की घटनाएँ इसी स्थिति का प्रतिफल हैं।

अत: प्रत्येक पालक का यह दायित्व है कि वह ऐसी स्थिति निर्मित न होने दे जो किशोर विद्यार्थियों के तनाव का कारण बने।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भार्गव महेश, आधुनिक मनोविज्ञान परीक्षण मापन, एचपी. भार्गव बुक हाउस, आगरा
2. शर्मा आर.ए., शिक्षा अनुसन्धान, आर.लाल. बुक डिपो, मेरठ
3. श्रीवास्तव डॉ. डी.एस., वर्मा डॉ. प्रीति, शिक्षा मनोविज्ञान एवम् सांख्यिकी, साहित्य प्रकाशन, आगरा
4. किशोरावस्था में मानसिक तनाव -www.bharatsamvad.online
5. किशोरावस्था में मानसिक तनाव - hindibhashaa.com
7. किशोरावस्था - shodhganga.inflibnet.ac.in>.(PDF)

तालिका क्रमांक 01

विद्यालय का प्रकार		विद्यालय की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
शहरी	शासकीय	02	40
	अशासकीय	02	40
ग्रामीण	शासकीय	02	40
	अशासकीय	02	40
योग		08	160

तालिका क्रमांक- 2

विद्यार्थी	मध्यमान (MEAN)	प्रमाणिक विचलन (S.D.)	प्रमाणिक त्रुटि (S.ED.)	t- मान		
				गणना द्वारा प्राप्त	t- तालिका द्वारा प्राप्त	
					0.05 स्तर पर	0.01 स्तर पर
शासकीय विद्यालय	158.75	26.07	4.74	2.05	1.962	2.581
अशासकीय विद्यालय	149	14.85				

तालिका क्रमांक– 3

विद्यार्थी	मध्यमान (MEAN)	प्रमाणिक विचलन (S.D.)	प्रमाणिक त्रुटि (S.ED.)	t- मान गणना द्धारा प्राप्त	t- तालिका द्धारा प्राप्त 0.05 स्तर पर	t- तालिका द्धारा प्राप्त 0.01 स्तर पर
शहरी क्षेत्र के शासकीय विद्यालय	149.75	14.32	3.155	0.968	1.990	2.639
शहरी क्षेत्र के अशासकीय विद्यालय	146.70	13.91				

तालिका क्रमांक – 4

विद्यार्थी	मध्यमान (MEAN)	प्रमाणिक विचलन (S.D.)	प्रमाणिक त्रुटि (S.ED.)	t- मान गणना द्धारा प्राप्त	t- तालिका द्धारा प्राप्त 0.05 स्तर पर	t- तालिका द्धारा प्राप्त 0.01 स्तर पर
ग्रामीण शासकीय विद्यालय	160	22.77	4.03	3.97	1.990	2.639
ग्रामीण अशासकीय विद्यालय	144	11.55				

****

The Political Impact After Removal Of Jammu And Kashmir's Special Status Under The Indian Constitution

Jai Prakash Vyas* Prof. (Dr.) Yogendra Shirivastav**

Abstract - The two most probable outcome of the BJP's decision to abrogate Article 370 will be; Firstly: The BJP could gain large popularity and political advantage across India including Jammu and Kashmir.

Secondly, New Delhi could strongly counter the Kashmir issue as presenting it as a strictly internal matter of India in against third-party mediation attempts by the countries.However the government understands the risk involved, such as possible civilian unrest and terror attacks in the valley, communal tension in J&K, and the Internationalization of the Kashmir issue.

Key Words - Article 370, Abrogation, Special Status, Reorganisation, India, Union Territory.

Introduction - The Abrogation of Article 370 which was a long-standing political and ideological wish as well demand of the Bhartiya Janta Party (BJP) which fully integrates Jammu and Kashmir (J&K) including Ladakh with India. 5th August 2019 was the day on which the Government of India announced the abrogation of Article 370 i.e. the special status to Jammu and Kashmir. Abrogation of Article 370 was clearly mentioned in BJP's 2019 Election Manifesto with the repealment of Article 35(A) , which defines permanent residents of the state.

Bifurcation of State of Jammu and Kashmir into two Union Territories (UT) namely Jammu and Kashmir and Ladakh is proposed in Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019. With possible anticipation of violence, civilian unrest after abrogation of Jammu and Kashmir's special status, the reorganisation and bifurcation of the state was immediately proposed by the government. Union Territory status will give direct control over police and protection and maintenance of public order with addition to more and direct control over local administration and legislative powers in Jammu and Kashmir.

However, in parliament the Home Minister Amit Shah assured that as soon as settlement of peace and normalcy situation in Jammu and Kashmir will be established, "when the right time comes," the status of full state will be re-granted to the UT of Jammu and Kashmir. Two possible outcomes of abrogation of Article 370 will be,

Firstly, Political mileage in both Jammu and Kashmir as well as in rest of India to BJP.

Secondly, Establishment of Kashmir issue as "strictly internal matter of India" against attempt of third party mediations on this issue.

Domestic Political Angle - There will be challenges for the government in stabilizing law and order situation in Kashmir Valley, after abrogation of Article 370 but along with that it could give huge political mileage across India with glimpses of reshaping the political status quo in Jammu and Kashmir.

Moreover, the historic mandate BJP got in 2019 general elections likely emboldment them to take important political decisions was taken by the government. Also, several parties including alliance partners and opposition parties supported government's decision, except Indian National Congress (INC) and Communist Party of India (CPM) which forms the situation of a weak and bifurcated opposition embolded the BJP to take this important decision. Further, BJP is left with almost full five years till 2024 until next general elections to bring political and regional stability in Jammu and Kashmir and complete the process of reorganisation.

Once law and order situation stabilizes in Jammu and Kashmir, the BJP, eyeing an opportunity to forms its government in future intends to undertake the process of delimitation of constituences of assembly seats in UT of Jammu and Kashmir. With this delimitation process the whole scope and size of constituencies , with that determining the total number of seats to be reserved for 'Schedule Castes' in Jammu and Kashmir. After the delimitation process gets completed there is a possibility that the Jammu region which is a BJP bastion will be getting more seats and if this happens then BJP will have a huge chance to form new government on its own with Chief Minister. BJP will be required with the support from a valley based political party like National Conference (NC) of Omar Abdullah and Peoples Democratic Party (PDP) of Mehbooba Mufti if they fails to get enough seats in Jammu region.

The top leaders of both the leading parties of the valley like Omar Abdullah of National Conference and Mehbooba

*Research Scholar, JLU, Bhopal (M.P.) INDIA
**Director, School of Law JLU, Bhopal (M.P.) INDIA

Mufti of Peoples Democratic Party are under detention from the day of Abrogation of Article 370 i.e. 5 August 2019 so it is unlikely that they would be supporting BJP and the BJP know it has a very little or no presence in the Kashmir Valley. Also, the chances of a united opposition in valley will also dent BJP with its ambition. There can also be a call of boycotting of Elections by Valley based parties as a protest against Abrogation of Article 370.

This decision has given BJP a strong talking point for the upcoming as well as 2024 General Elections and it has given a huge political benefit to the BJP and support from across the country with regard to this decision has also given BJP a strong-hold and a popular support in the country. However, if there is any negative impact regarding this integration process could damage the reputation of BJP in the long-term in both states as well as Parliament Elections.

It will also have a huge impact on relations between India and Pakistan as it will lead to more complications in Indo-Pak bilateral relations. Comments made by US President Trump regarding mediation in Kashmir issue, possible withdrawal of US soldiers from Afghanistan, possible return of bolder Taliban in Kabul, these Geo-political developments may have excited the central government to start the process of removal of special status of Jammu and Kashmir in the Monsoon Session of the Parliament on August 7 as New Delhi is likely to worrying that if the US troops withdraws from Afghanistan and the Taliban returns to power, Pak-backed terror groups might get training in Afghanistan and turn their attention to Jammu and Kashmir.

Modi Government wants to make Kashmir dispute a strictly internal matter of India and remove its tag of being a bilateral issue between India and Pakistan. Indian Government may now have its eyes on the formalisation of Line of Control and International boundary, which is said by the Pakistan as a working boundary, so that its position in this aspect could be non-negotiable. Alteration of narrative of Kashmir issue and change in position maintained since Shimla Agreement, 1972 is what New-Delhi is working on and thus making this issue as ‘strictly internal matter’ and not to be discussed or mediated by any country and not even with Pakistan which allege itself as the second party to this issue.

Any talk with Pakistan in future will be on Pak-Administered Kashmir only, this statement from Rajnath Singh, Defence Minister, clearly shows the stand of the Government of India and change in the narrative and policies regarding Kashmir and may get a harsh response from Pakistan. The response by Islamabad after the abrogation of Article 370 was not surprising and Pakistan has stretched its diplomatic stand through offence of intensive diplomacy to gain support from International Community, the US, China, United Nations (UNO) and Organisation of Islamic Cooperation (OIC) and along with that Pakistan has also expelled Indian High-Commission in Pak and stopped cross-border trade with India. These attempts of diplomatic aggression overtures the risk of Internationalisation of the Kashmir Issue.

However, New Delhi’s main concern remains the ability of the Pakistani military establishment to use terror groups such as Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba, and Kashmir-based Hizbul Mujahideen to create unrest in J&K. Understanding the gravity of the situation in Kashmir and possible civilian unrest in the aftermath of the decision, India’s National Security Adviser (NSA) Ajit Doval is camping in Srinagar and travelling to different parts of the Valley to assess circumstances on the ground. Tensions on the Indo-Pak border, new militant recruitments, and social media warfare between India and Pakistan may intensify in the coming weeks.

Conclusion - The Government is taking steps very firmly and keeping eye on the situation in the state as the government does not want to see a repeat of situations like that of in 2016 after the elimination of the Hijbul terrorist Burhan Muzzafar Wani .The Government is keeping a strict eye on the civilian reaction as it is the only worry-some point for the government, as to the reaction of the civilians in the Valley region.

To avoid any un-usual and worry-some situation in the state and specially in the Valley region the government has taken some strict preventive measures like Communication Blackouts, indefinite curfew which is being lifted recently, media outrage and arrest of mainstream political leaders including two former Chief Minister, so that any violence and civilian casualties could be avoided which can lead to violent protest and civilian casualties in the state.

Nonetheless, it will take some time to discern the real implications of the decision since the curfew is slowly lifting and lines of communication have just begun to be restored in the Kashmir Valley. However, one worrisome scenario could be escalation to a limited military conflict between the two nuclear neighbors after a possible terror attack in either J&K or mainland India by a Pakistan-based terror group. Secondly, to avoid any defections in local security agencies and built intra-regional confidence among Jammu and Kashmir with Rest of India and to built-in confidence in the civilians the Prime Minister needs an immediate, strong and effective mechanism to outreach the people and build some confidence and trust in the government and its agencies.

There were and are chances of civilian unrest and violence in streets in Valley region, so the government is taking corrective measures and giving priority to it but is doing it slowly and steadily.

References :-

1. Constitution Of INDIA, V.N Shukla, EBC.
2. Constitution Of INDIA, Dr J.N Pandey.
3. www.ministryofhomeaffairs.com
4. www.ministryoflawandjustice.com
5. https://southasianvoices.org/understanding-the-political-impact-of-indias-removal-of-jammu-kashmirs-special-status

मादा भ्रूण हत्या - एक विधिक अध्ययन (मध्यप्रदेश के संदर्भ में)

अमृता सोनी * डॉ. संजूश सिंह भदौरिया **

शोध सारांश - वैश्वीकरण के युग में मादा भ्रूण हत्या एक गंभीर ज्वलंत सामाजिक समस्या के रूप में उभरकर सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देता हुआ प्रतीत हो रहा हैं, क्योंकि मादा भ्रूण हत्या के परिणामस्वरूप जहां एक ओर अनैतिकता और असामाजिकता को बढ़ावा मिलता हैं, वही दूसरी ओर मादा भ्रूण हत्या के कारण लिंग अनुपात में भी असमान असंतुलन उत्पन्न हो रहा हैं क्योंकि आधुनिक युग में नई-नई तकनीकों का प्रचलन होता जा रहा हैं तथा वर्तमान में चिकित्सकीय क्षेत्र ने विज्ञान में अभूतपूर्व उन्नति हैं, जिसके परिणामस्वरूप सोनोग्राफी, अल्टासाउण्ड जैसे नई-नई तकनीकों का अविष्कार हुआ हैं। इन तकनीकों की सहायता से गर्भ में पल रहे बच्चें के लिंग के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं तथा मादा भ्रूण होने का पता लगाकर गर्भ में ही उसे मार दिया जाता हैं, जो कि उचित नहीं हैं। भ्रूण परीक्षण तथा उसके पष्चात भ्रूण के नष्ट करने अथवा गर्भपात कराए जाने के दुरूपयोग की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मानवीय, सामाजिक तथा वैधानिक कदम (PCPNDT Act 1994) उठाया जाना आवश्यक प्रतीत हुआ हैं।

शब्द कुंजी - मादा भ्रूणए, PCPNDT Act 1994, MPT Act 1971, ICDS,लिंग परीक्षणए लिंगानुपात।

प्रस्तावना - प्राचीन संस्कृति के इतिहास के प्रारंभ में महिलाओं की स्थिति पूज्यनीय व सम्मानीय थी, किन्तु मध्यकाल एवं वर्तमान में मादा भ्रूण हत्या मानवता और विशेष रूप से समस्त नारी जाति के विरूद्ध सबसे जघन्नय अपराध साबित हुआ हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरूषों के मुकाबले स्त्रियों की कम होती संख्या चिंता का विषय हैं। यह चिंता होना भी चाहिये क्योंकि जब हम मानव समाज की बात करते हैं, तो वह दोनों पर समान रूप से आधारित हैं। रिश्तों के नाम कुछ भी हों मगर स्त्री-पुरूष के बीच सामंजस्य के चलते ही परिवार चलता हैं और उसी से देश को आधार मिलता हैं। इस समय स्त्रियों की कमी का कारण 'मादा भ्रूण हत्या' को माना जा रहा हैं। यह कटु सत्य है कि लड़का होने पर उस भ्रूण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, किन्तु लड़की की इच्छा न होने पर उस भ्रूण से छुटकारा दिलाने की प्रक्रिया अपनाई जाती हैं।

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति एक समान नहीं रही हैं। भारतीय प्राचीन इतिहास में नारी को प्रकृति अनुपम कृति माना गया हैं। सृष्टि के विकास क्रम में उसका महत्तवपूर्ण स्थान रहा हैं। मादा भ्रूण हत्या एवं गर्भपात को निंदनीय माना गया है। किन्तु व्यावहारिकता में स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी की प्राचीन धर्म ग्रंथों में नारी की स्थिति देवी तुल्य प्रतीत होता है। भारत पुरूष प्रधान देश है, हिंदू धर्म में पुत्र प्राप्ति को महत्व दिया जाता रहा है, भारत में पितृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था रही है। इसके परिणामस्वरूप पुरूष परिवार का प्रधान होते हैं। जहाँ यह मान्यता है कि पुत्र ही परिवार का पालनकर्ता होता है, उनकी यह सोच कि पुत्री कलंक और परेशानियों का कारण है इस विकृति मानसिकता के कारण भारत का लिंगनुपात में असमान असंतुलन उन्पन्न होने लगा था। वर्तमान में मादा भ्रूण हत्या के मामलों की बढती समस्या के कारण महिलाओं की प्रस्थिति को निम्नतर माना जाता हैं किन्तु अथक प्रयासों तथा उपायों के बावजूद लैंगिक असमानता आज भी विद्यमान है।

उद्देश्य - इस शोध कार्य के संदर्भ में निम्न उद्देश्य हैं-

1. वर्तमान विधिक उपचारों को मजबूत करके ही मादा भ्रूण हत्या को रोका जा सकता हैं, उसे प्रभावशाली बनाने के उपाय भी समझाया जाएगा।
2. गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम्, 1994 के अंतर्गत मादा भ्रूण हत्या की समस्या से उपचार प्राप्त हुआ हैं या नहीं।

शोध विधि - शोध विधि शोध के विषय और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए चयनित की जाती है प्रस्तावित शोध के विषय की गंभीरता और आवश्यकता को देखते हुए सैद्धांतिक (Doctrinal) एवं अनुभविक (Enpirical) शोध विधियों का उपयोग किया हैं।

गर्भपात से संबंधित भारतीय कानून -

भारत का संविधान, 1950 - भारत में संविधान की प्रस्तावना 'हम भारत के लोग' शब्द से प्रारंभ है, जिसका अर्थ है- 'स्त्री और पुरूष को समानता का दर्जा दिया जाना'। संविधान का मुख्य लक्ष्य नागरिकों स्वतंत्रता, समानता, न्याय व बंधुता को बढ़ावा देते हुए राष्ट्र की एकता को आश्वस्त करना हैं।

अनुच्छेद 15, 'धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेद'- राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(1) लिंग के आधार पर भेदभाव करना निषिद्ध करता हैं।

अनुच्छेद 42, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध- राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध

* शोधार्थी, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** प्राचार्य, राजीव गांधी महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

करेगा।

इस नीति निदेशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए प्रसूति सुविधा अधिनियम, 1961 पारित किया गया।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 – स्वतंत्रता के पहले मादा शिशु हत्या या भ्रूण हत्या से संबंधित मामले भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओं के अन्तर्गत आते हैं। मादा शिशु हत्या या भ्रूण हत्या से संबंधित मामलों में भारतीय दण्ड संहिता की निम्न विशेष धाराऐं लागू की गई हैं–

1. **धारा 312 – गर्भपात कारित करना–** जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छया गर्भपात कारित करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक कारित ना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी,या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा और यदि वह स्पंदनगर्भा हो तो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

2. **धारा 313– स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना–** जो कोई उस स्त्री की सम्मति के बिना, चाहे वह स्त्री स्पंदनगर्भा हो या नहीं, अंतिम धारा में परिभाषित अपराध करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

3. **धारा 314– गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु–**जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे ऐसी स्त्री की मृत्यु कारित हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

4. **धारा 315– शिशु का जीवित पैदा होना, रोकना या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य–** जो कोई किसी शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करेगा कि उस शिशु का जीवित पैदा होना तद्द्वारा शंका जाए या जन्म के पश्चात् तद् द्वारा उसकी मृत्यु कारित हो जाए, और ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोकेगा या उसके जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित कर देगा, यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सदभावना पूर्वक नहीं किया गया हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

5. **धारा 316– ऐसे कार्य द्वारा जो आपरिधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव आजात शिशु की मृत्यु कारित करना–** जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह तद्द्वारा मृत्यु कारित कर देता, तो वह आपरिधिक मानव–वध का दोषी होता और ऐसे कार्य द्वरा किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

6. **धारा 318– मृत शरीर के गुप्त ठ'न द्वारा जन्म छिपाना–** जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर या, अन्यथा उसका ठ'न करके, चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात् या जन्म के दौरान हुई हो, ऐसे शिशु के जन्म को आशय छिपाना या छिपाने का प्रयास करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम,1994

गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम्,1994 के अंतर्गत मादा भ्रूण हत्या अपराध से संबंधित अध्ययन हुए हैं। प्रसवपूर्व अथवा पष्चात् लिंग चयन के लिए ,तथा आनुवंशिक विकारों या उपापचयी विकारो या गुणसूत्री विकारो या कुछ जन्मजात विषमताओं या यौन संबंधी विकारो का पता लगाने के लिये प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक के नियमन के लिए और इनका दुरूपयोग लिंग पता कर मादा भ्रूण की हत्या को रोकने के लिये तथा उससे संबंधित या आनुशांगिक मामलों के लिये यह भारत गणराज्य के 45 वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया।

लिंग निर्धारण की रोकथाम (गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक ,निषेध लिंग के चयन का अधिकार अधिनियम,1994) गर्भपात के मुद्दे जटिल और धर्म, नैतिकता, सामाजिक, राजनीतिक संदर्भ और यौन राजनीति से प्रभावित हैं। इन मुद्दों से भारत में मादा भ्रूण हत्या और भी बढ़ गई हैं। गर्भावस्था के 20 सप्ताह से पहले गर्भपात कानूनी था, मादा भ्रूण हत्या के प्रति से प्रतिबंधित नही किया जा सकता था। इसलिए, एक नए कानून की आवश्यकता लिंग चयन को गर्भपात के लिए MTP ACT के दुरूपयोग को रोकने के लिए महसूस किया गया। भारत सरकार के बाद की स्थिति से निपटने के लिए गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994,(PNDT ACT) अधिनियमित किया। यह 1 जनवरी 1996,से प्रभावी (2002 संशोधन द्वारा यथा संशोधित) पीएनडीटी अधिनियम ,1994 गर्भधारण से पहले या बाद में,और दुरूपयोग की रोकथाम के लिएपूर्व प्रसव निदान तकनीक के नियमन के लिए, लिंग चयन के निषेध के लिए उपलब्ध कराने में आया मादा भ्रूण हत्या के लिए अग्रणी लिंग निर्धारण हेतु।

अधिनियम तीन पहलुओं – निषेधात्मक, विनियामक और निवारक। विभिन्न नीति और कार्यान्वयन के मामलों पर गौर करने के लिए, अधिनियम उनकी काम स्थिति, शक्तियों और कार्यो के साथ साथ विभिन्न निकायों की स्थापना का प्रावधान हैं। अधिनियम पूर्व प्रसव निदान तकनीक केवल अर्थात् असामान्यताओं का पता लगाने के प्रयोजनों के लिए ही किसा जा सकता हैं, अनुमति देता हैं। अधिनियम/नियम के प्रावधानों का उल्लंधन जो करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से जो 10,000रू तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होंगा तथा पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर 5 वर्ष तक का कारावास तथा 50,000 रू तक के अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा।

मादा शिशु हत्या या भ्रूण हत्या व PCPNDT ACT से संबंधित कुछ वाद–

1. भुजनल सिंह बनाम म.प्र. के वाद में1 अभिनिर्धारित किया गया कि जहाँ गर्भपात होने का चिकित्सकीय साक्ष्य न हो, वहां अभियुक्त दोषी नहीं होगा।
2. डॉ. अखिल कुमार बनाम म.प्र. राज्य के वाद में2 अभियुक्त का गर्भवती होना सभी को ज्ञात था, शिशु के जन्म के पश्चात वह उसको साड़ी में लपेटकर ले जाती हुई देखी गई थी, किंतु उसमें से शिशु की टांगे दिखाई दे रही थी, विचारण न्यायालय ने उसे हत्या के आरोप से तो मुक्त कर दिया, परंतु धारा 312 के अधीन उसकी दोषसिद्धि की, अपीलीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि चाहे

अभियुक्त शव का गुप्त रूप से व्ययन कर देना चाहती हो परंतु शिशु के जन्म को छिपाने का उसका आशय विफल रहा था, अतएव धारा के अधीन कोई अपराध कारित नहीं हुआ।

3. आशा बनाम स्टेट ऑफ एम.पी.3 के वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 318 के तत्व प्रमाणित नहीं माने गए। इस प्रावधान के तहत दोषसिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि न केवल यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि अभियुक्त के द्वारा शिशु के जन्म को छिपाएं जाने का आशय था, अपितु यह भी सिद्ध किया जाना चाहिए कि अभियुक्त गोपनीयता से अथवा अन्यथा कथित शिशु के मृत शरीर का व'न कर रहा था। अपराध प्रमाणित नहीं माना गया। अभियुक्त ने यह सिद्ध कर दिया कि वह बालक के मृत शरीर का समावेश करने वाले झोले को ले जाते हुए दिखा गया, और तब से फरार था। विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि लड़की का शिशु की मृत्युकारित करने में कोई हाथ नहीं है। अतएव अभियुक्त लड़की को धारा 318 के आरोप से शंका का लाभ देकर मुक्त कर दिया गया।

4. कु. जयश्री बेलबोशी बनाम म.प्र. राज्य 4 के वाद में यह निर्धारित किया गया कि प्रथम दृष्टया मामले के स्थापित होने पर भी जमानत के मामले में दंड के रूप अभियुक्त को रोकना न्यायालय का कार्य नहीं है, किंतु यह देखना है कि वह जमानत का दुरूपयोग न करे तथा साक्ष्य को न बिगाड़े।

5. मनुद्दीन खान बनाम म.प्र. राज्य 5 के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपराध प्रमाणित नहीं जहाँ अभियोक्ति के अतिरिक्त किसी भी साक्षी द्वारा गर्भ तथा गर्भपात साबित ना हो।

6. अखिल कुमार बनाम म.प्र. राज्य 6 के वाद में, अवैध संबंध से एक स्त्री को 24 सप्ताह का गर्भ हो चुका था तथा गर्भपात कराने के लिए चिकित्सक ने सुई लगाई किंतु बिना गर्भपात की उस स्त्री की मृत्यु दूसरे दिन हो गयी। यह अभिनिर्धारित हुआ कि चिकित्सक का कार्य धारा 511 को साथ लेते हुए धारा 312 के अर्थ में 'स्वेच्छया गर्भपात करने' की कोटि में आता था, यह उपधारणा की जा सकती थी कि चिकित्सक उस दवा के संभावित परिणाम के बारे में जानता था।

7. विजयन गोपालन (डॉ.कु.) बनाम म.प्र. राज्य 7 के वाद में जहाँ अभियुक्त न तो शिशु की मां थी और न ही शिशु उसकी अभिरक्षा में था वहाँ अपराध प्रमाणित नहीं होगा इस वाद में भा. दं.सं. की धारा 201,317 के अंतर्गत अभियुक्त का अभियोजन किया गया था। इस प्रकरण में विचारण न्यायालय ने भा.दं.वि. की धारा 317 व 201 के अंतर्गत आरोप लगाया था।

8. सुरेन्द्र चौहान बनाम म.प्र. राज्य 8 के वाद में अविवाहित 24 वर्षीय अल्पना का अपीलार्थी से अवैध संबंध होने से गर्भ रह गया। अपीलार्थी अल्पना को गर्भ गिराने के लिए डॉ. रविन्द्र कुमार शर्मा के राजहरा क्लीनिक ले गया। डॉ. शर्मा ने गर्भ गिराने का कार्य किया, जिससे अल्पना की मृत्यु हो गई। डॉ. शर्मा के पास बोर्ड ऑफ इलेक्ट्री होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जबलपुर से बेचलर ऑफ मेडिसिन इन इलेक्ट्री होम्योपैथिक की डिग्री थी तथा बेचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी इन आयुर्वेदिक का डिप्लोमा था। इंडियन मेडिकल कौंसिल एक्ट, 1956 की धारा 2 खंड (एच) में परिभाषित मेडिकल योग्यता डॉ. शर्मा को नहीं थी और न उसका नाम स्टेट मेडिकल में दर्ज था। डॉ. शर्मा मेडिकल टर्मिनेशम ऑफ प्रेगनेन्सी एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत शासन द्वारा अधिकृत नहीं था। डॉ. शर्मा को सात वर्ष का कारावास एवं दस हजार रूपये अर्थदंड से धारा 314 द. सं. के अंतर्गत दंडित, अपीलार्थी अठारह मास कारावास एवं पच्चीस हजार रूपये अर्थदंड से दंडित।

9. रेडियोलाजिकल एवं इमेजिंग एशोसिएशन बनाम भारत संघ एवं अन्य 20119- प्रभावकारी बहुत से महत्वपूर्ण निणयों जिनमें PCPNDT ACT के क्रियान्वयन की बात मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी। इस मामले में रेडियोजालिकल एवं इमेंजिंग एशोसिएशन ने।तजण 266 में याचिका दायर किया कि जो कलेक्टर द्वारा 14 जनवरी 2011 को जो अधिसूचना जारी किया गया था कि 24 घंटे के अंदर फार्म- एफ को जाम किया जाए वह अधिसूचना PCPNDT ACT के विरूद्ध है जिसमें अगले महीने के पांचवे दिन तक जमा किया जाना चाहिए।

मध्यप्रदेश में स्थिति - मध्यप्रदेश में सबसे कम शिशु लिंगानुपात मुरैना (829), ग्वालियर (840), भिण्ड (843), टीकमगढ़ (892), एवं रीवा (885), जिलों का हैं। तुलनात्मक रुप से राज्य में उच्चतम शिशु लिंगानुपात अलीराजपुर (978), डिण्डोरी (970), मंडला (970), बालाघाट (967), एवं बैतूल (957) का हैं। मात्र दो जिलों में शिशु लिंगानुपात वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2011 में वृद्धि (भिण्ड में 11 एवं हरदा में 3 बिंदुओं की) हुई हैं। राज्य में 11 जिले ऐसे है, जिसमें शिशु लिंगानुपात में 20 से भी अधिक बिंदुओं की गिरावट 2001 में देखी गई हैं। राज्य में 24 जिलों में जन्म के समय शिशु लिंगानुपात में 02 से 41 बिंदुओं की बढ़ोतरी हुई हैं। इनमें जिला छतरपुर में 02 बिंदु एवं सिहोर में 41 बिंदुओं की बढ़ोतरी हुई हैं।

जिलों द्वारा किए जा रहे प्रयास- अधिनियम के क्रियान्वयन के एवं शिशु लिंगानुपात में सुधार हेतु जिला कलेक्टर एवं समुचित प्राधिकारियों द्वारा निम्नानुसार प्रयास किए गए हैं-

भोपाल-जिले में लिंग परीक्षण करने वाले चिकित्सकों एवं नर्सिंग होम के विरूद्ध अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। साथ ही प्रकरणों की सत्त मॉनिटरिंग की जाती है। दोषी पाए जाने पर चिकित्सकों के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

इंदौर - जिले में लिंग परीक्षण एवं अवैधानिक गर्भपात की रोकथाम हेतु जिला स्तर पर गठित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल द्वारा च्ब ।छक्ष् छक्क्ज एवं चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम का समानांतर रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा हैं।

रीवा - जिले में संचालित अल्ट्रासोनोग्राफी केन्द्रों में अल्ट्रासोनोग्राफी करने से पूर्व में गर्भवती महिला के MCTS कार्ड की जानकारी संधारित करना अनिवार्य किया गया हैं।

भिंड - राज्य में पहली बार जिला कलेक्टर द्वारा लिंग परीक्षण उपरांत अवैधानिक गर्भपात की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस विभाग के सहयोग से सफल स्टिंग ऑपरेशन किया गया, व मुखबिर को रू. 30000/- राज्य स्तर से पुरस्कृत किया गया।

मादा भ्रूण हत्या रोकने के लिए माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मार्गदर्शक सिद्धांत-

मादा भ्रूण हत्या रोकने के लिए न्यायालय ने निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किए-

1. यदि किसी मादा गर्भस्थ शिशु की गर्भ में मृत्यु होती हैं, तो सभी नर्सिंग होम तथा सरकारी अस्पताल उस मादा गर्भस्थ शिशु की मृत्यु की जानकारी कारण सहित अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित करेंगे।
2. पुलिस को मादा गर्भस्थ शिशु की मृत्यु के कारण में यदि तनिक भी

संदेह हो तो इसकी जाँच डिप्टी एस. पी. स्तर का पुलिस अधिकारी करेगा और इसकी रिपोर्ट जिले के एस. पी. को देगा।

3. जो व्यक्ति पुलिस को किसी मादा गर्भस्थ शिशु की मृत्यु की जानकारी देगा उसका नाम व पहचान गुप्त रखा जायेगा।
4. एक दिशा-निर्देश आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी दिया जायेगा जिसमें किसी मादा भ्रूण की मृत्यु या मादा भ्रूण समापन होने पर इसकी सूचना पुलिस को दें।
5. PCPNDT ACT 1994 की धारा 17 (5) के अंतर्गत राज्य सरकार समुचित प्राधिकरण के लिए परामर्शी कमेटी का गठन करेंगे।
6. समुचित प्राधिकरण PCPNDT ACT 1996 के अंतर्गत सभी पंजीकृत अल्ट्रासाउंड सेन्टरों, क्लीनिकों से फॉर्म H प्राप्त करेंगे।
7. राज्य इस प्रकार की समुचित बंदोबस्त करेगा कि सभी सोनोग्राफी सेन्टरों से समुचित प्राधिकरण तक सूचनायें ई-मेल के माध्यम से भेजी जा सके।
8. सभी जिलों के डी. एम. Integrated Child Development Service (ICDS) का पर्यवेक्षण करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि ICDS स्कीम बच्चों तक 100 प्रतिशत तक पहुँच रही हैं कि नहीं।
9. समुचित सरकार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 4 के अंतर्गत सभी जिलों की न्यायालयीय अधिकारिता के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों का चयन करेगा।
10. राज्य सरकार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत न्यायालयीय अधिकारिता में सभी जिलों में बाल कल्याण समिति का गठन करेगा।
11. यह मार्गदर्शक दिशा-निर्देश इस राज्य की न्यायालीय अधिकारिता के अनुसार सभी जिलों पर लागू होंगे और राज्य सरकार राजाज्ञा के माध्यम से सभी जिलों के प्राधिकारियों का निदेशित करेगी।[10]

सुझाव -

1. वर्तमान में इस संबंध में नवीन कानून बनाने एवं समाज में जागृति लाने हेतु उपलब्ध विधियों के प्रचार प्रसार के लिए कदम उठाएं जाने चाहिए।
2. जितने भी नर्सिंग होम्स, क्लीनिक में सोनाग्राफी किया जाता है, उनकी न्यायिक समिति के माध्यम से नियमित मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए तथा ऐसी कमेटी में पुलिस, चिकित्सक तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को शामिल किया जाना चाहिए।
3. जिला स्तर पर संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रेक कोर्ट की स्थापना की जाए।

निष्कर्ष-राज्यों में सरकार द्वारा मादा भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया हैं। इस प्रतिबंध का कोई असर तब तक नहीं होगा, जब तक मनुष्य की मनोवृत्ति नहीं बदलेगी। वैज्ञानिक प्रगति के अंतर्गत गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव निदान तकनीकों, जिसके अंतर्गत सोनोग्राफी एवं अन्य तकनीकों के दुरूपयोग तथा सामाजिक रूढ़िवादिता एवं समाज में बेटे की चाहत के कारण शिशु लिंगानुपात में गिरावट आई हैं। इस समस्या से जुड़े अनेक सामाजिक, आर्थिक तथा कानूनी पहलू हैं, इसलिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा हर स्तर पर मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिये कार्य किया जा रहा हैं। मादा भ्रूण हत्या रोकने के लिए माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय ने मार्गदर्शक सिद्धांत भी प्रतिपादित किए है। मध्यप्रदेश में शिशु लिंगानुपात की स्थिति 2011 से पूर्व स्थिति दयनीय थी, किंतु सरकार, न्यायालय, एवं सामाजिक संगठनों के प्रयास से आज मध्यप्रदेश में शिशु लिंगानुपात की स्थिति 929/1000 व भारत में शिशु लिंगानुपात की स्थिति 943/1000 के स्तर पर है (भारत के जनगणना आयुक्त व महारजिस्ट्रार वर्ष 2011 के अनुसार)। मध्यप्रदेश राज्य में 24 जिलों में जन्म के समय शिशु लिंगानुपात में 02 से 41 बिंदुओं की बढ़ोतरी हुई हैं। इनमें जिला छतरपुर में 02 बिंदु एवं सीहोर में 41 बिंदुओं की बढ़ोतरी हुई हैं। **(सारिणी देखे आगे पृष्ठ पर)**

संदर्भ सूची (वाद) :-

1. 1982 ज.लॉ.ज. नोट 6
2. 1960 म.प्र.ला.ज.(शा.नो.) 227
3. 1985 म.प्र.वी.नो. 16 म.प्र.
4. (1991) 3 क्राइम्स 171 (म.प्र.)
5. 1991 (1) म.प्र.वी.नो. 118
6. 1992 क्रि.लॉ.ज. 2009 (म.प्र.)
7. 1996 (1) म.प्र.वी.नो. 82 म.प्र.
8. 2000 सी.आर.एल.जी. 1789 (सु.को.) ए.आई.आर. 2000 एस.सी. 1436
9. MANU/MH/1050/2011
10. याशी जैन बनाम स्टेट ऑफ एम. पी., (2012) 2 ए. एन. जे. 313(एम. पी.)

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मध्यप्रदेश प्रशासकीय प्रतिवेदन 2018-19
2. मध्यप्रदेश प्रशासकीय प्रतिवेदन 2017-18
3. मोहम्मद हसन ज़ैदी, असमा ज़ैदी मादा भ्रूण हत्या (लिंग-चयन प्रतिषेध) एवं सरोगेसी विधि, एलिया लॉ एजेंसी इलाहाबाद।
4. श्रीमती प्रीति सतपथि, पं. रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, रायपुर, छत्तीसगढ़ 'गर्भपात के अपराध का सामाजिक एवं विधिक अध्ययन- कन्या भ्रूण हत्या एवं लिंग-अनुपात के विशेष संदर्भ में'।
5. बाबेल बंसती लाल, 2013,'संवैधानिक विधि: नई चुनौतियाँ, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद।
6. मोदी, ए जर्नल ऑफ एशियॉ फॉर डेमोक्रेसी एण्ड डेव्लपमेन्ट, 2008,- जुलाई एवं सितम्बर, मुरैना ।
7. सक्सेना ए.सी., मुंदड़ा बी.एन.,1997,'मध्यप्रदेश चिकित्सा परिचर्या नियम,1958 सरस्वती प्रकाशन भोपाल'।
8. बांगीया जयदेव,2014,'गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम एवं नियम' प्रकाशक सुविधा लॉ हॉउस प्रा.लि. भोपाल।
9. पाण्डे जे.एन., 2006,'भारत का संविधान', प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ एजेंसी।
10. कपूर एस. के.,7वॉ संस्करण-2003 एवं 25वॉ संस्करण- 2006,'अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार', प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ एजेंसी।
11. पांडे आई. सी., प्रधान श्यामनारायण, पांडे रमेश, 2012, महिलाओं के अधिकारए सुधाली पब्लिशर्स नई दिल्ली।
12. त्रिपाठी कुसुम 2013-2014 'महिला अपराध',Vol. 8, No 2, Page No - 88-105.
13. अय्यर, सी.एस. रामकृष्णन, 'द हिन्दू ज्वाइंट फेमिली' हिन्दू लॉ, जनरल, 1921-23, 3-4

14. सोनी सुनिता, 2013, लैंगिक असमानता–एक अध्ययन, अंत संकाय शोध पत्रिका,पेज नं. 99–101.
15. National Commission for women India, (10th April, 2010), "Consultation on implementation of the PC &PNDT ACT 1994", Report by Legal Cell Udaipur Rajasthan.
16. Public Health Foundation of India, (April 2010),"Implementation of the PC &PNDT ACT in India Perspectives and Challenges", [Supported By- The National Human Right Commission, New Delhi And UNFPA]
17. Dr. Anu, Dr. Pwan kumar, 2012, "Female Foeticide and PNDT Act: Issues and Challenges", Published by Global Research Analysis, Volume-1, Issue-2.
18. PCPNDT Act 1994.
19. MPT Act, 1971.
20. Hindu Law Journal.
21. Supreme Court Cases.
22. Hindu Law Review.
23. www.shabdbraham.com (This paper is published online at) Vol 1, Issue 8.

S.No	District	Year 2017(HMIS APRIL-DECEMBER-2017)
1	BARWANI	927
2	KHARGONE	941
3	JHABUA	902
4	SHEOPUR	939
5	TIKAMGARH	925
6	SIVANI	973
7	DINDORI	919
8	ANOOPPUR	943
9	REWA	931
10	SIDHI	943
11	SINGROLI	936

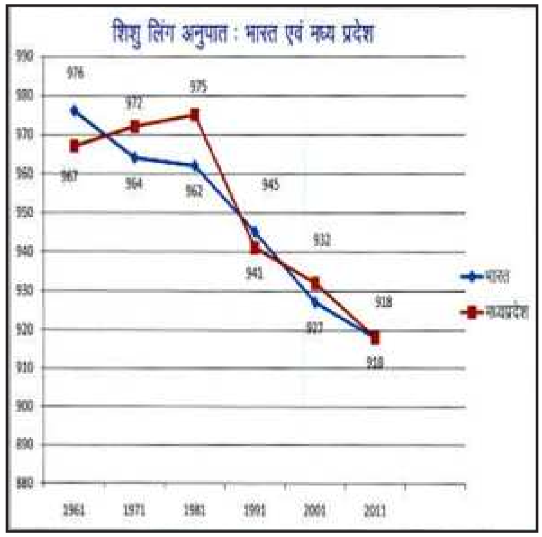

S.No	District	Year (HMIS-2014-2015)	Year (HMIS-2017-2018)	Increase
1	BALAGHAT	933	966	33
2	BARWANI	922	932	10
3	BHIND	919	923	04
4	CHHATARPUR	914	916	02
5	DATIA	887	917	30
6	DHAR	892	925	33
7	GWALIOR	888	909	21
8	INDORE	920	960	40
9	KHARGONE	931	940	09
10	MANDSAUR	912	933	21
11	NEEMUCH	913	938	25
12	PANNA	900	926	26
13	RAISEN	925	931	06
14	RAJGARH	945	950	05
15	REWA	896	927	31
16	SAGAR	930	935	05
17	SEHORE	935	976	41
18	SEONI	958	970	12
19	SHAJAPUR	931	969	38
20	SIDHI	922	942	20
21	SINGROLI	923	944	21
22	TIKAMGARH	909	927	18
23	VIDISHA	901	933	32
24.	SHEOPUR	927	931	04
	MADHAY PRADESH	926	929	03

किशोर अपराध का विभिन्न आय वर्गों पर प्रभाव - भय के संदर्भ में एक अध्ययन

किरण कुमारी जैन * डॉ. मनीष श्रीमाली **

शोध सारांश – किशोर अपराध एक ऐसे गुनाह हैं, जो कि 7 वर्ष से अधिक आयु के किंतु अवयस्क व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। समाज में इस प्रकार के गुनाह आज बढ़ते जा रहे हैं। इनका प्रभाव समाज के विभिन्न वर्गों पर किस प्रकार पड़ रहा है यह जानने हेतु यह शोध कार्य किया गया। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से इस बात का अध्ययन किया गया कि विभिन्न आय वर्गों पर किशोर अपराध से भय का स्तर कितना प्रभावित हो रहा है। शोध के अंतर्गत कुछ परिकल्पनाओं का सृजन करते हुए उनकी जांच की गई। यह शोध कार्य दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में किया गया। जिसके अंतर्गत गुरुग्राम, गौतम बुध नगर, फरीदाबाद और गाजियाबाद क्षेत्र के 900 व्यक्तियों से सूचनाएं एकत्रित की गई जिसके आधार पर यह आंकलन किया गया कि किशोर अपराधों से उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग में भय का कितना स्तर व्याप्त है।

शब्द कुंजी – किशोर अपराध, भय, दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र, आय वर्ग।

प्रस्तावना – किशोर अपराध इस तरह के अपराध हैं, जो कि वयस्क व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। इस तरह के अपराधों के लिए दंड के प्रावधान अलग होते हैं। अधिकांशत: इस प्रकार के अपराधों के लिए सुधारात्मक कार्यवाही के दृष्टिकोण से दंड दिए जाते हैं। अपराधियों को सुधार गृह में रखा जाता है जिससे कि वे सही मार्ग पर पुन: आते हुए समाज की मुख्यधारा से जुड़ जाएं। किशोर आजकल कई प्रकार के अपराधों में संलग्न होते देखे जा सकते हैं। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किशोरों कि अपराध में संलग्नता बढ़ रही है। विभिन्न प्रकार के अपराधों यथा चोरी, छेड़छाड़, जेब काटना, गुंडागर्दी, तस्करी, यौन शोषण में आज का किशोर भाग ले रहा है या उसमें मदद कर रहा है। यह बेहद विचारणीय एवं चिंताजनक विषय है। समाज का कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं है। सभी पर इसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इसे गहनता पूर्वक समझा जाए एवं इसके निराकरण हेतु प्रयास किए जावे।

नितिन डी और अन्य (2017) विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में 20 प्रतिशत बच्चे और किशोर विकलांग मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रही किशोर आवारगी, अपराधा और अपराधा की घटनाएं बढ़ रही हैं। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि बच्चों में मनाविकार , पारिवारिक वातावरण, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और माता-पिता की निम्न शिक्षा इसका एक बड़ा कारण है।[1]

विलियम ई डोंगस (2015) समाज पर किशोर अपराधा का असर बहुत बड़ी चिंता का मुद्दा है। अपराधी व्यवहार का प्रभाव पीड़ित के साथ ही अपराधी, अपराधी के परिवार और समाज पर भी पड़ता है। बाल अपराध पर मात्रात्मक अध्ययन से अपराध के एक कारणों और परिणामों का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है। इसके लिए गुणात्मक अध्ययन का उपयोग करना चाहिए।[2]

करेन माइनर-रोमनॉफ, जेडी (2013) किशोर अपराध संबंधी वर्तमान नीतियां और किशोर आपराधिक अदालतें किशोर अपराध रोकने और आपराधिक प्रवृति कम करने में असफल रही है इन पर पुनर्विचार की आवश्यकता हैं। वर्तमान नीतियां इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि सख्त दण्ड किशोरों में अपराध का भय जागृत करता है जिससे अपराध नहीं होते।[3]

शोध के उद्देश्य –
1. किशोर अपराधों से निम्न आय वर्ग में भय का स्तर ज्ञात करना।
2. किशोर अपराधों से मध्यम आय वर्ग में भय का स्तर ज्ञात करना।
3. किशोर अपराधों से उच्च आय वर्ग में भय का स्तर ज्ञात करना।
4. किशोर अपराधों का विभिन्न आय वर्गों पर प्रभाव ज्ञात करना।

परिकल्पनाएं –
1. किशोर अपराधों से निम्न आय वर्ग में भय का वातावरण नहीं है।
2. किशोर अपराधों से मध्यम आय वर्ग में भय का वातावरण नहीं है।
3. किशोर अपराधों से उच्च आय वर्ग में भय का वातावरण नहीं है।
4. किशोर अपराधों का विभिन्न आय वर्गों पर प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध प्रक्रिया – शोध कार्य हेतु निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग व उच्च आय वर्ग के 60-60 व्यक्तियों का पांचो जिलों से यादृच्छिक रुप से चयन किया गया। उनसे स्वनिर्मित प्रश्नावली के माध्यम से सूचनाएं एकत्र की गई। जिससे ज्ञात होता है कि किशोर अपराधों से निम्न आय वर्ग में भय का वातावरण बढ़ रहा है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि 22.67% लोग इस बात से पूर्णतया सहमत है कि किशोर अपराधों से समाज में भय का स्तर बढ़ रहा है। लोगों में चिंता बढ़ रही है एवं अनिश्चितता विकसित हो रही है। 57.33% व्यक्ति इस बात से सहमत थे कि किशोर अपराध से भय का वातावरण उत्पन्न होता है। इस प्रकार कुल 80% निम्न आय वर्ग के लोगों का मानना रहा कि किशोर अपराध समाज में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। सकल रूप से अगर देखें तो किशोर अपराधियों से निम्न आय वर्ग में 72.83% भय व्याप्त है। अत: प्रथम परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता

* पेसिफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** पेसिफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

है।

इसी प्रकार कुल 58.33% मध्यम आय वर्ग के लोगों का मानना रहा कि किशोर अपराध समाज में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। सकल रूप से अगर देखें तो किशोर अपराधियों से मध्यम आय वर्ग में 60.75% भय व्याप्त है। अत: द्वितीय परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है।

इसी प्रकार कुल 37% उच्च आय वर्ग के लोगों का मानना रहा कि किशोर अपराध समाज में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। सकल रूप से अगर देखें तो किशोर अपराधियों से उच्च आय वर्ग में 43.58% भय व्याप्त है। अत: तृतीय परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है।

तालिका 1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

स्तंभ चित्र 1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

किशोर अपराधियों से निम्न आय वर्ग में 72.83% भय व्याप्त है। मध्यम वर्ग में 60.75% भय व्याप्त है। जबकि उच्च आय वर्ग में 43.58% भय व्याप्त है। निसंदेह निम्न आय वर्ग में किशोर अपराधियों से अधिक भय व्याप्त है, वहीं दूसरी ओर उच्च आय वर्ग में इसका स्तर अपेक्षाकृत कम है। क्या यह अंतर सार्थक है। यह जानने हेतु अनोवा परीक्षण किया गया जिससे ज्ञात होता है कि का आकलित मान 2.24 है जो कि उसके तालिका मान 1.96 से अधिक है। अत: यह कहा जा सकता है कि यह अंतर सार्थक है। निम्न आय वर्ग सार्थक रूप से मध्यम व उच्च आय वर्ग की अपेक्षा काफी अधिक प्रभावित हो रहा है। किशोर अपराधों के चलते वहां डर का माहौल बहुत गहराई तक समाया हुआ है। अत: चौथी परिकल्पना को को अस्वीकृत किया जाता है ।

सुझाव – निम्न आय वर्ग को में शिक्षा के स्तर में सुधार लाकर किशोर अपराधों की संख्या में कुछ कमी की जा सकती है, जिससे कि भय के स्तर में भी कमी आए। यह सोचना भी गलत है कि उच्च आय वर्ग किशोर अपराधों से अछूता है, इसमें भी भय व्याप्त है। किशोर अपराध घटित हो रहे हैं और उनसे लोगों में डर की स्थिति है। यह और घातक ना हो जाए इसके लिए बचाव हेतु कदम उठाने की सख्त जरूरत है। किशोरों को प्रेरक प्रसंग सुनाएं और दिखाएं जाने चाहिए। उन्हें अर्थपूर्ण समाजोपयोगी फिल्में दिखाई जानी चाहिए जिससे उनमें सृजनात्मकता एवं सकारात्मकता दोनों का साथ–साथ विकास हो और किशोर अपराधों पर अंकुश लग सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Nitin D. Bhoge, Smita N. Panse , Alka V. Pawar , Girish T. Raparti , Sunita J. Ramanand ,Jaiprakash B. (2017). Ramanand, Study of sociodemographic profile of juvenile boys admitted in an observation home, International Journal of Advances in Medicine, 4(1) p. 230-237.
2. William E. Donges (2015) A Qualitative Case Study: The Lived Educational Experiences of Former Juvenile Delinquents, TQR,Volume 20 | Number 7 pp -1-22.
3. Karen Miner-Romanoff, J.D. (2013) Juvenile offenders tried as adults: what they know and implications for practitioners, pp – 1-22.

तालिका 1

किशोर अपराधों से भय का वातावरण व्याप्त है

	भार	निम्न आय वर्ग	अंक	मध्यम आय वर्ग	अंक	उच्च आय वर्ग	अंक
पूर्णतया सहमत	4	68	272	46	184	17	68
सहमत	3	172	516	129	387	94	282
न सहमत न असहमत	2	26	52	38	76	39	78
असहमत	1	34	34	82	82	95	95
पूर्णतया असहमत	0	0	0	5	0	55	0
योग		300	874	300	729	300	523

स्तंभ चित्र 1

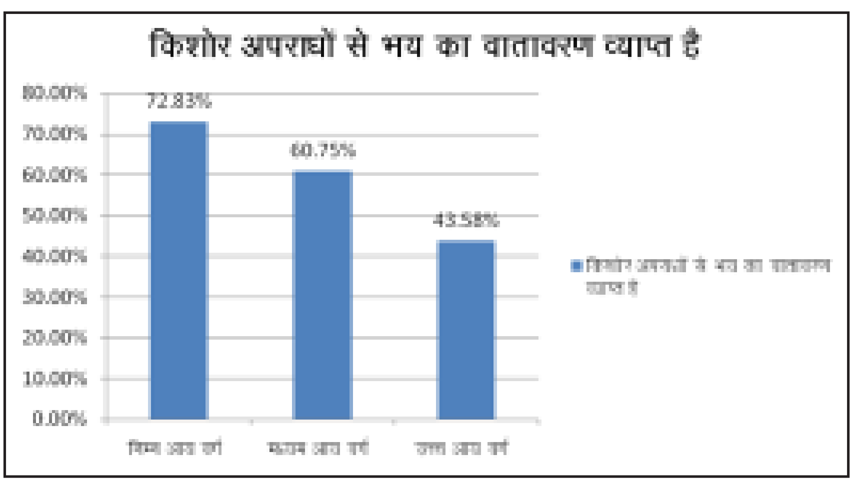

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) October to December 2019, Vol. I

भारतीय नागरिकों के कर्तव्य

डॉ. उर्मिला संतोगिया *

प्रस्तावना – अधिकार एवं कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू है एक के बिना दूसरा अधुरा है। जहाँ अधिकार है, वहाँ कर्तव्य है संविधान में अधिकार के साथ कर्तव्य भी जोड़े गए है।

मौलिक कर्तव्य – प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि संविधान में बताई गई बातों (नियमों) का पालन करे, आदर्शों शासकीय संस्थाओं राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रगान एवं गीत का सम्मान करे। जब राष्ट्रीय गान गया जाये तो सावधान कि स्थिति में खड़े हो जाए।

1. जब भी झंडा फहराए , झंडा साफ सुथरा हो मैला-फुसैला एवं फटा हुआ न हो। उसे पैरों से ना कुचले इधर उधर न फेंके।
2. झंडे के टुकड़े सड़क पर या कहीं भी दिखे तो उन्हें इकट्ठा कर ससम्मान किसी गड्ढे में डालकर मिटटी में दबा दे।
3. संसद, विधानसभा द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों का पालन करें। कोर्ट (न्यायपालिका) द्वारा दिए नियमों का गए सम्मान व पालन करे।

आदर्शों का पालन करे – स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोय रखे और उनका पालन करें।

देश की अखंडता व एकता बांये रखना – देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि देश को एकता के सूत्र में बंधे रखना, छोटी बड़ी बातों के लिए आपस में लड़ाई व झगड़ा न करें। धर्म, भाषा, प्रदेश, संप्रदाय व वार्ड भेद की संकुचित भावना से ऊपर है। भाईचारे व एकता की भावना का विकास करे। देश की संप्रभुता की रक्षा करें।

देश की रक्षा करे – देश की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करना। संकट के समय देश की रक्षा के लिए हर तरह का त्याग करने को तैयार रहे। देश की शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में संयोग प्रदान करे।

समरसता और समान भाईचारे की भावना – देश के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करे। जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेद भाव से परे हो। ऐसे प्रथाओं का सम्मान करे। जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है।

गौरवशाली परम्पराओं का परिरक्षण – हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्पराओं का महत्व समझे और उसका परिरक्षक करे।

पर्यावरण की रक्षा करना – वन, झील नदी, आदि इनकी रक्षा करें। सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखे स पेड़, पौधे, जलवायु , आदि शुद्ध होंगे तो पर्यावरण शुद्ध रहेगा। प्राकृतिक संसाधनों का किफायती ढंग से उपयोग करें।

वैज्ञानिक दृष्टीकोण मानववाद और ज्ञान प्राप्त करना तथा सुधार की भावना का विकास करे। कुरीतियों , कुप्रथाओं एवं गलत परम्पराओं का त्याग करे, स्वस्थ परम्पराओं को अपनाए, ज्ञान बढ़ने और उसका विकास करने प्रयास करे। सभी के प्रति मानवीय दृष्टीकोण अपनाये।

सार्वजानिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। यदि कोई सार्वजानिक संपत्ति को जैसे बस, इमारतों आदि को कोई व्यक्ति नुकसान पहुचाने की कोशिश करे तो रोके।

सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना – ऐसी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा व उनमें भाग ले जिससे व्यक्ति व देश का विकास हो । देश उपलब्धियों को नई ऊँचाई प्राप्त कर सके।

बच्चों को शिक्षा के अवसर देना – यदि माता-पिता या संरक्षक है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

अन्य कर्तव्य –

1. नागरिकों के हित के लिए तथा कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य कानून बनाता है। सभी नागरिक सभी कानूनों का पालन करे।
2. विभिन्न विकास कार्यों व कत्याजिकारी योजनाओं के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए राज्य कर लगता है। नागरिकों का कर्तव्य है कि ईमानदारी से समय पर चुकाएं।
3. प्रजातंत्र जनता का शासन होता है। शासन चलने के लिए जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। वे मिलकर सरकार बनाते है। नागरिक बिना किसी लालच के मतदान करें।
4. सार्वजनिक पद पर नियुक्त होने पर सेवाभाव से अपने कर्तव्यों का पालन करे। बिना किसी पक्षपात के राष्ट्र के हित में काम करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत का संविधान, डॉ . बी . आर . आम्बेडकर वधवा लॉ कॉलेज 2010
2. भारत का संविधान, डॉ .प्रमोद कुमार अग्रवाल 2006
3. भारत का संविधान, सिधान्त एवं व्यवहार , राजविज्ञान पुस्तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षिक परिसर 2006 पृ. 28-42
4. Introduction to the Constitution of India – Author Name – Durga Das Basu Published Year-1960
5. Indian Polity– Author Name –M. Laxmikanth Published Year-2004
6. Government in India – Author Name – M. Laxmikanth

* अतिथि विद्वान, शासकीय महाविद्यालय, नसरूलागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) भारत

Published Year-2011

7. Our Parliament – Author Name –Subhash C. Kashyap
8. The Indian Constitution – Author Name-Granville Austin Published Year-1966
9. Adhunik Bharat ka Itihas – Author Name-Bipan Chandra Published Year-2001
10. Geography of India– Author Name-Majid Hussain
11. Pratiyogita darpan 2017
12. Pratiyogita Nirdeshika 2018 December
13. Current Affair- 2019

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) October to December 2019, Vol. I

Influence Of Types Of Hospital, Length Of Service And Their Interaction On Personality Factor Q1 (Conservative Vs Experimenting) Of Nurses

Dr. Anjali Pandey*

Abstract - The aim of the present study was to find out the impact of types of hospital on Personality of nurses. For this a sample of 300 Nurses (of 0-5 Years, 5 -10Years and more then 10 Years as Length of Service) of Government and Private Hospital was randomly selected. Sixteen Personality Factor questionnaire by R.B Cattlle (Hindi Adoptation) by S.D Kapoor was used. It was found that there was impact of type of hospital on Personality Factor Q_1 (Conservative Vs Experimenting). Those working in Government hospital were found to be significantly more Experimental as compared to than those working in Private hospital. Length of Service had no role to play in Job satisfaction.
Key Words - Nurses, Types of Hospital, Length of Service, Personality Factor.

Introduction - Type of Hospital, Length of service and their interaction can have significant influence on various personality factors of nurses. To find out the exact impact we need to study the impact on all the personality factors separately.

Objective- To study the influence of Types of Hospital, Length of service and their interaction on Personality Factor **Q_1** (Conservative Vs Experimenting).

Hypothesis - There is no significant influence of Types of Hospital, Length of service and their interaction on Personality Factor **Q_1** (Conservative Vs Experimenting).

Sample - A sample of 150 Nurses each was selected randomly from Government and Private Hospitals. They were stratified on the basis of 0-5 Years, 5 -10Years and more than 10 Years as Length of Service.

Test - Sixteen Personality Factor questionnaire by R.B Cattlle (Hindi Adaptation) by S.D Kapoor

Method - Through random sampling four hospitals were selected (two government and two private hospitals). The nurses of the selected hospitals were administered upon a structured Sixteen Personality Factor questionnaire by S.D Kapoor by the researcher. The scoring was done and the score were analysed.

Analysis And Discussion Of Results - The objective was to study the influence of Types of Hospital, Length of Service and their interaction on **Personality Factor Q_1** (Conservative Vs Experimenting) of Nurses. There were two Types of Hospital, namely, Government and Private. 0-5year, 5-10 year, and above 10 year working in nursing were the three levels of Length of Service of Nurses. Thus the data were analyzed with the help of 2X3 Factorial Design ANOVA.

Table 1 - Types of Hospital wise N, Mean, SD of **Personality Factor Q_1** (Conservative Vs Experimenting) of Nurses

Types of Hospital	N	Mean	SD
Government Hospital	150	6.96	1.69
Private Hospital 150	7.17	1.67	

Table 1

Summary of 2x3 Factorial Design ANOVA of **Personality Factor Q_1** (Conservative Vs Experimenting) of Nurses

Source of Variance	df	SS	MSS	F-value
Types of Hospital (A)	1	7.46	7.46	2.66
Length of Service (B)	2	22.26	11.13	3.97*
A X B	2	0.65	0.33	0.12
Error	294	824.06	2.80	
Total	299			

* Significant at 0.05 level

1.A Influence of Types of Hospital on Personality Factor Q_1 (Conservative Vs Experimenting) of Nurses

From Table 1, it can be seen that the F-value is 2.66 which is not significant. It shows that the mean scores of **Personality Factor Q_1 (**Conservative Vs Experimenting) of Nurses working in Government and Private Hospital did not differ significantly. So, there was no significant influence of Types of Hospital on **Personality Factor Q_1** of Nurses. Thus, the null Hypothesis that there is no significant influence of Types of Hospital on **Personality Factor Q_1 (**Conservative Vs Experimenting) of Nurses is not rejected. It may, therefore, be said that **Personality Factor Q_1 (**Conservative Vs Experimenting) of Nurses was found to be independent of Types of Hospital in which the Nurses were working.

1.B Influence of length of Service on Personality Factor Q_1 (Conservative Vs Experimenting) of Nurses

From Table 1, it can be seen that the F-value for Length of

*Rani Durgavati University, Jabalpur (M.P.) INDIA

Service is 3.97 which is significant at 0.05 level with df=2/294. It shows that the mean scores of **Personality Factor Q_1** of Nurses with service period of 0-5 year, 5-10 year and Above 10 year differed significantly. So, there was a significant influence of Length of Service on **Personality Factor Q_1** of Nurses. Thus, the null Hypothesis that there is no significant influence of Length of Service on **Personality Factor Q_1** of Nurses is rejected. In order to know Nurses with what Length of Service were found to have which Type of Personality, the data were further analyzed with the help of t-test and the results are given in Table 1

Table 1 (See in the next page)

From Table 1, it can be seen that the t-value of Nurses having Length of Service as 0 to 5 Years and 5 – 10 Years is 0.08 which is not significant. It shows that the mean scores of **Personality Factor Q_1** of Nurses having Length of Service as 0 to 5 Years and 5 – 10 Years did not differ significantly. Thus Nurses with Length of Service as 0 to 5 Years and 5 – 10 Years were found to be Conservative to the same extent.

The t-value of Nurses having Length of Service as 0 to 5 Years and Above 10 Years is 2.32 which is significant at 0.05 level with df= 201. It shows that the mean scores of **Personality Factor Q_1** of Nurses having Length of Service as 0 to 5 Years and Above 10 Years differed significantly. The mean score of **Personality Factor Q_1** of Nurses having 0-5 Years of Experience is 6.89 which is significantly lower than those of Nurses have Above 10 years of Experience whose mean score of **Personality Factor Q_1** of Nurses 7.43. Thus Nurses with Length of Service above 10 Years were found to be significantly more Experimenting than those with 0 – 5 Years of Experience.

The t-value of Nurses having Length of Service as 5 to 10 Years and Above 10 Years is 2.16 which is significant at 0.05 level with df= 191. It shows that the mean scores of **Personality Factor Q_1** of Nurses having Length of Service as 5 to 10 Years and Above 10 Years differed significantly. The mean score of **Personality Factor Q_1** of Nurses having 5-10 Years of Experience is 6.91 which is significantly lower than those of Nurses have Above 10 years of Experience whose mean score of **Personality Factor Q_1** of Nurses 7.43. Thus Nurses with Length of Service Above 10 Years were found to be significantly more Experimenting than those with 0 – 5 Years of Experience.

1.C Influence of Interaction between Types of Hospital and Length of Service on Personality Factor Q_1 (Conservative Vs Experimenting) of Nurses

From Table 1, it can be seen that the F-value for the interaction between Types of Hospital and Length of Service is 0.12 which is not significant. It shows that the mean scores of **Personality Factor Q_1** (Conservative Vs Experimenting) of Nurses working in Government and Private Hospitals having 0-5 year, 5-10 year and Above 10 years Length of Service did not differ significantly. So, there was no significant influence of interaction between Types of Hospital and Length of Service on **Personality Factor Q_1** of Nurses. Thus, the null Hypothesis that there is no significant influence of interaction between Types of Hospital and Length of Service on **Personality Factor Q_1** (Conservative Vs Experimenting) of Nurses is not rejected. It may, therefore, be said that **Personality Factor Q_1** (Conservative Vs Experimenting) of Nurses was found to be independent of interaction between Types of Hospital and Length of Service of Nurses.

The result of **Personality factor (Q_1)** Conservative VS Experimenting shows that there was a significant influence of length of service on personality factor (Q_1) Conservative VS Experimenting. This is due to the fact that experimentation demands daring which can come from a prolonged period of observation which can come only from longer length of service. That is why the Nurses with Length of Service More than 10 Years were found to be significantly more Experimenting than those with 0 – 5 Years as well as 5 – 10 Years of Experience. This finding is partially supported by **Ellershaw, Julia; Fullarton, Christie; Rodwell, John; Mcwilliams, John (2016)** found that the Openness to experience, previously considered a week predictor of performance, was, when examined at the facet-level, related to all of the work role performance indicators. leave the workforce. **Kelly, Lesly; Runge, Jody; Spencer, Christina. (2015).** Predictors of Compassion Fatigue and Compassion Satisfaction in Acute Care Nurses. Findings Significant predictors of burnout included lack of meaningful recognition, nurses with more years of experience, and nurses in the 'Millennial' generation (ages 21-33 years). Receiving meaningful recognition, higher job satisfaction, nurses in the 'Baby Boomer'generation (ages 50-65 years), and nurses with fewer years of experience significantly predicted compassion satisfaction. No significant differences were noted across nurse specialties, units, or departments.

Saksvik-Lehouillier, Ingvild; Bjorvatn, Bjørn; Hetland, Hilde; Sandal, GroMjeldheim; Moen, Bente E.; Magerøy, Nils; & Harvey, Allison (2012) found that Personality factors, especially Hardiness (Neuroticism related factors O,C), can predict changes related to shift work tolerance over a period of one year. **Yu, Hairong; Jiang, Anli; & Shen, Jie (2016)** Personality traits of Openness and Conscientiousness were positively associated with Compassion Satisfaction, while Neuroticism was a negative predictor, accounting for 24.2% and 19.8% of the variance in Compassion Fatigue and Burnout, respectively. **Lampley, Tammy M.; Little, Kimberly E.; Beck-Little, Rebecca; and Yu Xu (2008) Ramoo, Vimala; Abdullah, Khatijah L; &Piaw, Chua Yan (2013)** Findings indicated that level of education, nursing experience and continuing education were factors that promote Cultural Competence, whereas gender and race/ethnicity had no bearing. Overall, nurses had a moderate level of Job Satisfaction, with higher satisfaction for motivational factors. Significant influences were observed between Job

Satisfaction and Demographic variables. About 40% of the Nurses intended to leave their current employment. Furthermore, age, work experience and nursing education had significant associations with intention to leave.

Conclusions -

1. There is no significant influence of Types of Hospital on Personality Factor $\mathbf{Q_1}$ (Conservative Vs Experimenting).
2. There is significant influence of Length of Service on Personality Factor $\mathbf{Q_1}$ (Conservative Vs Experimenting).
3. There is no significant influence of Types of Hospital, Length of Service and their interaction on Personality Factor $\mathbf{Q_1}$ (Conservative Vs Experimenting).

References :-

1. Ellershaw,Julia;Fullarton,Christie;Rodwell,John; Mcwilliams, John. (2016) Conscientiousness
   a. openness to experience and extraversion as predictors of nursing work performance: a
   b. facet-level analysis. Journal of Nursing Management. Vol. 24 Issue 2, p244-252.
2. Kelly, Lesly; Runge, Jody; Spencer, Christina. (2015), Predictors of Compassion Fatigue and
   a. Compassion Satisfaction in Acute Care Nurses. Journal of Nursing Scholarship. Vol. 47 Issue 6, p522-528. Lampley, Tammy M.; Little, Kimberly E.; Beck-Little, Rebecca; Yu Xu.(2008) Cultural Competence of North Carolina Nurses: A Journey From Novice to Expert. Home Health Care Management & Practice. Vol. 20 Issue 6, p454-461.
3. Ramoo, Vimala; Abdullah, Khatijah L; Piaw, Chua Yan. (2013) The relationship between job
   a. satisfaction and intention to leave current employment among registered nurses in a teaching hospital. Journal of Clinical Nursing. Vol. 22 Issue 21/22, p3141-3152. 12p.
4. Saksvik-Lehouillier, Ingvild; Bjorvatn, Bjørn; Hetland, Hilde; Sandal, Gro Mjeldheim; Moen,
   a. Bente E.; Magerøy, Nils; Harvey, Allison; Costa, Giovanni; Pallesen, Ståle. (2012) Personality factors predicting changes in shift work tolerance: A longitudinal study among nurses working rotating shifts. Work & Stress. Vol. 26 Issue 2, p143-160.
5. Yu, Hairong; Jiang, Anli; Shen, Jie. (2016) Prevalence and predictors of compassion fatigue,
   a. burnout and compassion satisfaction among oncology nurses: A crosssectional survey. International Journal of Nursing Studies. Vol. 57, p28-38.

Table 1

Length of Service-wise M, SD, N and t-values of **Personality Factor $\mathbf{Q_1}$**
(Conservative Vs Experimenting) of Nurses

(Length of Service	**M**	**SD**	**N**	**5-10 Years**	**Above 10 Years**
0-5 Years	6.89	1.68	107	0.08	2.32*
5-10 Years	6.91	1.72	97		2.16*
Above 10 Years	7.43	1.62	96		

****

Search For A Transforming Vision In The Circle Of Reason

Dr. Ritu Mittal*

Abstract - The Circle of Reason is a story of an Orphan, Alu who is adopted by his uncle Balaram. Unfortunately Balaram is involved in a local feud which ultimately results in the bombing of his home. Alu, the only survivor is suspected in the bombing and he is followed by an Indian policeman, Jyoti Das. He rushes to Calcutta, from there to Kerala and finally on a boat to the small, oil rich state of al-Ghazira in Egypt where he moves into the home of Zindi. The journey does not bring any kind of satisfaction or success. It celebrates the sense of unquiet wanderings. It goes on searching a vision suitable for present times. Alu again flees with Zindi and other friends and finally after wondering over much of North Africa, they meet in a small Saharan village where their future is determined.

Introduction - The novel is a journey from Satwa to Rajas to Tamas. Amitav Ghosh deals with the modern man's problem of alienation, migration and the existential crisis in life. It describes three phases of human life. Satwa symbolizes the search of wisdom, Rajas symbolizes the life of passion and Tamas stands for darkness and destruction. As we will see that Amitav Ghosh freely mixes past, present and future in his books, so he does in this novel also. This novel is neither a novel of plot, nor a novel of character, but it is a novel of thought. He writes in a chain of thoughts. He describes one incident and if the incident links itself to any past happening, he immediately goes to that past incident. The whole fabric of the novel keeps floating, going backward and forward.

The novel basically tells three stories. The first part deals with the story of Balaram. He is a rationalist and is influenced by the life of Louis Pasteur. He has no involvement with people. He treats others simply as objects of observation and change. Alu, the main character of the novel, is a nephew of Balaram. He is the only one to survive in the family. The second part of the novel tells another tale. An earthly, practical and zestful trader tries to bring together the community of Indians in the Middle East. The third part is the story of Mrs. Verma who rejects rational thinking. She again tries her hand at creating Indian model of community life in the desert. However Alu, Zindi and Jyoti Das, a police officer leave Mrs. Verma and her experiments in the desert. At the end of the novel, these three are in search of newer horizons, unformed hopes and ideas.

The story begins with an eight- year-old orphan Nachiketa Bose who comes to live with his uncle Balaram Bose in Lalpukur. His rickshaw is chased by Boloi-da. Bolai-da runs a cycle repair shop and eagerly utilizes every opportunity of enjoyment. The only remarkable thing about this orphan is his extra ordinary head. It is "an extra ordinary head, huge, several times too large for an eight-year-old, and curiously uneven, bulging all over with knots and bumps."(3). People talk about his head differently, but Bolai-da says "No, it's not like a rock at all. It's alu, a potato, a huge, freshly dug, lumpy potato".(3) From that day he is named Alu throughout the life though he had another name - Nachiketa Bose. Alu seems only to satirize his name. Balaram, who talks of reason all the time, practically, seems to lose it himself. He starts a school in his village called 'The School of Reason.' Toru-debi teaches sewing and Shombhu Debnath, weaving.

Balaram at Lalpukur is obsessed with the science of phrenology and carbolic acid. Phrenology is the study of the size and shape of people's heads in the belief that we can find out their characters and abilities from this. Alu becomes a curious case study for Balaram. Alu settles in Lalpukur, but his troubles do not. He is admitted to Bhudeb Roy's school but Roy's son Gopal forced him to leave school and he learns weaving. Toru-debi, wife of Balaram, is always preoccupied with the world of sewing machines and Alu with weaving. Zindi herself is obsessed with Durban Tailoring House and Professor Samuel with theories of queues. It is, therefore, "a detective story, a story of exile, a travelogue, a women's right tract, a Marxist protest, a plea for humanistic camaraderie, etc,"[1]

The objects used in the novel not only serve their function but also provide an opportunity for transforming ones vision on a deeper level. Carbolic acid, functioning as structural dimension and a metaphor, runs through the novel like a cleaning mechanism. Towards the end of the novel, Mrs.Verma is shown using carbolic acid instead of Ganga Jal. Dr. Mishra comments 'Carbolic acid has become holy water'(411). To this Mrs.Verma retorts, 'What does it matter whether it is Ganga Jal or Carbolic acid? It is converted into Ganga-jal to purify the corpse of Kulfi.

*Jain Kanya Pathshala (P.G.) College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA

Sewing machines were the passion of Toru-debi. The sewing machines indeed save the life of Alu. When it fell, "it was in an avalanche of thousands and thousands of tons of bricks and concrete and cement, and Alu was almost exactly in its centre" (193). Two sewing machines take away the impact of the fall:

Beside him, on either side, were two sewing machines, of the old kind, of black solid steel. They must be the only ones of their kind in al-Ghazira now, real antiques, probably kept for display. But, if it weren't for them, our friend Alu would have been flattened days ago. (240)

Life of Pasteur is a significant symbol in this novel. It has everything in it associated with Balaram and his rational outlook. Balaram considers Pasteur his model and shapes his life since childhood with scientific temper and rationalistic outlook. His favorite pass time is the study of heads. Many times he faces trouble due to his compulsive habit of studying and commenting on others' heads but he does not give it up. His wife also could see all that and sets fire to all of his books. Alu could retrieve only one book from the flames, Life of Pasteur.

Yet again *Life of Pasteur* survives the crises and with Alu it starts its journey to al-Ghazira. The role played by the book is quite intricate. When Alu is first introduced to the book, Balaram is worried about Alu's lack of response. He lectures Alu with animated passion. Alu listens to him with 'wide-eyed silence'(28). Balaram is touched. He reads from the book and stops to see tears in Alu's eyes. But when Alu retrieves the book from fire, it is Balaram's turn to be wet eyed. So the book exists as a bond between uncle and nephew, an extension of the tradition of reason from one generation to the other. The greatest win for a rationalist is to win over someone else on his/her side.

The Circle of Reason is "not merely circular but a finely patterned novel and when seen as a whole displays the intricate 'buti work' of a master-weaver in the making."[2] Amitav Ghosh blends fantasy and realism in the manner of Rushdie and Marquez. Indian myth and European myth meet and mingle in the character of Shombhu Debnath. The way he learns the secrets of jamdani weaving reminds us of the legend of Karna and Promethean legend.

The novel has both historical as well as mythological elements. Mythical references have been moulded to reflect the contemporary conditions in a true new historicist fashion. Here, Ghosh weaves ideas, characters and metaphors through magic and irony and develops his fictional motifs. Characters are not far from metaphors, they become metaphors. The characters as well as other associative structural principles of weaving, sewing and the book, *Life of Pasteur* serve as metaphors and act as catalysts in their attempts at defining, redefining and grafting their outlook. The characters mix fact with fantasy.

The fantasy element is also visible in Alu's boils. Their appearance and disappearance takes on a symbolic significance. They began to appear after Balaram's death. Gopal gives us a clue to these boils as if the spirit of Balaram and those of the oppressed masses is crying out for justice. Miraculously they disappeared after Alu meditated under the debris of the Star. He finds a solution to the oppression of capitalism and the sewing machines have helped him to find it.

The metaphors generate circles in the novel which itself comes full circle. Beginning with Alu's homecoming, as Alu comes to his uncle's home after his parents' loss, the novel ends as Alu is about to return home. The concluding sentence of the novel, does not suggest end, but beginning, "Hope is the beginning"(423). At the same time various parallels are drawn in the novel and that in a way generate circles in the novel. There are various informers in the novel. Bhudeb Roy, Jeevanbhai Patel, Forid Mian and Mast Ram. For their varied interests, they inform concerned people and thus exploit the situation and their attempts to bring disaster to people, to Balaram, to his family, to Ras people, to Jeevanbhai and to different characters.

All characters are caught up in a non-productive circle. Alu's and Maya's love for each other, Mast Ram's one sided love for Kulfi, Kulfi and Abusa's liking for each other, Jyoti Das's infatuation for Kulfi and the implicitly hinted love between Alu and Karthamma result in failures. Balaram's 'The School of Reason', Zindi's attempts to purchase 'Durban Tailoring House', Toru-debi's attempts to make blouses for Parboti-debi, Ghaziri people's zealous mission to bring sewing machines and the desire to get rid of money, Jeevanbhai's cunning attempts to establish Malik's supremacy and consequently his own and Mrs. Verma's plan to put up 'Chitrangada' are utter failures.

In addition to all this, there are many physical circles created in the novel. Deriving three gunas, Satwa, Rajas and Tamas from The Bhagvadgita, Ghosh names the three sections of the novel accordingly. Each section of the novel is dominated by the mode (Guna) as it has been named. Whereas "Satwa is described as light of consciousness by most of the scholars."[3] Ghosh prefers to call it reason. The concept of reason is very much western and it is associated with many traits like the power to think rationally, scientific way of discriminating between right and wrong, a state where superstition, progressive attitude and civilized way of life gets dissolved. The second section 'Rajas: Passion' begins with Alu's arrival in al-Ghazira. Commenting on this guna, S. Radhakrishnan says: "Rajas has an outward movement……….Rajas is impurity which leads to activity."[4]

The situation created at the end of section 'Rajas: Passion' prepares us for the final section of the novel called 'Tamas: Death'. Tamas has been described by S. Radhakrishnan as "darkness and inertia."[5] Ghosh uses metaphors, in the novel, which form circles. In this way he goes on a search for transforming vision in the novel through historical and mythological elements. In the words of S. Sengupta: "What the novel celebrates is a quest. In a typical picaresque fashion the protagonist moves from Lallpukur in India to al-Ghazira in Egypt to the little town of El Qued in the north-eastern edge of Algerian Sahara. But the journey

has the appearance more of withdrawal and retreat than of the bold adventures of Fielding's hero. It is a search for a transforming vision."[6] In this way Ghosh succeeds in the search for transforming vision.

References :-

1. John C. Hawley, "A Tale of Two Riots: The Circle of Reason and The Shadow Lines," Contemporary Indian Writers in English (New Delhi: Foundation Books Pvt. Ltd., 2005) 54.
2. G J V Prasad, "Re-Writing the World: The Circle of Reason as the Beginning of the Quest," Amitav Ghosh: Critical Perspectives, ed., Brinda Bose (New Delhi: Anurag Jain Publisher, 2003) 59.
3. Ulka Joshi, "The Circle of Reason: Caught up in Circles," The Fiction of Amitav Ghosh, ed., Indira Bhatt/ Indira Nityanandam (New Delhi: Creative Books, 2001) 26.
4. S. Radhakrishnan, "Commentary," The Bhagwadgita (New Delhi: Harper Collins, 1996) 317.
5. Radhakrishnan 317.
6. S. Sengupta, "An Allegorical Tom Jones. An Analysis of Amitav Ghosh's The Circle of Reason," Recent Indian Fiction, ed., R.S. Pathak (New Delhi: Prestige Books, 1994) 30.

****

Back to Village, the Move Towards Equitable Rural Development - A Participatory Descriptive Study

Altaf Hussain *

Abstract - Back ground - Back to Village program is the eight day well conceived program of the Governor Administration of Jammu and Kashmir which is organized across all 4,483 Gram Panchayats of the state to ease grameen and remote life and to ensure equitable socio economic development of all the villages through 'Gross-root Good Governance'. For it, the program demands and is poised to take Governing Machinery of the state from its seat of operation to the doorsteps of the village and remote people through Gram Panchayats.

Objective - This research paper is an endeavor to reflect in particular the proceedings of the 'Back to Village' program held on 20th to 21st of June, 2019 at the Panchayat Halqa Chakoora of the District Pulwama as well as intention and policy of the Governor Administration with reference to socio economic development of rural and remote landscape of the state of Jammu and Kashmir, in general.

Methodology - Present work is Descriptive and is based on Active Participant Observation and Informal Interview.

Interpretation: Back to Village program primarily aims at revitalizing Gram Panchaytas as local administrative units to guarantee Good Governance at the gross root level in an attempt to benefit rural and remote communities optimally by redressing their grievances curtly and by addressing to their long pending demands swiftly.

Conclusion - Back to Village is the program to direct efforts of development in rural and remote areas through participation of local rural community and to bridge the gap between attainable and attained targets in rural development. People are hopeful about ease of life and are waiting for the redress of grievances as well as for developmental response from the governance mechanism of the state.

Key Words - Village, Reach Out, Good Governance.

Introduction - A village is often rural and permanent human settlement larger than hamlet but smaller than a town with population ranging from a few hundred to a few thousand peoples. A typical village consists of 5 to 30 families which are situated together for community life as well as for defense purpose. Fixed dwelling and subsistence farming of land surrounding the living quarters are the characteristic features of a village. Most of Indian population lives in its cottages, M. K. Gandhi hold. 68.84% of Indian population lives in villages according to the Census of 2011. Therefore Good Governance must begin from here.

For governance of the village in Indian setting there exists the Panchayati Raj Institution called the Gram Panchayat. Gram Panchayat consists of local representatives of the people elected directly.

Back to Village means drawing attention towards a rural landscape for its socioeconomic development. The roots of Back to Village program can be traced in Nepal during the rule of King Mahendra. It remains campaign of Nepal's Panchayat regime from 1967 to 1975 and aims to direct developmental efforts of government to rural areas in Nepal.

Back to Village program which is organized from 20th - 27th of June, 2019 across all Gram Panchayats of the state of Jammu and Kashmir except few is the program to take governing machinery to the doors of rural and remote people through Gram Panchayats for the purpose of Good Governance.

The four main objectives of the Back to Village program are revitalizing panchaytas, feedback collection on delivery of schemes/programm of Government, identification of specific economic potential of the Panchayat and undertaking assessment of needs of the Panchayat to integrate the various central and state government schemes/programs, to improve delivery of village-specific services and to make the village life better through improvement in amenities and economic uplift.

Under the program 4,483 appointed Gazetted Officers here after called as Visiting Officers along with their Supporting Staff consisting of Government Frontline Officials reach out and stay in their assigned Panchayts for two days with single night halt. The purpose of two day visit of Visiting Officer along with supporting staff as conceived by the program is identification of five major confronting problems, five major potential areas and five main economy drivers of the assigned village in addition to capture of any major complaint pertaining to governance, recording of

*Student, Directorate of Distance Education, University of Kashmir, Srinagar (J & K) INDIA

seven urgent public demands in priority and overall assessment of Panchayat functioning as well as of the public services in the village. Visiting Officer has to submit the filled in devised format containing recordings pertaining to the visit under different heads to the Concerned Nodal Officer (District Development Commissioner) of the program in both hard and soft copy for online assessment of the collected data in the software ready for it for follow up purpose. Recording of any important information or observation other than provided in the format is mandatory for the Visiting Officer.

Under the program to achieve its goal the District Development Commissioners shall make all necessary arrangements through district administration like ensuring availability of Panchayat members as well presence of staff of all the 'Front Line Departments' of government at the time of visit of Visiting Officer, providing logistic and other support to the Visiting Officer by creation of District Coordination Cell as well making security arrangements as per the requirement, if and when need arises.

Discussion -

Objectives of the Study -

1. To reflect on the intention and policy of the Governor Administration with reference to socio economic development of rural and remote landscape of the state of Jammu and Kashmir.
2. To study the impact on the attitude of the village and remote masses towards the Governor Administration due to the program.
3. To study the impact of the Back to Village program on the Gram Panchayats of the state of Jammu and Kashmir.

Methodology - Active Participant Observation method and Informal Interview is used to collect data in the present descriptive study.

Observations - To the letter and spirit of the program, on the first day, i.e., 20th of June, 2019 Visiting Officer after night halt arrives in the Halqa Panchayat of the Village Chakoora at 10: 00 AM sharp and interacts here in with the assembled people, prominent citizens, their elected local representatives, Frontline Government Officials and social activists for an hour to establish repo as well as to heed and record their grievances and demands in free and fair environment. After it Visiting Officer captures picture in gathering. Following this Visiting Officer pays visit to all functional field units of Government Departments of the Panchayat Halqa Chakoora along with Frontline Government Officials, elected local representatives as well as other interested stake holders. The Panchayat Halqa Chakoora consists of three Mohalas. The visiting officer starts visit from Mohala Sahpura. In the Mohala he begins from Government High School and ends at Vetinary Centre through Ground Water Lift Station and Sheep Extension Centre. Following it, Visiting Officer pays visit to Mohalla Khanpora starts with Government Girls Middle School and ends at I.S.M Dispensary via Sub Centre of Health, Public Distribution Outlet and Ellaquai Dehati Bank. Then Visiting Officer visits to Government Primary School and Water Lifting Station located in the Mohala Mirpora. Following it, Visiting Officer visits to ongoing and languishing projects under MGNREGA and NABARD like link road from Chakoora to Rakhi Litter via agricultural fields. During the visit Visiting Officer interacts with the present officials of various such field units and deliberates on and records their issues and needs as well as public grievances related to them in devised format, under different heads, impartially. At the end of first day Visiting Officer presides evening informal interaction session with Frontline Government Officials, Panchayat members, and prominent citizens at Halqa Panchayat, discuses on the core issues of the Halqa Panchayat and records the demands for establishment of Community Hall, Community Sanitary Complex, Sports Stadium, Library, Water Filtration Plant, setting up of Police Station, Fire and Emergency Service Station as well as demand of up gradation and expansion of the extant facilities in the Panchayat Halqa and captures evening informal interaction picture at 8: 00 PM sharp.

On the second day, Visiting Officer captures picture at Halqa Panchayat at 7: 00 AM sharp. After it, he participates in the Gram Sabha including Women Gram Sabha and reads out the letter of Hon'ble Prime Minister on water conservation issues as well as the letter on immunization schedule to the Gram Sabhas, emphasize there in on need and importance of rainwater harvesting and water conservation, nutrition and health care of children in addition to education, women emancipation, organic farming, vermicomposting, management of solid waste and cleanliness in general. This is followed by discussion on the Halqa Panchayat Development Plan, facilitation of reconstitution of Social Audit Committee with the purpose of Social Audit of developmental works and schemes to ensure transparency, devolution of funds under the Fourteenth Finance Commission to the Halqa Panchayat, insist on start of developmental work of about Rs. 0.05 lacs after approval of Gram Sabha, sensitization of members of Halqa Panchayat about implementation and utilization of funds of Integrated Child Development Scheme (ICDS), Mid Day Meal (MDM) and Mahtma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) schemes through them, enrollment of beneficiaries under Pradhan Mantri KIsan SAmman Nidhi (PM- KISAN) and Pradhan Mantri ShramYogi Mandhan (PM- SYM) schemes and participation in general cleanliness drive in the Halqa Panchayat. After it the Visiting Officer pays visit to and participate in local Mela and here fill in application forms for various Government schemes. At the end, on the second day Visting Officer captures picture at 6: 00 P. M sharp which marks the end of the program.

Interpretations - Back to Village program believes creation of agriculture and allied activities centered livelihood opportunities, enhancement of earning capability and facilitation of basic necessities of life in the village is the way to

improve living condition and ease the life of rural and remote communities. In consonance to it, the program has chosen preferentially agriculture and agri-allied livelihood sectors to work on.

This ambitious program of Jammu and Kashmir Governor Administration has instilled hope among rural and remote people particularly among politically neglected and biased village and remote masses due to keen heed to their individual and collective grievances by Frontline Government Officials for the first time as well as due to their staunch belief that the program will give flip to planning cum development efforts at the gross root level and ensure prompt redress of individual and collective grievances and demands of the village and remote people.

Back to Village program primarily aims at revitalizing Gram Panchaytas as local administrative units to guarantee Good Governance at the gross root level in an attempt to benefit rural and remote communities optimally by redressing their grievances curtly and by addressing to their long pending demands promptly.

Conclusion - It can be stated conclusively that Back to Village is the program to direct efforts of development in rural and remote areas through participation of local rural community and to bridge the gap between attainable and attained targets in rural development. On one hand this unique initiative of the Governor Administration of the state of Jammu and Kashmir provides an opportunity to the politically neglected and biased village and remote people to social audit the developmental works, to get information about various Government schemes/programs related to their socioeconomic development, to bring forth their individual grievances as well as general problems of their village at their door step in addition to sensitize the Governor Administration about their issues and developmental needs. On the other hand it paves the way for the Governor Administration through Visiting Officers to capture valuable and real data through participant feedback pertaining to grievances and needs of politically neglected rural and remote people, to identify specific economic potential of Panchayat and to undertake assessment of needs of the Panchayat for integration of the various Central and State government schemes/programs to improve delivery of village-specific services to make the village life easy and better through improvement in amenities and economic upliftment. Therefore program kills two birds with single stone.

The program has raised expectations of the village people to the extent that the villagers with non vocal history also give vent to their concerns in front of the Visiting Officer. In fact the village people do started believing in execution of mega development works in their villages in immediate future. However, the long wish list furnished by them pertaining to different civic amenities is believed to have financial implications in millions in each Panchayat. Very good quantum of Panchayats in Jammu and Kashmir demands allocation of huge amount to achieve the end. Can Government afford the large required amount? Moreover clear cut guidelines from the top echelons of administration to the cutting edge appointed visiting officers to observe strict refrain from giving any commitment pertaining to any aspect of development puts the big question marks on the benificality and efficacy of the program.

Suggestions - The program with potential to rejuvenate the Gram Panchayats, to generate hope in the politically neglected rural and remote masses in the Government institutions as well as to ensure transparency through participation as owner and social audit in addition to ensuring equitable rural development and creation of sincere desire for decent living must not be limited to the single 'two days' visit and 'data capturing'. There should be the immediate follow up action on the part of Government after assessment of data collected under different key indicators of the format to capitalize the enthusiasm people have shown in the program especially in the militancy infested areas. It is suggested such meetings should be held at least once in every month. It is to see that in general the Visiting Officers have mostly used the word satisfactory with reference to performance of different Government Institutions of the Gram Panchayat favoring them for certain reasons even after having stringent guidelines for objective reporting. Had their performance up to the mark then why the villagers have raised complaints against their performance in front of the appointed visiting officers. Placing the public interests subordinate to the interests of Government institutions of the village totally violates the spirit of the program, which must be given due consideration and scope of its repetition in the follow up should be done away with.

Acknowledgement - First and foremost, the author extends cordial and grateful thanks to Ishfaq Ahmad Khan Tanoli, Lecturer of Education, Jammu and Kashmir Department of School Education and one among the appointed Visiting Officers for the Back to Village program (Zahampora Gram Panchayat) for his prompt hand lend to the author in this pioneering work. Finally, author's genuine gratitude goes out to all members of his family, with a very special thanks to his parents (Shri. Mohammad Yousuf and Smt. Shameema) who have generously supported him socially, morally as well as economically and sacrificed much for his sake.

References :-

1. http:// www.backtovillagejk.in
2. http://www.bussiness-standard.com
3. http://www.cdn.s3waas.gov.in
4. http://www.dailyexcelsior.com
5. http://www.factlyforumias.com
6. Filled in devised data capture format of Zahampora Gram Panchayat, Tehsil Boniyar.
7. http://www.greaterkashmir.com
8. http://insightsonindia.com
9. http://www.newsonair.com
10. http://www.tribuneindia.com
11. http://www.uniindia.com

[12].http://www.wikipedia.org

राजस्थानी टेराकोटा-मृणकला

मीनाक्षी कस्तूरी * डॉ. कंचन राठौड़ **

प्रस्तावना - राजस्थान का प्रत्येक जिला अपनी-अपनी भिन्न शैलियों व तकनीक के लिए सुप्रसिद्ध रहा है तथा इनमें मुख्यत: मेवाड़ का मोलेला, जैसलमेर का पोकरण, गोगुन्दा, सवाईमाधोपुर एवं रामगढ़ की चमकदार मृण कला, जयपुर की पोटरी ने अपनी प्रसिद्धि देश में ही नहीं अपितु विदेशों तक फैलाई है। इसके अतिरिक्त मेवाड़ स्थित आहाड़ सभ्यता, बालाथाल, गिलुण्ड आदि के साथ ही हनुमानगढ़ का कालीबंगा ऐसे स्थल रहे है, जो मृणकला के माध्यम से पुरासम्पदा को संजोए हुए है।

मोलेला की माटी शिल्प - राजसमन्द जिले के मोलेला ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि 'माटी के लोक देवी-देवता' बनाने वाला गाँव के रूप में हासिल की है। यह गांव नाथद्धारा से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मोलेला की प्राचीनता के संबंध में कहा जाता है कि पहले यहां जैगढ़ नामक गांव था। इसे 'जूना नाथद्धारा' भी कहते थे। आज भी यहां विट्ठलनाथजी का मन्दिर है। जिसकी सेवा-पूजा की व्यवस्था नाथद्धारा-श्रीनाथजी की ओर से है। जैगढ़ के बाद मोलेला अस्तित्व में आया। मोड़ पर बसे होने के कारण प्रारम्भ में इसे 'मोड़ेला' कहते थे। धीरे-धीरे मोड़ेला से बनते-बनते 'मोलेला' हो गया। इसी तरह मोलेला नाम प्रचलित हो गया। मोलेला की माटी द्धारा निर्मित प्रतिमाएं इसी गांव में स्थित एक विशेष तालाब 'सोलह का सापर' की लाई मिट्टी से बनाई जाती है। मिट्टी को 'रवि-पुष्प नक्षत्र' में पूजा-अर्चना करके लाया जाता है। मृण शिल्प की पूरी प्रक्रिया बिना किसी मोल्ड अथवा सांचे को प्रयोग किए एवं कुछ साधारण औजार जैसे पिण्डी, पाट्या व भालड़ी के उपयोग द्धारा बनाई जाती है।

कलाकृति के निर्माण हेतु खदान से मिट्टी लाकर कूट-पीट कर एवं छलनी (तार की जाली) से छानकर एकसार लिया जाता है। इस मिट्टी को चिकनी व कंकड़ विहिन कर लिया जाता है फिर मिट्टी में 1/4 भाग में गधे की लीद मिलाकर पानी डालकर भिगोया जाता है। बताया जाता है कि गधे की लीद मिलाने से कलाकृति में दरारें नहीं पड़ती है। इसी तरह मिट्टी तैयार कर पिण्ड बनाया जाता है। फिर समतल साफ भूमि पर पिण्ड को फैलाकर कलाकार कलाकृति के लिए पैनल या पट्टियां तैयार कर लेता है व मूर्ति को आकार प्रदान करता है। मूर्ति को भूमि पर आड़े फलक पर ही बनाया जाता है। मूर्ति बनाते समय कुम्हार मूर्तियों से सम्बन्धित सभी लोक धारणाओं का ध्यान रखते है। लोक प्रतिमाऐं यदि सही रूप से नहीं उकेरी जाएगी तो न तो देवरों में उनकी प्रतिष्ठा होगी और न ही भक्तों में श्रद्धा भाव जाग्रत हो पाएंगे। मूर्ति बन जाने पर उसे 7-8 दिनों तक छाया में सुखाया जाता है, बाद में धूप में। सूख जाने पर मूर्ति को एक खास तरह की भट्टी में रखकर आंच में पकाया जाता है। भट्टी में अग्नि का ताप सभी जगह समान पहुंच सकेंइसका ध्यान रखा जाता है ताकि मूर्ति के तड़कने की सम्भावना कम हो सके। पकाने के लिए मूर्ति को भट्टी में रखने की क्रिया को 'खड़कना' कहा जाता है।

मूर्ति निर्माण के पश्चात् उसकी रंगाई की जाती है। रंगाई की इस प्रक्रिया को 'कोराई' कहा जाता है। सबसे पहले मूर्ति पर सफेद चूने का रंग रंगा जाता है, ताकि उस पर कोई भी रंग चढ़ाया जा सके एवं रंगों में उभार लाया जा सकें। रंगों में हड़मच, सिंदूर, पियावड़ी (पीला) तथा काला, नीला, आसमानी रंग प्रमुख है। प्राचीन समय में प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग किया जाता था जो स्वनिर्मित होते थे। इन रंगों में गोंद मिलाकर मूर्तियों की रंगाई की जाती है। धार्मिक परम्पराओं के पालन के साथ रूपगत व रंगगत तत्वों को भी लौकिकता के साथ सहेजकर रखा गया है। चटकदार रंगों का प्रयोग कर परम्परा का निर्वाह किया जाता है।

मूर्ति स्थापना हेतु संघ के संघ दूर-दराज से पदयात्रा करते हुए आते है, उनको ठहराने एवं खाने-पीने की व्यवस्था कुम्हार द्धारा ही की जाती है। गांव के देवरों के भोपाजी द्धारा ही मूर्ति लाई जाती है व उनकी विधि विधानपूर्वक स्थापना की जाती है। मोलेला में निर्मित मूर्तियां मेवाड़ के साथ ही गुजरात व मध्यप्रदेश की सीमाओं पर स्थित आदिवासी गांवों के लोगों द्धारा ले जाई जाती है।

गोगुन्दा मृण शिल्प - गोगुन्दा के कलाकार विशेष तकनीक का प्रयोग कर मिट्टी के पात्रों को पकाते है, जिसके उपरांत माटी के पात्र चमकदार काली स्याही रंग में दिखाई देते है। इसमें मृण कला का आधार काला होने के कारण इसे 'ब्लेक पॉटरी' भी कहा जाता है। उदयपुर जिले में गोगुन्दा आदिवासी समुदाय का मुख्य केन्द्र है, जिसके चारों ओर आदिवासी परिवारों की बसावट है तथा यहां आज भी कई कुभाकार मृण शिल्प से जुड़ी कला परम्परा पूर्ण रूप से निर्वाह करते है।

गोगुन्दा के कुम्हार दैनिक जीवन, तीज-त्यौहार के साथ-साथ कृषि कार्य में उपयोग में आने वाले मृण पात्रों का स्वनिर्माण करते है। यहाँ का आदिवासी समाज भी अपने दैनिक उपयोग के लिए गोगुन्दा की मिट्टी से बने पात्रों (बर्तनों) को खरीदकर अपनी परम्परा का निर्वाह करते है। गोगुन्दा का विशेष पात्र जिसका उपयोग कुएं से जल निकालने के लिए किया जाता है जिसे 'गेड' कहा जाता है वह भी यहां के कुंभकार द्धारा बनाया जाता है तथा मांगलिक व तीज-त्यौहारें के अवसरों के लिए सभी प्रकार के पात्रों को बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त मृण कलाकार मिट्टी का तवा (केलड़ी), पानी के पात्र, परात, कुजी, कुण्डी, छोटी मटकी (पारोही), लोटे व गिलास

* शोधार्थी , बी.एन. विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** विभागाध्यक्ष, बी.एन. विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

के साथ घरेलू सजावटी समान भी बनाते है।

पोकरण की मृण शिल्प – पोकरण मृण कलाकारों की खासियत यह की जितने सक्षम यहां के पुरुष कुंभकार है, उतनी ही सक्षम महिलाएं भी है। पोकरण की महिलाएं रंगाकार तथा महीन अलंकरण के साथ–साथ गुल्लक तथा भांति–भांति के खेल–खिलौनों को बनाने में सिद्धहस्त होती है। पोकरण की मृण शिल्प कला कुछ हद तक भिन्न इसलिए भी है कि इन मृण पात्रों को लकड़ी के अवाड़े (भट्टी) में पारम्परिक तरीके से पकाने से पूर्व खड़िया, पीला, गेरू व काले रंग से पारम्परिक शैली में अलंकरण व बेलबूटों द्वारा सजाया जाता है।

पोकरण की मृण कला की पहचान 2 दशक तक मारवाड़ व उसके आस–पास के प्रान्तों तक ही फैली हुई थी, किन्तु आज यहां की मृणशिल्प यूरोपीय बाजार तक अपनी पहचान बना चुका है। पोकरण की माटी में ठोस व चमकीलापन होने के कारण उसकी रंगत बहुत ही अलग होती है, उसकी मिट्टी की विशेषता यह है कि लाल व कत्थई रंग की मिट्टी के पात्रों को जब लकड़ी की सहायता से अवाड़े में पकाया जाता है तब पकने के पश्चात् मृण पात्रों का रंग हल्की गुलाबी रंगत लिए होता है जो इस माटी की मुख्य विशेषता कही जा सकती है।

पोकरण के मृणशिल्पकार मुख्यत: बडबेडा, खरल, परात, पारोटी, चाडा, पारा, मटकी, घड़ा, कुलडी आदि के साथ ही विविध पशु–पिक्षियों की छोटी–बड़ी आकृतियां व भांति–भांति के अलंकृत गुल्लक बनते हैं। औजारों के रूप में देखें तो यहां के मृण कलाकार चॉक, हाथरी, घागा, पिण्डी, थापा, टुलिकया, कूंद, खुरपा, मंडाई आदि प्रयोग कर मृण से बने पारम्परिक कला रूपों को आकारित करते हैं। पोकरण के इस क्रम में नागौर, बालोतरा, धाणेराव की सादडी भी ऐसे स्थल है, जहां आज भी मिट्टी से मटके, परात, सुराही, कुल्हड़ (सिकोरा), केलड़ी, लौटा आदि के साथ ही खेल खिलौने व सजावटी उपादान बनाए जाते है।

रामगढ़ की मृण कला – राजस्थान के अलवर के निकट बसा रामगढ़ गांव अपनी चकमदार मृणकला के लिए विश्व प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। यहां के कलाकार अपनी कला को विदेशों तक प्रदर्शित कर चुके है। रामगढ़ की मृण कला की विशेषता उसकी मिट्टी में निहित है, यहां के कुम्हार 'सैंथली व सेरदा' गांव से मिट्टी लाकर मृण पात्रों को बनाते है। सैंथाली की मिट्टी काली होने के कारण बहुत ही चिकनी व लचीलापन लिए होती है, अत: उसके उपयोग से बड़े आकर के सुराईनुमा पात्रों को बनाया जाता है तथा इन पात्रों को तकनीक प्रयोग से पकाकर स्प्रे जैसा रूपप्रदान किया जाता है। वहीं दूसरे प्रकार की मिट्टी सेरदा गांव की जो कुछ दानेदार होती है तथा इस मिट्टी से दैनिक उपयोग में प्रयोगिता रखने वाले जल पात्रों व बर्तनों आदि का निर्माण किया जाता है।

रामगढ़ के मृण पात्रों में पारम्परिक कला तत्वों का समावेश देखा जा सकता है। यहां के कुम्हार आज भी स्वमिनर्मित औजारों का उपयोग करते है तथा पारम्परिक तरीके अवाड़ा लगाकर मृण शिल्प को पकाते है। यहां के कलात्मक मृणपात्र देश–विदेश में भेजे जा रहे है। कलाकार मुख्यरूप से तवा, कूंडी, हांडी, सांदकी, बिलोवणी, कडकल्ला, कूंडा, चामली, चापटी, घामला, धीलडी, कढ़ावणी, सकोरा, कुल्हड़, करवा, कूलडा, झावा, सिराई, करी, कूलडी, झोलवा, मटका–मटकी, सुराही, लोटिया, घड़ा, मांग्या, तपक्या, तौलडी, माट, झाल, मूण, आदि को चाक पर बना कर मृण कला की परम्परा का निर्वाह कर रहे है। इसी के साथ मिट्टी के बने वाद्ययंत्र ढोलक, तबला, नगारी, तासा, कुंडी आदि भी अपनी लोकप्रियता के साथ यहां के शिल्पियों के जीविकापार्जन का मुख्य आधार बने हुए है।

सवाईमाधोपुर का मृण शिल्प – सवाईमाधोपुर क्षेत्र 'ब्लेक पोटरी' के नाम से सुप्रसिद्ध है, यहां जो मृण पात्र बनाए जाते है उनका रंग काला होता है क्योंकि उन्हें बहुत ही खास तरीके से पकाया जाता है। मृणशिल्प के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी निकटवर्ती बनास नदी के किनारे से ली जाती है। मिट्टी को अच्छी तरह से कूट–कूटकर अवांछित कंकड़–पत्थर और घास आदि को साफ कर लिया जाता है। फिर मिट्टी को गलाकर कलाकृतियों के लिए तैयार कर लिया जाता है। माटी द्वारा निर्मित कलाकृतियां व पात्रों को दो–तीन दिन के लिए छाया में सुखाया जाता है, फिर अंत में भट्टी में पकाया जाता है। जब भट्टी में आग लगभग समाप्त होने ही वाली होती है तब कुम्हार भट्टी के सभी छिद्रों को सील (बन्द) कर देता है, जिससे भट्टी के अन्दर बन रहे धुंए को बाहर जाने का स्थान नहीं मिल पाता है और भट्टी में धुंआदार वातावरण बन जाता है। यही मृण शिल्प को भूरी काली रंगाई प्रदान करता है। यहां के कारीगरों द्वारा बर्तन निर्माण के अतिरिक्त देवी–देवताओं की सामान्य व विस्तृत पट्टिका की श्रृंखला भी निर्मित की जाती है।

जयपुर का मृण शिल्प – जयपुर का मृण शिल्प मुख्यत: 'ब्लू पोटरी' के नाम से सुविख्यात है। ब्लू पोटरी एक फारसी कला है परन्तु अब यह जयपुर का पारम्परिक शिल्प माना जाने लगा है। बर्तनों को नील से रंगने की वजह से 'ब्लू पोटरी' नाम कहा जाने लगा है। यह कला 14वीं शताब्दी में तुर्कों द्वारा भारत में लाई गई थी। ब्लू पोटरी को जयपुर में लाने का श्रेय राजा 'सवाई रामसिंह (द्वितीय 1835–1880) को दिया जाता है। राजा साहब ने इस शिल्प के प्रशिक्षण के लिए चूड़ामन तथा कालू कुम्हार को दिल्ली भेजा था। पूर्णत: प्रशिक्षित होन के बाद जयपुर में इसकी शुरूआत हुई। 1950 के दशक में यह कला पूर्णत: विलुप्त हो गई थी इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय चित्रकार कृपालसिंह शेखावत को जाता है। ब्लू पोटरी का एक सुन्दर नमूना जयपुर के रामबाग पैलेस के फव्वारों के रूप में आज भी देखा जा सकता है। ब्लू पॉटरी कला के चार मुख्य चरण है – (1) मिट्टी के बर्तन बनाना, (2) डिजाइनिंग और पेंटिंग, (3) ग्लेजिंग, (4) फायरिंग

ब्लू पोटरी कला निर्माण में क्वार्ट्ज़ पत्थर के पाउडर, मुल्तानी मिटटी, बोरेक्स, गोंद तथा पानी का प्रयोग किया जाता है। तय अनुपात में उक्त सामग्री को मिला दिया जाता है और आटे जैसा तैयार करने के लिए इन्हें पाउडर के रूप में पीसते है। पानी का उपयोग सानने के लिए किया जाता है। मिश्रण को प्लास्टिक की थैली से ढक कर रखा जाता है। जब मिश्रण आटे जैसा बनता है, तो थापी की मदद से मिश्रण की चपाती बनाई जाती है फिर उसको साँचे में डालते है। निश्चित आकार बनाने के लिए, केवल गर्दन और होंठ को कुम्हार के चाक पर आकार दिया जाता है। चपाती के किनारों को चाकू से छंटनी की जाती है। कलाकृति को विरूपण से बचाने के लिए मोल्ड को राख से भरा जाता है। जब सामग्री सूख जाती है, तो इसे चिकनाई और परिष्करण देने के लिए पॉटरव्हील और सैंड पेपर का उपयोग किया जाता है। मिट्टी के बर्तनों को पेस्ट के साथ लेपित किया जाता है और धूप में सुखाया जाता है। इसके बाद शिल्प कृति पर आकर्षक चित्रकारी की जाती है। चित्रकारी के लिए गिलहरी के बालों की कलम तथा प्राकृतिक प्रस्तर रंगों का उपयोग किया जाता है। परन्तु आजकल कुछ आधुनिक रंग जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग नीला, फिरोजा के लिए कॉपर सल्फेट, भूरे के लिए लोहे के आक्साइड, हरे के लिए क्रोमियम ऑक्साइड और पीले रंग के लिए कैडिमियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद कृति को आग में पकाया जाता है, जिसके लिए पारंपिरक भट्टी का उपयोग किया जाता है। बर्तन को

एक गर्म भट्टी में रखा जाता है और 800–850 डिग्री सेन्टीग्रेड के तापमान पर दो से तीन दिनों के लिए रखा जाता है। 2 से 3 दिनों के बाद भट्टी ठंडी हो जाती है और कृति को निकला जाता है।

ब्लू पॉटरी चीन की ग्लेजिंग तकनीक और फारसी सजावटी कौशल की संयुक्त कला है। इससे बनने वाली वस्तओं में क्रॉकरी, ऐश ट्रे, खिलौने, चाय का सेट, जार, कप, सजावटी सामान, छोटे कटोरे, आदि प्रमुख है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. संस्कृति के रंग : डॉ. महेन्द्र भानावत, भारतीय लोककला मंडल, उदयपुर (राज.)
2. https://rajasthanstudy.blogspot.com/2018/06/blog-post10.html.

****

बाल अधिकार एक ज्वलंत समस्या

कृष्णा शर्मा *

प्रस्तावना – आज के बालक कल होनहार नागरिक माने जाते है,उनका उचित लालन–पालन प्रत्येक समाज और राष्ट्र का परम एवं पावन कर्तव्य है। बालक समाज का सबसे नाजुक अंग है, जिसके अधिकारों का हनन बडी आसानी से किया जा सकता है। इसलिए मानवाधिकार के बारे में चर्चा करते समय बालकों के अधिकार पर विचार करना जरूरी है। बालकों को पूर्ण मानव के रूप में विकसित होने का पूरा अधिकार है। उनके इस मानवाधिकार में रूकावट बनने वाली सबसे ज्वलंत समस्या बाल श्रम है। बालश्रम के साथ बच्चों की अशिक्षा कुपोषण,अविकास और बीमारियॉ भी जुडी हुंई है। बालकों के विरूद्ध अपराध भी बडी संख्या में पंजीबद्ध होते है,जिसमें बलात्कार,अपहरण, कन्या विक्रय,षिषु हत्या और भ्रूण हत्या,बाल–विवाह आदि शामिल है। इन सब के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर बालकों के अनेक अधिकारों को मान्यता दी गई है।

चार मूल अधिकार –

1.जीवन अधिकार
2.रक्षा अधिकार
3.विकास अधिकार
4.विशेषाधिकार

1. **जीवन अधिकार –** इस अधिकार के अतंर्गत किसी भी बालक या बालिका को परिपूर्ण पोषण और एक स्वस्थ्य जीवन प्रदान किया जाना चाहिए और साथ में नाम व राष्ट्रीयता भी प्रदान की जानी चाहिए।
2. **रक्षा अधिकार –** इस अधिकार के अंतर्गत किसी भी बालक या बालिका को निम्न संबंधों के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए,जैसे षोषण गाली–गलौज, घृणा, श्रेणी संबंधित भेद आदि और ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो उन्हें सहस्त्र रक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
3. **विकास अधिकार –** इस अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शिक्षण सामाजिक स्तर,रहन–सहन,खान–पान संबंधी अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। जिससे कि वे सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में विकास कर सके।
4. **विशेषाधिकार –** इस अधिकार के अंतर्गत एक बालक या बालिका को उसके विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

बालक के अधिकारों की घोषणा – यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1959 में स्वीकृत की गई संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बच्चों को सुखी बालपन प्राप्त कराने बच्चों ओर समाज के कल्याण के लिए इसे घोषित किया और माता–पिता, स्वंयसेवी, स्थानीय प्राधिकरणों और राष्ट्रीय सरकारों का आहान किया कि निम्न सिद्धांतों का पालन कानूनों व अन्य प्रावधानों द्वारा करें।

सिद्धांत – 1 – बालक इस घोषणा में निर्धारित अधिकारों का उपयोग करेंगें। कोई भी बालक प्रजाति, रंग, लिंग,भाषा,क्षेत्र मत राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म व स्तर के भेदभाव के बिना इन अधिकारों का हकदार होगा।

सिद्धांत– 2 – सभी बालक शारीरिक, मानसिंक, नैतिक, अध्यात्मिक व सामाजिक विकास स्वतंत्रता व गरिमा की रक्षा व अवसर के अधिकारी होगें। इस संबंध में कानून बनाते समय बालक के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

सिद्धांत – 3 – बालक जन्म से ही अपने नाम और राष्ट्रीयता का अधिकारी होगा।

सिद्धांत – 4 – बालक को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार होगा। उसे और उसकी माता को स्वास्थ देख–रेख व सुरक्षा का अधिकार जन्म से पूर्व व जन्म के बाद होगा। बालक को उचित पोषण, मकान, मनोरंजन व चिकित्सा का अधिकार होगा।

सिद्धांत – 5 – मानसिक व शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को विशेष उपचार,देखरेख व शिक्षा दी जाएगी।

सिद्धांत – 6 – अपने पूर्ण व संतुलित विकास के लिए बच्चे को प्यार और सहानुभूति की आवश्यकता है। छोटी आयु का बच्चा अपनी माँ से अलग नहीं किया जाएगा। बिना परिवार व सहारे वाले बच्चों को समाज व लोक प्राधिकारियों द्वारा देखरेख प्रदान की जाएगी।

सिद्धांत – 7 – बालको को कम से कम प्राथमिक स्तर तक मुक्त व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बच्चों को समान रूप से ऐसी शिक्षा दी जायेगी जो उनकी सभ्यता का विकास करें, योग्यता का विकास करें उसके सामाजिक व नैतिक दायित्वों की समझ का विकास करें। बच्चों की शिक्षा का पहला दायित्व माता–पिता पर होगा।

सिद्धांत – 8 – सभी स्थितियों में बच्चें को सुरक्षा और राहत सबसे पहले पहुॅचाई जाएगी।

सिद्धांत – 9 – बच्चों की उपेक्षा कूरता व षोषण के विरूद्ध सुरक्षा की जाएगी। किसी भी रूप में उसका परिवहन नहीं किया जाएगा। बच्चे को न्यूतम आयु से पूर्व रोजगार में नहीं लगाया जाएगा।

सिद्धांत – 10 – बच्चे को प्रजातीय,धार्मिक व अन्य प्रकार के भेदभाव से रक्षा की जाएगी। इसका पालन–पोषण समझ सहनशीलता, मित्रता शांति व सार्वभौमिक भाईचारा के अनुसार किया जाएगा ताकि उसकी ऊर्जा व प्रतिभा अन्य लोगों की सेवा के लिए काम आ सके।

बालक कौन है? – भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम हो या अवयस्क की श्रेणी में आता है, वह बालक या बालिका

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय श्या. सुंदर नारायण महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

की श्रेणी में आएगा।

भारत में बालक – भारत में कुल 700 मिलियन बच्चे है 0 –14 वर्ष के बीच में भारत में उपस्थित है, ये भारत की जनसंख्या को एक तिहाई के थोडा ऊपर दर्शाते है।

बच्चों का स्तर और उनका अधिकार – भारत में सभी बच्चों को समानता से नहीं देखा जाता है,भारत में ऐसे कई मिलियन बच्चे है जो बहुत सी कठिनाईयों को झेलते है, तथा उन्हें अपने विकास हेतु उचित अवसर नहीं मिलते है। समाज में रहने वाले निम्न बच्चों को बहुत सी आर्थिक एवं सामाजिक हानियों का सामना करना पडता है ये निम्न है –

- लडकियॉ
- वेश्याओं के बच्चे
- सड़क में रहने वाले बच्चे
- पिछड़े वर्ग के बच्चे

बहुत से समुदायों में लड़के व लड़कियों का एक एक सा दर्जा दिया जाता है, और वही ऐसे भी समुदाय है,जहॉ उन्हें समान दर्जा नहीं दिया जाता है। भारत में समानता के दर्जे की स्थिति विपरीत है यदि हम लड़के व लड़कियों के मध्य संख्या का अनुपात निकाले तो उनमें से 0–6 वर्ष की मिलियन लड़किया गायब है–

लड़कियां हमेशा ही अपने स्वास्थ्य की देखभाल अच्छा खाने–पीने और शिक्षा से वंचित ही जाती है।

जीवन जीने का अधिकार – तिरस्कृत बच्चों की समस्या उभर कर सामने आ रही है जिसके कारण उनकी मृत्यु बहुत से देशों में हो रही है। देश में बच्चों के मरने का कारण ये है कि उन्हें वह सुरक्षा प्रदान नहीं कराई जा रही है।

यूनीसेफ के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर जेम्स ग्रेन्ट एक्जीक्यूटिव बोर्ड को संबोधित करते हुए कह रहे थे। कि मै अपनी अनुमति से स्वतंत्रता लेता हूॅ कि आप ये महसूस करें उन 40 हजार बच्चों के लिए जो कि आज की तारीख में लंबी तादात में मर रहे है। जो वातावरण के दूषित होने के कारण है सारी सुविधाऐं व जीने के अवसर खो रहे है।

बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए है–

1. **बच्चों के विकास के लिए पदोन्नति को बढावा देना –** बच्चो ंपर केंद्रित कार्यक्रम शामिल करना जैसे कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करना बाल मजदूरी को पूर्णत: खत्म करना। बच्चों की स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं उन्हें उनके स्वास्थ्य का ध्यान देने के लिये बढावा देना एवं विटामिन 'ए' आयोडीन नमक बच्चों को लगने वाले टीके और ओ.आर.टी. के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। बच्चों को आवष्यक जरूरतों को सर्वप्रथम पूर्ण करना।
2. **कानून निर्माण का विकास होना जो बच्चों के अधिकारों की जानकारी स्पष्ट एवं उपलब्ध कराए –** कानून को सामने लाना नये कानूनों का निमार्ण करना धाराओं का या कानूनों को दोहराना ओर भी बहुत से ऐसे योजनाओं को शामिल करना एवं उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।
3. **लड़के–लड़कियों के भेद–भाव को दूर करने हेतु उचित कदम बढ़ाने के लिये प्रेरित करना–** जीवन चक्र से लिंग भेद–भाव को पूर्णत: समाप्त करना चाहिए एवं समानता की दृष्टि से लड़के व लड़कियों को देखना चाहिए।
4. **सही व उचित पक्षों का फैसला लेना –** लोगों को बढावा देना और उनमें हिस्सा लेना ऐसे कार्यो में जो बच्चों के हितकर बहुत ही आवश्यक है। व्यवसाय मीडिया,पंचायत,एन.जी.ओ. आदि साधनों से उनका पक्ष लेना और उनसे जुड़े रहना बहुत ही आवश्यक है एवं जरूरी है बच्चों के विकास के लिए।
5. **बच्चों के अधिकारों का समर्थन करना –** सम्पूर्ण क्षमताशील विस्तार जानकारी के द्वारा हम शोध द्वारा और पोलिसी के द्वारा हम बच्चों के अधिकारों को उनके हितों को समझ पायेगें।तथा असी प्रकार हम बच्चों के अधिकारों का समर्थन भी कर पाएगें।
6. **बच्चों के अधिकारों के उपर एक रिपोर्ट –** कुछ निर्देशों का विकास करना जो हमें बच्चों के अधिकारों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कराए।

इन सब का उद्देश्य यह कि बच्चों के अधिकारों का विकास उनके बारे में उन्हें अवगत करना इन अधिकारों के तहत बच्चों की तरफ पूर्णत: ध्यान देना व उनमें विकास लाने के लिए कुछ कार्यक्रमों का निमार्ण करना कुछ राज्यों में जैसे कि तमिलनाडू और मध्यप्रदेश में कुछ ऐसे भी कार्यक्रम प्रारंभ हुए है जो बच्चों के लिये हितकर है एवं बच्चों के विकास और भविष्य निमार्ण हेतु भी सहायक है।

उपंसहार – बच्चों के बनाए गए अधिकारों को समितिकरण के लिए सर्वप्रथम आयोग का गठन संयुक्त राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा 20 नबम्वर 1989 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बालक/बालिकाए समाज में सुदृढ भूमिका निभा सके। सन 1993 तक 159 देश अस आयोग का हिस्सा बने और 1995 के अंतिम चरण तक पहुॅचते–पहुॅचते ये एक वृहद रूप धारण कर चुका था, अर्थात् दुनिया के सभी देश एक–एक करके इसका हिस्सा बन चुके थे। असका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार को यह बताना था कि समाज में बच्चों की भी अहम भूमिका है और उन्हें भी अधिकार दिए जाने चाहिए।

संक्षिप्त में इसका अर्थ बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान करना है। जिससे कि वे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिंक रूप उन्नति कर सके और अपनी आधारभूत भूमिका को समझ सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा – 10 दिसम्बर 1948
2. उपाध्याय राम – मानव अधिकार।
3. ए.सी.लार्बा – मानव अधिकार और पिछडा वर्ग।
4. दामोदर मिश्रा,डॉ.अखिल शुक्ला – मानवाधिकार दशा और दिशा।
5. मेरी सहेली पत्रिका – दिसम्बर 2005
6. भारतीय जनगणना 2001 डब्लू.एस.ओ. के अनुसार –श्रीमति कमल भदौरिया।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) October to December 2019, Vol. I

आधुनिक चिन्तन में त्रैतवाद एवं अद्वैतवाद

महिमा शास्त्री *

प्रस्तावना – आज से लगभग ढ़ाई हजार वर्ष पूर्व बौद्ध एवं जैन मत सर्वत्र फैल रहा था। ईश्वर तथा वेद के विरूद्ध इन नास्तिक मतों के साथ सामान्य जन जुड़ते जा रहे थे। मनु जी के द्वारा घोषित शब्द 'नास्तिको वेद निन्दक' की उक्ति को लोग सम्भवत: भूल चुके थे। उज्जैन नगरी के राजा सुधन्वा भी जैन मत की शरण ग्रहण कर चुके थे। परन्तु सुधन्वा राजा की बेटी वेद मत के विरोधियों को देख अत्यन्त दु:खी रहती थी। एक दिन वह राजमहल की खिड़की में खड़ी अत्यन्त खिन्न मन से बोल रही थी 'किं करोमि क्व गच्छामि को वेदानुद्धरिश्यति' अर्थात् 'क्या करूं कहां जाऊं, वेदों का उद्धार कौन करेगा। 'बार–बार इन शब्दों को दोहराती थी। तभी राजमहल के बाहर दीवार के पास मार्ग पर कुमारिल भट्ट आचार्य जा रहे थे अचानक उनके कानों में ये शब्द पड़े। उपर्युक्त शब्द सुनते ही आचार्य ने ऊपर की ओर देखा तो पता चला कि एक राजकुमारी आंखों में आंसू भरे हुए मुख से बोल रही है 'किं करोमि क्व गच्छामि को वेदानुद्धरिष्यति'। तो उन्हें तुरन्त सारी बात समझ में आ गई। अत: तत्काल हाथ उठाकर आचार्य कुमारिल भट्ट बोले–'मा चिन्तय वरारोहे भट्टाचार्योस्ति भूतले।' अर्थात् ' ऐ राजकुमारी चिन्ता मत करो भट्टाचार्य भूतल पर है।'वेदों का उद्धार मैं करूंगा। इस भीषण प्रतिज्ञा को करके आचार्य कुमारिल भट्ट वैदिक धर्म प्रचार के लिए निकल पड़े। सर्वत्र वेद मत का स्थापन तथा बौद्धों एवं जैनों के नास्तिक मत का प्रबल खण्डन करने लगे। वेद मत विरोधी लोगों ने महाराज हर्षवर्द्धन से इसकी शिकायत की। महाराज ने अपनी सभा में नास्तिक मतवादी विद्धानों से आचार्य कुमारिल भट्ट का शास्त्रार्थ करवाया।

यहां पर आचार्य कुमारिल भट्ट अकेले थे। विरोधियों का जमघट था उन सैकड़ों नास्तिक मतवादियों में भट्टाचार्य के प्रश्नों का उचित समाधान तो न हो सका अपितु सबने मिलकर कोलाहल एवं शोर मचाकर बड़े भारी षड्यंत्र के अन्तर्गत आचार्य कुमारिल का बहुत अपमान किया, उनका मजाक उड़ाया तथा सभा से निष्कासित करवा दिया। आचार्य कुमारिल भट्ट इस अपमान से बड़े दु:खी हुए। ऐसा विचार करके कि वे वेद की सत्य बात को सुनने वाले लोग ही मेरा साथ न दें सके तो मेरा जीवित रहना ही व्यर्थ है। अत: एक दिन वह लकड़ियों की चिता बनाकर उसमें आग लगाकर प्रवेश कर गये। उधर शंकराचार्य जी ने कुमारिल से कहा ऐ भट्टाचार्य मैं वैदिक धर्म प्रचार में आपका साथ देने के लिये आ गया हूँ , पर आप तो चिता में बैठ गये। तब भट्टाचार्य ने कहा आचार्य आपने बहुत देर कर दी। मैंने लोगों को वैदिक धर्म मार्ग पर चलाना चाहा परन्तु लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। इसलिए मैंने अब जीना उचित नहीं समझा। अब आप आ गए हैं तो मुझे खुशी है कि मेरे पश्चात् इन नास्तिक मतवादियों के पाखण्ड को समाप्त करने वाला कोई है। यह कार्य तो अब आपको ही करना है। यह कहते हुए आचार्य कुमारिल भट्ट के षरीर को अग्नि की ऊँची–ऊँची लपटों ने अपनी गोद में लेकर सदा–सदा के लिए ओझल कर दिया। उस दिन दीपावली का दिन था।

वेद मत का स्थापन तथा नास्तिक जैन मत के खण्डन हेतु आचार्य शंकर ने प्रबल वेग के साथ आन्दोलन आरम्भ कर दिया। शीघ्र ही चारों ओर वैदिक मत की दुंदुभी बजने लगी तथा जन सामान्य भी शंकराचार्य के अनुयायी बनने लगे। वैदिक मत के प्रति उत्सुकता ऐसे बढ़ने लगी कि जैन नास्तिक मतवादियों के प्रति तीव्र घृणा जाग उठी। यहां तक धारणा बनने लगी कि यदि किसी समय कोई मदमस्त हाथी बाजार में आ निकले और लोग जान बचाने के लिए भागने तथा छुपने लगे तो ऐसे में सामने कोई जैन मंदिर आ जाए जहाँ जाने से जान बच सकती हो तो यह निर्णय लेना कि मदमस्त हाथी भले ही पैरों के नीचे कुचल कर रौंद डाले परन्तु जैन मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसी–ऐसी भावना लोगों के दिलों में पलने लगी। आचार्य शंकर ने भारत वर्ष की चहुं दिशाओं में चार मठ स्थापित करके एवं दशनामी साधुओं के मण्डल बनाकर नास्तिक मतवादियों के साथ अनेकों शास्त्रार्थ करके नास्तिकवाद की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी तथा वैदिक मत की स्थापना कर दी। जैनियों के द्वारा चलाई जा रही मूर्तिपूजा का भी आचार्य शंकर ने बड़ी दृढ़ता के साथ प्रतिकार तथा खण्डन किया। श्री शंकराचार्य जी की यह बड़ी भारी विजय थी जो कि शंकर दिग्विजय के नाम से जानी जाती है।

बाद में शंकराचार्य जी ने एक नवीन सिद्धान्त दिया जो कि 'अद्धैतवाद' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह वेदानुकूल न होने से हृदयंगम नहीं हो सकता। अर्थात् उपनिषदों की कुछ सूक्तियों के नये अर्थ करके वेदों की मूलभूत मान्यताओं से बाहर निकल गए। इस अद्धैतवाद के अन्तर्गत 'एकं ब्रह्म द्धितीयोनास्ति' का अर्थ किया कि संसार में एक ब्रह्म तत्व ही विद्यमान है दूसरा कुछ भी नहीं। 'अयं आत्मा ब्रह्म' 'अहं ब्रह्मास्मि' अर्थात् मैं ही ब्रह्महूँ। इत्यादि उपनिषद वाक्यों के उपर्युक्त अर्थ करके जीव–ब्रह्म के शुद्ध पृथक भाव को एकत्व भाव देकर वैदिक मान्यता को छोड़ दिया। केवल 'जीव–ब्रह्म' की एकता पर ही नहीं रूके अपितु जगत् को मिथ्या बतलाकर वैदिक भावना से काफी दूर हो गए। उनके आगे आने वाले अनुयायियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि –

श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि युक्तं ग्रन्थ कोटिभि: ।
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर: ।।

अर्थात् जो बात करोड़ों ग्रन्थों में कहीं गई है, मैं तो उसे आधे श्लोक के द्धारा ही कह देता हूँ। वह यह है कि ब्रह्म (परमात्मा) ही सत्य है, यह जगत मिथ्या (झूठा) है और जीव ही ब्रह्म है। (अथवा ब्रह्म ही जीव है) भिन्न–भिन्न नहीं। आचार्य शंकार ने वेदान्त दर्शन तथा उपनिषदों का भाष्य करते हुए इससे अपने नवीन मत की स्थापना करने का प्रयास किया हैं।

*अतिथि शिक्षक, शासकीय संस्कृत महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)भारत

यद्यपि अद्वैतवादी के इस सिद्धान्त के अनुयायी भी पर्याप्त मात्रा में देखे जा सकते हैं तथापि रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आदि विद्वानों ने अद्वैतवाद के सिद्धान्त को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया तथा द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि मत प्रस्तुत किए हैं। ये सभी मिलकर भी वेद सम्मत नहीं जान पड़ते । इस प्रकार आचार्य शंकर ने यहाँ वैदिक मत की स्थापना करके भारत भूमि के वासियों को ही नहीं अपितु सारे संसार के विद्वत् समाज को वैदिक विचारधारा का सफल परिचय करा दिया वहीं पर अद्वैतवाद सन्देश देकर पूर्व काल के वैदिक ऋषियों की मान्यताओं को अस्वीकार कर दिया । तत्पश्चात् इस विचारधारा पर अपनी सम्मति लिखने का कार्य महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने किया हैं। उन्हें उपर्युक्त अद्वैतवाद का सिद्धान्त किसी कीमत पर भी स्वीकार्य नहीं। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने इस अवैदिक मत अर्थात् 'एक मात्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ भी नहीं' तथा केवल ब्रह्म ही सत्य है और यह जगत मिथ्या है। अपने अमर-ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका तथा वेद भाष्यान्तर्गत अनेक स्थलों पर वेदादि सत्य शास्त्रों, में अनेक प्रमाण दे देकर ब्रह्म, जीव तथा प्रकृति को पृथक-पृथक तत्व दर्शाया है तथा इन तीनों को ही अनादिसिद्ध किया है। वैदिक वाङ्मय के प्रमाणों के साथ-साथ ईश्वर, जीव, प्रकृति के लक्षणों को उद्धृत करते हुए अनेक प्रबल युक्तियों के द्वारा इन तीनों के अनादित्व को प्रत्यक्ष कर दिखाया है। क्योंकि 'लक्षण प्रमाणाभ्यां वस्त सिद्धःनतु प्रतिज्ञा मात्रेण' अर्थात् 'लक्षणों तथा प्रमाणों के द्वारा ही किसी बात की सिद्धि होती है। केवल कथन मात्र से नहीं' दर्शन के इस सिद्धान्त पर घटाये बिना तत्वज्ञान की प्राप्ति कैसे हो ? वेद प्रतिपादित सिद्धान्त को किसी भी प्रकार से त्याज्य नहीं किया जा सकता ।

अर्थकामेश्वसक्तानां धर्म ज्ञानं विधीयते।
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः।।

अर्थात्- अर्थ एवं कामनाओं में अनासक्त व्यक्तियों के लिए ही धर्म का उपदेश किया जाता है। धर्म के जिज्ञासुओं के लिये वेद ही परम प्रमाण है। आचार्य प्रवर महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने इस अद्वैतवाद के प्रकरण को लेकर अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश के सातवें समुल्लास के अन्तर्गत अद्वैतवाद सिद्धान्त के खण्डन में अति विस्तार से उल्लेख किया है तथा ग्यारहवें समुल्लास में भी नवीन वेदान्ती तथा सिद्धान्ती इन पात्रों के माध्यम से पक्ष, विपक्ष को प्रस्तुत करके अद्वैतवाद के सभी बिन्दुओं पर अपनी लेखनी उठाई है। तथा युक्तियों एवं प्रमाणों के द्वारा इस पूरे सिद्धान्त को उपर्युक्त दो समुल्लासों में धराशायी कर दिया है। जीव तथा ब्रह्म की भिन्नता के परिचायक अनेकों मंत्र चारों वेदों में वर्णित हैं यथा -

द्वा सपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनन्श्नन्यो अभिचाकशीति।।(ऋग्वेद)

अर्थात् दो पक्षी जो मिले हुए, सखाभाव वाले एक ही वृक्ष पर रहते हैं। न दोनों में से एक उस वृक्ष के फलों को खाता है तथा दूसरा न खाता हुआ साक्षीभाव से सब ओर से देखता है। प्राचीन ऋषियों के मन्तव्यानुसार यह अलंकार युक्त वर्णन है। दो पक्षी अर्थात् एक जीव तथा दूसरा ब्रह्म(परमात्मा) है। दोनों ही एक साथ मित्र भाव से सृष्टि रूपी पेड़ पर रहते हैं अर्थात् दोनों ही इस सृष्टि में हैं। इन दोनों में से एक अर्थात् 'जीव' सृष्टि रूपी पेड़ के फलों अर्थात् सूर्य, चन्द्र नक्षत्र, जल, वायु, पहाड़, समुद्र, नदियां, नाना प्रकार के फल, फूल वनस्पतियां तथा औषधियाँ आदि अनेक पदार्थो का उपभोग करता है। परन्तु जो दूसरा है वह न खाता हुआ केवल देखता है। इससे बिलकुल स्पष्ट है परमात्मा तथा जीवात्मा दोनों ही पृथक-पृथक तत्व हैं। तीसरा तत्व है परमाणु रूप 'प्रकृति'। यह सर्वथा जड़ होने से विकृति को प्राप्त होता हैं परमात्मा की व्यवस्था से प्रकृति परमाणुओं के संधात होकर विकृति को प्राप्त होता हैं। परमात्मा की व्यवस्था से प्रकृति परमाणुओं के संघात होकर विकृत एवं स्थूल से स्थूलतर होती हुई उपर्युक्त पदार्थो का रूप धारण करती है। पुनः एक अवधि के उपरान्त सूक्ष्मतरता को प्राप्त होती हुई अपने मूल परमाणु रूप को धारण करती है। यह परिवर्तनशीलता का क्रम कभी समाप्त नहीं होता । मूलतः 'प्रकृति' में अनादित्व स्वतः सिद्ध है।

महर्षि दयानन्द सरस्वती की इस वैदिक मान्यतानुसार जगत के तीन अनादि कारण हैं। परमात्मा सृष्टि का निमित्त कारण है तथा प्रकृति सृष्टि का उपादान कारण है। जीवात्मा उपभोक्ता हैं इन तीनों को पृथक-पृथक न मानने से सृष्टि की उत्पत्ति तथा नियमित संचालन कभी नहीं हो सकता । जिस प्रकार से एक घड़ा भी तीनों के बिना अस्तित्व में कभी नहीं आ सकता। 'निमित्त कारण' जो बनाने वाला कुम्हार है, 'उपादान कारण' वह पदार्थ जिसमें घड़ा बनता है अर्थात् मिट्टी। तीसरा उस घड़े का उपभोक्ता अर्थात् घड़े को प्रयोग में लाने वाला व्यक्तित्व। इन तीनों को एक ही काल में स्वतंत्र अस्तित्व वाला होना चाहिये। इस प्रकार महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतिपादित 'त्रैतवाद' का सिद्धान्त ही वेदानुकूल है। वेद अपौरूषेय, ईश्वरोक्त एवं स्वतः प्रमाण होने से सर्वथा, सर्वदा प्रामाणिक तथ्यों पर आधारित है। सबके लिये यही स्वीकार्य होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

रामचरित मानस और गीता में सन्तों के लक्षण

डॉ. मधुसूदन चौबे *

प्रस्तावना – श्रीमद् भगवद् गीता और रामचरित मानस भारतीय मेधा की विष्व को अनुपम देनें हैं। भारतीय जीवन प्रणाली का आधार स्तम्भ और प्रकाष स्तम्भ के रूप में शताब्दियों से अपनी उपादेयता सिद्ध करते ये दोनों दिव्य ग्रंथ सम्पूर्ण विश्व के लिए बहुमूल्य हैं। अनेक भाषाओं में अनूदित होकर भारतीय वाड.मय की दोनों अनुपम कृतियाँ पूरे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैला रही हैं। इनमें अनेक विषयों का समावेश है। सन्तों के लक्षणों पर भी उच्च कोटि के विचार मिलते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में मानस तथा गीता में उल्लिखित सन्तों के लक्षणों की विवेचना की गई है।

रामचरित मानस में सन्त के लक्षण – श्री रामचरित मानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में सोलहवीं शताब्दी में की है। इसमें सन्तों के लक्षण के सम्बंध में अनेक स्थानों पर उल्लेख आया है।

संतन के लच्छन रघुबीरा। कहहु नाथ भव भंजन भीरा।।
सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहउँ। जिन्ह ते मैं उन्ह कें बस रहहूँ।।[1]

हे रघुवीर! हे भव-भय का नाश करने वाले मेरे नाथ! अब कृपाकर सन्तों के लक्षण कहिये। (श्रीराम ने कहा) हे मुनि! सुनो, मैं सन्तों के गुण कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ।

षट बिकार जित अनघ अकामा। अचल अकिंचन सुचि सुखधामा।।
अमितबोध अनीह मितभोगी। सत्य सार कबि कोबिद जोगी।।[2]

वे सन्त (काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर-इन) छ: विकारों को जीते हुए, पापरहित, कामनारहित, निश्चल, अकिंचन, बाहर-भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छारहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, विद्धान, योगी,।।

सावधान मानद मदहीना। धीर धर्म गति परम प्रबीना।।[3]

सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमानरहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण।

गुनागार संसार दुख रहित बिगत संदेह।
तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहुँ देह न गेह।।[4]

गुणों के घर, संसार के दु:खों से रहित और सन्देहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरणकमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है, न घर ही।

निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं। पर गुन सुनत अधिक हरशाहीं।।
सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती। सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती।।[5]

कानों से अपना गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते। सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं।

जप तप ब्रत दम संजय नेमा। गाुरू गोबिंद बिप्र पद प्रेमा।।
श्रद्धा छमा मयत्री दाया। मुदिता मम पद प्रीति अमाया।।[6]

वे जप, तप, व्रत, दम, संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु, गोविन्द तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है।

बिरति बिबेक बिनय बिग्याना। बोध जथारथ बेद पुराना।।
दंभ मान मद करहिं न काऊ। भूलि न देहिं कुमारग पाऊ।।[7]

तथा वैराग्य, विवेक, विनय विज्ञान (परमात्मा के तत्व का ज्ञान) और वेद-पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दम्भ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते।

गावहिं सुनहिं सदा मम लीला। हेतु रहित परहित रत सीला।।
मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते। कहि न सकहिं सारद श्रुति तेते।।[8]

सदा मेरी लीलाओं को गाते-सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि! सुनो, सन्तों के जितने गुण हैं, उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते।

जड़ चेतन गुन दोषमय बिस्व कीन्ह करतार।
सन्त हंस गुन गहहिं पय परहरि बारि बिकार।।[9]

विधाता ने इस जड़-चेतन विश्व को गुण-दोषमय रचा है। किन्तु, सन्तरूपी हंस दोषरूपी जल को छोड़कर गुणरूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं।

सन्त सहहिं दुख परहित लागी। पर दुख हेतु असंत अभागी।।
भूर्ज तरू सम सन्त कृपाला। पर हित निति सह बिपति बिसाला।।[10]

सन्त दूसरों की भलाई के लिये दु:ख सहते हैं और अभागे असन्त दूसरों को दु:ख पहुंचाने के लिये होते हैं। कृपालु सन्त भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिये भारी विपत्ति सहते हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता में सन्त के लक्षण – श्रीमद्भगवद्गीता महाभारत ग्रंथ का अंश है। इसकी रचना वेद व्यास जी ने की है।

श्रीमद्भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय 'गीता का सार' में स्थितप्रज्ञ के नाम से सन्त के लक्षण बताये गये हैं।

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्।
आत्मन्येवात्मना तुष्ट: स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते।। 55।।
दु:खेष्वनुद्विग्नमना: सुखेषु विगतस्पृह:।
वीतरागभयक्रोध: स्थितधीर्मुनिरुच्यते।। 56।।
य: सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्वत्प्राप्य शुभाषुभम्।
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।। 57।।
यदा संहरते चायं कूर्मोंगांनीव सर्वष:।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।। 58।।[11]

जो मनुष्य मन की सब कामनाएँ छोड़ देता है और अपने से ही अपने में संतुष्ट हुआ रहता है वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। जो दु:ख में उद्विग्न नहीं

* सह प्राध्यापक (इतिहास) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

होता, सुख प्राप्त करने के फेरे में नहीं पड़ता और राग, भय तथा क्रोध को छोड़ चुका है वही स्थिर बुद्धि है। जो किसी से स्नेह नहीं रखता और अच्छी वस्तु प्राप्त होने पर दु:खी नहीं होता, वही स्थितप्रज्ञ है। जैसे कछुआ अपने सब अंग भीतर समेट लेता है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जो सब इच्छाओं को छोड़कर नि:स्पृह, ममत्वहीन और निरहंकार होकर विचरण करता है, उसे ही शांति मिलती है। वही शान्त चित्त वाला पुरुष ही सन्त है।

श्रीमद्भगवद्गीता के बारहवें अध्याय 'भक्तियोग' में श्री कृष्ण प्रिय भक्त के नाम से सन्त के निम्नांकित लक्षण बताते हैं-

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र: करुण एव च।
निर्ममो निरहंकार: समदु:खसुख: क्षमी।। 13।।
सन्तुष्ट: सततं योगी यतात्मा दृढनिष्चय:।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्त: स मे प्रिय:।। 14।।
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्ना द्विजते च य:।
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो य: स च मे प्रिय:।। 15।।
अनपेक्ष: शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ:।
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्त: स मे प्रिय:।। 16।।
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्.क्षति।
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य: स मे प्रिय:।। 17।।
सम: शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो:।
शीतोष्णसुख-दु:खेषु सम: संगविवर्जित:।। 18।।[12]

अर्थात् किसी भी प्राणी से बैर न करनेवाला, सबसे मित्रता करने वाला, सब पर दया करने वाला, ममत्वहीन, निरहंकार, सुख-दु:खों को समान समझने वाला, क्षमाशील, निरन्तर सन्तुष्ट, एकाग्र मन वाला, संयमी, दृढ़ संकल्प वाला, सदा मुझमें (भगवान में) मन और बुद्धि लगाए रखने वाला, किसी को क्रोध, भय और उद्वेग से मुक्त, कामनाहीन, पवित्र, चतुर, उदासीन, व्यथा से परे, सब कार्यों का आरम्भ छोड़ देने वाला भक्तियुक्त, शत्रु-मित्र का भेद न रखने वाला, मान-अपमान को समान समझने वाला, गर्मी-सर्दी और सुख-दु:ख को एक सा मानने वाला, किसी से कोई लगाव न रखने वाला, निन्दा और स्तुति से प्रभावित न होने वाला, सदा मौन रहने वाला, सभी दशाओं में सन्तुष्ट, कहीं घर बनाकर न रहने वाला और स्थिर बुद्धिवाला मेरा भक्त मनुष्य ही मुझे प्रिय है।

उपसंहार - इस तरह दोनों महान कृतियां सन्तों के लक्षणों में उदात्त गुणों को समाविष्ट करती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जैसे विकारों से मुक्त सरल-सहज जीवन व्यतीत करते हुए मानव कल्याण में रत रहने वाले सन्तगण अभिमानरहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण होते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. **श्रीरामचरितमानस**, रचयिता- गोस्वामी तुलसीदास, टीकाकार- हनुमानप्रसाद पोद्दार, प्रकाशक- गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण- सं. 2054., पृष्ठ-535.
2. **वही,** पृष्ठ-535.
3. **वही,** पृष्ठ-536.
4. **वही,** पृष्ठ-536.
5. **वही,** पृष्ठ-536.
6. **वही,** पृष्ठ-536.
7. **वही,** पृष्ठ-536.
8. **वही,** पृष्ठ-536.
9. **वही,** पृष्ठ-536.
10. **वही,** पृष्ठ-536.
11. **श्रीमद्भगवद्गीता**, रचयिता- वेदव्यास, टीकाकार- ए. सी. भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद, प्रकाशक- भक्ति वेदान्त बुक ट्रस्ट, मुबई, संस्करण- 2006., पृष्ठ-98-100
12. **वही,** पृष्ठ-648-58.

****

शासक पुलिस को जनता पुलिस बनाने की आवश्यकता हैं!

डॉ. भंवरलाल चौधरी*

प्रस्तावना – देश में लूट, अपहरण, डकैती, हत्या, ठगी, बलात्कार, महिलाओं से छेड़छाड़, तथा नकबजनी, इत्यादि अपराधों में दिनों दिन तक बढ़ोतरी एवं पुलिस प्रशासन द्वारा इन नियंत्रण रखने में असफलता के आरोप, रिश्वतखोरी की वजह से पुलिस कर्मियों की छवि जनता में आक्रोश और अविश्वास का भाव पैदा करती हैं। वर्तमान में पुलिस प्रशासन की छवि सकारात्मक कम और नकारात्मक अधिक दिखाई देती हैं। और इसी वजह से कानून और व्यवस्था स्थापित करने वाली पुलिस व्यवस्था अलोचना के घेरे में आती है। सामान्य शब्दों में कहें तो जनता के बीच पुलिस संगठन की छवि आदर्श रूप से कमतर ही रही है। इसी कारण पुलिस से आम जनता दूर भागती है या भय खाती है।

ऐतिहासिक दृष्टि से पुलिस संगठन की मौजूदगी का एक तथ्य ही नही वरन् समाज की सामाजिक आवश्यकता है। पुरातन काल से ही समाज में पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता एवं प्रसांगिकता रही है। वर्तमान समय में पुलिस प्रशासन की आवश्यकता और अधिक बढ़ गयी है । किंतु पुलिस के सम्बन्ध में आमजन के मानस पर एक विचित्र विरोधाभासी स्थिति पायी जाती है। जहाँ एक ओर सामान्य अवसरों पर पुलिस कर्मियों की परिस्थिति का कोई स्वागत नहीं किया जाता तथा जनसामान्य की मान्यता यह होती है कि ईश्वर बचाये पुलिस से वहीं दूसरी ओर जब लोग किसी विपदा में पड़ जाते है तो पुलिस मदद बड़ी ही तत्परता से खोज की जाती है तथा उससे सहायता की उम्मीद की जाती है। यहां के प्रबुद्ध वर्ग और समझदार लोग भी उसे घृणा की दृष्टि से देखते है। वर्तमान समय में पुलिस ने अपनी कार्य प्रणाली विशेष एवं कार्य शैली विशेष के कारण अपनी साख खराब कर ली है कि जन सामन्य का उस पर विश्वास ना के बराबर रह गया हैं। अनेक बार पुलिस के कार्यो को चाहे वे कितने ही सद्–उद्देश्य से क्यों न किये गये हों, उन्हें सदेंह की दृष्टि से देखा जाता हैं।

आमजन की यह सोच है आपराधिक तत्वों और समाज के आन्दोलनकारियों से निपटने के लिए पुलिस कोई कारगर एवं सक्रिय कदम नहीं उठाती और उन्हें दबाने में सर्वथा असर्मथ रही है। इसी कारण पुलिस को भ्रष्टाचारी और भेदभाव युक्त समझा जाने लगा है। आमतौर पर विश्वास किया जाता है कि पुलिस –

1. अभद्र और अव्यावहारिक है
2. असहायक है,
3. मानसिक रूप से अपरिपक्व है
4. बेईमान और असामाजिक तत्वों से मिली हुई है, और
5. मारपीट करने तथा झूठे केस बनाने की अभ्यस्त है

अत: ऐसी बातों से ही पुलिस घृणा का पात्र बनती हैं। जनता का मानना है कि पुलिस प्रशासन विनम्रता और सौम्य भाषा से पूर्णत: अन्जान है और जनसाधारण से कैसा व्यवहार किया जाए, उसका कोई उसे कोई ज्ञान नहीं है। वह अत्याचारी पुलिस है। यदि किसी व्यक्ति का सम्बन्ध तथाकथित बडे लोगों से है तो पुलिस उसके सामने नतमस्तक रहेगी और यदि किसी व्यक्ति का कोई सहारा नहीं है तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। पुलिस थानों पर गाली–गलौच, मारपीट, थर्ड डिग्री साधनों के प्रयोग से होने वाली मौतों से दैनिक समाचार पत्रों के हेड़लाइन बनती देखी जाती है। महिलाओं के साथ पुलिस थानों में छेड़छाड़, बलात्कार एक सामान्य बात रह गयी है। अत: पुलिस का व्यवहार न तो हितकर है, न ही मित्रवत् और जब आप किसी चोरी अथवा नकबजनी अथवा अन्य किसी अपराध को रिपोर्ट लेकर पुलिस कर्मियों के पास जाते हैं तो हमसें रूढ़ व्यवहार करते हैं। संक्षेप में पुलिस बुरे लोगों की मित्र और अच्छे लोगों की शत्रु मानी जाती हैं।

सभी राज्यों के पुलिस सुधारों के प्रतिवेदन इन तथ्यों से भरे पडे है। इनका अध्ययन करने पर यह सामने आता है कि पुलिस की निष्क्रियता, दुराचार और जन विरोधी प्रवृत्ति के चार प्रमुख कारण है–

1. मंत्री, जनप्रतिनिधि और निर्वाचित प्रतिनिधि, जो शासक है, पुलिस से अवैध कार्य करवाते हैं।
2. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों के साथ अनुशासन के नाम पर दुर्व्यवहार करते हैं।
3. न्यायपालिका को पुलिस के समक्ष भी अनेक कठिनाईयों का सामना करना पडता हैं।
4. सामान्य जन पुलिस में विश्वास नहीं रखता और उसे शासकों की स्वामी भक्त पुलिस मानता हैं।

समाज में पुलिस की छवि और पुलिस की नजरों में समाज की छवि लोकतांत्रिक संवाद चाहती हैं हमें उन परिस्थितियों को भी जानना होगा कि आखिर पुलिस कर्मी इस तरह का व्यवहार जनता के साथ क्यो करते है। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस का अपना मत है कि चाहे राष्ट्र में आम चुनाव हो, या किसी विशिष्ट अतिथि का आगमन, या कोई धार्मिक त्यौहार हो या यातायात नियंत्रण का कार्य, पुलिसकर्मी को 24 घण्टे ड़्यूटी पर लगा रहना होता है, इनके कार्य के कोई निश्चित घण्टे नही है। इस पर पुलिसकर्मियों की प्रतिक्रिया है कि हमारी भी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती होगी, उसे कोई भी नहीं समझता है, हमारी समस्याओं, आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता कोई भी आमजन, लोकसेवक, या राजनेता यह नहीं सोचता कि आखिर पुलिसकर्मी इस प्रकार का व्यवहार करते है इसके पीछे क्या कारण हो सकते है। उन कारणों के समूल उन्नमूलन की दिशा में कोई भी नहीं सोचता, उनके उन्मूलन निष्पादन तो बहुत दूर की बात है।

* PDF (राजनीति विज्ञान) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.) भारत

पुलिसकर्मियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें 'चमचे', 'ठुल्ले' आदि कहा जाता है। चाहे लोग अन्य मामलों में कितना भी मतभेद रखते हों, पुलिस की बुराई करने में एकमत हो जाते हैं। अत: पुलिसकर्मियों के साथ भी जनता द्धारा दुर्व्यवहार किया जाता हैं। इसका परिणाम होता है कि पुलिसकर्मी कुछ समय सेवा में रहते हुए जनता के प्रति निष्ठूर बन जाता है और जन सेवा के प्रति उदासीन व्यवहार करता हैं। पुलिसकर्मियों की दृष्टि में पुलिसमैन समाज का मित्र होता हैं शत्रु नहीं, उसका अस्तित्व समाज की स्वीकृति से है। कतिपय कुछ पुलिसकर्मियों के दुर्व्यव्यवहार को लेकर पूरे पुलिस विभाग पर दोषारोपण करना सही नहीं हैं।

पुलिस सदैव कट्टरपंथी, गुण्डागर्दी और अपराधी माहौल में जीता है और इन्हीं तत्वों से उसका सामना करना पड़ता है ताकि कानून का पालन करने वाले नागरिक शांतिपूर्वक रह सकें और अपने व्यक्तिगत अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का पालन कर समाज का सभ्य नागरिक बन सकें।

भारत देश में औद्योगीकरण तथा शहरीकरण में हो रही बढ़ोतरी के कारण अभूतपूर्व गतिशीलता दिखाई देती है। देहाती क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों की ओर लोगों के निरन्तर पलायन के कारण ऐसे क्षेत्रों का फैलाव होता जा रहा है। जहां आपराधिक मनोबल फलने – फूलने के अवसर मिलते है। देहाती क्षेत्रों के कुछ पढे लिखे तथा समझदार लोगों के बाहर निकल जाने के कारण देहातों में एक प्रकार के अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

शहरी जीवन के विभिन्न आकर्षण लोगों की भीड़ इकट्ठी करते जा रहे है जिससे आपसी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा बढती जा रही है। इसके फलस्वरूप जहां एक ओर आपसी झगडे और हिंसा बढ़ जाती हैं, वहीं दूसरी ओर अपराधों का ग्राफ बढ़ता है। इससें पुलिस के आगे ओर समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन को अधिक सर्तक और सावधान रहने की तथा उचित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता हैं। इस प्रकार पुलिस प्रशासन को समाज में हो रहे सामाजिक बदलावों के साथ–साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता हैं। पुलिस को बदलते समाज के विभिन्न पहलुओं और महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी की भी आवश्यकता हैं। ऐसा होने पर ही पुलिस सामाजिक परिवर्तन में ही सही रूप में प्रभावी ढंग से अपना योगदान दे सकेगी।

भारत में पुलिस प्रशासन एक लोकतांत्रिक दर्शन चाहता है। इस दर्शन में **'कम्युनिटी पुलिस'** समाज से तभी जुड़ सकेगी जब पुलिस की कोई नई जवाबदेह व्यवस्था पूरे देश में लागू की जा सकेगी। इस प्रकार हमारी सरकार कुछ ऐसे सुधार पुलिस व्यवस्था में करें जिससे हमारी पुलिस जनता की प्रतिनिधि पुलिस बन सके और जनता इन पुलिसकर्मियों को दिल से सैल्यूट करना सीखें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) October to December 2019, Vol. I

हिन्दी कथा साहित्य में ग्रामीण आर्थिक जीवन

डॉ. आर. एस.वाटे *

प्रस्तावना – आधुनिक काल में अर्थ का सबसे महत्वूर्ण स्थान है। वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन में अर्थ ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थाभाव के कारण व्यक्ति और समाज का विकास नहीं होता। समाज की जीवन प्रक्रिया उस समाज की आर्थिक स्थिति पर निर्भर रहती है। आर्थिक स्थिति के उत्तर-चढ़ाव के कारण सामाजिक जीवन में परिवर्तन होता है और उसमें असंतुलन निर्माण हो जाता है। इससे समाज का ढाँचा असंतुलित रहता है। अर्थ ही महत्वपूर्ण बनने से लोग उसकी प्राप्ति के लिए अनीति, अत्याचार, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी और बेईमानी करते हैं। इससे समाज में अनीति, बेईमानी, आनादर, अत्याचार बढ़ते हैं। परिणामत: सामाजिक स्तर बिगड़कर लोगों को अनेक कठिनाइयों और संकटों को झेलना पड़ता है।

आजादी के पहले विदेशी शासक ने देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कोशिश की, किन्तु उसमें सफलता नहीं मिली। भारतीय ग्रामों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इससे गरीबी, बेरोजगारी बढ़ती गई और सेठ-साहूकार तथा पूँजीपतियों से सामान्य लोगों का शोषण हुआ। आजादी के बाद हमारी अपनी सरकार आई। सरकार जानती थी कि भारत कृषि प्रधान देश है और 70 प्रतिशत लोग ग्रामों में रहते हैं। वे खेती पर ही अपनी जीविका चलाते हैं। अत: देश को विकसित करना है तो खेती में सुधार करना चाहिए। इसलिए सरकार ने ग्रामों के विकास के लिए अनेक योजनाएँ और प्रकल्प शुरू किए। इसके साथ लोगों के विकास के लिए, उनकी गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू किए। किन्तु सरकारी योजनाओं और प्रकल्प ग्रामों तक नहीं पहुंचे। गरीब, असहाय तथा बेरोजगारों को जो मदद दी जा रही थी वह उन तक नहीं पहुंचती। उनका लाभ पूँजीपति, जमींदार, नेता और सरकारी अधिकारियों ने उठाया। नेता, सरकारी अधिकारी एवं भ्रष्ट लोगों ने भ्रष्टाचार कर सामान्य लोगों को मिलने वाली मदद हड़प कर ली। इससे गरीबी और अभावों से पीड़ित सामान्य लोगों का शोषण होने लगा। स्वार्थी वृत्ति के कारण मानवीय मूल्य, नैतिकता, आदर्श आदि का पतन हुआ। लोगों में ईर्ष्या, द्वेष भावना, बेईमानी इतनी बढ़ गई की लोग एक-दूसरे के दुश्मन बन गए। इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार अर्थ ही है। अर्थ की प्राप्ति के कारण ही लोगों में इतना परिवर्तन हुआ और भारत के ग्रामों की जिन्दगी में परिवर्तन हो गया।

कथाकारों ने आजादी के पहले और आजादी के बाद ग्रामों और ग्रामीण लोगों की स्थिति को नजदीक से देखा है। उनके जीवन में आए उतार-चढ़ाव देखे हैं। विशेषत: आजादी के बाद सरकार द्वारा ग्रामों के विकास के लिए किए गए प्रयास और नेताओं तथा सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार और उससे उत्पन्न स्थिति को भी नजदीक से देखा है। इसलिए ग्रामीण जीवन के आर्थिक पक्ष के अन्तर्गत ग्रामों की गरीब, बेरोजगारी, नगरोन्मुखता, शोषण आदि समस्याओं का उन्होंने अपने कथा साहित्य में कैसे चित्रण किया है, यहाँ दृष्टव्य है।

जैसा कि विहित है कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ निवास करने वाले अधिकांश लोग ग्रामों में रहते हैं उनका जीवन खेती पर निर्भर रहता है और खेती बारिश पर। कभी-कभी समय पर बारिश न होने से या भारी वर्षा से फसलें, जानवर, मकान आदि की बर्बादी होती है। इसका गहरा असर ग्रामीण लोगों के जीवन पर पड़ता है। गरीब मजदूर और किसानों को तथा छोटे-छोटे व्यवसाय करने वालों को गरीबी के कारण जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसी हालत में उन्हें मजबूर होकर जेवर बेचने पड़ते हैं, सेठ-साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है। उसे चुकाते-चुकाते उनकी अनेक पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं। पूँजीपति, जमींदार, सेठ-साहूकार आदि उनकी मजबूरी का लाभ उठाते हैं। गरीबी के कारण वे इसे चुपचाप सह लेते हैं।

भारत के ग्रामों की गरीबी का एक और कारण यह है कि लोग परम्परागत पद्धति से खेती करते हैं। इससे खेती से अधिक उत्पादन नहीं मिल रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। ग्राम और खेती में सुधार के लिए सरकार ने अनेक योजनाएँ और प्रकल्प शुरू किए हैं किन्तु उनकी कार्यवाही सही ढंग से न होने से और नेता तथा सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार से उनके लाभ उन्हें नहीं मिल रहे हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। औद्योगीकरण से ग्रामों में चलने वाले छोटे-छोटे व्यवसाय बन्द हो गए और लोग बेकार हो गए। इस तरह खेती के उत्पाद न की अनिश्चितता, परम्परागत ढंग से खेती करने की पद्धति, ग्रामों के सुधार संबंधी सरकारी योजनाओं की असफलता तथा छोटे-छोटे व्यवसाय बन्द होना आदि से ग्रामों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। कथाकारों ने ग्रामीण लोगों की गरीबी और उससे निर्माण होने वाली समस्याओं को नजदीक से देखा है अनुभव किया है। इसलिए उन्होंने स्वानुभव से ग्रामीण लोगों की गरीबी का अपने कथा साहित्य में किस तरह चित्रण किया है जो देखने योग्य है।

ग्रामीण लोगों की गरीबी के कई कारण हैं। कुछ लोग पुश्तैनी जायदाद के कारण कुछ नहीं करते और हालत बिगड़ने पर गरीबी की यातनाएँ सहते हैं। 'मनोज जी' कहानी के पंडित गया प्रसाद द्विवेदी के पिताजी जमींदार थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। किन्तु पिता की मृत्यु के पश्चात गया प्रसाद जी के स्वच्छन्दी स्वभाव के कारण जमींदारी चौपट हो गई। बहनों की शादी के लिए खेत बेच दिए। बची हुई खेती से अच्छी उपज नहीं हो रही थी। उनकी आर्थिक हालत बिगड़ती गई। परिवार को भूखा रहना पड़ता था। बच्चों की फीस नहीं भर सकते थे। दवा-दारू के कारण पत्नी तड़प रही थी। पूरा परिवार गरीबी की यातनाओं से त्रस्त था। ग्रामीण लोग गरीबी के लिए किस

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, जैतहरी, जिला-अनूपपुर (म.प्र.) भारत

तरह स्वयं कभी–कभी जिम्मेदार रहते हैं, इसे रामदरश मिश्र ने मनोज जी के उदाहरण से स्पष्ट किया है।

'घर' कहानी के बलराम के पिताजी की मृत्यु हुई थी। परिवार में उनके अलावा मॉ और बड़े भाई थे। मॉ ने गरीबी में दोनों बेटों की पढ़ाई पूरी की थी। बलराम को कलकत्ते में नौकरी मिल गई, भाई खेती करने लगा। इसी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। एक दिन बलराम को अपने बचपन में गरीबी में बिताए हुए दिनों की याद आती है – वे दिन.... वे रातें.... उपास... उपास.... उपास। तिस पर महाजन का तगादा, कुरकी .... बेइज्जती .... तब वह पन्द्रह का हो गया था, भइया अठारह के। काफी खेत रेहन चढ़े हुए थे। जो दो–तीन बीघे बच गए थे उन्हीं से काम चला था।दोनों भाइयों ने मॉ के साथ भूखे रहकर दिन काटे थे। मिश्रजी ने बलराम की गरीबी का बहुत ही यथार्थ चित्रण किया है।

'सड़क' कहानी के मास्टर चन्द्रभान पांडेय को रिटायर होने पर गरीबी के कारण चाय की दुकान खोलनी पड़ी। पाण्डेय जी रिटायर होने पर तीन बीघे कछार की जमीन में खपने लगे। उससे अच्छी उपज नहीं होती थी। आमदनी कम और परिवार का खर्च बढ़ने से कभी–कभी भूखा रहना पड़ता। गरीबी के कारण मास्टर जी के कपड़े, तार–तार हो गये थे। इसलिए मजबूर होकर वे चाय की दूकान खोलकर परिवार की सहायता करना चाहते हैं।

'दक्षिणा' कहानी के माधो की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। गरीबी के कारण वह जीवन से ऊब गया है। स्वर्गवासी पिता के महापात्र के क्रिया–कर्म के समय दान–दक्षिणा के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और पंडितजी दान–दक्षिणा लिए बिना भोजन करने के लिए तैयार नहीं थे। उसे बहुत दुख हुआ। वह अपनी गरीबी के बारे में सोचता है – बचपन से ही उसने जो दुनिया देखी है, उसमें अफाट गरीबी, अपमान और यातना के सिवा पाया क्या है? एक बीघा खेत, उसमें साग–सब्जी उगाते हुए बाबू, माई, बहने और वह। बाद में उसकी बीबी भी। उसने हमेशा बाबू और माई को फटे–पुराने कपड़ों में ही देखा। बहनों को और उसे भी कहॉ अच्छे कपड़े नसीब हुए।

'मुकदमा' कहानी में गरीबी से पीड़ित परिवार का चित्रण किया गया है। गरीबी से कर्ज का बढ़ता हुआ बोझ, रेहन पड़ते खेत, चौधरी की तिजोरी में जाने वाले गहने और बाढ़ से निगलती फसलें इन सब के कारण परिवार की हालत और बिगड़ रही थी।

'कहानी का प्लाट और खलिहान' कहानी में फेंकू की गरीबी का चित्रण किया है। फेंकू लेखक के गॉव का निम्न जाति का गरीब मजदूर है। गरीबी के कारण उसे दो वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। उसकी बेटी पीतल के तसले में खाना लेकर आई थी। गोबर से अनाज निकालकर उसे पीसकर रोटियॉ बनाई थीं। उसे देखकर लेखक ने कहा 'ये जानवर के गोबर में से अन्न निकालकर खाते हैं। फेंकू अभी जो रोटी खा रहा है वह भी गोबरहे में से निकली है। ये जानवर कभी नहीं सुधरें' प्रस्तुत कहानी में फेंकू की गरीबी और उससे उत्पन्न उसकी मजबूरी का चित्रण किया गया है।

आर्थिक दृष्टि से हमारे सामाजिक जीवन में व्याप्त भयंकर असमानता का उल्लेख भी मोहनदास शीर्षक कहानी में हुआ है। दिल्ली, मुम्बई, लखनऊ जैसे महानगरों में प्रोफेसर से लेकर मामूली फोटोग्राफर तक प्रतिमाह पैसठ–पचहत्तर हजार रुपये पा रहे हैं जबकि गॉवों या कस्बों में मेहनत–मशक्कत करने वालों को चार सौ रुपये की नकदी जुटाने में महीनो लग जाता है।

कमोवेश आज भी बहुत से ऐसे गॉव हैं जहॉ गरीबी के कारण पेट की आग बुझाने हेतु लोग बड़े किसानों के खलिहानों से गेहूॅ मिजाई के समय बैलों के गोबर को इकट्ठा कर नदियों में धोकर गेहूॅ निकालते हैं और वे इसे खाने के लिए प्रयोग करते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था की पोल खोलने में समर्थ है। अपितु कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी अपने देश के गॉवों अत्यधिक गरीबी एवं दैन्यता अपने पंजे फैलाये मुॅहबायें खड़ी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ0 रामलला शुक्ल – कौटिल्य, पुस्तक की भूमिका से
2. लाल जी गौतम – गॉव–देश, 2007
3. बेनीबहादुर सिंह – ग्रामीण जन–जीवन की यातनाऍ, आलेख, संकलित विन्ध्य वैभव, 2008,
4. रामदरश मिश्र – इकसठ कहानियॉ

****

दलित साहित्य में आत्मकथा लेखन

हेमलता*

प्रस्तावना – हिन्दी साहित्य में आत्मकथा लेखन की लंबी परम्परा रही है। परन्तु दलित साहित्य में आत्मकथा लिखने के लिए बहुत हिम्मत की आवश्यकता है। उस लेखन मे तटस्थता, ईमानदारी, स्पष्टवादिता, प्रमाणिकता, निर्ममता और बेबाकपन सब मौजूद होना चाहिए। आत्मकथा के बहाने लेखक अपने सम्पूर्ण जीवन का पुनरावलोकन करता है। दलित साहित्य में आत्मकथा लेखन डॉ0 भगवानदास की 'मैं भंगी हूँ' प्रकाशित हुई। उसके बाद श्री मोहनदास नेमिशराय की 'अपने-अपने पिंजरे' (1995) तथा 'अपने-अपने पिंजरे' (भाग-2) 2000 में आई, श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि की 'जूठन' (1997), कौशल्या बैंसत्री की 'दोहरा अभिशाप' (1999), के0 नाथ 'तिरस्कार' (1999), डी0आर0 जाटव 'मेरा सफल मेरी मंजिल' (2000), सूरज पाल चौहान 'तिरस्कृत' (2002), माता प्रसाद गुप्त 'झोपड़ी से राजभवन' (2002), डॉ0 श्यौराज सिंह बैचेन की 'चमारका', मेरा बचपन मेरे कन्धों पर (2009) प्रमुख रही है। इन सभी आत्मकथाओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी 'मी कसा झाला' (मैं कैसे बना) का रहा है। इन चिन्तकों ने भोगे हुए यथार्थ के द्वारा समाज की संवेदना, जाति विशेष दलितों पर समाज द्वारा किया गया शोषण, घूरे समुदाय या समाज द्वारा अपमान या अवहेलना का बारीकी से चित्रण किया।

दलित साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा 'जूठन' में सवर्ण समाज की विभिन्न परतों को उघाड़ा गया है। आत्मकथा का प्रारम्भ देता है वहाँ के वातावरण से 'चारो तरफ गंदगी भरी होती थी। ऐसी दुर्गन्ध कि मिनट भर में साँस घुट जाए। तंग गलियों मे घूमते सुअर, नंग-धड़ंग बच्चे, कुत्तो, रोजमर्रा के झगड़े, बस यह था वह वातावरण जिसमें बचपन बीता। इस माहौल में यदि वर्ण व्यवस्था को आदर्श-व्यवस्था कहने वालों को दो-चार दिन रहना पड़ जाए तो उनकी राय बदल जाएगी। इस कथन के द्वारा जाना सकता है कि दलित समाज की नरकीय जीवन-जीने के लिए मजबूर रहते हैं। आत्मकथा 'जूठन' में लेखक ने दलित समाज के अनेक ज्वलंत मुद्दों को उठाया है। इसमें से बेगारी-व्यवस्था का मार्मिक वर्णन 'जूठन' में देखने को मिलता है। घर में भरा पूरा परिवार है अर्थात् पांच भाई, एक बहन, दो चाचा और एक ताऊ का परिवार है। चाचा और ताऊ अलग-अलग रह रहे हैं। घर के सभी सदस्य कुछ न कुछ काम करते हैं लेकिन फिर भी यह परिवार भर-पेट भोजन नहीं कर पाता हैं। कारण मेहनत न करना नहीं, बल्कि सवर्ण समाज की मानसिकता है। वह खेती-बाड़ी, घर में शादी-ब्याह और रोजमर्रा के दैनिक कार्यो को अछूतों से मामूली मजदूरी पर करवाते है। लेखक ने अपनी 'जूठन' में गेहूँ की और चने की फसल की कटाई का जिक्र करते है। वह लिखतें है 'कटाई करने वाले अधिकतर चूहड़े या चमार ही होते थे, जिनके तन पर कपड़े केवल नाम के होते थे। पांव में जूता होने का तो सवाल ही नहीं होता था। नंगे पाँव फसल कटने तक बुरी तरह घायल हो जाते थे। हर वर्ष सवर्ण समाज दलितों को मेहनताना ज्यादा देने का वादा करते है लेकिन बाद में कंजूसी करते हैं- 'फसल-कटाई को लेकर अक्सर खेतों में हुज्जत चलती रहती थी। मजदूरी देने में ज्यादातर तगा कंजूसी बरतते थे। काटने वालों की मजबूरी थी। जो भी मिलता था थोड़ी बहुत ना-नुकर के बाद लेकर घर लौट आते थे। घर आकर कुढ़ते रहते या तगाओं को कोसते रहते। लेकिन भूख के समाने विरोध दम तोड़ देता था।

भारतीय हिन्दू समाज में अछूतों को इन्सानियत का दर्जा नहीं दिया जाता है, इसलिए उनको अस्पृश्य बना कर रखा गया। 'अस्पृश्यता का ऐसा माहौल कि कुत्तो-बिल्ली, गाय भैंस को छुना बुरा नहीं था लेकिन यदि चूहड़े का स्पर्श हो जाए तो पाप लग जाता था। सामाजिक स्तर पर इन्सानी दर्जा नहीं था। वे सिर्फ जरूरत की वस्तु थे। काम पूरा होते ही उपयोग खत्म। इस्तेमाल करो और दूर फेको।' 'यूज एंड थ्रो' वाली वस्तु की हम कद्र नहीं करते हैं। इसलिए हम उनके प्रति स्नेह या कोई मानवीय भावना रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। 'जूठन' में वाल्मीकि ने जिक्र किया है कि 'नाम लेकर पुकारने की किसी को आदत नहीं थी। उम्र में बड़ा हो तो 'ओ चूहड़े' बराबर या उम्र में छोटा है तो 'अबे चूहड़े के' यही तरीका या संबोधन था। यानि अस्पृश्यों को बचपन से ही अपमानित करना शुरू कर दो जिससे कि अपमान सहने की परम्परा में ढल जाए।

ओम प्रकाश वाल्मीकि का जीवन संघर्ष भी बचपन से ही शुरू हो गया। उनके पिता ने उन्हें अक्षर ज्ञान तो मास्टर सेवक राम मसीही से दिला दिया। परन्तु स्कूल जीवन की शुरूआत न केवल शारीरिक यातना बल्कि मानसिक यंत्रणा से होकर गुजरती है। पिता काफी मेहनत जी हजूरी के बाद उनका दाखिला बेसिक स्कूल में करवा देते है। जहाँ उन्हें आरम्भ से ही 'अछूत' होने का एहसास दिला दिया जाता है। कक्षा में बैठने की जगह नहीं दी जाती- 'कभी-कभी तो एकदम दरवाजे के पीछे बैठना पड़ता था। जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले पड़ जाते थे।' यही शारीरिक यातना का सिलसिला खत्म नहीं हुआ क्योंकि सवर्ण गुरू उन्हें कक्षा में पढ़ने ही नहीं देना चाहते थे। वह तरह-तरह के हथकंडे अपनाते जिससे कि अछूत स्कूल से भाग जाए। मास्टर कलीराम को जब पता चलता है कि वह चूहड़ा है तो उससे सारे स्कूल में झाडू लगवाते हैं। यह कार्यक्रम लगातार चलता है जिससे कि वह कक्षा में न बैठ सके। पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरते हैं तो उन्हें स्कूल के बरामदे झाडू लगाते यह देखकर क्रोधित हो जाते है। तो हेडमास्टर ने तेज आवाज में कहा था ले जा इसे 'यहां..... चूहड़ा होके पढ़ने चला है..... जा चला जा.... नहीं तो हांड-गोड़ तुड़वा दूंगा।' समाज की मानसिकता भी यही है कि अछूत शिक्षित न हो सके जिससे कि वह अपने विषय में सजग हो सके। समाज के

* सहायक प्रोफेसर (हिन्दी) वीरांगना रानी अवन्तीबाई लोधी महिला राजकीय महाविद्यालय, बरेली (उ.प्र.) भारत

कथित ठेकेदार या सवर्ण लोगों से शिकायत करते है तो जबाव मिलता है– 'क्या करोगे स्कूल भेजके' या कौवा भी कभी हंस बण सकै', 'तुम अनपढ़ लोग क्या जाणो, विद्या ऐसे हासिल नहीं होती।' अरे! चूहड़े के जाकत कू झाडू लगाने कू कह दिया तो कोण सा जुल्म हो गया', या फिर झाडू ही तो लगवाई है, द्रोणाचार्य की तरियो गुरू–दक्षिणा में अंगूठा तो नहीं माँगा 'आदि–आदि।' अर्थात् अछूत है तो केवल सवर्णों की सेवा ही करना उसका एकमात्र परम धर्म होना चाहिए।

'अस्पृश्यता' भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता है। इसका दंश हर–पल अछूतों को सहना पड़ता है–'स्कूल में प्यास लगे तो हैंडपम्प छूने पर बवेला हो जाता था। लड़के तो पीटते ही थे। मास्टर लोग भी हैंडपम्प छूने पर सजा देते थे। तरह–तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे ताकि मैं स्कूल छोड़कर भाग जाऊँ, और मैं भी उन्हीं कामों में लग जाऊँ, जिनके लिए मेरा जन्म हुआ था। उनके अनुसार स्कूल आना मेरी अनाधिकार चेष्टा थी। यह घटना लगभग आजादी के आठ साल बाद की है। आजादी के साठ से ऊपर दशक बीतने के बाद भी सवर्ण समाज की मानसिकता में ज्यादा अंतर नहीं आया है।

एक शिक्षक किसी भी सुदृढ़ राष्ट्र की नींव होता है। वहाँ का समाज कैसा होगा इसका निर्माण सुनिश्चित करना उसका धर्म होता है। यदि वह ढोंगी और खोखली परम्परा में जी रहा है जो उस समाज का वर्तमान व भविष्य भी खोखला और अंधकारमय ही होगा। वाल्मीकि लिखते है कि मास्टर योगेन्द्र त्यागी भी दलितों से घृणा और मानसिक यातना देने में दो कदम आगे ही रहे। वे अछूत छात्र को पीटते नहीं बल्कि अपनी ओर खींचते हुए पूछते 'सुअर की कितनी सांटे (सुअर की गोश्त की बोटी) खाई हैं? एक पांव तो खा ही लेते होगे?' लड़के इस आधार पर तंग भी करते और चिढ़ाते भी 'अबे चूहड़े के सुअर खाता है।' ऐसे क्षणों में मुझे वे तमाम त्यागी याद आने लगते थे जो रात के अंधेरे में छुप छुपकर सुअर का गोश्त खाने भंगी मोहल्ले में आते थे। मेरा मन करता उन सबके नाम बता दूँ। जो लोग छुप–छुपकर गोश्त खाने आते थे, वे भी दिन में सबके सामने छुआछूत बरतते थे। अर्थात् दिन के उजाले में संत बने रहो, और रात में वही सब करो जिनका विरोध करते हो और गलत बताकर दूसरों को मानसिक यातना देते हो।

भारतीय हिन्दू समाज की नींव ही अछूतों के उत्पीड़न पर खड़ी है। वह परम्पराओं के नाम पर अतीत से ही अनवरत अत्याचार, उत्पीड़न (शारीरिक व मानसिक), गरीबी और भूख का षड्यन्त्र रचते आ रहे हैं जिससे निकल पाना अछूतों के लिए अभिमन्यु के चक्रव्यूह से भी जटिल है। स्कूल का मास्टर साहब इतिहास पढ़ाते हुए गुरु द्रोणाचार्य की गरीबी का जिक्र करते हुए द्रवित होते है कि वह अपने पुत्र अश्वत्थामा को दूध के स्थान पर आटे का घोल पिलाते हैं। इस पर ओम प्रकाश वाल्मीकि बाल–सुलभ जिज्ञासा वश पूछते है कि हमें तो 'चावल माँड पिलाया जाता है' फिर हमारे ऊपर कुछ क्यों नहीं लिखा गया।

प्रश्न जायज है कि सदियों से अछूत समाज सवर्णों की फेंकी जूठी–पत्तल पर जीवन–यापन करने के लिए मजबूर है परन्तु भारतीय गौरवशाली इतिहास में इस समस्या पर सभी चिन्तकों ने आँखे मूंद ली। प्रश्न करने पर अध्यापक ने कहा 'चूहड़े के, तू द्रोणाचार्य से अपनी बराबरी करे है'.... ले तेरे ऊपर मैं महाकाव्य लिखूँगा....' उसने मेरी पीठ पर सटाक–सटाक छड़ी से महाकाव्य रच दिया। पत्रकार कंवल भारती कहते है कि 'यह आत्मकथा वास्तव में पीठ पर अंकित महाकाव्य ही है, जो मास्टर ने नहीं व्यवस्था में अंकित किया है। यह व्यवस्था सवर्णों के लिए स्वर्ग और दलितों के लिए नरक का निर्माण करती है। (जनसत्ता, दूसरा शनिवार)

हिन्दू समाज में यह भ्रान्ति फैलाई जाती है कि दलित सदैव कामचोर, नकारा और मंगतू है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि जब दलित जी तोड़ मेहनत करता है उदाहरण के लिए खेतों में जुताई से लेकर कटाई व फसल को बाजार बेचने तक साथ रहता है। हर छोटे–से छोटा काम व बड़ा काम (सेवा) करने के लिए दलित चाहिए। बदले में उसका हक (मेहनताना) देने के बदले उसको तिरस्कृत किया जाता है। इसी तरह एक अवसर है विवाह। दलितों में गांव में विवाह से तात्पर्य है भरपेट 'जूठन' मिलना। उस जूठन के लिए वह दिन–रात मेहनत करता है। वह सवर्ण के यहाँ झाडू लगाना, बर्तन मांजना, पोछा लगाना, घर बाहर के छोटे–छोटे बड़े सभी कामों को जी–जान लगा कर करता है जिससे कि उसे थोड़ी– बहुत 'जूठन' प्राप्त हो सके। मेहनत करने के बाद भी नकारा आलसी और कामचोर जैसे शब्द दिन रात सुनने को मिलते हैं। इस सबके बावजूद उसका मेहनताना उसे नाममात्र का प्राप्त होता है। दलित जी–जान से मेहनत करने के बावजूद भरपेट भोजन नहीं जुटा पाता है। लेखक ने अपने साहित्य में "माँ" के द्वारा सामाजिक मूल्यों की नयी अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है। उनकी 'माँ' सुखदेव त्यागी के यहाँ सफाई का कार्य करती थी। 'विवाह' के यहाँ सफाई का कार्य करती थी। 'विवाह' का अर्थ है कार्यो में बढ़ोत्तारी और चूक या दूरी होने का तो मतलब ही नहीं बनता है बदले में भरपेट 'जूठन' की आस। लोगों के खाना खाने बाद वह चौधरी सुखदेव से कहती है–'ईब तो सब खाणा खा के चले गए.......म्हारे जाकतों (बच्चों) को भी एक पत्ताल पर धर के कुछ दे दो। वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रे ते।' परन्तु सुखदेव ने जूठी पत्तालों की ओर इशारा करते हुए कहा–'टोकरा भर के तो जूठल ले जा रही है... ऊपर से जाकतों के लिए खाणा माँग री है? अपणी औकात में रह चूहड़ी। उठा टोकरा दरवाजे से चलती बन।'

वह महिला घर में विवाह जैसे अवसर पर छोटी–बड़ी जिम्मेदारियां निभाने के बाद मेहनताने की बात कहती है तो बदले में 'जूठन' देकर अहसान दिखाते हैं। वह शेरनी की तरह दहाड़ते हुए कहती है–'माँ ने टोकरा वहीं बिखेर दिया था। सुखदेव सिंह से कहा था– 'इसे ठाके अपने घर में धर ले। कल तड़के बारातियों को नाश्ते में खिला देणा....' वह झपटा मारने के लिए दौड़ता है तो बिना डरे सामना करती है। इस प्रकार सदियों से चली आ रही 'जूठन' ढोने की परम्परा को तोड़ने का साहसिक कदम उठाती है।

परम्पराएँ तोड़ने की श्रृंखला में वाल्मीकि का परिवार 'सलाम' रूढ़ि को भी तोड़ता है। 'सलाम' परम्परा द्वारा दलितों के आत्मसम्मान को बुरी तरह कुचला जाता है। इसमें विवाह के बाद वर–वधु को ढोल–बाजे के साथ सवर्णो के दरवाजे–दरवाजे भटकाते है जिससे कि वह सबको 'सलाम' कर सके। फलस्वरूप वधू की माँ भेंट मांगती है। 'चौधराइन, मेरी कोई दो–चार लौंडी तो है नी जो मेरे और जमाई थारे दरवज्जे पे आवेंगे। इज्जत से लड़की को भेज सकूं, ऐसा तो कुछ दो..... यहाँ भी सवर्णों का व्यवहार बेहद रूखा और अपमान जनक होता है। वह वर–वधू को जानवर से कम नहीं समझते है और कटाक्ष करते है–'इन चूहड़ो का तो कभी पेट ही ना भरता।' वर–वधू को नुमाइश में रखे जानवर से भी बदतर हाल होता है तिरस्कृत करने का केाई मौका नहीं छोड़ते है।

दलित यदि शिक्षित होने का प्रयास भी करें तो सवर्णों की मानसिकता वहीं है। 'चूहड़ों के जाकत (बच्चे) भी पढ़ने जावे है मदरसे में।' उसे आश्चर्य हो रहा था।

'कितना बी पढ़ लो...रहोगे तो चूहड़े ही', कहकर उसने अपनी भड़ास निकाली और अंदर चली गई।'' अर्थात् दलित वर्ग चाहे शिक्षित हो या

अशिक्षित उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हैं क्योंकि सवर्ण सदैव उसे हिकारत की नजर से देखते रहेंगे? या कालान्तर में दोगला चरित्र अपनाएंगे?

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने 'जाति व्यवस्था' के सन्दर्भ उचित टिप्पणी की है– 'हिन्दुस्तान देश के केवल विषमता का आश्रय स्थान है। हिन्दू समाज उसकी एक मीनार है। और प्रत्येक जाति उसकी एक मंजिल है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि इस मीनार में सीढ़ी नहीं लगी हैं। एक मंजिला से दूसरी मंजिला तक जाने के लिए उसमें मार्ग नहीं रखा गया है। जिस मंजिल में जो जन्में उसी मंजिल में वह मरे। नीचे की मंजिल में जन्मा व्यक्ति चाहे कितना ही लायक क्यों न हो उसे ऊपर वाली मंजिल में प्रवेश नहीं और ऊपर की मंजिल में जन्मा व्यक्ति चाहे कितना ही नालायक क्यों न हो उसे भी मंजिल से ढकलने का साहस किसी में भी नहीं।' यानि भारतीय हिन्दू सवर्ण समाज ठहरे दलित साहित्य वार्षिकी हुए तालाब के पानी की तरह धीरे–धीरे सड़ रहा है।

ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा 'जूठन' में जहां सवर्ण समाज द्वारा लगातार तिरस्कार का वर्णन हुआ है वहीं दूसरी ओर अछूतों द्वारा आत्मसम्मान पाने की छटपटाहट और बैचेनी भी लगातार दिखती है। वह शिक्षित होना चाहते है, लायक बनना चाहते है जिससे कि वह आत्मसम्मान से जी सकें। वाल्मीकि पढ़ने में होशियार बच्चों में से एक थे। यह बात तगा के बेटे बृजेश को पंसद नहीं थी 'सुणा है तू पढ़ने में हुशियार है।' उसने एक सिरा मेरे पेटे में गाड़ दिया था 'करके हमें भी दिखा तू कितना होशियार है। वह झगड़े पर उतारू था।' जब उसने देखा कि वाल्मीकि कुछ कह नहीं रहा था उसने गुस्से में कहा–'कितना भी पढ़ लियो, रहेगा तो चूहड़ा ही....' लगातार मनोबल तोड़ा जा रहा था। परन्तु उनके पिता का वाक्य हमेशा याद रहता है– 'पढ़ लिखकर जाति सुधारनी है।' यहाँ पर अम्बेडकर जी का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। शिक्षा का ही प्रभाव कह सकते है जिसने वाल्मीकि के मन में 'सलाम' परम्परा पर प्रश्न करने पर मजबूर किया साथ ही वर्षो से चली आ रही तिरस्कृत करने की परम्परा को तोड़ने का साहस दिया।

पिताजी खामोशी से मेरी बात सुन रहे थे, 'मुंशी जी, बस तुझे स्कूल भेजना सफल होगिया है.... म्हारी समझ में बी आ गिया है......अब ईस रीत कू तोड़गे।' यथा उसके पिताजी ने वास्तव मे इस रीत को अपने घर से ही तोड़ा था। उन्होंने कहा– 'बहन की शादी में भी हमने अपने 'बहनोई' को 'सलाम' पर नहीं जाने दिया। साफ–साफ कह दिया था, जिसे भी जो देना है यहां देकर जाए।

वाल्मीकि की आत्मकथा 'जूठन' में बाल्यावस्था से 'शिक्षा' के प्रति गहरी रूचि है इसके लिए उन्होंने लगातार संघर्ष भी किया परन्तु उनके जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन आता है जब वह शिक्षा के लिए देहरादून जाते हैं। वहाँ उनका सम्पर्क गाँधीवादी व अम्बेडकर साहित्य से हुआ जिन्होंने न केवल उनके अन्तर्मन को छुआ बल्कि उनके चिन्तन को नए आयाम दिए। महात्मा गांधी का 'हरिजन' उद्धार का ढकोसला भी उन्हें समझ में आने लगा। डॉ0 एन0 सिंह ने कथनानुसार–'यह सच है कि गांधी जी ने भारत में छुआछूत को खत्म करने की दिशा में सार्थक धक्का दिया। वह समाप्त तो नहीं हुई, हाँ पूरी तरह चरमरा अवश्य गई। गाँधी जी सुधारवादी थे और अम्बेडकर परिवर्तनवादी। इस सन्दर्भ में दोनों की स्थितियों में मूलत: यही अन्तर है। अम्बेडकर की स्थिति कुएं में गिरे उस व्यक्ति जैसी है, जो प्राय: रक्षा के लिए छटपटा रहा है और गांधी की स्थिति कुएं की मुंडेर पर खड़े उस व्यक्ति जैसी है, जो कुएं में गिरे हुए व्यक्ति के लिए छटपटा रहा है। दोनों की छटपटाहट में जो अन्तर है, वहीं अम्बेडकर और गांधी की अस्पृश्यता निवारण के लिए की गई कोशिश में भी है इससे दलितों में अपनी स्थिति के प्रति जागृति आयी और शेष हिन्दुओं ने भी इस विषय पर फिर से विचार करने की आवश्यकता का शिद्दत से महसूस किया। इस ढोकसले को वाल्मीकि जी ने भी पहचाना। वह लिखते है–'बातचीत में कई सवर्णो को गांधी के लिए अपशब्द कहते सुना था कि इस बूड़े ने भंगी–चमारों को हरिजन बनाकर सिर चढ़ा लिया है। उनका गुस्सा कितना गलत था। अम्बेडकर को पढ़ लेने के बाद यह बात समझ में आ गई थी कि गांधी ने 'हरिजन' नाम देकर अछूतों को राष्ट्रीय धारा में नहीं जोड़ा, बल्कि हिन्दुओं को अल्पसंख्यक होने से बचाया। उनके हितों की रक्षा की। फिर भी वे खफा थे क्योंकि उसने हरिजनों को सिर चढ़ाया। पूना पैक्ट की घटना ने मेरे मन से गांधी के भ्रम को पोंछ दिया था।' इस चिंतन ने आगे चलकर उनका परिचय 'दलित' साहित्य से कराया।

आर्डिनेंस फैक्टरी प्रशिक्षण संस्थान, अंबरनाथ (बम्बई) मे नौकरी करने के कारण उनका परिचय 'रंगमंच' के साथ–साथ शहरी दुनिया से भी होता है। यहाँ एक शिक्षित परिवार कुलकर्णी से उनके आत्मीय संबंध बनने लगते है। तो उन्हें उनकी वास्तविकता का भी आभास होता है–'मराठी ब्राह्मण वह भी पूना के ब्राह्मण महारों को अपने बर्तन छूने नहीं देते इसलिए उनके बर्तन अलग रखे जाते हैं। चाय के जूठे कम मिसेज कुलकर्णी उठाने आई थीं, लेकिन कांबले का कप कुलकर्णी उठाकर ले गया था। यानि छुआछूत के मायने बदल गया।'

बम्बई जैसा आधुनिक शहर में शिक्षित परिवार की मानसिकता देखकर हैरान व परेशान हो जाता है। कुलकर्णी ब्राह्मण परिवार है–इनकी पुत्री सविता जातिगत भेदभाव को सही मानती है–'उसे चाय अलग बर्तन में पिलाई थी?' मैंने सख्त लहजे में पूछा। 'हाँ घर में जितने भी एस0सी0 और मुसलमान आते हैं, उन सबके लिए अलग बर्तन रखे हुए है। सविता ने सहज भाव से कहा। शिक्षित होकर भी मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं बल्कि सवर्ण पारिवारिक संस्कार भेदभाव करना सिखाते है 'सविता इस भेदभाव को सही और संस्कृति का हिस्सा मान रही थी। उसके तर्क मुझे उत्तोजित कर रहे थे फिर भी मैं काफी संयत था उस रोज। उसका कहना था, एस0सी0 अनकल्चर्ड (असभ्य) होते हैं। गंदे रहते हैं।' सवर्ण समाज में बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि एस0सी0 अर्थात् दलित गंदे और असभ्य होते हैं। उनसे घृणा करो।

फिर भी पारिवारिक पूर्वाग्रह उस पर हावी थे। उसका कहना था आई (माँ), बाबा (पिता) ने बताया। यानी बच्चों को यह सब घरों में सिखाया जाता है कि एस0सी0 से घृणा करो।

सनातन से चलती आ रही नफरत को दूर करना आसान नहीं था। दलित इस परम्परा को तोड़कर आत्मसम्मान के साथ जीवन–यापन करना चाहता है। इसी चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का अध'न किया। उन्होंने 'शिक्षा, संगठन और संघर्ष का नारा दिया था। वाल्मीकि भी अंबेडकर साहित्य के सम्पर्क में आए तो अपनी व समाज की मुक्ति के लिए बैचेन हो गए। परन्तु दलितों के एकजुट होने से सनातनवादियों को डर लगने लगा तो उनकी प्रतिक्रिया है–'जब दलित अपनी अस्मिता के लिए उठ खड़ा होता है तो उस पर जातिवादी होने का आरोप लगा दिया जाता है। यह आरोप लगाने वाले वे लोग होते है जो 'जातिवादी' के कट्टर समर्थक है।'

'साँतवी कक्षा की मराठी पाठ्य–पुस्तक में डॉ0 अम्बेडकर पर एक पाठ था। एक ब्राह्मण शिक्षक के आदेश पर सभी छात्रों ने अपनी पुस्तक के उस पाठ के पृष्ठ फाड़ दिए थे। कक्षा में महार जाति के भी कुछ छात्र थे जिन्हें बाबा

साहेब के पाठ को फाड़ देना अनुचित लगा था।' आजादी के 40 दशक बाद (1984) भी सवर्ण समाज दलितों को नहीं अपना सके। इसलिए तो पाठ्य पुस्तकों से पृष्ठ फाड़कर अपनी भड़ास निकाल रहे है। सवर्णो की यह नफरत आज भी जगह-जगह विभिन्न रूपों में देखने को मिलती है।

'जूठन' में वाल्मीकि के मुसलमान मित्र कुरेशी की घटना का जिक्र किया है। कुरेशी साहब को लगता है कि शिक्षित वर्ग में छुआछूत समाप्त हो चूकी है परन्तु कमाण्डेंट साहेब का व्यवहार उन्हें चौंका देता है-'बरला तो त्यागियों का गाँव है। आप किस 'जाति' से है? मैंने कुरेशी की देखा। उसके चेहरों का रंग बदल गया था।.........मैंने जैसे ही अपनी जाति 'चूहड़ा' बताई वे असहज हो गए थे। साथ ही बातचीत का सिलसिला भी थम गया था। जैसे बात करने लायक कुछ बचा ही नहीं था। कुरेशी के लिए यह नया अनुभव था।' शिक्षित सवर्ण आज भी संकीर्ण मानसिकता को लेकर जीवित हैं।

अपनी अस्मिता व पहचान को लेखक बहुत सजग है। उन्हें अपनी 'जाति' से किसी भी तरह की ग्लानि नहीं है। परन्तु उनके दोस्त व रिश्तेदार इस सरनेम को पंसद नहीं करते हैं। परन्तु लेखक को सबसे ज्यादा कष्ट अपनी पत्नी के व्यवहार से होता है। 'मेरी पत्नी चंदा मेरे इस सरनेम को कभी आत्मसात नहीं कर पाई' हद तो जब हो गयी। जब वह दृढ़ शब्दों में कहती है-'यदि हमारा कोई बच्चा होता तो मैं उनका सरेनम जरूर बदलवा देती।' लेखक किसी भी प्रकार की हीन भावना के शिकार नहीं है वह अपने 'सरनेम' के द्धारा जाति से आत्मीयता का अनुभव करते है। परन्तु उनकी जाति के अन्य सदस्यों का तर्क यह है कि 'जाति' पता चलते ही अन्य आस-पास के लोगों का व्यवहार बदल जाता है। 'सभी के सामने अगर मान लेती कि आप मेरे चाचा है तो सहपाठियों को मालूम हो जाता कि मैं वाल्मीकि हूँ....आप फेस कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती....गले में जाति का ढोल बाँधकर घूमना कहाँ की बुद्धिमानी है।' दलित समाज में दो वर्ग दिखाई पढ़ने लगे। एक वह जो 'जाति' छिपाकर करके जी रहे थे, दूसरे वह जो 'जाति' के दम पर जीना चाहते थे। जिनके लिए दलित होना अपमान जनक नहीं है बल्कि वह व्यवस्था सवर्ण समाज के बराबर की है।

जाति से निकलने की बैचेनी कहे या शिक्षा के प्रति लगाव उनका बचपन से ही था। जीवन-यापन के लिए विषम परिस्थितियाँ और सवर्ण-अध्यापकों और मानसिक यातना देने वाला व्यवहार भी शिक्षा के प्रति उनका लगाव खत्म न कर सका। इसलिए जब धन के अभाव में वह आगे की कक्षा में प्रवेश न पा सके तो उनकी भाभी अपनी अनमोल चीज देकर उनका प्रवेश करवाती हैं। वह कहती है 'वह पाजेब लाकर माँ के हाथ में इसे बेच के लाल्ला जी का दाखिला करा दो।' परिवार की जागरूकता व स्वयं की अदम्य इच्छा शक्ति के कारण ही वाल्मीकि आगे शिक्षित होने का साहस कर पाते हैं।

दलित साहित्यकारों ने आत्मकथाओं के बहाने अछूत समाज की वेदना व संवेदनाओं को छूने का साहस किया है। वह भारतीय हिन्दू समाज की जातिगत-व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की जांच करते हुए हिन्दुओं की कट्टरता पर प्रश्न चिन्ह लगाते है। सवर्ण अछूत समाज में व्यापत बेगारी के विभिन्न रूप व सरकारी तंत्र का असंवेदनात्मक व्यवहार आज भी देखने को जहां-तहां मिलते है। शिक्षा जगत में भी अछूतों के प्रति सकारात्मक परिवर्तन की गति अत्यन्त धीमी है। शिक्षा जगत में भी स्वतन्त्रता के इतने वर्ष उपरान्त भी स्थिति शोचनीय एवं दयनीय है। लेखक 'जूठन' के बहाने 'अछूत' समाज के प्रति सवर्ण-समाज की परम्पराओं, रीति-रिवाजों, धार्मिक-अनुष्ठान आदि के द्धारा उनकी मानसिकता की बखिया उधेड़ता है।

अंत में लेखक यह प्रश्न सर्वण समाज से करता है कि सदियों से जो नफरत के बीज बोए जा रहे उनका अंत कब होगा? आखिर कब दलितों को भी उनकी 'अस्मिता' व पहचान मिलेगी? कौन-सी ऐसी सामाजिक-मानसिकता व नीतियां होगी जो सदियों चली आ रही खाई को पाटने का कार्य करेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-11
2. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-18
3. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-18
4. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-12
5. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-12
6. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-13
7. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-16
8. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-17
9. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-13
10. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-29
11. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-29
12. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-34
13. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-34-35
14. . कंवल भारती, जनसत्ता (दैनिक अखबार)
15. . 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-21
16. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-21
17. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-21
18. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-43
19. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-43
20. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-43
21. . दलित-साहित्य वार्षिकी (2011), पृ0-146
22. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-40
23. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-44
24. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-46
25. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-46
26. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-89
27. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-115
28. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-118
29. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-118
30. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-118
31. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-131
32. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-135
33. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-139
34. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-151
35. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-151
36. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-153
37. 'जूठन', ओमप्रकाश वाल्मीकि, पृ0-24-25

नागरी लिपि में प्रकाशित पुस्तकों में वर्तनी की एकरूपता

डॉ. विनय शर्मा*

प्रस्तावना – लिपि का अर्थ – भावों को विशेष प्रकार के चिह्नों द्वारा लिखने का साधन लिपि कहलाता है। संस्कृत शब्दकोश के अनुसार 'लिपि' का शाब्दिक अर्थ होता है 'अक्षर लिखने की प्रणाली'। वस्तुत: भाषा और लिपि में मुख्य अंतर यह है कि भाषा अपने मूल रूप में ध्वनि पर आधारित होती है जबकि लिपि में उन्हीं ध्वनियों को आकृतियों, रेखाओं या अक्षरों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है।

हिन्दी की लिपि – हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और यह बहुत प्राचीन और वैज्ञानिक लिपि है। भारत की प्राचीनतम राष्ट्रीय लिपि ब्राह्मी की यह प्रतिनिधि लिपि कही जाती है। अलबरूनी ने अपने ग्रन्थ (1030 ई.) में लिखा था कि मालवा में नागर लिपि का प्रयोग होता है। इसलिए स्पष्ट है कि एक हजार ईसवी के आसपास नागर या नागरी नाम अस्तित्व में आ चुका था।

वैज्ञानिक लिपि – डॉ. धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित 'हिन्दी साहित्य कोश' के अनुसार अन्य भारतीय लिपियों की तरह देवनागरी लिपि में पैतालीस मूल लिपि चिह्न हैं। लिपि चिह्नों के आकारों की दृष्टि से तो नहीं, लेकिन ध्वनि के उच्चारण की दृष्टि से देवनागरी वैज्ञानिक लिपि है तथा इस पर दूसरी लिपियों का प्रभाव भी परिलक्षित है। इस प्रकार वैज्ञानिक लिपि की सभी विशेषताएँ देवनागरी लिपि में मौजूद हैं। मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है।

एकरूपता का अभाव – यह बड़े दु:ख की बात है कि देवनागरी लिपि में वैज्ञानिक लिपि की सभी विशेषताएँ होने के बावजूद इस लिपि में प्रकाशित होने वाली पुस्तकों की वर्तनी में एकरूपता का अभाव पाया जाता है। यही कारण है कि हिन्दी भाषा को दुरूह भाषा का दर्जा देकर युवा पीढ़ी ने इससे मुँह मोड़ लिया है। अत: नागरी लिपि में आई असमानता को समझकर उसे दूर करना होगा।

वर्तनी का स्वरूप – 'वर्तनी' शब्द हिन्दी के लिए नया शब्द है क्योंकि आचार्य रामचंद्र वर्मा के 'प्रामाणिक हिन्दी कोश' (1950) में इस शब्द को स्थान नहीं दिया गया है। 'वर्तनी' शब्द 'वर्त्मनी' का बिगड़ा हुआ रूप है। 'वर्त्मनी' का अर्थ होता है 'रास्ता' या 'सरणि'। जबकि 'वर्तनी' का अर्थ 'कलम' होता है। इस प्रकार 'वर्त्मनी' शब्द घिस-घिसकर 'वर्तनी' बन गया है। वर्तमान में इसका अर्थ अक्षरों की बनावट से लिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ध्वनियों को सही तरीके से उच्चारित करने के लिए वर्तनी की एकरूपता स्थिर की जाती है।

वर्तनी संबंधी भूलों का कारण – वर्तमान में देवनागरी लिपि में प्रकाशित पुस्तकों में वर्तनी का मनमाना रूप देखने को मिलता है जो कि न्याय सांगत नहीं है। भाषा का एक स्थिर और मानक रूप होना बहुत आवश्यक है। वर्तनी से संबंधित भूलें होने का कारण प्राय: अज्ञानता, भ्रम, एक शब्द का अनेक रूपों में प्रचलन में आना तथा दूसरी भाषाओं का प्रभाव है। चूँकि वर्तनी का संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है अत: भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की वर्तनी समिति ने 1962 में जो महत्तवपूर्ण निर्णय लिए उनका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। इन बिन्दुओं को ध्यान में रखकर पुस्तकों में होने वाली वर्तनी की त्रुटियों को दूर किया जा सकता है –

अनुस्वार तथा चंद्रबिंदु – अनुस्वार तथा चंद्रबिंदु के अंतर को ध्यान में रखकर पुस्तकों का प्रकाशन किया जाना चाहिए। आजकल मुद्रण की सुविधा को देखते हुए चंद्रबिंदु ँ का प्रयोग न करते हुए अनुस्वार ं का ही प्रयोग किया जाता है। इसी का अनुकरण होने से यह दोष लेखन में भी आ गया है। यथास्थान दोनों का प्रयोग होना चाहिए अन्यथा अर्थ में अंतर आ जाएगा जिससे भाषा का सौन्दर्य समाप्त हो जाएगा। जैसे – हँस और हंस। अत: प्रकाशकों को इस त्रुटि के प्रति सचेत रहना चाहिए।

दो लिपि चिह्न का होना – लिपि चिह्नों के स्तर पर भी दो या अधिक प्रकार के लिपि चिह्न का प्रचलन भाषा में विषमरूपता उत्पन्न करता है। झ, ध तथा ण वर्ण पुस्तकों में दो तरह से छपे दिखाई पड़ते हैं। अत: इनका जो मानक रूप माना गया है उसी रूप का यथास्थान प्रयोग किया जाना चाहिए।

'ये' और 'ए' की गड़बड़ी – पुस्तकों में 'ये'और 'ए' के प्रयोग संबंधी भूल देखी जा सकती है। इस संबंध में यह नियम है कि क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एकवचन रूप में 'या' अंत में आता है तो उसके बहुवचन रूप में 'ये' और 'यी' होगा जैसे गया, गयी, और गये। इसी प्रकार जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एकवचन रूप में अंत में 'आ' आता हो तो उसके पुल्लिंग बहुवचन में 'ए' होगा। प्रकाशकों के लिए ये महत्त्वपूर्ण है कि विशेषण का अंत जैसा हो वैसा ही 'ये' या 'ए' का प्रयोग होना चाहिए। जैसे – नया का नये, नयी।

दो विभक्ति चिह्न – यदि सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिह्न हों तो उनमें पहला सर्वनाम से मिला हुआ होना चाहिए और दूसरा अलग लिखा जाना चाहिए। जैसे – आपके लिए, जिनमें से।

स्वरागम और स्वरलोप – स्वरागम एवं स्वरलोप की अशुद्धियाँ अक्सर उच्चारण में होती हैं, लेकिन स्थान विशेष पर इस प्रकार की अशुद्धियाँ लेखन में हो जाती हैं। जैसे – गर्मी-गरमी, नर्मी-नरमी, अंग्रेजी-अंगरेजी। इनमें दूसरा रूप ही सही है क्योंकि यह चलन में है जबकि दूसरी ओर बर्फ, कुर्की, शर्म जैसे शब्दों की यही वर्तनी शुद्ध है।

पंचम वर्ण – जहाँ पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग के शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण आए तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया जाना उचित होगा, लेकिन 'इन्फोसिस' और 'इंफोसिस' जैसे शब्दों के अंतर को समझ लेना चाहिए।

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) प.म.ब. गुजरती वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

'ई' का प्रयोग – मानकता की दृष्टि से संज्ञा शब्दों के अंत में 'यी' का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। 'ई' का प्रयोग ही मानक माना गया है। जैसे – भाई, नाई, लिखाई आदि। जब रचना में ही 'यी' हो तो बदलाव भी नहीं होगा। जैसे – स्थायी, आततायी, व्यवसायी।

प्रत्यय की अशुद्धि – शब्दांत 'ई' के बाद कोई प्रत्यय जुड़ने पर 'ई' के स्थान पर 'इ' हो जाता है। इसी प्रकार 'ऊ' के स्थान पर 'उ' हो जाता है। दवाई–याँ = दवाइयाँ, बाबू–ओं = बाबुओं।

विसर्ग का प्रयोग – संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग किया जाए जैसे प्रायः, प्रातः और यदि उनके तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो विसर्ग लगाना आवश्यक नहीं है। जैसे सुख–दुख।

योजक चिह्न – तद्भव तथा विदेशी समस्त पदों में योजक चिह्न लगाया जाना चाहिए। जैसे – उठना–बैठना, खाना–पीना आदि।

शब्दों के दो रूप – पुस्तक पढ़ते समय कई शब्दों के दो रूप मिलते हैं जैसे – कौतुहल–कुतुहल, ऋतु–रितु अतः इनके किसी एक रूप को मानक मानकर उसी का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसी प्रकार लिंग, संधि तथा समास संबंधी अशुद्धियों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए इस संबंध में प्रकाशक स्वयं ही किसी शब्द को मानक नहीं मानें तो अच्छा होगा।

अरबी–फारसी के शब्द – अरबी–फारसी के जिन शब्दों में नुक्ता लगाना आवश्यक हो उन शब्दों में नुक्ता जरूर लगाना चाहिए अन्यथा शब्द का अर्थ बदल सकता है। जैसे – कंद (शकर) = शकरकंद, कंद (शहर) = ताशकंद।

अंत में यही कहा जा सकता है कि वर्तमान युग गतिशीलता का युग है। ऐसे में भाषा और उसके शब्दों के प्रयोग में उतार–चढ़ाव आना स्वाभाविक है। अतः नये शब्दों का निर्माण और उनका स्वीकार विवेकपूर्ण तरीके से होना चाहिए। यदि नयी पीढ़ी को भाषा के प्रति जागरूक करना हो तो भाषा में एकरूपता होना बहुत आवश्यक है। समाज का सारा लिखित और मुद्रित ज्ञान पुस्तकों के रूप में ही सुरक्षित है इसलिए भी पुस्तकों में वर्तनी की एकरूपता का होना जरूरी हो जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हिन्दी साहित्य कोश – सम्पादक धीरेन्द्र वर्मा
2. प्रामाणिक हिन्दी कोश – आचार्य रामचंद्र वर्मा
3. हिन्दी व्याकरण रचना और स्वरूप – वासुदेवनंदन प्रसाद

****

Hemingway's Writing Technique

Dr. Anand Kumar Jain*

Abstract - Hemingway was the greatest novelist who knew what he was writing about and had his experiences guide him thought his ideas. He used tone and technique and used it by identifying his use of diction, figurative language and syntax so it is better to mix all these elements as he does in his novels to clearly show his tone. He had a distinctive style of writing although he used very simple language. His style consists of the use of motifs and symbols. He was in the habit of using the word "and" ,in place of comma, this use of polysyndeton may serve to convey immediacy. He propounded the ice berg theory or the theory of omission.

Keywords - diction, motifs, polysyndeton, iceberg, reconcile, style, syntax.

Introduction - Hemingway was a great novelist that knew what he was writing about and had his experiences guide him thought his ideas. He places his tone, theme and diction in his own unique style that is seen as a masterpiece and he also put identity, individualism, romanticism, realism and war into one great novel that really was influenced by the time we was at. He placed that need for a better life just as the struggle for a better life in the progressive era.

The use of tone and diction : The best way to show his tone is really by identifying his use of diction, figurative language and syntax so it is better to mix all these elements as he does in his novels to clearly show Hemingway's tone. The author's tone is very realistic throughout the novel. Hemingway shows the ugliness in the world and the war that was only dotted with pure love like the one Henry and Catherine had. The realism and violence that Henry faced was all connected to the war, "The world breaks every one and afterward many are strong at the broken places. But those that will not break it kills. It kills the very good, the very gentle and the very brave impartially. If you are none of these you can be sure it will kill you too but there will be no special hurry" . This shows the things that Henry has witnessed like glory, injustice with each other as humans and most important killing, and this also gives a grim view on how killing in the war is nature but outside the war, it becomes a completely different reaction.

Hemingway's writing style : Hemingway's style is a very distinctive writing style, an unusually bare, straightforward prose in which he characteristically uses plain words, few adjectives, simple sentences and frequent repetition. Nevertheless, his powers of description are not diminished by his taking care to chose such simple language. Hemingway's style is based on his tone, figurative language, syntax, diction, point of view, symbols and motifs. Hemingway also uses Black Humor and this narrative dialogue to show even more his unique style. As Hemingway uses tone, diction, figurative language and straightforward prose to wrap up his own individual style, he also uses these elements to grab the reader attention so he can produce a free flowing theme that can show and capture the time period that he is greatly affected by, and he also be easily understood throughout his literary elements. Hemingway is a great novelist in my opinion, he uses the main ideas that he first provides us with throughout the whole novel like his lost generation, conditional love, individualism, identity, romanticism, realism, patriotism, war, code hero and challenge of life. The author's style also tells a lot about the author's own thoughts and beliefs. Many critics believe that Hemingway's diction and dialogue make the text feel like its unclean and unnecessary but in my own opinion I believe that it's necessary to add words like testicles and shit because it adds to the realism of the soldiers life style and their own dialogue and also adds to the mood of the novel through the author's style.

Hemingway's language : Hemingway's language is effective in leaving much to the reader's interpretation and allowing a different image to form in each readers mind but he does supply the reader with a setting, which lets us imagine the bitter way. Hemingway's style also consists of the use of motifs and symbols. He uses these two elements to conduct and easier view of the novel's main theme. One of the motifs Hemingway uses help the story arc and the theme, one example of these motifs would be the author's idea of masculinity and loyalty versus abandonment. Hemingway shows the portrayal and celebration of a certain kind of man: domineering, supremely competent and swagger, which he shows in many male characters like Rinaldi, a faithful friend to Henry and an oversexed womanizer. Hemingway also gives the respect to each man, even at his lowest points, is highlighted by the humor, if not contempt, with which he depicts their opposites. The success of each of these men depends, in part, on the failure of another which follows Henry throughout his time in the war, in my opinion Hemingway's own idea of a man

***Asst. Prof. (English) Indira Gandhi Engineering College, Sagar (M.P.) INDIA**

consists of bravery, confidence and leadership. Another motif that is used is loyalty versus abandonment, which is seen in the novel many times, and Hemingway sees both of this loyalty and abandonment is necessary to make choices for what you truly need .

Hemingway's use of symbols : The symbols that Hemingway uses help the way the tone is understood throughout the events, one example would be "Rain" which shows the absence of happiness in a character's life at the time on this happens to many characters, for Henry it is clearly shown after Catherine's death, Henry leaves the hospital and walks home in the rain. Here, the falling rain shows Catherine's great love that Henry could not keep and show his sadness in the rain. The greatest writers have the brevity, are hard workers, diligent scholars and competent stylists, Hemingway believed that :

A writer's style be direct and personal,
His imagery rich and earthly,
And his words simple and vigorous.

The use of polysyndeton: In the literature of Hemingway and in his personal writing, he habitually used the word "and" in place of comma. This use of polysyndetonmay serve to convey immediacy. Hemingway's polysyndeton sentence or in later works his use of subordinate clauses uses conjunctions to juxtapose startling visions and images, Jackson Benson compares them to haikus. Many of Hemingway's followers misinterpreted his lead and frowned upon all expression of emotion. Saul Bellow satirized this style as "Do you have emotions? Strangle them". However, Hemingway's intent was not to eliminate emotion, but to portray it more scientifically. Hemingway thought it would be easy, and pointless, to describe emotions :he sculpted collages of images in order to grasp "the real thing, the sequence of motion and fact which made the emotion and which would be as valid in a year or in ten years or, with luck and if you stated it purely enough, always".

Hemingway's symbolic technique : Hemingway follows symbolist technique – for expressing the subjective condition of his characters. Hemingway made use of symbols in his fiction. Jake Barnes' war -wound importance is a kind of symbol for the whole atmosphere of barrenness and meaninglessness of the life. In *A Farewell to Arms* the mountains are associated with the concept of 'home' and 'security' ,peace and health, whereas the plains express the concept of 'not-home', filth and fatigue, war and death. Rain is also used as a symbol for death.

At the start of the winter came
The permanent rain and
With they came the cholera.

Hemingway as an artist : The singular achievement of Hemingway as an artist however is his art of plot construction. Hemingway's novels are what J. W. Beach calls, "Well – made novels". He is reported to have remarked after the publication of *Across the River and Into the Trees* that in writing, "I have moved through arithmetic, through plain geometry and algebra and I am in calculus. If they don't understood that : to hell with them". He perhaps implied that he was not contented by presenting just the results of his observations but he aimed at integration of experience by reconciling the tension between his observing self and the objective reality.

I was always embarrassed by the words sacred,
Glorious, and sacrifice and the expression in
Vain… ..I had seen nothing sacred, and the things
That were glorious had no glory and the
Sacrifices were like the stockyards at Chicago
Stated them. The dignity of movement of an iceberg is
Due to only one-eighth of it being above water. A writer
Who omits things because he does not know them only
Makes hollow places in his writings.

Hemingway's distinctive style : Hemingway employed a distinctive style, which drew comment from many critics. Hemingway does not give way to lengthy geographical and psychological description. His style has been said to lack substance because he avoided direct statements and description of emotion. Basically, his style is simple, direct and somewhat plain. He developed a forceful prose style characterized by simple sentences and few adverbs or adjectives. He wrote concise, vivid dialogue and exact description of places and things. Critic Harry Levin pointed out the weakness of syntax and diction in Hemingway's writing, but was quick to praise his ability to convey action.

Iceberg technique : Hemingway believed that the writer could describe one thing while an entirely different thing occurs below the surface an approach he called the iceberg theory, or the theory of omission. According to Hemingway :

If a writer of prose knows enough of what he is writing about he may omit things that he knows and the readers, if the writer is writing truly enough, will have a feeling of those things as strongly as though the writer had stated them. The dignity of movement of an iceberg is due to only one - eighth of it being above water. A writer who omits things because he does not know them only makes hollow places in his writings.

Conclusion : In last, we can conclude that Hemingway's style provides the key to his total emotional involvement with his material, that is, his characters, locations and the immediate scene of action as present before the eye. It has always been his endeavorto strike that harmonious fusion of all these factors as would not only elicit the immediate desired emotional response and a feeling of involvement in the reader, but would also invest it with a universally shared appeal by purging it by the elements of transistorizes. There is no doubt about the fact that every writing, prose, poetry or drama bears the special stamp of its author's personality. It is another we may not gather much or anything at all about the author or about his life of environment or both but the genius of the author is manifested everywhere in his work and is there for everyone to see or feel.

Reference:-

1. Personal research.

विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता का अध्ययन

डॉ. सतीशपाल सिंह *

प्रस्तावना – शिक्षा के द्धारा मनुष्य अपने आचार-विचार एवं रहन-सहन में परिवर्तन तथा परिमार्जन करते हुए जीवन में पूर्णता कुशल अध्यापक के मार्गदर्शन मे ही प्राप्त करता है। शिक्षा मानव जीवन का सुसंस्कृत एवं महत्त्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि इसके द्धारा ही संसार की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और आध्यत्मिक उन्नति होती है। प्रमुख दार्शनिक लॉक का कथन है कि, 'पौधो का विकास कृषि के द्धारा तथा मनुष्यों का विकास शिक्षा के द्धारा होता है।' प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री डीवी ने इस सम्बन्ध में कहा है कि, 'जिस प्रकार से शारीरिक विकास के लिये भोजन का महत्त्व है, उसी प्रकार से सामाजिक विकास के लिये शिक्षा महत्त्वपूर्ण है।' शिक्षा से केवल बौद्धिक विकास ही नहीं, बल्कि व्यक्ति की समस्त शक्तियों और क्षमताओं का विकास सम्भव है। शिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्धारा व्यक्ति एवं समाज में व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को मिटाया जा सकता है। शिक्षा के द्धारा बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है, जिससे वह समाज का एक उत्तारदायी नागरिक बनकर समाज की सर्वांगीण उन्नति में अपनी सामर्थ्य का निरन्तर प्रयोग करने की भावना से ओत-प्रोत होकर संस्कृति एवं सभ्यता को पुनर्जीवित तथा पुर्नस्थापित करने के लिये प्रेरित हो जाता है। अतएव शिक्षा की सार्थकता, उसकी उपादेयता एवं प्रभावशीलता के मूल्यांकन के मापदण्ड को इन्हीं सन्दर्भो मै निर्धारित किया जाना चाहिए। भौतिक चकाचौंध से भ्रमित और आत्मिक सुखानुभूति से वंचित आधे-अधूरे मनुष्य इस संसार को नया कुछ भी नही दे पायेंगे बल्कि उसे विनष्ट ही कर देंगे। बालक की जन्मजात विशेषताओं, उसकी अन्तर्निहित क्षमताओं को पहचानते हुए उनका सर्वोत्ताम विकास करना ही शिक्षा का परम लक्ष्य है। आत्मानुभूति के लक्ष्य एवं आत्म परिपूर्णता के शिखर की ओर अग्रसर व्यक्ति ही समाज को नई ऊँचाईयां प्रदान करने में सक्षम होते है तथा नये विश्व के सृजन में ऐसे व्यक्तित्त्व ही अपना योगदान दे सकते है।

शिक्षा मनुष्य को रूढ़ियों, अंधविश्वासों, पूर्वाग्रहों एवं कट्टरताओ की बेड़ियों मै नहीं जकड़ती बल्कि सद्शिक्षा तो व्यक्ति को प्रबुद्धता की ओर ले जाती है तथा उसकी मुक्ति के द्धार खोलती है। बीज से वही अंकुर फूटता है, वही फल-फूल एवं वृक्ष विकसित होता है, जिस वृक्ष की प्रजाति का वह बीज होता है। बाहर से तो उसे मात्र पर्यावरण एवं परिवेश मिलता है, शेष तो सब बीज के पास पहले से ही उसके भीतर है। जिस प्रकार एक से बीज में संपूर्ण वृक्ष समाहित होता है उसी प्रकार बालक के अंतर्मन में पूर्ण मानव छिपा होता है उससे उपयुक्त वातावरण प्रदान करने का कार्य कुशल अध्यापक ही कर सकता है कुशल अध्यापक तैयार करने के लिए अध्यापक अभिक्षमता की आवश्यकता होती है इस अध्यापक अभिक्षमता को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों का अध्यापक प्रशिक्षणार्थियों को आवश्यकता होती है।

संदर्भ साहित्य की समीक्षा अध्ययन का औचित्य

शर्मा (1979) ने बी0एड0 प्रशिक्षार्थयों की शिक्षा अभिक्षमताओं, मुथा (1980) ने प्रभावशाली शिक्षकों के व्यक्तित्व और अभिरूचि, बेसिन (1980) ने 'हायर सैकेण्ड्री स्कूल के शिक्षकों की शिक्षण अभिक्षमता तथा शिक्षण', जोशी और कुमार (1983) ने अपने अध्ययन में कौशल आश्रित उपागम का प्रभाव शर्मा (1985) शिक्षण प्रतिमान के परिवर्तन का शिक्षण अभिक्षमताओं पर प्रभाव सत्यगिरिराजन (1985) ने एक अध्ययन विद्यालय शिक्षक, सिंह (1989) ने छात्राध्यापकों में शिक्षण क्षमता ऐलेन एवं सेनी (1989): ने 'अध्यापक शिक्षा का शिक्षण अभिक्षमता पर प्रभाव' शर्मा (1990): ने राजस्थान में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, गुप्ता (1991): ने शिक्षण अभिक्षमताओं के विकास देसाई (1992): ने पृष्ठपोशक के स्त्रोतों और छात्रावास व्यक्तित्व के अन्तक्रिया पवॉर के0बी0 (1993): में विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों के निष्पादन, शुक्ला, ग्रीष्मा (2006) ने अध्यापक शिक्षा की क्षेत्र प्रासंगिकता विद्यालय शिक्षकों का प्रत्यक्षीकरण, अनियाल नारायण प्रसाद, नौटियाल अनिल, खूड़ी शान्ति (2007): ने सीमान्त जनपद उत्तरकाशी में कार्यारत प्राथमिक शिक्षक के कार्यमूल्यों, गुप्ता (2008): ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की प्रभावशीलता मुधा डी0 एन (1985) द्धारा निर्मित शिक्षक प्रभावशीलता मापनी, सिंह (2008): शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावित शिक्षक केज्ञान योग्यताएँ, अभिव्यक्ति प्रेम सुंदर (2009): ने पाया कि शिक्षण की दिशा में छात्रों को योग्यता, कुरैशी, एस0 और अहमद, जे0 (2010): ने भावी पुरूष और महिला शिक्षकों के बीच, सिंह (2011): माध्यमिक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षक के बीच अध्ययन किया। सहारन, सुरेंद्र कुमार एवं प्रियंका शेट्टी (2003) ने माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की मानसिक योग्यता का सामान्य जागरूकता, अभिवृत्ति एवं शिक्षण अभिक्षमता के संदर्भ में अध्ययन शीर्षक परियोजनात्मक शोध कार्य किया। शोध के निष्कर्ष में पाया कि आयु, संस्थान के प्रकार एवं लिंग के आधार पर मानसिक योग्यता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है। पुष्पम ए. एम. एल. (2003) ने कोयंबटूर में कार्यरत शिक्षकों का कार्य संतोष एवं शिक्षण व्यवसाय के प्रति शिक्षण अभिक्षमता का अध्ययन किया। अपने निष्कर्ष में उन्होंने पाया कि आयु, अनुभव, सामान्य शैक्षिक योग्यता, पारिवारिक कुल आय, बच्चों की संख्या जैसे स्वतंत्र चरों का महिला शिक्षकों की शिक्षण अभिक्षमता पर कोई भी महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है । चंचल, भसीन (2001) द्धारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का आधुनिक समाज के संदर्भ में शिक्षण

* एसोसिएट प्रोफेसर, अध्यापक प्रशिक्षण विभाग, दिगम्बर जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बडौत (बागपत) (उ.प्र.) भारत

अभिक्षमता और इसका शिक्षण प्रभाविकता के मधय संबंधा का अध्ययन किया। द्विवेदी, संजय कुमार (2008) ने माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की व्यवसायिक संतुष्टि पर शैक्षिक उपलब्धि एवं शिक्षण अभिक्षमता के प्रभाव का अध्ययन किया।

अध्ययन के उद्देश्य :

1 विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता का अध्ययन करना।

2 विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के पुरूष बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता का अध्ययन करना।

3 विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के महिला बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता का अध्ययन करना।

परिकल्पना :

1. विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता के मध्यमानों के मध्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के पुरूष बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता के मध्यमानों के मध्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के महिला बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता के मध्यमानों के मध्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श : प्रस्तुत शोध अध्ययन में बागपत जनपद के बी0एड0 स्तर पर अध्ययनरत समस्त विद्यार्थी शोध की जनसंख्या है। प्रस्तुत शोध दिगम्बर जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बडौत प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षणार्थियों को न्यादर्श हेतु लिया गया। न्यादर्श चयन हेतु यादृच्छिक प्रतिचयन की लाटरी विधि का प्रयोग किया गया। 184 अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों से कुल 84 बी0एड0 द्वितीय वर्ष छात्र एवं छात्राओं को न्यादर्श हेतु चयनित किया गया।

शोध विधि : प्रस्तुत शोध में वर्णात्मक (सर्वेक्षण विधि) का प्रयोग किया गया।

उपयुक्त उपकरण : प्रस्तुत शोध कार्य में प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता को मापने के लिए शोधकर्ता ने मानकीकृत उपकरण डॉ0 आर0पी0 सिंह (पटना) और डॉ0 एस0एन0 शर्मा (पटना)' द्वारा निर्मित 'शिक्षण अभिक्षमता परीक्षण माला' का प्रयोग किया है।

सांख्यिकीय विधिया : आकड़ों के विश्लेषपण में आवश्यक सांख्यिकी, मध्यमान, मानक विचलन, टी टेस्ट का प्रयोग किया गया।

तालिका-1: विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता मध्यमानों का टी-अनुपात दर्शाने वाली तालिका -1

समूह	N	M	SD	टी-अनुपात	सार्थकता स्तर
विज्ञान	32	75.89	17.32	0.347	0.05 सार्थकता स्तर पर असार्थकNS
सामाजिक विज्ञान	52	71.45	16.56		

तालिका संख्या 1 में परिगणित टी-अनुपात का मान 0.347 है जो कि मुक्तांश 82 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 2.00 से कम है। अतः शून्य परिकल्पना कि विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता के मध्यमानों के मध्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। को स्वीकृत किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता में कोई अन्तर नहीं होता है। ढोनो विषय के प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता में समानता होती है। क्योकि ढोनो विषय के प्रशिक्षणार्थियों का प्रवेश स्नातक परीक्षा एवं शिक्षण अभिक्षमता परीक्षण के पश्चात किया गया है।

तालिका-2: विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के पुरूष बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता मध्यमानों का टी-अनुपात दर्शाने वाली तालिका -2

समूह	N	M	SD	टी-अनुपात	सार्थकता स्तर
विज्ञान (पुरूष)	10	69.56	16.78	0.855	0.05 सार्थकता स्तर पर असार्थकNS
सामाजिक विज्ञान (पुरूष)	29	74.89	17.56		

तालिका संख्या 2 में परिगणित टी-अनुपात का मान 0.855 है जो कि मुक्तांश 37 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 2.00 से कम है। अतः शून्य परिकल्पना कि विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के पुरूष बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता के मध्यमानों के मध्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। को स्वीकृत किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के पुरूष बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता में कोई अन्तर नहीं होता है। ढोनो विषय के पुरूष प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता में समानता होती है। क्योकि ढोनो विषय के प्रशिक्षणार्थियों का प्रवेश स्नातक परीक्षा एवं शिक्षण अभिक्षमता परीक्षण के पश्चात किया गया है।

तालिका-3: विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के महिला बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता मध्यमानों का टी-अनुपात दर्शाने वाली तालिका -3

समूह	N	M	SD	टी-अनुपात	सार्थकता स्तर
विज्ञान (महिला)	22	71.52	18.23	0.175	0.05 सार्थकता स्तर पर असार्थकNS
सामाजिक विज्ञान (महिला)	23	72.45	17.23		

तालिका संख्या 3 में परिगणित टी-अनुपात का मान 0.175 है जो कि मुक्तांश 43 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 2.00 से कम है। अतः शून्य परिकल्पना कि विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के महिला बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता के मध्यमानों के मध्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। को स्वीकृत किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के महिला बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता में कोई अन्तर नहीं होता है। ढोनो विषय के महिला प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता में समानता होती है। क्योकि ढोनो विषय की महिला प्रशिक्षणार्थियों का प्रवेश स्नातक परीक्षा एवं शिक्षण अभिक्षमता परीक्षण के पश्चात किया गया है।

निष्कर्ष - आँकड़ों के विश्लेषण को ध्यान के रखते हुए जो निष्कर्ष प्राप्त हुए थें वे इस प्रकार है:-

1. विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की

शिक्षण अभिक्षमता सार्थक अन्तर का अध्ययन करने पर पाया गया कि विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता सार्थक अंतर नहीं पाया गया। जिसका कारण सम्भवतः यह कहा जा सकता है कि दोनों प्रशिक्षण ार्थी एक समान योग्यता रखते है। अतः यह परिकल्पना अंशतः स्वीकार की जाती है कि विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता में सार्थक अंतर नहीं होता है।

2. विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के पुरूष बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता के मध्यमानों के मध्य में सार्थक अन्तर नहीं पाया गयां। सम्भवतः हम कह सकते हैं कि इसका कारण न्यायदर्श के समूहों की लगभग समान शैक्षिक योग्यता में अन्तर नहीं होना है। इससे स्पष्ट होता है कि विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के पुरूष बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता में कोई अन्तर नहीं होता है। दोनो विषय के पुरूष प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता में समानता होती है। क्योकि दोनो विषय के प्रशिक्षणार्थियों का प्रवेश स्नातक परीक्षा एवं शिक्षण अभिक्षमता परीक्षण के पश्चात किया गया है।
3. विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के महिला बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता सार्थक अन्तर नहीं पाया गया सम्भवतः इसका कारण न्यायदर्श के समूहों की लगभग समान शैक्षिक योग्यता में अन्तर नहीं होने का कारण माना जा सकता है। अतः स्पष्ट होता है कि विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के महिला बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। सम्भवतः इसका कारण यह हो सकता है कि जो समूह न्यायदर्श के लिए चुने गये उनकी शैक्षिक योग्यता तथा शैक्षिक पृष्ठभूमि में समानता होती है। दोनों का प्रवेश एक ही प्रवेश परीक्षा द्वारा होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अन्तेकर, ए0एस0 (2013) प्रचीन भारत में शिक्षा वाराणसी, वाराणसी बुक डिपो।
2. भटनागर, के.एन.एस. (1988) रिपोर्ट आन दा स्टडी ऑफ दा डेवलपमेण्ट ऑन टूल्स ऑफ सुपरविजन एण्ट एवलूसन ऑफ स्टूडेन्स एण्ड पेक्टिकल वर्क ऑफ रिसर्च. (1988-92), 2, नई दिल्ली एन.सी.ई.आरटी., 143
3. भटनागर, सुरेश (2003). भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास. मेरठ आर0 लाल बुक डिपो
4. देसाई एस (1992). इन्टरेक्टिव इफैक्टि ऑफ सोर्स ऑफ फीडबैक एण्ड स्टूडेन्स टीचर परर्सनाल्टी आन स्टूडेन्स टीचर कम्पिटेन्सी, इन जे0पी0 शर्मा ट जी सर्वे ऑफ एजूकेशनल रिसर्च (2000), 2, नई दिल्ली, एन.सी.ई.आर.टी. 1407-1408.
5. गुप्ता, एस.पी. (2012). आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन इलाहाबाद शारदा पुस्तक भवन।
6. लाल समन बिहारी (2012). शिक्षा केदार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, मेरठ रस्तोगी पब्लिकेशन.
7. नायक, जी. (1988). ए स्टडी ऑफ दा क्वालिटी ऑफ प्रोस्वेक्टिव टीचर एण्ड दा स्लेक्शन पॅसोडयोर इन प्रेकक्टिस फार एउमिशन टु दा बी.एड. कोर्स इन उड़ीसा इन जे0पी0 शर्मा, ट जी सर्वे ऑफ एजूकेशनल रिसर्च (1988-92), 2, नई दिल्ली, एन.सी.ई.आर.टी. 1462-1463.
8. पॅवार, के.बी. (1993). विश्वविद्यालयों और कॉलेजों मे शिक्षकों को निष्पादन मूल्यांकन, उच्च शिक्षा पत्रिका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली वर्ष -1 अंक 4, पावस् 1993 पृ0 559.
9. फाउन्डेशन ऑफ विहैविरल रिसर्च द्धारा में सिंह के(2008). मनोविज्ञान: समाज शास्त्र तथा शिक्षा जगत के शोध विधिया, दिल्ली, मोतीलाल, बनारसी दास प्रकाशन।
10. शर्मा, आर.ए. (2011). शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया . मेरठ, आर0 लाल बुक डिपो।
11. शर्मा, आर.डी. (1985). एन एक्सपेरिमेण्ट स्टडी इनटू द इफैक्ट ऑफ टीचर ट्रैनिंग, प्ट सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजूकेशन (1991), 2, नई दिल्ली, एन.सी.ई.आर.टी. 986-987।
12. शुक्ला, ग्रीष्मा (2006). अध्यापक शिक्षा की क्षेत्र प्रासंगिक भारतीस आधुनिक शिक्षा एन.सी.ई.आर.टी. वर्ष 24 अंक 3 जनवरी 2006 पृ0 59.
13. सत्यगिरि राजन (1985).ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिट्वीन् कॉम्पटेन्सि परसनेलिटि मोटिवेशन एण्ड प्रोफेशन ऑफ कॉलेज टीचर, इन एम0बी0 बैच, ट जी सर्वे ऑफ एजूकेशनल रिसर्च (1991), 2, नई दिल्ली, एन.सी.ई.आर.टी. 1380.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) October to December 2019, Vol. I

हिन्दी उपन्यास और साम्प्रदायिकता

डॉ. जयराम त्रिपाठी *

प्रस्तावना – प्रेमचन्द युग के पूर्व उपन्यास न तो हिन्दु-मुसलमान संबंधों का अपना विषय बनाते हैं और नहीं हिन्दु-मुस्लिम साम्प्रदायिकता को। प्रेमचन्द हिन्दु-मुसलमान दोनों के घर परिवारों की कहानियां बड़ी सहजता से करते हैं तथा उनके धर्म और समाज की रूढ़ियों की आलोचना करते हैं। उनके हिन्दु पात्र सामान्य रूप से अच्छे हैं तथा बुरे हैं। साम्प्रदायिकता जैसी मनोभावना के खिलाफ उनका साहित्य सद्‌भाव का इतिहास है। प्रेमचन्द युग के अन्य उपन्यासकारों के यहाँ भी हिन्दु-मुस्लिम सम्प्रदायवाद का कोई चित्रण नहीं हुआ है। प्रसंग आने पर हिन्दु मुस्लिम सद्‌भाव का ही चित्रण हुआ है।हिन्दी उपन्यास की समाजवादी धारा के उपन्यासों जैसी यशपाल, भीष्म साहनी में हमें साम्प्रदायिकता की चुनौती स्वीकार करने, उसका पर्दाफास करने तथा उसकी अमानवीय परिस्थितियों को चित्रण करने के उदाहरण मिले हैं। साम्प्रदायिकता के सवाल पर यशपाल, भीष्म साहनी का पर्यवेक्षण, साम्प्रदायिकता को उसके बुनियादी रूप में समझने में मदद देता हैं।

ऐतिहासिक उपन्यासों, आंचलिक उपन्यासों आधुनिकतावादी उपन्यासों, ग्राम केन्द्रित उपन्यासों तथा समकालीन लेखकों के उपन्यासों में साम्प्रदायवाद का विवेचन किया गया है। बाबू वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों में सामन्तवाद-साम्प्रदायवाद मानसिकता को उजागर किया गया है। चतुरसेन शास्त्री ने **'सोमनाथ'** तथा **'आलमगीर'** उपन्यासों में महमूद और औरंगजेब के चरित्रों में मानवीय संवेदना एवं कोमलता के दर्शन कराये हैं। ग्राम केन्द्रित उपन्यासों में राही मासूम रज़ा, शिव प्रसाद सिंह के उपन्यासों में हिन्दु, मुस्लिम रिश्तों पर प्रकाश डाला गया है। राही मासूम राजा का 'आधा गाँव' उपन्यास अकेला उपन्यास है जो भारती पता एवं राष्ट्र दृष्टि को व्यंजित करता है। राही का आधा गांव हिन्दी उपन्यास की एक उपलब्धि है। साम्प्रदायिकता दृष्टिकोण पर इतनी तीखी टिप्पणियां तथा सेक्यूलर मानसिकता का इतना पारदर्शी आख्यान दुलर्भ हैं।

21वीं सदी के प्रारंभ में ही हिन्दी उपन्यास को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में कमलेश्वर का बहुचर्चित उपन्यास 'कितने पाकिस्तान' प्राप्त हुआ जो साम्प्रदायिकता को राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय स्वरूप का विवेचन करते हैं। शानी का उपन्यास 'काला जल' भी साम्प्रदायिकता की अभिव्यक्ति करता है। समाजवादी धारा के अन्य उपन्यासकारों ने भी उपन्यासों में प्रसंगवश हिन्दू मुस्लिम संबंधों का दर्शाया है। अमृत राय के 'बीज' तथा 'धुआँ' दो बड़े उपन्यास है, जिनमें हिन्दु-मुस्लमान पात्र आये हैं। भैरव प्रसाद पूँजीवादी व्यवस्था को उधेड़ने में अधिक सक्रिय रहे हैं। राँगे व राघव ने 'विषाद मठ' जैसे उपन्यास में हिन्दू-मुसलमान दोनों को अकाल की यातना भोगते दिखाया है। राहुल ने भी साम्प्रदायिक सद्‌भाव की कहानियां लिखी है। सामान्यत: समाजवादी धारा के उपन्यास धर्म निरपेक्ष मानसिकता से लिखे गये उपन्यास हैं।

अब्दुल बिस्मिल्लाह 'झीनी-झीनी बीनी चदरिया' में हिन्दु-मुस्लिम रिश्तों पर प्रकाश डालते हैं। उनका कहना है कि साम्प्रदायिकता अपने में अलग कोई समस्या नही है, कभी वह धर्म की आड़ लेकर कभी आर्थिक हितों की आड़ लेकर कभी राजनीतिक स्वार्थ के चलते उकसाई और पनपाई जाती है। विभूति नारायन राय को 'शहर में कर्फ्यू' अपने ढंग से मानवीय संवेदना से प्रेरित उपन्यास है। बलवंत सिंह का 'काया कोस' देश-विभाजन को लक्ष्य बनाकर व्यक्त किया है। लेखक ने विभाजन के पीछे राजनीति को लांछित किया है। बलवंत को उक्त उपन्यास साम्प्रदायिक मनोभावना के सशक्त प्रतिरोध का उपन्यास है। भारत को भी चहुँमुखी विकास के लिए साम्प्रदायिक संकीर्णता से मुक्त होना होगा। आज सामाजिक जड़ता, कुरीतियों, रूढ़ियों, कर्मकांडों एवं धर्मान्धता के विरूद्ध प्रकृतिवादियों व बुद्धिजीवियों के विवेकशील तथ्यपरक मानवीय चिन्तन से अनुप्राणित निरन्तर चलाए गए आन्दोलनों और अभियानों का परिणाम है कि विश्व का एक बड़ा हिस्सा धर्म की जकड़न से मुक्त हो पाया है। समकालीन हिन्दी उपन्यासकार इस अभियान को अपने लेखन के माध्यम से बढ़ाना चाहते हैं। यही कारण है कि उनके पात्र स्थान-स्थान पर सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा को सौद्देश्य रूप देने वाली अभिव्यक्तियाँ करते हैं। वर्तमान समय में भारतीय जीवन का भविष्य इस स्वस्थ चिन्तन के अभाव में प्रगति के मार्ग पर नहीं बढ़ सकता।

आधुनिक काल में गद्य के आविर्भाव के साथ बदलते परिप्रेक्ष्य में मानवीय संवेदना और सामाजिक जटिलताओं का अंकन करने के लिए 'उपन्यास' व 'कहानी' विधा अस्तित्व में आयी। पूँजीवादी सभ्यता की तमाम विविधताओं को इस विधा में समाहित करने की चेष्टा हुई और उपन्यास इसे अंकित करने में सहायक हुआ। जिस समय हिन्दी में 'उपन्यास' की शुरूआत हुई, उस समय भारत में अंग्रेजी साम्राज्य पूरी तरह स्थापित हो चुका था। शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो रहा था। पहले तो अंग्रेजों ने भारतीयों के धर्म विषयक मामलों में हस्तक्षेप न करने का निर्णय किया था, लेकिन कालांतर में उन्होंने महसूस किया कि इस मामले में हस्तक्षेप अंग्रेजी साम्राज्य को मजबूत करेगा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मुसलमानों का राज एवं नवाबी समाप्त तो हो गयी थी, लेकिन पुरानी ठाठ व राजसी अन्दाज बचा हुआ था। हिन्दू भी नयी शासन-व्यवस्था में अपने लिये जगह तलाश रहे थे। अंग्रेजों के लिए चूँकि भारतीय परिवेश नया था, अत: शासन में वे इन्हीं अभिजातवर्गीय लोगों की सहायता ले रहे थे। एकच्छत्र शासन हो जाने के बाद शासन कार्य के लिए एक ऐसी भाषा की खोज हो रही थी, जो आमजन

* सहा. प्रोफेसर, हेमवती नंदन बहु. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नैनी, प्रयागराज (उ.प्र.) भारत

के लिए सुगम हो। कचहरियों की भाषा 1837 ई. में हिन्दुस्तानी उर्दू कर दी गयी थी। साहित्य में दिल्ली के शाह वलीउल्लाह ने उर्दू को रचना माध्यम बनाकर मुसलमानों की भाषा बनाने का प्रयत्न किया। शाह वलीउल्लाह ने उर्दू को मुसलमानों की अस्मिता से जोड़ा और कुरान का पहले अरबी से फारसी में फिर उर्दू में अनुवाद कराया। उन्होंने मुसलमानों को एक भाषा के सूत्र में बाँधने की कोशिश की। हिन्दी क्षेत्र में इसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। हिन्दी नया रूप ले रही थी और राजा शिवप्रसाद सिंह 'सितारे हिन्द' और राजा लक्ष्मण सिंह इसे क्रमश: अरबी-फारसी मिश्रित एवं तत्समबहुल शब्दों से युक्त करना चाह रहे थे। भाषा का यह विवाद आम जन की नौकरियों से भी जुड़ा। इसी बहाने समाज में अरसे से चली आ रही हिन्दू-मुसलमान सद्भावना में दरार भी पड़ी। औरंगजेब के समय में जिस इस्लामी कट्टरता ने हिन्दू-मुसलमानों के आपसी सौहार्द्र को आंच पहुँचायी थी, वह अंग्रेजों के हस्तक्षेप से धधकने के लिए तैयार हो गयी थी।

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र; जो रसखान आदि मुसलमानों के लिए 'इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिन्दू वारियेय का आदर्श तो रखते हैं, लेकिन साहित्य और व्यावहारिक जीवन में उनके यहाँ इस्लाम के प्रति दुर्भावना की झलक मिलती है। भारतेन्दु-युग का समग्र साहित्य इसी मनोभूमि में पलता है और अंग्रेजों को देश की दुर्दशा का जिम्मेदार मानने के बावजूद समाज में धर्म के गिरते स्तर के लिए मुसलमानों को उत्तारदायी ठहराता है। **वीर भारत तलवार** ने अपनी पुस्तक **रस्साकशी** में इस द्वन्द्ध को बखूबी उभारा है।

ऐसे कठिन समय में सन् 1880 ई. में **लाल श्रीनिवास दास** का उपन्यास **'परीक्षागुरू'** आया। परीक्षागुरू को हिन्दी का पहला उपन्यास माना जाता है। यह एक शिक्षाप्रद उपन्यास है जिसमें 'लेखक ने समकालीन यथार्थ को तत्कालीन परिवेश में चित्रित किया है।' इस उपन्यास में परीक्षा को गुरू सिद्ध करने के लिए कथानक बुना गया है। उपन्यास में उन्नीसवीं शताब्दी के उभरते मध्यवर्ग का अंकन है जिसमें अंग्रेज, हिन्दू, मुसलमान सभी पात्र हैं, जो लाल मदनमोहन के सहकर्मियों में हैं और अन्य पात्रों की तरह ही चालाक, खुशामदी एवं स्वार्थी हैं। इसमें आया मुसलमान पात्र अन्य पात्रों की तरह समाज का एक हिस्सा है।

राधाकृष्ण दास द्वारा लिखित **'निस्सहाय हिन्दू'** (1890 ई.) पहला उपन्यास है, जिसमें मुसलमान पात्र कथानक का अनिवार्य हिस्सा है। 'निस्सहाय हिन्दू' में मदनमोहन गोवध रोकने के लिए अभियान चलाता है। उसके इस अभियान का समर्थन अब्दुल अजीज नामक एक उदार मुसलमान करता है। संकीर्ण मानसिकतावाले एवं कट्टर धर्मानुयायी अब्दुल अजीज की खिलाफत करते हैं एवं उसे विधर्मी कहते हैं। लेकिन अब्दुल अजीज अपने मत पर दृढ़ रहता है। अन्त में मदनमोहन एवं अब्दुल अजीज की हत्या हो जाती है, जिससे त्रासद वातावरण उत्पन्न होता है, लेकिन साम्प्रदायिक सद्भाव की जो मिसाल कायम होती है, वह उन्नीसवीं शताब्दी में दोनों समुदायों के बीच पनप रही साम्प्रदायिक समस्या की भयावहता के खिलाफ अपना रचनात्मक प्रतिरोध दर्ज कराती है। 'निस्सहाय हिन्दू' उपन्यास हिन्दू-मुसलमान एकता का औपन्यायिक रूप है। 'निस्सहाय हिन्दू साम्प्रदायिक एकता और मानवीय उदारता का प्रतीक है।'

राधाकृष्ण दास द्वारा रचित 'निस्सहाय हिन्दू' उपन्यास इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि '19वीं सदी के उत्तारार्द्ध में... गोरक्षा का मुद्दा जितना धार्मिक था, उससे कहीं ज्यादा राजनीतिक था। अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करने के लिए मुस्लिम भद्रवर्ग खुलेआम गोकशी करता था या उसे समर्थन देता था, तो उसको रोकने में मिलनेवाली सफलता या असफलता से हिन्दू भद्रवर्ग की राजनीतिक ताकत की माप होती थी।' दयानन्द सरस्वती व भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने क्रमश: 1880 ई. में 'गौकरूणा निधि' व 1881 ई. में 'गोमहिमा' नामक पुस्तक लिखकर गाय की धार्मिकता को पुन: उभारा और गोरक्षा को हिन्दू अस्मिता का प्रश्न बनाया। सन् 1880-81 ई. में मिर्जापुर में बकरीद पर गोकशी कर रहे अकबर अली खाँ को मना करने के लिए हिन्दू अदालत तक गये थे, लेकिन अंग्रेज सरकार ने अकबर अली खाँ के पक्ष में मत दिया था जिससे समाज में गोरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाने का वातावरण भी तैयार हो चुका था। 'निस्सहाय हिन्दू' उपन्यास इसलिए भी मूल्यवान् है कि सन् 1884 ई. में 'भारतमित्र' पत्र में लगातार एक विज्ञापन छप रहा था कि 'गोवध निवारण विषय पर जो कोई ऐसी रचना-काव्य, नाटक या उपन्यास लिखेगा 'जो आर्यजन के चित्ता में घृणा, लज्जा और उत्साह बढ़ानेवाली होय उसे 50 से 100 रूपये तक का पुरस्कार दिया जायेगा।' और यह पुरस्कार सबसे पहले **'सुकवि' पण्डित अम्बिकादत्ता व्यास** को उनके नाटक **'गोसंकट'** पर मिला। ऐसे समय में 'निस्सहाय हिन्दू' उपन्यास हिन्दू-मुसलमान सम्बन्धों का सौहार्दपूर्ण एवं असम्प्रदायिक चेहरा लाता है।

वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखे गये हैं। वर्मा जी ने 'ऐतिहासिक सामग्रियों का उपयोग अपेक्षाकृत मानवीय कोमल प्रवृत्तियों के सफल अंकन के लिए ही किया है। इन्होंने इतिहास की उन्हीं सामग्रियों को ग्रहण किया है जिनके चयन से उपन्यास की मनोरंजकता तो बनी ही रही, साथ-साथ जीवन के विविध पक्षों का पारस्परिक संघर्ष और उदात्ता वृत्तियों की विजय भी अंकित होती चली गयी।' स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व कोई अन्य महत्तवपूर्ण उपन्यास नहीं मिलता, जिसमें हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों का विश्लेषण किया गया हो। आजादी के बाद कई ऐसे उपन्यास लिखे गये जिनका मुख्य आधार देश-विभाजन की समस्या और उससे जुड़ी हुई हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों की पृष्ठभूमि है। साम्प्रदायिकता भारत के लिए अभिशाप और जहर है। साम्प्रदायिकता की समस्या भारतीय समाज में किस तरह उत्पन्न हुई, इसका राजनीतिक अभिप्राय क्या है और धार्मिक भेदभाव की दीवारों से मुख्य इंसानियत के विकास में यह कैसी बाधा है, इसके पीछे कौन-कौन सी शक्तियां सक्रिय है, इनका विश्लेषण एवं विवेचन करना मुख्य उद्देश्य है।

साम्प्रदायिकता की समस्या, जो आधुनिक भारत की सबसे ज्वलन्त समस्या है और जिससे सम्प्रति राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक-हर स्तर पर बौद्धिक और प्रशासकीय सभी आयामों पर निपटा जा रहा है। विचार करने पर लगा कि यदि वस्तुत: हमारा सामाजिक जीवन और हमारे तमाम सामाजिक क्रिया-कलाप साहित्य में प्रतिबिम्बित होते हैं, साहित्य समाज को तथा समाज साहित्य को प्रभावित और प्रेरित करता है, तो देखने और विचार करने की बात है कि साम्प्रदायिकता की वर्तमान समस्या साहित्य में किस रूप में प्रतिबिम्बित हुई है या साहित्य ने इस समस्या को कहाँ तक प्रेरित या प्रभावित किया है। साम्प्रदायिकता के विषय में हमारे रचनाकारों का रूख क्या और कैसा है?

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विपिन चन्द्र, स्वाधीनता संघर्ष और साम्प्रदायिक फासिज्म, राष्ट्रीय एकता प्रकाशन, लोहिया बाजार, व्यावर, राजस्थान- 305901।
2. मानव, विश्वम्भर, उन्नीसवीं शताब्दी के उपन्यासकार, स्मृति प्रकाशन, 61, महाजन टोला, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण- 1970ई.।
3. राय, डॉ0 गोपाल, हिन्दी उपन्यास का इतिहास, राजकमल प्रकाशन प्रा.लि., 1-बी., नेताजी सुभाष मार्ग, नयी दिल्ली- 110002, प्रथम

संस्करण– 2002ई.।
4. दूबे, अभय कुमार, साम्प्रदायिकता के स्त्रोत, विनय प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1993 ई.।
5. विपिनचन्द्र, आजादी के बाद का भारत, हिन्दी माध्यम कार्यक्रम निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, द्वितीय संस्करण– 2002 ई.।
6. जलाल, डॉ0 वी.के. अब्दुल, समकालीन हिन्दी उपन्यास : समय और संवेदना, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली– 2006ई.।
7. मनु प्रकाश, बीसवीं शताब्दी के अन्त में उपन्यास, नमन प्रकाशन, नयी दिल्ली, प्रथम संस्करण– 2003ई.।
8. जोशी, ज्योतिष, उपन्यास की समकालीन, भारतीय ज्ञानपीठ, 18, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नयी दिल्ली– 3, प्रथम संस्करण– 2007ई.।
9. पाण्डेय, इन्दु प्रकाश, हिन्दी के अधुनातन नारी उपन्यास, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण– 1979ई.।
10. सिंह, कुँवरपाल, राही मासूम रजा (मोनोग्रॉफ), साहित्य अकादमी, नयी दिल्ली, प्रथम संस्करण– 2005ई.।
11. बदीउज्जमाँ, छाको की वापसी, राधाकृष्ण प्रकाशन, नयी दिल्ली संस्करण 1975 ई.।
12. साहनी, भीष्म, नीलू–नीलिमा–नीलोफर, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, प्रथम संस्करण– 2000ई., आवृत्ति, 2007 ई.।

****

Live in Harmony with Nature

Dr. Jolly Garg*

Keywords- Biodiversity Conservation, Low of conservation of energy, Capacity building, Ethics values, human health, ecological balance of global ecosystem.

Introduction - The current development paradigm - maximizing individual material wealth - is sweeping aside natural forests, particular tropical rainforests. Such forests simply cannot compete, in terms of revenue generated per unit area, with land use alternatives but continued conversion of natural forests to other land uses may have catastrophic consequences for global human well being. If we are to avert these consequences, changes are required to the values in the mind set of human society that form the basis of global development. Ethics arises out of interaction between different realms of aspirations – and they are therefore a function of human society. The term "ethics" is derived from Greek word "ethos" which means character. It refers to one's ability to distinguish the right from the wrong, the values, beliefs and actions, which shape the character of a person and the society .This discipline is also referred to as moral philosophy. The notion of 'right' and 'wrong' has varied from time to time, so have the "beliefs'' and ''values'' of people. However, there are certain ethical principles, which have been universally acceptance and have remained unchanged throughout the course of human history. Some of the widely accepted environmental ethical principles are honesty, integrity, righteousness, being caring and compassionate having respect for trees, with nature i.e., global ecosystem and a fair and open mind, which is willing to admit mistakes etc. It is these universally accepted ethical beliefs which help us to formulate a relatively new discipline of philosophy, which has been referred to environmental ethics. The Environmental Ethics refers to the issues, principles and guidelines relating to the human interactions with their environment including biodiversity specifically.

Biodiversity is essential for the survival of all living beings including humans. Because of the rich biodiversity wealth of the country, critical biodiversity assessment and its conservation strategies is important task ahead among the ecologists, the environmentalists and each and every individual of human society.

India is the eleventh mega-biodiversity center in the world and the third in Asia with its share of ~11% of the total plant resources. The floral wealth of India comprises more than 47,000 species including 43% vascular plants. Nearly 147 genera are endemic to India.[1] The vast geographical expanse of the country has resulted in enormous ecological diversity, which is comparable to continental level diversity scales across the world. It has representation of twelve biogeography provinces, five biomes and three bioregions. India, one of the twelve "Vavilovian Centers of Origin" and diversification of cultivated plants, is known as the 'Hindustan Centre of Origin of Crop Plants'. A broad review of literature reflects that alterations in once existing pattern of life and environment is inevitable in development. A revolutionary movement in terms of biodiversity conservation is at times relevant to alter this pattern in order to attain the objectives mentioned in Convention of Biodiversity (CBD). Above industrialization, excessive increase in human population, excessive consumerism and luxurious life-style are the some causes of depletion of natural resources including the biodiversity. Elementary infrastructure of a particular ecosystem and is highly interlinked with people's mind-set for ecology. Indian studies revealed that our ancient literature has a tremendous potential to enhance the values and ethics in terms of ecological knowledge. This study will provide new insights into the development of holistic background and that will help to identify those factors that restrict people to form an eco- friendly mindset so for.

Humanity faces exceptional challenge of eroding natural resources and declining ecosystems services due to a multitude of threats created by unprecedented growth and consumerism. Also imperiled is the biodiversity and sustainability of the essential ecological processes and life support systems (Chapin *et al.*, 2000) in human dominated ecosystems across scales (Vitousek *et al.*, 1997). Indeed, human-domination of earth is evident in global change (Ayensu *et al.*, 1999; Lawton *et al.*, 2001; Phillips *et al.*, 1998; Forest *et al.*, 2002), biodiversity extinctions (Bawa and Dayanandan 1997; Sala *et al.*, 2000; Singh, 2002) and disruption of ecosystem functions (Loreau *et al.*, 2001). Ecological problems coupled with unequal access to resources results in human ill-being and threats to the livelihood security of the world's poorest (Balvanera *et al.*, 2001). Balance exists between ecological processes and

*Associate Professor & Head (Botany) D.A.K. P.G. College, Moradabad (U.P.) INDIA

human activities such that human activities reinforce ecological health and vice -versa.

It has been essential to have a reference of some examples of values from ancient time.

'Vasudhaiva Kutumbkam' the whole world is one family (Maha Upnishad 6, 72).

'Satyam Shivam Sundram' (truth, goodness and beauty)

'Everything is meant for everybody'

Every action has an equal and opposite reaction that is the 'butterfly effect' . whatever, whenever, wherever, whoever does has a repercussions on something, somewhere, sometime and on someone and reverts back to the action center somehow.

The 'concept of Karmas' 'what you sow, so shall you reap' are the universally accepted

'Satyam Vada Dharmam Chara' (speak truth and walk righteously) Taittireeya Upnishad:1 , 11

'Vividhata mai ekta' (unity in diversity) is recognizing, respecting and responding to the diversity that one postulate unity. This value also holds good even today.

Ekam Sat Vipra Vahuda Vadanti (truth is one but its interpretation is varied. (Rig Veda, 1, 164)There should be a healthy exchange of ideas and perspectives with cooperation without arrogance and violence.

'Aaap jo vayavahar apne liye chahte hai vahi dusro ke liye rakhe' (Whatever You Wish that others would do to you, do also to them'

Glory to god in the highest, peace on earth and hope to human beings Dharmaram Vidya Kshetram motto in Sanskrit ' Ishabhakti Param Janam devotion to the Lord i.e., the ultimate supreme wisdom.

Culture in itself is constantly dynamic wisdom and knowledge and containing values. Educational institutions produces examines appraises and transferred culture through research and teaching. There is the adage 'Wealth is lost, nothing is lost, health is lost, something is lost; character is lost, everything is lost'.

Discussion: Nature has provided us with all the resources for leading a beautiful life. She nourishes us like a mother, we should respect and nurture her reciprocally. Some issues are subject matter of state policy of the country where are ethics in pure subject is matter of individual level of understanding. However with social compulsions unethical acts can be minimized. We can start measuring the status of a society by the percentage the people of ethical values and courage in order to mount social compulsion for checking unethical acts. We can enlist possible hideouts of unethical acts. The distribution of the resources of the world should be egalitarian as far as possible. All men are equal. The 'rights' of the environment and natural resources should take precedence over the right of individuals as they are linked to the welfare of the entire biosphere. Millions of years of evolution have created a wealth of structures and mechanisms at the molecular, cellular and macro-structure level, all of which function economically and interact, to perfection. Nature provides solutions to most of life's technical problems. This makes biological prototypes particularly important for our future given the world's resources and a solution to increasing environmental problems.

Ecological restoration has also been able to renew economic opportunities, rejuvenate traditional cultural practices and refocus the aspirations of local communities (Gann, 2006). It is quite essential to gain a profound understanding of the environment and biodiversity conservation. Motivation and awareness about the negative impact of the dark side of the biodiversity loss has to be play an important role. During the course of development and rapid increase in human population, we are losing ethical values. Each and every individual is responsible for the depletion of ecosystem and the biodiversity; hence should carry on the responsibility to halt the erosion of biodiversity, conservation as well as eco-restoration. The "Environmental Ethics" can play a very significant and crucial role as ethics control the mind-set of an individual; so the environment, ecology and biodiversity. Environmental ethics also played significant role in the biodiversity conservation. We have to adopt the principle of three R's i.e. Reduce, Recycle and Reuse of natural resources; rather than uncontrolled reproduction, luxurious use of natural resources, refusal to ecological unfriendly habits and re-adoption of ecological and eco friendly mindset. It is no doubt hard to tackle the psycho-socio-cultural barriers in biodiversity conservation. Efforts should be taken to attract, generate interest, clear doubts and inculcate the eco-friendly practices. It is very clear that "Environmental Ethics Development" initiatives be accorded in a daily routine of every human being. It is not very tough to make the people aware of the environmental knowledge that we have gathered so far; but real challenge is to develop ethics relevant to the present. It is very clear that we lack more in ethics then in knowledge. Environmental education thus must consist of both knowledge of environment and environmental ethics. Ethics are necessary in order to ensure desired practice in all human being of all ranks. For this, equilibrium is to be established among Formal education, inspirational education and knowledge of Environmental rights. The overall purpose of environmental education is to develop a person in order to follow, inspire and influence others to follow and prevent others from violating the laws designed and formulated for protection of our environment. At all environmental literacy should be ensured to all human beings for their active participation in day to day happening, scientific developments and its consequences, formation and practical implementation of environmental laws etc.

To avert the threats, natural and social sciences have helped by acquiring and applying knowledge about ecosystem conservation and restoration and by strengthening the policy and practice of sustainable development. Scientific research on human-environmental

interactions is now a budding sustainability science (Kates *et al.*, 2001). The concept recognizes that the well-being of human society is closely related to the well-being of natural ecosystems. The intellectual resources on which the sustainability science is building on need to take into account the knowledge of local people as well. We need, therefore, to foster a sustainability science that draws on the collective intellectual resources of both formal sciences, and local knowledge systems of knowledge i.e., ethno science. Driven by the situation scientific research on human-environmental interactions has developed into the new branch of knowledge known as the Sustainability Science (Kates *et al.*, 2001).

The concept has developed on the basis of the recognition that the well-being of human society is closely related to the well-being of natural ecosystems. Sustainability science seeks to comprehend the fundamental character of interactions between nature and society, specifically the interaction of global processes with the ecological and social characteristics of particular places and sectors (Kates, 2002; 2005).

The Earth Charter Initiative is a 'collectivist' or 'global environmental ethics' approach – i.e. a civil society process in which the aim is the collective good. Some important contribution of forestry are Wood products (timber, pulp and paper); Non Wood Forest Products (food, medicines, craft materials); Environmental services (water regulation, Biogeochemical cycle regulation) climate change mitigation, energy provision, recreational use) and employment along with a long list of benefits. Human race should prefer to combine the idea of 'capabilities' with the idea of 'unleashed potential' by using the term 'realms of aspiration'. These realms of aspiration are not restricted to normative categories of basic needs or capabilities, implying what ought to be pursued – rather they reflect areas of human aspiration and interaction where unleashed capability is 'to-be-decided', up for grabs and the starting point for ethical infrastructure formulation.

Two key characteristics of these systems are that the unit of nature is often termed a 'local ecosystem'. In the ecosystem a-biotic and biotic components, (plants, animals, and humans) areconsidered to be interlinked, interdependent and interrelated. Exploitation of the natural resources by humankind at a greater rate does not allow normal regeneration under natural environmental conditions ; this leads to the rate of degenerative process greater than the degenerative capacity of the earth global ecosystem. Development of human beings at the cost of environment can take place only upto a specific point. Beyond that environmental factors will become the limiting factors for the survival and welfare of human beings.There is a need of holistic understanding of the relationship between the environment and the development processes taking place in the world and "Holistic Development" is essential and human beings have to follow the Global Ecosystem Approach. (Jolly Garg, 2017, 2018a, 2018b). The cell is the unit of the body of all living beings and is constituted by five elements of nature. These five elements have been identified as Prithvi or soil, water, air, agni ion(cosmic rasiat) and Akash. God who exists in this universe lives in air, water and fire and human beings should have reverence for them. Protection and preservation of the air, soil, water, Biodiversity i.e., human beings, flora & fauna and other important constituents of ecosystem has become essential for the existence of mankind. The basic fundamental concept of development is 'for all human beings and for the whole human being'. Collective wisdom of humanity for conservation of biodiversity, embodied both in formal science as well as local systems of knowledge, therefore, is the key to pursue our progress towards sustainability meaning in one line is 'Live in harmony with nature'.

References:-

1. Ayensu, E. *et al.*, (1999). International ecosystem assessment. *Science* 286: 685-686.
2. Balvanera, P. et al., (2001). Conserving biodiversity and ecosystem services. *Science* 291: 2047.
3. Bawa, K. S., and Dayanandan, S. (1997). Socioeconomic factors and tropical deforestation. *Nature*386: 562-563.
4. Cardinale BJ, Duffy JE, Gonzalez A, et al (2012) Biodiversity loss and its impact on humanity. Nature 486:59–67
5. Chapin F.S. III, Zavaleta, E.S., Eviner, V.T., Naylor, R.L., Vitousek, P.M., Reynolds, H.L., Hooper, D.U., Lavorel, S., Sala, O.E., Hobbie, S.E., Mack, M.C. and Diaz, S. (2000). Consequences of changing biodiversity. *Nature* 405: 234-42.
6. Forest, C.E., Stone, P. H., Sokolov, A. P., Allen, M. R., and Webster, M.D. (2002). Quantifying uncertainties in climate system properties with the use of recent climate observations. *Science* 295: 113-117.
7. Gann, G.D., & D. Lamb, eds. 2006. Ecological restoration: A mean of conserving biodiversity and sustaining livelihoods (version 1.1). Society for Ecological Restoration International, Tucson, Arizona, USAand IUCN, Gland, Switzerland.
8. Garg, J. 2017. Environmental Ethics : in perspective of Biodiversity Conservation and human welfare. The J. Meerut Univ. History Alumni.Vol.29.15 .2017. pp. 126- 131.
9. Garg J. 2018 a . Some traditional and innovative approaches for biodiversity conservstion. Int J Agriculuture Sci. 10(12): 6501-3. Available from: https://www.researchgate.net/publication/331368680_Traditional_and_I nnovative_Approaches_In_Perspective_of_Biodiversity_Conservation.
10. Garg, J. 2018 b. Traditional and innovative approaches : in perspective of Biodiversity Conservation. Journal of National Development Volume 31, No.1 (Summer), 2018 pp. 1-10.
11. Kate, K.t. (2002). Science and the Convention on Biological Diversity. *Science* 295: 2371-2372.

12. Kates, R. W., Clark, W. C., Corell, R., Hall, J. M., Jaeger, C. C., Lowe, I., McCarthy, J. J., Schellnhuber, H. J., Bolin, B., Dickson, N. M., Faucheux, S., Gallopin, G. C., Grubler, A., Huntley, B., Jager, J., Jodha, N. S., Kasperson, R. E., Mabogunje, A., Matson, P., Mooney, H., Moore III, B., O'Riordan, T., Svedlin, U. (2001). Sustainability Science. *Science* 292: 641-642.
13. Kates, R., Parris, T. and Leiserowitz, A. (2005). "What is Sustainable Development?"Environment 47(3): 8-21. Retrieved on: April 2009.
14. Lawton, R. O., U.S. Nair, R.A. Pielke, and R.M. Welch. (2001). Climatic impact of tropical lowland deforestation on nearby montane cloud forests. *Science* 294: 584 - 587.
15. Loreau, M. et al., (2001). Biodiversity and ecosystem functioning: Current knowledge and future challenges. *Science* 294: 804-808.
16. Phillips, O. L. et al., (1998). Changes in the carbon balance of tropical forests: evidence from long-term plots. *Science* 282: 439-442.
17. Sala, O. E. et al., 2000. Global biodiversity scenarios for the year 2100 . *Science* 287: 1770-1774.
18. Singh, J.S., 2002. The biodiversity crisis: A multifaceted review. Current Science , Vol.82, No. 6, PP. 638 -647
19. Sangita Gupta and J. Garg 2016. Government policies Pertaining to woman Welfare: Suggestions for effective qand Practical Implementations. The Journal of the Meerut University History Alumni ISSN 0973-5577 Vol. XXCVIII, 2016 pp. 160 - 167.
20. Vitousek, P.M., Reynolds, H.L., Hooper, D.U., Lavorel, S., Sala, O.E., Hobbie, S.E., Mack, M.C. and Diaz, S. (2000). Consequences of changing biodiversity. *Nature* 405: 234-42.

****

माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. सतीश पाल सिंह *

प्रस्तावना – शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। अत: किसी भी मानव समाज में इसका बडा महत्व है। आज प्राय: सभी देशों में शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और विशिष्ट वर्गो में बांटा गया है और इनमें प्रत्येक वर्ग की शिक्षा का अपना महत्व है। लेकिन सबसे अधिक महत्व प्राथमिक शिक्षा का है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा ही शिक्षा की नींव का पत्थर है। यदि हमारी नीवं मजबूत होगी तो ही हम उस पर एक बडी बिल्डिंग तैयार कर सकते है।

प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति योग्य कुशल एवं प्रशिक्षित अध्यापकों पर निर्भर करती है। क्योंकि अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया का सच्चा सूत्रधार है। किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके व्यक्तित्व का बालकों के ऊपर अमिट प्रभाव पडता है और वह उनके भावी जीवन की नींव रखता है। वह शिक्षा के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करता है, जिससे कि बालक अपनी प्रतिभा एवं क्षमता का समुचित प्रयोग कर सके। अध्यापक का कार्य यह सुनिश्चित करना होता है कि विद्यार्थी जो भी सीखता है वह उसके लिए अच्छा उपयोगी है और वह अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग कुशलता व दक्षतापूर्वक सीखने में लगा रहा है। शिक्षक अपने शिक्षण कला के कौशलों द्वारा विद्यार्थी का मार्गदर्शन करता है और इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि अध्यापक का व्यक्तिगत जीवन उसका रहन सहन सोचने विचारने एवं काम करने का तरीका कैसा है, जिसका उदाहरण वह स्वयं प्रस्तुत करता है वह विद्यार्थी की स्वाभाविक शक्ति व क्षमता, मानसिक शक्ति, कल्पना शक्ति, अन्तर्बोध, सूझबूझ एवं सृजन शक्ति के उपयोग के लिए प्रेरणा प्रदान करता है परन्तु यह भी सम्भव है जब शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से अपना योगदान दे।

यदि शिक्षक योग्य है व उसकी अध्यापन शैली प्रभावशाली है, उसका शिक्षण दक्षतापूर्ण है, उसकी शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति धनात्मक है और वह अपने इस शिक्षण व्यवसाय से संतुष्ट भी है तो वह अपनी क्षमता के आधार पर छात्रों के जीवन को उचित दिशा प्रदान कर, उनके भविष्य रूपी दीप को प्रज्जवलित कर सकता है। शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों को तभी प्राप्त कर सकता है जब उसका शिक्षण कार्य प्रभावशाली हो। शिक्षक के शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे उन साधनों उपकरणों उपायों आदि का ज्ञान प्राप्त कर सके जिससे उसकी शिक्षण प्रभावशीलता में वृद्धि हो। इस प्रकार शिक्षण की क्रिया निश्चित रूप से अधपक शिक्षा पर निर्भर करती है क्योंकि अध्यापक शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा भावी अध्यापकगण निहित कौशलों तथा तकनीकों से परिचित होते है और वे दक्षतार्जन करते हुए अपेक्षित शिक्षण व्यवहारों को आत्मसात करने में सक्षम हो जाते है।

सन्दर्भ साहित्य की समीक्षा

देवराज (2003) ने 'हाईस्कूल स्तर के शिक्षकों की शिक्षण व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति विषय पर अपना अध्ययन' कार्य किया। और पाया कि सरकारी स्कूल के अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति अच्छी पायी जाती है तथा लिंग और स्थान शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति पर कोई प्रभाव नही डालते है तथा यह भी पाया कि उम्र शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति को प्रभावित करती है।

सिंह, जी (2007) 'छात्राध्यापकों की व्यवसायिक सन्तुष्टि का शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति के साथ सम्बन्ध' विषय पर अपना शोध कार्य किया और निष्कर्ष रूप में पाया कि शिक्षकों की व्यावसायिक सन्तुष्टि उनके शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति से धनात्मक रूप से सहसम्बन्धित होती है।

सुमंगला, वी0 एवं वसादेवी बी0के0 (2009) ने 'अभिनय शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति और व्यावसायिक सन्तुष्टि शिक्षण में सफलता की भविष्यवाणी' विषय पर अपना शोध कार्य किया। और पाया कि कार्य द्वन्द्व और शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की सफलता की सार्थक रूप से भविष्यवाणी करती है तथा यह भी पाया कि कार्य द्वन्द्व कार्य में सफलता को ज्यादा प्रभावित करता है।

सिलवेस्टर एम0जे0 (2010) ने 'छात्राध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति एवं व्यवसायिक सन्तुष्टि का अध्ययन' विषय पर अपना शोध कार्य किया और अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि छात्राध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति और व्यवसायिक सन्तष्टि को लिंग, संस्थान की स्थिति, शैक्षिक योग्यता और शिक्षण का अनुभव आदि प्रभावित करते है। तथा यह भी पाया कि महिला छात्राध्यापक और पुरूष छात्राध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नही पाया गया। तथा अध्ययन में छात्राध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति एवं व्यवसायिक सन्तुष्टि में कोई सम्बन्ध नही पाया गया।

हूसैन ई0टी0 आल (2011) 'माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति' पर अपना शोध कार्य किया और निष्कर्ष रूप में पाया कि शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति शिक्षकों की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है तथा यह भी पाया कि व्यवसाय में सफलता के लिए व्यवसायिक दक्षता, व्यवसायिक प्रभाव एवं व्यवसायिक अभिवृत्ति बहुत आवश्यक होती है।

कौर हरमीत (2012) ने 'माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षण व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति का समायोजन' के साथ सम्बन्ध विषय पर अपना शोध कार्य किया। और अध्ययन में पाया कि अधिक समायोजित अध्यापक और कम समायोजित अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर पाया गया। कम समायोजित अध्यापकों की अपेक्षा अधिक

* एसोसिएट प्रोफेसर, अध्यापक प्रशिक्षण विभाग, दिगम्बर जैन कॉलेज, बड़ौत (बागपत) (उ.प्र.) भारत

समायोजित अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति धनात्मक पायी गयी है।

सिंह एव यादव (2018) माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षको के शिक्षण व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन अध्ययन किया गया है। निष्कर्ष में पाया कि माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के शिक्षण व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की अपेक्षा अधिक धनात्मक है। गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयो के शिक्षकों की शिक्षण अभिवृत्ति सरकारी विद्यालयों की शिक्षकों की अपेक्षा कम पाया जाना इस बात को इंगित करता है कि गैर सरकारी विद्यालयों में कम वेतन, पदोन्नति न मिलना, संसाधनों की कमी एवं उन्हें अन्य सुविधाएँ न मिलना के साथ नौकरी से हटाये जाने की चिन्ता आदि हो सकता है। वहीं सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को उच्च वेतन के साथ-साथ अन्य वेतन भत्ता आदि के साथ पदोन्नति आदि मिलना हो सकता है।

अध्ययन का औचित्य – आज हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया हैं और इसके लिए कही न कही शिक्षक भी जिम्मेदार है। आज शिक्षण व्यवसाय में ऐसे व्यक्ति आ रहे है जिनकी शिक्षण में कोई रूचि नही होती है, शिक्षण में कोई अभियोग्यता नही है और शिक्षण के प्रति अच्छी अभिवृत्ति भी नही होती है। ये व्यक्ति इस व्यवसाय के सम्मान, अच्छा वेतन एवं पर्याप्त समय के कारण इस व्यवसाय में आ रहे है लेकिन किसी व्यवसाय में सफल होने के लिए आवश्यक है कि उनमें रूचि होनी चाहिए अभिक्षमता होनी चाहिए तथा उसके प्रति अच्छी अभिवृत्ति होनी चाहिए।

उ0प्र0 में माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों की योग्यता स्नातक एवं बी0टी0सी0 प्रशिक्षण है लेकिन शिक्षको की कमी को देखते हुए उ0प्र0 सरकार ने पूर्व में बी0एड0 एवं बी0पी0एड0 प्रशिक्षितों को विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण कराकर प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्त किया है। जहां तक बी0एड0 प्रशिक्षण की बात है तो कुछ हद तक ठीक है क्योंकि ये प्रशिक्षण माध्यमिक स्तर के विषय शिक्षकों के लिए होता है जबकि बी0पी0एड0 प्रशिक्षण माध्यमिक स्तर के शारीरिक शिक्षकों/ खेल प्रशिक्षकों के लिए होता है। इसलिए इनको माध्यमिक स्तर पर सहायक अध्यापक नियुक्त करना कहां तक उचित है? इनकी शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति कैसी है? तथा क्या बी0एड0 एवं बी0पी0एड0 प्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति में अन्तर होता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु शोधार्थी ने उक्त विषय पर अपना अध्ययन कार्य किया है।

सन्दर्भ साहित्य की समीक्षा से ज्ञात होता है कि हमारे देश में शिक्षकों की शिक्षण अभिवृत्ति से सम्बन्धित कुछ शोध जरूर हुए है लेकिन उनकी भी अपनी-अपनी सीमाएं है। माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति पर बागपत जनपद के सन्दर्भ में अभी तक कोई शोध कार्य नही हुए है। इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए शोधार्थी ने **'माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन'** को अपने अध्ययन का विषय बनाया है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।
2. माध्यमिक स्तर पर शहरी पुरुष एवं ग्रामीण पुरुष अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।
3. माध्यमिक स्तर पर शहरी महिला अध्यापिकाओं एवं ग्रामीण महिला अध्यापिकाओं की शिक्षण अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।
4. माध्यमिक स्तर पर शहरी पुरुष अध्यापकों एवं ग्रामीण महिला अध्यापिकाओं की शिक्षण अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।
5. माध्यमिक स्तर पर शहरी महिला अध्यापिकाओं एवं ग्रामीण पुरुष अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।
6. माध्यमिक स्तर पर शहरी पुरुष अध्यापकों एवं शहरी महिला अध्यापिकाओं की शिक्षण अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।
7. माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण महिला अध्यापिकाओं एवं ग्रामीण पुरुष अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।

अध्ययन की परिकल्पनाए:

1. माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
2. माध्यमिक स्तर पर शहरी पुरुष एवं ग्रामीण पुरुष अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
3. माध्यमिक स्तर पर शहरी महिला अध्यापिकाओं एवं ग्रामीण महिला अध्यापिकाओं की शिक्षण अभिवृत्ति मे कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
4. माध्यमिक स्तर पर शहरी पुरुष अध्यापकों एवं ग्रामीण महिला अध्यापिकाओं की शिक्षण अभिवृत्ति मे कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
5. माध्यमिक स्तर पर शहरी महिला अध्यापिकाओं एवं ग्रामीण पुरुष अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति मे कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
6. माध्यमिक स्तर पर शहरी पुरुष अध्यापकों एवं शहरी महिला अध्यापिकाओं की शिक्षण अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
7. माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण महिला अध्यापिकाओं एवं ग्रामीण पुरुष अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

जनसंख्या– प्रस्तुत अध्ययन में जनसंख्या के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों अध्यापकों को सम्मिलित किया गया है।

न्यादर्श एवं न्यादर्शन– वर्तमान अध्ययन हेतु न्यादर्श के रूप में 'यादृच्छिक न्यादर्शन' विधि के आधार पर बागपत जनपद के माध्यमिक स्तर के 160 अध्यापकों का चयन किया है। जिसमे ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों की संख्या 80-80 है।

प्रयुक्त उपकरण– प्रस्तुत अध्ययन में उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक तथ्यों, आंकडों एवं सूचनाओं के संकलन हेतु डॉ0 उम्मे कुलसुम द्वारा निर्मित एवं मानकीकृत परीक्षण Attitude scale towards teaching profession का प्रयोग किया गया है।

प्रयुक्त सांख्यिकीय प्रविधियां– समकं संकलन से प्राप्त सूचनाओं को अर्थयुक्त बनाने एवं परिणामों की व्याख्या हेतु मध्यमान, मानक विचलन एवं 'टी'- परीक्षण आदि सांख्यिकीय प्रविधियों का उपयोग किया गया है।

परिणाम एवं विवेचना– समस्या से सम्बन्धित आकडों तथ्यों एवं सूचनाओं आदि के सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर परिणामों को प्राप्त किया गया है। प्रस्तुत शोध समस्या के उद्देश्यों पर आधारित परिकल्पनाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए है।

माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति में अन्तर की सार्थकता हेतु 'टी' मूल्यों की गणना की गयी है जिसका विवरण निम्नवत है

तालिका-1

समूह	N	M	SD	टी–अनुपात	सार्थकता स्तर
शहरी अध्यापक	80	138.34	38.26	1.994	0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक
ग्रामीण अध्यापक	80	124.21	22.54		

उपरोक्त तालिका 1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के 80 शहरी अध्यापकों एवं 80 ग्रामीण अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमश: 138.34 तथा 124.21 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमश: 38.0026 तथा 22.91 प्राप्त हुआ। माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति में सार्थकता अन्तर की जाँच के लिए टी–अनुपात की गणना की गयीं। जिसमे परिगणित टी–अनुपात का मान 2.82 पाया गया। जो कि मुक्तांश 158 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से अधिक है। अर्थात माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति मे असमानता पायी गयी। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया। अत: इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति के मध्य सार्थक अन्तर नही होता है' को अस्वीकृत किया जाता है।

माध्यमिक स्तर पर शहरी पुरुष एवं ग्रामीण पुरुष अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति में अन्तर की सार्थकता हेतु 'टी' मूल्यों की गणना की गयी है जिसका विवरण निम्नवत है

तालिका–2

समूह	N	M	SD	टी–अनुपात	सार्थकता स्तर
शहरी पुरुष	40	139.38	36.25	0.524	0.05 सार्थकता स्तर पर असार्थक
ग्रामीण पुरुष अध्यापकों	40	135.28	32.24		

उपरोक्त तालिका 2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के 80 शहरी अध्यापकों एवं 80 ग्रामीण अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमश: 139.38 तथा 135.28 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमश: 36.25 तथा 32.24 प्राप्त हुआ। माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति में **सार्थकता अन्तर** की जाँच के लिए टी–अनुपात की गणना की गयीं। जिसमे परिगणित टी–अनुपात का मान 0.524 पाया गया। जो कि मुक्तांश 78 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से कम है। अर्थात माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति मे समानता पायी गयी। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति के मध्य सार्थक अन्तर नही पाया गया। अत: इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति के मध्य सार्थक अन्तर नही होता है को स्वीकृत किया जाता है।'

माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति में अन्तर की सार्थकता हेतु 'टी' मूल्यों की गणना की गयी है जिसका विवरण निम्नवत है तालिका–3

समूह	N	M	SD	टी–अनुपात	सार्थकता स्तर
ग्रामीण अध्यापक	40	138.98	34.54	0.333	0.05 सार्थकता स्तर पर असार्थक
शहरी अध्यापकों	40	136.45	33.24		

उपरोक्त तालिका 3 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के 40 ग्रामीण अध्यापकों एवं 40 शहरी अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमश: 138.98 तथा 136.45 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमश: 34.54 तथा 33.24 प्राप्त हुआ। माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति में सार्थकता अन्तर की जाँच के लिए टी–अनुपात की गणना की गयीं। जिसमे परिगणित टी–अनुपात का मान 0.333 पाया गया। जो कि मुक्तांश 78 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से कम है। अर्थात माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति में समानता पायी गयी। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति के मध्य सार्थक अन्तर नही पाया गया। अत: इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना ' माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति के मध्य सार्थक अन्तर नही होता है' को स्वीकृत किया जाता है।

माध्यमिक स्तर पर शहरी पुरुष अध्यापकों एवं ग्रामीण महिला अध्यापिकाओं की शिक्षण अभिवृत्ति मे कोई अन्तर की सार्थकता हेतु यटी मूल्यों की गणना की गयी है जिसका विवरण निम्नवत है

तालिका–4

समूह	N	M	SD	टी–अनुपात	सार्थकता स्तर
शहरी पुरुष अध्यापक	40	139.38	36.25	0.376	0.05 सार्थकता स्तर पर असार्थक
ग्रामीण महिला अध्यापकों	40	136.45	33.24		

उपरोक्त तालिका 4 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के 40 शहरी पुरुष अध्यापकों एवं 40 ग्रामीण महिला अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमश: 139.38 तथा 136.45 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमश: 36.25 तथा 33.24 प्राप्त हुआ। माध्यमिक स्तर पर शहरी पुरुष अध्यापकों एवं ग्रामीण महिला अध्यापिकाओं की शिक्षण अभिवृत्ति मे सार्थकता अन्तर की जाँच के लिए टी–अनुपात की गणना की गयीं। जिसमे परिगणित टी–अनुपात का मान 0.376 पाया गया। जो कि मुक्तांश 78 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से कम है। अर्थात माध्यमिक स्तर पर शहरी पुरुष अध्यापकों एवं ग्रामीण महिला अध्यापिकाओं की शिक्षण अभिवृत्ति मे समानता पायी गयी। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति के मध्य सार्थक अन्तर नही पाया गया। अत: इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर पर शहरी पुरुष अध्यापकों एवं ग्रामीण महिला अध्यापिकाओं की शिक्षण अभिवृत्ति के मध्य सार्थक अन्तर नही होता है को स्वीकृत किया जाता है।'

माध्यमिक स्तर पर शहरी महिला अध्यापिकाओं एवं ग्रामीण पुरुष अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति मे अन्तर की सार्थकता हेतु 'टी' मूल्यों की गणना की गयी है जिसका विवरण निम्नवत है तालिका–5

समूह	N	M	SD	टी–अनुपात	सार्थकता स्तर
शहरी महिला अध्यापिकाओं	40	138.98	34.54	0.533	0.05 सार्थकता स्तर पर असार्थक
ग्रामीण पुरुष अध्यापकों	40	135.28	32.34		

उपरोक्त तालिका 5 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के 40 शहरी महिला अध्यापिकाओं एवं 40 ग्रामीण पुरुष अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमश: 138.34 तथा 124.21 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमश: 38.0026 तथा 22.91 प्राप्त हुआ। माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति में सार्थकता अन्तर की जाँच के लिए टी–अनुपात की गणना की गयीं। जिसमे

परिगणित टी–अनुपात का मान 2.82 पाया गया। जो कि मुक्तांश 158 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से कम है। अर्थात माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति मे समानता पायी गयी। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति के मध्य सार्थक अन्तर नही पाया गया। अत: इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति के मध्य सार्थक अन्तर नही होता है को स्वीकृत किया जाता है।

माध्यमिक स्तर पर शहरी महिला अध्यापिकाओं एवं ग्रामीण पुरुष अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति मे अन्तर की सार्थकता हेतु 'टी' मूल्यों की गणना की गयी है जिसका विवरण निम्नवत है

तालिका–6

समूह	N	M	SD	टी–अनुपात	सार्थकता स्तर
शहरी महिला अध्यापिकाओं	40	139.38	38.25	0.050	0.05 सार्थकता स्तर पर असार्थक
ग्रामीण पुरुष अध्यापकों	40	138.98	34.54		

उपरोक्त तालिका 6 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के 40 शहरी महिला अध्यापिकाओं एवं 40 ग्रामीण पुरुष अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमश: 138.34 तथा 124.21 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमश: 38.0026 तथा 22.91 प्राप्त हुआ। माध्यमिक स्तर पर शहरी महिला अध्यापिकाओं एवं ग्रामीण पुरुष अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति मे सार्थकता अन्तर की जाँच के लिए टी–अनुपात की गणना की गयीं। जिसमे परिगणित टी–अनुपात का मान 0.050 पाया गया। जो कि मुक्तांश 78 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से कम है। अर्थात माध्यमिक स्तर पर शहरी महिला अध्यापिकाओं एवं ग्रामीण पुरुष अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति मे समानता पायी गयी। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति के मध्य सार्थक अन्तर नही पाया गया। अत: इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर पर शहरी महिला अध्यापिकाओं एवं ग्रामीण पुरुष अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति के मध्य सार्थक अन्तर नही होता है को स्वीकृत किया जाता है।'

माध्यमिक स्तर पर शहरी महिला अध्यापिकाओं एवं ग्रामीण पुरुष अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति मे अन्तर की सार्थकता हेतु 'टी' मूल्यों की गणना की गयी है जिसका विवरण निम्नवत है

तालिका–7

समूह	N	M	SD	टी–अनुपात	सार्थकता स्तर
शहरी महिला अध्यापिकाओं	40	136.45	33.24	0.159	0.05 सार्थकता स्तर पर असार्थक
ग्रामीण पुरुष अध्यापकों	40	135.28	32.24		

उपरोक्त तालिका 7 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के 40 शहरी महिला अध्यापिकाओं एवं 40 ग्रामीण पुरुष अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमश: 136.45 तथा 135.24 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमश: 33.24 तथा 32.24 प्राप्त हुआ। माध्यमिक स्तर पर शहरी महिला अध्यापिकाओं एवं ग्रामीण पुरुष अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति में **सार्थकता अन्तर** की जाँच के लिए टी–अनुपात की गणना की गयीं। जिसमे परिगणित टी–अनुपात का मान 0.159 पाया गया। जो कि मुक्तांश 78 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से कम है। अर्थात माध्यमिक स्तर पर शहरी महिला अध्यापिकाओं एवं ग्रामीण पुरुष अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति पायी गयी। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति के मध्य सार्थक अन्तर नही पाया गया। अत: इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर पर शहरी महिला अध्यापिकाओं एवं ग्रामीण पुरुष अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति के मध्य सार्थक अन्तर नही होता है' को स्वीकृत किया जाता है।'

निष्कर्ष– प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर होता है। अध्ययन में ग्रामीण अध्यापकों की की अपेक्षा शहरी अध्यापकों शिक्षण अभिवृत्ति अधिक पायी गयी है। प्राप्त परिणामों से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर होता है।

शैक्षिक निहितार्थ एवं सुझाव– प्रस्तुत शोध अध्ययन में परिणाम, शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षकों, नीति निर्धारकों शिक्षा प्रशासकों और शोधकर्ताओं सभी के लिए उपयोगी हो सकते है। किसी भी व्यक्ति को किसी व्यवसाय में सफलता पाने के लिए उस व्यवसाय के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति का होना आवश्यक होता है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। यदि शिक्षक योग्य है उसे अपने विषय पर पूर्णाधिकार है। और उसकी शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति अच्छी है तभी वह एक प्रभावशाली शिक्षक बन सकता है और छात्रों को गुणात्मक शिक्षा दे सकता है। अत: शिक्षकों को चाहिए कि वे तभी इस व्यवसाय में आये जब उनकी अभिवृत्ति शिक्षण कार्य मे अच्छी हो। क्योंकि आज लोग अभियोग्यता व अभिवृत्ति के कारण नही बल्कि बेरोजगारी और इस व्यवसाय की प्रतिष्ठा, आकर्षक वेतन एवं पर्याप्त समय के कारण इस व्यवसाय में आ रहे है। अत: शिक्षकों को स्वयं इस समस्या का समाधान करना चाहिए एवं शिक्षकों प्रशिक्षकों, नीति निर्धारकों एवं शिक्षा प्रशासकों को भी शिक्षकों में शिक्षण के प्रति अच्छी अभिवृत्ति विकसित करने का प्रयास करना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:–

1. **देवराज, जी (2003)** 'हाइस्कूल विद्यालयों के अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति' मेस्टन जनरल ऑफ रिसर्च इन एजूकेशन वर्ष (2) अंक (1) पृष्ठ–16–19
2. **पाठक, पी.डी. (1974)**; *'भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ'*, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
3. **पाण्डेय, के0पी0 (2008)**; *शैक्षिक अनुसंधान*, तृतीय संस्करण, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।
4. **पाण्डेय, वन्दना (2005)**; 'वाराणसी महानगर स्थित स्नातकोत्तार महाविद्यालयों के अध्यापकों की नारी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन', शोध प्रबन्ध (शिक्षा शास्त्र) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
5. **हरमीत (2012)** 'एटीटयूड टुवडर्स टीचिंग प्रोफेशन इन रिलेशन टु एडजस्टमैन्ट ऑफ सैकेण्डरी स्कूल टीचर्स', एजुट्रैक्स, मार्च 2012 वोल्यूम 11 नं0–6 पृ0–22–24
6. **हुसैन एस0 एवं0 खान एण्ड कादिर (2011)** 'एटीटयूड ऑफ सेकेण्डरी स्कूल टीचर्स टुवर्ड टीचिंग प्रोफेशन', इण्टरनेशनल जनरल

ऑफ एकेडिमक रिसर्च 3(1) 995–990

7. **शर्मा, युक्तेश (1980)**; 'बी0एड0 के छात्रों की नैतिकता के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन', लघु शोध प्रबन्ध (शिक्षा शास्त्र), सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
8. **सिल्वेस्टर, एम0जे0 (2010)** 'छात्राध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति और व्यावसायिक सन्तुष्टि का अध्ययन' एजूट्रैक्स, अप्रैल 2010 तश्रि. 9 छ8 झझ– 36–38
9. **सुखिया, एस0पी0 (1971)**; *'शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व'*, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
10. **सरीन एवं सरीन (2001)**; 'शैक्षिक अनुसंधान विधियां', श्री विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा। पृ0सं0–56
11. **सुमगला, वी0 एवं वस्हादेवी, वी0के0 (2009)** 'रोल कोनफिलिक्ट, एटीटयूड टूवडर्स टीचिंग प्रोफेशन एण्ड जॉब सेटिसफेक्सन एज प्रीडिक्टरस ऑफ सक्सल इन टिचिंग', एजूट्रैक्स, मई 2009, वोल्यूम 08 नं0– 09 पृ0–25–29
12. **सिंह एवं यादव (2018)** माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षको के शिक्षण व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन International Journal of Scientific Research in Science and Technology Volume 4 | Issue 7 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X 866 2018 IJSRST

****

राजस्थान की विस्थापित आदिवासी जनजाति और पर्यावरणीय चेतना

डॉ. रणजीत कुमार मीणा *

शोध सारांश – भारतीय समाज व्यवस्था विविध जातियों के संगम से बनी हैं। इस देश में करीब तीन हजार जातियाँ और उप–जातियाँ निवास करती हैं। सभी का रहन–सहन, रीति–रिवाज एवं परम्पराएं अपनी विशिष्ट विशेषताओं को दर्शाती हैं। कई जातियाँ मसलन गोंड–भील–बैगा – भारिया आदि जंगलों में अनादिकाल से निवास करती आ रही हैं। सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति जंगलों से होती है। इन जातियों की सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक एवं कुटुम्ब व्यवस्था की अपनी अलग पहचान रही है। इन लोगों में वन–संरक्षण करने की प्रबल वृत्ति रही है। अत: वन एवं वन्य–जीवों से उतना ही प्राप्त करते हैं, जिससे की उनका जीवन सुलभता से चल सकें और आने वाली पीढ़ी को भी वन–स्थल धरोहर के रूप में सौप सकें। इन लोगों में वन संवर्धन, वन्य जीवों एवं पालतू पशुओं का संरक्षण की प्रवृत्ति परम्परागत है । इस दक्षता एवं प्रखरता के फलस्वरुप आदिवासियों ने पहाड़ों, घाटियों एवं प्राकृतिक वातावरण को संतुलित बना रखा हैं।

हमारे देश की अरण्य संस्कृति अपनी अनोखी विशेषताएं लिए हुए थी, जो अब शनै:–शनै: अपनी हरीतिमा को खोती जा रही है। जिस स्थान के आदिवासियों ने अपना स्थान छोड़ दिया है, वहाँ के वन्य जीवों पर प्रहार हो रहे हैं, बल्कि यह कहा जाए कि वे लगभग समाप्ति की ओर हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रतिफल के रूप में सूखा पड़ने जैसी स्थिति ही नियति बन गई है। फिर सरकार को करोड़ों रुपये राहत के नाम पर खर्च करने होते हैं। लाखों की संख्या में बेशकीमती पौधे लगाने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन उसके आधे भी लग नहीं पाते। यदि लग भी गए तो पर्याप्त पानी और खाद के अभाव में मर जाते हैं। जब शहरों के वृक्ष सुरक्षित नहीं है तो फिर कोसों दूर जंगल में उनकी परवरिश करने वाला कौन है? आज विश्व के कई देशों ने पर्यावरणरक्षा के लिए प्रभावी ढंग से सफलतापूर्वक अनेक अनुकरणीय कार्य किए हैं। पेड़ों की रक्षा करते हुए हरियाली को बचाए रखने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

शब्द कुंजी – विस्थापन, आदिवासी, बांध, पलायन, भूमि, पर्यावरण।

प्रस्तावना – जब आदिवासियों से वन–सम्पदा का मालिकाना हक छीनकर केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के हाथों में सुपुर्द किए जाएंगे तो केवल विकास के नाम पर बड़े–बड़े बाँध बांधे जाएंगे और बदले में उन्हें मिलेगी बाँधों से निकलने वाली नहरें, नहरों के आसपास दलदल और भूमि की उर्वरा शक्ति को कम करने वाली परिस्थिति और विस्थापित होने की व्याकुलता और जिन्दगीभर की टीस, जो उसे पल–पल मौत के मुँह में ढकेलने के लिए पर्याप्त होगी।

आदिवासी क्षेत्रों में होने वाले विध्वंस से जलवायु एवं मौसम में द्रुत गति से परिवर्तन हो रहा है। भारत में 70 प्रतिशत भूमि वनों से आच्छादित थी, जो आज घटकर 20–22 प्रतिशत ही रह गई है। वनों के बारे में यह चिंता का विषय है। वनों की रक्षा एवं विकास के नाम पर पूरे देश में अफसरों और कर्मचारियों की संख्या में बेतरतीब बढ़ोतरी हुई है, उतने ही अनुपात में वन सिकुड़ रहे हैं। सुरक्षा के नाम पर गश्ति दल बनाए गए हैं, फिर भी वनों की अंधाधुंध कटाई निर्बाधगति से चल रही है। कारण पूछे जाने पर एक नहीं, वरन अनेक कारण गिना दिए जाते हैं। उनमें प्रमुखता से एक कारण सुनने में आता है कि जब तक ये आदिवासी जंगल में रहेंगे, तब तक वन सुरक्षित नहीं हो सकते। कितना बड़ा लांछन है इन भोले–भाले आदिवासियों पर, जो सदा से धरती को अपनी माँ का दर्जा देते आए हैं। रुखा–सूखा खा लेते हैं, परेशानी में जी लेते हैं, लेकिन धरती पर हल नहीं चलाते । उनका अपना मानना है कि हल चलाकर वे धरती का सीना चाक नहीं कर सकते।

आदिवासी समाज आज भी जोर देकर कहता है कि वह सदियों से प्रकृति का पूजक रहा है। वह नीम, पीपल, बरगद आदि की पूजा को अपना धर्म मानता हैं। साधरण व सरल जीवन इसकी पहचान रही है। वह सदियों से अपनी प्रकृति सम्मत सर्वोच्च मानव संस्कृति और सभ्यता का वाहक रहा है और है । वह अपनी बोली भाषा पर सदियों से अटल रहा है और आज भी है, किन्तु समाज का धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्व साहित्य और साहित्यों में एकरूपता तथा प्रचार–प्रसार के अभाव मेंधीरे–धीरे सब कुछ विलुप्त होता जा रहा है। साहित्य की कमी ने आदिवासियों के सारे समृद्धि और विकास के रास्तों को अवरुद्ध कर दिया और साथ ही दूसरों की साहित्यिक तथा धार्मिक अंधानुकरण की नीति ने गुलाम।

आदिवासियों के पास जंगल–जमीन न हो तो उसकी पहचान ही खत्म हो जाती है। उनकी भाषा, संस्कृति आदि सभी धीरे–धीरे विलुप्त होती जा रही है। अस्मिता का संकट पुस्तक में लेखिका रमणिका गुप्ता स्पष्ट करती है आदिवासी समाज की त्रासदी यह है कि अभी वह पूरी तरह अभिव्यक्ति की शक्ति हासिल नहीं कर पाया। जब उसकी सहने की शक्ति खत्म हो जाती है तो उसका आक्रोश उसके हाथों में उतर आता है और हाथ तीर पर। आज उपेक्षा और नक्सल आंदोलन ने उसके हाथों में तीर की जगह बंदूक थमा दी है।

* सहायक आचार्य (समाज शास्त्र) राजकीय महाविद्यालय, खेरवाडा (राज.) भारत

निरंतर उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार एवं विषमताओं के कारण उनमें आक्रोश एवं बदले की भावना पनप रही हैं। एक आम आदिवासी को अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए आज सबसे ज्यादा जूझना पड़ रहा है। प्रो. मृदुला शुक्ल आदिवासियों के विषय में संस्कृति-मनीषियों एवं इतिहासविदों की मान्यताएँ बताते हुए कहती हैं कि मूल भारतीय जन आर्य नहीं, बल्कि यही जनजातीय एवं आदिवासी जन हैं, जिनका निवास देश के मध्य, पूर्व और दक्षिण भाग में स्थित वनों में रहा है। इन्हें आदिवासी नाम दिया गया, क्योंकि ये हमारे देश के आदि अर्थात् प्रारंभिक निवासी हैं।

वैश्वीकरण से लाभान्वित होने वाली श्रेणियों में आदिवासी समाज का कोई स्थान नहीं है। बांध परियोजना, राष्ट्रीय उच्च मार्ग, रेलवे लाइन, खनन व्यवसाय, औद्योगीकरण, अभ्यारण्य एवं अन्य कारणों से आदिवासियों का विस्थापन होता हैं। भौतिक साधनों के चरम विकास तथा वैश्वीकरण के दौर में इनका प्रकृति के उन्मुक्त प्रागंण में रहना, कृत्रिमता से दूर सहज ढंग से जीवनयापन करना अब संभव नहीं रह गया है। वीर भारत तलवार जो कि आदिवासियों के बीच रहे हैं एवं उनका उन्होंने गहन अध्ययन भी किया है वे निष्कर्षत: कहते हैं, औद्योगीकरण और उससे जुड़े हुए तंत्र ने स्थानीय जनता के सामने एक संकट खड़ा कर दिया है अस्तित्व का संकट।

औद्योगीकरण एवं औपनिवेशक पूंजीवाद आदिवासियों के अस्तित्व को मिटाता जा रहा है। आदिवासियों की स्थिति प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह उड़ीसा हो, मध्यप्रदेश हो, तमिलनाडु या झारखंड आदि प्रत्येक क्षेत्र में आदिवासियों की प्रमुख समस्या विस्थापन है। झारखंड में प्रचूर मात्रा में संसाधन होने के बावजूद यहाँ के आदिवासियों की जमीनें उनसे छीनी जा रही हैं। आदिवासियों की विस्थापन की समस्या को लेकर दीपक कुमार अपनी पुस्तक हाशिए का वृतांत में स्पष्ट करते हैं, 'वह पहले भी खदेड़े जाते थे और आज भी खदेड़े जाते हैं। केवल तरीका बदल गया है। पहले वह एक जंगल से दूसरे जंगल जाते थे, लेकिन आज या तो जंगल कट गए हैं या उनके प्रवेश पर रोक लग गई है। वे जंगल की उपज के अधिकारों से वंचित कर दिए गए है। अब वे शहरों की तरफ भागे चले आ रहे हैं।'

ये वही आदिवासी हैं जो कभी एक आत्मनिर्भर और संतुष्ट जीवनयापन करते थे, परंतु अब या तो बेरोजगार और लाचार है या बड़े शहरों की झुग्गी-झोंपड़ियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस विस्थापन के चलते इन्हें न सिर्फ अपनी पैतृक भूमि छोड़नी पड़ी, बल्कि सदियों से चली आ रही अपनी जीवनशैली व संस्कृति को भी छोड़ना पड़ा हैं। इन सबके कारण एक तरफ निजी कम्पनियों का खौफ आदिवासियों के मन में घर कर रहा है, तो दूसरी ओर बढ़ती बीमारियों के कारण होने वाली मृत्यु दर में वृद्धि आदिवासियों की चिंता का प्रमुख कारण है। उदाहरण के लिए जादूगोड़ा में हो रहे यूरेनियम खनन से निकलने वाले विकिरणों के कारण आसपास रहने वाले संथाल और मुंडा आदिवासियों का जीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। इन विकिरणों के दुष्प्रभाव से औरतों का गर्भ नहीं ठहर रहा है या फिर बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। थेलेसिमिया, ल्यूकेमिया, टी. बी. और कैंसर जैसी बीमारियाँ तो जैसे लोगों की नियति बन गई है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा आदिवासियों को केवल बीमारियाँ एवं विस्थापन प्राप्त हो रहा है। आदिवासी जन जो कि जंगलों, हरी भरी पहाड़ियों आदि में निवास करते हैं तथा ऐसे स्थानों पर खनिज पदार्थ भी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इन जंगलों की हरियाली देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थान स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लेकिन वास्तविकताइससे भिन्न है। ऐसा ही एक आदिवासी क्षेत्र मध्यप्रदेश का बैढ़न कस्बा है, जहाँ की हरी भरी पहाड़ियाँ देखकर लगता नहीं कि यह देश के सर्वाधिक प्रदूषित अंचलों में शामिल है। सिंगरौली का जिला मुख्यालय बैढ़न कोयले और बिजली घरों की फलाई ऐश से घिरा हुआ है। सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट ने तो कोयला ले जाने के लिए करीब चौदह किलोमीटर लंबी खुली कन्वेयर बेल्ट लगा रखी है। यहाँ से उठने वाली कोयले की धूल पूरे इलाके में लोगों का जीवन मुहाल कर रही है। कई आदिवासी परिवार इन योजनाओं के चलते यहाँ से जा भी चुके हैं।

शायद ही कोई आदिवासी क्षेत्र ऐसा हो जहाँ कि बड़े पैमाने पर विस्थापन नहीं हो रहे हों। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। विस्थापन की समस्या आदिवासियों की महत्त्वपूर्ण समस्या बन गई है। इसका एक उदाहरण है- उड़ीसा में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को स्थापित करने के लिए वहाँ सदियों से रह रहे आदिवासियों का विस्थापन । उड़ीसा के कई इलाकों में आज भी हजारों आदिवासी रह रहे हैं। यह आदिवासी किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, मछुआरे भी हैं। इन आदिवासियों का सम्पूर्ण जीवन उदर निर्वाह के लिए की गई खेती, कंद-मूल, जल, लकड़ी इत्यादि पर ही निर्भर हैं। ये आदिवासी न सिर्फ इन जंगलों के वासी हैं, अपितु इसके रक्षक एवं पूजक भी हैं। इन्हीं आदिवासी इलाकों की जमीन के नीचे बॉक्साइट और दूसरे खनिजों के भण्डार दबे हुए हैं। इन्हीं भण्डारों पर कब्जा करने के लिए बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ इन आदिवासियों का विस्थापन करना चाहती हैं। डॉ. रमणिका गुप्ता अपनी पुस्तक 'आदिवासी लेखन : एक उभरती चेतना', में स्पष्ट करती हैं कि-'ऐसे तो बाबा साहब अंबेडकर ने ही आदिवासी समस्याओं पर सबका ध्यान खींचा और फिर संविधान बनाते समय इनके संरक्षण व आरक्षण का प्रावधान किया। उनकी मृत्यु के बाद चूँकि दलित नेतृत्व के आदिवासी मुद्दे जो दलितों से काफी हद तक भिन्न थे, पर ध्यान नहीं दिया।'

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खेतीहर को रोजगार के लिए मुम्बई, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, वापी, मन्दसौर, चित्तौड़, कोटा, उदयपुर आदि क्षेत्रों में जाना पड़ता है। यहाँ के हजारों बच्चों को खेलने-खाने की उम्र में पेट के लिए शहरों में मारे-मारे फिरना पड़ता है। 'खेतिहर किसान भूमाफियों को जमीन बेचकर भूमिहीन हो जाता है जिस देश का बचपन भूखा हो उस देश की जवानी कैसी हो सकती है।'

जनजाति क्षेत्र में स्वरोजगारोन्मुखी व्यावसायिक कौशल कार्यक्रम के तहत् विकास का स्थायी समाधान विद्यमान है जिससे जनजाति बेरोजगार युवाओं को रोजगार का मार्ग सुलभ हो एवं पलायन को रोका जा सकता है।

'वैश्वीकरण के दौर में अमानवीय चेहरा उभर कर सामने आया है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का अनाप-सनाप दोहन हुआ है जिसकी वजह से राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग राष्ट्र-समाज के लिए नहीं कर सकने की विशेषताएँ और नक्सलवाद जैसी चुनौतियाँ सामने आई हैं। आम आदमी का एक महत्त्वपूर्ण तबका जनजातियों के रूप में अपने अस्तित्व से जूझने लगा है।'

भूमण्डलीकरण एवं बाजारवाद के दौर में जनजातियों की अस्मिता, अस्तित्व, भाईचारे व आजादी को चुनौती दी है। उसका दायित्व बोध प्रतिरोध स्वरूप साहित्य में फूटने लगा है। उसकी नस्ल आधारित संस्कृति, भाषा व रहन-सहन की शैली बचाने के लिए उठ खड़ा हुआ है उसने अपनी कलम की ताकत दिखा दी हैं, सदियों में मौन धारित जनजातियों का विस्थापन के प्रतिरोध स्वरूप जल, जंगल, जमीन के संरक्षण हेतु स्वर मुखरित होने लगा है।

निष्कर्ष - अत: आदिवासी लोग प्रारम्भ से ही कष्टप्रद जीवन जी रहे हैं और वर्तमान समय में भी चिंताजनक स्थिति में जीवन जीने को मजबूर हैं।

विकास के साथ-साथ इन लोगों से इनकी जमीनें भी छीनी जा रही हैं। हमारे देश में अधिकांश कोयला खानें, खनिज पदार्थ, जलविद्युत बाँध एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन आदिवासी क्षेत्रों में ही उपलब्ध हैं। बढ़ते नगरों में खपने वाला अधिकतर कच्चा माल हमें इन्हीं क्षेत्रों से मिलता हैं। फिर भी अधिकांश आदिवासी लोग जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। विभिन्न आर्थिक नीतियों के कारण धीरे-धीरे ये लोग वन मजदूर बनते जा रहे हैं। विकास योजनाओं के साथ-साथ विस्थापन का दर्द भी हर समय इनके साथ जुड़ा रहा है। आदिवासियों को विस्थापित होने से रोकना होगा। जल, जंगल और जमीन से गहरा जुड़ाव रखने वाला आदिवासी जन आज के प्रगतिशील समाज से पिछड़ कर दिशाहीन हो गया है। यदि आदिम लोगों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए उनके विस्थापन को रोकते हुए, उनकी सक्रीय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें विकास की योजनाओं के साथ जोड़ दिया जाए तो निश्चय ही कहा जा सकता है कि आदिम क्षेत्र में पर्यावरण के साथ अन्य भागों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। स्वस्थ पर्यावरण पर सारे राष्ट्र का अस्तित्व व भविष्य टिका हुआ है जिसे प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिए इन आवासियों का पुनः अपने मूल स्थान पर स्थापित करके ही इसे सफल बनाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रमणिका गुप्ता : आदिवासी अस्मिता का संकट, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2013
2. मृदुला शुक्ल : जनजातीय अस्मिता के कुछ रंग, अंतिम जन (पत्रिका) अंक 7 मई 2013
3. वीर भारत तलवार :झारखंड के आदिवासियों के बीच : एक एक्टीविस्ट के नोट्स, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण 2010
4. दीपक कुमार, देवेन्द्र चौबे : हाशिए का वृतांत, आधार प्रकाशन, पंचकुला, हरियाणा, संस्करण 2011
5. ट्राईब : माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान अशोक नगर, उदयपुर (राज.) 2017
6. आदिवासी समाज, संस्कृति और साहित्य : समकालीन आदिवासी विमर्श सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी के आलेख, 2016

****

जयपुर रियासत में रामानन्द सम्प्रदाय की प्रमुख गद्दियाँ - गलता जी एवं रेवासा : एक ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. बबिता सिंघल *

शोध सारांश - वैष्णव भक्ति के चतु: सम्प्रदाय प्रसिद्ध हैं, जिन्हें प्रवर्तकों के नाम पर रामानुज, माध्व, विष्णुस्वामी और निम्बार्क कहा जाता है। रामानुजाचार्य ने सर्वप्रथम विष्णुभक्ति की पुन: स्थापना की, बाद में इन्हीं की षिष्य परम्परा में हुए रामानन्द ने रामभक्ति का प्रवर्तन किया। इस प्रकार उक्त चतु:सम्प्रदायों में से रामानुज का श्रीसम्प्रदाय विष्णुभक्ति और फिर रामभक्ति से सम्बंधित है, जबकि शेष तीनों सम्प्रदाय कृष्णभक्तिपरक हैं। उक्त सभी सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत, ब्रजमंडल और उत्तर भारत में हुआ। जयपुर में भी इनका व्यापक रूप से प्रभाव-प्रसार हुआ। स्वामी रामानन्द ने जिस सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया वह श्री सम्प्रदाय, रामानन्दीय सम्प्रदाय और रामावत सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। रामानन्द जी के भक्ति मार्ग में ज्ञान और कर्म की अपेक्षा भगवत् चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण को ही विशेष महत्व दिया गया है। रामानन्द जी ने मानव मात्र के लिए राम-नाम का तारक मंत्र देकर जीवन सफल बनाने का सुगम मार्ग दिखलाया। स्वामी रामानन्द के शिष्य-प्रशिष्यों द्धारा भी भारत में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। रामानन्द स्वामी के शिष्य अनन्तानन्द के शिष्य कृष्णदास पयोहारी द्धारा जयपुर (आमेर) में गलता नामक स्थान पर श्रीसम्प्रदाय की गद्दी की स्थापना की गई जो उत्तर तोताद्रि के नाम से विख्यात होकर श्रीसम्प्रदाय की उत्तर भारत की प्रधान पीठ के रूप में मान्य हुई। इसके अलावा जयपुर रियासत में कृष्णदास पयहारी के शिष्य अग्रदास जी द्धारा 'रेवासा' नामक स्थान पर रामानन्द सम्प्रदाय की एक अन्य पीठ की स्थापना की गई। इन रामानन्द गद्दियों की स्थापना के पश्चात् जयपुर में रामभक्ति का व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ।

शब्द कुंजी - रामानन्द सम्प्रदाय, गलता जी, रेवासा, भक्ति मार्ग, राम-नाम, गद्दी, माधुर्य उपासना, विग्रह।

प्रस्तावना - 'सम्प्रदाय' शब्द का तात्पर्य आम्नाय अथवा परम्परा से है।[1] जिस किसी ने भी दर्शन के क्षेत्र में नवीन विचार दिया या पूर्ववर्ती विचारों की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की तथा धर्मसाधना की नवीन पद्धति का आविष्कार किया, उन्हीं के नाम से अथवा उनके विचार या पद्धति के नाम से, अनुयायियों की एक परम्परा चल पड़ी और इस तरह एक सम्प्रदाय बन गया। इतस्त: धार्मिक क्षेत्र में दर्शन तथा साधना की गुरू परम्परा को सम्प्रदाय कहा गया। स्वामी रामानुजाचार्य द्धारा दक्षिण भारत में प्रचारित सगुण भक्ति धारा को उत्तर भारत में प्रवाहित करने का श्रेय सर्वप्रथम स्वामी रामानन्द जी को दिया जाता है। स्वामी रामानन्द ने जिस सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया वह श्री सम्प्रदाय, रामानन्दीय सम्प्रदाय और रामावत सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इस सम्प्रदाय का नाम 'श्री सम्प्रदाय' इसलिए है कि जीव को (नित्य जीव श्री हनुमान जी को) सर्वप्रथम श्रीराम मंत्र का उपदेश जगज्जननी श्री जानकी जी ने दिया है, तथा आद्य प्रवर्तिका सीता जी होने के कारण इसका नाम 'श्री सम्प्रदाय' है। स्वामी रामानन्द ने प्रत्येक मानव को भक्ति का समान अधिकारी घोषित कर अपने सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। श्री रामानन्द द्धारा प्रतिपादित वैष्णव धर्म जाति-पाँति, मिथ्याचार, बाह्याडम्बर आदि की संकीर्ण धारा में आबद्ध नहीं है, प्रत्युत् इसके आधारभूत सिद्धान्त हैं- भगवत्प्रेम, निश्छलभक्ति, परोपकार एवं नि:स्वार्थ सेवा। रामानन्द जी के भक्ति मार्ग में ज्ञान और कर्म की अपेक्षा भगवत् चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण को ही विशेष महत्व दिया गया है। रामानन्द जी ने मानव मात्र के लिए राम-नाम का तारक मंत्र देकर जीवन सफल बनाने का सुगम मार्ग दिखलाया। इस प्रकार राम का पवित्र एवं उद्धारक नाम विश्वव्यापी व निर्बल का सहारा बना। संस्कृत भाषा के स्थान पर जन-भाषा में ग्रन्थों की रचना की गई, जिससे सभी लाभान्वित हो सके। उत्तर भारत में भक्ति को सर्वसाधारण तक पहुँचाने का श्रेय सबसे पहले रामानन्द को तथा उनके बाद कबीर को दिया जाता है।[2]

स्वामी रामानन्द के शिष्य-प्रशिष्यों द्धारा भी भारत में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। सम्प्रदाय प्रचार हेतु इन शिष्यों ने समस्त भारतवर्ष में द्धारा-गादियों की स्थापना की। राजस्थान की जयपुर रियासत में भी रामभक्ति का व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ। रामानन्द स्वामी के शिष्य अनन्तानन्द के शिष्य कृष्णदास पयोहारी द्धारा जयपुर (आमेर) में गलता नामक स्थान पर श्रीसम्प्रदाय की गद्दी की स्थापना की गई[3] जो उत्तर तोताद्रि के नाम से विख्यात होकर श्रीसम्प्रदाय की उत्तर भारत की प्रधान पीठ के रूप में मान्य हुई। इसके अलावा जयपुर रियासत में कृष्णदास पयहारी के शिष्य अग्रदास जी द्धारा 'रेवासा' नामक स्थान पर रामानन्द सम्प्रदाय की एक अन्य पीठ की स्थापना की गई। इन रामानन्द गद्दियों की स्थापना के पश्चात् जयपुर में रामभक्ति का व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ।

रामानंद सम्प्रदाय की उत्तर भारत की प्रधान गद्दी - गलता जी : नैसर्गिक सुषमा और प्राकृतिक सौन्दर्य से युक्त 'गलता' एक पुरातन तीर्थ है। प्राचीन समय में जयपुर के इस पवित्र एवं सुरम्य तीर्थ स्थान गलता को गालवाश्रम के नाम से जाना जाता था।[4] इसके संबंध में यह प्रसिद्ध है कि गालव ऋषि ने इस स्थान पर तपस्या की थी, तदुपरान्त तपस्या के प्रभाव से यहाँ गोमुख से गुप्त धारा प्रवाहित हुई एवं गालव ऋषि के द्धारा किए गए यज्ञ के स्थान पर ही गलता का यज्ञवेदी कुण्ड बना हुआ है एवं कुण्ड के ऊपर गालव ऋषि का मन्दिर है। इस प्रकार गालव ऋषि के नाम पर इसका नाम 'गालवाश्रम' हुआ[5] जो कालान्तर में 'गलता' नाम से विख्यात हुआ।

* सह आचार्य (इतिहास) राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

सोलहवीं शताब्दी में सन्त शिरोमणि 'कृष्णदास पयहारी' द्वारा 'श्री सम्प्रदाय' की गद्दी स्थापित किये जाने के पश्चात् गलता का महत्व और माहात्म्य बहुत अधिक बढ़ गया। गलता श्री सम्प्रदाय की उत्तर भारत की प्रधान पीठ के रूप में मान्य होकर 'उत्तर तोताद्रि' के नाम से भी विख्यात हुई।[6] दक्षिण में जैसे तोताद्रि को रामानुज सम्प्रदाय की प्रधान गद्दी माना जाता था, वैसा ही महत्व गलता को 'श्री सम्प्रदाय' की गद्दी स्थापित किए जाने से प्राप्त हुआ।

श्री सम्प्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना से पूर्व गलता में नाथ सम्प्रदाय का विशेष प्रभाव था। आमेर शासक पृथ्वीराज के समय गलता पर नाथ योगी चतुरनाथ का आधिपत्य था तथा महाराज इस नाथयोगी के शिष्य थे, परन्तु महारानी बालाबाई वैष्णव धर्म में दीक्षित थी।

आमेर शासक पृथ्वीराज नाथयोगी चतुरनाथ के शिष्य थे। पृथ्वीराज के शासन काल में श्रीकृष्णदास पयहारी ने नाथपंथी कनफटे योगियों से गलता की सुरम्य उपत्यका को मुक्त करा कर श्री सम्प्रदाय पीठ की स्थापना की।[7] श्रीकृष्णदास पयहारी स्वामी रामानन्द के शिष्य अनन्तानन्द के शिष्य थे। केवल दूध का आहार करने के कारण यह 'पयहारी' कहे जाते थे।[8] संत महात्मा होने के कारण पयहारी जी को प्रमुख स्थान प्राप्त है।

श्री सम्प्रदाय की पीठ स्थापना के संबंध में कहा जाता है कि कृष्णदास पयहारी महारानी बालाबाई की गुरू निष्ठा एवं वैष्णव धर्म के प्रति अगाध भक्ति के कारण आमेर आये थे और गलता में अपनी धूनी लगाकर इष्ट ध्यान करने लगे तो नाथयोगियों ने योगबल आदि के प्रयोग द्वारा उन्हें गलता से हटाने का प्रयास किया, प्रत्युत्तार में कृष्णदास पयहारी ने अपनी भगवत् भक्ति एवं सिद्धि से नाथयोगियों एवं उनके प्रमुख चतुरनाथ को परास्त कर दिया फलस्वरूप चतुरनाथ एवं उसके शिष्य गलता को छोड़कर घाटी में नीचे जाकर रहने लगे तथा कृष्णदास पयहारी ने गलता को रामोपासना का केन्द्र बनाकर वैष्णव-भक्ति का प्रचार-प्रसार किया।[9] आमेर शासक पृथ्वीराज ने इनसे वैष्णव धर्म में दीक्षा ग्रहण की। तभी से आमेर में रामभक्ति का प्रसार प्रारम्भ हुआ तथा गलता श्रीसम्प्रदाय की गद्दी के रूप में विख्यात हुआ। कृष्णदास पयहारी रसरीति के उपासक एवं सीताजू के अनन्य भक्त थे। वेद, शास्त्रों में पारंगत होते हुए भी सदैव रामप्रिया जी ध्यान में तल्लीन रहते थे। यह अष्टयाम सेवाभाव के प्रचारक थे। श्रीकृष्णदास पयहारी जी के शिष्यों में दो अधिक प्रसिद्ध हैं - कील्हदासजी एवं अग्रदास जी। कील्हदास को गलता गद्दी का उत्तराधिकारी बनाया तथा अग्रदास को अनेक गोपनीय साधनाओं का रहस्य बताकर भक्ति रस में सराबोर किया।[10] अग्रदास जी ने रेवासा नामक स्थान पर रामानन्द सम्प्रदाय की एक अन्य पीठ की स्थापना की। कील्हदास एवं अग्रदास जी से प्रभावित होकर आमेर नरेश मानसिंह वैष्णव भक्ति की ओर उन्मुख हुए। राजा मानसिंह ने काशी में मान मन्दिर और पंचगंगा घाट पर सीतारामजी मन्दिर (जिसमें स्वामी रामानन्द की स्मृति सुरक्षित है) और बिन्दु माधव मन्दिर का निर्माण करवाया।[11]

कृष्णदास पयहारी के शिष्य कील्हदास जी गलता के आचार्य हुए, तब से पन्द्रह आचार्य हुए हैं। गलता की महन्त परम्परा में मधुराचार्य एवं हर्याचार्य उल्लेखनीय हैं। गलता पीठ के महन्त मधुराचार्य जी ने 'सुन्दर मणि संदर्भ' नामक ग्रन्थ की रचना की थी। मधुराचार्य के उत्तराधिकारी स्वामी हर्याचार्य के समय गलताजी के विरक्त (अविवाहित) महन्तों की परम्परा समाप्त हो गई। इनके समय में माधवदास नामक संत द्वारा लोहार्गल (सीकर, शेखावाटी) में रामानन्द सम्प्रदाय की एक अन्य गद्दी की स्थापना की गई। गलता जी के महन्तों की धर्माचार्यों के रूप में बहुत मान प्रतिष्ठा थी। गलता की गद्दी को जयपुर के शासकों के साथ-साथ अलवर, करौली, रीवां और काशी के नरेशों ने भी समय-समय पर जागीरें आदि भेंट की।[12]

रामाश्रयी सगुण भक्ति धारा में सीताराम की मधुर उपासना का प्रवर्तन गलता और रेवासा की रामानन्दी गद्दी द्वारा माना जाता है। यहाँ राम की भक्ति और पूजा कृष्ण की भाँति माधुर्य भक्ति के रूप में उन्हें एक रसिक मानते हुए की जाती है एवं जुगल सरकार (सीता व राम) की श्रृंगारिक जोड़ी पूजी जाती है।[13]

कृष्ण की भाँति राम की माधुर्य उपासना की धारा को अग्रसर करने में राजा सवाई जयसिंह का भी उल्लेखनीय योगदान है। इस संदर्भ में यह कहा जाता है कि महाराजा सवाई जयसिंह ने अपने राजकवि श्री कृष्ण भट्ट से कहा कि जिस प्रकार कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन जयदेव के 'गीत गोविन्द' में मिलता है, उसी प्रकार राम की रास लीलाओं का वर्णन जिस काव्य में हो, उसे खोज कर लाने को कहा। कवि कृष्ण भट्ट को ऐसा काव्य नहीं मिला तो उन्होंने स्वयं ही एक गीतिकाव्य की रचना की, जिसमें राम का सीता तथा उसकी सखियों के साथ सरयू तट पर विहार, रासलीला आदि का वर्णन जयदेव की भाँति ललित पदावली और मधुर शैली में किया गया था।[14]

'राघवगीतम' नामक इस काव्य को देखते ही सवाई जयसिंह पहचान गये कि यह श्री कृष्ण भट्ट द्वारा रचित कृति है एवं सवाई जयसिंह जी ने काव्य की उत्कृष्टता से प्रभावित होकर कवि श्री कृष्णभट्ट को 'रामरासाचार्य' की उपाधि से विभूषित किया [15] तथा जागीर भी प्रदान की। गीतिकाव्य के रूप में यह प्रथम रचना है, जिसमें राम की रास लीला का वर्णन है।

सवाई जयसिंह के शासन के बाद गलता की रामानन्दी भक्ति परम्परा में राम की प्रेमाभक्ति के अनेक आयाम विकसित हुए। राम को भी गोचारण करने वाले तथा मोरपंख धारण करके वन विहार करने वाले प्रिय सखा के रूप में चित्रित किया गया।[16] महाकवि द्वारकानाथ ने 'गालवगीतम' नामक काव्य में गलता का वर्णन करते हुए लिखा है कि गलता में मोरपंखधारी, गोपवेश वाले राम की तथा धनुषबाणधारी कृष्ण की पूजा होती है। इससे यह प्रतीत होता है कि कृष्णभक्ति और रामभक्ति की धाराओं में समन्वय हेतु राम की मोरपंखधारी एवं कृष्ण को धनुषबाणधारी के रूप में पूजा की गई। यहाँ रामगोपाल की मूर्ति में राम और कृष्ण का समन्वय एक जगह स्पष्ट हो जाता है।

गलतापीठ के आचार्यों ने भी राम की माधुर्य भक्ति के अनेक काव्य, आख्यान, स्तोत्र आदि लिखे थे, जिनमें मधुराचार्य और हर्याचार्य की कृतियाँ महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने जानकी गीतम और सनतकुमार संहिता राम-स्तव-राज पर विस्तृत भाष्य लिखा।[17] 'सुन्दरमणिसंदर्भ' नामक ग्रन्थ में राम की मधुरोपासना का वर्णन किया है। इस प्रकार गलता में राम की माधुर्य भक्ति की सरस धारा प्रवाहित होकर देश के विभिन्न भागों में लोकप्रिय होती गई तथा इस रामप्रेमाभक्ति का राजस्थान के बाहर भी व्यापक प्रभाव हुआ।

गलता जी सप्तकुण्डों, मन्दिरों और सात हनुमान देहरों से सुसज्जित होकर स्नान, ध्यान, दर्शन-पूजन, दान और जप-हवन के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है। गलता जी में निम्न सात कुंड हैं :- कदम्ब कुंड, यज्ञवेदी कुंड, सूर्यकुंड, गोपाल कुंड, रामकुंड, लाल कुंड और उद्धार कुंड। गलता जी में यज्ञकुंड से भूमिगत जलधारा गोमुख से प्रवाहित होती हुई निरंतर सूर्यकुंड में गिरती रहती है। गलता जी का सर्वप्रमुख मन्दिर सीताराम जी का मन्दिर है। स्वामी कील्हदास द्वारा प्रतिस्थापित किए गए सीताराम जी के विग्रह इस मन्दिर के गर्भ गृह में है। सीताराम जी के विग्रह के साथ यहाँ लक्ष्मण जी का काष्ठ विग्रह भी है।

सीताराम जी के भोग राग के लिए राजा पृथ्वीराज द्वारा गाँव भेंट

किया गया था। सीताराम जी के देवालय में सीताराम जी के विग्रह के अतिरिक्त रघुनाथ जी, रामकुमार जी, नृत्यगोपाल जी, रामगोपाल जी और विजयगोपाल जी के विग्रह स्थापित हैं। इस मन्दिर के सामने सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित ज्ञान गोपाल जी का मन्दिर स्थित है।[18] ज्ञान गोपाल जी के मन्दिर में स्थापित विग्रह की चरण चौकी पर एक लेख अंकित है –

'ठाकुर जी श्री गुमान गोपाल जी की प्रतिष्ठा संवत् 1859 का मिती वैशाख सुदी 5 श्री गालवाश्रम के मन्दिर में विराजेमान श्री मनमहाराजाधिराज सवाई प्रतापसिंह जी का राज में कीया राजा बहादुर जीत स्यंध ज्ञान स्यंध चूड़ावत गोपाल दासवत पोता जसवंत स्यंध का। गलता जी में एक सूर्य मन्दिर भी है जो इस पर्वतीय उपत्यका के शीर्षस्थ है। इस सूर्य मन्दिर का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह के दीवान कृपाराम द्वारा करवाया गया था।[19]

गलता जी में श्रावण मास में हिंडोले के मेले का आयोजन होता है। इस दौरान सीतारामजी और ज्ञानगोपाल जी के मन्दिरों में झाँकी सजाई जाती है। मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा को गलता स्थान का विशेष माहात्म्य माना गया है, इसके अतिरिक्त मकर सक्रांति, सोमवती अमावस्या तथा कार्तिक पूर्णिमा इत्यादि पवित्र पर्वो पर स्नान-पुण्यादि का विधान प्रचलित है, जिसके कारण गलता के सूर्यकुण्ड और गोपालकुण्ड पर स्नानार्थी भक्त श्रद्धालुओं की संख्या सर्वाधिक होती है।

इस प्रकार उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि गलता ऋषि तीर्थ होने के साथ-साथ वैष्णव तीर्थ भी है। इसके गोमुख से निकलते हुए जल से परिप्लावित-सूर्यकुण्ड में स्नान को पुण्यदायी धार्मिक कृत्य माना जाता है तथा गलता श्री सम्प्रदाय की प्रधान पीठ होने के कारण उत्तर तोताद्रि के नाम से भी विख्यात है। इस तरह गलता जी असाधारण महत्व से युक्त धार्मिक तीर्थ स्थल है।

रामानंद सम्प्रदाय की अन्य प्रमुख गद्दी – रेवासा : संत शिरोमणि श्री अग्रदेवाचार्य द्वारा स्थापित रेवासा महापीठ श्री रामानन्दीय सम्प्रदाय की एक प्रमुख गद्दी के रूप में प्रसिद्ध है। यह गद्दी जयपुर से लगभग तीस मील दूर सीकर जिलान्तर्गत गौरियाँ स्टेशन के समीप रेवासा नामक ग्राम में अवस्थित है।

गालवाश्रम में कृष्णदास पयोहारी जी द्वारा श्री सम्प्रदाय की पीठ की स्थापना किये जाने के पश्चात् अग्रदेव जी ने गुरू से अनुमति लेकर रेवासा नामक स्थान पर रामानन्द सम्प्रदाय की एक अन्य पीठ की स्थापना की। यहाँ अपने आराध्यदेव की स्थापना में अपने गुरूदेव की चरणपादुकाओं को भी प्रतिष्ठित किया। श्री अग्रदास जी रेवासा में सम्वत् 1570 में आये[20] और यहाँ पर्वत के समीप पीपल वृक्ष के नीचे कई वर्षो तक तपस्या की। उस समय रेवासा के आस-पास के क्षेत्रों में पानी का नितांत अभाव था। स्वामी अग्रदास जी ने अपनी तपस्या के बल पर भूमितल के नीचे स्थित जल को अपना चिमटा जमीन में प्रविष्ट करके शीतल जलधारा के रूप में प्रकट किया। उस स्थान पर बना हुआ कुआँ आज भी विद्यमान है। श्री कृष्णदेव पयोहारी जी के अग्रगण्य शिष्य स्वामी अग्रदास जी सीताराम के अनन्य भक्त एवं उच्च साधना से सम्पन्न महात्मा थे। इनके तप एवं साधना की कीर्ति सुनकर बादशाह अकबर[21] अपने सेनानायक महाराज मानसिंह प्रथम के साथ स्वामी अग्रदास जी के दर्शनार्थ आये थे। स्वामी जी से प्रभावित होकर बादशाह अकबर ने यहाँ गौचारण के लिए सोलह सौ बीघा जमीन का पट्टा दिया था। इसे गायों की गौर कहा जाता था। कालान्तर में इस स्थान का नाम गौरियाँ हो गया।[22] आमेर शासक मानसिंह प्रथम ने भी अग्रदास जी से प्रभावित होकर मथुरा के विश्रामघाट पर सीताराम का मन्दिर बनवाया तथा काशी में मानमन्दिर, मानघाट तथा सीताराम जी के मन्दिर का निर्माण करवाया।[23]

स्वामी अग्रदास जी रामानन्दीय सम्प्रदाय की माधुर्य भक्ति शाखा के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। वे रामभक्ति शाखा के सुप्रसिद्ध ब्रजभाषा कवि थे। उन्होंने राम को प्रेमाभक्ति का आलम्बन मानकर मधुर लीलापदों की रचना की। उनके द्वारा रचित अष्टयाम, कुण्डलियाँ, पदावली, ध्यानमंजरी आदि प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं।

अष्टयाम में आठों पहर में राम के दैनिक जीवन की झाँकी सरस ढंग से प्रस्तुत कर अपने आराध्य को प्राप्त करने का सरल एवं सहज मार्ग प्रशस्त किया है। इसके अतिरिक्त 'अग्रसागर' नामक एक विशाल ग्रन्थ भी उनके द्वारा रचित माना जाता है। जयपुर में अग्रदास जी का जन्मोत्सव फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है।

स्वामी अग्रदास जी के अनेक शिष्य थे जो उच्चकोटि के संत थे। इन शिष्यों में- प्रयागदास, विनोदी स्वामी एवं नाभादास अधिक प्रसिद्ध हुए। नाभादास जी, जिनका नाम नारायणदास भी था, अग्रदास जी के अत्यंत प्रिय एवं विशेष कृपापात्र शिष्य थे। नामादास जी द्वारा रचित सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'भक्तमाल' में लगभग चार सौ संतों का काव्यमय परिचय दिया गया है। इसके अतिरिक्त नाभादास जी ने 'अष्टयाम' नामक ग्रन्थ की रचना की थी। रसिक प्रकाश भक्तमाल के रचयिता प्रियादास के अनुसार नाभादास जी विलक्षण रसिक थे तथा युगलोपासना के रहस्य से पूर्णरूपेण परिचित थे। नाभादास जी इस रसिकासक्ति के कारण ही 'नाभाअली' के नाम से भी सम्बोधित किये जाते थे। नाभादास जी ने अपने इष्टदेव की वात्सल्य, श्रृंगार, सख्य, दास्य व शांत भाव से उपासना की तथा भगवान व उनके भक्तों के गुणगान में तल्लीन रहे।

अग्रदास जी के दूसरे शिष्य विनोदी स्वामी रेवासा गद्दी के अधिकारी हुए तथा उनके पश्चात् क्रमश: ध्यानदास, रामचरणदास, बालकृष्णदास, सुखरामदास, रामसेवकदास, केशवदास, जानकीदास, सहजरामदास, भागीरथदास, रामानुजदास, चतुर्भुज-रामानुजदास, जगन्नाथचार्य एवं जानकीवल्लभाचार्य आदि हुए।[24]

इन आचार्यो के प्रभाव और तपस्या की गरिमा के कारण जयपुर, खण्डेला, खेतड़ी, सीकर और किशनगढ़ आदि अनेक राज्यों के शासकों तथा सामन्त-सरदारों की रेवासा पीठ के प्रति अगाध श्रद्धा थी। आस्था एवं श्रद्धा के कारण महाराजाओं और सामन्त सरदारों द्वारा इस पीठ को भू-सम्पत्ति भेंट की गई।

रेवासा पीठ आमेर (जयपुर) राज्य के अन्त:पुर की रानियों द्वारा सदैव गुरूभाव से पूजनीय रही है। श्री पयोहारी जी ने बालाबाई को दीक्षा प्रदान की थी तथा उनके शिष्य अग्रदासजी भी गुरू रूप में महारानियों द्वारा सम्माननीय थे। इस कारण भविष्य में भी अन्त:पुर की रानियाँ अपनी गुरू गद्दी रेवासा पीठ में मानती रहीं। श्री बालकृष्णदास जी महाराज के समय में आमेर अन्त:पुर में रेवासा के आचार्य पद का बहुत मान-सम्मान था।[25] जयपुर राजघराने की माँजी चूँडावतणी जी ने श्री रामसेवकाचार्य जी के तपोबल से प्रभावित होकर उन्हें अपना गुरू बना लिया था। अपने गुरू को लिखे गये माँजी साहिबा के अनेक पत्र रेवासा पीठ में विद्यमान हैं, जिनसे माँजी चूँडावतणी जी की अपने गुरू के प्रति आस्था एवं आदर के बारे में पता चलता है।[26] श्री जानकीदास जी महाराज के समय में जयपुर के अन्त:पुर में रूपा बदारन बहुत अधिक प्रभावशाली थी। उसने रेवासा पीठ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए जयपुर में रूप चन्द्रमा जी का मन्दिर बनवाकर पीठ को

भेंट किया तथा जानकीदासजी महाराज को पचास हजार रूपये की थैली एवं अन्य प्रकार की भेंट देकर आदर-सत्कार किया।

श्री जानकीदास जी महाराज ने भेंट में प्राप्त रूपयों का सदुपयोग पीठ के भवन निर्माण में किया। इनके समय तक इस आचार्य पीठ में भगवान के भोग-राग के लिए अनेक गाँव, कुएँ, तथा हजारों बीघा जमीन थी। रेवासा पीठ के अधीन जैपुरा, नवीपुरा, सन्तोषपुरा, श्यामपुरा, गोरियाँ, जानकीपुरा और सांवलपुरा आदि गाँव थे जो राजाओं, महाराजाओं एवं सामन्तों द्वारा भेंट किये गए थे।

इस महापीठ के आचार्यों के शिष्यों ने सम्पूर्ण भारत में अनेक गद्दियों की स्थापना की। इन गद्दियों को रेवासा महापीठ की द्वारा गद्दियाँ या धार्मिक कोटड़िया कहा जाता है। इन गद्दियों की स्थापना से वैष्णव धर्म का व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ। इस प्रकार वैष्णव धर्म के प्रति जनास्था को सुदृढ़ करने में रेवासा पीठ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

रेवासा पीठ का वर्तमान भवन दो बीघा दस विस्वा पक्की जमीन में फैला हुआ है। यह पाँच मुख्य द्वारों से युक्त ग्यारह चौक व चौरासी कोठरियों वाला है।[27] इस स्थान ने एक छोटी कुटिया से बढ़कर एक विशाल भवन का रूप ले लिया है। पीठ का मुख्य द्वार पूर्वाभिमुखी है, जिसके पास ही श्री गणेश व बूढ़े बाबा (हनुमान जी) का स्थान है। मठ के सामने बहती हुई नदी शीतलता प्रदान करती है। विशाल मठ के पास ही जानकी सरोवर है जो साधु-महात्मा व ग्रामीणों के स्नानार्थ है। पीठ के भीतरी भाग में तीन कुएँ हैं, जिनकी अलग अलग विशेषताएँ हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाहरी चौक में बने हुए कुएँ का पानी किसी महात्मा के वरदान के कारण स्वास्थ्य के लिए अति हितकारी है तथा गैस व वायु रोग के लिए रामबाण औषधि है। मठ के पीछे एक वाटिका है, जहाँ मठ संस्थापक श्री अग्रदेवाचार्य जी ने माँ-जानकी के साक्षात् दर्शन किए थे। इस कारण इसे जानकी वाटिका भी कहा जाता है। वाटिका के समीप पश्चिम की ओर वह कुआँ व पीपल के वृक्षवाला स्थान है, जहाँ महान विभूति श्री अग्रदेवाचार्य जी ने कठोर तपस्या की थी। इनका धूना भी उसी स्थान पर दर्शनार्थ उपलब्ध है।

श्री अग्रदेवाचार्य द्वारा तपस्या किये हुए धूने से ही इस स्थान का श्री गणेश हुआ था एवं पूजा स्थल तथा वाटिका का निर्माण हुआ था। श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के समय में इस पीठ को मूर्त रूप देकर भव्यता प्रदान की गई।[28] इनसे पूर्व आचार्यों द्वारा उपास्यदेव झूले में पूजे जाते रहे। इन्होंने मन्दिर आदि भवन निर्माण करवाकर उपास्यदेव श्री जानकीवल्लभ जी को प्रतिष्ठित किया। तदनन्तर परवर्ती आचार्यों के काल में मन्दिर भवन का विस्तार होता गया। श्री जानकीनाथ बड़ा मन्दिर के मुख्य मंडप में आदमकद श्रीराम-सीता की प्रतिमायें रजत निर्मित सिंहासन पर स्थापित है। मन्दिर के अंदर चित्रित दृश्यों में राम दरबार, कौरव-पाण्डव युद्ध, कृष्णलीलाएँ आदि प्रमुख हैं। इस मंदिर परिसर में एक गौशाला भी है। इस मन्दिर में धार्मिकोत्सवों को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। श्री अग्रजयंती एवं पाटोत्सव इस मन्दिर का मुख्य उत्सव है। इस समय भगवान श्री जानकीनाथ का फूलों का नयनाभिराम श्रृंगार किया जाता है। इन उत्सवों के दौरान संत-महात्माओं एवं श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ होती है। इनके अतिरिक्त रामनवमी आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरू पूर्णिमा तथा कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव भी रेवासा पीठ में उल्लास के साथ आयोजित किए जाते हैं तथा भव्य झाकियाँ सजाई जाती हैं, जिनके दर्शनार्थ एवं भक्ति भावना के कारण अपार जनसमुदाय यहाँ एकत्रित होता है।

निष्कर्ष- निष्कर्षत: कह सकते हैं कि श्री अग्रस्वामी द्वारा स्थापित रेवासा महापीठ जयपुर रियासत का एक गौरवपूर्ण रामभक्ति संस्थान रहा है तथा इस पीठ ने राम की माधुर्य भक्ति का आविर्भाव कर वैष्णव धर्म के प्रति जन-आस्था को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस कारण रेवासा महापीठ धार्मिक आस्था का केन्द्र एवं पूजा स्थल है तथा गलता श्री सम्प्रदाय की प्रधान पीठ होने के कारण उत्तर तोताद्रि के नाम से भी विख्यात है। इस तरह गलता जी असाधारण महत्व से युक्त धार्मिक तीर्थ स्थल है।

कछवाहा शासकों द्वारा राम भक्ति के प्रमुख केन्द्र गलता जी और रेवासा गद्दियों को भेंट-जागीरें आदि प्रदान कर राम भक्ति के प्रति गहरी आस्था व्यक्त की गई। अत: प्रमाणित है कि कछवाहों के आदि पुरूष भगवान राम होने के कारण आमेर में रामभक्ति प्रारम्भ से ही विद्यमान रही, किन्तु राजा पृथ्वीराज के समय रामसंत कृष्णदास पयहारी द्वारा रामभक्ति की गंगा प्रवाहित करने के कारण इसका उत्तरोत्तर विकास होता गया। सवाई जससिंह के समय में कृष्णभक्ति के साथ-साथ रामभक्ति भावना का भी बाहुल्य रहा और इस परम्परा के सतत् संवर्धन में परवर्ती कछवाहा शासकों मुख्यत: प्रतापसिंह का भी पर्याप्त योगदान रहा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अमरकोश, तृतीय काण्ड, संकीर्ण वर्ग-7
2. उत्तरी भारत की संत परम्परा : परशुराम चतुर्वेदी, पृ.-224-225
3. प्रतापप्रकाश : सं. गोपाल नारायण बहुरा, पृ.-35
4. नाथावतों का इतिहास : हनुमान शर्मा, 1937, पृ.-37
5. प्रतापप्रकाश : सं. गोपाल नारायण बहुरा, पृ.-35
6. रामस्नेही संप्रदाय की दार्शनिक पृष्ठभूमि : डॉ. शिवशंकर पाण्डेय, दिल्ली-1973, पृ.-75
7. नाथावतों का इतिहास : हनुमान शर्मा, 1937, पृ.-36
8. नाभादास कृत भक्तमाल : पृ.-302,
   दाहिमा वंश दिनकर उदय, सन्त कमल हिय सुख दियो।
   निर्वेद अवधि कलि कृष्णदास, अनपरिहरि पयपान कियो।।
9. राजस्थान के सन्त : सागरमल शर्मा, शेखावाटी शोध प्रतिष्ठान, चिड़ावा-1997, पृ.-40-41
10. रामस्नेही संप्रदाय की दार्शनिक पृष्ठभूमि : डॉ. शिवशंकर पाण्डेय, पृ.-76
11. रेवासा की मधुरोपासना : मनोहर सिंह राठौड़, रेवासा, सीकर-2003, पृ.-8
12. राजस्थान के लोकतीर्थ :शालिनी सक्सेना, श्याम प्रकाशन, जयपुर-2001, पृ.-132
13. भक्ति तत्व, दर्शन-साहित्य-कला: स. कल्याणमल लोढा, जयकिशन दास सादानी, कलकत्ता-1995, पृ.-404
14. सवाई जयसिंह : राजेन्द्र शंकर भट्ट, पृ.-149
15. वही, पृ.-149
16. राजस्थान के लोकतीर्थ :शालिनी सक्सेना, पृ.-132-133
17. रेवासा का मधुरोपासना : मनोहर सिंह राठौड़, पृ.-13
18. ब्रजनिधि ग्रंथावली : सं. पं. हरिनारायण पुरोहित, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, पृ.-43
19. जैन संस्कृति और राजस्थान : सं. डॉ. नरेन्द्र भानावत, सम्यगान प्रचारक मंडल, जयपुर- 1975-76, पृ.-146
20. श्री अग्र ग्रन्थावली (भूमिका) : प्रकाशक श्री राघवाचार्य वेदान्ती, श्री जानकीनाथ बड़ा मन्दिर ट्रस्ट, रेवासा, पृ.-10

21. श्री अग्र ग्रन्थावली (भूमिका) : प्रकाशक श्री राघवाचार्य वेदान्ती, श्री जानकीनाथ बड़ा मन्दिर ट्रस्ट, रेवासा, पृ.–4
22. रेवासा की मधुरोपासना : डॉ. मनोहर सिंह राठौड़, पृ.–24
23. वही, पृ.–23
24. रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य पर उसका प्रभाव : डॉ. बदरी नारायण श्रीवास्तव, पृ.–201
25. रेवासा की मधुरोपासना : डॉ. मनोहर सिंह राठौड़, पृ.–85
26. वही, पृ.–85
27. राजस्थान के लोक तीर्थ : शालिनी सक्सेना, पृ.–188
28. रेवासा की मधुरोपासना : डॉ. मनोहर सिंह राठौड़, पृ.–63

****

उच्च माध्यमिक स्तर के कला एवं वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिकरूचि का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. रितु बाला* सुमित्रा सिंह**

शोध सारांश – प्रस्तुत शोधकार्य शोधार्थी द्धारा **'उच्च माध्यमिक स्तर के कला एवं वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिकरूचि तुलनात्मक अध्ययन'** करने के लिये किया गया। इस हेतु न्यादर्श के रूप में गंगानगर एवं हनुमानगढ जिले के 800 विधार्थियों का चयन किया गया। उपकरण के रूप में रूचि मापनी डॉ. एस.पी. कुलश्रेष्ठ उपयोग किया गया निष्कर्ष रूप में देखा गया कि उच्च माध्यमिक स्तर के कला एवं वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक रूचि में सार्थक अन्तर नहीं हैं।

प्रस्तावना – शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है । इसके द्धारा मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। यह जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही किसी न किसी कार्य को करने के लिए प्रयासरत रहता है, उसका यह प्रयास जीवन पर्यन्त चलता रहता है। यहॉ तक कि व्यक्ति अपनी अंतिम सांस तक किसी न किसी रूप में प्रयत्नशील अवश्य रहता है। कभी वह तात्कालिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयास करता है तो कभी अंतिम या दूरगामी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आखिरकार वे कौन से कारण है जो व्यक्ति विशेष को व्यवहार के लिए प्रेरित करते है, इसी का अध्ययन अभिरूचि के अन्तर्गत किया जाता है। देखने में तो यह रूचि शब्द बहुत ही छोटा प्रतीत होता है परन्तु वास्तव में यह अपने में बडा गूढ अर्थ समेटे हुए है, और इसकी व्याख्या अत्यन्त विस्तृत हैं । आज अभिरूचि का मनोवैज्ञानिक जीवन के सभी क्षेत्रों में चाहे वह व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हो, पारिवारिक अथवा सामाजिक हो, जातीय अथवा राष्टीय हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो, एक महत्वपूर्ण आधार हो गया है।

व्यक्ति अपने जन्म के समय असहाय होता है और दूसरों की सहायता से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे–जैसे वह बड़ा होता है, वैसे –वैसे वह उनको पूरा करना अपना और अपने वातावरण से अनुकूलन करना सीखता है। इन कार्यो में शिक्षा उसे विशेष योग देती है। शिक्षा न केवल उसे वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता देती हैं, वरन उसके व्यवहार में ऐसे वाछनीय परिवर्तन भी करती है कि वह अपना और अपने समाज का कल्याण करने में सफल होता है। शिक्षा इन कार्यो को सम्पन्न करके ही सच्ची शिक्षा कहलाने की अधिकारिणी हो सकती है। सम्भवत: इसी विचार से प्रेरित होकर डॉ. राधाकृष्णन ने लिखा है 'शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिये इस कार्य को किये बिना शिक्षा अनुर्वर और अपूर्ण है।'

शोध कथन– 'उच्च माध्यमिक स्तर के कला एवं वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिकरूचि तुलनात्मक अध्ययन'

शोध के उद्देश्य :

1. उच्च माध्यमिक स्तर के कला एवं वाणिज्य वर्ग विद्यार्थियों की शैक्षिकरूचि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पनाएं:

1. उच्च माध्यमिक स्तर के कला एवं वाणिज्य वर्ग विद्यार्थियों की शैक्षिकरूचि में सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध विधि –प्रस्तुत शोध विधि में शोधकर्ता द्धारा शैक्षिक रूचि का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है

न्यादर्श–'न्यादर्श एक विस्तृत समूह का निम्नतम प्रतिनिधि है।' प्रस्तुत शोधकार्य में न्यादर्श के रूप में उच्च माध्यमिक विद्याालयों के 800 विद्यार्थियों का चयन किया गया है ।

प्रयुक्त सांख्यकीय विधिया

1. मध्यमान
2. मानक विचलन
3. टी परीक्षण

शोध में प्रयुक्त उपकरण

1. **शैक्षिक रूचि मापनी**–डॉ. एस.पी. कुलश्रेष्ठ

परिकल्पना संख्या– उच्च माध्यमिक स्तर के कला एवं वाणिज्य वर्ग विद्यार्थियों की शैक्षिकरूचि में सार्थक अन्तर नहीं है।

वर्ग /लिंग	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी प्राप्तांक
कला वर्ग विद्यार्थी	400	8.71	11.43	.326
वाणिज्य वर्ग विद्यार्थी	400	8.83	12.09	

उपरोक्त परिकल्पना के विश्लेषण हेतु कला वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों से शैक्षिक रूचि प्रपत्र भरवाया गया जिस हेतु न्यादर्श के रूप में 200 कला वर्ग के छात्र एवं 200 छात्राओं और इसी प्रकार 200 वाणिज्य वर्ग के छात्र एवं 200 छात्राओं से प्रश्नावली को भरवाया गया तपश्चात् प्राप्त अंको का मध्यमान ज्ञात किया गया कला वर्ग के विद्यार्थियों का मध्यमान 8.5 तथा वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों के अंको का मध्यमान 8.4 प्राप्त हुआ इसी प्रकार कला वर्ग के विद्यार्थियों के अंको का मानक विचलन 11.43 तथा वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों के अंको का मानक विचलन 12.09 प्राप्त हुआ।

* प्रोफेसर (शिक्षा विभाग) टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.) भारत
** शोधार्थी, टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.) भारत

इन्ही आंकडो के आधार पर टी प्राप्तांक ज्ञात किया गया जो .326 प्राप्त हुआ तत्पश्चात ज्ञात टी मूल्य की तुलना स्वतन्त्रता के अंश 798 का विश्वास के स्तर 0.01 तथा 0.05 पर टी सारणी मूल्य से किया गया जिससे ज्ञात हुआ हमारे द्वारा ज्ञात किया गया मान सारणी मान से कम है अर्थात हमारे द्वारा निर्मित शून्य परिकल्पना उच्च माध्यमिक स्तर के कला एवं वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक रूचि में सार्थक अन्तर नहीं है। स्वीकृत हो जाती है।

निष्कर्ष –निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कला एवं वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थी समान स्तर की शैक्षिक रूचि रखते है।

शोध अध्ययन की उपयोगिता– प्रस्तुत शोध के माध्यम से शिक्षक बालकों में शैक्षिक रूचि को प्रभावित करने वाले कारकों को जान सकेंगे तथा ऐसी शिक्षण विधियों व शिक्षण सहायक सामग्री का चयन कर सकेगे जो उनकी शैक्षिक रूचि को बढ़ायें।

प्रस्तुत शोध के माध्यम से बालक जान सकेंगें कि कितनी मात्रा में तनाव उनकी शैक्षिक रूचि उनके शारिरीक तथा मानसिक विकास में सहायक है तथा उस पर किन घटकों का प्रभाव पड़ता है तथा किन घटकों का प्रभाव नहीं पड़ता है तनाव को किस प्रकार शैक्षिक सहायक के रूप में उपयोग कर सकते है यह जानने में भी प्रस्तुत शोध उनकी सहायता करेगा।

भावी अनुसंधान हेतु सुझाव:

1. प्रस्तुत अध्ययन उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों पर किया गया है अत: माध्यमिक स्तर एवं महाविद्यालय स्तर पर इसका अध्ययन किया जा सकता है।
2. प्रस्तुत शोध कार्य शिक्षकों पर तनाव व शिक्षण रूचि के संदर्भ में भी किया जा सकता है।
3. प्रधानाचार्यो, प्रशासकों, प्रबन्धकों पर तनाव के प्रभाव का अध्ययन भी किया जा सकता है।
4. प्रस्तुत शोध हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों पर ही किया गया है अत: इसे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों पर भी किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:–

1. एजूकेशन इन्टरेस्ट ट्रैंड एंमग एंग चिल्डन सम्बन्ध ई–जर्नल 7–7490 आई. एस. एस. एस. 2277–7490 वाल्यूम–2 कोश
2. शीलू मेरी (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य रजत प्रकाशन नई दिल्ली
3. शोध संचयन मानविकी एवं समाज विज्ञान मौलिक एवं अंतरानुशासनात्मक शोध संचयन आई.एस.एस.एन 2249–9180 (आनलाईना) वाल्यून–5 इश्यू–2014
4. शैक्षिक रूचि प्रपत्र डॉ एस पी कुलश्रैष्ठ
5. गुप्ता, अलका– छात्रों के शैक्षित सन्तुष्टि का अध्ययन एवं सन्तोष मापनी इण्डियन जेफिजियो, फारर्मोकल 2014 पेज–8186
6. इनोवेयर जर्नल ऑफ एजूकेशन आई. एस. एन. 2347–5528 वाल्यूम–2 इशु –2 2016
7. इन्टरनेशलन एजूकेनल ई जर्नल वाल्यूम –5 पेज न. 51–57
8. इन्टरनेश्नल जर्नल ऑफ एजूकेशन रिर्सच एंड टैक्नोलॉजी आई. एस. एस. एन 09764089 वाल्यूम–3 सितम्बर 2014
9. इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमनिटी एंड सोशल साईंस अनवेनशन आई एस.एस.एन–2319–7722
10. इन्टनेशनल जर्नल ऑफ एडवास एजूकेशन एंड रिर्सच आई.एस.एस.एम 2320–2882 वाल्यूम–2 इश्यू–2 (2014)
11. इन्टनेशनल जर्नल ऑफ एडवास एजूकेशन एंड रिर्सच आई.एस.एस.एम 2455–5746 वाल्यूम–2 इश्यू–2 (2017)
12. इन्टनेशनल जर्नल ऑफ एजूकेशन एंड इन्फमिशन स्टडी आई. एस एस. एन. (27)–3169 वाल्यूम 5 पेज 51–57

****

A Proposed Algebra Problem-Analysis Model

Roshni Kumari*

Introduction - The purpose of the study was to examine evidence for the validity of a proposed problem-solving model for identifying skill deficits in students struggling with algebra. Three research questions guided the study. First, what is the relationship between each of the five sections within the problem-analysis model to an established measure of algebra? Second, to what extent does assessment data support the proposed five-factor structure? Third, to what extent does the five sections and each subsection within the problem-analysis model accurately identify the level of a student's difficulty with algebra as measured by a criterion? The problem-analysis model has five skills sections, and within each skill section were different subskills. To review, the skills are Basic Skills, Algebraic Thinking, Content Knowledge, Engagement, and Authentic Application. The Basic Skills skills section contains the following subskills: comparing and ordering, calculation, and word problems. The Algebraic thinking skills section contains the following subskills: patterns, arithmetic to algebra, proportional reasoning, and generalization. The Content Knowledge skills section contains the following subskills: problem solving, vocabulary, and conceptual understanding. The Authentic Application section contains the following subskills: positive mindset and negative mindset. The Engagement skills section contains the following subskills: cognitive engagement, affective engagement, behavioral engagement, behavioral engagement participation, and disengagement.

Statement of the Problem: Mathematics is a fundamental skill that is required to successfully maneuver through adult life. The expectations regarding the type of mathematics skills that students are expected to possess by the time they leave school are changing, and are very different from just a few decades ago: students are expected to not only be able to computer numbers but reason and think mathematically (National Research Council, 2001). The different areas of math vary, but they are all important. Recently, much focus has been shifted towards algebra, and requiring students to have some level of proficiency prior to graduation (National Mathematics Advisory Panel (2008). Statement of the Problem The National Mathematics Advisory Panel (2008) states that algebra is a gateway to later achievement, and that there is a strong correlation between the completion of algebra II and the likelihood of college success and college graduation. Students who complete algebra II are also more likely to have higher college GPAs, graduate from college, and higher earnings in later life (Gaertner, Kim, DesJardins, &McClarty, 2014). Algebra proficiency is a requirement for employment in growing fields like engineering, medicine, science, programming, and technology (Zeldin, Britner, &Pajares, 2008; Steen, 1999; Usiskin, 1995). There is a call from these and other professional communities for more students who are prepared to enter a career in the STEM field (NCTM, 2014). For many students, the choice to pursue the types of college programs leading to STEM careers happens as early as middle school, and those choices are often a reflection of a student's learning experiences with science and math content, and not on their ability alone.

Study importance: The need for an algebra research is paramount because achievement data indicates our students continue struggling with algebra, but there is not a well-developed problem-analysis model for intervening with struggling students. Direct instructional activities and guidelines exist for a number of the content areas within algebra (Foegen, 2008; NMAP, 2008), but academic interventions are more successful if they directly address the student deficit (Burns, VanDerHeyden, &Boice, 2008). As of now there are no clear guidelines about how to assess for specific skill and knowledge-based deficits, and then select appropriate, evidence-based interventions.

The rationale of the study: The rationale behind this study is to propose a model that utilizes an evidence-based problem-analysis model to identify specific skill and knowledge deficits related to algebra, and to develop an assessment that effectively assesses a student's performance with each of the target 6 areas. The following research questions will guide this research:

1. What is the relationship between each of the five sections within the problem-analysis model to an established measure of algebra?
2. To what extent do assessment data support the proposed five-factor structure?
3. To what extent can the five sections and each subsection within the problem-analysis model accurately identify the level of a student's difficulty with

* Research Scholar (M.Phil), Capital University, Koderma (Jharkhand) INDIA

algebra as measured by a criterion?

Definition of School Algebra: Much like the definition of mathematics proficiency, the definition of algebra is multifaceted and involves many dynamic components, ultimately promoting many different ideas as to what algebra actually is. To some algebra is the study and memorization of mathematical formulas and procedures, while to others algebra is the process of abstraction, generalization, and reasoning (Kortering, deBettencourt, &Braziel, 2005). In some respect both of these views can be considered correct, as over the past two centuries the concept of what algebra is and how it should be taught has changed dramatically.

Skills Required for School Algebra: The National Research Council (2001) reported that proficiency with whole numbers and rational numbers are prerequisites to advanced mathematical proficiency. Computation of single and multi-digit problems, estimation, mental arithmetic, and an ability to solve word problems all fall under proficiency with whole numbers. Proficiency with rational numbers means understanding factions and decimals, solving problems with the numbers; use of integers and proportional reasoning; and being able to applying them in multiple contexts.

Foundational Skills: When learning new skills, building on more foundational skills while integrating new information with previously learned information helps reinforces concepts and increases the likelihood that a person will be able to generalize and apply the new knowledge (Woolfolk, 2008). If a solid foundation does not exist, then it is likely someone will not develop proficiency with those advanced skills.

Comparing and ordering: Having solid number sense with whole numbers is critical to practically all areas of mathematics (Zaslavsky, 2001; Hallet, Nunes, Bryant, & Thorpe, 2012; NRC, 2001; Siegler et al., 2012). Having a conceptual understanding of fractions, decimals, and percentages as actual numbers is a critical first step to proficiency with advanced mathematics (NRC, 2001; NMAP, 2008; Wu, 2001). Understanding the magnitude of rational numbers, especially fractions, and how they compare to one another is predictive of future mathematics achievement, regardless of the level of other mathematics skills including computation.

Calculation: Solving problems using whole numbers and rational numbers forms the basis of practically all advanced mathematics, including school algebra (Geary, 1994; Linchevski&Livneh, 1999; NMAP, 2008). Single-digit problem solving proficiency is critical to solving multi-digit problems, and a student must be proficient with these basic functions before he or she is able to generalize, adapt, reason, and strategically utilize the skills in more advanced ways (Humberstone& Reeve, 2008; Kinach, 2014; Linchevski&Livneh, 1999). Knowledge of fractions and calculations, especially division, is predictive of success in higher grades.

Word problems: The NCTM (2001) identifies solving word problems as an important component to mathematics proficiency. Proficiency of word problems with using arithmetic skills, and the requirements of breaking down the problem into workable components, provides a basis for solving advanced problems in algebra.

Core Skills: Algebraic Thinking Algebraic thinking helps evolve one's understanding and generalization of basic skills, informs new facts being learned, and guides problem-solving with novel and abstract problems (Banchoff, 2008; Kinach, 2014; Johanning, 2004). It's important to note that algebraic thinking does not develop independently, and proficiency is more likely acquired if the thought components are introduced early on in one's mathematic career alongside topics like basic arithmetic (Warren & Cooper, 2008; Cai& Moyer, 2008; Ferrucci, Kaur, Carter, &Yeap, 2008).

Equals sign and variables: A major component of the transition from the straightforward thinking about arithmetic to the flexible and abstract thinking of algebra requires the student to evolve their ideas of what the symbols of arithmetic mean and to develop a meaningful use of symbols (Herscovics&Lunchevski, 1994; NMAP, 2008). Perhaps the most common misconception of the struggling algebra student involves the equals sign (Kieran, 2008; McNeil &Alibali, 2005). As a product of learning basic operations, many students perceive the sign to mean "the answer is," when in reality, and of special importance in algebra, the symbol means "is equivalent to".

Relationship Between Arithmetic and Algebra:
Despite both being a fundamental part of mathematics and appearing very much the same, the processes behind arithmetic and algebra are very different (Herscovics & Linchevski, 1994). Arithmetic thinking is concrete and focuses on using procedures and operations to gain an answer to a problem, while algebraic thinking utilizes generalizations and reasoning to search out relations among values and variables (Stacey &MacGregor, 2000). The transition from arithmetic to algebra is one of the biggest hurdles for many students, as it requires less of a reliance on specific operational problem solving to more of a relational understanding between problems, and a shift from concrete operations to more abstract representations and strategies.

Patterns: The ability to identify patterns and the relations is a critical component of algebra proficiency (Kaput, Carraher, & Blanton, 2008; Kieran 2004; Cai& Moyer, 2008; Warren & Cooper; SREB, 2003), and the requirements of stating, verifying, and justifying patterns may help bridge the transition from arithmetic to algebra (Rivera & Becker, 2009). Learning about and using patterns typically begins with pictorial patterns and moves to arithmetic progressions before moving to geometric patterns and functions (Bush & Karp, 2013). The stepby-step sequential change where patterns are observed, continued, and described are three critical components to the patterning process.

Proportional reasoning: Proportional reasoning, which uses ratios to compare different quantities, is considered a critical component of algebraic thinking (Bright, Joyner, & Wallis, 2003; NRC, 2001; NMAP, 2008; SREB, 2003; Bush & Karp, 2013; CCSS, 2010; Fujimura, 2001). Types of proportional reasoning problems include missing numbers; comparing numbers; and qualitative predicting and comparison (Özgün-Koca& Altay, 2009), and it is made up of three different components: ratios; ratios being equal; and finding the relevant information while disregarding the irrelevant.

Core Skills: Factual Knowledge According to the NMAP (2008), Curriculums should focus on simultaneously developing a student's conceptual understanding, procedural fluency, and problem solving skills. Students struggling with algebra also benefit from a focus on understanding the core concepts behind algebra instruction, having the prerequisite knowledge required for each task, explicitly teaching the components of the content including vocabulary, and engaging the students in verbal dialogues regarding the content (Witzel, Smith, & Brownell, 2001). Supporting these findings, Impecoven-Lind &Foegen (2010) identified the three core areas where students struggle with when learning algebra: cognitive processes (attention, memory, language, meta-cognition), content foundations (declarative, procedural, conceptual), and algebra concepts.

Problem solving: Without a doubt, direct instruction of algebra content encompasses the biggest portion of the algebra instruction. The Common Core State Standards (2010) identifies the following areas as what should be targeted in Algebra I: Using exponents and rational exponents; rational and irrational numbers; reasoning quantitatively; interpreting and writing linear, exponential, and quadratic expressions; performing arithmetic operations on polynomials; creating equations that describe numbers and relationships; understanding and reasoning with equations; solving equations and inequalities with one variable; graphing and solving equations; understanding the concept of a function; interpreting and analyzing functions; and constructing and comparing linear, quadratic, and exponential models.

Vocabulary: Developing the language of mathematics is critical for all students to help develop mathematics proficiency (Adoniou& Qing, 2014). Limited mathematics vocabulary can have an impact on a student's ability to understand a problem, express answers or their thought process, and remember and recall new, specific information (Panasuk, 2011). However, being exposed to vocabulary can help increase a student's understanding and retention of academic material (Little & Box, 2011). For struggling learners, language acquisition proves a major barrier to algebra proficiency (Rakes, McGatha, &Ronau, 2010). The language of procedures and concepts needs to clearly defined and linked to past examples, especially for increasingly abstract concepts, as clarifying and supporting students' awareness of the language of symbols, syntax, and ambiguity is linked to language and algebra proficiency.

Conceptual understanding: Having a strong conceptual understanding of different topics in mathematics is a critical component of mathematics proficiency across all areas (NCTM, 2001), but perhaps its no more important than in the study of algebra. As it has been repeated throughout this paper, conceptual understanding is critical to problem-solving, flexible application of strategies, generalization of skills, reasoning, and learning new material (Byrnes &Wasik, 1991; Hiebert&Lefevre, 1986; Rittle-Johnson, Siegler, &Alibali, 2001; Schneider & Stern, 2010; Rakes, Valentine, McGatha, &Ronau, 2010). The specific importance of conceptual understanding and word problems is described above, and this section will go more into detail about the construct of conceptual understanding.

Research Methodology

Problem Analysis Model: The topic of algebra is made up of a wide range of topics and skills (Newton, Star, & Lynch, 2010), and the proposed model (Figure 1) identifies five core areas required to be successful in school algebra: basic skills, factual knowledge, algebraic thinking, authentic application, and engagement. Using this model, it is believed that that assessment can be methodically conducted to target a student's specific difficulties with understanding school algebra.

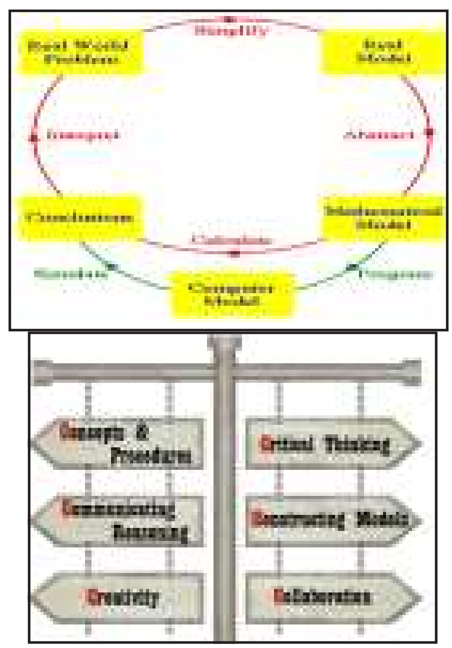

Fig. 1 ALGEBRA PROBLEM-ANALYSIS MODEL

Statistical Analyses

Question 1: Relationship between proposed model and algebra.

The data for question four will be analyzed using correlations between each skill, subskill, and the MAP-M algebra RIT scores. The internal consistency of the measures will all be reported.

Question 2: Proposed five factor structure

The data for question three will be analyzed using confirmatory factor analysis to assess theoretical nature of

the algebra-learning construct. The factor analysis will help confirm the proposed factor dimensions of the model. Chi-square, Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), Comparative Fit Index (CFI), Tucker-Lewis Index (TLI), and Standard Root Square Mean Residuals (SRMR) will be used to calculate goodness of fit. The reliability of the assessments will be measured using internal consistency.

Question 3: Diagnostic accuracy

The diagnostic accuracy will be assessed by measuring the sensitivity and specificity of each skill against the MAP-Algebra proficiency score of 181. The sensitivity will be measured by identifying students who score below the proficiency MAP-Algebra score, and identifying the students above the proficiency score will measure the specificity. The diagnostic accuracy will be calculated by measuring the agreement versus the disagreement between the cut score and diagnostic criteria.

Standard setting: There are currently no standards or research-based instructional levels for the different skill-based assessments being used in this research. Therefore, prior to comparing test performance to the criterion measure there needs to be an understanding of what is considered an appropriate proficiency score. Proficiency scores for each assessment were identified through the Angoff method because it has strong evidence as an empirical group method of standard setting (Berk, 1986). Teachers at the participating school served as the expert panel because they had familiarity with both the students and the content (Berk, 1986; Koffler, 1980; Kellow&Willson, 2008). The standard setting method involved four primary steps. First, the panel was presented with the concept of the borderline test-taker. Second, they were asked to imagine a group of 100 borderline test-takers. The panel was then instructed to identify the proportion of that group would answer each question correctly. Finally, the proportions for each problem were summed for each panel member, and then averaged across all of the members' scores to identify a proficiency score for the skill.

Discussion: The problem-analysis model has five skills sections, and within each skill section were different subskills. To review, the skills are Basic Skills, Algebraic Thinking, Content Knowledge, Engagement, and Authentic Application. The Basic Skills skills section contains the following subskills: comparing and ordering, calculation, and word problems. The Algebraic thinking skills section contains the following subskills: patterns, arithmetic to algebra, proportional reasoning, and generalization. The Content Knowledge skills section contains the following subskills: problem solving, vocabulary, and conceptual understanding. The Authentic Application section contains the following subskills: positive mindset and negative mindset. The Engagement skills section contains the following subskills: cognitive engagement, affective engagement, behavioral engagement, behavioral engagement participation, and disengagement.

Conclusions: Current practice is flush with effective, evidence-based instructional methods for teaching algebra, but there remains little for intervening with struggling students beyond addressing deficits with different instructional methods. This research adds to the literature supporting the skills required for algebra. It also adds to the sparse literature on problem-analysis for students struggling with algebra. It provides a systematic way of identifying skill deficits, which can be used to deliver targeted interventions.

References:-

1. Hendriana H, Putra H D and Hidayat W 2019 How to design teaching materials to improve the ability of mathematical reflective thinking of senior high school students in Indonesia? Eurasia J. Math. Sci. Technol. Educ.
2. Tyson W, Lee R, Borman K M and Hanson M A 2007 Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Pathways: High School Science and Math Coursework and Postsecondary Degree Attainment J. Educ. Students Placed Risk.
3. Hidayat W, Noto M S and Sri Nagesh R 2019 The influence of adversity quotient on students' mathematical understanding ability J. Phys. Conf. Ser. 1157.
4. Harinarayan H, Pratima R C I and Hidayat W 2019 The innovation of learning trajectory on multiplication operations for rural area students in Indonesia J. Math. Educ.
5. Widodo S, Rahayu P, Adjie N, Widodo S A and Setiadi B R 2018 The development of arithmetic gamification using digital dice Int. J. Eng. Technol.
6. Widodo S A, Dahlan J A, Harini E and Sulistyowati F 2020 Confirmatory factor analysis sosiomathematics norm among junior high school student 9 448–55.
7. Sri C K, Sutopo and Arunya D R 2016 The Profile o f Students ' Thinking in Solving Mathematics Problems Based on Adversity Quotient J. Res. Adv. Math. Educ. 1 36–48.
8. Shruti R 2015 Proses Berpikir Siswadalam Menyelesaikan Masalah Matema tikaberdasarkan Teori Polyaditinjaudari Adversity Quotient Tipe Climber Al-Jabar J. Pendidik. Mat. 6 183–93.
9. Pradhan K S and Anjarawati R 2017 Analysis of Students' Learning Obstacles on Learning Invers Function Material Infin. J. 6 169.

****

Study of The High Z+ Diet and Its Effect on Human Traumatology

V.P. Singh*

Abstract - In present paper we study the impact of high Z+ on human traumatology on mass-population. We also discuss its impact on the human dynamism and on human genome, responsible for different disorders on mass population.

1. Introduction : Here we study the physics of the processes involving the breakdown of integrated system (forced and deliberate annihilation is the focal point of BISOPHYSICS), BIS intake or BIS input changes the physics of the human body.

1.1 High Z+ Diet: Diet which contains high BIS impedance called high diet, where BIS impedance.

$$Z_{BIS}=R+jLw+\frac{1}{jwC}$$

This tell us that BIS impedance consists of three parts.

(i) Resisting BIS load: It means meat and other any diet obtained y non-violence process.

(ii) Inductive BIS load: It means alcohol, narcotics, coffee and food which have addiction.

(iii) Capacitance BIS load: It means dishonest practices, sexual aberrations, prostitution, abnormal sex snatching of some bodies' money, property, goods, etc.

1.2 Physical Nature Of Bis Load: There are three types of BIS load.

i. Resistive: Meat of any type

ii. Indicative: wine, alcoholic drinks and narcotics (substances which make addiction and destroy the human body, tobacco, heroin, morphines, etc.).

iii. Capacitative: (prostitution, stealing other money, property, books).

Diagrammatic representation of the three types of BIS load, which ruin the human body and destroy the neural networks.

1.3 Bis Loads Are Of Four Types

a) Internal BIS load (meat.)

b) External BIS load (-leather products).

c) Business BIS load (Violence related Business)

d) BIS load due to murder (Direct killing of living creatures).

1.4 Zero BIS Diet : Up till now people have put emphasis on high fiber, low fat, low cholesterol diet. In fact all our old notions will be properly covered, if we say that one should consume zero BIS diet. By zero BIS diet, we mean the food which introduce zero BIS impedance in our body.

2.0 Human Gnome: The complete set of instructions for making an organisms is called its genome. It contains the master blueprint for all cellular structures and activities for the lifetime of the cell or organisms. Human genome is found in every nucleus of a person's many trillions of cells. It consists of tightly coiled threads of deoxyribonucleic acid (DNA) and associated protein molecules, organized into structures called chromosomes.

Some DNA details: If unwound and tied together, the strands of DNA would stretch more than 5 feet but would be only 50 trillionths of an inch wide.

For each organism, the components of these slender threads encode all the information necessary for building and maintaining life, from simple bacteria to remarkably complex human beings. Understanding how DNA performs this functions requires some knowledge of its structure and organization.

2.1 DNA: In humans, as in other higher organisms, a DNA molecule consists of two strands that warp around each other to resemble a twisted ladder whose sides, made of sugar and phosphate molecules, are connected by runs of nitrogen containing called base.

Each strand is a linear arrangement of repeating similar units called nucleotides, which are each composed of one sugar, one phosphate, and a nitrogenous base. Four different bases are present in DNA: adenine (A), thymine (T), cytosine (C) and guanine (G). The particular order of the base arranged along the sugar-phosphate backbone is called the DNA sequences; the sequence specifies the exact genetic instructions required to create a particular organism with its own unique traits. The two DNA strands are held together by weak bonds between the bases on each strand, forming base pairs (bp). Genome size is usually stated as the total number of base pairs; the human genome contains roughly 3 billion up.

Each time a cell divides into two daughter cells, its full genome is duplicated; for humans and other complex organisms, this duplication occurs in the nucleus. During

***Associate Professor (Physics) D.J. College, Baraut (Baghpat) (CCS University, Meerut) (U.P.) INDIA**

cell division the DNA molecule unwinds and the weak bonds between the base pairs break, allowing the strands to separate. Each strand directs the synthesis of a complementary new strand, with free nucleotides matching up with their complementary bases on each of the separated strands. Strict base-pairing rules are adhered to; adenine will pair only with thymine (an A-T pair) and cytosine with guanine (a C-G pair). Each daughter cell receives one old and one new DNA strand. The cells adherence to these base-pairing rules ensures that the new stand is an exact copy of the old one. This minimizes the incidence of errors (mutations) that may greatly affect the resulting organism or its offspring.

2.2 Genes: Each DNA molecules contains many genes-the basic physical and functional units of heredity. A gene is a specific sequence of nucleotide bases whose sequence carry the information required for constructing proteins, which provide the structural components of cells and tissues as well as enzymes for essential biochemical reactions. The human genome is estimated to comprise approximately 80,0000, 100,000 gens. Human genome vary widely in length, often extending over thousands of bases, but only about 10 percent of the genome is known to include the protein-coding sequences (exons) of genes. Interspersed with many genes are intone sequences, which have no coding function. The balance of the genome is thought to consist of other noncoding regions (such as control sequences and inter generic regions), whose functions are obscure.

Within the gene, each specific sequence of three DNA base directs the cells' protein-synthesizing machinery to add specific amino acids. For example, the base sequence ATG codes for the amino acid methionine. Since three base code for I amino acid, the protein coded by an average-sized gene (300 bp) will contain 1000 amino acids. The genetic code is thus a serried of codons that specify which amino acids are required to make up specific proteins. From genes to proteins (67 K GIF). The protein-coding instruction from the genes are transmitted indirectly through messenger ribonucleic acid (mRNA), a transient intermediary molecule similar to a single strand of DNA.

For the information within a gene to be expressed, a complementary RNA strand is produced (a process called transcription) from the DNA template in the nucleus. This mRNA is moved from the nucleus to the cellular cytoplasm, where it serves as the template for protein synthesis. The cells protein-synthesizing machinery then translates the codons into a string of amino acids that will constitute the protein molecule for which it codes. In the laboratory the mRNA molecule can be isolated and used as a template to synthesize a complementary DNA (cDNA) strand, which can then be used to locate the corresponding genes on a chromosomes map.

2.3 Chromosomes : The three billion bp in the human genome are organized into 24 distinct, physically separate microscopic units called chromosomes. All genes are arranged linearly along the chromosomes. The nucleus of most human cells contain two sets of chromosomes, one set given by each parent.

Each set has 23 single chromosomes-22 autosomes and an X or Y sex chromosome (A normal female will have an X and Y pair). Chromosomes contain roughly equal parts of protein and DNA. Chromosomal DNA contains an average of 150 million bases. DNA molecules are among the largest molecules now known.

Chromosomes can be seen under a light microscope and, when stained with certain dyes, reveal a pattern of light and dark bands reflecting regional variations in the amounts of A and T vs G and C. differences in size and banding pattern allow the 24 chromosomes to be distinguished form each other, an analysis called a karyotype.

A few types of major chromosomal abnormalities, including missing or extra copies or gross breaks and rejoining (translocations), can be detected by microscopic examination; Down's syndrome, in which an individuals' cells contain a third copy of chromosome 21, is diagnosed by karyotype analysis. Most change in DNA, however are too subtle DNA abnormalities (mutations) are responsible for many inherited diseases such as cystic fibrosis and sickle cells 2annmia or may predispose an individual to cancer, major psychiatric illnesse, and other complex disease.

$$z = \sum_{i=j}^{i=\infty} Z_i t_j = \int_{t=0}^{t=T} \int_{i=1}^{i=\infty} (x, y, z)\, dx dy dz$$

Discussion: Certain repetitive sequences if DNA interspersed throughout the genome and often dismissed as inconsequential "junk" DNA may play a major role in the regulation of a process specific to placental mammals, whereby thousands of genes on one of the two X chromosomes in females becomes silenced during embryonic development. This process, known as X inactivation, ensures that females don't get double dose of most genes on the X chromosome, compared to males. X inactivation is highly unusual among gene regulation mechanisms in that almost all of the genes along the entire chromosome are silenced. Although much is known about how X inactivation is initiated and maintained through successive cell divisions, little is understood about how inactivation spreads along the length of the X chromosome.

Almost thirty four years ago one researcher suggested the concept of "Boosters" along the X chromosome that propagate the inactivation signal. About fifteen years later based on evidence that X chromosomes of mice and humans appeared to be in disproportion rich repetitive DNA sequence called LINE-1 elements, another scientists proposed these elements as candidate boosters. In an article published in the proceedings of the national Academy of Sciences, Researchers at Case Western Reserve School

of Medicine and University Hospitals of Cleveland present findings that support the idea that LINE – 1 elements help to propagate the inactivation signals along the X chromosome.

Based on analysis of data occurring from the human genome project, the authors report that LINE – 1 elements comprise about 26% of DNA of X chromosomes and only 13% of the DNA of the other chromosomes. They found the most significant clustering of LINE-1 elements in a region of X chromosome known to be the center of X inactivation.

Conclusion: The human genome gets highly perturbed due to heavy BIS loads. The type of genetic disease which creep is depends on the internal, external and distance BIS loads. Resistive, inductive and capacitive loads are partial BIS loads, which contribute to the total effective BIS load responsible for the damage to the human genome. High BIS diets are ruining the lives of our most productive and useful youth and leading to several incurable neurological, genetic and oncogenic disorders,

References:-

1. Hilbert, D. and Coh-Vossen, S.E.: Anschauliche Geometrie, Springer, 1932.
2. Skornyakov, L.A.; 'Projective planes', Uspekhi Mat. Nauk 6, No. 6 (1951), 112-115 (in Russian).
3. Argunov, B.I.; 'Configuration hypotheses and their algebraic equivalents', Mat. Sb. 26, no. 3 (1950), 425-456 (in Russian).
4. Levi, F.; Gmetrische Konfigurationen (mit einer Einfuhrng in die Kombinatorische Flachentopologie). S. Hirzel, Leipzig, 1929.
5. Husseini, S.7.: Topology of the classical groups. Gordon and Breach, N.Y. (1969).
6. Husseini, S.Y.: Generalized Lifshetz Numbers. Trans. Amer. Math. Soc. 272 (1982) 247-74.
7. Loday, J.L. and Quillen, D.: Cyclic homology nd the Lie algebra homology of matrices. Comm. Math. Helv. 59(1984) 565-91.
8. Lyndon, R.C. and Schpp, P.E.: Combinatorial group theory. Springer-Verlag, New York (1977).
9. Gottlieb, D.H.: A certain subgroup of the fundamental group. Amer. J. Math. 87 (1965) 840-56.
10. Adams, J.F.: On the non-existence of elements of Hopf invariant one. Ann. Of Math. 72 (1960) 20-104.
11. H.S. Chandra and V. Nanjundiah 1990, The evolution of geomic, imprinting development, 47-59
12. M.M. Bajaj, M.S.M. Ibrahm & V.R. Singh, 1995, Physiological Chaos, ISRWO, New Delhi.
13. B. Lee, F.M. Richard, J. Mol. Biol 55 (1971) 379
14. http:/www.pymol.org.2016

****

The Study of Golden Hyper Group Order-2 of Bis Processes

V.P. Singh*

Abstract - The prime object of this paper is to explain comprehend the strange and mysterious short and long range BIS- processes based on rigorous mathematical bases of breakdown of integrated system. Of order-2 Golden-hyper group and its application on BIS traumatology.

Introduction : In the preceding-paper we will study the Markov chains of BIS processes as random walk. In the present one, we aim to utilize the basic concept of signed hyper groups for the intense BIS phenomena.

Due to Norman and Wildberger[3], for what are now called finite signed hyper group. The theory of locally compact hypergroups is well established. The theory is quite rich and many generalization from locally compact group have been obtained.

Let us look at the key axioms for a DJS-hypergroup. We are given a locally compact Hausdorff space K with an involutive homeomorphism X '→ x^v and a special element.

In addition (H*) a continuous mapping (x, y) → d_x*d_y from K×K into $M^1(K)$, where $M^1(K)$ has the weak topology with respect to the space $C_c(k)$ of continuous complex-valued functions with compact. support (Convolution).

(H1) $\delta_x*(\delta_y*\delta_z) = (\delta_x*\delta_y)*\delta_z$ for all x, y, z in K. (H2) for all x, y in K.

(H3) $(\delta_x*\delta_e) = \delta_e*\delta_x = \delta_x$ for all x in k

(H4) e is in the support supp $(\delta_x*\delta_y v)$ if and only if x = y.

(H5) Supp $(\delta_x*\delta_y)$ is compact for all x, y in K.

(H6) The mapping (x, y) → supp$(\delta_x*\delta_y)$ of K×K into the space of nonvoid compact subsets of k is continuous.

Where the latter space is given the "Michael" topology in J {2.5}.

For a finite DJS-hypergroup, axioms (H5) and (H6) are not needed since they automatically hold. This leaves us with H^* and (H1 → H4) and continuity condition in (H^*) is no longer an issue. The only change needed for finite signed hypergroups is to weaken (H*) to (SH^*). For each (x, y) in K×K, $\delta_x*\delta_y$ is a real (or signed) measure satisfying $\delta_x*\delta_y$ (k) = 1 and to add. (Pe)$\delta_x v_* \delta_x(e) > 0$ for all x in K.

We need axiom (P_e) in order to show the existence of Haar measure. It is given by the formula for discrete hypergroups.

({x}) = $[\delta_x v_* \delta_x](\{e\})^{-1}$ for all x in K.

Margit Rosler weakens (SH) further and only requires that $\delta_x*\delta_y$ be a real measure. However, she shows in her setting that she gets an invariant measure if and only if $\delta_{x*}\delta_y(K) = 1$.

She weakens the hypothesis because in [R_1]. She studies a Lagueree covalution system and in [R_2] she studies Bessel-type signed hyper groups that do not have the property.

1. Duality Theorem : If K is a finite cumulative signed hypergroup then K^ is also a commulative signed hypergroup under pointwise operations and conjugation, and K is the character hypergroup of K^ in a natural way. In particular, if K is a finite cumulative hypergroup, then even though K^ need not be a hypergroup, then even though K^ need not be a hypergroup. It is a signed hypergroup and its dual is K.

Moreover one can do "harmonic analysis" y is a probability measure, reduce to the axioms of a DJS-hypergroup.δx*δin the setting of these signed hypergroups. The correct axioms for general locally compact signed hypergroups. For one things, they should be axioms that, when each

Incidentally, every two element signed hypergroup has the form $Z_\theta(2) = \{0, 1\}$ where $\delta_1*\delta_1 = \theta\delta_o + (1-\theta)\delta_1$, where we now allow q to be any positive number. I believe that I know the correct axioms for discrete signed hyper group.

(H5)Supp $(\delta_x*\delta_y)$ is compact {*i.e.* finite} for all x, y in K and add.

sup $\{\|\acute{}\,\delta_x*\delta_y\| : x, y \text{ in } K\}$ is finite.

This is needed if one is going to get convolution inequalities that make. L^1 into Banach algebra. L^P into an L^1-Banach module etc.

1. HYPERGROUPS OF BIS PROCESSES OF ORDER TWO

A hypergroup K = $\{c_0 c_1\}$ with two elements in determined by single-equation

*Associate Professor (Physics) D.J. College, Baraut (Baghpat) (CCS University, Meerut) (U.P.) INDIA

$$c_1^2 = \alpha c_0 + (1-\alpha) c_1$$

where $0 < \alpha \le 1$ is arbitrary. Then $w(K) = \frac{\alpha+1}{\alpha}$ and the

$$c_0 = \frac{\alpha}{\alpha+1} c_0 + \frac{1}{\alpha+1} c_1,$$

Suppose that K*-acts irreducible on a set X with $|X| = K$.

i.e. $\pi(e_0) = \frac{1}{K} J_K$

and so $\pi(c_1) = (\alpha+1)\pi(e_0) - \alpha\pi(c_0)$

$$= \frac{\alpha+1}{K} J_K - \alpha I_K$$

Provided that $\frac{\alpha+1}{K} \ge \alpha$;

this is a doubly stochastic matrix.

Note that $\pi(c_1)^2 = \frac{(\alpha+1)^2}{K^2} J_K^2 - 2\frac{\alpha(\alpha+1)}{K} J_K + \alpha^2 I_K$

or $\pi(c_1)^2 = \frac{(\alpha+1)(1-\alpha)}{K} J_K + \alpha^2 I_K$

$$= \alpha I_K + (1-\alpha)\left(\frac{(\alpha+1)}{K} J_K - \alpha I_K\right)$$

$$= \alpha\pi(c_0) + (1-\alpha)\pi(c_1)$$

so, this is indeed *-action.

2. CLASS HYPERGROUPOF THE SYMMETRIC GROUP S_3

The class hypergroup of the symmetric group S_3 is $K(S_3) = \{c_0, c_1, c_1\}$ with structure equations

$$c_1^2 = \frac{1}{2}c_0 + \frac{2}{2}c_2$$

We know that K(S3) can *-act irreducible only a set X with $|X| \le 6$. We also know that there are irreducible *-actions of dimensions K=1.2.3 and 6.

First we note that $a = \{c, c_2\}$ is a subhypergroup of K of total weight 3, so that any irreducible *-action of K decomposes upon restriction to a into irreducible of size 1, 2

or 3. The irreducible 2 and 3 dimensional star actions of a are given by one of the following :

$$\pi(c_2) = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ & \end{bmatrix} \text{ or}$$

$$\pi(c_2) = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Now that if $|X| = K$ then

$$\pi(c_1) = 2\pi(c_0) - \frac{1}{2}\pi(c_0) - \frac{2}{2}\pi(c_2)$$

and is determined by $\pi(c_2)$.

3. THE GOLDEN HYPERGROUP OF BIS PROCESSES

The golden hypergroup arises from the association scheme of a pentagon viewed as a graph. By this we mean that the two non trivial classes are given by the relations of being neighbours or not being neighbours respectively.

$K = \{c_0, c_1, c_2\}$ has structure equations

$$c_1^2 = \frac{1}{2}c_0 + \frac{1}{2}c_2$$

$$c_1 c_2 = \frac{1}{2}c_1 + \frac{1}{2}c_2$$

$$c_2^2 = \frac{1}{2}c_0 + \frac{1}{2}c_1$$

and character table

	c_0	c_1	c_2
χ_0	1	1	1
χ_1	1	$\frac{-1+\sqrt{3}}{4}$	$\frac{-1-\sqrt{3}}{4}$
χ_2	1	$\frac{-1-\sqrt{5}}{4}$	$\frac{-1-\sqrt{5}}{4}$

From the table we see that $K^{\wedge} \cup K$ and so that $\omega(\chi_1) = \omega(\chi_2) = 2$ any irreducible star action must be of dimension $K \le \omega(K) = 5$.

If K = 2 there are two possibilities for the dimension vector.

$b = [1, 1, 0]$ or $b = [1, 0, 1]$ which from the character table results in the following two possibilities for the character,

$$X = \left(2, \frac{2+\sqrt{5}}{4}, \frac{3-\sqrt{5}}{4}\right) \text{ or } X = \left(2, \frac{3-\sqrt{5}}{4}, \frac{3+\sqrt{5}}{4}\right)$$

Since a two dimensional doubly stochastic matrix is determined by its trace, we get the following possibilities,

If K = 3 the situation is more subtle we will show that no *-action p exists by assuming the contrary. From the character table the only possibility for the multiplicity vector is $b = [1,1,1]$ Suppose that we place the simplex X on which K acts in a Euclidean plane as an equilateral triangle whose vertices are on the circle of radius one about the origin O. Each of $T = \pi(c_1)$. $U = \pi(c_2)$ are then real symmetric linear transformations of this plane onto itself which commute and whose eigenvalues are known from the character table and the multiplicity vector. This means we may choose orthogonal coordinates (x, y) such that if r and s denote the quantities $\frac{-1+\sqrt{5}}{4}$ and $\frac{-1-\sqrt{5}}{4}$ respectively then T and U are the linear transformation $T(x, y) = (rx, sy)$ and $U(x, y) = (sx, ry)$.

By assumption both T and U map the equilateral triangle into itself. In particular since the origin divides any median of this triangle in the ratio 2 : 1, for any vertex

$(Tv, v)^3 \geq -1/2$ and $(Uv, v)^3 \geq -1/2$ thus

$$r\cos^2\theta + s\sin^2\theta^3 \geq -1/2$$

$$s\cos^2\theta + r\sin^2\theta^3 \geq -1/2.$$

The second of these equations may be manipulated easily to get

$$\cos^2\theta \leq \frac{1+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}}$$

Now $\frac{1+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} \leq \cos^2\frac{\pi}{6}$ so that $|\cos\theta| \leq \cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$

Similarly, $|\sin\theta| \leq \frac{\sqrt{3}}{2}.$

This means that q can only lie in the range

$$\pi/3 \leq \theta \leq \pi/3 \ (\text{mod. } \pi/2).$$

But then one of $\theta + 2\pi/3$, $\theta - 2\pi/3$ lies outside this range mod $\pi/2$. But these are the other vertices on the equilateral triangle we are considering so the same argument must apply to them.

This contradiction shows that no irreducible star-action of dimension $k = 3$ exists.

If $K = 4$ the possibilities for the multiplicity vector $b = [1, 3, 0]$ or $b = [1,2,1]$ are easily dismissed, by the fact that the corresponding character would be $\chi = \left(4, \frac{1+\sqrt{5}}{4}, \frac{1-\sqrt{5}}{4}\right)$. The same is true for the alternatives $b = [1,0,3]$ and $b = [1,1,2]$.

If $K = 5$ then the multiplicity vector is necessarily $b = [1, 2, 2]$ and the associated character is $\chi = [5, 0, 0]$. We know that $2\pi(c_1)$ and $2\pi(c_2)$ are 0, 1, symmetric matrices which sum to $J_5 - I_5$. This means that each must have exactly two 1's in each row (and column). A bit of though show that up to isomorphism there is only one such arrangement and it does indeed define a start action

$$\pi(C_1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ and } \pi(C_2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

This is the association scheme associated to the graph of pentagon.

Conclusion: Metropolis markov chains are related to strong Bis-process of hyper and DJS group. Metropolis Markov chain makes a sense of any finite group or set X. If p be the probability of X with $p(x) > 0$ for all x in X.

The Metropolis Markov chains studied by Diconis and Helon, which can be viewed as deformation of the nearest neighbour random walk, are precisely the nearest neighbour random walks on the hyper group deformations of group Z(2)d. Signed hyper group and golden hyper groups explain the mysterious complexities of intense BIS processes. These can be understand easily by the concept of signed hyper group using DJS-axioms.

References:-

1. **Bajaj M.M. and Ibrahim M.S.M. 1995.** A String theory of Human Peelings and its Association and Neural Networks, First International Scientific Conference, March 20-23, Cairo, Egypt.
2. **Bajaj M.M. and Ibrahim M.S.M., 1996.** Path Integrats of 1.2 Kilobar Base Pairs of 0.427 Megadaltion Dystrophin, Indian Science Congress Association, 83, Jan.
3. **Wildberger NJ.** Lagrange's theorem and integrality for finite commutative hypergroups with applications to strongly- regular graphs. To appear. J.of Alg.
4. **Sunder VS and Vijyarajan AK.** On the non-occurrence of the Coxeter graphs b2n+1, D2n+1 and E7 a2 the principal graph of an inclusion of P1 factos, reprint.
5. **Sunder VS.** On the relation between subfactors and hypergroups. Applications of hypergroups and related measure algebras.Contemp. Math.,183 (1995) 331-340.
6. **Spector R.** Mesures invariants sur les hypergroupes. Trans.Amer.Math Soc. 239 (1978) 147-165.
7. **Ross KA.** Hypergroups and centers of measure algebras, Symposia Math. 22 (1977). 189-203.
8. **Litvinov GL.** Hypergrops and hypergroup algebras. J. Soviet. Math. 38 (1987). 1734-1761.
9. **Jewett RI.** Spaces with an abstract convolution of measures Adv.Math., 18 (1975), 1-101.
10. **Godsil CD.** Algebraic Combinations. Chapman and Hall, London, 1993.
11. **Dunkl CF.** The measure algebra of a locally compact hypergroup,
12. Trans. Amer. Math. Soc. 179 (1973), 331-348.
13. **Brouwer AE,** Cohen AM and Neumaier A. Distance-Regular
14. Graphs. Ergeb. Der Math, No. 3, Band 18, Springer, Berlin, 1989.
15. **Bloom WR and Heyer H.** Harmonic Analysis of Probability Measures on Hypergroups, DeGruyteb. Berlin.(1995).
16. **Bannai E and Ito T.** Algebraic Combinatories I- Association schemes. Benjamin and Cummings. Menlo Park, 1984.
17. **Bajaj M.M., V.R. Singh and Ibrahim M.S.M.,** AIDS: Prevention and Management, M.M. Bajaj, V.R. Singh & M.S.M. Ibrahim, 1994. National Conference on AIDS, Awareness and Prevention Dec. 1, Delhi.
18. **Bajaj M.M., Ibrahim M.S.M. and R.** Nath, Sex, Motherhood and AIDS, National Conference on AIS Awareness and Prevention. Dec. 1, 1994, Delhi.
19. **Ibrahim M.S.M. and Bajaj M.M. 1995.** Effect of Dearranged Lifestyle and Narcotics Additional on Self Organising Systems and Appearance of Strange Attractors, International Conference on 'The Criteria for Self-Organisation in Physical, Chemical and Biological Systems' 1, 1-17 June, Souzdal (Russia).
20. **Wildberger, NJ,** Duality and Entropy for finite commutative hypergroups and fusion rule algebras. To appear.
21. **Sunder VS and Wildberger NJ.** On discrete hypergroups and their actions on sets, preprint (1996).